भारतीय विदेश-नीति के आधार

[1860–1882]

लेखक · बिशेश्वर प्रसाद
एम ए, डी लिट.

अनुवादक विश्वप्रकाश गुप्त

ैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार की मानक-ग्रंथ-योजना के अंतर्गत प्रकाशित

निदेशक—डा० नगेन्द्र

प्रथम संस्करण, 1967

मूल्य आठ रुपये मात्र

भाषा-संपादक
महेन्द्र चतुर्वेदी

प्रस्तुत पुस्तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की
मानक-ग्रंथ-योजना के अंतर्गत, शिक्षा-मंत्रालय,
भारत सरकार के शत-प्रतिशत
अनुदान से प्रकाशित हुई है

प्रकाशक : अनुवाद निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
मुद्रक : दी एजुकेशनल प्रेस, सिटी स्टेशन रोड, आगरा

प्रस्तावना

हिंदी और प्रादेशिक भाषाओ को शिक्षा के माध्यम के रूप मे अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमे उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रथ अधिक सख्या मे तैयार किए जाएँ। भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हाथ मे सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के अतर्गत अँग्रेजी और अन्य भाषाओ के प्रामाणिक ग्रथो का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रथ भी लिखाए जा रहे है। यह काम अधिकतर राज्य सरकारो विश्वविद्यालयो तथा प्रकाशको की सहायता से आरभ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वय अपने अधीन भी करा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक हमे इस योजना मे सहयोग दे रहे है। अनूदित और नए साहित्य मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शिक्षा-सस्थाओ मे एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

भारतीय विदेश-नीति के आधार, 1860-1882 नामक पुस्तक अनुवाद निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसके मूल लेखक डा बिशेश्वर प्रसाद हैं और अनुवादक है श्री विश्वप्रकाश गुप्त। आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रथो के प्रकाशन सबधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रो मे स्वागत किया जाएगा।

श. बालसुब्रह्मण्यम्
कार्यवाहक अध्यक्ष,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

आमुख

दिल्ली विश्वविद्यालय मे अनुवाद निदेशालय की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक-ग्रंथ-अनुवाद-योजना के अतर्गत हुई है। [अब इस योजना का दायित्व स्थायी वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली आयोग ने सँभाल लिया है।] मत्रालय न अपनी पारिभाषिक शब्दावली के व्यावहारिक प्रचलन को गति देने के लिए मानक ग्रंथो के अनुवाद तथा लेखन के कार्य मे विश्वविद्यालयो का सहयोग आमंत्रित किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह गौरव है कि इस दिशा मे प्रथम चरण उसी ने उठाया है।

विश्वविद्यालयो और शिक्षा मत्रालय के इस समन्वित प्रयत्न का उद्देश्य प्रत्यक्षत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियो के लिए पर्याप्त पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराना है। दिल्ली विश्वविद्यालय मे हिंदी को स्नातक-स्तर पर राजनीति-विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र मे शिक्षा तथा परीक्षा का वैकल्पिक माध्यम स्वीकार किया जा चुका है और एक क्रमबद्ध योजना के अधीन अन्य विषयो मे तथा उच्चतर स्तर पर भी इस योजना को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रो मे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओ के प्रयोग का प्रश्न उनमे उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तकनीकी वाङ्मय के प्रश्न से जुडा हुआ है। इस प्रकार का जितना ही अधिक वाङ्मय प्रकाशित होगा उतनी ही हमारी भाषाओं की श्रीवृद्धि होगी—ऐसा मेरा विश्वास है।

वैज्ञानिक वाङ्मय की समृद्धि का कार्य हमारे यहाँ अभी प्रारंभिक अवस्था मे ही है और उधर पश्चिम के वैज्ञानिक वाङ्मय का अमित विस्तार हमारे सामने है। इस दिशा मे एक वस्तुत सभ्य-समृद्ध राष्ट्र के स्तर तक उठने के लिए हमे अभी बहुत लबा रास्ता तय करना होगा। ज्ञानात्मक साहित्य के निर्माण और अनुवाद की प्रक्रिया किसी भी समृद्ध-जाग्रत राष्ट्र मे अनवरत एव अनत होती है। मुझे प्रसन्नता है कि इस राष्ट्रीय अनुष्ठान मे दिल्ली विश्वविद्यालय यथाशक्ति योग दे रहा है और विश्वास है कि भविष्य मे भी बराबर देता रहेगा।

धीरेन्द्रनाथ गांगुलि
कुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय

PREFACE

THE creation of an independent state necessarily brings new responsibilities to the people who have been freed from foreign rule One of these is eternal vigilance for the security of frontiers and inviolability of the territories This involves, on the one hand, the establishment of strong defence forces and, on the other, the formulation of a foreign policy which is in harmony with the domestic needs and the genius of the people India has regained her freedom and her people have now become the architects of their relations with the other peoples of the wrld An enlightened realistic foreign policy demands an educated public opinion which is based on a scientific appreciation of the international problems, the spiritual concepts and historical tradition In foreign policy, particularly, historical background is very important, for no nation can altogether ignore the past currents To be able to frame an effective foreign policy now the Indian people have to understand the trend of relationship of their country with other lands, mainly those of Asia on its frontiers

The present work has been designed to serve this object by taking the attention back to a formative period of Indian history, wherein the problem of dealing with the countries on the borders came to the forefront India was then part of the British Empire and, inevitably, Imperial interests govrned the character of these relationships In the mid-nineteenth century Asia was the field of conflict of interests between the empires of Britain and Russia The danger of India being enveloped by the expanding Russian imperialism was entertained by many, and therefore, plans and means were devised to counteract it Policies, forward or backward, were put forth, but whatever might have been the brand, these implied in essence the control of foreign relations of the neighbouring weak states of Central Asia, Afghanistan, Kalat and Sinkiang being the chief among them This lasted till the beginning of the present century when the temporary settlement between England and Russia eased the tension between the rival imperialisms and thereby prepared the way for a reorientation of policy In the period after the First World War, when organisations for international peace were devised, India's foreign relations transcended the immediate circle of neighbouring states and embraced a world field But not till 1947 were these policies in any manner independent of the policies or interests of the

United Kingdom However, Indian public opinion, and particularly the Indian National Congress, after 1930, grew interested in foreign affairs and certain fundamental principles emerged in that period which were likely to be reflected in the foreign policy as adopted after independence

The Indian Council of World Affairs has planned to bring out a history of India's foreign relations beginning from the nineteenth century till the declaration of independence in 1947 The present volume is the first of this series and brings the story down to the year 1882 particularly in relation to the states towards the north west of India The subsequent three volumes will cover the remaining period It is also proposed to publish the relevant documents separately so as to illustrate the account For this reason no such documents have been included as appendices in this volume The account is based primarily on the documents and records of the Foreign and Political Departments of the Government of India preserved in the National Archives It is a very valuable source of information, authentic and practically full I am indebted to the authorities of the National Archives for their courtesy in allowing me access to their records and permitting me to make use of them I have also consulted books on the subject and one is surprised at the extent of such literature largely contemporary and often reflecting the controversies which divided the leading statesmen and military authorities of the time in England or India Some literature produced in Russia, but translated into English has also been made use of But I have not been privileged to examine the official Russian archives, which, I was informed, have very valuable material on the varied aspects of Czarist expansion in Asia, and the Tashkand archives have particularly rich material on Central Asian affairs It has also not been possible for me to have acces to Afghan or persian sources of information As such the story is largely built on the British Indian sources of information and in a study as the present one, which seeks to analyse the trends of Indo-British policies, the best sources naturally have to be these

I am greatly indebted to my teacher, Dr Tara Chand, India's Ambassador in Teheran, who read through the manuscript and made valuable suggestions for its improvement I am also grateful to Dr A Appadorai, Secretary-General Indian Council of World Affairs, for revising the manuscript. I must also express my gratitude to the Indian Council of World Affairs and Messrs Orient Longmans Ltd, for undertaking to publish the book.

My only excuse in bringing out this book is to excite public opinion on foreign affairs, and *I shall feel happy if the intelligentia of the* country is provoked to think on these matters

University of Delhi, BISHESHWAR PRASAD
May, 1955

PREFACE TO SECOND EDITION

The first edition of this book was exhaused within a short time, and for many years the book has not been available in the market I am glad to find that it has been in great demand by the students and others interested in the subject This has encouraged me to seek its reprint *In this second edition, I have revised the text wherever* necessary In the interval since the publication of this book more than a decade back, some books have been published on the subject and a large amount of source material has also been made available But I have not found reason to alter my conclusions, rather these have been confirmed

I trust the book will be found useful I am grateful to Messrs. Ranjit Printers and Publishers for undertaking to publish this edition.

University of Delhi, BISHESHWAR PRASAD
April, 1967.

मूल सिद्धान्तों का प्रवर्तन हुआ जिनके बारे में संभावना थी कि स्वातन्त्र्योत्तर विदेश-नीति में उनकी झलक मिलेगी।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् (The Indian Council of World Affairs) ने उन्नीसवीं शताब्दी से लेकर 1947 में स्वतन्त्रता की घोषणा तक भारत के विदेश-संबंधों का इतिहास प्रकाशित करने की योजना बनाई है। वर्तमान खंड इस ग्रंथ-माला का पहला पुष्प है और इसमें 1882 तक की—विशेषकर उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित राज्यों के साथ भारत के संबंधों की—कहानी कही गई है। आगे के तीन खंडों में शेष युग की कहानी पूरी की जाएगी। इस विवरण को सोदाहरण स्पष्ट करने के लिए संबद्ध दस्तावेजों को अलग से प्रकाशित करने का भी विचार है। यही कारण है कि इस खंड में इस तरह के दस्तावेज परिशिष्टों के रूप में नहीं दिए गए हैं। यह विवरण मुख्य रूप से भारत सरकार के वैदेशिक और राजनीतिक विभागों के दस्तावेजों और अभिलेखों पर आधारित है जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। यह प्रामाणिक तथा प्रायः पूर्ण सूचना का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्रोत है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने मुझे अपने अभिलेखों का अध्ययन करने तथा उपयोग करने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैंने इस विषय की पुस्तकों का भी अनुशीलन किया है और इस तरह के साहित्य की विपुलता देख कर आश्चर्य होता है। यह साहित्य अधिकतर सम-सामयिक है और उस समय भारत तथा इंगलैंड के प्रमुख राजमर्मज्ञों और सैनिक अधिकारियों के बीच जो वाद विवाद चलते रहते थे, उनकी इस साहित्य में प्रायः झलक मिल जाती है। मैंने अंग्रेजी में अनूदित कुछ रूसी साहित्य का भी उपयोग किया है। पर मुझे रूस के सरकारी अभिलेखों की परीक्षा करने का सुअवसर नहीं मिल सका है, हालाँकि मुझे बताया गया है कि इन अभिलेखों में एशिया में जार-सरकार के विस्तार के विविध पहलुओं के बारे में महत्त्वपूर्ण सामग्री बिखरी पड़ी है और मध्य एशिया की राजनीति पर ताशकंद के अभिलेखागार विशेष रूप से उपयोगी सामग्री के भंडार हैं। मैं अफ-गानिस्तान और फारस के सूचना-स्रोतों से भी लाभ नहीं उठा सका हूँ। इस स्थिति में यह कहानी मुख्य रूप से ब्रिटिश-भारतीय सूचना-स्रोतों के आधार पर ही कही गई है और इस तरह के अध्ययन में यही स्वभावतः सर्वश्रेष्ठ स्रोत हो सकते हैं।

मैं अपने गुरु, तेहरान स्थित भारतीय राजदूत डा. ताराचंद का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने पाण्डुलिपि पढ़ी है और उसके सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं विश्व-मामलों की भारतीय परिषद् के महासचिव डा. ए. अप्पादोराई का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने पाण्डुलिपि का पुनरीक्षण किया है। मैं उक्त परिषद् के प्रति तथा ग्रंथ का प्रकाशन करने के लिए ओरिएंट लोंगमैन्स लि. के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

इस पुस्तक का प्रकाशित करने के पक्ष में मेरे पास एक-मात्र युक्ति यह है कि लोक-मत विदेशी मामलों के प्रति उत्सुक हो, और यदि देश के बुद्धिजीवियों को इन विषयों पर विचार करने की प्रेरणा मिल सकी, तो मुझे प्रसन्नता होगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय, | बिशेश्वर प्रसाद
मई, 1955.

दूसरे सस्करण का प्राक्कथन

इस पुस्तक का पहला सस्करण अल्पकाल मे ही समाप्त हो गया था और अनेक वर्षो तक पुस्तक बाजार मे अप्राप्य रही है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि छात्रो तथा विषय म रुचि रखने वाले अन्य पाठका की ओर से इस पुस्तक की पर्याप्त माँग बनी रही है। इससे मुझे पुस्तक को दुबारा मुद्रित करान का प्रोत्साहन मिला है। इस दूसरे सस्करण मे मैंने पुस्तक का जहाँ-जहाँ आवश्यक हुआ है, सशोधन किया है। इस पुस्तक का पहला सस्करण प्राय बारह वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसके बाद से इस विषय पर कुछ पुस्तके प्रकाशित हुई है और बहुत सी आधार-सामग्री भी उपलब्ध हो गई है। पर, मुझे ऐसा कोई आधार नही मिल सका है कि मै अपने निष्कर्ष बदलता, उल्टे वे पुष्ट ही हुए है।

मुझे विश्वास है कि पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। मैं इस सस्करण का प्रकाशन करने के लिए मैसर्ज रणजीत प्रिंटर्स एड पब्लिशर्स का आभारी हूँ।

दिल्ली विश्वविद्यालय,
अप्रैल, 1967

बिशेश्वर प्रसाद

विषय-सूची

अध्याय 1

मध्य एशियाई नीति का सूत्रपात

भारत में अँग्रेजी राज का वट-वृक्ष अठारहवीं सदी में पनपा-बढ़ा—समुद्र-तट पर एक छोटे-से बीज से बढ़ते-बढ़ते उसने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिसकी शाखाएँ उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक भागों में फैल गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों में अब अपनी नई भूमिका की चेतना जागी और, भारतीय सीमाओं के भीतर हो या बाहर, इस देश पर प्रभुता जमाने में जो भी उनका प्रतिद्वंद्वी हुआ, उसे उन्होंने ईर्ष्या और संदेह की दृष्टि से देखा। स्वाभाविक था कि मराठों और अफगानों की ओर उनका ध्यान गया। उन्नीसवीं सदी के शुरू के सालों में ही विद्रोही टीपू का पराभव हो गया, मराठों का गौरव-सूर्य अस्त हुआ और अफगानों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई। अँग्रेजों का झंडा करीब-करीब देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लहराने लगा। हाँ, उत्तर-पश्चिम में सिंध का स्वतंत्र राज्य और रणजीत सिंह का शक्तिशाली राज्य कुछ समय तक बने रहे। रणजीत सिंह के साथ अँग्रेजों की मैत्री-संधि थी। भारत में अँग्रेजों की शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के इस विकास-विस्तार ने उनके लिए नई जिम्मेदारियाँ पैदा कर दीं, क्योंकि अब उनकी यह अनिवार्य जिम्मेदारी हो गई कि वे भारत की सीमा की दो संकटों से रक्षा करें—एक तो प्रतियोगी यूरोपीय साम्राज्य-वादों से और दूसरे मध्य एशिया की क्रांतिकारी उथल-पुथल से, जो आए दिन होती ही रहती थी।

लॉर्ड वेलेजली के आने से पहले अँग्रेज शासकों की दृष्टि भारत की प्राकृतिक सीमाओं के पार नहीं गई थी। कारण यह था कि उस समय तक उनकी दृष्टि आत्म-रक्षा और आंतरिक विस्तार की समस्याओं तक ही सीमित थी। वेलेजली भारत पहुँचा तो उसने देखा कि टीपू ने एशिया के मुस्लिम राज्यों में अपने राजदूत भेजे हैं और अफगानिस्तान का शासक जमान शाह सतलज-पार अपने पड़ाव से कूच करके भारत पर चढ़ आने के लिए तैयार है। जमान शाह ने गवर्नर-जनरल को अपने इरादे की इत्तला दी—बल्कि मराठों को वापस दक्कन की ओर खदेड़ देने में उसका सहयोग माँगा। वह अवध के नवाब और उत्तर भारत के और राजाओं से भी बातचीत कर रहा था। इस नए खतरे को देखकर गवर्नर जनरल चौकन्ना हो गया और उसने राजनय का ऐसा दाँव खेला जिससे मध्य एशिया में एक दूरव्यापी नीति की नींव पड़ी। वेलेजली ने काबुल

के शासक की साहसिक प्रवृत्तियों पर 'स्थायी नियन्त्रण' रखने के लिए फारस से सहायता माँग कर अफगानिस्तानी खतरे का जवाब देने की कोशिश की। फारस का शाह तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता ही था। उसके प्रतिनिधि मेहदी अली खाँ के प्रयत्नों ने आग में घी का काम किया। परिणाम यह हुआ कि फारस की फौजें खुरासान पर चढ़ दौड़ीं। यह चढ़ाई तो निष्फल रही लेकिन इसके कारण जमान शाह को लाहौर से पीछे हटकर पेशावर लौट जाना पड़ा।[1] उस वक्त का खतरा तो यों टल गया और बाद में फिर कभी पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि काबुल के राजमहल में बड़ी तेज़ी से एक के बाद एक क्रान्तियाँ होती गई। इस तरह भारत की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान का खतरा कई सालों के लिए मिट गया। चौथाई सदी से भी कम अरसे में जमान शाह, फिर महमद शाह और अंत में शाह शुजा को अफगानिस्तान से निकाला गया। इन सबने गुजारा पाकर भारत सरकार की शरण ली। इस घटना-चक्र के कारण काबुल सरकार कमज़ोर तो हुई ही, वह अँग्रेज़ों की मदद की मोहताज भी हो गई।

यह ठीक है कि अफगानिस्तान का खतरा ही वह मूल हेतु था जिसने अँग्रेज़ों को फारस से नाता जोड़ने और मध्य एशिया के मसलों में दिलचस्पी लेने के लिए विवश कर दिया पर सबसे प्रबल कारण तो कुछ और ही था—भारत के सिर पर उस समय रूस और फ्रांस के हमलों की तलवार लटक रही थी और उम्मीद थी कि यह तलवार अब गिरने ही वाली है। इसी खतरे ने आंग्ल-भारतीय सरकार को एशियाई राजनीति के वृहत्तर क्षेत्र में ला खड़ा किया था। साइकस के शब्दों में नैपोलियन बोनापार्ट '(फारस के) शाह को अपनी विश्व-राजनीति-योजना में—खासकर भारत पर हमला करने के सिलसिले में—कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता था"।[2] कहा जाता है कि रूस का पाल 1800 में बड़ी गंभीरता के साथ भारत पर हमला करने का विचार कर रहा था, उसने अपने कज़ाकों को भारत की ओर कूच करने का आदेश भी दे दिया था किंतु ज़ार की मृत्यु के कारण यह चढ़ाई वोल्गा पर आकर ही रुक गई। उधर मिस्र में नैपोलियन की कारगुज़ारी थी और दूसरी जगहों पर उसकी चौंधिया देने वाली सफलताएँ थीं, और इधर मध्य एशिया के ऊसर क्षेत्रों के भूगोल के बारे में अँग्रेज़ों का अज्ञान था। इसका परिणाम यह हुआ कि अँग्रेज़ शासकों की सही और गलत की समझ कुंठित हो गई। और यहाँ भारत में भी अँग्रेज़ मानो एक ज्वालामुखी की चोटी पर बैठे हुए थे। इसलिए, उनकी आशंका का कोई ठिकाना न था। तेज़ी से घूमते हुए घटना-चक्र ने उनके डर को और बढ़ा दिया। 1802 में फ्रांस के कौन्सुली एजेंटों ने फारस के शाह से बातचीत शुरू की और 1804 में रूस के विरुद्ध आपस में मैत्री-संधि कर लेने का निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद ही एम० जौबैर नाम के एक फ्रांसीसी दूत को कुछ ठोस प्रस्तावों के साथ तेहरान भेजा गया। इन प्रस्तावों में कहा गया था कि यदि फारस अँग्रेज़ों से मैत्री-संधि तोड़ दे और भारत पर हमला करे तो फ्रांस उसे सैनिक सहायता भी देगा और आर्थिक सहायता भी। बातचीत सफल हुई, शाह अँग्रेज़ों से

---

1 साइकस, हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, II, पृ 298-300; रॉलिन्सन, इंगलैंड एंड रशा इन द ईस्ट, पृ. 5-6
2 वही, पृ 300

निराश तो हो ही चुका था। उसने 1807 में फ्रेंकेन्स्टीन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और वह इस बात के लिए सहमत हो गया कि उसकी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए जनरल गार्डने की अधीनता में एक फ्रांसीसी सैनिक मिशन—जिसमें सत्तर राजादिष्ट तथा अराजादिष्ट अधिकारी हों—तेहरान आए।[1] इस घटना चक्र की अंतिम कड़ी थी 1807 की टिल्सिट की संधि। इसके अनुसार जार और नैपोलियन का यह समझौता हुआ कि अँग्रेजों की प्रभुता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वे पूर्व पर धावा बोलेंगे। किंतु जब नैपोलियन ने जार से नाता तोड़ दिया और जब रूस के स्टेपीज में उसे विनाश का तांडव देखना पड़ा तो उसका भाग्य-नक्षत्र हमेशा हमेशा के लिए डूब गया और इस तरह उन्नीसवीं सदी के पहले दशक में घटनाओं का जो बवंडर उठा था वह शांत हो गया। ये बलगाम सपने कहाँ तक सच साबित होते यह तो इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल थीं हालांकि नैपोलियन की प्रतिभा मध्य एशिया की राजनयिक अवस्था और भारत में अंग्रेजों की कमजोर स्थिति ये सब उनकी सफलता के बड़े तरल आधार थे।

इन घटनाओं को देखते हुए जरूरी था कि इंगलैंड और भारत की सरकार कुछ जवाबी कार्यवाही करती। मध्य एशिया के राजनीतिक क्षितिज पर इस समय जो भी हलचल होती थी इंगलैंड और भारत की सरकारों को वह तिल होने पर भी ताड़ सी दिखाई देती थी। भारत में अँग्रेजों के हितों की सुरक्षा के साथ फारस का बड़ा गहरा संबंध माना जाने लगा था। इसलिए जैसे ही फारस में तनिक-सी सरगर्मी शुरू हुई वैसे ही 1800 में माल्कम को शाह के साथ यह वचनबंध करने के लिए तेहरान भेजा गया कि यदि फ्रांसीसी फारस की भूमि पर पैर जमाना चाहें तो उनका निर्वासन और उन्मूलन कर दिया जाए। दोनों हाथों से सोना लुटा कर वह यह करार करने में सफल हो गया। पर चूंकि खतरा सचमुच सामने नहीं आया इसलिए कुछ सालों तक फारस के मामलों में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं रही। शाह ने अँग्रेजों से पुरजोर अपीलें की कि यदि रूस फारस की भूमि पर हमला करे तो अँग्रेज उसके विरुद्ध फारस की मदद करें लेकिन अँग्रेजों के कानों पर जूं तक न रेंगी। लाचार होकर शाह को फ्रांसीसियों का सहारा ताकना पड़ा। फ्रांसीसी तो इस ताक में ही थे कि शाह दोस्ती का हाथ बढ़ाए। किंतु (अँग्रेजों का) उदात्त उदासीनता का यह रवैया अधिक समय तक न चल सकता था। टिल्सिट के बाद उनकी आशंका फिर बढ़ गई और तब ब्रिटेन तथा भारत की सरकारों ने तेहरान के दरबार में अपने अलग-अलग दूत भेजे। सबसे पहले माल्कम वहाँ पहुँचा और उसने देखा कि फ्रांसीसी मिशन शाह के अनुग्रह की छत्र छाया में फल-फूल रहा है। उसके सामने बड़ा कठिन समस्या थी कि फ्रांसीसी मिशन की काट कैसे की जाए। माल्कम अपने उद्देश्य में असफल रहा और भारत लौट कर इस अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से खड़क के विरुद्ध एक नौ-अभियान भेजने के लिए उसने लार्ड मिंटो को राजी कर लिया। लेकिन इस योजना पर अमल होने नहीं पाया था कि ब्रिटिश दूत सर हार्फर्ड जोन्स ने माल्कम की पराजय का बदला चुका लिया—यह इस तरह कि फारस के मन में उत्तरी लवियाथन रूस की ओर से जो डर जमा हुआ था उस

1 साइक्स हिस्ट्री आफ पर्शिया II पृ 303-5

इस की प्रवृत्ति का फायदा उठा कर मार्च, 1809 में वह एक प्रारंभिक संधि करने में सफल हो गया। इस करार में "इंगलैंड के साथ मैत्री की व्यवस्था थी और साथ ही यह भी व्यवस्था थी कि जब तक ग्रेट ब्रिटेन की रूस से लड़ाई चलती रहेगी, तब तक फारस को 1,60,000 तोमन (1,20,000 पौंड) का वार्षिक उपदान मिलता रहेगा और फारस की सेना के प्रशिक्षण के लिए ब्रिटिश अफसरों की सेवाएँ सुलभ रहेंगी।"[1] इसी प्रारंभिक संधि के आधार पर सर गोर आउस्ले ने निश्चायक संधि की बातचीत और व्यवस्था की और 1814 में यह संधि पक्की हो गई।[2] इस वचनबंध की शर्तें काफी व्यापक थीं और इसे 'विशेष रूप से प्रतिरक्षात्मक घोषित किया गया था।" इसके अनुसार 'फारस और यूरोपीय राष्ट्रों की वे सब मैत्री-संधियाँ—जो ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिकूल थीं—अकृत और शून्य हो गईं और कोई भी यूरोपीय फौज—जो ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिकूल हो—फारस में कदम नहीं रख सकती थी।" इसके अलावा, शाह इस बात के लिए बाध्य था कि वह ख्वाराज्म, तातारिस्तान, बुखारा और समरकंद के शासकों को उन फौजों का विरोध करने के लिए तैयार करे जो भारत पर हमला करने के इरादे से उनकी सीमाओं में से गुजर रही हों। यह भी तय हुआ कि दोनों देश रूस के विरुद्ध एक-दूसरे की मदद करेंगे और ब्रिटिश सरकार ने रूस और फारस की सीमाएँ निर्धारित करने का काम अपने ऊपर ले लिया। संधि में आगे चल कर यह व्यवस्था भी की गई थी कि जब कभी ग्रेट ब्रिटेन की किसी ऐसे यूरोपीय देश के साथ संधि होगी जो फारस के साथ लड़ाई लड़ रहा हो तो उस संधि में फारस को भी शामिल किया जाएगा और अगर ऐसा न हो सका तो फारस को सैनिक और वित्तीय सहायता दी जाएगी।" इस संधि में अफगानिस्तान के बारे में भी एक दिलचस्प धारा थी जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार का यह वायदा था कि "अगर फारस और अमीर के बीच लड़ाई हुई, तो वह हस्तक्षेप नहीं करेगी, पर फारस इस बात के लिए सहमत हो गया था कि अगर अफगानिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ लड़ाई छेड़ी, तो वह अफगानिस्तान पर हमला बोलेगा।" उपदान की राशि बढ़ा कर 2,00,000 तोमन कर दी गई और यह उस समय तक मिलते रहने को थी जब तक फारस किसी देश पर आक्रमण करके लड़ाई मोल न ले।[3]

तेहरान की इस संधि ने फारस में ब्रिटेन की नीति को निश्चित रूप से रूस-विरोधी

---

1 इस बातचीत के और प्रारंभिक संबंधों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए, रॉलिन्सन, पू. इ., पृ. 8-35 रॉलिन्सन ने इस बात पर जोर दिया है, और यह ठीक ही है, कि शुरू-शुरू में फारस के साथ अंग्रेजों के संबंधों के दो मुख्य उद्देश्य थे—एक तो अफगान शक्ति के प्रति-संतुलन की स्थापना और दूसरे फारस की महत्वाकांक्षा का शमन। पहले और दूसरे दोनों ही उद्देश्यों का सीधा सरोकार भारत की रक्षा से था और 'इस मामले में अभी रूस का सवाल बीच में नहीं आया था।" पृ. 29

2. तारीख 25 नवंबर, 1804 की तेहरान-संधि के आधार पर इस निश्चायक संधि में संशोधन हुए। यह संधि मोरियर और एलिस द्वारा की गई थी और इसके उपबंध अधिक उदार थे। रॉलिन्सन, पृ. 35.

3 साइक्स पू. इ., II, अध्याय LXXV, पृ. 309-10.

दिशा म मोड दिया।[1] यह अनिवार्य भी था क्योंकि पूर्वी यूरोप मे फ्रासीसी साम्राज्य के अंत और रूसी प्रभुता के उत्थान के कारण एक रूस ही ऐसा यूरोपीय देश रह गया था जो पूर्व-विजय का रास्ता पकड सकता था। रूस का मध्य एशिया से पुराना सबध था और वह पूर्व की ओर अपने पैर लगातार फैलाता जा रहा था। इससे अँग्रेजो के कान खडे हो गए क्योंकि वे भारत म अपनी सत्ता की रक्षा म जी-जान से जुटे हुए थे और मध्य एशिया के वाणिज्य से पूरा-पूरा लाभ उठाने के अपने इरादे म किसी प्रतियोगी का फूटी आँख भी नही देख सकते थे। इसके बाद मध्य एशिया म प्रभुता पाने के लिए सघर्ष रूस और ब्रिटेन म हुआ। भारत पर रूस क हमले का डर निराधार होते हुए भी सच्चा था इसलिए रूसी प्रभुत्व से बीच के जिन एशियाई राज्यो की सुरक्षा भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझी गई, भारत और इँगलैंड की सरकारा न 'रूसी हौवे' से पस्त होकर उन राज्यों की ओर पजे पसार। इस प्रकार तेहरान, हेरात और काबुल भारत ब्रिटिश राजनय के प्रमुख अखाडे बन गए।

फारस के विरुद्ध रूसी अग्रधपण (aggression) इस सदी के शुरू से ही चल रहा था। इँगलैंड के दूत न 1813 मे *गुलिस्ताँ की सधि द्वारा अस्थायी समझौता करा* दिया था। कुछ साला तक फारस म शाति रही और इँगलैंड का प्रभाव बढता रहा। किंतु गाकचा के सवाल को लेकर, जिस पर 1825 म रूस न कब्जा कर लिया था और जिसे राजनय के द्वारा फारस का न दिलाया जा सका था, फारस म लोकमत इतना भडक उठा कि रूस से लडाई छिड गई। शुरू-शुरू म सफलता मिली पर बाद मे फारस की सेना को करारी मुँहकी खानी पडी। फारस न तेहरान की सधि के अधीन ब्रिटिश सरकार से सहायता माँगी, लेकिन चूँकि उस वक्त ब्रिटेन और रूस के बीच शाति थी, इसलिए ब्रिटेन न मदद देन मे आना-कानी की। युद्ध म फारस बुरी तरह से हारा और उसे 1828 म तुर्कमानचाइ की अपमानजनक सधि करनी पडी। इस सधि के अधीन फारस को अपन कुछ उपजाऊ प्रदेश रूस के हवाले कर देने पडे, 3,000,000 पौंड की बहुत बडी राशि हर्जाने के तौर पर देनी पडी और इसके अलावा उस कुछ वाणिज्यिक विशेषाधिकार भी देने पडे जो एक तरह से रूस के लिए अपरदेशीय (extra territorial) अधिकार थे। साइक्स का मत है कि इसके बाद फारस पूरी तरह स्वतत्र राज्य नही रहा और अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी उसकी सीमा म विशेषाधिकार चाहन लगे। अँग्रेजा के दृष्टिकोण से इस सधि का फल यह हुआ कि तेहरान-दरबार मे उनका प्रभाव घट गया। इस सधि का दूसरा फल यह हुआ कि पूर्व म फारस की नीति का उद्देश्य यह हो गया कि वह पूर्वी

1 रॉलिन्सन न लिखा है, "इस सधि की सबस महत्त्वपूर्ण विशेषता उसम निहित यह सिद्धात था कि अगर रूस ने फ़ारस पर अकारण ही हमला किया, तो ग्रेट-ब्रिटेन उसे भारत विरोधी कार्यवाही समझेगा"। सधि के छठे अनुच्छेद म यह विशेष व्यवस्था थी कि "भले ही ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच शाति हो पर यदि कभी रूस फारस पर आक्रमण करेगा और हमारे सत्प्रयासो से भी मनभेद दूर न होंगे तो हम शाह की सेना की सहायता के लिए उपदान देत रहना होगा।" रॉलिन्सन ने आगे लिखा है, "सच बात यह है कि सधि के छठे अनुच्छेद के अधीन हम इस बात के लिए वचनबद्ध हो गए थे कि फारस की रक्षा के लिए हमे रूस स युद्ध भी करना पड सकता है"। पृ 37

सामा पर स्थित प्रात का फिर स हस्तगत कर। इसक कारण हरात और अफगानि स्तान स भी उसका सघष शुरु हो गया और अग्रजा की नीति म एक नए तत्त्व का समावश हुआ।[1] इसक बाद हरात ही फारस का गतिविधि का लक्ष्य बन गया। फारस न 1805 और 1818 म इस प्रात को फिर स हथियान क लिए हाथ-पैर मारे लकिन हरात क शासक फिरोज मिर्जा न ना हाथो स अशर्फियाँ लुटा कर विपत्ति को टाल दिया था।[2] रूस स हार खान के बाद फारस की फौजा ना हुक्म मिला कि व अब्बास मिर्जा की अधीनता म चल कर पूर्वी प्राता म जहाँ असन्ताप की चिंगारियाँ भडक रही थी—शाह की सत्ता का फिर स प्रतिष्ठित कर। अब्बास मिर्जा न यज्द और करमान म सफलता पाई इसके बा खरासान और मारख म लडाई हुई और यहाँ भी जीत का सहरा उसी क हाथ रहा इस विजय की गूज समूच मध्य एशिया म सुनाई पडन लगी और उसस उत्साहित हाकर अब्बास मिर्जा न हरात की ओर नजर फरी। रूसी पूव की ओर फारसिया क प्रयाण का बढावा दना चाहत थ क्याकि इसस एक तो जाॅर्जियाई क्षत्र पर दबाव कम हाना और दूसर फारस की विजया क फलस्वरूप अफगानिस्तान म परोक्ष रूप म रूस का प्रभाव जमन की उम्मीद की जा सकती थी। अग्रज बड धम सकट म पड गए। फारस हरात काबुल और कधार की अखडता का भग कर—यह व गवारा न कर सकते थ क्याकि इसका मतलब यह होता कि फारस भारत की सीमा क नजदीक पहुच जाता और सो भी तब जब कि तहरान म रूसिया का सितारा बडी बुलदी पर था। इसके साथ ही व शाह को और अधिक नाराज करक उस पूरी तरह रूस की शरणागत भी न बनाना चाहत थ।

1833 म हरात का पहला घरा बीच म ही उठा लिया गया क्योकि वहाँ का शासक कामरान मिर्जा शाह का कर दन के लिए राजी हो गया। 1834 म फतेह अली शाह की मृत्यु हो गई। अग्रजा स फतह अली शाह की दोस्ती थी। उसके बाद फारस क तख्त पर मुहम्मद शाह बठा और उसक बार म यह कहा जाता था कि उस पर रूस का भरपूर प्रभाव था। नए शाह न पिछल माल हरात स हटन पर फिर लौटने का वायदा किया था इसलिए उसन अफगान-युद्ध क लिए भारी भरकम फौज तयार की। कामरान न विश्वासघात किया था और फारस क एक सक्रम समृद्ध सूब सीस्तान पर कब्जा कर लिया था। अग्रजो न शाह को इस साहसिक कम स विरत करन का घोर प्रयत्न किया पर व विफल रह। 1837 म शाह ने हरात पर घरा डाल दिया लकिन हेरात न घरे जान क बाद भी डट कर हमल का प्रतिरोध किया। आक्रमणकारी स किले की इस दृढ रक्षा का श्रय एल्ड्रड पाटिगर नामक अग्रज को दिया जाता है जो गैरिसन क साथ मौजूद था। अग्रजी राजनयिक क्षत्र म बडा व्याकुलता थी। 1838 क शुरू म मैक्नील फारस क शिविर म पहुचा और उसन हताश शाह को घरा उठा लन क लिए समझान बुझान की कोशिश की। कहत हैं उस सफलता मिलन ही वाली थी कि तभी रूसी दूत काउट सिमोनिच शाह स आकर मिला और उसन शाह की सहायता क लिए एक रूसी अफसर की सवाएँ प्रस्तुत करन का प्रस्ताव रखा। इसस शाह का सकल्प दृढ हुआ और

---

1 साइक्स हिस्ट्री आफ पर्शिया II अध्याय LXXVI
2. वही प 315

उसने घेरा डाले रहने का फैसला किया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने खडक द्वीप पर कब्ज़ा कर लिया। इधर तो यह खबर मिली, उधर शाह शहर पर कब्जा नही कर पा रहा था, और इसके साथ ही ब्रिटिश अभिवेदना (representations) मे एक निश्चित स्वर की गूंज थी—इन सब कारणो से विवश होकर शाह को हेरात के शासक से कोई करार किए बिना ही मजबूरन पीछे लौटना पडा। फारस के हेरात पर अधिकार करने के प्रयत्न का पहला दौर इस तरह से खत्म हुआ। पर, फारसी दरबार 1850-59 तक उसके आकर्षण मे ग्रस्त रहा।[1] हेरात प्रकरण के बहाने अंग्रेजो ने अफगानिस्तान म मनमाने ढंग से हस्तक्षेप किया और उसके फलस्वरूप प्रथम अफगान-युद्ध की घटना घटी।[2]

कुछ साला से मध्य एशिया म घटना चक्र इस तरह चल रहा था कि अंग्रेजो और रूसियो की प्रतिद्वद्विता अटल दिखाई पडन लगी थी। इन परिस्थितियो मे यह समझा जाता था कि इंगलैंड का सच्चा हित इस बात मे है कि 'जहां तक हो सके, वह फारस-साम्राज्य की अखडता बनाए रखे जिससे वह रूस के शिकजे से बाहर बना रहे और उसके प्रभाव से भी मुक्त रह सके ताकि यदि रूस सीधे, या अपने स्वार्थो की सिद्धि के लिए और उनके असली महत्त्व पर पर्दा डालते हुए फारस को आगे करके, पूर्व की ओर अपने पैर फैलान का षड्यत्र रचे, तो वह उसके रास्ते मे रुकावट बन जाए'।[1] इसके लिए जरूरी था कि तेहरान-दरबार म इंगलैंड का कम से कम उतना तो दबदबा रहे ही जितना रूस का था। लेकिन हेरात के सवाल पर कोई भी उपाय कारगर न हुआ और अपना असर बढाने मे रूस इंगलैंड से बाजी मार ले गया। इंगलैंड का लोकमत सशक हो उठा और इंगलैंड तथा भारत दोनो मे रूस का डर अंग्रेज राजमर्मज्ञो के दिलो मे बैठ गया। जब फारस की फौज रूसियो की मदद से काफी अरसे तक हेरात पर घेरा डाले पडी रही और यह डर पैदा हो गया कि कही हेरात को जीतने के बाद यह टिड्डी दल रूसियो के भडकाने से समूचे अफगानिस्तान को सर करने के लिए पूर्व की ओर न चल पडे, तब "लोकमत के अनुसार खतरा बहुत बढ गया"। इसी स्थिति मे अफगान सरकार की "स्वतन्त्रता बनाए रखने और उसकी मित्रता प्राप्त करने की नीति" का अकुर उपजा और इसके बाद यही नीति मध्य एशिया मे इंगलैंड के राजनय का आधार बनी रही।

1837 से पहले भारत सरकार ने अफगानिस्तान की घटनाओ मे कोई खास दिलचस्पी नही ली थी। हां, जब 1809 मे एलफिन्स्टन काबुल मे राजदूत था और फ्रास तथा रूस का खतरा सिर पर सवार था, तब की बात और है। वह चुपचाप देखती रही कि रणजीत सिंह की सल्तनत की ताकत बढ रही है और बस वह काबुल के प्रत्यक्ष निर्वासित शासक को वजीफा देती रही। 1826 मे दोस्त मुहम्मद खां काबुल की गद्दी पर बैठा और उसके बाद वहां की हालत मे भी ठहराव आने लगा। आगे के दस साला मे

---

1. साइक्स, पू पृ. II, पृ. 323-33
2 रॉलिन्सन से तुलना कीजिए, "खुरासान की लडाई ही वह बीज थी जिससे हमारे अफगान-युद्ध का वृक्ष जन्मा"। पृ 47, साइक्स, पृ. 324
3 ट्रेंच, द रशो-इंडियन क्वेश्चन, पृ. 11

दोस्त मुहम्मद ने अपने पाँव मजबूती से जमा लिए। हेरात और कंधार में भी उसके अपने गुर्गे थे। दोस्त मुहम्मद रूस और फारस के डर के मारे सच्चे मन से भारत सरकार की दोस्ती चाहता था, पर भारत सरकार ने उसका मन जीतने की कोई कोशिश नहीं की। दोस्त मुहम्मद पेशावर को पाना चाहता था जिस पर उस समय रणजीत सिंह का अधिकार था। उसने इस सवाल को उठाया भी, लेकिन उसकी बात इस आधार पर सुनी-अनसुनी कर दी गई कि भारत सरकार किसी स्वतंत्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और बाद में जब फारस और रूस का खतरा उसके सिर पर आ गया तब भारत सरकार के प्रतिनिधि बर्न्स ने—जिसे भारत सरकार ने प्रकटतः आर्थिक पर वस्तुतः राजनीतिक कार्य से काबुल भेजा—किसी भी तरह की सहायता का वचन नहीं दिया। बर्न्स को भेजने का उद्देश्य अफगानिस्तान के शासकों को अपनी ओर करना था ताकि रूस और फारस के आक्रमण के ज्वार को रोकने में उनका मैत्रीपूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके। दोस्त मुहम्मद दोस्ती का ठोस सबूत चाहता था क्योंकि उसके सामने संकट के जो बादल घिर हुए थे, उसमें सद्भावना के प्रकाशन-मात्र से वह संतुष्ट न हो सकता था। अंग्रेजों की ओर से निराश होकर उसने रूसी प्रतिनिधि विकोविच की बातों पर ध्यान दिया। विकोविच ने बड़े लंबे-चौड़े वायदे किए। कहते हैं कि दोस्त मुहम्मद ने रूस और फारस से मैत्री-संधि की जिससे भारत सरकार को उसके विनाश का जाल रचने का एक बहाना मिल गया।

दोस्त मुहम्मद के प्रति ऑकलैंड और इंगलैंड-स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का व्यवहार इस तरह का क्यों रहा—इसका कारण बताना मुश्किल है। इसमें तो शक नहीं कि वे चाहते थे कि अफगानिस्तान संगठित रहे और उसके साथ उनके मित्रता के संबंध रहें ताकि वह रूस और फारस की बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षाओं के ज्वार को रोकने के लिए मजबूत चट्टान का काम दे। दोस्त मुहम्मद ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके माध्यम से उद्देश्य पूरा होने की आशा की जा सकती थी। फिर भी, वे उसके साथ मैत्री-संधि करने को तैयार न थे। शायद, इसका कारण यह रहा हो कि उसकी शक्ति उन्हें रास न आती थी क्योंकि वे काबुल के तख्त पर मित्र नहीं, एक अधीन प्रतिनिधि चाहते थे। या हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि कहीं इससे रणजीत सिंह न भड़क उठें और इस डर से वे सीधे-साफ रास्ते से कतरा गए। शाह शुजा के साथ उनकी हमदर्दी थी। वह उस समय लुधियाना में रह रहा था, अंग्रेजों से पेंशन पा रहा था और उनका रक्षित भी था। शाह शुजा की कमजोरी को देखते हुए अंग्रेजों को यह भरोसा था कि वह पूरी तरह से हमारी सेनाओं के सहारे का मोहताज रहेगा। इसलिए भी वे दोस्त मुहम्मद की दोस्ती का हाथ पकड़ने से झिझके—इसमें कोई शक नहीं। अपने परवर्ती शिष्य लिटन की तरह ऑकलैंड भी मध्यवर्ती राज्य नहीं चाहता था। उसकी इच्छा तो यह थी कि एक उपराज्य (subsidiary state) हो जिसकी स्वराष्ट्रनीति पर भी भारत सरकार का नियंत्रण रहे और परराष्ट्र-नीति पर भी। अंग्रेज भारत में नियंत्रित मैत्री की जिस नीति पर चले थे, अफगानिस्तान के प्रसंग में भी ऑकलैंड उसी नीति को दुहराना चाहता था। यह उसने समझ ही लिया था कि दोस्त मुहम्मद जैसा अभिमानी और वीर आदमी इस अपमान को सहने के लिए तैयार न होगा। इसीलिए, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे काबुल की राजगद्दी हथियाने में शाह शुजा की सहायता

करेंगे। शाह शुजा ने 1834 में भारतीय सोने की मदद से काबुल की गद्दी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पीछे खदेड़ दिया गया था। इस बार सोने के साथ गोलियाँ भी मिल गईं। जब ज़ार की सरकार ने अपने प्रतिनिधियों की गतिविधि की निंदा करके रूसी खतरे को दूर कर दिया था और अँग्रेज़ों के विरोध-प्रदर्शनों के दबाव से फ़ारस का खतरा भी ओझल होता जा रहा था, तब मन में विजय की पक्की आशा लिए आकलैंड ने काबुल से लड़ाई का ऐलान कर दिया और शाह शुजा को उसके पैतृक सिंहासन पर बैठाने में सहायता के लिए हिंदुस्तानी फ़ौजों को रवाना कर दिया।[1]

यहाँ युद्ध के वर्णन की ज़रूरत नहीं है। वह अँग्रेज़ों के लिए मँहगा तो पड़ा ही, साथ ही उसका कुछ परिणाम भी नहीं निकला। अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश प्रतिनिधियों के आचरण में मूर्खता, गर्व और अशिष्टता का पुट था। शाह शुजा ने कायरतावश अपने आप को पूरी तरह अपने विदेशी आकाओं के हवाले कर दिया था, वह उनकी ज़रा ज़रा सी सनक को पूरा करने के लिए ताबेदार की तरह हाथ बाँधे खड़ा रहता था। इसके फलस्वरूप अफ़गानिस्तान में राष्ट्रवाद का ऐसा प्रचंड ज्वार आया कि 1840 में वह सारा भवन ढह पड़ा जिसे उसके साथियों ने इतनी मेहनत से बनाकर खड़ा किया था। अफ़गान स्वभाव की वजह से यह प्रयोग खतरनाक बन गया। अतः, एलेनबोरो ने अफ़गानिस्तान को एक करारी हार देकर और इस तरह ब्रिटिश मान-हानि का बदला चुका कर अपनी फ़ौजों को वहाँ से हटा लेने का फ़ैसला किया"। ब्रिटिश फ़ौजों ने जल्दी ही अफ़गानिस्तान को खाली कर दिया और ग्रेट ब्रिटेन की ताकत की एक ही स्थायी छाप रह गई और वह थी विशाल काबुल बाज़ार की भयंकर बरबादी।' यह तो "शुद्ध प्रतिशोध था और इससे डर नहीं, नफ़रत पैदा हो सकती थी।[2] दोस्त मुहम्मद अपने तख्त पर दुबारा बैठा और परिस्थिति फिर 1835 की-सी हो गई। फ़र्क सिर्फ़ यह था कि उस समय दोस्त मुहम्मद अँग्रेज़ों से दोस्ती करने के लिए तैयार था किंतु 1842 में वह उनके बर्ताव से जला बैठा था और अपने अपमान का बदला लेने की ताक में था। कई सालों तक हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कोई संबंध न रहे और जब सिक्खों की ईस्ट कंपनी से मुठभेड़ हुई, तब दोस्त मुहम्मद सिक्खों की मदद करने से न चूका। 1850 तक तो हालत यही रही पर छठे दशक के शुरू में भारत सरकार की मध्य एशिया में फिर दिलचस्पी पैदा हुई। अँग्रेज़ों ने हेरात के महत्त्व को समझ कर ही अफ़-

---

1 रॉलिन्सन के इस कथन से तुलना कीजिए 'फ़ारस से जो खतरा था, लड़ाई उसे दूर करने के लिए नहीं लड़ी गई थी," और भारत को असली खतरा रूस और फ़ारस की गतिविधि से था। मुहम्मद शाह की फ़ौज के हेरात से हट जाने पर यह खतरा खत्म हो चुका था। इसके बावजूद अफ़गान-युद्ध का साज सजा और सच तो यह है कि उसके जो कारण बताए गए हैं, वे प्रकटतः इतने अपर्याप्त लगते हैं कि हम यह संदेह किए बिना नहीं रह सकते कि बहुत हद तक गवर्नर जनरल के शिविर की नौकरशाही व्यवस्था का ही चमत्कार था कि अंत में फ़ौजों के कूच का डंका बजा।" रॉलिन्सन, पृ 50, पृ. 60 अफ़गान युद्ध और उसके पहले की राजनयिक गतिविधि के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए, के, हिस्ट्री ऑफ द अफ़गान वार, खंड I

2 नोरी, इंगलैंड, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, पृ. 28

गानिस्तान में अपनी टाँगें अड़ाई थीं। हरात की वजह से ही मध्य एशिया में भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार की दिलचस्पी फिर से जागी। पहले अफगान-युद्ध के दौरान भारत सरकार ने मेजर दार्सी टाड को हेरात के शासक के पास संधि के इरादे से भेजा था। जब शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा था, उस वक्त हेरात के यार मुहम्मद खाँ ने उसे बधाई दी थी और इस तरह उसने अँग्रेजों का हौसला बढ़ाया था। शुरू-शुरू में मेजर दार्सी अपने उद्देश्य में सफल हुआ और हेरात के शासक के साथ संधि हो गई जिसके अनुसार अँग्रेजों ने हेरात के शासक को पच्चीस हजार रुपए मासिक उपदान देना स्वीकार किया और बदले में हेरात के शासक ने वायदा किया कि फारस के साथ उसका जो भी संबंध रहेगा, अँग्रेजों की मार्फत रहेगा। लेकिन इन शर्तों का निष्ठा के साथ पालन होना अव्यावहारिक था और जब टाड ने देखा कि यार मुहम्मद ने अपना एक प्रतिनिधि मशहद मशेद भेजा है, तब उसने उपदान देना बंद कर दिया और संबंध तोड़ दिया।[1] जब 1842 में अँग्रेज 'बड़े बेआबरू' होकर अफगानिस्तान से निकले, तब कुछ वर्षों के लिए उनका हेरात से भी संपर्क टूट गया।

फारस के साथ भी अँग्रेजों के संबंध बहुत अच्छे या मित्रतापूर्ण न थे। हेरात के मामले में फारस को जिस असफलता का सामना करना पड़ा था, उसकी कड़वाहट कम न हुई थी। लेकिन, मुहम्मद शाह देश की आन्तरिक कठिनाइयों में फँसा रहा और 1848 में उसकी मृत्यु हो गई। इन कारणों से घटना चक्र तेजी से नहीं बढ़ सका था। फिर भी फारस की ललचाई आँखें हेरात पर टिकी रहीं। 1815 में यार मुहम्मद की मौत के बाद परिस्थितियों ने करवट बदली। उसके लड़के ने देश में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के विचार से फारस के पास संदेश भेजा कि वह उसका सामंत बनने के लिए तैयार है। लेकिन, अँग्रेजों के दबाव ने फारस की योजना को छिन्न भिन्न कर दिया। 1853 में नौजवान शाह के ऊपर एक संधि लाद दी गई जिसके अधीन शाह की ओर से यह वचन दिया गया था कि बाहर की सेना के आक्रमण के अलावा और किसी भी स्थिति में वह अपनी सेना को हेरात की सीमाओं में नहीं भेजेगा।[2] हेरात की स्वतन्त्रता का यह ऐलान शाह को रुचा नहीं। उधर रूस तुर्की के विरोध में फारस की मदद चाहता था। प्रिंस डोलगोरुस्की ने इस बारे में फारस से बातचीत का सिलसिला शुरू किया और फारस की प्रतिक्रिया भी अनुकूल थी। रूस ने फारस के सामने जो शर्तें रखीं थीं, वे मन में लोभ जगाने वाली थीं। इन शर्तों में तुर्की के क्षेत्र जीत लेने का और तुर्कमानचाइ में बाकी हर्जाने की रकम माफ कर देने का वायदा किया गया था। पर दीवान सदर आजम ने रूस के साथ मैत्री का विरोध किया और शाह को समझाया-बुझाया कि वह अँग्रेजों के साथ दोस्ती बनाए रखे क्योंकि उनकी दोस्ती उसे हर्जाने की रकम से भी छुटकारा दिला सकती है और खोए हुए सूबे भी वापस करा सकती है। परन्तु, शाह का हौसला तो अँग्रेजों की इस सलाह से ठंडा पड़ गया कि वह रूसी-तुर्की या क्रीमियाई युद्ध में तटस्थ रहे। मुरे के उच्छृंखल आचरण से शाह और भी तंग आ गया और इस छोटी-सी बात को लेकर 1853 में उसने राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए और लगे हाथ 1856

1 साइक्स, पृ हृ, पृ. 335-6
2 एचिसन, ट्रीटीज, स. 17, पृ. 71.

मे फारस ने 1853 के करार का उल्लघन करके हेरात पर हमला किया और अक्तूबर मे शहर पर कब्जा कर लिया। इस कार्यवाही के पीछे रूस का प्रभाव था पर भारत-ब्रिटिश सरकारो की नीति तथा ज्ञात इच्छाओ से इसका सीधा विरोध था।[1]

छठे दशक के शुरू के वर्षों मे फारस और रूस के सबधो मे यह जो नया दौर शुरू हुआ था, उसका भारत और अफगानिस्तान दोनो की सरकारो पर एक-सा असर पडा था। फारस की यह इच्छा किसी से छिपी न थी कि वह हेरात और कधार पर अपना झडा फहराना चाहता है। इससे काबुल के लिए स्वभावत खतरा था। दूसरी ओर मध्य एशिया म सर दरया के पास रूस का असर बढता जा रहा था। इस स्थिति मे दोस्त मुहम्मद ने बुद्धिमानी इसी मे समझी कि वह भारत के अँग्रेज शासको से—जो अब तक उसके शत्रु रहे थे—मित्रता कर ले। इसी तरह अँग्रेजो के देखे फारस का रवैया उस समय अविश्वसनीय था और रूस के साथ खुला विरोध था ही—इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने भी यह ठीक समझा कि प्रति-सतुलन के लिए वह अफगानिस्तान पर निर्भर रहे। दोस्त मुहम्मद ने बलख और कधार पर अधिकार कर के अपनी शक्ति बढा ली थी और काबुल मे अपने पैर दृढता से जमा लिए थे। इसलिए, इसके अतिक्रमणो को रोकने मे फारस की अपेक्षा अफगानिस्तन अधिक समर्थ था। फिर हेरात मे अफगानिस्तान और भारत की समान दिलचस्पी थी, दोनो ही समान रूप से यह चाहते थे कि हेरात फारस के हाथ मे न जाने पाए। यदि हेरात को बस मे कर लेने से भारत का प्रवेश-द्वार खुल सकता था, तो दोस्त मुहम्मद के अधिकृत प्रदेशो की रक्षा के लिए तो वह और भी महत्त्वपूर्ण था। इस समान उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत और अफगानिस्तान की सरकारो ने 1855 मे पेशावर मे मित्रता की सधि पर हस्ताक्षर किए। यह करार सामान्य, अस्पष्ट, सीमित और एकागी था। 1840 की लडाई से जो डर पैदा हो गया था, उस डर से लॉरेंस और उसकी सरकार का अभी तक पीछा नही छूटा था और उनके विचार से "अफगानिस्तान के मसलो मे तनिक भी उलझना बहुत ही अवाछनीय था"।[2] इसीलिए, इस सधि मे केवल यह कहा गया था कि दोनो देश "हमेशा शाति और मित्रता" से रहेगे, एक-दूसरे की राज्य-सीमाओ का आदर करेगे और उनमे कभी दखल न देगे। दोस्त मुहम्मद ने एक बात यह और मान ली कि वह ईस्ट इडिया कपनी के मित्रो का मित्र और शत्रुओ का शत्रु रहेगा। इस धारा ने परस्परता के उस भाव को नष्ट कर दिया जिसकी वजह से दोनो ही पक्षो के किसी करार के प्रति निष्ठावान् बने रहने का भरोसा रहता है। फिर भी, दोस्त मुहम्मद इस सधि से सतुष्ट था और उसने सविदे को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। 1856 मे हेरात के सकट ने मित्रता को और भी दृढ कर दिया और इसके फलस्वरूप दोनो देशो मे वह मैत्री हुई जिसका सकेत 1857 की सधि मे किया गया था—चाहे यह कितनी अस्थायी रही हो।[3]

---

1 साइक्स, II, पृ. 346-9

2 नोगे, पृ. 34.

3 दोनो सधियो के मजमून के लिए देखिए, ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान सरकार के सबधा से सबद्ध पत्राचार, पृ 1-2 (ससदीय कागज-पत्र 1878, C-2190).

हेरात पर फारस की चढ़ाई ने भारत सरकार को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह की कार्यवाही करने के लिए विवश कर दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही यह थी कि ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने बहुत ही अनिच्छा के साथ फारस के विरुद्ध लड़ाई का एलान किया।[1] परोक्ष कार्यवाही यह थी कि दोस्त मुहम्मद के साथ जनवरी 1857 में एक नया करार किया गया। दूसरी संधि की शर्तें अस्थायी—यानी युद्धकाल के लिए—ही थीं और उनका संबंध फारस के विरुद्ध युद्ध-संचालन के लिए अमीर को दिए जाने वाले उपदान और सैनिक परामर्श से था। इस संधि की दो सबसे महत्त्वपूर्ण शर्तें थीं—जब तक लड़ाई चले तब तक के लिए एक लाख रुपए प्रति मास का उपदान और सैनिक गतिविधियों का संचालन करने तथा खर्च पर निगरानी रखने के लिए अफगानिस्तान में काबुल के बाहर ब्रिटिश अफसरों का मुकाम। संधि की अंतिम शर्त यह थी कि लड़ाई के बाद काबुल के दरबार में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा।[2] इस प्रकार यही एक ऐसी शर्त थी जिसका असर युद्धोत्तर काल में भी पड़ता।

युद्ध-संचालन के लिए दो वैकल्पिक योजनाओं पर विचार किया गया था। एक योजना यह थी कि भारत से हेरात को एक सेना भेजी जाए जो काबुल की सेना के साथ मिल कर लड़े। दूसरी योजना यह थी कि हेरात के आस-पास की लड़ाई तो दोस्त मुहम्मद के जिम्मे छोड़ दी जाए लेकिन फारस की खाड़ी में नौ-सेना और स्थल-सेना की कार्यवाहियों के द्वारा शत्रु-सेना पर दबाव डाला जाए। अंत में दूसरा विकल्प ही अपनाया गया। अंग्रेजी फौजों ने खड़क पर अधिकार कर लिया तथा बुशायर और मोहम्मारा पर धावा बोल दिया। इधर अफगानिस्तान ने हेरात पर दबाव डाला। फलतः शाह शांति-स्थापना की प्रार्थना करने के लिए विवश हो गया। रूस अभी इस स्थिति में न था कि फारस की मदद के लिए आगे आता। दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के कारण शाह ज्यादा दिनों तक लड़ाई चालू नहीं रख सकता था। 1857 में पेरिस में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार शाह अफगानिस्तान खाली कर देने और उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि यदि कभी उसकी अफगानिस्तान से लड़ाई हुई तो हथियारों का सहारा लेने से पहले वह अंग्रेजों के विवाचन (arbitration) को स्वीकार करेगा।[3]

इस संधि के फलस्वरूप अफगानिस्तान और भारत के बीच फिर से अच्छे संबंध स्थापित हो गए। हेरात दोस्त मुहम्मद के एक शरणार्थी भतीजे सुलतान अहमद खाँ को दे दिया गया जिसने यह स्वीकार कर लिया कि वह शाह का औपचारिक अधिराजत्व मानेगा। नए शासक ने अपने आपको रूस और ग्रेट ब्रिटेन दोनों के ही दबाव से अलग रखा क्योंकि 1858 में दोनों देशों के शिष्टमंडल उसके दरबार से निराश लौट गए। परंतु सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राजनीति का आकर्षण-केंद्र तेहरान से हट कर काबुल पहुँच गया। भारत सरकार की नई नीति यह थी कि भारत की सुरक्षा

1 सादरम II पृ 349
2 पत्राचार अफगानिस्तान 1878 पृ 2.
3 सादरम II पृ 351

और मध्य एशिया मे प्रभुत्व के लिए रूस के साथ अपने लंबे संघर्ष में वह अफगानिस्तान को एक मध्यवर्ती राज्य बना ले और उसकी अखंडता तथा मित्रता को अनिवार्य मानकर चले।

इस तरह, भारत सरकार मध्य एशिया के मामलों मे उलझ गई। मध्य एशिया मे रूस का बढ़ता हुआ साम्राज्य अभी भारत की सीमाओं से दूर था और भारतीय नीति अफगानिस्तान के मामलो म उलझ गई थी तो उसका कारण यह डर न था कि रूस भारत के निकट पहुँच गया है, बल्कि उसका कारण तो यह आशंका थी कि कहीं रूस फारस के माध्यम से हेरात और कंधार पर परोक्ष रूप से दबाव न डाले। बहुत हद तक इस नीति का आधार एक अस्पष्ट भय था। फारस और अफगानिस्तान को आवश्यक रक्षा-प्राचीरें समझ लिया गया था और राजनय के सभी प्रयत्न इस एक दिशा में केंद्रित हो गए थे। इधर आंग्ल भारतीय राजनय की दृष्टि तो इन निकट पड़ोसियों तक ही सीमित थी, पर उधर मध्य एशिया मे रूसी साम्राज्य तेज़ी से अपने पाँव बढ़ा रहा था जिसकी वजह से आगे चलकर भारतीय नीति के लिए नई समस्याएँ और नए भय पैदा हो गए। भारत सरकार की मध्य एशियाई नीति पर आगे विचार करने से पहले यह जरूरी है कि इस नीति के पीछे रूस के जिस द्रुत विस्तार की प्रेरणा थी, उसका सर्वेक्षण कर लिया जाए।

अध्याय 2

मध्य एशिया मे रूसी गतिविधि—1875 तक

ईवान तृतीय ने 1472 में पर्म और उत्तर-पश्चिमी साइबेरिया जीत कर पूर्व की ओर रूस के अभियान का श्रीगणेश किया था। तातारी और किरघी ओर्दुओं से लडते हुए और अपने विजित प्रदेशों की रक्षा करते हुए रूसियों ने जगह-जगह किले खडे करवा दिए और उन्हीं कज़ाकों या मित्र-कबीलों की ऐसी बस्तियों का एक जाल-सा बिछा दिया जिन्हें वे अपने संरक्षण में ले आए थे। इस नीति से काम लेकर वे धीरे-धीरे अपने राज्यक्षेत्र का विस्तार करते गए। नतीजा यह हुआ कि यूराल के पूर्व में पहले-पहल प्रवेश होने के पचास साल के भीतर ही भीतर उन्होंने कमचटका तक—जिसे उन्होंने 1697 में जीता—सारे उत्तरी एशिया पर कब्जा जमा लिया। इस तरह, रूस का समूचे साइबेरिया पर अधिकार हो गया। फिर भी, एक लंबे अरसे तक उसने मध्य एशिया में बढ़ने की कोशिश नहीं की।

मध्य एशियाई विजय-अभियानों की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए टेरेन्टिएफ ने कहा है कि उसका कारण था—'विशुद्ध आवश्यकता' या "ऐतिहासिक आवश्यकता" का दुर्निवार नियम। उसने लिखा है, "विशुद्ध आवश्यकता ने हमें विवश किया कि हम अपने अधिकृत प्रदेशों की ऐन सीमाओं पर अपनी बस्तियाँ बसाएँ और सच पूछा जाए तो अनुभव ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि हमारी पूर्वी सीमा की महज सुरक्षा आगे के इलाकों की चौकसी से ही हो सकती है। इतिहास का आदेश है कि हम आगे बढ़ें हालाँकि आगे बढ़ने में हम हमेशा बडी झिझक रही है और उसका प्रत्यक्ष कारण खानाबदोश कबीलों के आकस्मिक हमले हैं। इस संदर्भ में, मध्य एशिया की ओर बढ़ने में हमारी जो दिलचस्पी है, उसका कारण है—लगातार आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता।"[1] सभ्य-सशक्त राज्यों की सीमाओं पर स्थित दुर्दांत और भौतिक दृष्टि से पिछड़े हुए कबीलों को, या पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के द्रुत विस्तार का प्रतिरोध करने वाले, सैनिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्राच्य राज्यों को नष्ट कर देने का या हड़प जाने का कोई न कोई बहाना इन सभ्य-सशक्त या साम्राज्यवादी देशों को सदा ही मिलता रहा है। इनमें से एक बहाना तो रहा है आत्म-रक्षा का और दूसरा मानवता तथा सभ्यता के हित का। ऐतिहासिक

1 टेरेन्टिएफ, रशा एंड इंगलैंड इन सेंट्रल एशिया, पृ 13-14

आवश्यकता के अनिवार्य नियम ने ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों को एशिया में आगे बढ़ने के लिए विवश कर दिया और उनकी यह गतिविधि 'अनिच्छापूर्ण" और प्रकटत "बिना किसी योजना के थी' और जब वे बढ़ते-बढ़ते एक-दूसरे के निकट पहुँचे, तब उनके बीच ईर्ष्या और संघर्ष की आग सुलग उठी जिसकी एशियाई देशों की स्वाधीनता पर और भी प्रतिक्रिया हुई।

जिस समय इँगलैंड भारत में उत्तर-पश्चिम की ओर फैलते हुए अपने साम्राज्य का निर्माण करता जा रहा था उस समय रूस ने चार जगहों से पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। रूस को अठारहवीं सदी में पहले-पहल मध्य एशिया में मुँहकी खानी पड़ी। पर बाद में रूसी आक्रमण की दिशा काकेशस और कैस्पियन सागर की ओर हो गई—फलतः उसकी मुठभेड़ फारस से हुई। पर उस क्षेत्र में रूस और न बढ़ सका क्योंकि काकेशस में बड़े लंबे अरसे तक विभिन्न कबीले उससे लोहा लेते रहे और उधर इँगलैंड का विरोध भी बढ़ता गया। रूस ने काकेशिया को हड़प लिया पर दक्षिण-पूर्वी कैस्पियन सागर में अशोरा में एक नौ-केंद्र की स्थापना करने के अलावा इस दिशा में वह और आगे नहीं बढ़ सका। पूर्व की ओर बढ़ने के लिए अस्त्राबाद को अड्डा नहीं बनाया जा सकता था। किंतु, वह तीन और स्थलों से मध्य एशिया में बढ़ा। ये तीन स्थल थे—समुद्र-तट पर पश्चिम में ओरेनबर्ग और पूर्व में सेमीपलाटिंस्क, और आगे चलकर कैस्पियन-तट पर एलैक्जेंड्रोव्स्की और क्रासनोवाडस्क। कोहकंद, बुखारा और खीव की सल्तनतों तथा किरघीजिया और तुर्किस्तान के खानाबदोश ओर्दुओं पर यह जो तीन तरफ से हमला किया गया, उसके फलस्वरूप अफगानिस्तान और फारस की सीमाओं तक समूचे मध्य एशिया पर रूस का अधिकार स्थापित हो गया। रूस बड़ी तेजी से आगे बढ़ा था और प्रतिरोध बहुत अशक्त था—फलतः यह इँगलैंड और भारत की सरकारों के लिए और एशिया में उनके मित्रों के लिए चिंता का स्थायी कारण बन गया।

रूस के इस पूर्व-विस्तार का टेरेन्टिएफ ने कारण बताया है। उसके अनुसार "रूस खानाबदोश लुटेरे ओर्दुओं की अनवरत विनाश-लीला से अपनी उन बस्तियों को बचाना चाहता था जो अगल-बगल से अरक्षित होने के कारण कमजोर पड़ती थीं। इसके लिए आवश्यक था कि वह अपने साइबेरियाई प्रदेशों के लिए किसी निश्चित प्राकृतिक सीमा-रेखा (जैसे पहाड़, नदी आदि) की तलाश करे। वहाँ सर दरया और चू ही ऐसे प्राकृतिक अवरोध थे जो हाथ लग सकते थे और इसीलिए रूस को उधर बढ़ने की प्रेरणा मिली।" रूस ने कभी-कभार अपनी फौजी टुकड़ियों को भेज कर किरघीजों को दबाने की कोशिश की थी, पर उसका लक्ष्य इससे पूरा नहीं हुआ था। तब, उन्नीसवीं सदी के पाँचवें दशक के आरंभ में रूसी अधिकारियों ने यह बात अच्छी तरह समझ ली कि "जब तक किरघीजों के गर्मी और सर्दी के चरागाहों पर हमारा अधिकार नहीं हो जाता, तब तक उन्हें पूरी तरह वश में नहीं किया जा सकता और तब तक न द्रुतगामी फौजी टुकड़ियों से काम चलेगा, न दया या सख्ती से और न राजनय के प्रयोग से"[1]। इसीलिए, "किरघीजों का 'किलों की शृंखलाओं' में घेरने की नीति अपनाई गई। इस प्रक्रिया का आरंभ अराल

1. टेरेन्टिएफ, I, पृ 24

पर सर दरया के मुहाने में शुरू हुआ। 1845 में तुर्ग नदी पर ओरेनबर्गस्क का किला और इर्गिज पर यूराल्स्क का किला बनाया गया। 1847 में सर दरया के मुहाने पर अराल्स्क का किला बना। 1848 में यूराल्स्क किले और नियमित मार्ग के बीच संचार की व्यवस्था करने के लिए कराबुतक का किला बना और मछली उद्योग के लिए शुरू की गई एक गैर सरकारी कंपनी की रक्षा के लिए अराल समुद्र के तट पर कू-अराल किला बना। किलों की इस अविच्छिन्न शृंखला ने किरघीजों के आक्रमणों का अंत कर दिया। जब रूस ने सर दरया के मुहाने को हथिया लिया, तब स्वभावतः खीव, बुखारा और कोहकंद के खान आशंकित हुए। इनमें बुखारा तो शांत रहा, लेकिन अन्य दोनों सल्तनतों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रूसी किरघीजों को भड़काया और रूसी क्षेत्र में घुसपैठ की। इस स्थिति से प्रेरित होकर ओरेनबर्ग के रूसी गवर्नर जनरल पेरोव्स्की ने, जो 1839 में खीव तक न पहुँच सका था, 1853 में अक मस्जिद के किले पर अधिकार कर लिया। इस तरह से रूसियों ने ओरेनबर्ग और साइबेरिया के मार्गों के बीच संचार-व्यवस्था स्थापित करने के लिए पहला कदम उठाया[1]।

कुछ सालों तक क्रीमियाई युद्ध के कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। कोहकंद के लोगों ने अक मस्जिद पर अधिकार करने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे चुप होकर बैठ रहे और सात साल तक कोई गंभीर घटना नहीं घटी। इस बीच अक मस्जिद को सहारा देने के लिए चार किले और बन गए थे और वहाँ तक निर्बाध संचार-व्यवस्था स्थापित हो गई। मध्य एशिया में रूस के विस्तार के इतिहास में अक मस्जिद पर उसका अधिकार एक महत्त्वपूर्ण घटना है। आठ साल तक वही उनके विस्तार का छोर रहा और वे उससे आगे नहीं बढ़ सके। इस अवधि में रूस की नीति यह नहीं थी कि वह एक परम शक्ति के रूप में अपनी प्रभुता की धाक जमाता, उसने तो अपने आपको कोहकंद के सूबेदारों के उत्पीड़न के विरुद्ध किरघीजों के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया और इसके फलस्वरूप उसे अपनी सारी कार्यवाहियों में पड़ोस के किरघीज़ कबीलों से मदद मिली[2]।

अगला कदम साइबेरिया की दिशा में उठाया गया। बीच के किरघीजों और महान् आर्दओं का पीछा करते-करते रूसी बलख्श झील तक और अलाताऊ पहाड़ों और इसिककुल झील के पार तक पहुँच गए। 1854 में वहाँ वेरनोन किले की नींव डाली गई और पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए वह उनका अड्डा बन गया। 1860 में कोहकंद वालों ने बलख्श झील के दक्षिण में कास्टेक नामक स्थान पर हमला किया लेकिन उन्हें मुँह की खानी पड़ी। इसी समय कर्नल जिमरमान ने चू नदी के पार टाकमक और पिशपेक किलों को हथिया लिया। जब वह लौट रहा था, तब फलुआ की एक बड़ी

---

1 टेरेन्टिएफ, I, पृष्ठ 28, वेनियुकोव और वालिखानोव के द रशन्स इन सेंट्रल एशिया (अनु० मिशेल) के अध्याय VIII-IX और X भी देखिए।

2 मेमोरेंडम ऑन द पोजीशन ऑफ रशा इन सेंट्रल एशिया, एम० आई० ग्रोमो-डिग्ज, 1869, पृ० 65 यह ज्ञापन-पत्र मध्य एशिया के घटना-चक्र का विवरण देने के लिए भारत सरकार की आज्ञा से तैयार किया गया था।

फौज ने उसका पीछा किया, किंतु उसने उजन-अगच में इस फौज को हरा दिया। 1863 तक रूस ने शत्रुओं पर कई ओर से आक्रमण करने की अपनी नीति के कारण पश्चिम में अक मस्जिद और जुटेंक पर और पूर्व में टोकमक, मास्क, पिश्पेन और अनहाटा पर अधिकार जमा लिया था। उस समय उसका लक्ष्य यह था कि "ताशकंद और तुर्किस्तान के नगरों के ऊपर करातऊ पर्वत-शृंखला के उत्तरी ढलान तक बढ़ा जाए[1]।" जल्दी ही इस नए सीमांत का फैसला हो गया। रूसी सेनाएँ दो दिशाओं से बढ़ी। पश्चिम की ओर से बढ़ने वाली सेना ने सुज़क, चुलक-कुरगान और अजरेब-तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया, पूर्व की ओर से जाने वाली सेना चामकंद नाम के महत्वपूर्ण नगर तक जा पहुँची और उसने उसे सर कर लिया। इन सफलताओं के फलस्वरूप करातऊ पर्वत-शृंखला तो पीछे छूट गई और चू तथा सर दरया की घाटियों के अधिकतर भाग पर उसका कब्जा हो गया। इसके बाद ताशकंद की बारी आई जिस पर 15 जून, 1865 को आकस्मिक आक्रमण करके अधिकार कर लिया गया। 1866 में खोजेंड पर भी रूस का अधिकार हो गया। कोहकंद के इन दो बड़े नगरों की विजय के फलस्वरूप इस राज्य का भाग्य-नक्षत्र अस्त हो गया और सर दरया के मार्ग पर पूरी तरह रूस का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके बाद मध्य एशिया की राजनीति में कोहकंद का कोई महत्त्व न रहा। 1868 की संधि के द्वारा यह राज्य, जिसका आकार और महत्त्व दोनों ही कम हो गए थे, रूसी साम्राज्य का एक अधीनस्थ सामंत-राज्य मात्र बन गया।

दिसंबर, 1867 में कोहकंद के खान के सामने एक वाणिज्य-संधि पेश की गई। अप्रैल, 1868 में उसे उस संधि पर दस्तखत करने और उसकी पुष्टि करने के लिए विवश कर दिया गया। रूसी गवर्नर जनरल कोफमन का रवैया बहुत दृढ़ता का रवैया था और उसके मित्रता के मीठे शब्दों के पीछे यह संकल्प निहित था कि अगर उसका उद्देश्य सिद्ध होता नहीं दिखाई दिया, तो बल का भी प्रयोग किया जाएगा। खान अपनी असहाय अवस्था को समझता था। उसने 'श्वेत जार' के साथ सीधे संबंध जोड़ने की चाल खेली पर इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसका यह बहाना भी काम न आया कि अपनी प्रजा की 'बर्बर प्रकृति' के कारण वह रूसियों के जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकता। लाचार होकर उसने संधि की पुष्टि कर दी और मित्रता की निशानी के रूप में अपनी अंगूठी गवर्नर जनरल के पास भेज दी। यह संधि वाणिज्य के बारे में थी और इसमें पाँच अनुच्छेद थे। इन अनुच्छेदों के अनुसार रूसी सौदागरों को यह अधिकार मिल गया था कि वे कोहकंद के सभी नगरों में आ-जा सकते हैं, वहाँ कारवाँ-सरायों की स्थापना कर सकते हैं और अपने वाणिज्य-प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। संधि में यह भी व्यवस्था थी कि आयात शुल्कों के मामले में रूसी और मुसलमान सौदागरों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाएगा और जब रूसी कारवाँ पड़ोस के राज्यों में जाएँगे, तब उन्हें कोहकंद के राज्य से गुजरने की पूरी छूट होगी।[2]

इस वाणिज्य-संधि में यह भी व्यवस्था की गई थी कि रूसियों को सिर्फ 2½ प्रति

1. टेरेन्टिएफ, I, पृ 32.
2 टेरेन्टिएफ, I, पृ 127-8

शत शुल्क देना पड़ेगा। मुसलमानों से भी इतना ही शुल्क लिया जाता था। इस तरह रूसियों को अन्य विदेशियों के मुकाबले तरजीह मिलने लगी। अब रूसी सभी शहरों में आ जा सकते थे, अपने वाणिज्य प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते थे और बेरोक-टोक वहाँ से गुजरकर दूसरे राज्यों में जा सकते थे। इससे उनके व्यापार को तो प्रोत्साहन मिला ही मिला, उनके लिए सारे कोहकन्द के द्वार खुल गए। कोहकन्द उनके आगे के वाणिज्यिक—यहाँ तक कि राजनीतिक—विस्तार के लिए एक सीढ़ी की तरह बन गया। इस सल्तनत का आधा भाग तो खान के हाथ से पहले ही जा चुका था, बाकी आधा भाग भी रूस पर आश्रित हो गया। इस प्रगति के मूल में 'दुर्निवार आवश्यकता" का नियम था और इसी नियम से प्रेरित होकर रूसियों ने आत्म-रक्षा के लिए या खानाबदोश किरगीजों के संरक्षक की हैसियत से कोहकन्दवासियों को सर दरया और करातोउ के प्राकृतिक सीमान्त से आगे खदेड़ दिया था।

जनरल रोमानोव्स्की ने कहा है कि 1864 में चामकन्द पर अधिकार करने तक जो भी लड़ाई हुई थी, वह और-और प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लेने की एक ऐसी योजना को पूरा करने के लिए हुई थी जिस पर रूसी सरकार पहले सोच-विचार कर चुकी थी और जिस पर अमल करने का वह संकल्प कर चुकी थी। इस योजना का लक्ष्य यह था कि मध्य एशिया में रूसी राज्य के पार्श्व स्थित दूर-दूर तक के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को एक अग्र सीमान्त रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए जिससे कि बीच में स्वतन्त्र देश अन्तराल के रूप में न बचे रहें। जिन दो स्थानों को एक सूत्र में बांधने की बात वांछनीय समझी गई थी, वे पश्चिम में फोर्ट पेरोव्स्की और पूर्व में फोर्ट वेरोन थे[1]।' जब इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया तब यह प्रलोभन जागा कि आगे के उपजाऊ प्रदेश यानी "शुई और सर दरया के बीच के सारे धान्य बहुल प्रदेश" पर भी अधिकार कर लिया जाए। इसके साथ ही सीमान्त को निरापद रखने की भी जरूरत थी। इन कारणों से रूस ने ताशकन्द और खोजेन्ड पर आधिपत्य करने की ठानी। वहाँ के मूल निवासियों, यानी विरोधी कोहकन्दवासियों के आक्रमण के इरादों से इसके लिए बहाना भी मिल गया। इसी बीच, इंगलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में आलोचकों को शान्त करने के लिए प्रिंस गोर्चाकोव ने 1864 में एक परिपत्र निकाल दिया जो मुख्य रूप से विदेशों में प्रचार के लिए था और जिसमें कहा गया था कि ज़ार की सरकार मध्य एशिया में अब और क्षेत्रों पर अधिकार करना नहीं चाहती और अब वह आगे नहीं बढ़ेगी[2]। इसके कुछ समय बाद ही तुर्किस्तान प्रान्त के निर्माण की घोषणा की गई और ताशकन्द को इस प्रान्त की राजधानी बना दिया गया। पर जल्दी ही साबित हो गया कि अपनी स्थिति मजबूत करने और दिखावटी आश्वासन देने के ये उपाय सचाई पर पर्दा डालने के बहाने भर थे। विजय के मार्ग पर बढ़ते हुए उनके कदम रुके नहीं और रूसी साम्राज्य बढ़ता-फैलता हुआ बुखारा और खीव के, निकट सम्पर्क में आ पहुँचा। रूस के विजय रथ के पहिए अब इन्हीं दोनों प्रदेशों पर घूमने के लिए मचल रहे थे। रूस के इन बढ़ते हुए तेज डगों ने इंगलैंड और भारत की

---

1 टेरेन्च, द रशन इंडियन क्वेश्चन, पृ 54

2 दिनांक 9 (21) नवम्बर, 1864 के इस परिपत्र का मजमून फ्रेडरिक वान हेलवाल्ड ने द रशन्स इन सेंट्रल एशिया में पृ 139-45 पर दिया है।

सरकारा को नौकरा कर दिया। अब वे मध्य एशिया की घटनाओ के प्रति उतनी उदासीन नही रह सकती थी जैसी अब तक थी। 1865 से पहले के दशक मे काहकद ने भारत सरकार म बार-बार मदद मांगी थी पर तब भारत सरकार ने इनकार करके इस उदासीनता का ही परिचय दिया था[1]।

काहकद पर जो कुछ गुजरी उसस बुखारा का अमीर जरूर आशकित हुआ होगा। कहा जाता है कि उसने रूसियो के खिलाफ जिहाद का नारा बुलद किया था। रूसी फौजा से उसकी पहली मुठभेड 1866 मे हुई और इरजार म उसे पराजय का मुंह देखना पडा। इस अपमान से उसका हौसला पस्त हो गया और यद्यपि मुल्लाओ की ओर से मुसलमानो की राष्ट्रीय भावना उभारने की भरपूर काशिश होती रही और व्यापारियो न लडाई के लिए धन दौलत के रूप म सहायता दी पर अमीर टालमटोल कर रहा था और उसन सुलह क लिए बातचीत शुरू कर दी थी। एक सधि की व्यवस्था की गई, जार की सरकार न उस पर अपनी स्वीकृति दी गवर्नर जनरल न उस पर अपने दस्तखत किए और यह सधि अमीर के पास अनुसमर्थन के लिए भेज दी गई। सधि के मसौदे का सबध मुख्य रूप से वाणिज्य से था पर अमीर उस पर दस्तखत करने से कतरा रहा था। इसी बीच बुखारा मे रूसियो के प्रति विरोध के बादल घुमड रहे थे और काशगर, कोहकद, खीव और अफगानिस्तान के मुस्लिम राज्यो को एक व्यापक शक्ति के रूप मे ढालने की कोशिशें हो रही थी। जनरल कोफमन सधि पर अडा हुआ था और इस काम को पूरा करने मे वह बल-प्रयोग करने से भी नही झिझका। लडाई शुरू हुई और मई, 1868 मे बुखारा की ग्रीष्मकालीन राजधानी समरकद को जीत लिया गया और उस पर रूस का अधिकार हो गया। जफरशा प्रदेश पर भी उसका अधिकार हो गया और तब सुलह की बातचीत शुरू हुई। कहा जाता है कि रूसी गवर्नर जनरल का रुख नरमी का था और वह इसके लिए भी तैयार था कि अगर अमीर सधि स्वीकार कर ले तो कुछ शर्तों पर समरकद क्षेत्र भी उसे लौटा दिया जाए। पर बातचीत का कोई फल न निकला और जून के शुरू मे बुखारा की फौजो और उनके पडोसी मित्रो, बेगो, ने कट्टा कुरगान और समरकद मे रूसियो पर एक साथ हमला बाल दिया। कुछ ही दिनो मे विद्रोहियो को परास्त कर दिया गया और अमीर को घोर पराजय का मुंह देखना पडा। जो शर्तें पहले पेश की गई थी, उनके आधार पर नए सिरे से समझौते की बातचीत शुरू हुई। टेरन्टिएफ ने लिखा है कि अमीर ने 12 जून को बडे टूटे दिल से एक चिट्ठी भेजी जिसम उसन प्रार्थना की कि 'हम उसकी बाकी बची हुई बदूका और फौजो का समर्पण स्वीकार कर लें और उसे सम्राट् से वैयक्तिक साक्षात्कार की अनुमति दे दें। ताकि वह मक्का लौट जाने की अनुमति माँग ले'[2]। पर जनरल कोफमन धैर्य का

1 पालिटिकल ए० प्रोसीडिंग्ज, फरवरी, 1865 म 151-5
काहकद के बादशाह ने 1865 तक मे भारत के वायसराय के पास अपना दूत भेजा था और उससे कुछ अनुभवी तोपचियो को भेजने की प्रार्थना की थी पर लारेंस न कह दिया था कि वह उसे कुछ भी मदद देने मे असमर्थ है।

2 टेरेन्टिएफ, I, पृ 62

साकार रूप सिद्ध हुआ और उसने अमीर को विश्वास दिलाया कि मेरा इरादा बुखारा की सल्तनत को नष्ट करने का बिल्कुल नहीं है। उसने अमीर को सलाह दी कि वह शांति की घोषणा कर दे, संधि स्वीकार कर ले और अपनी सेनाओ को ज्यों का त्यों बनाए रखे क्योंकि वे उसके अवज्ञाकारी पुत्र का दमन करने मे सहायक हो सकती हैं। टेरेन्टिएफ ने उसकी इस उदारता पर आश्चर्य प्रकट किया है। इसका कारण बताना कठिन है। अगर कोई कारण रहा होगा तो यही कि वह शाही सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध जा रहा था और ऐसा कोई कदम उठाने मे कतरा रहा था जिसकी गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होती।

परिस्थितियाँ संधि के अनुकूल थीं और उसमे आवश्यक संशोधन होने के बाद अमीर ने 23 जून, 1868 को उस पर हस्ताक्षर कर दिए। शांति-संधि में कुछ तो वाणिज्य-धाराएँ थी और उनके अलावा यह भी व्यवस्था थी कि समरकंद और कट्टा कुरगान (सारा का सारा जरफशाँ प्रदेश) रूसी राज्य मे मिला लिया जाए, सीमाओ का निर्धारण किया जाए और रूस को 5,00,000 रूबल की रकम हरजाने मे मिले। कुछ समय बाद अमीर को अपने लड़के के विरुद्ध रूसी सहायता की जरूरत पड़ी। लड़के ने बगावत कर दी थी और उसे बेग़ो से मदद मिल रही थी जिनके साथ अमीर का मन-मुटाव हो चुका था। रूस की सैनिक कार्यवाही ने शाहज़ादे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और अमीर की सत्ता फिर से स्थापित हो गई। बुखारा की सल्तनत भी रूस का शासन-राज्य हो गया और जब 1873 मे खीव पर भी अधिकार किया गया, तब विरोध की कोई आवाज नहीं उठी। बाद मे अमू (ओक्सस) नदी के दाहिने किनारे पर स्थित क्षेत्र खीव के रूस मे मिलाए जाने के फलस्वरूप यह ज़रूरी हो गया कि रूस और बुखारा की सीमाएँ फिर से निश्चित की जाएँ। इसलिए, 1868 की संधि मे संशोधन किया गया और 10 अक्तूबर, 1875 को उस पर फिर से हस्ताक्षर हुए। संधि म कहा गया था कि व्यापारिक मार्गों की रक्षा की जाएगी और रूसी स्टीमर तथा अन्य जहाज अमू नदी मे आ-जा सकेंगे। रूसियों को अमू के तट पर बुखारा के इलाके मे घाट और मालगोदाम बनाने का भी अधिकार मिल गया हालाँकि इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी बुखारा की थी। वाहुरद की संधि की तरह बुखारा-संधि में भी यह व्यवस्था थी कि रूसी व्यापारियों को बुखारा के सारे गाँवो और नगरों में व्यापार करने की छूट होगी। रूसी व्यापारियों को मूल्य के अनुसार केवल 2½ प्रतिशत शुल्क देना था। इसके साथ ही बुखारा राज्य-क्षेत्र के भीतर रूस का माल एक जगह से दूसरी जगह बिना शुल्क दिए लाया-ले जाया जा सकता था। रूसियों को सब शहरों में अपने वाणिज्य-प्रतिनिधि रखने और कारवाँसराय खोलने का अधिकार मिल गया। इसके अतिरिक्त, संधि म यह भी व्यवस्था थी कि "शरीयत जिन-जिन उद्योगों और शिल्पों की अनुमति देती है, उनमे से कोई सा भी काम करने के लिए रूस की प्रजा को बुखारा की प्रजा के बराबर ही अधिकार होंगे।" रूसी लोग बुखारा मे जायदाद भी बना या खरीद सकते थे। संधि मे रूसी अधिकारियों द्वारा दिए गए अनुज्ञा-पत्र के आधार पर रूसियों के बुखारा म प्रवेश करने से और प्रत्यर्पण से संबंधित धाराएँ भी थीं। बुखारा को ताशकंद म अपना एक दूत रखने का अधिकार मिला। अमीर ने दासता पर प्रतिबंध लगा दिया।

रूस के लोगो को बुखारा मे जो वाणिज्य-अधिकार मिले, वे ही अधिकार बुखारा के लोगो को रूस के राज्य मे प्राप्त हो गए[1]।

रूस की बुखारा के साथ यह जो सधि हुई और उसके पहले कोहकद के साथ जो सधि हुई थी, उसके फलस्वरूप इन दोनो सल्तनतो पर उसका आर्थिक प्रभुत्व स्थापित हो गया और उसे वहाँ व्यापक अपरदेशीय अधिकार मिल गए। ये सधियाँ हो जाने से रूसी विस्तार पर वाणिज्य का रग चढ गया—हालांकि इससे इनकार नही किया जा सकता कि उनका एक प्रमुख उद्देश्य सीमा-विस्तार था। इँगलैंड का वाणिज्य मध्य एशिया की मडियो पर पहले से ही छाया हुआ था और अगर उसकी रोकथाम न की जाती, तो बुखारा और उसके पडोसी उस प्रभाव-क्षेत्र मे घिर कर रह जाते। कहीं इँगलैंड के व्यापार के पीछे इँगलैंड का झडा भी न आ पहुँचे—शायद इसी डर से रूस ने बुखारा और कोहकद की स्वतत्रता का गला घोटा और मध्य एशिया मे इँगलैंड के जरा-सा भी आर्थिक आधार पाने के सारे अवसर नष्ट कर दिए।" 1878 तक इस बात मे कोई शक नहीं रहा था कि मध्य एशिया मे ओक्सस नदी के किनारे किनारे सबस प्रबल शक्ति रूस है। 1873 म खीव पर भी रूस का अधिकार हो गया और तब ओक्सस नदी के दाहिने तट पर उसके मुहाने तक रूस का झडा लहराने लगा।

रूस ने मध्य एशिया का अतर्देश तो जीत लिया था, पर दोनो पार्श्व अभी अविजित पडे थे। पूर्व और पश्चिम मे जुगारिया और काशगरिया थे जिन पर चीन का अधिराजत्व था और पश्चिम मे खीव की सल्तनत थी और तुर्कमान इलाका था जो किज़िलकुम और काराकुम के विशाल ऊसर स्टेपीज के अतर्गत स्थित होने के कारण विरोधियो के आक्रमणो का मुकाबला करने मे प्रकृति से सहायता पाते थे। परतु रूस ने जल्दी ही दोनो दिशाओ मे कार्यवाही शुरू कर दी। पूर्व मे घटना क्रम भीषण रूप धारण करता जा रहा था और उसकी ओर पहले ध्यान देने की जरूरत थी। पर, वहाँ कार्यवाही शुरू करने के पहले कोफमन खीव को नहीं छोड सकता था क्योकि उस डर था कि कही पीछे से गडबड न हो। 1869 मे कैस्पियन के तट पर क्रासनोवोड्स्क का किला बनाया गया ताकि वहाँ से खीव पर चढाई की जा सके और 1870 मे अखिलत्र शहर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया गया। तुर्कमानो को खान के विरुद्ध बगावत करने के लिए भडका दिया गया और एक सेना रेगिस्तान से होकर आगे बढी। 1872 मे इस सेना पर बडा जोरदार आघात हुआ और उसे पीछे हटना पडा, पर इस विफलता से रूस का हौसला पस्त नही हुआ। इस बार कौफमन ने एक नए आक्रमण की तैयारी की। उसकी फौजो ने ओरेनबर्ग से चलकर तीन ओर से हमला किया—ताशकद की तरफ से, कैस्पियन सागर की ओर से ओर अराल समुद्र पर किला स 1 की ओर से। इस अभियान से इँगलैंड के मन मे कुछ आशका पैदा होना अनिवार्य था। अत लॉर्ड ग्रानविल्ले का यह विश्वास दिलाने के लिए काउट शुवालोव को इँगलैंड भेजा गया कि इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य "लुटेरो को उनकी करतूतो के लिए दड देना,

---

1 मेमोरेंडम ऑन द पोजीशन ऑफ रशा इन सेंट्रल एशिया; एम आई प्रोसीडिग्ज, 1869, स 65, टेरेन्टिएफ I, अध्याय II, क्राउज़े, रशा इन एशिया, पृष्ठ 70-71; हलवाल, अध्याय IX और X

50 रूसी बंदियों को छुड़ाना और खान को यह सबक सिखाना है कि उसे इस तरह के आचरण के लिए दंड मिले बिना नहीं रह सकता।' कहा गया कि ज़ार का इरादा खीव को अपने राज में मिला लेने का कतई नहीं है और यह कि इस तरह की कार्यवाही के विरुद्ध निश्चित आदेश दे दिए गए हैं—यहाँ तक कहा गया कि लंबे अर्से तक घेरा डाले रहने का भी निषेध कर दिया गया है। ब्रिटिश सरकार का समाधान हो गया और तुर्कमानों की भयंकर मार-काट के बाद मार्च, 1873 में खीव को घुटने टेक देने पड़े। खान ने भारत या फारस से सहायता पाने की पूरी कोशिश की थी पर उसे कोई सहायता नहीं मिली। 10 जून, 1873 को जो संधि हुई, उसके अनुसार खीव को आक्सस के दाहिने तट पर का सारा इलाका छोड़ना पड़ा, 22,00,000 रूबल की भारी रकम हर्जाने के तौर पर देनी पड़ी, रूसी व्यापार को सीमा-शुल्क से मुक्त करना पड़ा और खान की हैसियत ज़ार के आश्रित की-सी होकर रह गई[1]।

इसके बाद रूस की साम्राज्य लिप्सा के शिकार बने अनेक घाटी में बसे हुए टेक्के तुर्कमान और हेरात के मार्ग में बाधा स्वरूप पड़ने वाले मर्व के सारख। रूस के अधिकार-क्षेत्र को कैस्पियन सागर तक बढ़ा लाने के लिए और इस तरह रूस के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए उन्हें वश में करना जरूरी समझा गया। पर, यह घटना 1875 के बाद घटी और इस पर हम आगे के किसी अध्याय में विचार करेंगे। इस बीच, खीव के समर्पण के फलस्वरूप और काशगर के याकूब बेग के भड़काने पर कोकंद में एक विद्रोही आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा था जिसका मुख्य उद्देश्य था सशक्त, लेकिन अत्याचारी शासक खुदायार खाँ को गद्दी से हटाना। जब कॉफमन खीव से लौटा, तो उसने पाया कि कोकंद में विद्रोह की आग सुलग रही है। इस विद्रोह का नेता खान का लड़का नासिरुद्दीन था। खुदायार ने ताशकंद में शरण ली थी। उसके लड़के ने रूस के साथ शांतिपूर्वक रहने का प्रस्ताव कि या पर इसी बीच उसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी गई। रूस की सेना का बड़ा प्रबल प्रतिरोध हुआ पर आखिरकार उसने खोजेंड पर दुबारा अधिकार कर ही लिया और फिर कॉफमन ने कोकंद पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। मार्गिलान नाम गान और अंदिजान के प्रदेशों को जीतने के लिए भी बड़ी प्रबल सेनाएँ भेजनी पड़ीं और क ाफी प्रयत्न के बाद ही यह सारा प्रदेश वश में किया जा सका। इस घटना के फलस्वरूप कोकंद की सल्तनत 2 मार्च, 1876 को रूसी साम्राज्य में मिला ली गई और उसी का एक अंग बन गई।

शुरू में रूस का ध्यान जुंगारिया, कु जा काशगर और यारकंद की ओर गया था और उसने जुंगारिया और कुल्जा के साथ क ाशगर तक रेल और वहाँ कारवाँ भेजने के बारे में चीन के साथ संधि भी की थी। बस, इ सके अलावा इस दिशा में और कोई प्रगति नहीं हुई थी। नारीन नदी का—जो सीमा रेखा थी—सर्वेक्षण हो चुका था, पर्वतीय प्रदेशों का दस्त-मान किया गया था और काश गर को दूत भेज दिए गए थे। पर, 1875 से पहले आगे की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बीच याकूब बेग ने काशगर और यारकंद में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी और जुंगारिया और इली में भी मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया था। इस वजह से इस दिशा में और आगे बढ़ने का संकेत मिला।

---

1 बाउल्जे, पृष्ठ 77 टेरेन्टिएफ, अध्याय V और VI

1867 तक याकूब बेग सारे काशगरिया का स्वामी बन गया था और रूसी सूत्रों के अनुसार उसने कुछ समय बाद ही रूसियों के व्यापार में रुकावटें डालना शुरू कर दिया था, रूस के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा संगठित करने की कोशिश की थी और इसके लिए वह बुखारा के साथ मिल गया, और उसने रूसी चीन संधि का उल्लंघन करके कुल्जा में चड्राइम्चो पर हमला किया। उक्त सूत्रों के अनुसार अपनी इन कार्यवाहियों से उसने रूस के प्रति वैर-भाव दिखाना शुरू कर दिया था। रूसी गवर्नर जनरल को भारत के प्रति उसका मित्रता का व्यवहार भी अच्छा न लगा। कोफमन ने बुखारा या कोहकंद के साथ जैसी मैत्री-संधि की थी, काशगर को भी उसने वैसी ही मैत्री-संधि में बाँधने का प्रयत्न किया और उसने उन दोनों सल्तनतों के ढंग पर ही काशगर के साथ भी एक वाणिज्य-संधि करने का प्रस्ताव किया। बातचीत लंबे समय तक चलती रही और इसी बीच *1870 में याकूब ने तुर्फान पर चढ़ाई कर दी। तुर्फान उसके हाथ आ गया और यह* शंका होने लगी कि कहीं याकूब अपनी फौजें तारान्चीज कुल्जा पर और फिर वहाँ से इली प्रांत पर न चढ़ा दे। रूसियों ने *नारीन का किला पहले ही बना लिया था, और* सावधानी के तौर पर मुजरत दर्रे पर भी अधिकार कर लिया था। कुल्जा जीत कर रूसियों ने काशगरवासियों के विरुद्ध पहले से ही पशबंदी कर दी। इसके साथ ही उन्होंने काशगर को दबाने के लिए खुदायार खाँ की मदद का प्रस्ताव भी रखा, खासतौर से इसलिए कि उसके अंग्रेजों के साथ मिलने के स्पष्ट संकेत मिल गए थे. पर खुदायार खाँ सकल्पहीन और डरपोक आदमी था और याकूब बेग को दंड देने के लिए उसका साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था।" इसलिए, शांतिपूर्ण नीति का विकल्प अपनाया गया पर खुदायार के बीच में आ पड़ने से याकूब खाँ स्वभावतः नाराज हो गया और इसका कुछ लाभ न हुआ। 1872 में बैरन काउलबार्स काशगर भेजा गया और 10 जून, 1872 को एक संधि पर हस्ताक्षर हो गए। यह संधि उन संधियों से किसी तरह भिन्न न थी जो बुखारा और कोहकंद से की गई थीं। प्रकटतः काशगर भी "रूस के राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत आ गया था।" पर यह सफलता क्षणिक सिद्ध हुई क्योंकि जब 1873 में डगलस फोर्सीथ भारत से दूसरी बार काशगर गया, तब याकूब ने इंगलैंड की महारानी के प्रति अपनी निष्ठा की जोर-शोर से घोषणा की और रूसी व्यापार पर पहले जैसे प्रतिबंध लगा दिए। 12 फरवरी, 1874 को उसने भारत के साथ एक औपचारिक संधि पर भी दस्तखत कर दिए। इस तरह, इस दिशा में रूस की योजनाएँ अस्त-व्यस्त हो गई, पर इसमें कोई संदेह न था कि रूस की ललचाई नजर काशगर पर जमी रही। रूस के वाणिज्यिक या राजनीतिक प्रभाव को भारत की सीमा तक बढ़ाने के लिए यह जरूरी था कि काशगर के विरुद्ध राजनय या बल का प्रयोग किया जाता।[1]

अस्तु, रूस के राज और राजनीतिक प्रभाव का चारों दिशाओं में इस तरह विस्तार हुआ कि वह सारे मध्य एशिया पर छा गया। रूसी राज्यक्षेत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ओक्सस तक पहुँच गया और उसने अफगानिस्तान की सीमाओं को छू लिया। इसमें सिर्फ एक ही अपवाद था—सामंत-राज्य बुखारा—जो अफगानिस्तान का निकटतम

1 टेरन्टिएफ, I, अध्याय VIII.

पडामा था। खीव विराधा कायवाहियां से तुर्कमानों के विरुद्ध सशस्त्र कायवाही की प्रगति स जो अनन मव के विरुद्ध था और काशगर के विरुद्ध की गई कुछ-कुछ प्रच्छन्न कायवाहियां स काबुल म स्वभावत शकाए पदा हो गई। कॉफमन न अब्दुरहमान का जो स्वागत-सत्कार किया था उमस काबुल के शासक को डर लगन लगा था और यह सकारण भी था। मध्य एशिया म अपनी प्रबल स्थिति के कारण रूस अफगानिस्तान की अखडता और भारत की सीमान-सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। रूस ईरान और काशगर-यारकन्द की ओर बढ सकता था वह काबुल को अपन प्रभाव म लान की कोशिश कर सकता था वह मध्य एशिया म अपन प्रभाव को सुदृढ करके वहा स इगलड के व्यापार को समाप्त कर सकता था और उमके फिर स वहा प्रवेश करन की सभावना को हमशा के लिए मिटा सकता था—इन सब बातो स इगलड चौकन्ना हो गया और वहा रूस का डर बढ गया जिसका असर भारत सरकार की नीति म मिलन लगा। पर 1875 स पहल खतर की भावना उतनी उत्कट न थी। इसीलिए भारत सरकार दोनो साम्राज्यो के बीच एक तटस्थ राज्य क्षत्र का निमाण कर सबध को दूर रखन के उद्दश्य स शातिपूर्ण नीति का पालन करती रही।

अध्याय 3

"परम निष्क्रियता"

लगता है मध्य एशिया म रूसी फौजो का जो धीरे-धीरे लेकिन सतत प्रसार हुआ था उससे शुरू के दौर मे आग्ल-भारतीय सरकारो के राजनय की प्रशात धारा मे तनिक भी हलचल पैदा नही हुई थी। रूसी कार्यवाही के जो व्यक्त हेतु थे, ब्रिटिश विदेश मत्रालय उनसे सहज ही सतुष्ट हो गया और 'वहाँ प्रिस गोर्चाकोव के 1864 के परिपत्र का मैत्री-पूर्ण सहिष्णुता की भावना से स्वागत हुआ।[1] इंगलैंड के लोगो को मध्य एशिया के भूगोल की जानकारी न थी। यह प्रदेश उनसे बहुत दूर था और वे यह ठीक नही समझ पाए कि मध्य एशियाई सल्तनतो के विरुद्ध रूस का अभियान किस प्रकार का है। फलत वे न तो खतरे के प्रति पूरी तरह सचेत हुए और न उनमे कोई आशका ही जागी। जब तक रूस ने ताशकद को नही जीता था और बुखारा को अपने अधीन नही किया था, तब तक अँग्रेजो के मन मे राजनीतिक ईर्ष्या की आग भी नही सुलगी थी। पर, उनके व्यापारी-मन से स्थिति समझने मे चूक नही हुई। मध्य एशिया की मडियाँ ज्यादा तो नही, पर फिर भी ब्रिटिश सौदागरो को कुछ-न-कुछ अपनी ओर खीच ही रही थी और अब यह डर पैदा हो गया था कि वहाँ ये मडियाँ हाथ से न निकल जाएँ। 1838-39 की तरह रूस के प्रति उभरते हुए विरोध के स्वर पर व्यापारी वर्ग का असर पडना शुरू हो गया था और इस वर्ग ने माँग की कि रूस के और विस्तार को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएँ। 1865 के बाद द्रुत गति से रूस का राजनीतिक और प्रादेशिक विस्तार हुआ था और उसने ओक्सस के पार अनक क्षेत्रो को जीत लिया था और अपने अड्डे कायम कर लिए थे। जब इंगलैंड और भारत के कुछ सैनिक क्षेत्रो मे इनके सामरिक महत्त्व की चेतना जागी तो वे आशका से भर उठे। आशका की ये भावनाएँ समाचार-पत्रो मे व्यक्त की गई और सरकार को भी कुछ ज्ञापन-पत्र भेजे गए। इनमे एक मुख्य बात यह थी कि अफगानिस्तान के लिए व्यग्रता प्रकट की गई थी। उत्तर-पश्चिम मे भारत के जो निकटवर्ती पडोसी थे, उनके प्रति उसकी नीति पर सातवे दशक के आखिरी सालो मे फिर से विचार हुआ और इस मौके से लाभ उठाकर भारत के गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस ने इस नीति की परीक्षा की और उन दिशाओ का सकेत दिया जिनके आधार पर यह नीति 1875 तक निर्धारित होती रही।

---

1 ग्राउजे, पृ 226

नारिस ने दोस्त मुहम्मद के साथ 1855 और 1857 की संधियाँ की थीं। वह अमीर से मिल चुका था। उसके मंसूबों से परिचित था और तब समय तक पंजाब का शासन चलाते रहने के कारण अफगान चरित्र को बारीकी से समझता था। प्रथम अफगान युद्ध से जो सबक मिला था उसे वह भूला नहीं और अच्छी तरह समझता था कि अगर अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया तो इसके बड़े खतरनाक नतीजे निकलेंगे। 1857 में दोस्त मुहम्मद ने उसके सामने जो इच्छा प्रकट की थी वह उसका पालन करना चाहता था। वह इच्छा यह थी कि हम उनके (अफगानों के) लड़ाई-झगड़ों में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हमें चाहिए कि उन्हें यह छूट दें कि वे स्वयं ही अपने ढंग से अपने मामले निपटाएं और अपने आपसी विवादों को आपस में ही लड़-झगड़ कर सुलझा लें। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि अफगानिस्तान का हरेक सरदार और हरेक आदमी इस तरह के मामलों में हमारे हस्तक्षेप से बहुत डरता है और अगर हम उनके इन मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो वे हमेशा इसका घोर विरोध करेंगे।[1] अतएव उसकी नीति का आधार यह था कि भारत सरकार को किसी तरह के वायदों में फंसाए बिना काबुल के शासक से दोस्ती रखी जाए, अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में रत्ती भर हस्तक्षेप न किया जाए और उस देश की सीमा में किसी भी अंग्रेज के घुसने पर निश्चित प्रतिबंध लगा दिया जाए। वह 1855 की संधि पर डटा रहा, पर संधि की भाषा के वाच्यार्थ से कुछ भी अधिक अर्थ ग्रहण करने के लिए वह कतई तैयार न था।

दोस्त मुहम्मद के साथ नारिस के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे और जब तक अमीर जिंदा रहा तब तक अफगानिस्तान की अखंडता और स्वतंत्रता में किसी तरह का सन्देह न था। हिरात और कंधार के मिल जाने से काबुल सरकार की ताकत बढ़ गई थी और उसने उत्तर तथा पश्चिम की ओर से भारत पर चढ़ाई करने के सारे रास्ते पूरी तरह रोक दिए थे। अतः 1855 का वचनबंध भारत की सुरक्षा के लिए पर्याप्त था और वर्तमान नीति पर चलते रहने का अर्थ था भविष्य में शांति और स्थिरता का आश्वासन। पर 1863 में जब वयोवृद्ध अमीर की मृत्यु हो गई तो एक नई स्थिति पैदा हो गई। काबुल की गद्दी के लिए उसके लड़कों—अफ़ज़ल खाँ, अज़ाम खाँ और शेर अली—में झगड़े शुरू हो गए। देश में गृहयुद्ध की ज्वाला सुलग उठी और वह आग के छह साल तक धू धू करके जलती रही। इस स्थिति में भारत सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ी। प्रथम पहले शेर अली गद्दी पर बैठा और उसने गवर्नर जनरल लार्ड एल्गिन को सूचना दी कि नया वारिस वह बन गया है। एल्गिन ने घमंड किया कि जब तक काबुल की स्थिति में ठहराव नहीं आ जाता तब तक वह प्रतीक्षा करता रहेगा। इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई और दोस्त मुहम्मद के उत्तराधिकारी को औपचारिक मान्यता देने के बारे में कुछ आवश्यक कार्यवाही न की गई।[2] नारिस के आने तक सर विलियम डेनिसन ने कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में काम किया और इस बीच उसने शेर अली को एक शिष्टता

---

1. नारिस का विवरण, 25 नवंबर 1865, पोलिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज़ जनवरी 1867 सं. 57
2. वही, पृ. 11

पूर्ण पत्र लिखा जिसमे उसे काबुल का बादशाह स्वीकार किया गया था। शेर अली के दोनो भाइयो—अफजल और अजीम—ने उसका विरोध किया, पर वह प्राय तीन साल तक गद्दी पर जमा रहा—हालाकि इस बीच उसकी स्थिति बराबर डावाडोल बनी रही। किंतु मई 1866 म शवाबाद म उसकी हार हुई और इसस स्थिति बदल गई। शेर अली को काबुल के बाहर खदेड दिया गया और बाद म उस कधार भी खाली करना पडा। अफ्जल बादशाह बन बैठा। अब लारेंस को अपनी नीति लागू करने का अवसर मिला। उसने अफजल को काबुल का और फिर कधार का अमीर मान लिया, पर जो प्रदेश शेर अली के हाथ म था यानी हरात, उसका शासक वह उस ही मानता रहा।

लारेंस न शेर अली की पराजय स पहले भारत-मत्री लार्ड रिपन का 2 अप्रैल, 1866 के अपने पत्र म अफगानिस्तान की उलझन के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था। उसने लिखा था अफगानिस्तान म सघर्षरत पक्षो के साथ ब्रिटिश सरकार के सबध किस नीति क आधार पर सचालित हो इस बारे म हमने लैफ्टिनेंट गवर्नर (पजाब) को अपने विचार बता दिए हैं। हम यह किसी तरह नही कह सकत कि शेर अली पूरी तरह परास्त हो चुका है और हमारा विचार है कि जब तक ऐसा न हो, तब तक नेकनीयती और नीति दोनो का तकाजा यह है कि हम और किसी सरदार को अफगानिस्तान का अमीर न माने। अगर वर्तमान सघर्ष के फलस्वरूप सल्तनत दो या दो स अधिक जागीरो मे बँट जाए, तो हम इतना समय मिल जाएगा कि उनकी स्थिति मे कुछ ठहराव दीख पडने पर हम उन्हे मान्यता प्रदान करे। इस बीच हम अफगानिस्तान के मामले म एकदम तटस्थ बन रहना चाहत है—अफगान स्वय अपने शासको का चुनाव करे, अत मे जो सरदार देश मे अपनी सत्ता स्थापित करने म सफल होगा, उसी को सद्भावना के साथ मान्यता देने के लिए हम तैयार रहेगे।'[1] उसने नीति का निरूपण इन शब्दो मे किया था 'स्पष्ट रूप मे यह प्रकट करना कि हम सघर्ष मे हस्तक्षेप नही करेंगे, कि हम किसी भी पक्ष की सहायता नही देगे, कि हम अफगानो को अपने झगडो का फ़ैसला स्वय करने देंगे और यह कि हम राष्ट्र के साथ और जो भी वस्तुत शासक होगे, उनके साथ मैत्री और नेकनीयती के साथ रहने के लिए तैयार हैं।'[2] घटना-चक्र के हर मोड पर जो भी शासक गद्दी पर बैठा, लारेंस ने अपनी नीति के अनुसार ही उसे मान्यता प्रदान की और एक समय मे एक से अधिक शासको को भी, जिनका देश के विविध भू-भागो पर अधिकार रहा हो, मान्यता प्रदान करने मे उसे कोई सकोच नही हुआ। पर, इस तरह का रवैया सापेक्ष ही था और इस बात पर निर्भर था कि दोनो पक्ष अकेले ही लडाई लड रहे हो—कोई विदेशी सत्ता उनकी मदद नही कर रही हो। भारत-मत्री को उसने जो पत्र लिखा था, उसमे यह बात प्रमाणित हो जाती है। "जब तक शेर अली या कोई अन्य पक्ष अपने आप को फारस के सुपुर्द नही कर देता और शाह से मदद नही लेता, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा अपनी निश्चित तटस्थता-नीति से रत्ती भर भी हटने का विचार नही है। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो सबध है, उनका वही पहले वाला आधार है कि जो वस्तुत शासक हो उनके साथ दोस्ती रखी जाए और साथ ही आतरिक झगडो मे

1 पत्राचार, अफगानिस्तान, 1878, पृ 8-9
2 पजाब सरकार को लिखा गया पत्र, 19 अप्रैल, 1866, वही, पृ 9

कोई हस्तक्षेप न किया जाए ।[1] इसलिए जब यह आशंका पैदा हुई कि शेर अली फारस में मिलने लगा तब गवर्नर जनरल अपनी नीति में संशोधन करने के लिए तैयार हो गया ताकि जो पक्ष काबुल की गद्दी पर कब्जा हो उसकी खुले आम मदद की जा सके— बशर्ते कि उस समय उस पक्ष की स्थिति ऐसी हो कि इस तरह की मदद पाकर वह अमीर शेर अली के मुकाबले अपनी स्थिति की रक्षा कर सके। उस शायद-बढ़कर रुपए-पैसे की और अस्त्र शस्त्र तथा सैनिक साज-सामान की ही मदद दी। काबुल के सत्ताधारी पक्ष को जिसके हमारे साथ ऐसी मैत्रीपूर्ण संबंध होगा जब हम ऐसी नैतिक और भौतिक सहायता देंगे तब निश्चय ही उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और वह अपराजेय स्थिति में आ जायगा।[2] संक्षेप में उस समय नीति यह थी कि किसी भी वक्त जो वास्तव में शासक हो उसके साथ संबंध बनाए रखे जाएं और जब तक वह हमारे प्रति अमित्र भाव न अपनाएं तब तक जिन शर्तों और अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर उसके पूर्ववर्तियों के साथ हमारे संबंध रहे हों उन्हीं के अनुसार हम उसके साथ भी संबंध बनाए रखने के लिए तैयार रहें।[3] उसका विचार था कि हम अफगानिस्तान पर अपनी फौज भेज कर प्रभाव जमाएं उसकी तुलना में इस रीति से हम वहाँ कहीं कारगर तौर पर अपना प्रभाव जमाए रख सकते हैं। फौज भेजने की बात तो तभी सोचा जा सकता है जब बाहर और चारा न रह जाए क्योंकि इसमें यह खतरा है कि अफगानिस्तान के सारे कबीले हमारे विरुद्ध मिलकर एक हो जाएंगे और हमारी अर्थ-व्यवस्था छिन्न भिन्न कर देंगे ।[4]

हमने सर जॉन लारेंस के नीति वक्तव्यों का विस्तार से उद्धरण करना इसलिए आवश्यक समझा है कि कुछ साल तक अफगानिस्तान के प्रति भारत सरकार की नीति उसके विचारों के अनुसार ही संचालित होती रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इस नीति का समर्थन और अनुमोदन कर दिया था। भारत मंत्री ने उन्हें लिखा था महामहिम साम्राज्ञी की सरकार की इच्छा है कि जब तक अफगान सामन्त की शांति के लिए खतरा न बनें या अन्य शक्तियों के साथ ऐसे वचनबंध न करें जो अफगानिस्तान की आजादी के लिए खतरनाक बन जाएं तब तक उनके आंतरिक संघर्षों में हस्तक्षेप न किया जाए। संसार के उस भाग में हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य यही रहा है और है कि अफगानिस्तान की आजादी की रक्षा की जाए ।[5]

अफगानिस्तान के संघर्षों में तटस्थ रहने की परंपरा की जो नीति थी उसका मूल आधार यह था कि अफगानिस्तान और अन्य देशों में पूरी तरह अलग-थलग रखा और वहाँ के संघर्षरत पक्ष किसी बाहरी सहायता के बिना आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। इसमें यह भी मान लिया गया था कि 1855 की शर्तों के अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने

1 भारत-मंत्री का पत्र 20 जून 1867 पत्राचार अफगानिस्तान 1878 पृ 16-18
2 भारत-मंत्री का पत्र 3 सितंबर 1867 वही पृ 18 21
3 भारत मंत्री का पत्र 3 सितंबर 1867
4 भारत-मंत्री का पत्र 3 सितंबर 1867
5 भारत-मंत्री का गवर्नर जनरल को पत्र 26 सितंबर 1867 पत्राचार अफगानिस्तान 1878 पृ 24 26

ब्रिटिश सरकार के साथ मित्रता रखेगा। अगर, इन आधारो मे कोई अतर आया, तो इस नीति मे भी अतर आ जाएगा। भारत सरकार और महामहिम साम्राज्ञी की सरकार दोनो ने इस बात को गुप्त नही रखा था। लॉरेंस की इस नीति के क्या कारण थे—इस सबध मे यहाँ अटकल लगाना व्यर्थ है। ऑकलैंड की कार्यवाही के भयकर परिणाम, दोस्त मुहम्मद की धारणा के बुद्धिमत्तापूर्ण होने का विश्वास, अफगानिस्तान की स्थिति का अज्ञान या रूस की स्थिति की अधूरी जानकारी—उसका दृष्टिकोण इन सब या इनम से किसी एक बात से प्रभावित हुआ होगा। स्पष्ट है कि रूस ने सर दरया के परे जो विस्तार किया था, और जिससे 1866 तक बहुत खतरा पैदा नही हुआ था, इस नीति म उसकी ओर कम ध्यान नही दिया गया था। इसके साथ ही कोई भी पक्ष फारस से मदद की माँग कर सकता है—इस खतर को भी नजर अदाज नही किया गया था। इस स्थिति म भारत सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि जिस पक्ष का काबुल पर अधिकार हो, उस पक्ष की मदद करके वह इस खतरे का प्रति-सतुलन करे। कहा जा सकता है कि लारेंस इस युद्ध को दशक की हैसियत से देखने के लिए तैयार था, पर तभी तक जब तक कि युद्ध के नियमो का सच्चे मानो मे पालन होता रहता। उसकी तटस्थता तभी तक के लिए थी जब तक कि अफगानिस्तान के पक्ष आपस मे ही लडते रहते पर अगर अफगानिस्तान म किसी और देश का, वह देश चाहे फारस होता या रूस, प्रभाव स्थापित होता, तो वह तटस्थ नही रह सकता था। उसकी नीति के आधार-तत्व ये थे—अफगानिस्तान की स्वतत्रता और भारत सरकार के साथ उसकी मैत्री की शर्तों का दृढतापूर्वक पालन।

अ-हस्ताक्षेप की इस नीति को अफगानिस्तान के सदर्भ मे ही लागू नही किया गया था, मध्य एशिया के जो भी राज्य रूस की आक्रामक नीति के कारण खतरे का अनुभव करते थे, उन सब राज्यो के प्रति यही नीति अपनाई गई थी। सर जॉन लॉरेंस उन्हें किसी तरह की मदद देने के लिए तैयार न था। उदाहरण के लिए जब कोहकद के खान ने एक पत्र महारानी के नाम और दूसरा वायसराय के नाम देकर अपना एक दूत भारत सरकार के पास भेजा और प्रार्थना की कि ब्रिटिश सरकार के साथ मेरी मित्रता को देखते हुए यथासभव अधिक से अधिक अनुभवी तोपची और शिक्षक मेरे पास भेज दिए जाएँ तब वायसराय ने उसे किसी तरह की भी सहायता देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी सल्तनत इतनी 'दूर थी कि उसमे अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नही कर सकते थे"।[1] 21 फरवरी, 1865 को लारेंस ने खान को जो पत्र लिखा था, उसम उसने इस बात को फिर से दुहराया था।[2] नवबर, 1866 मे बुखारा के अमीर ने एक पत्र देकर लॉरेंस के पास एक दूत भेजा था और उसमे रूस के विरुद्ध मदद की प्रार्थना की थी पर इस दूत के साथ भी यही बर्ताव किया गया। कहा गया है कि "लॉरेंस ने दूत को अच्छी सलाह तो दी, पर उसने जिस आधार पर कोहकद को मदद देने से इनकार कर दिया था, उसी

1 पालिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, फरवरी, 1865, सख्या 151-5, **मेमोरेंडम ऑन द पोजीशन आफ रशा इन सेंट्रल एशिया**। पालिटिकल प्रोसीडिंग्ज, 1869, स 65

2 पालिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, फरवरी, 1865, स 153

आधार पर बुखारा को भी मदद देने से इनकार कर दिया ।[1] आगे चल कर खीव और काशगर के दूतों के साथ जो व्यवहार किया गया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य एशिया के सभी राज्यों के प्रति यही रुख अपनाया गया था। फारस के शाह तक को इस बात का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया कि 'वह यह उम्मीद करे कि यह देश उसकी ओर से कोई सक्रिय हस्तक्षेप करेगा और यह बात साफ कर दी गई कि महामहिम साम्राज्ञी की सरकार फारस की ओर से प्रतिवाद के रूप में रूस से कुछ कहना-सुनना बिल्कुल भी पसद नहीं करेगी ।[2] भारत सरकार को रूस और कोहकद के मैत्री-सबधों पर कोई आपत्ति न थी और वह रूस-बुखारा सधि के न तो प्रतिकूल थी और न उससे आशकित ।[3]

पर, मध्य एशिया मे घटना-चक्र जिस तेजी से घूम रहा था, "उससे इंगलैंड और भारत म बेचैनी पैदा हो गई और सेंट पीटर्सबर्ग से बार-बार जो यह आश्वासन दिया गया कि जार का अपने राज्य-विस्तार का कोई विचार नहीं है, उससे यह बेचैनी दूर नहीं हो सकी। ताशकद और समरकद की पराजय के समाचार ने इंगलैंड और भारत दोनों देशों मे सनसनी पैदा कर दी। यह खबर जोरों पर थी कि रूस भारत पर हमला करने वाला है। इसका भारत सरकार पर भी असर पड़ा हालाँकि सर जॉन लारेंस के निर्देशन म आतक की प्रवृत्तियों को बढ़ने नहीं दिया गया। इस स्थिति के सबध मे दो बड़ी विस्तृत और विश्लेषणात्मक समीक्षाएँ तैयार की गईं और उन पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया। इनमें से एक समीक्षा तो बगाल आर्मी के डिप्टी क्वार्टर मास्टर जनरल लैफ्टिनेंट कर्नल पीटर लम्सडन[4] ने तैयार की थी और दूसरी इडिया आफिस के सर हेनरी सी रॉलिन्सन ने ।[5] इनके अलावा, सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अन्य अनेक लेखकों ने भी इस स्थिति का अध्ययन किया, पर यहाँ उनके विचारों की जाँच-परख करना जरूरी नहीं है क्योंकि उनके निष्कर्षों मे उपर्युक्त दोनों अधिकारियों के परस्पर विरोधी विचारों म से या तो एक के विचारों का समर्थन किया गया था या दूसरे के। पीटर लम्सडन का मत था कि स्थिति गभीर नहीं है और न इस बात की कोई विशेष सभावना है कि रूस भारत पर हमला करेगा। इसके विपरीत रॉलिन्सन का विचार था कि अगर समय रहते कोई प्रतिकार न किया गया तो मध्य एशिया मे रूस के विस्तार के कारण एशिया मे अंग्रेजों के दबदबे के लिए बड़ा भारी खतरा पैदा हो जाएगा। दोनों ने सामरिक दृष्टि म भारत की प्रतिरक्षा-व्यवस्था की जाँच-पड़ताल की और उन मार्गों का महत्त्व आँकने की भी कोशिश की जिनसे होकर भारत पर चढ़ाई की सभावना हो

---

1 मेमोरेंडम आन द पोजीशन आफ रशा इन सेंट्रल एशिया, पू वृ. ।

2 स्टैफोर्ड का एलगिन को पत्र, 30 मार्च, 1868, एस डी एफ एस प्रोसीडिंग्स, 1868, स 2

3 एस डी एफ एस प्रोसीडिंग्स, स 13, 1868

4 पोलिटिकल ए प्रोसीडिंग्स, अक्तूबर, 1867, स 133

5 पोलिटिकल ए प्रोसीडिंग्स, जनवरी 1869 स 52, यह समीक्षा रॉलिन्सन की पुस्तक इंगलैंड एड रशा इन ईस्ट नामक पुस्तक के पाँचवें अध्याय के रूप म भी छपी है।

सकती थी। पर, उनके निष्कर्ष अलग-अलग थे और उन्होंने सरकार को जो सलाह दी, वह भी एक-दूसरे के विरुद्ध थी।

लम्सडन ने अपना अध्ययन[1] रूसी नीति के प्रेरक हेतुओं के विश्लेषण से आरम्भ किया और इसके लिए उसने जरूरी समझा कि सबसे पहले यह देखा जाए कि रूस के विस्तार के सम्भाव्य प्रयोजन क्या है दूसरे, उन प्रदेशों का सामरिक भूगोल समझा जाए जो दोनों देशों के बीच मे पडते है और जो युद्ध-क्षेत्र का रूप धारण करेंगे, और तीसरे यह तय किया जाए कि अपनी इस नीति से रूस किस ठोस लक्ष्य की सिद्धि करना चाहता है'। उसका मत था कि भारत मे इँगलैंड का जो लक्ष्य रहा है मध्य एशिया मे रूस का लक्ष्य उससे भिन्न नही हो सकता। मध्य एशियाई मामलो के विभिन्न अधिकारी विद्वानो के और रूस के वक्तव्यो पर आधारित साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद उसने लिखा था 'मेरे विचार से रूस के आगे बढने का उद्देश्य यह माना जा सकता है कि वह समृद्ध देशो पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करे काबुल, यारकन्द और हेरात पर कब्जा करने के साथ साथ खीव और बुखारा को अपने सरक्षण मे लेकर उन्हें अपने क्षेत्र मे मिलाकर रेगिस्तानी स्टेपीज के विशाल भू-खडो से जन्य अभाव की पूर्ति करे, एशिया मे आतरिक सचार का राजमार्ग हथिया ले और प्राचीन काल के सीथियनो तथा परवर्त्ती हूणो ने जिस रास्ते से चल कर दूर-दूर के क्षेत्रो मे अपने नाम का आतक पैदा कर दिया था उस रास्ते पर अधिकार कर के अपने एशियाई और यूरोपीय क्षेत्रो को आपस मे मिला ले यानी दूसरे शब्दो मे हिंद महासागर और अराल तथा कैस्पियन समुद्रो के बीच के जल विभाजक (water shed) को रूस और भारत के बीच की सीमा बना ले, अपनी सचार-व्यवस्था का विकास करे और इस प्रकार पूर्वी एशिया से पश्चिमी एशिया और यूरोप तक के वाणिज्य मार्ग पर अपना अधिकार जमा ले। जब उसका सीमात इस तरह भारत के सीमात से मिला हुआ होगा, तब लूट-मार के लिए होने वाले हमलो से उसके वाणिज्य की रक्षा हो सकेगी और अगर पूर्व के या किसी और प्रश्न पर यूरोप मे कभी उसकी इँगलैंड के साथ खट पट हुई, तो एक ऐसा सुगम क्षेत्र उसके हाथ मे रहेगा जहाँ से हमारे भारत-साम्राज्य पर हमला किया जा सके या उसके लिए खतरा पैदा किया जा सके और इस प्रकार इँगलैंड के सैनिक साधनो के एक काफी बडे हिस्से को बेकार किया जा सके। लम्सडन ने मध्य एशिया मे रूसी विस्तार के आर्थिक लक्ष्य पर यथोचित जोर दिया था। इँगलैंड की तरह रूसी साम्राज्य का भी प्रेरक तत्त्व वाणिज्य था। इसलिए उसका यह विचार था कि साधारणत रूस के विस्तार से भारत मे अँग्रेजी उपनिवेश को कोई खास खतरा पैदा नही होगा। इन दोनो साम्राज्यो के बीच के स्थलो का भौगोलिक अध्ययन करने के बाद भी वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था। उसका विचार था कि, "बामियाँ के तीर हिंदूकुश के ऊपर के निकटवर्ती दर्रों के पूर्व मे ऐसा कोई रास्ता नही जिसे पार कर के उत्तर की ओर से कोई फौज भारत पर हमला कर सके"। 'दो ही विशाल राजमार्ग' ऐसे थे जिनसे हमला किया जा सकता था। ये दोनो आकर हेरात मे मिल जाते थे क्योंकि वह एक ओर तो कैस्पियन तट पर स्थित अस्त्राबाद के साथ

1 मेमोरेंडम ऑन सेंट्रल एशिया, दिनाक 15 सितबर, पॉलिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, अक्तूबर, 1867, स 135

मुकाबला करने की कोई अग्रधर्षी नीति अपनाई जाए। अपनी नीति को उसने इन शब्दों में प्रकट किया 'अब एकमात्र निरापद नीति यह है कि अफगानिस्तान को तटस्थ बनाए रखा जाए और अपनी रक्षा-व्यवस्था में सामरिक महत्त्व के प्राकृतिक स्थलों को सुरक्षित रखा जाए।'

इस नीति को लागू करने के लिए जरूरी था कि अफगानिस्तान और भारत के बीच 1855 में जो संधि हुई थी,*और जिसके अनुसार भारत सरकार अफगानिस्तान के राज की रक्षा करने और उसमें कभी हस्तक्षेप न करने के लिए वचनबद्ध हो गई थी उस संधि का 'पूरे तौर पर पालन किया जाए'। इस नीति की दृष्टि से यह भी जरूरी था कि फारस के साथ पूरा सद्भाव बना रहे और उसे चेतावनी दे दी जाए कि अगर वह पूर्व की तरफ बढ़ा, तो उसे यूफ्रेटीस और टाइग्रिस के मुहाने के अपने प्रदेशों से हाथ धोना पड़ेगा और अफगानिस्तान को अपनी आजादी की रक्षा करने में भारत की सीधी मदद मिलेगी। इस नीति में यह भी निहित था कि रूस के प्रति ऐसी गौरवपूर्ण नीति अपनाई जाए जो एक राष्ट्र को शोभा दे। ऐसा न हो कि हम काल्पनिक योजनाओं के लिए या डर के मारे किन्हीं ऐसे कामों में हाथ डाल दें जो हमारे अपने हितों के बिल्कुल विरुद्ध हों। सिर्फ यह सोचकर कि रूस उन क्षेत्रों पर अधिकार न कर ले, उनकी ओर दौड़ पड़ने की नीति को तो 'खायेंगे नहीं तो लुढ़का देंगे', वाली कहावत के आधार पर ही ठीक ठहराया जा सकता है"। रचनात्मक पक्ष में, उसने इस बात पर जोर दिया कि 'भारत की तरह रूस को भी शांति और विश्राम की जरूरत है और अगर हम चाहें कि सुधार व्यवस्था के विकास के लिए उसका सहयोग प्राप्त हो और हमारा उसके साथ ऐसी एशियाई नीति के बारे में सामान्य समझौता हो सके जो दोनों के लिए लाभदायक हो, तो हमारी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि रूस के साथ हमारा ऐसा करार हो जाए जिसमें अफगानिस्तान और हैरात की आजादी की गारंटी दी गई हो"। लारेंस आदर्शपरक पराजयवादी मनोवृत्ति का आदमी नहीं था और उसने कोरी रक्षात्मक नीति का समर्थन नहीं किया। वह चाहता था कि काबुल के साथ निश्चित संबंधों की स्थापना हो जाए जिससे कि वहां की जो सरकार वस्तुतः सत्तारूढ़ हो, उस पर असर डालना आसान हो। वह यह भी चाहता था कि रेलों का विस्तार करके भारत की रक्षा व्यवस्था को दृढ़ किया जाए और काबुल सरकार की सच्ची सहायता से कुर्रम और खोस्ट घाटियों पर अधिकार जमा लिया जाए जहां चार-पांच हजार जवानों की फौज तैनात की जा सके। इस कार्यवाही का उद्देश्य यह था कि "अफगानिस्तान पर आधिपत्य किए बिना और वहां के प्रशासन में अपने को उलझाए बिना ही शासन में दृढ़ता लाई जाए"। उसने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि अफगानिस्तान को मदद दी जाए और उसकी "दलित प्रजा को सबल प्रशासन से लाभ प्राप्त कराए जाएँ"। जब अफगानिस्तान की राजधानी का 'हमारी आंतरिक संचार-व्यवस्था से संबंध स्थापित हो जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी" तब आजाद अफगानिस्तान सामरिक दृष्टि से दाएँ पार्श्व की रक्षा में मदद देगा और अगर बाएँ पार्श्व पर कभी कोई हमला हुआ, तो सिंध से सशस्त्र सेनाएँ भेजकर उसका आसानी से सामना किया जा सकेगा। लारेंस की दृष्टि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का सबसे निश्चित उपाय यह था कि अफगानिस्तान पर आक्रमण न करने की नीति अपनाई जाए और रूस के साथ मेल जोल रखा जाए।

प्रभुता को चुनौती दे सकता है, तो इसका देश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।" रॉलिन्सन को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि रूस के आगे बढ़ते जाने का भारतीय जनता के मन पर न जाने क्या असर पड़े। काबुल पर रूस का नियंत्रण होने से सारे सीमान्त में आग सुलग सकती थी और अंग्रेज बड़ी मुश्किल में फँस सकते थे—ऐसी मुश्किल में कि उन्हें इंगलैंड से भारी मात्रा में फौजें मँगाने की जरूरत पड़ जाती। अफगानों का अंग्रेजों के प्रति जो रुख था और रूस बुखारा में अपनी अनुकूल स्थिति से काबुल के घटना-चक्र को जिस तरह अवलोकन कर रहा था और अफगान शरणार्थियों के छोटे से गुट का पोषण कर रहा था उसका हवाला देकर रालिन्सन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसका सोचना निराधार नहीं है।

स्थिति के विश्लेषण से रालिन्सन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम आगे बढ़ें और रूस से पहले काबुल पर अधिकार कर लें। उसने आयरलैंड की इस नीति का पूरी तरह समर्थन किया कि उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर एक सशक्त और मित्र सत्ता की स्थापना की जाए। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने सिफारिश की कि शेर अली को जम कर मदद दी जाए जिसका भाग्य-नक्षत्र इस समय फिर उत्कर्ष पर था। वह चाहता था कि हम अपने ही हित में शेर अली को अविलंब अपनी ओर कर लेना चाहिए। उसका मत था कि अगर जरूरी हो तो उसे 'शस्त्रास्त्र और अधिकारी दिए जाएँ, यहाँ तक कि एक सहायक फौजी दस्ता उसकी सेवा में रख दिया जाए। इस समय काबुल में अपनी स्थिति मजबूत करना और रूस के लिए यह रास्ता बंद कर देना इतना जरूरी है कि हम इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, चुकानी चाहिए'। रालिन्सन का दृढ़ मत था कि अगर हम अपने भारतीय साम्राज्य को खतरे में नहीं डालना चाहते, तो हमें देर-सबेर काबुल में अपना प्रभुत्व जमाना ही चाहिए"। उसने लिखा था, "अतः शान्ति, वाणिज्य और नैतिक तथा भौतिक उन्नयन की दृष्टि से जोर देकर यह कहा जा सकता है कि अब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना एक कर्तव्य हो गया है और अगर काबुल में सुव्यवस्था स्थापित करने से हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ जाए और हमें थोड़ा-सा खर्च भी करना पड़े, तो अंत में वह सच्ची किफायत ही सिद्ध होगी"।

मध्य एशिया में रूस के विस्तार का सामरिक दृष्टि से विश्लेषण करके उसने अपने मत की और पुष्टि की। ईरान 'भारत का प्रवेश द्वार' है और "अगर रूस ने एक बार पूरी ताकत से ईरान में अपने पाँव जमा लिए और उसकी संचार-व्यवस्था ढंग से स्थापित हो गई—एक दिशा में मेशेद के माध्यम से अस्त्राबाद के साथ, दूसरी दिशा में मर्व के माध्यम से खीव के साथ और तीसरी दिशा से मारनेह और ओक्सस के रास्ते से ताशकंद और बुखारा के साथ—तो एशिया की सारी फौजें भी उसे टस से मस न कर सकेंगी और उसके पास हमें करारी चोट पहुँचाने के साधन हो जाएँगे, क्योंकि ईरान पर एकछत्र अधिकार स्थापित होने से फारस और अफगानिस्तान के सारे सैनिक समाधन उसे सुलभ हो जाएँगे'। अगर इस खतरे से बचना है, तो सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि रूस जो कार्यवाही करे, उसे अंग्रेज पहले ही कर डालें क्योंकि रूस अपनी सफलता के लिए जिस बात पर निर्भर है वह यह है कि फारस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के राज्यों के प्रति अंग्रेजों के राजनय की दिशा बदली जाए। उसने उपचार के रूप में कुछ उपायों की सिफारिश की। पहला उपाय तो यह था कि "शेर अली को सहायता दी जाए और

काबुल में उसकी स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए"। दूसरा यह कि "फारस में हम अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करें जिससे कि भारत पर चढ़ाई करने में रूस उस देश को साधन न बना सके" तीसरा उपाय यह था कि "अफगानिस्तान के सीमान्त की संचार-व्यवस्था में सुधार किया जाए" और अंत में "क्वेटा के बाहर चारों ओर किलेबंदी की जाए।" संक्षेप में वह चाहता था कि उस समय की "परम निष्क्रियता" की नीति के बजाए अधिक सक्रिय, हस्तक्षेपकारी और विस्तारशील नीति अपनाई जाए जिससे कि अफगानिस्तान और फारस असंदिग्ध रूप से अंग्रेजों के प्रभाव-क्षेत्र में आ सकें।

अस्तु जब 1868 में रूस ने ताशकंद पर अधिकार कर लिया था और बुखारा तथा बाहकंद पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था और वह खीव पर चढ़ाई करने के लिए अच्छी तरह तैयार था, तब अफगानिस्तान के प्रति अंग्रेजों की नीति के संबंध में दो विरोधी विचार प्रकट किए गए थे जिनमें कहा गया कि स्थिति की ठीक से जाँच हो और समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ही नीति का निर्धारण किया जाए। इसमें संदेह नहीं कि लारेंस की यह नीति अब नहीं चल सकती थी कि इस बात की प्रतीक्षा की जाए कि अफगानिस्तान में घटना-क्रम क्या दिशा ग्रहण करता है क्योंकि इस नीति के पाए लड़खड़ा चुके थे। अफगानिस्तान का गृहयुद्ध अधिक समय तक एक अलग-थलग घटना के रूप में नहीं रह सकता था क्योंकि युद्धरत पक्षों के लिए जरूरी था कि वे बाहरी सहायता चाहें। इस स्थिति में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण होगा? क्या वह मदद देगी और अगर देगी तो किसे देगी और इस मदद का हेतु क्या होगा? ये स्वाभाविक प्रश्न थे। लारेंस की सरकार ने विरोधी दृष्टिकोणों पर पूरी तरह गौर किया और जहाँ उसने अपनी नीति की मूल बातों की पुष्टि की वहाँ आवश्यक परिवर्तनों का भी संकेत दिया।

भारत सरकार के सदस्यों ने उस समय ये जो विवरण लिखे, उनसे स्पष्ट है कि मध्य एशिया में रूस के विस्तार से उन्हें वैसी घबराहट न थी, जो रॉलिन्सन, फ्रीन, बेल्यू तथा अन्य अनेक लेखकों की रचनाओं में व्यक्त हुई थी। उन्होंने भारत पर रूस के हमले की संभावना का जोरदार खंडन किया और कहा कि अगर रूस ने भारत की ओर रुख किया, तो बीच के देशों के लोग और कबीले रूस का जम कर विरोध करेंगे और भारत के प्राकृतिक सीमान्त पर भारत की फौज उससे डट कर लोहा लेगी। राज की सुरक्षा के लिए हरात तक बढ़ कर और आधा रास्ता तय करके शत्रु से लोहा लेने की अव्यावहारिक योजनाओं की अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा उपाय समझा गया कि भारत के लोग संतुष्ट बने रहें और सीमान्त के इस ओर अच्छी तैयारी रहे। ख्याल था कि अफगान अपनी सीमा में अंग्रेजों की सैनिक गतिविधियों को अविश्वास, ईर्ष्या और शत्रुता की दृष्टि से देखेंगे। और यह ठीक ही था। 1840 की घटनाओं से जो सबक मिला था, उसका असर बड़ा गहरा था और यह हिम्मत किसी में न थी कि कह सकता कि अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं और उस देश में सक्रिय हस्तक्षेप करना ठीक होगा। लारेंस ने लिखा था, "अफगान हमें नहीं चाहते, उन्हें अपने देश में हमारे मौजूद होने से बहुत डर लगता है। पिछले अफगान युद्ध की परिस्थितियों ने उनके दिलों में हमारी जाति के प्रति भयंकर घृणा पैदा कर दी है"।[1] अंग्रेज अक्सर अफगानिस्तान जाएँ या वहाँ राजनीतिक एजेंटों

1 विवरण, 3 अक्तूबर, 1867, पैरा 5

के रूप मे रहे—अफगान लोग इस विचार तक के विरुद्ध थे। इसलिए लॉरेंस इस तरह के किसी भी प्रस्ताव के विरुद्ध था। उसका मत था कि प्रस्ताव का कारण ह अफसरो की सम्मान और अधिमान्यता पाने की लालसा और व्यापारियो की 'अपने माल के लिए नई मडियाँ ढूँढ निकालने की उत्सुकता'। पर, भारत सरकार ऐसे किसी रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार न थी जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया के मामलो मे सक्रिय हस्तक्षेप करने से प्रतिष्ठा सम्मान और हमारे अफसरो तथा सिपाहियो के अमल्य प्राणो पर' आँच आती।

लॉरेंस और उसके साथियो को ज़रा भी आगे की ओर बढने मे विश्वास न था और वे लम्सडन के इस सयत सुझाव के भी विरुद्ध थे कि खोजक और कुर्रम की घाटियो को पट्टे पर लेकर क्वेटा मे एक छावनी की स्थापना की जाए। हरात और कधार पर दखल जमाने का विचार इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि ऐसा करना खतरे से खाली नही होता और इसका भारत की वित्त व्यवस्था पर तथा युद्ध-प्रवण वर्गों की निष्ठा पर बुरा असर पडता। फिर, यह ख्याल था कि इस तरह की कार्यवाही सैनिक दृष्टि से उचित नही—इससे तो रूस की स्थिति बेहतर होगी क्योकि उसकी दूरी तो कम हो जाएगी और हमारी फौजो और उनकी कार्यवाही के असली अड्डा के बीच का फासला बढ जाएगा।" अनुरक्षण और सचार की बाधाएँ तो बीसवी सदी तक मे बडी प्रचड रही है, उन्नीसवी सदी मे तो दिलेर से दिलेर आदमी तक का दिल इस राह पर कदम रखते दहलता। सबसे पहले तो लॉरेंस ने इस बात पर जोर दिया कि रूस के इरादे दुश्मनी के नही है और अगर वह दुश्मनी ही चाहता है तो जब रूसी हमलावर मजिल पर मजिल तय करके हारे-थके भारत की सीमा तक पहुँचेंगे, 'तब हमारी फौजो के आगे विकल्प होगा कि वे हमलावरो को या तो पहाडो की तग घाटियो मे या अगर व दर्रों से आगे निकल आएँ, तो सिंध नदी की राह पर यानी सक्षेप मे, सेनापति की प्रतिभा जहाँ मुनासिब समझे, वही मुकाबला करे"। इसलिए, सब पहलुओ पर पूरी तरह विचार करने के बाद लॉरेंस एक तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि "हम अपनी फौजो को वर्तमान सीमात से आगे न भेजे और अँग्रेज अफसरो को मध्य एशिया के विभिन्न राज्यो मे न भेजें, बल्कि हमे चाहिए कि भारत के लोगो को भरसक अच्छे से अच्छा शासन प्रदान करे, जहाँ तक सभव हो, सभी वर्गों मे मेल मिलाप पैदा करे, अपने साधनो का सगठन करे और इस तरह अपने घर को व्यवस्थित करें"। तथापि, वह लम्सडन के इस सुझाव से सहमत था कि "सीमात पर सामरिक रक्षा-मार्ग तक सडके बना ली जाएँ।[1]

उसके सहयोगियो ने जो भारतीय राजनीति के बारे म अपने ज्ञान और अनुभव के कारण इस समस्या पर मत व्यक्त करने के सच्चे अधिकारी थे, इस विचार का पूरी तरह समर्थन किया। नॉर्मन ड्यूरेंड और मासफेल्ड प्रतिष्ठित सैनिक अधिकारी थे और उन्होंने 1867 मे अपने-अपने विवरणो मे रूसी हमले की आतकपूर्ण धारणाओ को निराधार सिद्ध कर दिया। ड्यूरेंड ने तैयारी की सलाह दी "ताकि सिंध पर या उसके पार जल्दी से जल्दी और कारगर कार्यवाही की जा सके"। उसने जिस नीति का समर्थन

1 विवरण, 3 अक्तूबर, 1867.

और इसे अच्छी तरह समझ लेने के कारण ही लॉरेंस की नीति में यह मार्के का परिवर्तन आया था। अब उसने स्वीकार किया कि भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त की दिशा में रूस के बढ़ते आने से हमारे लिए 'बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हो जाएँगी और इस स्थिति में हमारे लिए बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की नीति यह होगी कि हम हिंदुस्तान और मध्य एशिया में रूसी प्रदेशों के बीच एक ऐसी ताकत बनाए रखने की कोशिश करें जिसके साथ हमारी पक्की दोस्ती हो"।

पर, वह रॉलिन्सन के उपचार से सहमत नहीं हुआ और उसने अफगानिस्तान की ओर बढ़ने की या उस देश पर नियन्त्रण का प्रयत्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं समझी। उसने यह भी नहीं माना कि काबुल में ब्रिटिश एजेंट रखने की या उस देश में एक सैनिक टुकड़ी का बंदोबस्त करने की जरूरत है। वह अफगानिस्तान की ओर का सीमांत घटाने के पक्ष में था, बढ़ाने के नहीं। पर इस प्रस्ताव पर उसे कोई आपत्ति न थी कि शेर अली की आर्थिक सहायता की जाए और बदले में उससे कुछ भी माँग न की जाए। अमीर की यह संभाव्य प्रार्थना स्वीकार करने के लिए वह तैयार न था कि 'अमीर और ब्रिटिश सरकार के बीच आक्रमण और रक्षा दानों ही के बारे में मैत्री-संधि हो जाए। उसने लिखा था, 'मैं ऐसे किसी वचनबंध पर राजी नहीं होऊँगा जिससे उसकी सत्ता की रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर आ पड़े। मैं उसे इस बात तक का कोई आश्वासन नहीं देना चाहूँगा कि हम कुछ निश्चित समय तक उसे वार्षिक उपदान देते रहेंगे। मेरा सुझाव तो यह है कि जब तक हम अपने प्रति अमीर के आचरण और व्यवहार से संतुष्ट रहें, तब तक हम उसे कुछ सालाना रकम देते रहें"। इस मदद के साथ सिर्फ एक शर्त जुड़ी हुई थी और वह यह कि अमीर सामान्य रूप से अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेगा हालाँकि उससे यह उम्मीद भी की जाती थी कि वह अपने तरफ़ के कबीलों पर पूरा नियन्त्रण रखेगा। इस समय लॉरेंस की नीति संक्षेप में यह थी काबुल के अमीर के साथ किसी तरह की आक्रमणात्मक या रक्षात्मक मैत्री-संधि की जाए—मैं यह प्रस्ताव दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करता हूँ, पर मेरे विचार में उसे यह बात अच्छी तरह समझाई जा सकती है कि उसके राज को विदेशी आक्रमण से बचाने में हमारी दिलचस्पी है और अगर वह अपने वचनबंधों का दृढ़ता से पालन करता रहेगा तो हम उसकी स्वतन्त्रता का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। पर, यह किस तरह से हो—इसका निर्णय हमारे हाथों में रहेगा"।

भारत सरकार ने 4 जनवरी, 1869 को इन विचारों की भारत-मंत्री को सूचना दी।[1] और ये विचार ही लारेंस के उत्तराधिकारी की नीति का आधार बने। इसलिए, यहाँ इस नीति का वर्णन कर देना जरूरी है, भले ही इसमें कुछ पुनरावृत्ति हो जाए। भारत-सरकार ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि उसे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि *"सीमान्त या सीमान्त से आगे के प्रदेशों के बारे में जो नीति अपनाई जा रही है, उसमें किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सिफारिश की जाए"* क्योंकि अगर इन सिद्धांतों में

1 भारत सरकार का भारत-मंत्री को पत्र, सं 1, 4 जनवरी, 1869 पालिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज, सं 66, जनवरी, 1869

कोई गंभीर परिवर्तन हुआ, तो उसमें विकट आर्थिक और राजनीतिक उलझन पैदा हो जाएगी'। सरकार ने अपनी नीति का सार इन शब्दों में व्यक्त किया : 'हमें इस बात पर एतराज है कि किसी ऊँचे अंग्रेज अफसर का फौज फाटा लेकर या अकेले ही भेजकर अफगानिस्तान के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप किया जाए या अपने सीमांत के आगे बढ़कर उस देश में किसी चौकी या भू-खंड पर जोर-जबर्दस्ती या राजीरजामंदी के साथ भी अधिकार किया जाए क्योंकि हमारा विचार है कि इस तरह की कार्यवाही से इधर तो आक्रमण या रक्षा के लिए हमारी शक्ति नतिक भी बढ़ेगी नहीं और उधर अफगानों के मन में झुंझलाहट, विरोध और घृणा पैदा होगी। अगर कभी रूस गंभीरतापूर्वक भारत पर हमला करने की सोचे, तो उसके सामने जो कठिनाइयाँ आएँगी, उन्हें कम करके देखना हम नीति और विवेक दोनों के विरुद्ध समझते हैं और अगर हमने आधा रास्ता तय करके और अपने सीमांत से आगे बढ़ कर दुर्गम प्रदेश में और विरोधी तथा झुंझलाए हुए लोगों के बीच में उसका मुकाबला किया तो हम निश्चय ही उसकी कठिनाइयाँ कम कर देंगे इसलिए, हमारा विचार है कि हमारी सच्ची नीति, हमारी सुरक्षा का सबल-तम साधन यह है कि हम काबुल, कंधार या ऐसी ही किसी बाहरी चौकी पर पहले से लड़ाई में न फँसें और अपने प्रदेश के भीतर, अपने सीमांत पर स्थित अपनी सुगठित, साज-सामान से लैस और अनुशासन में बँधी हुई सेना पर ही पूरा भरोसा रखें'। भारत सरकार ने इस नीति के पालन के लिए कुछ उपाय भी सुझाए। पहला उपाय यह था कि "रूस से यह बात भली भाँति जान-समझ ली जाए कि मध्य एशिया में उसकी योजनाएँ और इरादे क्या हैं और उस पर यह साफ-साफ प्रकट कर दिया जाए कि उसे अफगानिस्तान के या किसी और ऐसी सल्तनत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा जो हमारे सीमांत से लगी हो।' दूसरा उपाय यह था कि तेहरान के साथ संबंधों का दायित्व इंगलैंड की सरकार के ऊपर न रहे बल्कि भारत सरकार के ऊपर आ जाए। तीसरे, काबुल के तख्त्रन शासक को शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद और रुपये-पैसे की पर्याप्त मदद दी जा सकती है, और 'अवसर के अनुकूल उसका नैतिक समर्थन भी किया जा सकता है पर उसके साथ कोई औपचारिक आक्रमणात्मक या रक्षात्मक मैत्री-संधि न की जाए"। इस संबंध में अंतिम सुझाव यह था कि अमीर शेर अली गवर्नर जनरल से मिल ले और भारत सरकार को अपने विचारों, आशाओं और इच्छाओं से अवगत करा दे।

महामहिम साम्राज्ञी की सरकार ने भारत सरकार के इन विचारों को स्वीकार कर लिया[1] और 1869 में वायसराय बनने पर लॉर्ड मेयो ने इन्हें कार्यान्वित किया। शेर अली की स्थिति में भी सुधार हुआ और उसे जो मदद मिली, उससे वह शीघ्र ही काबुल का निर्द्वंद्व शासक बन गया। उसने भारत आने और गवर्नर जनरल से मिलने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। गवर्नर जनरल और शेर अली की यह भेंट 1869 के अंत में अंबाला में हुई। शेर अली ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति से प्रभावित हुआ। अमीर अपने राज्य की अखंडता और अपनी गद्दी की सुरक्षा चाहता था। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वह चाहता था कि दोनों राज्यों के बीच एक पक्की मैत्री-संधि हो जाए जिसमें उसकी विदेशी आक्रमण से भी रक्षा हो सके और देश के भीतर के विरोध से भी। अंबाला सम्मे-

1 भारत मंत्री के प्रेषण, दिनांक 12 मार्च, 16 और 30 अप्रैल, 1869

लन की रिपोर्टों मे जाहिर होता है कि शेर अली ने जिसे दुर्भाग्य के थपेडो ने गभीर बना दिया था और जो मध्य एशिया मे रूसी विस्तार के बढते हुए ज्वार से बुरी तरह आतकित था, ऐसा निश्चित अनुबंध चाहा था कि सकट काल मे उसे भारत की मदद मिल सके। उसे रूस के मसूबो से सचमुच डर था और वह हृदय से भारत की ओर झुका हुआ था, इसमे सदेह नही है। पर मैत्री की खातिर शेर अली इस बात के लिए तैयार न था कि वह ब्रिटिश अफसरो या फौजो को अपने देश मे रहने की अनुमति दे दे। उसके इस रुख के दो कारण थे—*एक तो उसकी प्रजा अँग्रेजो के विरुद्ध थी और दूसरे उसे डर था कि* कही अँग्रेज अफसर उसके मामलो मे टाँग न अडाने लगे। जहाँ तक लॉर्ड मेयो का सवाल है, वह उस नीति मे बँधा हुआ था जो उसके लिए लॉरेंस और महामहिम साम्राज्ञी की सरकार ने इतनी स्पष्टता से निर्धारित कर दी थी और इसीलिए वह सद्भावना मैत्री और नैतिक समर्थन की बाते तो कर सकता था, पर उसके पास इतनी शक्ति न थी कि वह कोई निश्चित सधि सबध स्थापित करे या नियमित स्थायी उपदान देते रहने का वायदा करे। इस तरह, शेर अली तो यह चाहता था कि उसकी अँग्रेजो के साथ सधि हो, उसे निश्चित उपदान मिलता रहे और उसे फौज तथा हथियारो की मदद मिले—उस समय नही जब भारत सरकार मदद देना ठीक समझे, बल्कि उस समय जब उसे मदद माँगना जरूरी लगे—और एक ऐसा सुनिश्चित वचनबंध हो जाए जिसके अनुसार भारत सरकार पर सकट के समय अफगान सरकार की मदद करने की जिम्मेदारी आ पडे। पर *दूसरी ओर लार्ड मेयो कोई पक्का वायदा करने को तैयार न था।* वह अमीर को सिर्फ इतना आश्वासन दे सका कि अफगानी आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप करने का उसकी सरकार का कोई इरादा नही है और 'काबुल के शासक के रूप मे आपकी जो स्थिति है, उस पर अगर आपके प्रतिद्वद्वी आघात करने की और दुबारा गृह-युद्ध की आग सुलगाने की कोशिश करेंगे, तो भारत सरकार उनसे बहुत अप्रसन्न होगी उसकी यह कोशिश होगी कि वह महामान्य की सरकार को शक्तिशाली बनाए जिससे आप न्याय और औचित्य के साथ अपना साधिकार शासन चलाते रह सके और अपने वशजो को वह सारा गौरव तथा सम्मान दे सके, जो विधित आप का ही स्वत्व है'।[1]

मेयो के 1 जुलाई, 1869 के वक्तव्य से स्पष्ट है कि अमीर से न तो किसी सधि या निश्चित उपदान का वायदा किया गया और न उसे यह वचन दिया गया कि उसके राजवश की रक्षा की जाएगी। उससे सिर्फ यह वायदा किया गया कि, "उसके ऊपर भारत सरकार की कृपा दृष्टि रहेगी और उसे समर्थन मिलता रहेगा, उसके प्रतिद्वद्वियो को *हतोत्साह किया जाएगा और उसे ऐसी भौतिक सहायता भी मिलेगी जिसे हम उसकी* तात्कालिक आवश्यकताओ को देखते हुए एकदम जरूरी समझें, पेशावर के कमिश्नर और काबुल-स्थित स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से उसके साथ निरतर मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना रहेगा। उधर वह भी यथाशक्ति हमारे सीमात पर शाति बनाए रखेगा और

---

1 *अमीर के नाम पत्र, दिनाक 31 मार्च, 1869 अबाला सम्मेलन के विवरण* के लिए देखिए, भारतमत्री के नाम प्रेषित वक्तव्य, दिनाक 3 अप्रैल, 1869 और उसके साथ सलग्न कागज-पत्र तथा दिनाक 1 जुलाई, 1869 को प्रेषित वक्तव्य। पत्राचार, अफगानिस्तान, 1871, पृ 88-91 और पृ 92-100, आर्गील, **ईस्टर्न क्वेश्चन II**, अध्याय XIV.

व्यापार के संबंध में हमारी सारी इच्छाओं का पालन करेगा[1]। पर यह अस्पष्ट और वचनबद्ध न होने की नीति भारत मंत्री को नहीं रुची। वह यह तो जरूर चाहता था कि अफगानिस्तान में सशक्त और स्थिर सरकार की स्थापना हो जो वाणिज्य को बढ़ा सके, पर सहायता कब और किन परिस्थितियों में दी या न दी जाए—इस बारे में भारत सरकार के विवेक को वह सीमा में बाँध देना नहीं चाहता था। महामहिम साम्राज्ञी की सरकार किसी भी स्थिति का अपने ढंग से सामना करने की छूट चाहती थी। ब्रिटिश सरकार यह तो चाहती थी कि अमीर अँग्रेजों के वाणिज्य को प्रोत्साहन दे और भारत का दोस्त बना रहे पर वह उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार न थी। वह रूस के भारी खतरे के विरुद्ध बचाव के लिए अमीर की दोस्ती चाहता था पर इस प्रयोजन के लिए उससे साथ कोई समझौता करने को सहमत न होती थी।[2] इस समय रूस की ओर से कोई भारी खतरा न था और चूँकि लारेंस यह सिफारिश कर गया था कि रूस के साथ शर्तें तय करने की बातचीत की जाए इसलिए इस बात की कोई जरूरत नहीं समझी गई कि भारत सरकार शेर अली को मैत्री-संधि में बाँधे। अमीर भी इन अनिश्चित आश्वासनों से संतुष्ट-सा लगता था क्योंकि फिलहाल वह भारत के साथ मैत्री-संबंधों की प्रतिष्ठा को बहुत जरूरी मानता था ताकि वह स्वदेश में अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध शक्ति संचित कर सके। फिर रूस का खतरा भी अभी कोई नजदीक न था। इस तरह, लारेंस की नीति जिसे मजाक में 'परम निष्क्रियता' कहा गया था, शांति बनाए रखने, वचनबद्धता को सीमित रखने और काबुल के अमीर की मैत्री और सद्भावना पाने में सफल हुई।

---

1 पत्राचार, अफगानिस्तान, 1878 पृ 92-100

2 भारत मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, गुप्त सं 6, 14 मई, 1869, पत्राचार, अफगानिस्तान 1878 पृ 91-2

अध्याय 4

मध्यवर्त्ती राज्य

नॉरिस का नीति का एक मख्य विचार यह था कि मध्य एशिया के दोनो महान साम्राज्यो के प्रभाव क्षेत्रा के बीच म रूस के साथ सदभावनापूर्ण सबध रख जाए बचन बध तक किया जाए। उसने भारत मत्री से निवेदन किया था कि रूस के साथ कुछ आपसी व्यवस्था और समझौता करने का प्रयत्न किया जाए और अगर इस प्रयत्न म सफलता न मिले तो रूस को समझा दिया जाए कि अगर किसी निश्चित सीमा के आगे उसने भारत की ओर एक भी पग बढाया तो इसके परिणामस्वरूप इगलैंड के साथ ससार के सारे भागो म उसका युद्ध छिड जाएगा।[1] इँगलैड की सरकार भी इस माग पर चलने के लिए प्रस्तुत था। मध्य एशिया म रूसी राज के आरभिक विस्तार से जो आशका पैदा हुई थी वह प्रिस गोर्चाकोव के 1864 के परिपत्र से दब गई थी। इस परिपत्र म यह बात विशेष बलपूर्वक कही गई थी कि रूस को अपना राज बढाने म रचमात्र भी रुचि नही है और सबसे बडी बात यह है कि वह अपनी सीमाओ पर उलझन खडी करने से बचना चाहता है क्योकि इन उलझनो का एक ही परिणाम होगा—उसके आतरिक विकास म देरी होगी और वह रुद्ध हो जाएगा।[2] इस प्रलेख के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार के हाथ जो अवसर लगा उससे ब्रिटिश सरकार ने कोई लाभ नही उठाया। उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नही रखा कि रूस और इगलैड दोनो मिलकर बुखारा की स्वतत्रता का आश्वासन दे और इस प्रकार दोनो देशो के प्रभावक्षेत्रो की सीमाएँ बाध दी जाएँ। *रूस ने भी अपने वचन का पालन नही किया और वह बुखारा विजय के लिए* पहले म भी अधिक सक्रिय हो उठा। बाद म जब रूस ने समरकद और ताशकद को जीत लिया और अफगानिस्तान के प्रति अँग्रेजो की नई नीति का प्रवत्तन हुआ तब 1869 म इगलैड के विदेश मत्रालय को यह आवश्यक लगने लगा कि दोनो देशो के प्रभाव-क्षेत्रो के परिसीमन की माँग की जाए। इगलैड के समाचार-पत्रो ने इस स्थिति का विवेचन विश्लेषण किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रूस को मध्य एशिया मे अपनी स्थिति

---

1 विवरण दिनाक 25 नवबर 1868 पैरा 9 पत्राचार अफगानिस्तान पृ 61

2 राउज रशा इन एशिया पृ 220

स्थापन के लिए विवश करना तो संभव नहीं है पर यह हो सकता है कि "उसकी हरकतों पर सदा सतर्क दृष्टि रखी जाए और एक क्षण की भी देरी किए बिना सावधानी के वे सभी उपाय किए जाएँ जो संभव हों। भारत की ओर रूस की प्रगति रोकने का एक उपाय यह था कि अफगानिस्तान और काशगर को तटस्थ क्षेत्र बना दिया जाए।" इंग्लैंड व विदेश-मंत्रालय और रूस के विदेश मंत्रालय के बीच पत्र-व्यवहार आरंभ हुआ। मार्च 1869 में लार्ड क्लैरेंडन ने सुझाव दिया था कि "इंग्लैंड और रूस के प्रदेशों के बीच कोई ऐसा क्षेत्र अवश्य होना चाहिए जो तटस्थ मान लिया जाए, जो इन प्रदेशों की सीमा हो और जिसका दोनों शक्तियाँ पूरी सावधानी से सम्मान करें"। बैरन ब्रुनो ने रूस की ओर से यह निश्चित आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान को रूसी प्रभाव-क्षेत्र से बिल्कुल बाहर समझा जाएगा। क्लैरेंडन ने अपना यह संदेह व्यक्त किया कि अफगानिस्तान तटस्थ राज की शर्तें पूरी भी कर सकता है या नहीं।[1] टेरेन्टिएफ का कहना है कि क्लैरेंडन और गोर्चाकोव के बीच जो व्यक्तिगत भेंट हुई थी, उसमें क्लैरेंडन ने कहा था "हमने शेर अली खाँ को साग्रह सम्मति दी है कि वह ऐसी हर कार्यवाही से अलग रहे जिससे रूस को किसी तरह के संदेह का अवसर मिल जाए और हमने उससे यह भी कह दिया है कि अगर उसने इससे उल्टी राह पर चलने का हठ किया, तो उसे इंग्लैंड से किसी भी स्थिति में कोई सहायता या सहानुभूति नहीं मिलेगी। उसे यह बताया जा चुका है और फिर बता दिया जाएगा जिससे भविष्य में किसी प्रकार की गलतफहमी का अवकाश न रहे"।[2] टेरेन्टिएफ के वक्तव्य की ध्वनि यह मालूम पड़ती है कि क्लैरेंडन रूस की इस घोषणा से पूरी तरह संतुष्ट हो गया था कि अब वह अपने व्यापार का ही विकास करेगा और नए-नए देश नहीं हथियाएगा।

लार्ड क्लैरेंडन के इस प्रस्ताव का भारत में समर्थन नहीं हुआ कि मध्य एशिया में रूस और इंग्लैंड के प्रदेशों के बीच तटस्थ क्षेत्र की स्थापना कर दी जाए और इस क्षेत्र की तटस्थता की रक्षा का आश्वासन देने के लिए रूस के साथ एक संधि हो जाए।[3] इसका कारण यह न था कि लार्ड मेयो की सरकार रूस के साथ समझौता करने के विरुद्ध थी बल्कि यह था कि वह समझती थी कि तटस्थता के असली मायने क्या हो सकते हैं। उसके जो भी मनसूबे निकलते थे उनकी न तो अफगानिस्तान के साथ स्थापित संबंधों के साथ संगति थी और न इस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के भावी हितों के साथ। लार्ड मेयो रूस के साथ स्थायी मैत्री-संबंध रखना चाहता था और उसकी इस उद्देश्य के प्रति पूरी सहानु-

1 क्लैरेंडन का बुचानन को पत्र, 27 मार्च, 1869, पत्राचार, मध्य एशिया, सं 2 (1873)), पृ 1-2, आर्गाइल, II, पृ 283

2. टेरेन्टिएफ, II, पृ 126, क्लैरेंडन ने 3 सितंबर, 1869 को बुचानन को जो पत्र लिखा था, उसमें वार्तालाप का वृत्तांत दिया हुआ है। मध्य एशिया (2), 1873, पृ 9-10 क्लैरेंडन ने रूस के इस सुझाव पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं की कि अफगानिस्तान को एक तटस्थ क्षेत्र मान लिया जाए, पर लगता है कि उसने इसका पूर्ण रूप में अनुमोदन भी नहीं किया था।

3. भारत-मंत्री को भेजे गए प्रेषण सं 177, 3 जून, 1869 में ये विचार स्पष्ट रूप में व्यक्त किए गए हैं। इस पैरा में और आगे के पैराओं में इस प्रेषण से उद्धरण दिए गए हैं।

भूति थी कि 'एशिया में इंगलैंड और रूस के हितों की सापेक्ष स्थिति के बारे में रूसी सम्राट की सरकार के साथ खरा और स्पष्ट समझौता किया जाए'।[1] फिर भी उसका यह विश्वास न था कि क्लैरेंडन ने इस समझौते की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है वह भारत के हित में होगी। इसलिए पडोसी राज्यों के प्रति अपनी नीति का पूर्वाभास देते हुए उसने कहा था इन राज्यों के शासकों को और संसार को यह दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा कि हमारी प्रदेश विस्तार की नीति समाप्त हो चुकी है, कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि वह सशक्त और स्वतंत्र बनने में उनकी मदद करे कि विदेशी आक्रमण से उनकी सुरक्षा का मुख्य उपाय यह है कि उनकी ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैत्री संधि हो और यह कि न्यायपूर्ण और श्रेष्ठ प्रशासन द्वारा अपनी प्रजा की हार्दिक निष्ठा तथा पडोसी राज्यों का आदर-सम्मान प्राप्त करना उनकी शक्ति में है।[2] सीमान्त के तीन राज्यों—कलात अफगानिस्तान और काशगर—के प्रति यह नीति लागू करने का प्रयत्न किया गया। कलात के संबंध में उस पर अमल करने का अर्थ यह था कि फारस के आक्रमणों से उसकी रक्षा की जाए। इसलिए मेयो की इच्छा थी कि उपयुक्त अवसर पर फारस के शाह और कलात के खान के प्रदेशों के बीच सीमा निर्धारण के लिए कार्यवाही की जाए।[3] अफगानिस्तान के अमीर को भी यह आश्वासन देने की आवश्यकता थी कि अगर पश्चिम दिशा से संकट के बादल उठे तो उसकी रक्षा की जाएगी। इसके साथ ही अमीर को यह विश्वास दिलाया गया कि अगर उस पर बुखारा या तुर्किस्तान की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो भारत सरकार से वह यह आशा कर सकता है कि वह उसे सशक्त करेगी और अपने न्यायोचित प्रदेशों की रक्षा करने के योग्य बनाएगी।[4] मेयो की सरकार को यह भी आशा थी कि वह शीघ्र ही उसके (यारकंद के) निवासियों के साथ मैत्री और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर सकेगी।[5] अस्तु कुरछिया से लेकर तिब्बत तक की सीमांत राज्य शृंखला के बारे में भारत सरकार की नीति यह थी कि उनके शासक यह समझने लग जाएँ कि हमारी इच्छा यह है कि उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और हम उनके बीच राष्ट्रीय—और फलत उनके विचारों के अनुसार लोकप्रिय—शासन की स्थापना करना चाहते हैं।[6]

इस नीति का उद्देश्य इन राज्यों में ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र की स्थापना करना था। इसलिए इन दशा के संबंध में निरपेक्ष तटस्थता की ऐसी किसी घोषणा का ब्रिटिश नीतिज्ञों की आकांक्षाओं और इरादों से मेल नहीं बैठ पाता था "जिसके पीछे किसी यूरोपीय राज्य के साथ की गई संधि का बल हो क्योंकि ब्रिटिश नीति को अडियल और ढीठ कबीलों को अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव के लिए बल प्रयोग करने तक से संकोच न था। मेयो की सरकार ने लिखा था, हो सकता है कुछ अवसरों पर हम कानून अपने हाथ में लेना पड जाए" और उस स्थिति में तटस्थता की संधि बहुत अधिक असु-

1 वही, पैरा 31
2 प्रेषण 3 जून, 1869, पैरा 8
3 वही, पैरा 10
4 वही, पैरा 14
5 वही, पैरा 19
6 वही पैरा 20

विभाजनक सिद्ध होगी—जैसे बेल्जियम के संदर्भ में। अत, उसका कहना था, "हमारी सम्मति में इस देश में अपना बल और शक्ति बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि अपने सीमान्त पर रहने वाली जातियों के साथ अपने व्यवहार के लिए हम किसी विदेशी शासक के प्रति उत्तरदायी न हों। इस समय तो उनके मन में हमारे न्याय के प्रति सम्मान है और हमारी शक्ति के प्रति भय, पर यदि उन्होंने एक बार भी यह समझ लिया कि वे किसी विदेशी प्रभाव का आश्रय लेकर हमारे कार्य में इस प्रकार की बाधा प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनके प्रति हमारे व्यवहार में स्वतन्त्रता का कम अवकाश रह जाए, तो हमारी वर्तमान स्थिति एकदम बदल जाएगी और उनके साथ हमारा संबंध संकट का स्रोत बन जाएगा जो तुरन्त आएगा और आगे भी सदा बना रहेगा"।[1] जब साम्राज्यवाद का पिछड़ी रियासती जातियों से संपर्क हुआ, तब उसने अपने विस्तार की प्रक्रिया में न तो किसी विदेशी राज्य का किसी तरह का हस्तक्षेप सहा और न किन्हीं बंधनकारी शर्तों का। मेयो का विचार था कि अगर सीमावर्ती राज्यों को तटस्थ बनाने के लिए रूस के साथ कोई संधि की गई तो वह दोनों साम्राज्यों के बीच लड़ाई की जड़ बन जाएगी और सदा हरी रहेगी। फिर, उस स्थिति में भारत सरकार यह गंभीर घोषणा करने में असमर्थ थी कि "ब्रिटिश सिपाही किसी भी परिस्थिति में हमारी पश्चिमी या उत्तरी सीमाएँ पार नहीं करेगा, कि सैनिक या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं विशिष्ट स्थानों पर कुछ समय के लिए कब्जा नहीं किया जाएगा या किसी आक्रामक कबीले को दंड देना, अथवा जीत तक पाना हमारी शक्ति के बाहर रहेगा"।[2] रूस से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह अपने विस्तार के बारे में इस तरह के कोई प्रतिबंध मानेगा। इसलिए मेयो की सरकार अफगानिस्तान या अन्य किसी सीमान्त राज्य के तटस्थीकरण के लिए रूस के साथ कोई निश्चित संधि करने के विरुद्ध थी। वह केवल यह चाहती थी कि ब्रिटिश सीमान्त और रूसी सीमा के बीच स्वतन्त्र राज्यों की एक चौड़ी सीमा-रेखा रहे और इस प्रयोजन के लिए रूस से यह कहा जाए कि कलात, अफगानिस्तान और यारकंद के चारों ओर के क्षेत्रों के प्रति हम जिस नीति के पालन की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रस्तुत हैं वह भी खीव तथा अन्य संबद्ध राज्यों के प्रति वैसी ही नीति अपनाए। आवश्यकता केवल एक ही बात की थी—"पारस्परिक निर्हस्तक्षेप की प्रतिज्ञा की जिसकी किसी संधि में पुष्टि न हुई हो"।[3]

भारत सरकार ने लार्ड क्लैरेंडन का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि "इंगलैंड और रूस के अधिकृत प्रदेशों के बीच किसी क्षेत्र को तटस्थ मान लिया जाए और वह क्षेत्र इन अधिकृत प्रदेशों की सीमा हो तथा दोनों देश उसका सच्चे मन से सम्मान करें"।[4] भारत सरकार के इस निर्णय के अनेक कारण हो सकते हैं—हो सकता है उसे रूस की ईमानदारी में संदेह हो कि वह अपने वचनों का पालन करेगा, उसे वास्तव में यह शंका थी कि तटस्थता-करार से शान्ति की स्थापना हो सकती है, या ब्रिटिश साम्राज्य अपने

---

1 प्रेषण, 3 जून, 1869 पैरा 32-33
2 वही, पैरा 38
3 वही, पैरा 39-40
4 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 30 जून, 1873, पैरा 3, एस. डी. एस पी., जून, 1873, सं. 366

दुर्बल पड़ोसी राज्यों के प्रति मनमानी करने की स्वतन्त्रता चाहता हो। लगता है रूस ने भी यह सुझाव इसके पूरे निहितार्थ के सहित स्वीकार नहीं किया था। बैरन ब्रुनो के वक्तव्य से स्पष्ट है कि रूसी चासलर तटस्थता-सिद्धान्त को अफगानिस्तान के ऊपर लागू करने के लिए तो उत्सुक था, पर वह इस सिद्धांत को उन क्षेत्रों के ऊपर लागू करना नहीं चाहता था जो उस समय रूस के प्रभाव में थे या जिनकी उसके प्रभाव में आने की संभावना थी। ब्रुनो ने सिर्फ यह 'निश्चित आश्वासन दिया कि रूस को जिस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, रूस के महामान्य सम्राट् अफगानिस्तान को उससे बिल्कुल बाहर समझते हैं। उनका इरादा ऐसा कोई हस्तक्षेप करने का नहीं है जो इस राज्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो।'[1] इस वक्तव्य में बुखारा, कोहकद या खीव का कोई उल्लेख न था क्योंकि रूस का यह इरादा कतई न था कि इन राज्यों को भी तटस्थ क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जाए।

इसी बीच भारत सरकार ने अफगानिस्तान और अन्य सीमांत राज्यों के प्रति अपनी नीति का जो स्पष्ट विश्लेषण किया, उसके फलस्वरूप क्लैरेंडन ने अपना पैंतरा बदल दिया और रूसी सरकार को सूचना दी कि जिस तरह के तटस्थ क्षेत्र की स्थापना दोनों सरकारों का उद्देश्य है, अफगानिस्तान उसकी शर्तें पूरी नहीं करता और इसलिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित प्रतीत हुआ है कि आक्सस को ऐसी सीमा-रेखा मान लिया जाए जिसके आगे कोई भी देश अपने सिपाहियों को पाँव न रखने दे।[2] किंतु, 1869 में लॉर्ड क्लैरेंडन और प्रिंस गोर्चाकोव की हीडेलबर्ग में जो बैठक हुई थी, उसमें और फिर जब डगलस फोर्सीथ इस साल के उत्तरार्ध में सेंट पीटर्सबर्ग गया था, तब, इस विषय पर विचार किया गया था। अंत में तय हुआ कि 'अफगानिस्तान के अमीर के अधिकार में जो प्रांत इस समय है, उसे, उनके आगे हस्तक्षेप करने या प्रभाव डालने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कि इंगलैंड को अपने सत्प्रयासों द्वारा उसे आक्रमण के विचार से विरत कर देना चाहिए और इसी तरह रूस को बुखारा पर प्रभाव डालकर उसे अफगानिस्तान की सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकना चाहिए। रूस का बुखारा पर कितना प्रभाव है, इस संबंध में गोर्चाकोव ने कुछ संदेह व्यक्त किया, पर उसने कहा कि "बुखारा के शासक को अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक कार्यों से विरत करने में कठिनाई न होनी चाहिए"। उसे विश्वास था कि कोहकद रूस की सलाह पर चलेगा। यारकद के संबंध में उसने विश्वास दिलाया कि 'उसके (अतालिक गाजी के) प्रति रूस का न तो कोई वैरभाव है और न वह उसके राज्य के किसी भाग को जीतना चाहता है'।[3] इस तरह,

1 गोर्चाकोव का ब्रुनो के नाम संवाद, 24 फरवरी, (7 मार्च) 1869 मध्य एशिया, सं 2 (1873), पृ 3

2 क्लैरेंडन का रमोल्ड के नाम संवाद, 17 अप्रैल, 1869, मध्य एशिया (2), 1873, पृ 4

3 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, 30 जून, 1873, एफ डी एस पी 1873, जून, सं 336, एफ डी एस पी, अप्रैल 1872, सं 1-38, जनवरी, 1873, सं 153-157 मार्च 1873 सं 25-97, मध्य एशिया, (2) 1873 और मध्य एशिया के संबंध में रूस से पत्र-व्यवहार 1873 (C—699), आर्गील, II, अध्याय IX इन कागज-पत्रों में बातचीत का विवरण दिया गया है।

रूस ने यह माना कि अफगानिस्तान उसके प्रभाव-क्षेत्र से बाहर है और उस पर आक्रमण करने की उसकी कोई नीयत नहीं है। यारकन्द का भी इसी तरह का क्षेत्र घोषित किया गया। परोक्ष रूप से यह भी मान लिया गया कि अफगानिस्तान ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र में है और बुखारा तथा कोहकन्द रूसी प्रभाव-क्षेत्र में। खीव की कोई चर्चा नहीं हुई। उपरली आक्सस का स्थूल रूप में इन दोनों क्षेत्रों का विभाजित करने वाली रेखा मान लिया गया था पर उसकी इन दोनों क्षेत्रों की विभाजक-रेखा के रूप में पुष्टि से पहले यह आवश्यक था कि अफगानिस्तान के सीमाओं का निर्धारण कर दिया जाए। 1869 की बातचीत मध्यवर्ती राज्यों की स्थापना के प्रस्ताव से आरंभ हुई थी, पर उसका अंत प्रभाव-क्षेत्रों की स्वीकृति के प्रस्ताव से हुआ।

1869 में विचारों के आदान-प्रदान के फलस्वरूप इस आधार पर करार हुआ था कि अफगानिस्तान उस क्षेत्र के बाहर है जिसमें रूस की दिलचस्पी है और उस समय जितने क्षेत्र पर शेर अली का वास्तव में अधिकार था, वही क्षेत्र अफगानिस्तान की सीमाएँ थीं। यह भी स्वीकार किया गया था कि यह तो ब्रिटिश सरकार का दायित्व है कि वह अमीर को उसके सीमान से आगे न बढ़ने दे और यह रूसी साम्राज्य का कि वह बुखारा के अमीर को अफगान राज पर हमला करने से रोके। यह बात पूरी तरह मान ली गई थी कि भारत सरकार का शेर अली और यारकन्द के शासक अतालिक गाजी के ऊपर प्रभाव है और रूस का बुखारा तथा कोहकन्द के ऊपर नियंत्रण है। जब 1869 के अंत में भारत सरकार ने ज़ार की सरकार से यह इच्छा व्यक्त की थी कि 'हमने अफगानिस्तान के प्रति जो नीति अपनाई है वही नीति आप मध्य एशिया में रूसी क्षेत्रों के सीमावर्ती देशों के प्रति अपनाएँ तब उसने इसी की माँग की थी'। विश्वास था कि इस नीति के फलस्वरूप सीमान्त पर करद या तटस्थ राज्यों की नहीं बल्कि प्रभावित राज्यों की कतार बिछ जाएगी उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी और इस क्षेत्र में सदियों से संघर्ष और आतरिक उपद्रव की जो स्थिति रही है, उसका सदा के लिए अंत हो जाएगा"।[1] यह नीति शान्ति का साधन थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने अफगानों के साथ अपने संबंधों की स्थिति को छिपा कर नहीं रखा और रूस को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे सदा अधिकार बिना अफगानिस्तान की अखंडता की रक्षा की है और अंबाला में उसका शेर अली से जो समझौता हुआ है उसके अनुसार कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में वह शेर अली की सहायता करने को बाध्य है।[2]

1869 में जब फोर्सीथ ने सेंट पीटर्सबर्ग में तटस्थ क्षेत्र के विषय में रूसी सरकार से बातचीत की थी तब उसने इस बात पर ज़ोर दिया था कि इस तटस्थ क्षेत्र में वे सारे प्रदेश होने चाहिएँ जिन पर शेर अली मुहम्मद का अधिकार रहा था। सरकार केवल इस बात के लिए सहमत हुई थी कि वह अपने गवर्नर जनरल कॉफमन को इस तरह के प्रदेशों के विस्तार के बारे में सावधानी से एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे देगी। बाद में जब तटस्थ क्षेत्र का प्रस्ताव छोड़ दिया गया, और यह सुझाव दिया गया कि उपरली आक्सस को दोनों प्रभाव-क्षेत्रों की विभाजक रेखा माना जाए, तब भारत और ब्रिटेन

1 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, सं 366, 30 जून, 1873, पैरा 11

2 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण 30 जून, 1873, पैरा 10, 16, 17, 18.

की सरकारों ने बारबार आग्रह किया था कि अफगानिस्तान की सीमाएँ निर्धारित कर दी जाएँ और इन सीमाओं को रूस तथा इंगलैंड दोनों स्वीकार करें। लगता है कि कोफमन की रिपोर्ट की चिरकाल तक प्रतीक्षा होती रही, पर वह कभी तैयार न हो सकी।

अन्त में, ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि बातचीत के द्वारा अफगानिस्तान का सीमान्त तय करने के फोर्साथ के प्रस्ताव के विरुद्ध, एकपक्षीय घोषणा द्वारा शेर अली के राज की सीमाएँ निर्धारित कर दी जाएँ और ज़ार सरकार को सेवा में प्रायः निष्पन्न तथ्य प्रस्तुत किए जाएँ। फलत, सेंट पीटर्सबर्ग के दरबार में स्थित ब्रिटिश राजदूत ने रूसी सरकार को ब्रिटिश विदेश-मन्त्रालय के निर्णय की सूचना निम्नलिखित शब्दों में दी —

"महामहिम साम्राज्ञी की सरकार की सम्मति में यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध है कि काबुल के अमीर (शेर अली) का नीचे की ओर आक्सस पर्यन्त खोजा सलेह तक के क्षेत्रों पर स्वामित्व का अधिकार है। यही उनका विश्वास है और उसने अमीर को यह बता भी दिया है कि अगर उनके इन क्षेत्रों पर हमला हो, तो उसे उनकी रक्षा करने का अधिकार होगा।

"दूसरी ओर भारत में स्थित महामहिम साम्राज्ञी की सरकार के अधिकारियों ने अपने इस निश्चय की घोषणा कर दी है कि अगर अमीर ने अपनी सल्तनत को इन सीमाओं के आगे जाने की प्रवृत्ति का परिचय दिया, तो वे अमीर के प्रति कड़ा विरोध प्रकट करेंगे।

"अब तक भारत सरकार ने अमीर को जो-जो सलाह दी है, अमीर उसे सहर्ष स्वीकार करता रहा है और भारत सरकार ने उससे जो शान्तिपूर्ण नीति अपनाने की सिफारिश की है, उसे उसने हृदय से स्वीकार किया है क्योंकि भारत सरकार ने इस सलाह के साथ-साथ यह आश्वासन भी दिया है कि अमीर के सीमान्त के परे जो शक्तियाँ रूस के प्रभाव में हैं, वे भी इसी तरह अफगानिस्तान की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगी ·

"महामहिम साम्राज्ञी की सरकार का विश्वास है कि अब यह रूसी सरकार के बस में है कि काबुल का अमीर जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताता है, जिन क्षेत्रों को बुखारा भी उसका मानता है और जिनके बारे में अब तक के सारे साक्ष्य से यही सिद्ध होता है कि उन पर उसका वास्तविक तथा यथार्थ स्वामित्व है, उन पर वह स्पष्ट रूप से काबुल के अमीर का अधिकार स्वीकार कर ले और इन क्षेत्रों में स्थायी शान्ति और समृद्धि की स्थापना करने में और एशिया में इंगलैंड और रूस की नीतियों का प्रश्न लेकर उनके बीच ईर्ष्या तथा अशान्ति का जो भी कारण हो, उसे इस तरह के उपायों द्वारा सदा के लिए दूर करने में ब्रिटिश सरकार का हाथ बँटाए।

" महामहिम साम्राज्ञी की सरकार के विचार में जो क्षेत्र और सीमाएँ पूरी तरह से काबुल के अमीर की हो सकती है, मैं उनका उल्लेख करता हूँ

(1) बदख्शाँ जिसमें पूर्व में सारीकुल से लेकर ओक्सस (या पंजाब) के साथ

कोकचा नदी के संगम तक वाखन के स्वतंत्र क्षेत्र भी सम्मिलित हैं और जो इस समूचे अफगान प्रांत की उत्तरी सीमा है।

(२) कुन्दुज, खुल्म और बल्ख के क्षेत्रों से युक्त अफगान तुर्किस्तान जिसकी उत्तरी सीमा बुखारा से बल्ख तक के राजमार्ग सहित कोकचा नदी के संगम से ख्वाजा सालेह की चौकी तक आक्सस की रेखा होगी। अफगानिस्तान का अमीर ख्वाजा सालेह के नीचे आक्सस के बाएँ किनारे पर स्थित किसी भी भाग का दावा न कर सकेगा।

(३) अकचा, सिरीपुल, मैमाना, शिबरगान और अन्दखोई के अन्दर के क्षेत्र जिनमें से अंतिम क्षेत्र उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान की चरम सीमांत होगी। इसके पार के निर्जन मरुभाग पर के आज़ाद तुर्कमान कबीलों का अधिकार रहेगा।[1]

यह आइन्दा सहमत हुई। रूसी सरकार के सामने एक निर्णय एक निष्पन्न तथ्य प्रस्तुत किया गया जिसे उसने अंततः पूरी तरह स्वीकार किया—हालांकि उसे कुछ समय तक बदख्शाँ और वाखन के अफगान राज में सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति रही क्योंकि वह इन इलाकों को स्वतंत्र राज समझती थी। लगता है कि रूस की तटस्थ क्षेत्र की जो धारणा थी उसमें बुखारा और अफगानिस्तान के बीच में पड़ने वाले ये क्षेत्र भी आते थे। इस तरह के तटस्थ क्षेत्र में रूस की स्थिति आरंभ में ही प्रबल हो सकती थी और वह आक्सस के दक्षिण में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता था तथा इस नीति से वह अंततः न केवल अफगानिस्तान को ही अपने अधीन कर सकता था बल्कि भारत की ओर आने वाले मार्ग पर सामरिक दृष्टि से जो भी सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान थे उन सब पर मजबूती से अपने पैर जमा सकता था। ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और इसलिए उसने आग्रह किया कि बदख्शाँ और वाखन को अफगानिस्तान का भाग माना जाए और अंत में हुआ भी यही।

यहाँ इस बात की छानबीन करना उचित होगा कि इस करार का रूस के हितों तथा आंग्ल-अफगान संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। राजनयिक दृष्टि से यह करार ब्रिटिश नीति की विजय थी क्योंकि यह समझा गया था कि इससे मध्य एशिया में शांति की स्थापना होगी और सीमांत राज्यों में आंग्ल तथा रूसी प्रभाव की फिर से प्रतिष्ठा होगी। पर इस नीति को जिस ढंग से कार्यान्वित किया गया था उससे रूसी सरकार के मन में सन्देह का अंकुर उगा होगा। मिशन ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा था कि ग्रेट ब्रिटेन की यह निश्चित नीति रूस को अस्वीकार नहीं क्योंकि तटस्थ क्षेत्र के विचार को त्याग देने के कारण आंग्ल भारतीय सरकार के लिए यह संभव हो गया था कि वे अफगानिस्तान में बहुत स्पष्ट और गहरी दिलचस्पी दिखाएँ। इससे रूस की उत्तरी सीमा पर अफगान राज्य को सुदृढ़ करने में, मध्य एशिया में रूस की सैनिक एवं राजनीतिक स्थिति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता था। इस साधन से मध्य एशिया के सरदारों को अपने रूसी विजेताओं को निकाल बाहर करने के लिए अफगानिस्तान के अमीर के साथ सांठ-गांठ करने का रास्ता खुल गया। यह इस व्यवस्था की पहली

---

1 [illegible] 1873 जनवरी में 153 154 157

विशेषता थी। दूसरी बात यह थी कि चूंकि 'समूचे मध्य एशिया में यह समझा गया था कि यह करार एक ऐसा कदम है जिससे रूस के लिए खतरा पैदा होगा अतः, इससे मध्य एशिया में रूस का विस्तार और प्रभाव दोनों ही कम हो जाएँगे।" अपने अपरिपक्व आशावाद के कारण मिसेज यहाँ तक सोच बैठा कि चूंकि "मध्य एशिया में अपनी स्थिति के कारण रूस उतना सुरक्षित नहीं अतः उसे बुखारा, खीव और कोहकंद तक में दृढ़ तथा लाभकर स्थिति पाने के लिए अंग्रेजों की सद्भावना प्राप्त करनी पड़ेगी। उसका निष्कर्ष था कि जैसे ही ब्रिटिश प्रभाव की सूचक चौकियाँ सुनिश्चित और आसानी से रक्षित मार्ग पर दृढ़ता से स्थापित हो जाएँगी और मर्व तथा हेरात को उन शत्रुओं के खतरे से निरापद कर दिया जाएगा जो वहाँ अंग्रेजों के आधिपत्य अथवा हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं वैसे ही इंगलैंड इस स्थिति में हो जाएगा कि वह नीचे ऑक्सस तक मध्य एशिया के सारे मैदानों पर रूस के नियंत्रण की आसानी से उपेक्षा कर दे।[1] बाद के घटना क्रम में इस बात की परीक्षा हो जा सकती है कि इस तरह का आशावाद उचित था या नहीं। एक बात निश्चित है कि अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा की इस स्पष्ट और आकस्मिक घोषणा के फलस्वरूप खीव का बड़ी शीघ्रता से अंत हो गया और रूस की यह इच्छा हुई कि वह अपने प्रदेशों तथा अफगानिस्तान के मान्य सीमांत के बीच की दूरी को पाट दे। रूस ने अपने इस इरादे की पुष्टि भी की कि वह अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर समझेगा। मध्य एशिया में उसके प्रतिनिधियों ने इस दृष्टिकोण को दुहराया और इसी आधार पर काबुल के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया।

मेयो ने शेर अली के साथ जो संबंध स्थापित किए थे, यह सीमा-करार उनका युक्तिसंगत निष्कर्ष था। अफगानिस्तान के प्रति भारत की जो नीति थी, वह अमीर के सम्मुख शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई थी और न इस तरह कोई संधि की गई थी कि अमीर को अंग्रेजी फौजों की सहायता मिलेगी। फिर भी भारत सरकार ने उसको बहुत स्पष्ट आश्वासन दे दिया था अर्थात अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता ब्रिटिश भारत के हितों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के ऊपर किए गए हमले के प्रति उदासीन नहीं रह सकती। जब तक अमीर अपने पड़ोसियों के साथ हमारे परामर्श के अनुसार संबंध बनाए रखेगा तब तक स्वभावतः वह ठोस सहायता के लिए हमारा मुँह ताकेगा और ऐसी परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं कि हम महामहिम साम्राज्ञी की सरकार से यह सिफारिश करना आवश्यक समझें कि उसे इस तरह की सहायता दी जाए।[2] इस नीति से सारे रूसी सरकार को बता दिया गया था और उसने यह स्वीकार कर लिया कि काबुल में भारत ब्रिटिश सरकार की स्थिति सबसे ऊँची है।

---

1 मेमोरेंडम ऑन सेंट्रल एशिया—बाउंड्रीज ऑफ बुखारा एंड अफगानिस्तान, बाय गवर्ड सिसेज, 16 दिसंबर, 1872, एफ डी एस पी, 1873, मार्च, सं 33, मेमोरेंडम ऑन द स्टेट ऑफ करेसपोंडेंस विद रशा ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, बाय सिसेज, एफ डी एस पी, 1873, मई, सं 132.

2 भारत-मंत्री को प्रेषण, 30 जून, 1873 पैरा 18

इसके साथ ही दोनों सरकारों ने अपना यह उत्तरदायित्व भी स्वीकार किया कि वे अपने रक्षित राज्यों को 'एक दूसरे के ऊपर हमला करने' से रोकेंगी। अफगान सीमा-निर्णय के फलस्वरूप भारत सरकार ने अपना यह अधिकार और दायित्व मान लिया था कि वह "अपने सारे प्रभाव का उपयोग अमीर को यह सीमा पार करने से रोकने के लिए करे' और रूस ने भी अपना यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया था कि वह "बुखारा तथा दूसरे राज्यों को अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से रोके"।[1] अस्तु, अफगानिस्तान की सुख शांति इस बात पर निर्भर थी कि उस समय अमीर की जो सीमाएँ निश्चित की गई थीं वह उन्हीं तक सीमित रहे और तब उसे 'रूस या उसके प्रभाव में रहने वाले देशों की ओर से छेड़-छाड़ का कोई डर नहीं रहेगा"।[2] यदि भारत सरकार अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थी और यदि उसने अफगानिस्तान की अखंडता की रक्षा के संबंध में रूस से समझौता किया था, तो फिर यह मान लेना स्वाभाविक था कि अपने पड़ोसियों के प्रति अफगानिस्तान के संबंधों पर भारत सरकार का नियंत्रण होगा। पर उस यह स्थिति बनाए रखने में तभी तक सफलता मिल सकती थी जब तक कि रूस अपना प्रभाव या प्रादेशिक अधिकार अफगान सीमांत के निकटतम न बढ़ाता और अमीर को भारत सरकार के मैत्री के, व्यक्त या अव्यक्त, इरादों में पूरा विश्वास बना रहता। अमीर को अपने पड़ोसियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से रोके रखा गया था और यह बात उसकी महत्वाकांक्षाओं और प्रवृत्तियों दोनों के विरोध में पड़ती थी। भारत सरकार की नेकनीयती में उसका पूरा विश्वास था। पर, 1872 के बाद की घटनाओं के फलस्वरूप अमीर अपनी सुरक्षा के प्रति सशंक और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उत्सुक हो उठा था। इसके दो कारण थे—एक तो यह कि मध्य एशिया में रूस निरंतर अपना विस्तार करता जा रहा था और दूसरा यह कि मेयो के अस्पष्ट वायदों ने शेर अली के मन में जो झूठी आशाएं जगा दी थीं, भारत सरकार ने अपने सचेत प्रयत्नों के द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया।

जब रूस ने अफगानिस्तान की उत्तरी सीमाओं को स्वीकार कर लिया, तब ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए उत्सुक हुई कि वह इस सीमा को बिल्कुल निश्चित करा दे और बाद की राजनयिक वार्त्ता का यही मुख्य उद्देश्य हो गया। इस बीच यही नीति अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा के बारे में अपनाई गई थी जिसमें फारस की बेहद दिलचस्पी थी। यह एक महत्वपूर्ण कदम था कि फारस और अफगानिस्तान के बीच शत्रुता के संबंधों को रोकने के लिए सीस्तान-सीमा का निर्धारण हो गया और इसके फलस्वरूप अफगानिस्तान का यह भय दूर हो गया कि उसका पश्चिमी पड़ोसी कभी उस पर हमला करेगा। इसी तरह फारस और कलात के बीच की सीमाएँ तय करके कलात की सुरक्षा का प्रयत्न किया गया। इतना ही नहीं, काशगर-यारकंद के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयत्न किए गए और रूस को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वह इस सल्तनत को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर घोषित कर दे। इस देश के साथ अनेक राजनीतिक-वाणिज्यिक करार किए गए जिनमें कि रूस के आक्रमण को रोकने वाली

1 वही, पैरा 20.
2 वही।

शृखला मे वह भी अफगानिस्तान या कलात की ही तरह मजबूत कडी का काम दे। यद्यपि उस समय उसकी सीमाएँ तय नही की गई थी, पर भारत सरकार के सदर्भ मे उसकी स्थिति को रूस ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया था।

लार्ड मेयो के वायसराय बनने के तीन साल के भीतर ये जो घटनाएँ घटी उनका उद्देश्य यह था कि एशिया मे आश्रित राज्यो का एक मडल बन जाए जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ हो। ये राज्य बीच मे ही रूस के आघातो को सह सकते थे और मध्य एशिया मे अँग्रेजो का प्रभाव बढाने के अग्रिम साधन बन सकते थे। यह सफलता भारत सरकार की विदेश नीति मे पूर्ण रूप से व्यक्त हुई और इस विदेश नीति का *स्पष्ट निरूपण निम्नलिखित शब्दो मे किया गया था*

'हमे अपने सीमात राज्यो—अफगानिस्तान कलात नेपाल और बर्मा के साथ, और आगे चलकर शायद कभी यारकन्द—के साथ घनिष्ठ मैत्री-सबधो की स्थापना करनी चाहिए, हम उन्हें यह विश्वास दिला देना चाहिए कि यद्यपि हम सर्व शक्तिशाली है फिर भी उनकी सत्ता को खडित करने की हमारी बिल्कुल इच्छा नही है इसके विपरीत हमारी तो प्रबल इच्छा यह है कि हम उनकी शक्ति को सहारा दे और उनकी राष्ट्रीयता की रक्षा करे, और अगर दुर्निवार आवश्यकता आ पडे तो हम उनकी धन से शस्त्रास्त्रो से और कुछ परिस्थितियो मे सेना तक से सहायता करे। इस तरह, इन राज्यो मे हम अपने *साम्राज्य की बाहरी चौकियाँ बना सकते है और उन्हे यह विश्वास दिला कर कि अब* वे दिन नही रहे कि कोई किसी क्षेत्र को जबरन अपने राज्य मे मिला ले, उनके मन मे यह बात जमा सकते हैं *कि अगर वे हमारी कृपा और सहायता पाने का प्रयत्न करेंगे*, तो इससे उन्हे लाभ ही लाभ होगा, हानि नही। इस नीति के विकास मे साला लग सकते हैं। अब तक भारत मे हमारी जो नीति रही है, यह उसके विरुद्ध है, पर अगर यह नीति एक बार जम गई, मान ली गई और समझ ली गई, तो हमारा साम्राज्य अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो जाएगा'।

अध्याय 5

मकरान और सीस्तान

पिछले अध्याय में जिस नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसके कारण भारत और ब्रिटेन की सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे सीमा पार के राज्यों के आक्रमणों से सीमावर्ती राज्यों की पूर्ण अखंडता की रक्षा करें ताकि उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक सहायता का वचन दिए बिना ही वे उन पर अपना प्रभाव जमाए रख सकें। भारत सरकार ने रूस के साथ जो समझौता किया था, उसका उद्देश्य अफगानिस्तान के उत्तरी सीमांत की रक्षा-व्यवस्था को और दृढ़ करना था। पर, अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा अनिश्चित थी और उस पर फारस के आक्रमण का डर बना रहता था। इसी तरह, कलात का राज्य सिंध की ओर भारत के सीमांत पर स्थित था और उसने भारत सरकार के साथ मित्रता और सहायता के निश्चित संबंध स्थापित कर रखे थे। भारत सरकार को फारस-साम्राज्य के हमलों से इस राज्य की भी रक्षा करनी थी। लार्ड मेयो के शासन-काल में ये दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए थे क्योंकि तुर्कमान में रूस के क्रमिक विस्तार से फारस इस बात के लिए विवश हो गया था कि अपने पूर्वी सीमांत के जिन क्षेत्रों पर उसका परंपरागत पर साथ ही निस्सार दावा था, उन क्षेत्रों को हड़प कर वह अपनी क्षतिपूर्ति करे। भारत और इंगलैंड की सरकारों ने सीमांत का निर्धारण करने, और इस प्रकार शांति की स्थापना करने के लिए विवाचन (arbitration) की पद्धति ग्रहण की।

भारत सरकार कलात और फारस या अफगानिस्तान और फारस के विवादों में सक्रिय हस्तक्षेप करने के लिए जिस प्रयोजन से प्रवृत्त हुई थी, उसका भारत-मंत्री के नाम 2 सितंबर, 1869 के प्रेषण में ठीक-ठीक निरूपण किया गया था

> हम समझते हैं कि अगर फारस ने एक एक ऐसे सीमांत की स्थापना कर ली, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सीमांत से लगा हुआ हो, तो यह अत्यंत खेदजनक घटना होगी। हमारी सम्मति में एशिया में अंग्रेजों के हितों की, प्रभाव और शक्ति की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि विदेशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर निरंतर अडिग रहा जाए। इस समय हमारे पश्चिमी सीमांत की जो स्थिति है, उसे देखते हुए हमारे लिए फारस, तुर्की, रूस या अन्य किसी एशियाई शक्ति से सतत संपर्क

रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य सदा यह होगा कि कलात, अफगानिस्तान और अपनी सीमा पर स्थित अन्य छोटी-मोटी जातियों और कबीलों के साथ अधिक से अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएँ और इस प्रकार, उन्हें यह जता दिया जाए कि वे हमारी ओर से आक्रमण की कोई आशंका न रखें और हमारी नीति तथा इच्छा यह है कि उनकी तटस्थता को अन्य किसी देश के साथ संधि का विषय बनाए बिना उनकी स्वतंत्रता बनाए रखें और उनके राष्ट्रीय जीवन की रक्षा करें। पर, अगर हमारी आपत्ति और प्रयत्न के बिना फारस जैसे बड़े देश ने सिंध और मकरान के बीच पड़ने वाले क्षेत्र पर (भले ही यह क्षेत्र निर्जन और रहने-बसने के अनुपयुक्त हो) कभी अपना अधिकार जमा लिया, तो जिस नीति को हम ब्रिटिश हितों के लिए निरापद और बुद्धिमत्तापूर्ण समझते हैं, उसका अनायास ही अंत हो जाएगा।'[1]

जिस तरह रूस के संदर्भ में भारत सरकार यह चाहती थी कि उसके और रूस के बीच में 'प्रभावित और आश्रित राज्यों' की एक शृंखला बना दी जाए जो दोनों प्रतियोगी यूरोपीय साम्राज्यों के सीमांतों को एक-दूसरे से अलग रखे, उसी तरह फारस के संदर्भ में भी उसकी यह इच्छा थी कि कलात या अफगानिस्तान की स्वतंत्रता का अतिक्रमण देकर, उसे भारत की सीमा तक आने से रोका जाए। पर, फारस जिस नीति पर चल रहा था, उसने लॉर्ड मेयो की सरकार के मन में बरबस यह आशंका जगा दी थी कि "फारस सरकार का प्रयत्न यह है कि वह अपने साम्राज्य के दावों को पूर्व की दिशा में जितना भी बढ़ा सके, बढ़ाए"।[2] इसलिए, हित-साधन और वचन-पालन दोनों ही कारणों से भारत सरकार इस बात के लिए विवश हो गई कि वह कलात और फारस, तथा काबुल और तेहरान के विवादों में हस्तक्षेप करे और सीमा-निर्धारण करने के लिए तथा भारत के पश्चिमी सीमांत पर अराजकता तथा लड़ाई-झगड़े का अंत करने के लिए विवाचन की पद्धति सुझाए।

कलात ने भारत सरकार के साथ निश्चित संधि-संबंध स्थापित कर लिए थे और निरंतर अधीनता तथा मित्रता का दृष्टिकोण बनाए रखा था। जब सिंध भारत में अँग्रेजी राज में मिला लिया गया, तब उसके शीघ्र बाद, 1842 में, भारत सरकार की कलात के खान के साथ संधि हुई जिसके द्वारा भारत सरकार ने वचन दिया कि "अगर किसी प्रकट शत्रु ने नसीर खाँ पर हमला किया, या उसके और किसी विदेशी शक्ति के बीच मतभेद पैदा हो गया, तो भारत सरकार उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, उसे यथावश्यक और यथोचित सहायता देगी या विवादग्रस्त पक्षों के बीच मध्यस्थ का कार्य करने के लिए तैयार रहेगी।"[3] 1854 में दूसरी संधि हुई। इसमें ऊपर उद्धृत किए गए शब्दों को तो हटा दिया गया, पर मैत्री-संधि को अधिक निश्चित रूप दे दिया गया। खान ने अपने

1 भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, विदेश विभाग, गुप्त, सं 8, 2 सितंबर, 1869, पैरा 16-20, एस आई प्रोसीडिंग्ज, 1869, सं 135

2 वही, पैरा 22

3. ट्रीटीज एंड एन्गेजमेंट्स, VII, पृ 76, भारत-मंत्री को भेजे गए प्रेषण 2 सितंबर, 1869, पैरा 6 में उद्धृत।

ऊपर यह बंधन स्वीकार कर लिया कि वह भारत सरकार की सहमति के बिना दूसरे राज्यों से बातचीत नहीं करेगा और वह इस बात के लिए भी सहमत हो गया कि अँग्रेजी सेना उसकी सल्तनत में तैनात की जा सकती है अथवा आवश्यक होने पर उसकी सल्तनत के कुछ भाग को अपने आधिपत्य में ले सकती है।[1] इस संधि के फलस्वरूप उसकी स्थिति भारतीय नरेशों जैसी हो गई। उनके साथ भी प्राय इन्हीं शर्तों पर सहायक संधि (subsidiary alliance) की गई थी। अत बाहर के किसी आक्रमण से कलात की रक्षा करना अनिवार्य दायित्व था और यदि किसी ऐसे व्यक्ति या क्षेत्र के ऊपर कोई आक्रमण होता जिसे खान अपना करद (tributary) समझता हो तो वह भारत सरकार से परामर्श की और रक्षा की आशा कर सकता था। इस तरह जो संबंध स्थापित हुए वे आगे के वर्षों में और घनिष्ठ हो गए। यह एक स्वीकृत तथ्य था कि खान भारत सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य से बातचीत नहीं कर सकता था पर यदि मकरान में उसके प्रदेशों पर आक्रमण होता और यदि वह भारत सरकार की राजनयिक कार्यवाही द्वारा न रुकता तो उसका मुकाबला करने के लिए खान भारत सरकार से सहायता माँग सकता था। उस स्थिति के लिए लार्ड मेयो ने टीक ही निष्कर्ष निकाला था कि उस समय तो पूरी संभावना यह है कि अपने हाल के सारे नीति सिद्धांतों के विरुद्ध हमें लाचार होकर उसकी सक्रिय सहायता करनी पड़ेगी, या फिर यह हो सकता है कि हम सहायता न देने के लिए विवश हों और एक सच्चे मित्र को उसके भाग्य के सहारे छोड़ दें। यह विकल्प पूर्व में हमारे प्रभाव को बहुत ही क्षति पहुँचाएगा—न केवल मित्रों के बीच बल्कि करद राज्यों के बीच भी।'[2] भारत सरकार इस अंतिम स्थिति को श्रेयस्कर नहीं समझती थी। अत उसके लिए एक मात्र निश्चित नीति यह थी कि वह कलात की ओर फारस साम्राज्य के आक्रामक विस्तार को रोके और जो भी हमले हों उनका बल से या राजनय से प्रतिकार करे।

1869 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। बंपुर के इब्राहीम खाँ ने, प्रकट्त फारस के शाह के आदेश से फौज लेकर मकरान पर चढ़ाई कर दी और कदज ग्वादुर और चारबर के क्षेत्रों पर दावा किया। लगता है कि कलात तक को फारस-साम्राज्य के पूर्ववर्ती प्रदेशों का एक भाग समझा गया। तथ्यत जो प्रदेश कलात या उसके करद सामंतों के अधिकार में थे उनके विरुद्ध उठाए गए इस आक्रामक कदम से आशंका और रोष का ज्वर पैदा हो गया और उस समय मकरान में तार की लाइन लगाने के लिए जो ब्रिटिश पदाधिकारी तैनात किए गए थे उन्होंने विरोध प्रकट किया। फारस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों का यह आचरण उचित नहीं रहा और विवादास्पद क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताया तथा कदूज ग्वादुर और मकरान के अन्य क्षेत्रों के संबंध में अपनी माँग को उचित ठहराने के लिए तार अभिसमय (Telegraph Convention) के आधार पर अपने पक्ष की पुष्टि की। कलात का खान फारस के दावे स्वीकार करने के लिए तैयार न था और जब उसने अपने सामंत कदूज के सरदार को

1 वही।

2 भारत मंत्री के नाम प्रेषण, सं 22 13 नवंबर, 1869 पैरा 19 एफ डी एस आई प्रासीडिंग्ज, 1869 सं 266

भारत सरकार से मदद माँगने की सलाह दी, वहाँ बल प्रयोग द्वारा आक्रमण का सामना करने के लिए भी कमर कस ली। स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि विवाद मे भारत सरकार का सक्रिय हस्तक्षेप करना आवश्यक था। भारत सरकार के फारस के साथ अमैत्री-सबध न थे, पर कलात के साथ उसके कुछ ऐसे सबध थे कि राजनयिक उपायो द्वारा विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी सीधे उसके ऊपर आकर पडती थी और अगर वह विवाद को न सुलझा पाती, तो दोनो राज्यो के बीच सघर्ष की स्थिति मे फारस-साम्राज्य से लडने के लिए उसे कलात को सैनिक सहायता देनी पडती। भारत सरकार ऐसे समय फारस से लडाई मोल नही लेना चाहती थी जब उसे रूस के प्रभाव से दूर रखना सर्वथा आवश्यक था। फारस के साथ लडाई लडना किसी तरह उचित न था—न नीति की दृष्टि से, न स्वार्थ की दृष्टि से। दूसरी ओर भारत सरकार के सचिव एचिसन ने ठीक ही *लिखा था कि 'फारस को इस बात की अनुमति नही दी जा सकती कि वह धीरे-*धीरे अपने और हमारे सीमातो के बीच पडने वाले स्वतत्र या अर्द्ध-स्वतत्र राज्यो पर अधिकार कर ले और गृह सरकार से अनुरोध किया जा सकता है कि वह विवादो को शातिपूर्ण रीति से सुलझाने के लिए शाह के ऊपर भरसक दबाव डाले'।[1]

1863 मे कर्नल गोल्डस्मिड ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, उनके आधार पर भारत सरकार का दृढ विचार था कि 'कलात के उपात पर फारस की सीमा अनिर्दिष्ट या अनिश्चित थी, कि केदज, पजगूर, मुछ उर्फ और कुलज पर कलात का अधिकार था और अन्य तो प्रात फारस के थे। ये तो प्रात या तो फारस को कर देते थे या इनसे कर की माँग की जा सकती थी'। उनके विचार से फारस के शाह का कलात के खान के प्रातो पर न तो वैध अधिकार ही था और न वास्तव मे दखल ही था "जिसके आधार पर उसके स्थानीय सूबेदारो के लिए केदज के नायब से कर की माँग करना या इस प्रात के विरुद्ध या कलात के खान के अन्य अधीन प्रदेशो के विरुद्ध युद्ध जैसी कार्यवाही करना उचित होता"।[2] अतएव, भारत सरकार की इच्छा थी कि ब्रिटिश सरकार फारस सरकार के इस तरह के आचरण के विरुद्ध उग्र पर तीव्र रोष प्रकट करे जिससे कि कलात का खान, मकरान और बलूच तट पर अपने करद सामतो समेत, फारस के साथ खुले आम लडाई मे न फँस जाए। उसका ठोस सुझाव यह था कि फारस और महामहिम साम्राज्ञी की सरकार के बीच फारस के उत्तरी सीमात के सबध मे बातचीत के द्वारा समझौता हो जाए जिससे कि फारस के स्थानीय सूबेदारो का कलात के खान के प्रदेशो पर हमला करना रुक जाए।[3] ब्रिटिश सरकार ने विवाचन द्वारा सीमा निर्धारण का प्रस्ताव पेश किया। इस विवाद मे अँग्रेजो के हस्तक्षेप पर फारस सरकार ने आपत्ति की। इस पर इँगलैंड के विदेश मत्रालय ने जनवरी, 1870 मे निम्नलिखित शब्दो मे कडा विरोध प्रकट किया 'कलात के खान के साथ ब्रिटिश सरकार के सधि-सबध है जिनके कारण वह

---

1 मकरान मे फारस की सीमा के बारे मे टिप्पणी। दिनाक 6 अक्तूबर, 1869, एस आई 1869, गुप्त, के डब्ल्यू म 225

2 भारत-मत्री को भेजा गया प्रेषण, 2 सितबर, 1869, पैरा 10 और 13

3 वही, पैरा 34

इस सल्तनत की स्थिति के प्रति उदासीन नहीं रह सकती और न वह यह सिद्धान्त स्वीकार कर सकती है कि फारस और कलात के संबंधों में उसकी किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी शाह और कलात के खान के बीच जो भी कठिनाइयाँ पैदा हो गई हों, उनके समाधान में मैत्री भावना से सहायता देने के लिए ब्रिटिश सरकार सदा तैयार रहेगी।[1] इंगलैंड के दूत ने फारस के विदेश-मंत्री को निश्चित रूप से सूचना दी कि ब्रिटिश सरकार का यह कतई इरादा नहीं कि वह फारस और कलात के विवाद में हस्तक्षेप करने का अधिकार छोड़ दे पर उन्हें दूर करने के लिए वह मध्यस्थता करने को प्रस्तुत है। इस विरोध का मनचाहा असर पड़ा और फारस के शाह ने झगड़ा निपटाने का उपाय सुझाया। उसने लिखा "जहाँ तक कलात का संबंध है, फारस-अधीन बलूचिस्तान और कलात की सीमाओं का अभी तक स्पष्ट निर्धारण नहीं हुआ है। अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है कि उपयुक्त सीमान्त रेखा को ढूँढ निकाला जाए, तो तीनों पक्षों—इंगलैंड, फारस और कलात को—सीमान्त में अलग-अलग आयुक्त भेज देने चाहिएँ वरना सीमान्त तय न होने की स्थिति में ये कठिनाइयाँ नित्य प्रति उठती रहेंगी"। महामहिम साम्राज्ञी की सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और जनरल गोल्डस्मिड को इस काम के लिए मकरान सीमान्त पर भेजना तय किया गया।[2]

जब तीनों राज्यों के संयुक्त आयोग के माध्यम से विवादग्रस्त सीमा निश्चित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया, तब अगला कदम इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का था। फारस सरकार ने जिस प्रक्रिया का सुझाव दिया था, वह यह थी कि फारस और ब्रिटेन के आयुक्त बलूचिस्तान जाएँ, मानचित्र पर दोनों राज्यों की सीमाएँ खींच लें और फिर इंगलैंड और फारस की सरकारों के निर्णय के लिए तहरान आ जाएँ। लंबी बातचीत के बाद और सीस्तान सीमा-प्रश्न पर गतिरोध उत्पन्न हो जाने के कारण अन्त में यह तय हुआ कि मकरान के विवाचन को प्राथमिकता दी जाए और जनवरी, 1871 में आयुक्त बंपुर गए। मध्यस्थता करने और मानचित्र पर सीमा निश्चित करने का काम जनरल गोल्डस्मिड को सौंपा गया। उनका काम मुश्किल तो पहले से ही था, फारस के आयुक्त की अड़गेबाजी के कारण दुगुना मुश्किल हो गया। किन्तु अन्त में मेजर लोवेट की सहायता से जनरल ने गुआदार से कुहक तक अन्तरिम (provisional) सीमान्त-रेखा खींचने में सफलता प्राप्त की। यह सीमान्त-रेखा शाह ने भी स्वीकार कर ली क्योंकि स्पष्ट था कि यह उनके अनुकूल पड़ती थी। इस तरह फारस और कलात का विवाद समाप्त हुआ। इस विवाद को शाह बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं समझता था। फारस और अफगानिस्तान के बीच सीस्तान की सीमाओं को लेकर जो विवाद था, उसके महत्त्वपूर्ण विवाचन की राह खुल गई। 1871 में मकरान की सीमाओं का जो निर्धा-

---

1 विदेश-मंत्रालय का टॉमसन (तहरान) के प्रति संवाद, 6 जनवरी, एफ डी एस एस प्रोसीडिंग्ज, 1870, स 41
फारस-कलात-सीमा से संबद्ध पत्र-व्यवहार का सारांश, सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, जुलाई, 1871, स 92

2 पत्र-व्यवहार का सारांश सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, जुलाई 1871, स 92

रण हुआ था, उससे पूर्व की ओर फारस की सीमात रेखा पूरी न हो सकी थी। इसलिए, 1876 म हाल्डिच की अधीनता मे एक और सीमा-आयोग आवश्यक हो गया और उसने गुआटार से सीस्तान तक फारस की सीमा तय की।[1]

मकरान सीमा क विवाचन का आयोजन इसलिए किया गया था कि फारस के पूर्वी सीमान्त पर प्रभुता के अधिकारो और सीमा-सबधी मारे विवादो को सुलझा दिया जाए और इस प्रकार इन क्षेत्रो म आशका और आक्रोश के अकसर उत्पन्न होने वाले कारण दूर हो जाएँ।[2] इस सिद्धात के आधार पर सीस्तान के सबध म फारस और अफगानिस्तान का विवाद तय करना बहुत आवश्यक हो गया था। फारस के साथ 1857 की परिस-सधि के छठे अनुच्छेद के अधीन इस मामले मे हस्तक्षेप करने का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर भी था। लेकिन, मुख्य प्रेरक उद्देश्य था अफगानिस्तान की स्वतत्रता की रक्षा करना जो मध्यवर्त्ती राज्यो की नीति का एक मुख्य सिद्धात था, और यदि फारस पूर्व मे अपन साम्राज्य का निरतर विस्तार करता जाता, तो इस सिद्धात के लिए खतरा पैदा हो सकता था। इस समय भारत और ब्रिटेन की सरकारो ने जो भी कार्यवाही की, उसके मूल म सामरिक कारण थे। भारत सरकार सीस्तान का सामरिक महत्त्व पूरी तरह समझती थी। सीस्तान ही फारस और अफगानिस्तान के बीच झगडे की जड थी। उसन 7 जुलाई, 1870 को लिखा था 'ब्रिटिश सरकार ने हरात की दिशा मे फारस का विस्तार रोकन के लिए बहुत अधिक जन धन की हानि सही है और अत मे वह मार्च, 1857 की परिस सधि द्वारा यह विस्तार रोकने मे सफल हो सकी है। पर, अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए फारस का हेरात की दिशा मे बढन की अपेक्षा हेल्मड की उपजाऊ घाटी की ओर बढना कही अधिक खतरनाक है'।[3] इस आशका म कोई अतिरजना न थी। हेल्मड तक बढने और समूचे सीस्तान पर अधिकार कर लेने से फारस को एक अत्यत उपजाऊ देश मे किसी भी स्थल से अफगानिस्तान पर हमला करने का बहुत ही सुविधाजनक आधार मिल जाता था। इस कार्यवाही से न केवल हेरात की सुरक्षा ही खतर मे पड गई थी, बल्कि कधार और बोलन दर्रे पर चढाई करने का भी रास्ता खुल गया था और अतत भारत की सुरक्षा के भी लाले पड गए थे। भारत सरकार को इसकी एक लबे अरसे स जानकारी थी। उसने अपने मार्च, 1869 के कार्यवृत्त सख्या 196 म इस खतर पर विचार किया था। खतरे के सबध म उसकी जो धारणा थी, वह निम्नलिखित उद्धरणो से स्पष्ट रूप मे प्रकट होती है

'हुसैनाबाद पर फारस का अधिकार अपार महत्त्व की सैनिक कार्यवाही है—सामरिक दृष्टि से भी और अफगानिस्तान के प्रति फारस की महत्त्वाकाक्षा के सदर्भ मे भी। फारस ने इस कार्यवाही के द्वारा फर्राह और लाशजोवेन की स्थिति को बिल्कुल

---

1 साइक्स, हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, II, पृ 363
2 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 41, 7 जुलाई, 1870, पैरा 6, एस आई. प्रोसीडिंग्ज, 1870, स 325
3 प्रेषण, स 41, 7 जुलाई, 1870 पैरा 3

"फारस के सीमांत और भारत मे ब्रिटिश राज के बीच पड़ने वाले देशों पर जिन जिन का अधिकार है उनको इस अधिकार-व्यवस्था मे किसी तरह का परिवर्तन करने के लिए फारस को कोई व्यवस्थित प्रयत्न नहीं करने दिया जाएगा ।[1] 1856 मे जब लॉर्ड काउले ने फारस के पूर्णाधिकारी दूत को यह बताया कि ब्रिटिश सरकार का यह सकल्प है कि फारस द्वारा पूर्वी सीमांत पर कबीलों की वर्तमान स्थिति मे किसी तरह का उलट-फेर न करने दिया जाए तब उसने भी इसी नीति को दुहराया था। भारत सरकार ने इसी नीति को सीस्तान प्रश्न के प्रति अपने दृष्टिकोण का आधार घोषित किया था कि फारस अफगानिस्तान के राज या उस क्षेत्र मे कबाइली प्रदेशों पर किसी तरह का हमला न कर सके और वह चाहती थी कि महामहिम साम्राज्ञी की सरकार फारस और अफगानिस्तान के विवाद मे इसी नीति को विवाचन का आधार माने ।[2]

यहाँ सीस्तान प्रांत के विगत इतिहास पर या इस तरह के कानूनी दाव-पेचों पर विचार करना व्यर्थ होगा कि सीस्तान पर किसका अधिकार और स्वामित्व था—फारस का या अफगानिस्तान का। इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस प्रांत पर फारस और अफगानिस्तान दोनो ही अनेक वर्षों से अपना-अपना दावा प्रस्तुत करते आ रहे थे, फारस अफगानिस्तान के दावों की वैधता अस्वीकार करता था और अफगानिस्तान फारस के दावों की। लगता है कि 1863 से पहले सीस्तान के एक बड़े भाग की कंधार प्रांत का भाग होने के नाते अफगानिस्तान के प्रति निष्ठा थी। कहा गया है कि फारस और अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू होने से ऐन पहले जब हेरात पर घेरा पड़ा हुआ था, तब शाह ने अपनी एक सेना सीस्तान भेजी थी, पर लगता है यह सेना वहाँ रुकी नहीं थी। दोस्त मुहम्मद के शासन मे सीस्तान पर अफगानिस्तान का अधिकार बना रहा था। 1860 मे उसका लड़का मुहम्मद शरीफ खाँ इस प्रांत मे पहुँचा। प्रकटत, उसका उद्देश्य वहाँ बसे हुए कुछ बलूचियों को दंड देना था जिन्होंने कंधार क्षेत्र मे डाके डाले थे। इस घटना से तेहरान सरकार जल-भुन गई और बहुत चिंतित हो उठी। फारस ने विरोध किया पर "फारस सरकार इसलिए इस क्षेत्र पर औपचारिक अधिकार करने से रुक गई कि कहीं उसकी इस कार्यवाही से ब्रिटिश सरकार नाराज न हो जाए।" फारस ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ा था पर वह इस स्थिति मे भी कभी नहीं था कि उसके स्वामित्व के प्रश्न को लेकर दोस्त मुहम्मद से जूझता। लेकिन, जब दोस्त मुहम्मद की मृत्यु के बाद काबुल गृह-युद्ध मे फँसा हुआ था, तब शाह के मन मे फिर से लालच जाग उठा और उसने सीस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। वह सीस्तान के मामले मे इस आधार पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप चाहता था कि अफगानिस्तान की पृष्ठ-पीठ मे उसकी रक्षा की जानी आवश्यक थी।

मार्च, 1857 मे फारस और ब्रिटेन के बीच जो पेरिस-संधि हुई थी, उसके छठे अनुच्छेद की परिधि मे फारस और अफगानिस्तान के विवाद आते थे। इस अनुच्छेद

1 लॉर्ड मम्सबरी का कर्नल शील के नाम प्रेषण, 27 अक्तूबर, 1852, 1870 के प्रेषण स. 41 मे उद्धृत।

2 प्रेषण स. 41, 7 जुलाई, 1870

और जब तक ब्रिटिश सरकार की सलाह से उपयुक्त व्यवस्था न हो जाए, तब तक इन कबीलो के मामलो मे इससे ज्यादा आगे न बढे'। इस समय की *काबुल डायरियो* से स्पष्ट है कि शेर अली सीस्तान के ऊपर अपने स्वामित्व की पुनर्प्रतिष्ठा तो करना चाहता था और उसने वहाँ फारस के अधिकार को मानना अस्वीकार कर दिया था, पर वह भारत सरकार की सलाह और स्वीकृति के बिना किसी तरह की कार्यवाही करने के लिए तैयार न था। 1869 मे अबाला म जो चर्चा हुई थी उसी के फलस्वरूप शेर अली ने यह नीति अपनाई थी। अमीर ने यह समझ लिया था कि जब तक सीस्तान अफगानिस्तान को वापस नही मिल जाता, तब तक इस क्षेत्र मे शाति की स्थापना नही हो सकती। *इसके दो ही रास्ते थे—या तो ब्रिटिश सरकार और फारस के शाह मे बातचीत होती,* या काबुल से फौजो या रगरूटो की टुकडी चढाई या आक्रमण की मुद्रा मे सीस्तान की ओर बढती। यद्यपि अमीर म हिंसात्मक कार्यवाही करने की क्षमता थी, पर फिर भी उसने कोई सक्रिय हस्तक्षेप नही किया। उसने अगर कुछ किया तो यही कि अपने सीमात के सूबेदारो को आदेश दे दिया कि वे अपने सीमात की दृढतापूर्वक रक्षा करने का प्रबध करें जिससे कि व शत्रुओ के अत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा कर सकें। वह ब्रिटिश सरकार के परामर्श के बिना कोई कदम उठाने का तैयार न था और उसने अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी कि "मैं शाति चाहता हूँ तथा सीस्तान विवाद को शातिपूर्ण बातचीत के माध्यम स हल करने का इच्छुक हूँ।" पर अगर भारत सरकार छापे रोकने के *लिए कोई कार्यवाही न करती तो इस तरह का दृष्टिकोण नही बना रह सकता था।*[1]

काबुल सरकार के दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि अमीर लडाई को केवल अतिम विकल्प के रूप मे ही अपनाना चाहता था और वह इस मामले मे भारत सरकार का निर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार था। दूसरी ओर फारस सरकार को काबुल की ओर से शत्रुतापूर्ण आचरण की आशका थी। वह इस खतरे का आसानी से सामना नही कर सकती थी और सीस्तान पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता स्वीकार करने को तैयार थी। भारत सरकार यह नही चाहती थी कि दोनो देशो मे लडाई हो। पर, वह यह भी नही चाहती थी कि फारस हेलमड तक पहुँच जाए *या वह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण* ऐसे क्षेत्रों पर अधिकार कर ले जो *भारतीय* सीमात के निकट हो। इसलिए, परस्पर विरोधी हितो वाले दो पडोसी देशो की सीमाएँ *निर्धारित करने के लिए एक और विवाचन का साज सज गया था।* अब, भारत सरकार निरपेक्ष निष्क्रियता की नीति पर चलने के लिए बाध्य न थी, वह तो अब इस बात के लिए प्रस्तुत थी कि जिन राज्यो का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रो पर अधिकार हो, उनके ऊपर वह मैत्रीपूर्ण प्रभाव जमाए जिससे कि रूस की धमकी का मुकाबला करने के लिए पहली रक्षा-पक्ति के रूप मे उन्हे सुदृढ बनाया जा सके। फलत जब फारस सरकार ने 'ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि वह अमीर के ऊपर असर डाले ताकि वह अपने कल्पित

---

1 सीस्तान के मामला क बारे म एचिसन की टिप्पणी, दिनाक 3 अप्रैल, 1870, के डब्ल्यू एम आई प्रोसीडिग्ज, 1870, म 292-321, 6 जून, 1870 की टिप्पणी भी देखिए, मेयो का ज्ञापन-पत्र, 20 मई, 1870, एस एच. प्रोसीडिग्ज, 1870 म 110, के डब्ल्यू।

समूचा पर अमल न कर पाए तो ब्रिटिश सरकार मतभेद दूर करने के लिए पेरिस-संधि के छठे अनुच्छेद के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह जो विवाचन हुआ, शाह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर उसने यह रुख लॉर्ड रसेल के 1863 के पत्र के आधार पर अपनाया[1] और कहा कि उसने उस समय जिन क्षेत्रों को अर्जित कर लिया था उनका प्रश्न वह विवाचन पर छोड़ना नहीं चाहता। फारस सरकार ने 19 अप्रैल 1870 के अपने ज्ञापन-पत्र में लिखा था, "यद्यपि हमारे विचार से सीस्तान का प्रश्न लार्ड रसेल के प्रेषण के मन्तव्य के अनुसार सुलझा दिया गया था, फिर भी ब्रिटिश सरकार की न्याय निष्ठा में पूरी आस्था रखते हुए हम महामहिम साम्राज्ञी के मंत्रियों को सीस्तान की प्रभुता और सीमाओं के मामले में विवाचक बनाने के लिए तैयार हैं जिससे कि फारस और अफगानिस्तान की सीमाओं पर कोई ऐसी घटना न घटे जिससे शांति भंग हो। परन्तु इसमें शर्त यह है कि रसेल का प्रेषण पूरी तरह कारगर रहे"।[2] भारत सरकार ने यह आधार स्वीकार नहीं किया क्योंकि जैसा कि एचिसन ने लिखा था और ठीक ही लिखा था इसका अर्थ तो यह होता कि रसेल के पत्र के आधार पर फारस की सैनिक कार्यवाही को स्वीकृति मिल जाती और अफगानिस्तान को उसी उपाय द्वारा पूर्व स्थिति की स्थापना करने से रोक दिया जाता। उसने और आगे कहा, "मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है कि फारस ने जो आधिपत्य स्थापित किया, वह न्याय्य था या नहीं—इस पर विचार और निर्णय किए बिना हम फारस को उसके परिणाम भोगने से नहीं रोक सकते। और इसीलिए अगर हम मध्यस्थता करेंगे तो इस आधार पर ही करेंगे कि उसके आक्रमण के न्यायपूर्ण-अन्यायपूर्ण होने की परीक्षा की जाए, फारस द्वारा प्रस्तुत इस आधार पर नहीं कि उसने लार्ड जान रसेल के पत्र की आड़ में जिन-जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया है, वे उसके अपने अधिकार में बने रहेंगे"।[3] इसलिए, उसका तर्क यह था कि 'जब तक फारस लॉर्ड जॉन रसेल की पत्र की ओट नहीं हटा लेता, तब तक हम विवाचन का प्रस्ताव नहीं कर सकते और हम दोनों देशों को युद्ध की शर्तों के ऊपर यानी इस स्थिति में छोड़ देना होगा कि वे अपने अधिकार का फैसला तलवार के जोर से करें'[4]। भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि विवाचन पेरिस-संधि के आधार पर होना चाहिए और सो भी समूचे सीस्तान के संबंध में। लगता है कि फारस सरकार इस विचार से सहमत हो गई थी और जनरल गोल्डस्मिड को विवाचन के लिए नियुक्त कर दिया गया।

जनरल गोल्डस्मिड को जो आदेश दिए गए थे, उनमें विवाचन की प्रक्रिया का निरूपण कर दिया गया था। उसे "सीमाओं के स्पष्टीकरण के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातचीत करने के लिए" ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके मिशन का पहला उद्देश्य यह पता लगाना था कि 1863 के बाद से 'फारस ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया है'। फारस और अफगानिस्तान के आयुक्तों को उसकी सहायता

---

1 इसी अध्याय में पीछे देखिए।

2 फारस—सीस्तान सीमा, सीक्रेट प्रासीडिंग्ज, जुलाई, 1871, सं 93

3 एचिसन की टिप्पणी, दिनांक, 6 जून, 1870, पू वही।

4 वही।

करनी थी। विवाद-क्षेत्र की परीक्षा करने के उपरांत उसे सादे नक्शे पर 'वर्तमान वास्तविक अधिकार के अनुसार सीमान्त-रेखा खींच कर ही न रह जाना था बल्कि उसे दोनों देशों के लिए दो सीमान्त रेखाएँ भी खींच देनी थीं जो उनमें से किसी के दावों को पूरी तरह स्वीकार कर लेने पर उसकी मानी जातीं। उसे वहीं के वहीं प्राचीन अधिकारों और वास्तविक स्वत्व के संबंध में साक्ष्य लेखबद्ध करना था। इसके बाद उसे दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ संपूर्ण प्रश्न पर विचार करना और अपना औपचारिक निर्णय सुनाना था। ब्रिटिश सरकार ने उसे यह भी बता दिया कि लॉर्ड रसेल के 1863 के पत्र के आधार पर फारस के तर्कों के बारे में उसके क्या विचार हैं। ब्रिटिश सरकार के मत से इस पत्र का यह उद्देश्य कदापि न था कि फारस ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया है, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया है और वे सारे प्राचीन अधिकार रद्द हो गए हैं जो अफगानिस्तान की ओर से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या जिनकी वह पुष्टि कर सकता है'। जनरल गोल्डस्मिड को विवाचन की सारी शक्ति दी गई और कहा गया कि उसका निर्णय ब्रिटिश सरकार का निर्णय होगा।[1] विवाचक की निष्पक्षता की पुष्टि के लिए पूरी सावधानी बरती गई थी। परन्तु इन अनुदेशों से स्पष्ट है कि तराजू का पलड़ा अफगानिस्तान की ओर झुका हुआ था।

फारस को सीस्तान में अफगानिस्तान के हमले का डर था, इसीलिए उसने इस मामले में विवाचन चाहा था। शाह ने ब्रिटिश सरकार से मध्यस्थता करने की विनम्र प्रार्थना इसलिए की थी कि गृह-युद्ध के दौरान अमीर के हाथ से जो कुछ निकल गया था, उसे शस्त्र-बल से वापस लेने के अधिकार का अमीर आग्रह न कर सके। उस समय के अभिलेखों से स्पष्ट है[2] कि अगर शेर अली की भारत सरकार से मित्रता न होती और अगर मेयो ने उसे हमला करने से न रोका होता तो जिस तरह 1863 में फारस ने युद्ध द्वारा समस्या समाधान की राह पकड़ी थी, उसी तरह शेर अली भी सीस्तान के अपने प्रदेशों को वापस लेने के लिए युद्ध की राह पर चलता। जिस संधि के अधीन विवाचन हुआ था, शेर अली को उसकी कोई जानकारी न थी और न वह उस संधि में एक पक्ष था। अगर शाह रसेल के पत्र पर आग्रह करने के बावजूद एक बार विवाचन स्वीकार कर लेता, तो वह विवाचन से बँध जाता पर अफगानिस्तान ने इस विवाचन की कभी माँग नहीं की थी और अगर अमीर इससे सहमत हो गया था, तो यह भारत सरकार के प्रति उसके सद्भाव का द्योतक था और उन नए संबंधों का परिणाम था, जो 1869 में अंबाला में अमीर और वायसराय की भेंट के फलस्वरूप स्थापित हुए थे। शेर अली का इस नई मित्रता में विश्वास था और वह आश्वस्त था कि उसका मित्र उसके हितों की रक्षा करेगा। इस समय उसका भारत सरकार की सद्भावना में पूरा भरोसा था और वह अपने पड़ोसियों—बुखारा, रूस और फारस—के प्रति अपने व्यवहार में भारत सरकार के निर्णय

---

1 जनरल गोल्डस्मिड को दिए गए अनुदेश, 9 अगस्त, 1870, एस एच प्रोसीडिंग्ज, 1870

2 सीस्तान विवाचन के संबंध में भारत सरकार के निम्नलिखित प्रेषण देखिए, 1870 का प्रेषण सं 39, प्रेषण सं 41, दिनांक 7 जुलाई, 1870 और एस एच तथा एस आई प्रोसीडिंग्ज, 1870

का पालन करने के लिए तैयार था। एक ओर तो संधिगत दायित्व और दूसरी ओर मैत्रीपूर्ण मध्यस्थ में विश्वास—इन दोनों की पृष्ठभूमि में ही मध्यस्थता हुई थी। विवाचक निष्पक्ष न्याय और निष्पक्षता के लिए उत्सुक था और उसने दोनों पक्षों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप बीच के रास्ते को सबसे अच्छा रास्ता समझा गया। पर, इसमें कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। फारस अधिकृत प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहता था और अफगानिस्तान को यह शिकायत थी कि उसे उसके उन प्राचीन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जिनके अनुसार समूचे सीस्तान पर उसका दावा था। भारत सरकार भी इस हल से प्रसन्न न थी क्योंकि जिस नीति के अनुसार वह अफगानिस्तान को अपना अड्डा बना कर रूस के भावी आक्रमणों के विरुद्ध बचाव की व्यवस्था करना चाहती थी उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। ब्रिटिश सरकार फारस से इसलिए मित्रता बनाए रखना चाहती थी कि वह उसे रूसी क्षेत्र से अलग रख सके। सीस्तान-निर्णय का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की इस नीति को दृढ़ता प्रदान करना था कि रूस के चारों ओर मैत्रीपूर्ण पर आश्रित राज्यों का एक फौलादी घेरा डाल कर उसे उसकी मध्य एशियाई सीमाओं में बंद कर दिया जाए।

अध्याय 6

काशगर

यारकद-काशगर के मामला मे इँगलैंड की दिलचस्पी वहन के दो कारण थे—वाणिज्य और युद्ध-नीति। हिमालय की विराट पवतमाला के उत्तर मे स्थित यारकद सदियो से वाणिज्य का मुख्य केंद्र रहा था और आस-पास के दशा के सौदागरो के कारवाँ यहाँ आकर मिला करते थे। वह चीन का जाने वाले मुख्य माग पर स्थित था और बदख्शाँ, बुखारा, मध्य एशिया के रूसी क्षेत्रो तथा चीन के सौदागर वहाँ खिचे चले आते थे। हालाँकि पर्वतमालाओ के कारण यारकद भारत स अलग हो गया था, फिर भी लद्दाख से होकर भारत के साथ उसका व्यापारिक सबध बना रहा था। भारत सरकार उन्नीसवी शताब्दी के छठे दशक के अतिम वर्षों मे दो उद्देश्यो से काशगर के नए शासक के साथ सबध स्थापित करने के लिए प्रवत्त हुई थी। एक उद्देश्य तो यह था कि इस धनधान्यपूर्ण देश का वाणिज्य हथिया लिया जाए और दूसरा यह कि उसके बाजारा से रूस को दूर रखा जाए। पर, वाणिज्य एक मात्र प्रयोजन न था। यारकद का सामरिक महत्त्व भी था, विशेषकर ऐसे समय मे जबकि रूस का खतरा सिर पर मँडरा रहा था, और उसके इस सामरिक महत्त्व का समूचे राजनय पर प्रभाव पडा था। भारत की रक्षा-व्यवस्था मे वह तीसरा सोपान था। दो अन्य देशो—कलात और अफगानिस्तान—को निश्चित रूप से इँगलैंड के प्रभाव-क्षेत्र मे ले लिया गया था। अब यारकद ही एक ऐसी दरार थी जिसम होकर रूसी दुश्मन भारत पर चढ आ सकते थे—भले ही यह खतरा बडी दूर था। इसलिए, भारत सरकार बहुत उत्सुक थी कि काशगर के शासक के साथ निश्चित मैत्रीपूर्ण सबध स्थापित हो जाएँ और इस तरह भारत पर रूस के हमले के सारे रास्ते बद हो जाएँ।

पहले के एक अध्याय मे हमने बताया है कि रूस मध्य एशिया मे पूर्व की ओर बढना क्यो आवश्यक समझता था और उसने यारकद को अपने प्रभाव-क्षेत्र मे लाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए थे। इन प्रयत्नो की भारत सरकार की नीति पर जो प्रतिक्रिया हुई उसे समझने के लिए यह बताना आवश्यक है कि याकूब बेग ने किस तरह प्रभुता प्राप्त की और अपने दो साम्राजी पडोसियो, रूस और ब्रिटेन, के साथ उसके कैसे सबध रहे थे।

यारकंद स्वीकार करता था कि जुंगरिया के खानों के प्रति उसकी निष्ठा है। उदाहरण के लिए, जब चीन के सम्राट् शिएन लुंग (1736-1797) ने जुंगरिया पर हमला किया था और अठारहवीं सदी में उसे जीत लिया था, तब उसकी प्रभुता का सहज ही यारकंद तक विस्तार हो गया था और यारकंद के सभी मुख्य नगरों में चीनी सैनिकों ने पड़ाव डाल दिए थे। यारकंद पर एक सदी तक मंचू वंश का शासन रहा, पर यारकंद के अधिकार-वंचित सुल्तानों के वंशजों—खोजाओं—ने मंचू शासकों को चैन से न बैठने दिया। उन्होंने कोहकंद में शरण ली और वे वहीं से शायद कोहकंद के सुल्तानों की मदद से "अपने पुरखों की खोई हुई सल्तनत" को फिर से प्राप्त करने के लिए बारबार प्रयत्न करते रहे। इस तरह के प्रयत्नों में अंतिम प्रयत्न 1857 में वली खां तुर्रा का था जिसने काशगर पर कब्जा कर लिया और जब तक चीनियों ने उसे वहां से खदेड़ नहीं दिया तब तक वह कुछ महीनों तक उस पर शासन करता रहा। उससे पहले 1825 में जहांगीर खां ने भी काशगर पर अधिकार करने की कोशिश की थी और उसे अपने प्रयत्न में अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली थी तथा उसकी इस सफलता ने "समूचे मध्य एशिया में गहरी सनसनी फैला दी थी"। 1864 में पूर्वी तुर्किस्तान के लोगों को चीनी जुआ उतार फेंकने का एक अधिक अच्छा अवसर मिला। उस साल जुलाई में तुन्गानों का एक दल मंचू वंश के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला जगाने के लिए उरूमची से आया। मुस्लिम जनता ने विप्लव का शंख फूंक दिया जिसकी आवाज़ दूर-दूर तक जा पहुंची—चीन के पश्चिमी प्रांतों में, जुंगरिया में और यारकंद में। चीनी साम्राज्य विद्रोह को न दबा सका। इसके दो कारण थे—एक तो वह विद्रोह के केंद्र से दूर था और दूसरे यह विद्रोह वास्तव में जनता का विद्रोह था। कूचा, यारकंद, खोतान और काशगर—ये सभी एक-एक करके खोजाओं के नियन्त्रण में आ गए और यहां हर स्थान पर चीनी फौज के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। कूचा और यारकंद रशीदुद्दीन के नियन्त्रण में रहे और खोतान ने हाजी हबीबुल्ला को अपना शासक निर्वाचित किया। रशीद काशगर पर अधिकार करता, इसके पहले ही बुजुर्ग खां, 500 सैनिकों और काशगर की सेना के प्रधान सेनापति याकूब बेग कुशबेगी के साथ वहां पहुंच गया। काशगर की मुस्लिम जनता ने उसका स्वागत किया और उसने शीघ्र ही चीन के गैरिसन को तहस-नहस कर दिया। पर, बुजुर्ग खां निकम्मा और विलासी सिद्ध हुआ और उसने प्रशासन का सारा बोझ याकूब बेग को सौंप दिया। कुशबेगी ने शीघ्र ही अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और उसने काशगरिया के तीन मुख्य शहरों—खोतान, यारकंद तथा कुच—को भी अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। उसने अप्रैल में यारकंद को अपने कब्जे में कर लिया और चतुराई से हबीबुल्ला खां को हराकर 1867 के अंत तक सारे देश पर अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह, याकूब बेग ने चीन को निकाल कर और अपने शासन की छत्रछाया में मुसलमानों में एकता पैदा कर समूचे पूर्वी तुर्किस्तान पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अब उसके सामने दो खतरों से अपनी सल्तनत को बचाने की समस्या थी। इनमें से एक खतरा तो यह था कि कहीं चीन फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश न करे और दूसरा खतरा रूसी साम्राज्य का था जो तेजी से अपना विस्तार करता आ रहा था।[1]

---

1 पार्लियामेंटरी ए. प्रोसीडिंग्ज, मार्च, 1863, सं. 7. बुखारा के अमीर ने उसे अतालिक गाज़ी माना। काशगरिया के ऊपर याकूब बेग का शासन स्थापित

इस समय चीन का खतरा तो दूर था,[1] पर रूस की तलवार सिर पर लटक रही थी। जब से याकूब बेग उर्फ अतालिक गाजी ने (याकूब बेग अतालिक गाजी के नाम से विख्यात था) यारकद-काशगर के शासन की बागडोर सँभाली थी, तभी से वह रूसी अधिकारियो की आँखो मे चुभ रहा था। शायद, इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि याकूब बेग नही चाहता था कि रूसी सौदागर यारकद-काशगर मे बेरोक टोक घुसते चले जाएँ। दूसरा कारण यह था कि वह रूस के अधिराजत्व से स्वतत्र रहना चाहता था क्योकि उसे डर था कि जिस तरह रूस ने अपने एक उपसमी राज्य कोहकद के खान को अपना आश्रित सामत बना रखा था, कही वह उसे भी उसी तरह अपना सामत न बना ले। रूसियो न 1860 म चीनी साम्राज्य के साथ पेकिंग-सधि की थी और इस सधि के फलस्वरूप उन्हे पूर्वी तुर्किस्तान मे व्यापार करने की पूरी स्वतत्रता प्राप्त हो गई थी। अत वे किसी तरह की रोक-टोक मानने के लिए तैयार नही थ और उन्होने जो रुख अपनाया उसका आधार सधि की शर्तें थी। याकूब का विचार था कि अधिकार-वचित सरकार ने जो वायदे कर रखे थ, उन्हे निभाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर नही है और वह अपनी सुरक्षा के ख्याल से रूसी व्यापारियो को देश मे बेरोक-टोक घुसने की अनुमति देने के लिए तैयार न था। मध्य एशिया मे रूस की नीति और मसूबो का जो रुख रहा था, याकूब बेग उससे बेहद जला हुआ था। अगर रूसियो का प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था और अगर वे चीन को जाने वाला पुराना व्यापारिक मार्ग खोल देना चाहते थे, तो याकूब के उत्कर्ष स उनका आगे बढना रुक गया था। बाउल्गर के अनुसार, "जब पूर्वी तुर्किस्तान म एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई और उसने इली की आजादी के लिए खतरा पैदा कर दिया तथा कोहकद म फूट पैदा कर दी, तब रूस यह विचार करने के लिए बाध्य हो गया कि अतालिक गाजी के प्रति—जिसे हाल मे यह पदवी दी गई थी—क्या नीति अपनाना समझदारी की बात होगी।'[2] तब अगर याकूब बेग और रूसियो म वैमनस्य रहा हो, तो इस पर कोई अचरज नही होना चाहिए। पर, जैसा कि हम पहले किसी अध्याय मे कह आए है, दोनो राज्यो के बीच काफी पहले से व्यापार-सबध चालू हो गए थे और उनकी परिणति एक वाणिज्य-सधि मे हुई थी जो 1872 मे बेरन काउल्बार द्वारा की गई थी।[3] पर, इस सधि की शर्तें शुरू-शुरू मे कार्यान्वित न हो सकी। रूसी याकूब बेग को मान्यता देने के लिए तैयार न थे, उन्होंने कोहकद के खान को उसका विरोध करने के लिए भड़काया और वे यारकद-काशगर पर प्रभुता स्थापित करने मे चीन की सहायता करने को तैयार हो गए। दूसरी

होने और इली तक उपद्रव फैलने के कारण रूसी मैदान मे आ गए और उन्होंने चीनी साम्राज्य को सूचना दी कि जब तक विद्रोह की आग ठडी नही पडती, तब तक इली पर हम अपना अधिकार रखेंगे। क्रेबेन और हाल, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ चाइना, पृ 285

1. चीन साम्राज्य की सरकार ने सुस्ती से काम किया, पर जनरल त्सो त्सुआगताग को काशगरिया मे मच् शासन की फिर से स्थापना करने के लिए नियुक्त किया गया और उसने 1878 मे यह काम पूरा कर दिया। वही, पृ 285
2. बाउल्गर, लाइफ ऑफ याकूब बेग, पृ 176
3. बेरन काउल्बार का मिशन (अप्रैल, 1872), एफ डी एस पी, अगस्त, स 205-7

और यह कहा जाता है कि रूस के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काने में याकूब बेग की मुख्य प्रेरणा रही थी और उसने बुखारा के अमीर को मदद देने का भी प्रस्ताव किया था। यहाँ हम षड्यंत्रों, आरोपों-प्रत्यारोपों और राजनयिक गतिविधियों के झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि रूस ने याकूब बेग को अपने राजनीतिक प्रभाव में लेने के लिए जो प्रयत्न किए थे, याकूब बेग पाँच साल से अधिक समय तक उनका सफलतापूर्वक प्रतिकार करता रहा।

शुरू-शुरू में यारकंद के साथ अंग्रेजों के वाणिज्यिक संबंध स्थापित हुए थे। 1862 में डेवीज़ ने इस आशय की एक रिपोर्ट पेश की कि कश्मीर और यारकंद-काशगर के साथ व्यापार हो सकता है। उसके अनुसार इस बात की अच्छी-खासी संभावना थी कि इंगलैंड से भारत में जो माल आता है, वह पूर्वी तुर्किस्तान में रूसी माल की अपेक्षा सस्ता बिक सकता है और उसने बताया कि लेह से यारकंद और खोतान को जाने वाले रास्ते सबसे सीधे रास्ते थे।[1] पर, जब यह आरंभिक प्रस्ताव उपस्थित हुआ, तब वाणिज्य शुरू करने के मार्ग में दो बड़ी बाधाएँ थीं। पहली बाधा यह थी कि पूर्वी तुर्किस्तान पर चीनियों का शासन था और चीनी यह नहीं चाहते थे कि उनके देश में यूरोप के वाणिज्य-व्यवसाय का प्रवेश हो। दूसरी बाधा यह थी कि व्यापार का जो माल कश्मीर होकर जाता था उस पर वहाँ के महाराजा ने प्रायः इतना भारी परिवहन-शुल्क (transit duties) लगा रखा था कि उस मार्ग से व्यापार करने का साहस ही न हो। इन दोनों कठिनाइयों के कारण यारकंद के साथ तत्काल ही वाणिज्य-संबंधों की स्थापना करना असंभव हो गया था। पर, उस समय आरंभिक कार्यवाही कर ली गई जिससे आगे चल कर काम आसान हो गया। पंजाब के लैफ्टिनेंट गवर्नर सर राबर्ट मोंटगोमरी ने कांगड़ा-क्षेत्र से लद्दाख को जाने वाली सड़क का काफी सुधार करा दिया था और चंद्रभागा तथा सतलज नदियों पर पुल बनवा दिए थे। 1864 में कश्मीर की कठिनाई सुलझ गई और वह इस तरह कि महाराजा के साथ एक करार हो गया जिसके अनुसार इंगलैंड से आने वाले माल पर लगने वाली शुल्क-दर में तथा परिवहन-शुल्कों में इस शर्त पर कमी कर दी गई कि महाराजा की आय में जो कमी होगी, उसकी आधी राशि उसे प्रतिकर के रूप में दे दी जाएगी"। करार का सचमुच पालन हो—इसके लिए हर संभव सावधानी बर्ती गई। इस समय लद्दाख में स्थित असिस्टेंट कमिश्नर डा॰ केले ने भी रास्तों को सुधारने और लेह आने वाले यारकंदी व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का प्रोत्साहन देने में कुछ कसर न छोड़ी। पर, इस दिशा में जिस घटना से सबसे अधिक सहायता और प्रेरणा मिली, वह यह थी कि 1864 में पूर्वी तुर्किस्तान में विद्रोह हो गया और इस विद्रोह के फलस्वरूप वहाँ चीन का शासन समाप्त हो गया। 1866-67 तक यारकंद पर याकूब बेग का अधिकार हो गया और अब यह आशा बँधने लगी कि व्यापारिक संबंध सुगमता से स्थापित हो जाएँगे।

13 जनवरी 1865 को डा॰ केले ने 'कुशबेगी की हमारी इच्छाओं और इरादों

---

1 कश्मीर और यारकंद के साथ ब्रिटेन के संबंध, एफ॰ डी॰ एस॰ पी॰, 1874, अगस्त, सं॰ 205-7.

का सच्चा और सही-सही परिचय देने के विचार से उसके साथ मैत्री-संधि करने के लिए" एक प्रत्यायित दूत (accredited envoy) भेजने का प्रस्ताव किया। उसने यह भी लिखा था, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह हमसे मित्रता का संबंध रखने के लिए सबसे अधिक उत्सुक है पर उसे हमारे इरादों के बारे में बहुत संदेह है क्योंकि इस समय उसके कानों में हमारी नीति के जो विवरण पहुँचते है, वे झूठे होते है और उनमें नमक मिर्च लगा होता है।" इसके शीघ्र बाद पंजाब सरकार ने व्यापार आरंभ करने के सुझाव पर फिर से जोर दिया। लैफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा था, 'पूरे पैमाने पर व्यापार आरंभ करने और उसे बढ़ाने के ऐसे सब उपाय करने का अनुकूल अवसर अब आ गया है जो व्यावहारिक और उपयुक्त हों। चीनी शासन के समय हमारे प्रति ईर्ष्या की जो भावना थी, वह अब नहीं रही है। यह निश्चित लगता है कि वर्त्तमान शासक व्यापार को प्रोत्साहन देने और मैत्री-संबंध बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक है, व्यापारियों ने भी व्यक्तिगत रूप से हर तरह का आश्वासन दिया है कि वे अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहते हैं'।[1] मि शा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में डा बैले और पंजाब सरकार के इस विचार की पुष्टि की कि भारत सरकार के लिए यारकंद की नई सल्तनत के साथ मैत्री-संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रयत्न करने का यह अच्छा अवसर है"। मि शा इसी साल यारकंद होकर आए थे। परंतु यारकंद के साथ संबंध स्थापित करने की दिशा में जिस एक व्यक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण योग रहा है, वह था जालंधर का कमिश्नर डगलस फोर्सीथ। यारकंद के व्यापारियों से संपर्क स्थापित करने और भारत-यारकंद व्यापार की संभावनाओं का अध्ययन करने के अतिरिक्त उसने पंजाब सरकार और भारत सरकार को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वे इस विषय में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। गवर्नर जनरल के नाम अपने 7 अक्तूबर, 1868 के नोट में उसने इस समस्या का सबसे विशद और तर्कपुष्ट सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था।[2] उसने यारकंद-काशगर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए जो सुझाव दिया था उसके पीछे वाणिज्य और युद्ध-नीति दोनों के विचार काम कर रहे थे। उसने बताया कि इन क्षेत्रों के साथ चाय का व्यापार हो सकता था और कपास के निर्यात की भी संभावनाएँ थीं। उसे इन क्षेत्रों के संबंध में वैयक्तिक जानकारी थी और अपनी इस जानकारी के आधार पर उसने परिवहन की कठिनाई को नगण्य माना और कहा कि उन्हें सर किया जा सकता है। चाय की खेती हिमालय के आंचल में की जा सकती थी और मध्य एशिया, यहाँ तक कि रूस, में उसकी बिक्री से बहुत लाभ उठाया जा सकता था। पर, उसके मन में याकूब बेग कुशबेगी के साथ पक्के वाणिज्य-संबंध स्थापित करने की जो इच्छा थी, उसके मूल में सामरिक दृष्टि अधिक थी।

उस समय बहुत-से लोगों का यह विचार था कि रूस ओक्सस के दक्षिण में अफगानिस्तान के रास्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रास्ते से भारत की ओर नहीं बढ़ सकता तथा "सर दरया के पूर्व में रूस का प्रभाव बढ़ने से हमारे लिए किसी खतरे की संभावना

1 काश्मीर और यारकंद के साथ ब्रिटेन के संबंध, एफ डी एम पी, 1874 अगस्त, स 205-7

2 पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्ज, नवंबर, 1868, स 3

नहीं होगी और फोर्सीथ ने इस विचार का मजाक उड़ाया था। फोर्सीथ ने इन सारी बातों का विस्तार से विवेचन किया था कि रूस ने पूर्वी तुर्किस्तान में घुसने के प्रयत्न किए थे और कराकोरम तथा चागचिनमु को जाने वाली सड़क के शुरू में यारकंद तथा खोतान के बीच के गुमह नामक स्थान में एक छावनी स्थापित करने का विशेष प्रयत्न किया था और इसके लिए 1859 में चीन की अनुमति चाही थी। कुछ तो इस तथ्य के आधार पर और कुछ इस आधार पर कि यारकंद-काशगर में घुसने में रूस की वैसे भी दिलचस्पी थी, फोर्सीथ ने निष्कर्ष निकाला कि यारकंद-काशगर की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो गया है और वहाँ रूस की सत्ता स्थापित होने पर भारत में अंग्रेजों के हितों पर और उनकी सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। उसने इस विचार का समर्थन नहीं किया कि हिमालय पर्वतमाला अगम है और लद्दाख में गुज़रने वाले रास्तों के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर निम्नांकित वक्तव्य दिया कि 'वास्तव में अगर गंभीरता से देखा जाए, तो सचाई यह है कि भारत को अन्य किसी दिशा की अपेक्षा उत्तर की ओर रूस से ज्यादा खतरा हो सकता है। इसका कारण यह है कि अगर रूस अफगानिस्तान के रास्ते से भारत आया, तो उसे अपने आधार से बहुत दूर तथा शायद शत्रु-देश से होकर आना पड़ेगा और उत्तर में वह समृद्ध तुर्किस्तान से निकलते ही उस लाल रेखा[1] पर आ पहुँचेगा जो अंग्रेजों की सीमा है। यह मानना जरूरी नहीं है कि रूस सारा काश्मीर पार करेगा और पीर पंजाल के दर्रों से होकर पंजाब के मैदानों में अपनी फौजें उतारेगा। रूस के लद्दाख की जमीन पर पाँव रखते ही भारत पर हमला हुआ समझना चाहिए। उस समय काश्मीर की रक्षा करना जरूरी हो जाएगा और अगर हम यह भी मान लें कि उस प्रांत का एक-एक व्यक्ति स्वामिभक्त है, तब भी वह हमारे लिए दुर्बलता का स्रोत होगा, शक्ति का नहीं। इसके अलावा, अगर हमले की तत्काल संभावना न भी हो, तब भी इस तथ्य का भारत में सैनिकों के उत्साह पर बुरा असर पड़ेगा कि रूस ने गुमह में अपनी एक छावनी बना रखी है और लद्दाख की ओर खुलने वाले दर्रों पर उसका अधिकार है। पर, उसे जिस खतरे का सबसे ज्यादा डर था, वह यह था कि अगर कहीं यूरोप में कोई उलझन पैदा हो गई, वहाँ रूस और इंगलैंड में लड़ाई छिड़ गई, तो रूस अपनी उस लाभ की स्थिति से भारत के लिए खतरा बन जाएगा और "इंगलैंड को ऐसा अटकाए रखेगा कि वह यूरोपीय युद्ध में भाग लेने के लिए यहाँ से सैनिक न भेज पाए"। भारत सरकार को भी उसी दिशा में अपनी रक्षा-व्यवस्था दृढ़ करनी होगी क्योंकि यारकंद से लद्दाख तक की सड़क 'बिल्कुल सुगम और समतल थी'। जिस तरह अफगानिस्तान की ओर से सचमुच हमले का डर था और उसके लिए पूरा प्रबंध करने की आवश्यकता थी वैसी बात इस ओर न थी, फिर भी कुछ न कुछ परेशानी तो पैदा हो ही सकती थी।[2]

खतरे की इन संभावनाओं को देखते हुए फोर्सीथ की इच्छा थी कि रूसियों से पहले ही अंग्रेज वाणिज्य के बहाने यारकंद में अपने पाँव जमा लें और याकूब बेग के ऊपर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लें। जब तक रूसी हमले का खतरा दूर कर अतालिक गाज़ी की सल्तनत की स्थिरता के लिए कारगर उपाय न किए जाते तब तक वाणिज्य का

1 मानचित्र में अंग्रेजों के अधिकृत प्रदेशों की सूचक रेखा।
2 फोर्सीथ की टिप्पणी, 7 अक्तूबर, 1868।

मार्ग भी नहीं खुल सकता था। इसके लिए एक ही उपाय का सुझाव दिया गया था कि रूस के साथ कुछ ऐसा समझौता किया जाए कि वह याकूब बेग को एक स्वतंत्र शक्ति मान ले'। यह उसी तरह की नीति थी जो कलात या अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई थी। मूल में प्रेरणा वाणिज्य की थी, पर इसे तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था जब तक कि यारकंद को रूस से मान्यता दिलवा कर उसे अंग्रेजों के प्रभाव-क्षेत्र में लाने का राजनीतिक लक्ष्य पूरा न हो जाता।

भारत के गवर्नर जनरल सर जान लारेंस ने इन प्रस्तावों का सहर्ष और तत्परता से अनुमोदन नहीं किया। हां, वह इस बात के लिए अवश्य तैयार हो गया था कि वाणिज्य के मामले को राजनीति से अलग कर दे और लद्दाख को जाने वाली एक सड़क के विकास के लिए कुछ धनराशि की मंजूरी दे दे।[1] भारत-मंत्री ने इस खर्च की मंजूरी दे दी और योजना में अपनी दिलचस्पी प्रकट की।[2] फोर्सीथ ने जिन राजनीतिक उपायों की पैरवी की थी, उनके संबंध में भारत सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया क्या हुई—इसके कोई अभिलेख नहीं मिलते परंतु अनुमान किया जा सकता है कि लारेंस भारत में अपने शासन काल के अंतिम दिनों में जोखिम का कोई काम नहीं करना चाहता था। पर, फोर्सीथ ने जो सुझाव दिया था, वह उसके राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं था क्योंकि फोर्सीथ ने यह कहा था कि रूसी साम्राज्य से काशगर-यारकंद की स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त कराने का प्रयत्न किया जाए और याकूब बेग के साथ वाणिज्यिक और राजनीतिक संबंधों की स्थापना की जाए। लॉर्ड मेयो के शासन-काल में यह मामला ठंडा नहीं पड़ने दिया गया बल्कि भारत के साथ यारकंद के निकटतर संबंध स्थापित करने के लिए तेजी के साथ कदम उठाए गए।

याकूब बेग को रूस की शत्रुता का सचमुच डर था और शुरू में उसकी इच्छा थी कि उसे भारत सरकार की मदद मिले और अंग्रेजों के साथ उसके घनिष्ठ मैत्री संबंध स्थापित हो जाएं। पर, वह रूस की एकदम उपेक्षा भी नहीं कर सकता था। इसीलिए, हम देखते हैं कि उसने भारत और रूस दोनों देशों में अपने दूत भेजे और बदले में वह उन देशों के दूतों को अपनी राजधानी में रखने के लिए तैयार हो गया। 1869 के अंत में कुश-बेगी का एक दूत मिर्जा शादी भारत आया और उसने 28 मार्च, 1870 को लॉर्ड मेयो से भेंट की।[3] दूत को ठीक-ठीक यह पता लगाने का आदेश दिया गया था कि यारकंद-काशगर के साथ तिजारत शुरू करने की इच्छा के पीछे भारत सरकार के क्या लक्ष्य और इरादे हैं। परंतु वायसराय के साथ उसकी जो भेंट हुई, उसके वृत्तांत से स्पष्ट है कि दूत का मिशन राजनीतिक लक्ष्य से रहित न था। वह भारत में शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद खरीदने की अनुमति पाना, काशगर में शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद बनाने के लिए भारत से कारीगर ले जाना और एक ब्रिटिश दूत को अपनी राजधानी आने के लिए आम-

---

1 मोटन-कार का थॉर्नटन के नाम संवाद, सं 1254, 20 अक्तूबर, 1868, पालिटिकल प्रोसीडिंग्ज, नवंबर, 1868 सं 4

2 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सं 44, 25 फरवरी, 1869

3 भेंट का ज्ञापन-पत्र, पॉलिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, जून, 1870, सं 215

त्रित करना चाहता था। पर, उसने जिस सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया वह यह था कि उसका सुल्तान रूस के प्रति क्या रुख अपनाए। वायसराय द्वारा मिर्ज़ा शादी को दिए गए उत्तरों में भारत सरकार की जिस नीति की झाँकी मिलती है, यहाँ उसकी चर्चा करना प्रसंगोचित होगा।

वायसराय ने दूत को विश्वास दिलाया कि चांगचिनमू होकर जाने वाला रास्ता खोलने में उसका एक-मात्र उद्देश्य "व्यापार की रक्षा के लिए एवं स्वतन्त्रता तथा प्रोत्साहन के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना था"। इंगलैंड की नीति का मुख्य प्रेरक हेतु वाणिज्य था और इसके लिए सारे उपाय किए जा रहे थे। परन्तु लॉर्ड मेयो अपनी सरकार की ओर से युद्ध का साज-सामान देने के लिए तैयार न था। हाँ, वह इस बात के लिए राजी था कि दूत 'खुले बाज़ार में सामान खरीद ले' और इसमें कोई भी बाधा नहीं डाली गई। सरकार के पुराने हथियार तक खरीदे जा सकते थे। इसी तरह भारत से कारीगरों को ले जाने के बारे में उसने कहा कि सरकार न तो सीधे किसी को भेज सकती थी और न किसी को जाने का "आदेश" दे सकती थी, पर दूत को इस बात की पूरी छूट थी कि जो लोग अपनी मर्ज़ी से जाने के लिए तैयार हों, उन्हें वह ले जाए। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और सीधा आश्वासन यह था कि तरुण यारकंदियों को लोहे आदि का काम सिखाया जा सकता है। यह ऐसी सुविधा थी जिसका पूरा लाभ उठाने पर यारकंद में ही शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता। वायसराय को किसी ब्रिटिश अफसर को यारकंद भेजने की माँग पर भी आपत्ति न थी पर इसमें एक ही शर्त थी—उस अफसर की सुरक्षा की गारंटी दी जाए।

अन्त में, दूत वायसराय से यह परामर्श चाहता था कि यारकंद रूस के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखे। इस संबंध में भी भारत सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गई। दूत ने नारीन नदी तक, जो उत्तर में यारकंद की सीमा थी, रूसी राज के विस्तार का विवरण दिया और यह भी कहा कि रूस मध्य एशिया में रेलों का निर्माण कर रहा है। उसने आशंका व्यक्त की कि जैसे ही रूस रेलों का निर्माण पूरा कर लेगा, वैसे ही वह यारकंद को अपने पंजे में कसने की कोशिश करेगा। उसने यह भी बताया कि अभी तक याकूब बेग ने रूस के साथ शत्रुता बढ़ाने का कोई काम नहीं किया है—हालाँकि बुखारा और कोकंद से उसे इस आशय के पत्र मिले हैं कि रूसी साम्राज्य के साथ लड़ाई होगी तो वे उसका साथ देंगे। लार्ड मेयो के पूर्ववर्ती ने जिस नीति का आख्यान किया था और जिसे स्वयं लार्ड मेयो ने पहले ही अफगानिस्तान के बारे में लागू किया था, उसी नीति को ध्यान में रख कर उसने परामर्श दिया कि "अतालिक गाज़ी को अपने आन्तरिक शासन में मज़बूती लानी चाहिए, अपने सीमान्त की रक्षा का सुदृढ़ प्रबंध करना चाहिए, अपने सिपाहियों को शस्त्रास्त्र से लैस करना और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सीमा पार के लड़ाई-झगड़ों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने पड़ोसियों पर हमले कर के अपने ऊपर आक्रमण का कोई बहाना नहीं देना चाहिए"। वायसराय ने सलाह दी कि अगर याकूब बेग अपनी सीमा पार हमले नहीं करेगा, तो वह रूस के हस्तक्षेप से बचा रहेगा और इस आशय की जैसी गारंटी अफगानिस्तान को दी गई थी, वैसी उसे भी दी जा सकती है। पर, जहाँ तक भारत सरकार की

ओर से किसी ठोस कार्यवाही का प्रश्न था, वहाँ वायसराय ने इस बात मे कोई संदेह नहीं छोड़ा कि वह कुशबेगी को सक्रिय सहायता देने में बिल्कुल असमर्थ है। लॉर्ड मेयो ने दूत को बताया कि "जो लड़ाइयाँ और झगड़े उठेंगे, उनमें उसकी मदद के लिए वह एक भी सिपाही सीमान के पार नहीं भेज सकेगा कि वह अधिक से अधिक यही कर सकता है कि मैत्रीपूर्ण परामर्श दे जिस पर अमल चाहे किया जाए, चाहे न किया जाए, कि रूस की ब्रिटिश सरकार से घनिष्ठ मित्रता है और उसे अतालिक गाजी की शांतिपूर्ण इच्छाओं तथा नीति के बारे में रूस को जानकारी देने में तथा रूस से यह अनुरोध करने में अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि वह उसके मामलों में हस्तक्षेप न करे, पर इसके आगे वह और किसी बात का वचन नहीं दे सकता।" उसने यह कह कर दूत की शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न किया कि रूस रेलें नहीं बना रहा है, बल्कि वह कैस्पियन और ओक्सस की तरफ से वाणिज्य-मार्गों का निर्माण कर रहा है।

भारत सरकार ने दूत के साथ डगलस फोर्सीथ को यारकंद भेजने का फैसला किया और लार्ड मेयो ने याकूब बेग के प्रति अपने पत्र में इसका उल्लेख कर दिया।[1] फोर्सीथ को जो अनुदेश दिए गए थे, उनसे स्पष्ट है कि उसकी यात्रा का एक-मात्र प्रयोजन "यारकंद के शासक के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संपर्क स्थापित करना और मुख्य उद्देश्य वाणिज्य-संबंधों की स्थापना करना था। यह यात्रा 'किसी भी तरह मिशन के रूप में न थी और न उसका कोई राजनीतिक लक्ष्य ही था।' अतः फोर्सीथ को निश्चित रूप से यह हिदायत दी गई थी कि 'वायसराय ने अतालिक गाजी को जो सामान्य परामर्श पहले दिया था, वह उसी को दुहरा दे—अगर इसके आगे कोई राजनीतिक प्रश्न पैदा हो या विवाद उठ खड़े हों, तो इनमें वह ज़रा भी न उलझे'।[2]

यद्यपि शुरू से इस मिशन का क्षेत्र एकदम सीमित था, पर उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि अतालिक गाजी उस समय यारकंद में न था और 700 मील की दूरी पर एक लड़ाई में फँसा हुआ था। अतएव फोर्सीथ को खाली हाथों वापस लौटना पड़ा। हाँ, वह यारकंद के सौदागरों और पदाधिकारियों की सद्भावना प्राप्त करने में अवश्य सफल हुआ। बताया गया कि याकूब बेग को ऐसे समय राजधानी में मौजूद न रहने पर वास्तव में अफसोस हुआ।[3] यह सच है कि याकूब को संयोगवश ही सैनिक अभियान पर दूर जाना पड़ा था, पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इस मिशन के खोखलेपन के कारण उसने राजधानी लौटने में देरी कर दी होगी। पर, दूतों के आदान-प्रदान का सिलसिला यहीं नहीं टूट गया। कुछ समय बाद ही एक दूसरा दूत भारत आया और फोर्सीथ को अधिक निश्चित उद्देश्यों और हिदायतों के साथ दुबारा यारकंद भेजा गया

---

1 वायसराय का अतालिक गाजी के नाम पत्र, 4 अप्रैल, 1870, पॉलिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, जून, 1870, सं. 216

2 एचिसन का थार्नटन के नाम पत्र, सं. 5 \, 14 अप्रैल, 1870, पॉलिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, 1870, सं. 219

3 काश्मीर और यारकंद के साथ ब्रिटेन के संबंध, एफ. डी. एम. पी., अगस्त, 1874, सं. 205-7.

1871 के अन्त में याकूब बेग ने अहरार्ई खाँ तुर्रा को भारत भेजा और उसके हाथों वायसराय तथा इंगलैंड की साम्राज्ञी के नाम पत्र भी भेजे। इन पत्रों में उसने इच्छा व्यक्त की थी कि "दूत भेजने की प्रथा बंद न की जाए"।[1] पर, कोई भी ब्रिटिश अफसर तत्काल नहीं भेजा गया। कहते हैं कि इससे याकूब बेग को निराशा हुई। लगता है इसके एक साल बाद तक काशगर के साथ कोई निश्चित संपर्क न रहा और इसका कारण शायद यह रहा हो कि इस दौरान रूस और काशगर के बीच बातचीत चलती रही थी। जून 1872 में याकूब बेग ने रूस के साथ एक वाणिज्य-संधि पर हस्ताक्षर किए। परन्तु रूस के प्रति उसका जो सामान्य दृष्टिकोण था, उसे देखते हुए यह संभव नहीं लगता था कि वह पूरी तरह एक विस्तारशील साम्राज्यवादी देश के आश्रित होना पसंद करेगा। अतः हो सकता है कि जवाबी कार्यवाही के रूप में उसने भारत के साथ फिर से संपर्क स्थापित करना चाहा हो। 1873 में सैयद खाँ, जो एक मिशन पर कुस्तुनतुनिया जा रहा था, अतालिक गाजी का दूत बन कर वायसराय की सेवा में उपस्थित हुआ। सैयद याकूब खाँ को जो शर्तें पेश करने का आदेश दिया गया था, "उनका संबंध वाणिज्य-संपर्क के विकास की पूरी सुविधाएँ देने से और दोनों देशों के बीच राजनयिक मिशनों के आदान-प्रदान से था"। *काशगर भारत में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए तैयार था* और भारत सरकार से यह प्रार्थना की गई थी कि जब सैयद याकूब खाँ वापस लौटे, तब उसके साथ एक दूत काशगर भेज दिया जाए। वायसराय ने इन प्रार्थनाओं को तत्काल स्वीकार कर लिया और डगलस फोर्सीथ को दुबारा काशगर भेजने का निर्णय किया। 1873-74 के जाड़ों में डगलस फोर्सीथ दूसरी बार काशगर गया।[2]

भारत के प्रति याकूब बेग की नीति के प्रेरक हेतुओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह जानना उपयोगी होगा कि रूस की याकूब के प्रति क्या नीति थी और इस संबंध में याकूब की क्या प्रतिक्रिया थी। रूसी लेखकों ने इस बात की व्यापक रूप से चर्चा की है कि कुशबेगी के नए चरित्र के आरंभ से ही रूसियों के प्रति उसके वैरभाव के लक्षण प्रकट होने लगे थे और उसने काशगर के साथ उनके वाणिज्य के मार्ग में तरह-तरह की बाधाएँ डाली थीं। इस दृष्टिकोण का कारण ढूंढ़ना कठिन न होगा। मध्य एशिया में रूसी विस्तार का आक्रामक स्वरूप, कोहकंद के शासक पर उसका प्रभाव और चीनी साम्राज्य के साथ उसकी ऐसी संधि जिसके आधार पर पूर्वी तुर्किस्तान में वह साधिकार वाणिज्यिक विशेषाधिकारों की माँग कर सकता था—इन सब कारणों से रूसी साम्राज्य याकूब के नए राज्य की अखंडता और स्थिरता के लिए निश्चित रूप से खतरनाक बन गया था। इसके अलावा, याकूब बेग की गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद कोफमन का जैसा आचरण रहा था, उससे भी याकूब बेग की शंकाएँ दूर होने में कोई मदद न मिली थी। रूसियों ने नारीन पर एक किला बनवाया, चीन के साथ रूस की जो संधि थी, उसके आधार पर रूसी सौदागरों को आगे बढ़ाया, और याकूब बेग ने रूसी अधिकारियों को जो पत्र लिखे, उनका अनादर किया—ये सब ऐसे कारण थे जिनसे याकूब बेग के मन में रूसी साम्राज्य के शान्तिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण इरादों के प्रति विश्वास जमता। यह भी अफवाह ज़ोरों पर

1 एफ डी एस पी, 1874, अगस्त, स 205-7.
2 एफ डी एस पी, 1874, अगस्त, स 205-7.

थी कि रूस ने यारकन्द की पुनर्विजय के लिए चीन को सैनिक सहायता देने का वचन दिया है। *अतालिक गाजी की सीमा पर रूसी फौजों की उपस्थिति के कारण हमेशा* तनाव बना रहता था और रूस उसकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सीमावर्ती कबीलों की लुके-छिपे सहायता करता रहता था—ये ऐसे उपाय न थे जिनसे उसके मन में *रूस की नेकनीयती पर भरोसा होता।* कोफमन ने आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसने खोकन्द के साथ जैसी वाणिज्य-संधि की थी, ऐसी ही एक वाणिज्य-संधि वह काशगर के साथ करेगा और इस संधि के फलस्वरूप याकूब बेग रूसी साम्राज्य का एक अधीन सामंत बन जाएगा। रूस ने उसके सामने ये शर्तें पेश की थीं कि रूसी सौदागर 'काशगर के सभी शहरों में आजादी से और बेरोक-टोक आ-जा सकेंगे", रूस काशगर के शहरों में कारवाँ सराय की स्थापना कर सकेगा, अपने वाणिज्य-प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा, उसके माल पर एक समान कर—2½ प्रतिशत—लगेगा और उसे आस-पड़ोस के देशों में आने-जाने का अबाध अधिकार रहेगा। याकूब बेग जान-बूझकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहा था और दुर्दिन को टालने के लिए उसने दो दूत ताशकंद और सेंट पीटर्सबर्ग भेज दिए थे। इसी बीच उसने भारत सरकार से प्रार्थना की। पर अंत में 1872 में बेरन काउलबार्स के मिशन के फलस्वरूप वह रूस की माँगों को स्वीकार करने और वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश हो गया। यह संधि मिर्जा शादी और अहरार्ड खाँ तुर्रा की भारत-यात्रा और काशगर में फोर्सीथ के मिशन की असफलता के बाद हुई थी और संभव है कि इसका कारण यह रहा हो कि याकूब बेग भारत सरकार से कोई ठोस सहायता पाने में असफल हो गया था। पर यह स्पष्ट है कि रूस से साथ संधि हो जाने के बावजूद याकूब बेग की अपने पश्चिमी पड़ोसी में आस्था न थी और वह अब भी उसके प्रतियोगिया, यानी अँग्रेजों, की सहायता लेने के लिए तैयार *था। दो पाटों के बीच फँसा हुआ एक छोटा दुर्बल राज्य अपनी आजादी की रक्षा के लिए* जूझ रहा था।

भारत सरकार मध्य एशिया में जिस नीति का अनुसरण करती आई थी उसी की परिणति थी सर डगलस फोर्सीथ की दूसरी काशगर-यात्रा। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि इस नीति के दो उद्देश्य थे—(1) अँग्रेजों के लिए वाणिज्यिक विशेषाधिकार प्राप्त करना, और (2) मध्य एशिया के सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं के संबंध में रूस से स्पष्टीकरण पाकर उन पर अँग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना। *यारकन्द के संबंध में भारत सरकार ने 1873 में साम्राज्ञी की सरकार से अनुरोध किया* था कि "उस समय इँगलैंड और रूस की सरकारों के बीच जो सद्भाव बना हुआ था, उसका उपयोग करके वह रूस से यारकन्द की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं का निर्धारण करा ले"। *आशा की जाती थी कि इससे मध्य एशिया में शांति और सुव्यवस्था कायम* होने में बहुत मदद मिलेगी।[1] परंतु ब्रिटिश विदेश-मंत्रालय का विचार था कि रूस के सामने यह सवाल उठाने का अनुकूल अवसर नहीं है, हालाँकि अब तक जिस नीति का पालन होता रहा था, उसमें कोई संशोधन करने का भी उसका कोई इरादा न था। इस तरह, यद्यपि भारत सरकार का यारकन्द की सीमाओं के बारे में रूस के साथ समझौता

---

1. भारत-मंत्री को भेजा गया गुप्त प्रेषण, 30 जून, 1873

करने में तत्काल कोई ऐसी सफलता न मिली, जैसी उसे अफगानिस्तान के संदर्भ में मिल गई थी, परंतु यारकंद के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना करने का उसका दूसरा लक्ष्य सफल हो गया।

सर डगलस फोर्सीथ 4 दिसंबर, 1873 को काशगर पहुँचा। यारकंद-अधिकारियों के स्वागत-सत्कार के कारण उसके लिए इस यात्रा का श्रम भी सुखकर हो गया। भारत सरकार के दूत ने जैसे ही याकूब बेग के राज्य में पाँव रखे, वैसे ही उसे अंग्रेजों के प्रति वहाँ के शासक की मैत्रीपूर्ण भावनाओं के संकेत मिलने लगे। 11 दिसंबर को उसका यारकंद-सरकार की ओर से जो स्वागत किया गया, उससे फलस्वरूप इस मैत्रीपूर्ण भावना की और पुष्टि हुई। भारत सरकार ने काशगर के अमीर के लिए जो उपहार भेजे थे, उनका भी प्रदर्शन इस स्वागत-समारोह में किया गया। इन उपहारों में सब तरह के हीरे-जवाहरात और दो धर्मग्रंथ थे। इंगलैंड की साम्राज्ञी के हस्ताक्षर से युक्त एक पत्र भी मूल्यवान पेटी में बंद कर मैत्री के प्रतीक के रूप में याकूब बेग को भेंट किया गया। अमीर ने भी भारत का मित्र बने रहने की अपनी इच्छा व्यक्त करने में किसी तरह की कोई कोर-कसर न छोड़ी और जैसा कि टेरेन्टिएफ ने लिखा है, उसने उच्चस्वर से कहा, "आपकी साम्राज्ञी बहुत बड़ी शासिका है। उनका शासन शक्तिशाली भी है और मंगलमय भी। उनकी मित्रता काम्य है क्योंकि जो लोग उसमें संपन्न होते हैं, उनका लाभ ही लाभ होता है। साम्राज्ञी सूर्य है जिनकी प्रभामयी किरणों में मेरे जैसे गरीब फलते-फूलते हैं। मैं अंग्रेजों की मित्रता विशेष रूप से चाहता हूँ। मेरे लिए वह जरूरी है"।[1] फोर्सीथ चार महीने काशगर रहा और इस बीच उसने अतालिक गाज़ी के साथ वाणिज्य तथा मित्रता की एक संधि के लिए बातचीत की और यह बातचीत सफल हुई। इस संधि पर 2 फरवरी, 1874 को हस्ताक्षर हो गए और 13 अप्रैल, 1874 को गवर्नर जनरल ने उसकी पुष्टि कर दी।

मध्य एशिया के शासकों के साथ भारत-इंगलैंड के संबंधों के क्षेत्र में यह संधि एक सीमा-चिह्न है। दोनों पक्षों के बीच जो "सद्भाव" बना हुआ था, यह संधि उसकी पुष्टि के रूप में थी और उसका उद्देश्य "दोनों की प्रजाओं में वाणिज्य-संपर्क को प्रोत्साहन देना था"। संधि में व्यवस्था की गई थी कि दोनों देशों की प्रजा वाणिज्य आदि के लिए एक-दूसरे के प्रदेशों में निर्बाध आ-जा सकेगी और काशगर की सीमा में 2½ प्रतिशत सीमा-शुल्क लगेगा। अनुच्छेद VI में कहा गया था कि दोनों देशों की राजधानियों में एक-दूसरे के प्रतिनिधि और अन्य स्थानों पर वाणिज्य-अभिकर्त्ता नियुक्त किए जाएँगे।[2]

काशगर ने 1874 में भारत के साथ जो संधि की थी, वह एक तरह से 1872 में रूस के साथ की गई बाउल्बार की वाणिज्य-संधि का अतिक्रमण करने के लिए थी; और लगता है कि रूस ने भी इस स्थिति को मौन भाव से स्वीकार कर लिया था। प्रकटतः, जार की सरकार ने इस संधि का खुले आम कोई विरोध नहीं किया था और जैसी कि

1 टेरेन्टिएफ, I, अध्याय VIII.
2 बाउल्गर, संधि के मसविदे के लिए परिशिष्ट।

टेरन्टिएफ की शंका थी अनुमान किया जा सकता है कि उत्तरी साम्राज्य ने यारकंद की तटस्थता को प्रायः स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह सोचना अस्वाभाविक होगा कि जो सल्तनत मध्य एशिया में जार के अधिकृत प्रदेशों के लिए इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण थी उसमें विस्तारवादी रूसी साम्राज्य की कोई दिलचस्पी न रही हो। इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है कि रूस ने याकूब बेग का कितना विरोध किया था या यारकंद के शासक के प्रति चीन के विरोध को बढ़ावा देने में रूसी राजनय का कितना हाथ रहा था। फिर भी यह कहा जा सकता है कि हालांकि रूस ने कुछ समय तक खुले आम याकूब बेग का विरोध नहीं किया फिर भी न तो यारकंद में उसकी दिलचस्पी कम हुई और न याकूबबेग के प्रति उसका विरोध ही घटा। कुछ समय बाद चीन का यारकंद के प्रति विरोध बहुत तीव्र हो गया और अगर रूस ने इस विरोध को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया तो कम से कम उसने इस शासन के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया।

इसी बीच यारकंद और भारत के संबंध घनिष्ठ हो गए। जनवरी 1875 में सैयद याकूब खाँ भारत आया और वह कलकत्ते में वायसराय तथा विदेश-सचिव से मिला।[1] लगता है कि जिन दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार हुआ वे ये थे 1874 की संधि के अनुसार काशगर में ब्रिटिश दूत की नियुक्ति और याकूब बेग के प्रति चीन का जो विरोध व्यक्त रूप से सामने आने लगा था उसे दूर करने का संभाव्य उपाय। दूतों के आदान प्रदान के विषय पर तत्काल कोई निर्णय नहीं हुआ इसलिए 1876 की शरद ऋतु में सैयद याकूब खाँ वायसराय के नाम अपने अमीर का एक पत्र लेकर दुबारा भारत आया और उसने इच्छा व्यक्त की कि प्रतिनिधियों के आदान प्रदान के संबंध में 1874 की यारकंद-संधि की शर्तें कार्यान्वित की जाएँ।[2] लगता है कि भारत सरकार ने श्री आर वी शा को इस काम पर लगाने का विचार कर रखा था और उसका विचार कुछ ऐसा बन रहा था कि शा को राजनीतिक दूत के रूप में नहीं, 'वाणिज्य-दूत' के रूप में नियुक्त किया जाए, पर उसने इस प्रश्न का निर्णय भारत मंत्री पर छोड़ दिया।[3] भारत मंत्री ने अप्रैल, 1877 के उत्तर में इस बात पर खेद प्रकट किया कि काशगर के साथ किसी भी तरह के संधि-संबंध क्यों स्थापित किए गए हैं, विशेषकर इसलिए कि जिन वाणिज्यिक हितों की बाजी लगी हुई थी, वे महत्त्वहीन थे और जिस राजनीतिक संबंध की स्थापना होनी थी, वह ऐसा न था कि उससे परेशानी होने की कोई संभावना न हो। पर, वह इस स्थिति के संबंध में यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार था। संधि के छठे अनुच्छेद और उसके कियान्वयन के प्रति अमीर की हार्दिक इच्छा को देखते हुए उसने यह समझ लिया था कि अगर संधि का पालन नहीं हुआ, तो कम से कम यह आभास तो होगा ही कि ब्रिटिश सरकार ने विश्वास भंग किया है। उसने लिखा था कि,

---

1 विदेश-सचिव और यारकंद के दूत के बीच हुई भेंट की टिप्पणियाँ, जनवरी, 21, 1875, सिक्रेट प्रासीडिंग्ज, मई 1875 पृ 118

2 काशगर के लिए जाने वाले प्रस्तावित मिशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में टिप्पणी, 7 जनवरी, 1875 के डब्ल्यू स 3 एफ डी एम पी, 1878 अप्रैल स 183-85।

3 भारत सचिव के नाम प्रेषण स 15 अक्तूबर 1876।

'अगर हमने संधि का पालन करना अस्वीकार कर दिया, तो इससे निश्चय ही रूस और चीन दोनों ही के साथ अमीर के संबंध बिगड़ जाएँगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था डिग जाएगी। यह दृष्टिकोण चाहे कितना निराधार क्यों न हो, पर इससे हमारे यश तथा हितों को आघात पहुँच सकता है"। आगे चल कर उसने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि इस नीति से क्या लाभ होंगे। इसका एक ठोस लाभ यह होगा कि काशगर में एक समझदार पदाधिकारी रहने लगेगा जो आस-पास के देशों के घटना-प्रवाह के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त करने की स्थिति में होगा और साथ ही अपने प्रभाव से अमीर को ऐसे विवेकहीन कार्यों से रोक सकेगा जिनके कारण उसका अपने पड़ोसियों से संघर्ष हो जाए और उस पर ऐसा हमला हो जाए जिसका पूरी तरह सामना करने की उसमें शक्ति न हो और जिसके विरुद्ध उसे सहायता भी न दी जा सके"। स्थिति पर सब ओर से विचार करने के उपरांत भारत-मंत्री इस बात के लिए तैयार हो गया कि श्री शा को काशगर भेज दिया जाए और सैयद याकूब खाँ भारत में दूत बन कर रह जाए। पर, उसने यह शर्त लगा दी कि ब्रिटिश दूत की यात्रा अगली पर्यटन-ऋतु के अंतिम दौर तक के लिए स्थगित रखी जाए। तब तक स्थिति ऐसी हो सकती है कि इस कार्यवाही से विभिन्न क्षेत्रों में आज जितनी गलतफहमी पैदा होने की संभावना हो, उसकी अपेक्षा कम गलतफहमी पैदा हो या फिर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि इस योजना को बिल्कुल त्याग देना ही निर्भ्रांत रूप से उचित लगने लगे। भारत-मंत्री ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि "इस पूर्व निश्चित मंतव्य को कि दूतावास अस्थायी ही होगा, कोई संकेत दिए बिना दूतावास के स्थायित्व के प्रश्न को अभी खुला रखा जाए"।[1]

इस बीच, चीनी साम्राज्य की ओर से उठने वाले खतरे की भयंकर बाढ़ को रोकने के भी निरंतर प्रयत्न हो रहे थे। पेकिंग-स्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि ने "(चीन के) प्रधान मंत्री को जोरदार सलाह दी कि वह जुंगरिया और काशगरिया को फिर से हथियाने की योजना त्याग दे", पर चीनी सरकार ने "इस सलाह को देशभक्तिहीन बताकर इसका घोर विरोध किया"। बाद में जब 1876 में इगनस फोर्सीथ पेकिंग गया, तब उसने यह सवाल फिर से उठाया। चीनी साम्राज्य सिर्फ इसी शर्त पर झुकने के लिए तैयार था—और किसी शर्त पर नहीं—कि यारकंद का अमीर चीन के आगे घुटने टेक दे, चीन को कर दे और 'काउटाउ'[2] करे। वह सामंत के रूप में ही रह सकता था, स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं। यह व्यवस्था न तो अमीर को ही स्वीकार्य थी और न भारत सरकार को ही। चीनी सरकार याकूब बेग के प्रति एक ही प्रकार का व्यवहार करने के लिए तैयार थी—याकूब बेग विद्रोही है और विद्रोह को "कुचल देना चाहिए"। अतएव अगर उसके साथ कोई बातचीत होती, तो वह रसोत्सुभाग तार द्वारा की जा सकती थी।[3] फोर्सीथ के प्रयत्नों का कुछ परिणाम न निकला। बाद में, अप्रैल, 1877 में पेकिंग-स्थित ब्रिटिश कार्यदूत (Charge'd Affaires) ने लिखा कि चूंकि यारकंद के साथ लड़ाई ठीक

1 टिप्पणी, 7 जनवरी, 1875 के इन्क्लू स 3, पृ ४।
2 दंडवत।
3 चीनी सेनापति जो पूर्वी तुर्किस्तान पर फिर से अधिकार करने वाली सेना का प्रधान था।

नहीं चल रही है इसलिए चीनी परिषद में इस प्रश्न पर मतभेद पैदा हो गया है कि यारकन्द के शासक के साथ सुलह की जाए या नहीं। मई में पेकिंग राजदूतावास ने भी इंगलैंड के विदेश मंत्रालय को सूचना दी कि चीनी सरकार एक ही शर्त पर अमीर के साथ संबंध स्थापित कर सकती है— काशगर में चीन का वैध प्रभाव रहना चाहिए। यारकन्द का दूत सैयद याकूब खां इस समय लंदन में था और इंगलैंड के विदेश मंत्रालय ने उसकी मौजूदगी से लाभ उठाकर चीन और यारकन्द को ऐसी मैत्री संधि में बांधने की कोशिश की जो चीन प्रकट रूप से चाहता था। सैयद याकूब खां भी काशगर और चीन की शत्रुता का अंत करने के लिए अंग्रेजों की मध्यस्थता चाहता था। ब्रिटिश सरकार का इरादा यह था कि लंदन में चीन और यारकन्द के दूतों की एक औपचारिक बैठक की जाए। पर, चीनी दूत अपनी ओर से पहल करने के लिए तैयार न था और जब तक यारकन्द का दूत कुछ इस तरह की शर्तों के लिए तैयार न हो जाता तब तक उसमें यह साहस भी न था कि वह चीनी सरकार को कुछ लिखता

(1) अमीर चीन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें चीन के अधीन काशगर का शासक बनाए जाने की शर्त पर वह लड़ाई न करने का वायदा करेगा।

(2) अमीर कुछ शहर चीन को दे देगा।

(3) अमीर तुंगानों द्वारा अधिकृत प्रदेश को फिर से जीतने में चीन की सहायता करेगा।

फार्सीथ का मत था कि अमीर इन शर्तों को स्वीकार कर लेगा और इस आधार पर विदेश मंत्री लॉर्ड डर्बी ने चीनी दूत को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि 'सम्राज्ञी की सरकार अपनी मध्यस्थता द्वारा चीन और काशगर के मतभेदों को सम्मानजनक और स्थायी रीति से सुलझाना चाहती है। उसे विश्वास था और उसका यह विश्वास सकारण था कि अमीर निम्नलिखित प्रस्तावों से सहर्ष सहमत हो जाएगा

(1) अमीर याकूब खां द्वारा चीन के अधिराजत्व की स्वीकृति (कुछ उसी सीमा तक जिस सीमा तक कि बर्मा का राजा उसे स्वीकार करता है)। इस समय अमीर का जितने प्रदेश पर अधिकार है वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में बना रहेगा, पर वह समय-समय पर भेंट या कर लेकर अपने दूत पेकिंग भेजा करेगा और महामहिम चीनी सम्राट को उसी तरह संबोधित करेगा जिस तरह अपने से बड़ों को संबोधित किया जाता है।

(2) काशगर की सल्तनत और चीन के बीच निश्चित सीमा निर्धारण।

(3) अगर तुंगानियों, उपद्रवी कबीलों या बाहरी शत्रुओं की ओर से कोई आन्तरिक बखेड़ा पैदा हो तो उस स्थिति में एक देश द्वारा दूसरे देश की सहायता करने के संबंध में करार किया जा सकता है।

चीनी दूत से कहा गया कि वह अपनी सरकार से ये शर्तें स्वीकार कराए और काश

गर का अमीर इन्हें कार्यान्वित कराने के लिए एक दूत पेकिंग भेजेगा।[1] लगता था कि चीनी दूत उस समय तक इन शर्तों की सिफारिश करने के लिए तैयार न था जब तक कि काशगर पूर्व म चार महत्त्वपूर्ण शहरों का समर्पण करने के लिए तैयार न हो। दोनों दूतों की भेंट न हो सकी और मामला यहीं ठंडा पड गया। लेकिन, इससे अँग्रेजी और भारतीय सरकारों की इस नीति का पता चलता है कि वे रूस के विरुद्ध प्राचीर के रूप मे यारकद-काशगर की अखडता की रक्षा करने के लिए उत्सुक थी भले ही इसके लिए चीन के साथ यह समझौता करना पडता कि अमीर के ऊपर चीन का नाम-मात्र का अधिराजत्व रहेगा। पर स्वय काशगर में घटना-चक्र इतनी तेजी से घूमा कि उनकी सारी योजनाएँ छिन्न-भिन्न हो गई। 1877 की गर्मी मे याकूब बेग की मृत्यु हो गई—या तो बीमारी से या उसे जहर दे दिया गया। भारत मे यह समाचार देर से पहुँचा और वह भी पक्का न था। चीनी देश को फिर से जीतने के लिए तेजी से आगे बढ रहे थे और अमीर की मृत्यु के बाद वहाँ जो आतरिक अव्यवस्था पैदा हो गई थी, उसके कारण चीनियो की सफलता निश्चित थी। "हाकिम खाँ तुर्रा ने अपने को आजाद घोषित कर दिया। उसमे अक्सू तक समूचा पूर्वी भाग जीत लिया और उसे खोतान के बेग नियाज अकिम बेग का भी समर्थन मिल गया'। याकूब बेग का दूसरा लडका बेग कुली बेग, जिसने अपने बडे भाई हक कुली बेग की हत्या कर दी थी, इन दोनो के विरुद्ध फौज लेकर मैदान मे उतरा और उसने उन्हें हरा दिया। हाकिम खाँ रूस भाग गया। इसी बीच चीनियो ने देश के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया और वे काशगर की ओर बढने लगे। बेग कुली बेग ने मुकाबले की कोशिश की पर वह सफल न हो सका। इस समय वह खोतान से लड रहा था और खोतान के बेग ने चीनियो के साथ गोपनीय समझौता कर रखा था। बेग कुली बेग खोतान को न हरा सका, इसलिए वह काशगर वापस लौट गया जो उस समय चीनियो का लक्ष्य बना हुआ था। जब बेग कुली बेग को यह लगा कि वह चीनियो से पार नहीं पा सकता, तो वह भाग कर मध्य एशिया मे रूस के अधिकृत प्रदेशो मे जा पहुँचा। दिसबर, 1877 मे चीनियो ने काशगर पर अधिकार कर लिया और मिर्जा अहमद को वहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस तरह, याकूब बेग की यारकद-काशगर की उस सल्तनत का अत हो गया जिसके साथ भारत सरकार ने मैत्रीपूर्ण सबध स्थापित करने चाहे थे, और पूर्वी तुर्किस्तान मे दुबारा चीनियो का शासन स्थापित हो गया।

परन्तु काशगर म मुस्लिम शक्ति का अतिम पराभव होने से पहले बेग कुली बेग ने ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह उसकी सल्तनत मे एक स्थायी दूत नियुक्त कर दे। किन्तु भारत-मत्री ने स्थिति की अनिश्चितता को देखते हुए इच्छा व्यक्त की कि अभी वहाँ दूत को भेजना स्थगित रखा जाए और उसने सुझाव दिया कि नया शासक इस दिशा में नए सिरे से कदम उठाए। नए अमीर ने, दिसबर, 1877 मे अपनी अंतिम पराजय से पहले वायसराय को एक पत्र भेजा था जिसम उसने वायसराय से अपने यहाँ

---

1 चीन और काशगर के बीच लडाई रोकने के लिए की गई बातचीत के सबध मे टिप्पणी, 6 जनवरी, 1878, के इन्क्लू स I A, एफ डी एस पी, 1878, अप्रैल, स 183-5

पर बैठने की सूचना ी थी और साथ ही उसे यह भी बता दिया था कि अब चीन की सफलता का खतरा बराबर बढ़ता जा रहा है। इस पत्र मे उसने लदन-प्रस्तावो के आधार पर चीन से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की थी, अँग्रेजो की दोस्ती चाही थी और उनकी *सलाह माँगी थी।* इस पत्र के साथ लद्दाख स्थित विशेष कमिश्नर श्री एलिस का भी एक पत्र था जिसमे उसने बताया था कि अमीर चीन के साथ किन्ही भी शर्तों पर *सधि करने के लिए तैयार है—इसमे सिर्फ एक ही अपवाद है कि चीन उसके देश को न हड़प ले।* अमीर को एक ऐसे विश्वसनीय दूत की बहुत आवश्यकता है जो उसके और चीनी सेनापति के बीच बातचीत करा सके। इस समय अमीर और उसके देश की स्थिति ऐसे नाजुक दौर म पहुँच गई है जहाँ हमारी थोड़ी-सी कोशिश से चीन के साथ उसके जो भी विवाद है व सब दूर हो सकते है देश म उसकी सत्ता सुदृढ हो सकती है और हमे उसकी स्थायी मित्रता प्राप्त हो सकती है। हमारी थोड़ी-सी भी देरी से हो सकता है यह देश हमारे हाथ स बिल्कुल निकल जाय और अगर इस स्थिति मे वहाँ कुछ उलझनें पैदा हुई, तो हमारा उन पर कुछ बस न रहेगा। एलिस ने यह भी सुझाया कि जब तक शा काशगर नहीं जाता तब तक वह काशगर चला जाए और अमीर को सलाह दे आए। लॉर्ड लिटन भी इस *अवसर से लाभ उठाना चाहता था क्योकि उसका विश्वास था कि अगर हमे* पहले से निश्चित इस नीति पर चलना है कि इस देश मे अँग्रेजो का प्रभाव बनाए रखा *जाए ताकि रूस या चीन इस पर जल्दी से अधिकार न कर ले', तो ऐसे समय हम अमीर* की सहायता निश्चय ही करनी चाहिए जबकि उसे हमारी सहायता की वास्तव म आवश्यकता है। अगर, उसके दरबार मे कोई अँग्रेज अधिकारी मौजूद रहा, तो चाहे उसे यह अधिकार न हो कि वह किसी तरह के हस्तक्षेप का या राजनयिक गारटियो का वचन दे सके, फिर भी उसका यह प्रभाव अवश्य हो सकता है कि 'अमीर जल्दबाजी मे रूस के आगे घुटने न टेके' और चीन के साथ सुलह हो जाए। और, अगर यह हुआ, तो अमीर को हमारे प्रति कृतज्ञ होने का महत्वपूर्ण तथा स्थायी आधार मिल जाएगा और यह इस सल्तनत मे अँग्रेजो के प्रभाव की स्थापना मे एक महत्वपूर्ण तत्त्व होगा। भारत सरकार ने एलिस को भेजने का निश्चय किया पर कुछ ऐसे कठोर आदेश देकर कि उसके हाथ बँध गए।[1] किंतु एलिस काशगर न जा सका क्योकि इस वाद-विवाद के समाप्त होने के काफी पहले ही बेग कुली बेग चीनियो से पराजित हो गया और सल्तनत छोड़ कर भाग गया।

भारत सरकार काशगर के ऊपर मैत्रीजन्य प्रभाव स्थापित करने के लिए और इस *प्रकार, उसे पहले तो रूस की और बाद म चीन की* अधीनता से बचाने के लिए उत्सुक थी। पर, भारत सरकार 'परम निष्क्रियता' की नीति न त्याग सकी। जब काशगर-यारकद को वास्तव म उसकी सहायता की जरूरत थी, तब वह समय पर उस किसी तरह की ठोस सहायता न दे सकी और वहाँ दूतावास की स्थापना करने मे भी उसने बहुत देर हुई—इन सब कारणो से इस सल्तनत का भाग्य नक्षत्र डूब गया और भारत सरकार के साथ उसके जो भी सबध थे, वे टूट गए।

---

1. काशगर के साथ सबधो के बारे म लिटन का विवरण, 5 फरवरी, 1878, भारत मंत्री की ओर स भेजा गया प्रेषण, स 206

अध्याय 7

संचार-साधनों का विकास

युद्ध-नीति और वाणिज्य — यही दो प्रेरक हेतु रहे हैं जिनका संचार-साधनों के विकास में और इस तरह अविकसित प्रदेशों के द्वार खोलने में सबसे अधिक योग रहा है। साम्राज्यवादी देशों ने अपने पाँव पसारने और पिछड़ी हुई जातियों को अपने शिकंजे में कसने में इन दोनों साधनों का उपयोग किया है। जब उन्नीसवीं सदी के बीच में रूस ने मध्य एशिया के देशों को जीतना शुरू किया था और ब्रिटेन ने भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त की स्थिति में स्थिरता ला दी थी तब एशिया में भी संचार-साधनों का विकास आरम्भ हो गया था। सड़कों, रेलों और देशों के भीतरी भागों के जलमार्गों में भाप के जहाजों में यात्रा करने की सुविधाओं के तीव्र विकास की प्रेरणा सामान्यतः रक्षा-व्यवस्था, सेना और रसद को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने की और तेजी से बढ़ते हुए वाणिज्य की आवश्यकताओं के कारण ही मिली थी। इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली प्रेरक हेतु यह था कि इंगलैंड और रूस दोनों साम्राज्यों के बीच होड़ बढ़ती जा रही थी, दोनों के विस्तारशील साम्राज्य की सीमाएँ एक-दूसरे को स्पर्श करने लगी थीं और इसके परिणामस्वरूप दोनों एक-दूसरे के विस्तार को ईर्ष्या तथा डर की नजर से देखने लगे थे। इस विरोध के फलस्वरूप दोनों ही सड़कों का विकास करने और अपनी सीमाओं तक रेलें बनाने में या परोक्ष में अपने साम्राज्यों में इन्हें स्थापित करने में प्रवृत्त हुए। उनकी इस प्रवृत्ति के मूल में सामरिक कारण तो मुख्य थे ही, वाणिज्य का तत्त्व भी महत्त्वपूर्ण था। अस्तु, हम देखते हैं कि अगली अर्द्ध शती में पश्चिमी और मध्य एशिया में संचार के साधनों का तेजी से विकास हुआ और यूरोप को पूर्व से जोड़ने वाली कई रेलों के निर्माण की योजनाएँ चालू हुईं।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल में पश्चिम में आरल्सक और पूर्व में सेमिपालातिन्स्क की दिशा में रूस की जो विजय-यात्रा आरम्भ हुई थी वह प्रकट रूप में किरगीज ओर्दुओं का पीछा करने के लिए और प्राकृतिक सीमान्त की स्थापना के लिए थी, परन्तु इस विजय-यात्रा के फलस्वरूप रूस ने मध्य एशिया के अनेक समृद्ध प्रदेशों पर अधिकार जमा लिया। ताशकंद और समरकंद उसके महत्त्वपूर्ण अधिकृत प्रदेश हो गए थे और कोकंद तथा बुखारा उसके साम्राज्य के अंग थे। कुछ समय बाद खीव भी उसकी अधीनता में आ गया। गवर्नरिया में हिंदुकुश की ओर फैले हुए इन विशाल प्रदेशों की राजधानी थी ताशकंद

जो हजारों मील लंबे रेगिस्तान और पर्वतमाला के बीच में आ जाने के कारण रूस के सीमान्त से और ओरेनबर्ग तथा कैस्पियन और कृष्ण सागर पर स्थित उसके अग्रवर्ती अड्डों (forward bases) से बहुत दूर पड़ती थी। इस समय रूस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ताशकंद का सेंट पीटर्सबर्ग से संपर्क स्थापित किया जाए और साम्राज्य की रक्षा करने तथा नए-नए प्रदेश जीतने या ग्रेट ब्रिटेन के जिस विरोध का निरंतर खतरा बना रहता था, उसका सामना करने के लिए मुकाम पर जल्द से जल्द फौजें और रसद पहुँचाने का प्रबंध किया जाए। इस समस्या के फलस्वरूप ही नए-नए मार्गों की खोज और उनके सुधार की राह खुल गई। मध्य एशिया के रूसीकरण की परिस्थितियाँ साइबेरिया के बंदोबस्त की परिस्थितियों से इतनी भिन्न थीं कि उनके लिए बिल्कुल भिन्न साधनों को काम में लाने की आवश्यकता थी। 'साइबेरिया में तो रूस का कोई विरोध नहीं हुआ था, पर मध्य एशिया में मजबूत और लड़ाकू जातियों के लोग थे, वे युद्ध में निर्भीक, शूरवीर, और अप्रतिहत विरोधी थे, और साइबेरिया के आस-पास के क्षेत्रों में ऐसे अनेक शासक थे जिनके पास अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए आवश्यक जन शक्ति भी थी और साधन भी'[1]। किरघीजिया या तुर्कमानों ने जिस तरह से जम कर विरोध किया था, और कोहकंद, बुखारा, तथा खीव के खानों ने जो लोहा लिया था, उसे देखते हुए विरोध को कुचल डालने के लिए संचार के कारगर साधनों का विकास करना आवश्यक हो गया था। इसके अलावा रूस की अँग्रेजों के साथ निरंतर शत्रुता बनी ही रहती थी और इसके कारण यह आवश्यक हो गया था कि दक्षिणी सीमांत की पूरी तरह रक्षा की जाए। इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि यूरोप में मध्य एशिया तक ही नहीं, बल्कि ताशकंद-स्थित केंद्र से दूर-दूर तक फैली हुई सीमा-वर्ती चौकियों और मध्य एशिया की गतिविधि तथा राजनीति के मुख्य केंद्रों तक, सड़कों और रेलों का जो जाल बिछा, उसमें सैनिक या सामरिक विचारों की प्रमुखता हो गई। इन योजनाओं में वाणिज्य की भी अपनी भूमिका थी, पर सामान्य रूप से आरंभ में वह राजनीति और और युद्ध-नीति की प्रेरणाओं से दबी रही।

जब क्रीमिया-युद्ध के बाद रूस ने मध्य एशिया की ओर रुख किया, तब उसके सामने दो ही रास्ते थे—या तो वे पगडंडियाँ थीं जिन पर चलकर कारवाँ चीन तक का सफर तय किया करते थे या फिर वे नदियाँ थीं जो रेगिस्तानों और स्टेपीजों में से होकर बहती थीं। ओरेनबर्ग से एक वाणिज्य-मार्ग आर्स्क तथा तुर्गई (फोर्ट ओरेनबर्ग) होता हुआ काराकुम तथा किरघीज स्टेपीजों को पार कर वेर्नेन पहुँचता था और वहाँ से इली घाटी होता हुआ चीनी सरहद को पार कर कुल्जा तक। एक अन्य मार्ग ओर्स्क से ताशकंद तक जाता था। वह कराबुतक, इर्गिज (फोर्ट यूराल्स्क), अराल्स्क, कजालिंस्क (फोर्ट न 1), और फिर वहाँ से सर दरया (जक्जार्टीज) की घाटी तक होता हुआ पेरोव्स्की, जुलक, तुर्किस्तान, चामकंद और ताशकंद तक पहुँचता था। इस रास्ते के दोनों ओर रेगिस्तान पड़ते थे, पर वह उन रेगि-स्तानों से बच कर निकल जाता था। वह करानाउ पर्वतमाला से भी बच कर उसके दक्षिण में निकल जाता था। ताशकंद को साइबेरिया के मुख्य राजमार्ग से

---

1. क्राउजे, रूस इन एशिया, पृ. 198

जानी है"[1]। तीसरी सडक अराल समुद्र के चारो ओर चक्कर लगा कर एम्बा नदी (एम्बा खाडी) के मुहान और सर दरिया के तट पर कजालिया या फोर्ट न 1 के बीच पडती। जनरल रोमानोव्स्की का विचार था कि इन सडको के द्वारा तुर्किस्तान के साथ काकेशस की सीधी सचार-व्यवस्था स्थापित हो जाएगी[2]। इन योजनाओ की चर्चा करते हुए रालिन्सन ने लिखा था, इस समय फौजें और साज-सामान वोल्गा से किरघीज के पास बुखारा सीमात के आग तक पहुँचाने मे प्राय दो वर्ष लगते है। पर, अगर कही कैस्पियन और अराल समुद्र पर स्टीमर हो, दोनो समुद्रो को जोडने के लिए एक रेलवे लाइन हो, आक्सस और जक्सार्टीज मे हल्की नावें हो, तब काकेशस के सैन्य-बहुल शिविरो से मध्य एशिया म फौजे भेजन के लिए कुछ सप्ताह ही पर्याप्त होगे। एक नदी मे तो खोजड तक स्टीमर जा सकेंगे और दूसरी म बल्ख के निकट तक[3]। इन सडको के निर्माण का प्रयोजन यह था कि अतर्देश के दोनो समुद्रो के बीच की दूरी समाप्त की जाए और इस तरह स ओक्सस तथा सर दरिया के जलमार्गों या उसकी घाटी स निकलने वाली सडक का भरपूर उपयोग किया जाए।

कैस्पियन समुद्र रूस के साधन-समृद्ध क्षेत्र की सीमा पर था जहाँ वोल्गा स होकर या बाद म ट्रास-काकेशियाई रेलवे से पहुँचा जाता था। ट्रास-काकेशियाई रेलवे का निर्माण उन्नीसवी सदी के सातवे दशक के आरम्भ म हुआ था और यह कैस्पियन सागर के तट को कृष्ण सागर के तट स जोडती थी। बाकू म तेल की जो चीजे तैयार होती थी और वोल्गा के रास्ते, यातायात का जो सिलसिला जारी रहता था, उसके कारण वहाँ जल-परिवहन के साधनो का एक बडा बेडा तैयार रहता था जिसका उपयोग बडी-बडी फौजो तक को कैस्पियन सागर के पार पहुँचाने मे किया जा सकता था। कैस्पियन सागर का तट सैनिक कार्यवाही का मुख्य अड्डा बन गया था क्योकि वहाँ वोल्गा के रास्ते आसानी से पहुँचा जा सकता था और वह काकेशिया की सीमा पर था जो उन्नीसवी सदी के आरम्भ मे रूस की सैनिक शक्ति का मुख्य केंद्र था और जहाँ रेल-व्यवस्था के कारण सेना तथा साज-सामान जल्दी से जमा किया जा सकता था। खीव और मर्व पर अधिकार कर लेने की इच्छा और अफगानिस्तान क सीमात पर ओक्सस नदी को अपन नियत्रण मे बनाए रखने का सामर्थ्य, हेरात पर ध्यान केंद्रित करने और फारस-तुर्क सीमा को काबू मे रखने की सभावना, तुर्कमानो से रक्षा करने की जरूरतें और भारत का व्यापार हथियाने की आशा—इन सब कारणो से मध्य एशिया में सचार-योजनाओ के सहायता-स्थल के रूप म कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट का महत्त्व बढ गया था।

कैस्पियन समुद्र के किनारे से अनेक सडकें हेरात की ओर जाती थी। इसके बारे मे बाउल्गर ने लिखा था कि, वह एशिया के जीवन का एक ऐसा मुख्य केंद्र है जहाँ से सडकें मास्को और कलकत्ता तक ही नही जाती, पेकिन और चीनी समुद्र-तट तक भी

1 मध्य एशिया मे रूस की स्थिति के सबध मे ज्ञापन-पत्र, 1869, रॉलिन्सन का ज्ञापन-पत्र, 1868

2 मध्य एशिया के सबध मे ज्ञापन-पत्र, 1869

3 रॉलिन्सन का ज्ञापन-पत्र।

जाती है'[1]। कैस्पियन सागर से आने वाली पहली सड़क, क्रासनोवोड्स्क से "किज़िल अरवत तक और वहाँ से अटक के ढालू प्रदेशों के किनारे-किनारे फारस की सीमा पर अस्काबाद, अबिवर्द और सारख्स तक" पहुँचती थी और यहाँ से मर्व तथा हेरात इन दोनों जगहों पर आसानी से पहुँचा जा सकता था। 1873 में रूस का ध्यान तुर्कमान कबीलों की ओर गया जिन्होंने उसका रास्ता रोक रखा था और खीव तक पहुँचना असम्भव कर दिया था। यह रास्ता तभी से प्रसिद्ध हो गया। जनरल लोमाकिन ने टेके तुर्कमानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में इस रास्ते का उपयोग किया था और जनरल एनेंकोव ने 1880 में कैस्पियन समुद्र तट से अकाल टेके मरुद्यान के किनारे तक रेल बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी"।[2] इस रेल लाइन का पहला भाग जो किज़िल अरवत तक जाता था 1881 में पूरा हो गया और लेसेप्स ने बाद के वर्षों में आगे के सर्वेक्षण किए। दूसरी सड़कें फारस की सीमा से होकर जाती थीं और वे अस्त्राबाद से आरम्भ होती थीं। अस्त्राबाद और मशेद के बीच में तीन वैकल्पिक रास्ते थे। इन रास्तों पर उत्तर में बुजनूर्द और कुशन, बीच में अब्बासाबाद, सब्ज़वार और निशापुर और दक्षिण में शाहरूद, तुर्शीज़ और जावेह पड़ते थे। मशेद से सारख्स और हेरात दोनों स्थानों तक सड़कें जाती थीं और दक्षिण की दिशा में एक सीधी सड़क तुर्शीज़ से घोरियाँ होती हुई हेरात तक पहुँचती थी। उम्मीद की जाती थी कि खुरासान की इन सड़कों से बड़ी-बड़ी फौजें आ-जा सकती हैं और इन पर पानी तथा रसद की भी कोई परेशानी न थी। क्रासनोवोड्स्क-सारख्स सड़क ऐसे क्षेत्र में होकर जाती थी जिस पर निश्चित रूप से रूस का अधिकार था पर अन्य सड़कें फारस की सीमा में से होकर गुज़रती थीं और फारस की राजनयिक मैत्री हुए बिना रूस उनका उपयोग नहीं कर सकता था।

उन्नीसवीं सदी के सातवें और आठवें दशकों में मध्य एशिया को रूस से जोड़ने वाली सड़कों का विकास तो किया ही जा रहा था, इसके अलावा 1869 में यह भी कहा गया था कि "रूस का जिन जिन स्थानों पर अधिकार है, रूसी उनके बीच में सचार-साधन सुधारने और सड़कें बनाने में लगे हुए हैं—विशेषकर उन स्थलों के बीच में जो स्टेपीज़ या रेगिस्तान को पार कर जिज़ाख्स के रास्ते से समरकन्द और ताशकन्द तथा जक्सार्टीज़ के तट पर किलों के बीच में पड़ते हैं। फिर, रूसियों ने ओरेनबर्ग और ताशकन्द के बीच में ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है कि वहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक साठ दिन में डाक आ-जा सकती है"।[3] बाउल्गर ने मध्य एशिया के बीच से जाने वाले ऐसे अनेक रास्तों की चर्चा की है जिनके बारे में उसका विचार था कि उनसे होकर भारत पर चढ़ाई की जा सकती है। इनमें से एक रास्ता ताशकन्द से उश तक और टेरेक दर्रे से काशगर तक जाता था जहाँ से भारत की सीमा तक पहुँचना सभव था। दूसरा रास्ता पामीर को पार करता था और रोशन तथा शिगनान से होकर बारोघिल दर्रे तक जाता था। पर, ये दोनों ही रास्ते लबे और दुर्गम थे—खासकर इसलिए कि उस समय वे पूरी तरह विकसित न थे। पर, उसने समरकन्द या बुखारा से अफगान सीमा तक जाने वाले रास्तों को,

1 बाउल्गर, पृ 133

2 मार्विन द रशन एडवान्स टुवर्ड्स इंडिया, पृ 166

3 मध्य एशिया के सबध में ज्ञापन-पत्र, 1869

पूर्व में फैज़ाबाद या पश्चिम में बल्ख, मैमना तथा हेरात तक जाने वाले रास्तों को, भारत की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से खतरनाक बनाया।[1] ताशकंद से खोजेंड, उरातीब, जिज़क, समरकंद और बुखारा को जाने वाली सडक में पर्याप्त सुधार कर दिया गया और वह मध्य एशियाई जीवन के इन तीन केंद्रों को जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग बन गई थी। समरकंद से एक महत्त्वपूर्ण सडक शाहिर सब्ज़, शिराबाद और हिसार होती हुई ओक्सस के ऊपरी भाग में कालाह और रोशन तक जाती थी। इस सडक के कारण रूस की फौजी कार्यवाही के अड्डे हिसार और कालाह तक पहुँच गए और चितराल की तरफ भारत की रक्षा-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया तथा अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत और उसके मुख्य शहर फैज़ाबाद के ऊपर भी संकट के बादल मँडराने लगे।

लेकिन, इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण सडकें वे थीं जो समरकंद और बुखारा से चल कर हिंदूकुश के पार के शहरों बल्ख, अदखुई और मैमना में जाकर मिलती थीं। जिस तरह हिसार अफगानिस्तान के पूर्वी भागों के लिए अड्डा था, उसी तरह कार्शी मध्यवर्ती भागों के लिए संचार-साधनों का केंद्र था और वह सैनिक कार्यवाही के लिए कहीं ज्यादा अच्छा अड्डा था। एक ओर तो उसका समरकंद और बुखारा से सीधा संबंध था और दूसरी ओर दक्षिण में ओक्सस के तट पर स्थित केरकी, खोजा सलह और किलिफ से। केरकी से सीधी सडक अदखुई और मैमना तक जाती थी। खोजा सलह और किलिफ से बल्ख तक सडकें जाती थीं और वह एक अच्छी सडक के द्वारा खुल्म तथा कुंदूज़ से जुडा हुआ था। काउल्बर्स ने कहा है कि किलिफ से बल्ख तक जाने वाली सडक सबसे छोटी थी और उस पर पानी खूब मिलता था। इस स्थिति में केरकी का महत्त्व यह था कि वह "सबसे ऊँचा बिंदु था जहाँ तक अराल का जहाजी बेडा पहुँच सका है"। ओक्सस नदी के तट पर जो जगह जहाजरानी के लिए केरकी से भी ज्यादा अच्छी थी और जिसका 'सबसे ज्यादा' उपयोग होता था, वह थी खोजा सलेह और वहाँ तक रूसी युद्धपोत आ-जा सकते थे।[2] काउल्बर्स ने समरकंद हिसार सडक पर शिराबाद से किलिफ या ओक्सस तट पर स्थित तर्मेज़ तक एक सडक के विकास की संभावना का भी ज़िक्र किया है। इस सडक के पक्ष में "मुख्य बात यह है कि वह रेगिस्तान से पूरी तरह बच जाती है और सेना की तीन मुख्य आवश्यक चीज़ें—पानी, ईंधन तथा घास-पात—इसके किनारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं"।[3] बल्ख पर आकर मिलने वाली इन सडकों का महत्त्व यह था कि यहाँ से काबुल की ओर जाने वाले हिंदूकुश के दर्रों तक आसानी से पहुँचा जा सकता था। एक सडक उत्तर में अफगान तुर्किस्तान के बीच होकर कुंदूज़ से हेरात जाती थी। हेरात वह जगह थी जहाँ रूसी मध्य एशिया से चलने वाली अनेक सडकें आकर मिलती थीं।

यहाँ हम उस सडक की भी चर्चा कर सकते हैं जो बुखारा से ओक्सस नदी के तट पर स्थित चारजुई तक और फिर वहाँ से मर्व तक जाती थी और मर्व से एक सडक मुर्गाब

---

1 काउल्बर्स, पृ 121-134

2 वही, पृ 128

3 वही, पृ 129

की धारा में से होकर ईरान तक पहुंचना थी। खीव भी मर्व के साथ जुड़ा हुआ था पर रास्ता रेगिस्तान से होकर जाता था और बड़ी-बड़ी फौजों के आने जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग नहीं हो सकता था। एक सड़क सारख्स से मर्व तक जाती थी। इसके अलावा अक्काल प्रदेश से भी मर्व तक अनेक रास्ते जाते थे। इन रास्तों के फलस्वरूप मर्व का कैस्पियन समुद्र के पत्तनों से संपर्क था पर तुर्कमानों की शत्रुता और उसके रेगिस्तान के कारण कैस्पियन समुद्र से इस सबसे महत्वपूर्ण शहर के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता था।

संचार के विकास में दूरी की समस्या केवल कुछ हद तक ही सुलझ सकती थी पर सशस्त्र फौजों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर जमा करने के लिए जिन प्रचुर परिवहन-सुविधाओं की जरूरत थी उनकी पूर्ति रेलवे और स्टीम इंजन के कारगर उपयोग के बिना संभव न थी। इसलिए रेल-संचार की योजनाओं का उपयोग विजय के साधनों के रूप में किया गया। रूस ने मध्य एशिया को जीतने के दो दशक बाद रेल विकास की ऐसी अनेक योजनाएं शुरू कीं जिन्हें सैनिक प्रयोजन ध्यान में रखकर तैयार किया गया था पर जो एशिया के वाणिज्यिक शोषण के लिए भी उपयोगी थीं।

खुद रूस में रेलों का विकास देर से आरंभ हुआ और लंबे अरसे तक वहां ऐसी कोई रेल लाइन न थी जो कैस्पियन समुद्र तट को रूस के भीतरी भागों से जोड़ती। 1860 में समारा के आगे पूर्व की ओर जाने वाली कोई सड़क न थी। काकेशिया और साइबेरिया— इन दोनों स्थानों में रेल-संचार की कोई व्यवस्था न थी। काकेशिया को जीत लेने और अवज्ञाकारी राष्ट्रों को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ रखने की सैनिक आवश्यकता के साथ-साथ बाकू के तेल के कुओं का बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करना आवश्यक हो गया था। फलतः कृष्ण सागर पर स्थित बातूम से पोटी, कुटाइस और तिफलिस के रास्ते कैस्पियन सागर पर स्थित बाकू तक ट्रांस-काकेशियाई रेल बनाने की आवश्यकता थी। फिर भी न तो इस लाइन और काकेसस की दूसरी तरफ स्थित रूसी रेल-व्यवस्था के बीच कोई संपर्क था और न एजोव समुद्र-तट पर स्थित रोस्टोव का तिफलिस से ही कोई सीधा संपर्क था। उन्नीसवीं सदी के अंत तक इन पहाड़ों को पार कर या कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट के किनारे किनारे डरबंद के रास्ते से बाकू तक कोई रेल लाइन नहीं बनी थी। पर ट्रांस-काकेशियाई रेलवे के बन जाने और अक्काल टेक तथा अन्य तुर्कमान कबीलों को वश में रखने में जो कठिनाइयाँ होती थीं उनसे जनरल एनेन्कोव को उस ट्रांस-कैस्पियन रेलवे की योजना तैयार करने की प्रेरणा मिली जिसे कुछ समय बाद मर्व तक पहुंचाया जाना और वहाँ से बढ़ाते-बढ़ाते चारजुई, बुखारा और समरकंद तक। कर्जन ने इस रेलवे के आरंभ का निम्नलिखित शब्दों में सजीव वर्णन किया है: मध्य एशिया में रूस के अनेक अभियानों के सिलसिले में मुख्य कठिनाई परिवहन की रही है और 1880 में जब जनरल स्कोबेलेव गिउक टेप के वामाविन अभियान का विध्वंस नालों का बदला चुकाने के लिए अकाल गया तब उसने सैनिक परिवहन के निश्चय जनरल एनेन्कोव से कहा कि कैस्पियन से सेना ले जाने का एकमात्र प्रभावशाली साधन यह होगा कि जल्दी से एक रेल लाइन का निर्माण किया जाए। एनेन्कोव योग्य सलाहकार सिद्ध हुआ। इससे ज्यादा भी इच्छा न की और यह मामला तुरंत ही उनके हाथ में

लिया। पर, उसके सामने सबसे बड़ी बाधा आवश्यक पटरियों का प्रबंध करने की थी। उसने सट पीटर्सबर्ग को आवेदन-पत्र दिया, पर उसका कोई फल न निकला, सौभाग्य-वश उसे यह याद था कि उन्गेनी में रेल की कई सौ टन पटरियाँ पड़ी हुई थीं जो वहाँ रूसी-तुर्की युद्ध के लिए जमा की गई थी। एनेकोव ने इन पटरियों का अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का सकल्प किया। फलत, सारा सामान कैस्पियन भेज दिया गया और वह बहुत जल्दी ही माइकेल की खाड़ी के पास पहुँच गया तथा वहाँ से मोल्ला-कारी की दिशा म छब्बीस वरसेट[1] तक पटरियाँ डाल दी गई। यह छड-रेलवे जो छोटी लाइन से अस्थायी रूप से बढा दी गई थी, तुर्कमानों को परास्त करने के आखिरी दौर में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई और ज्यो ही गिओक टेके का पतन हुआ और उदघोषणा करके अक्कल के मरुद्यान पर अधिकार कर लिया गया त्यो ही किज़िल अरवत तक इस रेल लाइन को बढ़ाने का निश्चय किया गया। ज़रूरी सयल अस्त्राखान और मिखालो-वेस्क के रास्ते रूस से लाया गया। काम तेजी से आगे बढा। बाकू और अस्त्राखान मे मजदूर काम पर लगा दिए गए। 1881 मे एक सौ साठ मील लबी लाइन बिछा दी गई और तीन साला मे कैस्पियन से समरकद तक की सारी दूरी तय कर ली गई जो कुल 100 मील की थी और 1888 में समरकद का अतिम स्टेशन खुल गया। यह उपक्रम राजनीति और इजीनियरी—दोनो दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण था। इस उपक्रम के मल म पूरी तरह सैनिक प्रेरणा सक्रिय थी और जो रास्ता तय किया गया था, वह बहुत ही मुश्किल था और उस रास्ते के बहुत स भाग मे ऊसर स्टेपी और बजर रेगिस्तान पडता था।[2] इस उपक्रम की विकटता की ओर सम-सामयिक यात्रियो का ध्यान भी बिना गए नही रहा। कर्जन ने भी इस लाइन का और जिस प्रदेश से होकर यह लाइन गुजरती थी, उसका सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है।[3]

यह लाइन ताशकद, खोहकद और अदिजन तक बढा दी गई और उन्नीसवी सदी के अत म इन स्थानो को कैस्पियन समुद्र से जोड दिया गया। विश्वास किया जाता था कि "मध्य एशियाई रेल्वे के एक छोर से दूसरे छोर तक उसके कारण अफगानिस्तान की सीमा के लिए खतरा पैदा हो गया है क्योकि उसके फलस्वरूप विभिन्न सैनिक चौकियो का एक-दूसरे से सपर्क स्थापित हो गया है और यह सुविधा सुलभ हो गई है कि कुशक के रास्ते हेरात मे या ओक्सस होकर केलकी के रास्ते बल्ख मे किसी भी क्षण विशाल सेना लाई जा सकती है और जहाँ मध्य एशिया मे इतनी सैनिक शक्ति जमा है कि कुछ घटो की सूचना पर ही पर्याप्त सेना एकत्रित की जा सके, वहाँ रेल्वे की वजह से कैस्पियन तक पहुँचने का सीधा रास्ता मिल गया है और यूरोप से असीम सेना मँगाई जा सकती है। अत अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितनी सेना की जरूरत हो, जमा की जा सकती है"।[4] इस रेल्वे का निर्माण आरम्भ होने से ब्रिटिश क्षेत्रों में काफी आशका पैदा हो गई थी

---

1 3500 फुट का एक प्राचीन रूसी नाप, लगभग 213 मील।
2 साउजे, पृ 198-9
3 कर्जन रशा इन सेंट्रल एशिया, अध्याय III
4 साउजे, पृ 20

और इस तरह की शंकाएँ की जाने लगी थीं कि "वह तेज़ी से 'भारत के द्वार' की ओर बढ़ रही है"[1]। यह शंका निराधार न थी क्योंकि आगे चल कर एक शाखा लाइन मर्व से कुशक तक बना दी गई थी। यह चौकी अफगानिस्तान की सीमा से सिर्फ पाँच मील दूर थी और हेरात के सामने पड़ती थी। जनरल एनेंकोव ने यह प्रस्ताव भी रखा था और इस पर गंभीरता से विचार हो रहा था कि भारत तक एक रेलमार्ग का निर्माण किया जाए जिससे फलस्वरूप लंदन से भारत तक नौ दिनों में पहुँचा जा सके"। मार्विन ने जनरल एनेंकोव के साथ अपनी एक भेंट का विवरण दिया है जिसमें उसने कहा था, "भारत तक रेलमार्ग के निर्माण से मित्रता बढ़ेगी। अगर रूस ने हेरात तक वर्तमान ट्रांस-कैस्पियन लाइन पूरी कर ली और इंगलैंड ने भी बोलन-पास-रेलवे को यहाँ तक बढ़ा दिया, तो आपकी फौजें कैलाइस, बर्लिन, वार्सा और फिर रूसी रेल-व्यवस्था से कैस्पियन तक और वहाँ से मिखाइलोवस्क, अश्काबाद, सारख्स, हेरात और कंधार होती हुई नौ दिन में ही लंदन से सिंध नदी पर स्थित सुक्कुर तक पहुँच सकेंगी। कैलाइस से डोवर तक का रास्ता और कैस्पियन पर बारह घंटों का रास्ता तो समुद्र से अवश्य तय करना पड़ेगा, शेष सारी दूरी थल के रास्ते तय हो जाएगी'।[2] इस तर्क में यह मान लिया गया था कि रूस और इंगलैंड के बीच सहयोग रहेगा ही रहेगा, पर उस समय दोनों साम्राज्यों के बीच तनाव की स्थिति देखते हुए यह सहयोग संभव न था। पर, इस संभावना की भी पूर्ण रूप से उपेक्षा न की जा सकती थी कि रूस अकेले ही इस रेल-व्यवस्था को हेरात तक बढ़ा कर ले जाएगा और वहाँ से भारत के सीमांत तक। एक वैकल्पिक प्रस्ताव यह था कि इस लाइन को मर्व से कुशक तक और फिर हेरात और कंधार से कलात तथा अरब सागर के तट पर सोमिआनी तक बढ़ाया जाए। इसके बारे में लिखते हुए काउंज ने कहा था "एक बार इस तरह की रेलें लाइन बन जाए तो रूसी राजनीतिज्ञों की हार्दिक इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। इसके फलस्वरूप अरब सागर तक सीधे पहुँचा जा सकेगा, दक्षिण-पूर्वी फारस पर आसानी से हमला हो सकेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सीमा पर अंग्रेजों को दोनों ओर से घेरा जा सकेगा।"[3] इन योजनाओं के अलावा लेमेस्स ने रूसी रेल-व्यवस्था को ओरेनबर्ग से पेशावर तक ले जाने की एक योजना बनाई थी। इसका रास्ता होता—ताशकंद, समरकंद, बल्ख और वहाँ से बामियान दर्रे होकर काबुल और फिर पेशावर[4]। ये अव्यावहारिक योजनाएँ थल के रास्ते भारत से इंगलैंड तक पहुँचने की योजनाओं का रूसी संस्करण थी।

इसी समय स्वयं रूसी प्रदेश में ताशकंद को पूरी तरह से थल के रास्ते रूस से जोड़ने की दो योजनाएँ प्रस्तुत की गई थीं। आयोजन की दृष्टि से ये कहीं अधिक उन्नत थीं। इनमें से एक प्रायोजना यह थी कि सर दरिया घाटी के किनारे-किनारे ओरेनबर्ग से ताश-

1 मार्विन पृ 167
2 मार्विन, पृ 171
3 काउंज, पृ 205-6
4 फॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, दिसंबर, 1873, सं 2/55 लेमेस्स ने 1 मई 1873 को इसके बारे में इगनटीव को लिखा था। रूसी क्षेत्रों में इस प्रस्ताव पर लंबे समय तक विचार होता रहा था।

तक रेलमार्ग का निर्माण किया जाए और दूसरी यह थी कि ताशकंद को सेमीपलाटिंस्क के साथ और फिर वहाँ से ग्रेट साइबेरियन रेल्वे पर स्थित ओम्स्क के साथ जोड़ा जाए। यह ग्रेट साइबेरियन रेल्वे उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में ही आरंभ की गई थी। एशिया में अब तक जो प्रदेश जीते गए थे, उनमें अपने पैर मजबूती से जमाने और वहाँ के वाणिज्य से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए ये रेलें जरूरी थीं। ये प्रायोजनाएँ उन्नीसवीं सदी में कार्यान्वित न हो सकी थीं पर ये थीं अवश्य और इनके फलस्वरूप अफगानिस्तान में खतरे और आशंका की भावना ही पैदा नहीं हुई, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य में निरंतर क्षोभ और ईर्ष्या भी बनी रही।

यहाँ दोनों नदियों ओक्सस और सर दरिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जल परिवहन के विकास की चर्चा करना भी आवश्यक है। इन नदियों में भाप से चलने वाले छोटे-छोटे जहाजों की आवा-जाई होती थी और कई सालों तक इस योजना पर गंभीरता से विचार होता रहा कि ओक्सस की धारा को उसके पुराने तल से कैस्पियन सागर की तरफ मोड़ दिया जाए और इस तरह वोल्गा तक पानी के रास्ते आने जाने की सीधी व्यवस्था कर दी जाए। यह और बात है कि उस समय यह योजना सफल न हुई, पर रेल्वे के निर्माण के पहले जलमार्ग की योजना पर गंभीरता से विचार किया गया था। रेल लाइन बन जाने के बाद यह योजना अनावश्यक हो गई।

दूसरी ओर, रेल निर्माण के क्षेत्र में सबसे पहले इंगलैंड उतरा था और उसने इस क्षेत्र में पहल की थी। 1880 से पहले उसने 10,000 मील लंबी रेल लाइन बिछा दी थी और ये लाइनें तेजी से उत्तर पश्चिमी सीमांत की बाहरी चौकियों तक बढ़ाई जा रही थीं। पेशावर और बोलन दर्रे का भारत के भीतरी भाग से संपर्क स्थापित किया जा रहा था और लिटन के अफगान-युद्ध के समय बोलन-सीबी रेल्वे को कंधार तक बढ़ाने के लिए साज-सामान एकत्रित किया जा रहा था। जब 1875 में अग्र नीति (forward policy) आरंभ हुई, तब ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो रेल तथा तार-व्यवस्था को अफगानिस्तान के भीतर तक ले जाना चाहते थे और बहुत से युद्ध-विशारदों को हेरात तक रेल-व्यवस्था ले जाने का विचार लंबे समय तक प्रिय लगता रहा। उन्नीसवीं सदी में क्वेटा और पेशावर तक रेल-लाइन बना दी गई। फिर इस दिशा में इसके आगे और कुछ प्रगति नहीं हुई। इसके लिए मुख्य रूप से तो काबुल के अमीरों का दृष्टिकोण उत्तरदायी था पर इसका एक कारण यह डर भी था कि इससे रूस का भारत तक बढ़ आना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि जनरल एनेनोव या लेसेप्स के अफगानिस्तान में से होकर रेल्वे बनाने के प्रस्ताव पर अंग्रेजों की पहल के बावजूद भी गंभीरतापूर्वक विचार न हो सका।

लेकिन, 1860 के बाद अंग्रेजों का ध्यान कई सालों तक एक और दिशा में केंद्रित रहा। यहाँ उनके दो प्रेरक हेतु थे—एक तो वाणिज्य और दूसरे इंगलैंड से भारत तक की दूरी में और फौज तथा साज-सामान लाने-ले जाने के समय में कमी करना। स्वेज नहर बनने के पहले रेल द्वारा भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने की एक योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श हुआ था। दिल्ली रेल्वे के अध्यक्ष डब्ल्यू. पी. एंड्रूज

ने यूफ्रेटीज वैली रेल्वे नामक इस प्रायोजना का बहुत विकास भी किया और प्रचार भी। इरादा यह था कि भूमध्यसागर पर स्थित एलेक्जेंड्रेटा को फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित बसरा के साथ जोड़ दिया जाए। "इस समय बसरा और कराची तथा बंबई के बीच भारत सरकार की मदद से नियमित संचार-व्यवस्था चल रही थी"[1]। इस प्रायोजना से अनेक लाभों का दावा किया गया था। कहा गया था कि इससे "बंबई की जगह कराची यूरोपीय बंदरगाह हो जाएगा" और इंगलैंड तथा भारत के बीच की दूरी 1,000 मील कम हो जाएगी। इससे फौजों तथा साज-सामान के परिवहन-व्यय में भी बचत होगी। हिसाब लगाया गया था कि इस रास्ते में चौदह दिन लगेंगे और कराची में फौजें उतारने से सीमान्त क्षेत्रों में उनका ज्यादा जल्दी जमाव किया जा सकेगा। एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह था कि इस व्यवस्था के फलस्वरूप उत्तर-पश्चिम की ओर भारत पर हमला करना असंभव हो जाता क्योंकि "इससे भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत की ओर बढ़ने वाले शत्रु पर अगल-बगल से और पीछे से हमला करना आसान हो जाएगा"। अन्य लाभ ये बताए जाते थे कि 'कराची और बंबई की तरह पोर्टस्माउथ और चैटम भी आसानी से कार्यवाही के अड्डे हो जाएंगे" और "फारस का अलग-थलग रहने का वर्तमान खतरनाक रवैया समाप्त हो सकेगा क्योंकि यह देश रूस के अनुचित दबाव से मुक्त हो जाएगा और उसे यूरोप से तिजारत करने के लिए कृष्ण सागर के वर्तमान रास्ते के बजाए, जो लंबा, खर्चीला और मुश्किल होने के साथ-साथ पूरी तरह रूस की कृपा पर निर्भर था, भूमध्य-सागर पर एक छोटा, सस्ता, सुगम और सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा। किंतु, इस रेल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत पहुँचने का एक ऐसा सुरक्षित मार्ग मिल जाए जिसमें रूस आसानी से हस्तक्षेप न कर सके। यूरोपीय युद्ध के संदर्भ में स्वेज नहर तक के बारे में यह नहीं समझा जाता था कि उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा।

एंड्रूज ने जिस मार्ग का सुझाव दिया था वह चक्कर काट कर दक्षिण दिशा में जाता था, और उसके संबंध में यह समझा जाता था कि वह अरब देश के बहुत निकट है और उस पर बेदुईं अरबों के हमले हो सकते हैं। अत: तुर्की अरब में स्थित राजनीतिक एजेंट कर्नल हर्बर्ट ने टाउग्रिस मार्ग का सुझाव दिया जो एलेप्पो, बीर, ओर्फा, निसिबिन, मोसुल, तिक्रित, बगदाद, कुतुल-अमरा और कुर्ना होता हुआ बसरा पहुँचे। आशा की जाती थी कि इस मार्ग के फलस्वरूप एक उपजाऊ घाटी का द्वार खुल जाएगा और भले ही इसका फासला जरा ज्यादा हो, पर उस पर स्थानीय यातायात भी हो सकेगा। उसने बगदाद से तेहरान और बगदाद से कर्बला तथा नेजफ तक रेल लाइन के निर्माण का भी सुझाव दिया। उम्मीद थी कि तुर्की सरकार आसानी से ऐसी उपसंधि (convention) मान लेगी जिसमें आश्वासन और सहायता का वचन दिया गया हो।

---

1 तुर्की अरब में स्थित राजनीतिक एजेंट का भारत सरकार को पत्र, 13 अगस्त, 1870, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज, अक्तूबर, 1870, सं. 224. यूफ्रेटीज वैली रेल्वे के और स्वेज नहर के खुलने तथा संचार-साधनों के विकास से रूस और ब्रिटेन के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के सामान्य विवेचन के लिए एडवर्ड पास्के की टिप्पणियाँ देखिए; एस. डी. एम. पी., 1874, जुलाई, सं. II 62-165

इस प्रायोजना पर अनेक वर्षों तक विचार होता रहा और जिस समय रूस ट्रांस-काकेशस रेल-मार्ग के निर्माण में लगा हुआ था, उस समय इस पर बहुत जोर दिया गया। पर, स्वेज नहर के खुल जाने से और तुर्की साम्राज्य में अपनी पूंजी लगाने के संबंध में अंग्रेजों की हिचक के कारण भारत और यूरोप के बीच थलमार्ग बनाने की यह योजना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई। इसी बीच बेरन रायटर ने फारसी रेलों की अपनी योजना प्रस्तुत की और इस योजना का तेहरान दरबार ने भी समर्थन किया। 13 मई, 1870 को फारस के शाह ने रॉयटर को अधिकार दिया कि वह फारस में रेलें बना सकता है और खानों की खुदाई करा सकता है। पर रॉयटर के साथ यह रियायत करते समय शर्त रखी गई थी कि वह तेहरान से शाह अब्दुल अजीम तक प्रयोग के तौर पर चार पाँच मील लंबी लाइन बनाए। यह एक भारी रियायत थी और इससे आगे की प्रायोजनाओं के लिए रास्ता खुल गया। जुलाई 1871 में ग्रे पाल एंड कंपनी के डाबेस ने फारस खाडी पर स्थित एक बंदरगाह से तेहरान तक लाइन बनाने की छह साल की रियायत के लिए आवेदन-पत्र दिया। इसके बाद रायटर ने राश्ट से फारस की खाडी तक लाइन बनाने की रियायत पाने के लिए और प्रयत्न किया तथा उसे यह रियायत मिल भी गई। यह रियायत समूचे फारस में रेलें, सिंचाई के लिए नहरें आदि बनाने तथा अन्य निर्माण-कार्यों के बारे में थी। रॉयटर ने साम्राज्ञी की सरकार से कोई ठोस मदद तो नहीं माँगी पर उसका संरक्षण जरूर चाहा। उसने मई 1873 में एशिया माइनर के बीच से रेल मार्ग बनाने के संबंध में लॉर्ड ग्रानविल्ले के सम्मुख अपनी योजना प्रस्तुत की। यह रेलमार्ग वह था जिसे तुर्की सरकार ने कुस्तुनतुनिया से डीरा बेकर तक बनाने का संकल्प कर लिया था पर जिसे वह बना नहीं सकी थी। रायटर की योजना तुर्की और ब्रिटिश सरकारों की संयुक्त गारंटी में कुस्तुनतुनिया से फारस सीमांत तक लाइन बनाने के बारे में थी[1]। "यूरोप महाद्वीप, फारस की खाडी और भूमध्यसागर के बीच रेलों का निर्माण करने की इन योजनाओं की भारत सरकार ने परीक्षा की और भारत-मंत्री को उनके लाभों से अवगत किया"[2]। उस समय के विदेश सचिव सी. यू. एचिसन ने जो टिप्पणी लिखी थी, उससे भारत सरकार के रुख का ठीक-ठीक पता चलता है। इस टिप्पणी में एचिसन ने जोर देकर कहा था कि रॉयटर को रेलें बनाने की योजना को 'प्रोत्साहन देने और उसका समर्थन करने की जरूरत है क्योंकि अगर उसे हमारी मदद नहीं मिली, तो वह रूस की मदद लेगा और हम उससे हानि होगी। इसके लाभ बताते हुए उसने कहा था कि 'इससे फारस में अंग्रेजों का प्रभाव जमने में मदद मिल सकती है। आगे चलकर उसने कहा, "अगर रॉयटर निश्चित रूप से वचन दे कि वह तेहरान को फारस की खाडी से और शाखा-लाइन को तुर्की सीमांत से जोड़ेगा, तो इंग्लैंड और भारत कुछ काल के लिए उसे संयुक्त रूप से गारंटी दे सकते हैं—उसके लिए यह अच्छा होगा। मुझे यह बात पक्की लगती है कि अगर रूसियों की पहले ही काट न की गई, तो वे देर-सबेर कॅस्पियन से फारस की खाडी तक रेल बना लेंगे। दक्षिण-पूर्वी रूस के वाणिज्य के लिए यह जरूरी है'[3]। अंग्रेजों ने

1 फॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, 1873 दिसंबर, सं 2/55।
2 भारत-मंत्री के नाम भेजा गया प्रेषण, 2 जून, 1871
3 सी यू एचिसन की टिप्पणी, फॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, 1873, दिसंबर, सं 2-55, पृ 34

त्रिन लाइनों के निर्माण का विचार किया था। उनके अलावा तुर्की का मंत्री मिदहत पाशा भी इस बात के लिए उत्सुक था कि वह कुस्तुनतुनिया को बगदाद तथा अन्य बाहरी चौकियों से जोड़ने के लिए तुर्की साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों में रेलों का एक जाल बिछा दे।[1] पर फारस में रेल बनाने के विरुद्ध जो आंदोलन खड़ा हो गया था वह इतना तीव्र था कि शाह को विवश होकर रायटर को दी गई रियायत रद्द करनी पड़ी। उस समय समझा गया था कि इसमें रूस का हाथ है। और फारस की रेल प्रायोजनाओं का यह कह कर अभिनंदन किया गया था कि इंगलैंड और भारत के बीच रेल-संचार की कड़ी शृंखला में वे एक कड़ी का काम देंगी।[2] तेहरान को फारस की खाड़ी के साथ जोड़ने और फारस की प्रस्तावित तुर्की रेल व्यवस्था के साथ जोड़ने की योजनाओं के अलावा एक योजना यह भी थी कि कराची और बसरा के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए फारस के दक्षिणी तट पर एक रेल बनाई जाए जिससे भारत और इंगलैंड के बीच अविच्छिन्न थल मार्ग की व्यवस्था हो सके।[3] पर रायटर की रियायत रद्द किए जाने के बाद फारस में रेल निर्माण की योजनाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गईं।

एशिया में रेल विकास की विभिन्न योजनाओं का ऊपर जो संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट है कि रूस और इंगलैंड दोनों ही थल के मार्ग से भारत का यूरोप के साथ संचार-संबंध स्थापित करना चाहते थे और इसीलिए वे फारस, अफगानिस्तान, तुर्की, अरब या मध्य एशिया में सामरिक और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के लाभ के लिए रेलें बनाने को तैयार थे। परंतु अपनी होड़ की वजह से वे मिल जुल कर काम न कर सके और इसके फलस्वरूप अफगानिस्तान या फारस में रेलों का निर्माण न हो सका। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इंगलैंड को धीरे धीरे नौवहन में ज्यादा दिलचस्पी हो गई और उसके फलस्वरूप इन सब योजनाओं का अंत हो गया। रूस का डर, अग्रनीति की प्रतिक्रिया, स्थानीय शासकों का विरोध और प्रतियोगी के प्रति साम्राज्यवादियों की ईर्ष्या—इन सब कारणों से पश्चिम या मध्य एशिया में रेलों के विकास में या तो देरी हुई या उसके आगे पूर्ण विराम लग गया। पर इन अधूरी योजनाओं का असर काफी रहा क्योंकि इनकी वजह से इंगलैंड और रूस के संबंधों में जो तनाव था वह और बढ़ा।

---

1 एफ डी एस पी 1873 फरवरी स 1-4

2 एफ डी एस पी मार्च 1874 स 176/201 एफ डी एस पी अक्तूबर, 1874 स 61 थार्नटन का ग्रानविल के नाम संवाद 24 मई 1871। इंडिया आफिस का विदेश मंत्रालय के नाम संवाद 30 जून 1871, और रालिंसन का ज्ञापन-पत्र 9 जून 1871 एफ डी एस पी 1871 अगस्त स 26-28

3 रालिंसन का ज्ञापन-पत्र 9 जून 1871 रेलों द्वारा फारस में प्रवेश करने के प्रश्न पर इस युग में बराबर विचार होता रहा क्योंकि विश्वास किया जाता था कि रूस को फारस के साथ वाणिज्य करने की ज्यादा सुविधाएँ मिली हुई हैं और अगर अंग्रेजों ने दक्षिण की ओर से फारस की खाड़ी को देश के भीतरी भाग से जोड़ने के लिए संचार की कोई अच्छी व्यवस्था न की तो उनके वाणिज्य पर बहुत असर पड़ेगा। इसमें समर-नीति की अपेक्षा व्यापार की प्रेरणा अधिक था। इस विषय के पत्रों के लिए निम्नलिखित देखिए एफ डी एस पी, जून 1876 स 42-46 जुलाई 1876 स 75-77 अक्तूबर 1879 स 16-41। अंतिम संकलन में कर्जन का सारांश विशेष महत्वपूर्ण है।

अध्याय 8

ब्रिटिश सरकार की मर्व-नीति

[रूसी साम्राज्य का और विस्तार]

हम पहले के किसी अध्याय में बता चुके हैं कि रूस ने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना किस तरह की। 1873 में खीव विजय से रूसी साम्राज्य का प्रसार ओक्सस के उत्तरी तटों तक हो गया और इस नये भू-भाग में उसकी सीमा अफगानिस्तान राज्य की सीमा से बिल्कुल मिल गई। खीव के साथ जो संधि की गई थी, उसके फलस्वरूप वहाँ का खान 'एक ऐसी कठपुतली मात्र बन कर रह गया था जिसकी नकेल पूरी तरह रूस के हाथ में रहती थी"। ओक्सस नदी पर पूरी तरह रूस का नियंत्रण था," "खीव के प्रदेश का एक बहुत बड़ा टुकड़ा रूस में मिला लिया गया था, खीव की स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट कर दी गई थी और रूस की काफी सेना स्थायी रूप से ओक्सस के तट पर स्थित एक किले में, जो खीव की राजधानी से थोड़ी ही दूर था, तैनात कर दी गई थी"[1]। खीव में जो व्यवस्था की गई थी, उसके तुरंत बाद और उसके परिणामस्वरूप, बुखारा के साथ की गई संधि का भी संशोधन किया गया और इसके कुछ समय बाद कोहकंद को रूसी साम्राज्य का अभिन्न भाग बना लिया गया। 1875 तक जो कुछ घटनाएँ घटी थीं, उनके फलस्वरूप रूस का जार मध्य एशियाई क्षेत्रों का स्वामी बन बैठा था। पर पूर्व में जुंगरिया और काशगर में तथा पश्चिम में ओक्सस और कैस्पियन सागर के बीच तुर्कमानिया में स्वतंत्रता का दीप अभी टिमटिमा जरूर रहा था पर उसका सारा तेल समाप्त हो चुका था। पूर्व में याकूब बेग की जिद भारत सरकार की पेशबंदी और चीन के अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आने से रूस के मंसूबे मिट्टी में मिल गए थे, पर पश्चिम में खानाबदोश तुर्कमान कबीलों की दुर्बलता के फलस्वरूप रूस की साम्राज्यवादी लिप्सा और भी जाग उठी थी और ये कबीले रूस की विस्तार-नीति की भेंट चढ़ गए। रूसी सीमांत तथा अफगानिस्तान और फारस की सीमाओं के बीच जो खाली जगह पड़ जाती थी, वह अधिकृत प्रदेशों की अविच्छिन्नता के सिद्धांत के विरुद्ध तो थी ही। इसके अलावा, इसकी वजह से रूस के यूरोपियन भाग से मध्य एशिया में रूसी वायसरायों की राजधानियों तक पहुँचने में दिक्कत होती थी और ब्रिटिश साम्राज्य को अपने पैर

---

1 एक भारतीय अधिकारी, रशाज़ मार्च टुवर्ड्स इंडिया, खंड I, पृ० 334

टिकाने के लिए ठिकाना मिल जाता था जहाँ से वह अपनी भरी हुई पिस्तौल का निशाना रूसी साम्राज्य का बना सकता था। यही नहीं, रूस इस प्रदेश पर अधिकार कर लेना इसलिए भी आवश्यक समझता था कि इससे वह फारस तथा अफगानिस्तान पर अपना राजनयिक नियंत्रण रख सकता था और ब्रिटिश साम्राज्य के पार्श्व भागों को चेतावनी देने के लिए भारत के विरुद्ध अभियान करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा पूरी कर सकता था।

भारत सरकार ने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी कि खीव की विजय के फलस्वरूप खतरा सब के और नजदीक आ गया है। डर अफगानिस्तान को भी था क्योंकि उसने यह समझ लिया था और ठीक ही समझ लिया था कि तुर्कमानिया में रूस की कार्यवाही का उसकी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि "अपनी सीमाओं की ओर रूस के द्रुत विस्तार से उसे कुछ बेचैनी हुई" और उसने अपनी इस भावना को व्यक्त किया। उसे इस समाचार से विशेष आशंका हुई कि रूस मर्व को जीतने और इस प्रदेश के तुर्कमान कबीलों को वश में करने के लिए एक सैन्य-दल भेजना चाहता है। डर था कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप तुर्कमान "भाग कर हेरात के बादघीज क्षेत्र में शरण लेंगे"। इस संबंध में ग्रानविल्ले ने लोफ्टस को लिखा था, "अमीर को डर है कि इसकी वजह से रूसी अधिकारी उससे यह माँग करने लगेंगे कि वह या तो तुर्कमानों का हमला करने से रोके या रूसी फौजों को अफगानिस्तान की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे ताकि वे विरोधी कबीलों को दंड दे सकें"।[1] ये शंकाएँ निराधार न थीं और ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही रूसी सरकार को लिखा कि वह अपने विचार और इरादे प्रकट करे और साथ ही यह भी साफ-साफ बता दिया कि उस समय जिस संकट के बादल घुमड़ते हुए मालूम पड़ रहे थे, उसमें उसकी भी दिलचस्पी थी। लॉर्ड ग्रानविल्ले ने इस तरह की अफवाह की भी चर्चा की कि रूस तुर्कमानों के विरुद्ध अभियान करना चाहता है। उनके विचार में यह बात भी बिल्कुल निर्मूल न थी "क्योंकि पिछले अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि सेंट पीटर्सबर्ग सरकार के मना करने और खंडन के बावजूद इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं कि रूसी सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी पड़ जाए जिसके वह सिद्धान्ततः विरुद्ध हो। सीमावर्ती जंगली कबीलों से पार पाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था—क्षेत्रों को जीतो, कबीलों के नए-नए हमलों का सामना करो और इसके बाद फिर "क्षेत्रों को साम्राज्य में मिलाओ और उन पर दखल करो"। मध्य एशिया की हाल की घटनाओं के आधार पर ग्रानविल्ले ने निष्कर्ष निकाला था कि "इन घटनाओं को देखते हुए यह सोचना बुद्धिमानी का काम न होगा कि रूस आत्म-रक्षा के लिए या लूट-मार और शत्रुता के काम करने वालों को दंड देने के लिए तुर्कमान कबीलों के विरुद्ध अभियान नहीं करेगा—इस तरह के अभियान की संभावना ही न रहेगी"।[2] इन घटनाओं से अफगानिस्तान की सुरक्षा पर असर पड़ सकता था, इसलिए उसकी इच्छा थी कि "तुर्कमान कबीलों के विरुद्ध किसी

---

1 अर्ल ग्रानविल्ले लॉर्ड लोफ्टस के नाम संवाद, 7 जनवरी, 1874, पत्राचार, मध्य एशिया (C 919), पृ 8-9।
2 ग्रानविल्ले का लोफ्टस के नाम संवाद, 7 जनवरी, 1874

अभियान से काबुल के अमीर को जिन परिणामों की आशंका हो, उन्हें ध्यान में रखते हुए भावी अभियान के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए"।[1]

इसके साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया कि "साम्राज्ञी की सरकार भारत की भलाई और सुरक्षा के लिए और एशिया की शांति के लिए अफगानिस्तान की आजादी को बहुत महत्त्वपूर्ण समझती है। अगर रूस की सैनिक कार्यवाही के फलस्वरूप तुर्कमान कबीलों को अब या कुछ समय बाद हेरात के आस-पास की ओर खदेड़ दिया गया, तो अमीर को दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है—एक तो यह कि उसके अपने प्रदेश में उपद्रव पैदा हो सकते हैं और दूसरे यह कि रूस इस जंगली जाति के कबीलों को जिस देश से बाहर निकालेगा, वे उस देश में फिर घुस-पैठ कर सकते हैं और इस घुस-पैठ को रोकने की और इन कबीलों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर होगी। एक ओर तो यह समझ में नहीं आता कि इन परिस्थितियों में उसे उत्तरदायी ठहराना कहाँ तक न्यायय होगा। और अगर उसे इस तरह उत्तरदायी ठहराया गया, तो उसका यह सशक्त दावा होगा कि जो लोग उसकी स्थिति को ठीक-ठीक समझते हैं, वे उसके संबंध में विचार करें। दूसरी ओर इस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं जिन्हें निबटाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच समझौता हुआ था और जिन्हें फिर से उठाना दोनों में से किसी भी देश के लिए हितकर न होगा"।[2]

ब्रिटिश सरकार के इस सशक्त विरोध और तुर्कमान प्रदेश की घटनाओं में—विशेषकर मर्व की अखंडता में—उसकी दिलचस्पी की स्पष्ट अभिव्यक्ति के फलस्वरूप प्रिंस गोर्चाकोव ने सदा की तरह यह आश्वासन दिया कि "रूस का तुर्कमानों के विरुद्ध अभियान करने का कोई विचार नहीं है"। पर, उसने इस बात को बिल्कुल नहीं छिपाया कि "अगर इन उपद्रवी कबीलों ने हमारे ऊपर हमला किया या हमारे प्रदेशों में लूट मार की, तो हम उन्हें दंड देने के लिए बाध्य हो जाएँगे। यह एक ऐसी जरूरत है जिसे साम्राज्ञी की सरकार अपने अनुभव से जानती - समझती है और इस दायित्व से ऐसी कोई सरकार नहीं बच सकती जिसे जंगली लोगों से जूझना पड़ता हो। फिर भी, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अगर दंड देना जरूरी ही हो जाए, तो वह हमारी सीमा के अधिक से अधिक निकट दिया जाना चाहिए"[3]। हो सकता है उस समय की परिस्थितियों में यह आश्वासन सच रहा हो क्योंकि मर्व और हेरात के आस-पास के इलाके जिनका अफगानिस्तान की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता, तात्कालिक लक्ष्य न थे। रूस तुर्कमान प्रदेश में कैस्पियन सागर की तरफ से प्रवेश करता और सबसे पहले अक्काल प्रदेश को जीतता। उसका अभियान कैस्पियन सागर और फारस सीमांत के निकट अटरेक नदी पर टेक्के लोगों के विरुद्ध होता। रूस टेक्के लोगों के प्रतिरोध के फलस्वरूप अफगानिस्तान की भी सीमा तक नहीं पहुँच सका, परंतु रूसी सेना धीरे-धीरे पर निरंतर भारत के 'प्रवेश-द्वार' हेरात के निकट बढ़ती जा रही थी और भारत सरकार इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकती थी।

---

1 वही।

2 ग्रानविल्ले का लोफ्टस के नाम संवाद, 7 जनवरी, 1874

3 गोर्चाकोव का ब्रुनोव के नाम संवाद, 21 जनवरी, 1874 वही, पृ 11

को उसके पास भेजे जिसमें वह 'उन्हें अच्छी सलाह दे सकें और आपके प्रति महान सम्राट की सच्ची शुभकामनाएँ व्यक्त कर सकें और जब दोनों पक्ष संतोषजनक रीति से सलाह-मशविरा कर लें तब हम पत्रों की अदला-बदली कर सकते हैं और इस तरह के प्रलेख द्वारा हमारी मित्रता स्थायी हो सकती है'[1]। रूस की ओर से मेमने का सम्मेलन का आमंत्रण। यह परिपत्र उन दूसरे तुर्कमान कबीलों के पास भी भेजा गया जो कैस्पियन सागर और आक्सस के बीच के प्रदेश में रहते थे। इस परिपत्र के परिणामस्वरूप कुछ यामुद और अखल टक्के सरदार अशोरादा आए। इन सरदारों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया और वे रूसी सम्राट की गरिमा तथा शक्ति से प्रभावित हुए और बदले में उन्होंने रूसी सरकार के प्रति अपनी मित्रता की घोषणा की[2]।

लोमाकिन केवल कागजी कार्यवाही कर के ही नहीं रह गया। उसने चिकिश्लियार से अटरक नदी तक एक नया सर्वेक्षण किया और नदी पर एक छोटा-सा किला बनवाया[3]। बाद में जब अक्तूबर 1874 में टक्के लोगों ने दशानी[4] गाँव पर हमला किया तब उसने किजिल अरवत के सरदार सोफी खाँ से कैदियों को रिहा करने के लिए कहा और 19 फरवरी 1875 को क्रास्नोवोड्स्क में उचित सम्मान के साथ उसका स्वागत किया और उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित किए[5]। इस बीच वह अटरक नदी पर स्थित टेक्के कबीलों की बस्तियों पर हमला करने की भी सोच रहा था पर जार ने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर भी उसने आक्सस के पुराने तल की छान-बीन करने का निश्चय किया और वह दस दिनों तक इगडी में अपनी फौज के साथ रुका रहा जहाँ टेक्के सरदारों ने रूस की अधीनता स्वीकार करने और अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करने की घोषणाएँ कीं। आगे चल कर जब उसने दक्षिण में अटरक की ओर कूच किया, तब जाफर बाई और अक-अतावाई कबीले उसकी अधीनता में आ गए। इन कबीलों ने टेक्के कबीलों को नियंत्रण में रखने के लिए 500 घुड़सवारों की सेना जुटाने का भी वचन दिया। वह चाट तक गया और फिर अपने अड्डे पर लौट आया। इस तरह 1874-75 के आरंभिक अवस्थान में कैस्पियन क्षेत्र में रूस के प्रयत्न यहाँ तक सीमित रहे कि उसने पड़ोस के तुर्कमान कबीलों का सर्वेक्षण किया और उनके ऊपर अपना शांतिपूर्ण प्रभाव स्थापित किया, उसने बल प्रदर्शन के द्वारा इन कबीलों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद, यह बात बिल्कुल साफ थी कि रूस कराकुम क्षेत्र को अपने अधिकार में करना और इस तरह अफगानिस्तान तथा फारस के सीमांत तक पहुँचना चाहता था। अगर शांति से काम चल जाता तो ठीक ही था वरना जरूरत पड़ने पर ताकत का भी प्रयोग किया जा सकता था। यह स्वाभाविक ही था कि रूस की साम्राज्य लिप्सा के शुरू शुरू में इस तरह जो प्रदर्शन हुए थे, उनसे भारत सरकार आशंकित हो गई और

1 पत्राचार, मध्य एशिया स 1 (1878) (C-2164) No 20, पृ 19.
2 रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया, II, पृ 22
3 रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया II, पृ 21.
4 क्रासनोवोडस्क से 25 मील दूर।
5 रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया, पृ II, 23.

राजनय के एम दांव-पेच चलने लगे जिनसे रूस के अग्रधर्षण को रोका जा सके और वह ईरान तक—जो अंग्रेजों का प्रभाव-क्षेत्र था—न पहुँच सके।

भारत सरकार कैस्पियन के आगे के स्टेपी मैदानों में रूस की गतिविधियों का अर्थ समझने में चूकी नहीं। भारत सरकार का विचार था कि "रूस विजय या भ्रष्टाचार द्वारा तुर्कमान कबीलों को तत्काल ही अपने प्रभाव या नियंत्रण में लेने का जो प्रयास कर रहा है, उसका अंतिम उद्देश्य तो है काबुल में अपने पैर जमाना, पर इस उद्देश्य-प्राप्ति के पहले चरण के रूप में वह मर्व को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेना और हरात को धमकी देना चाहता है। रूसी सरकार का दावा था कि जो क्षेत्र अफगानिस्तान की सल्तनत में शामिल नहीं हैं, उसमें वह स्वतंत्र कार्यवाही कर सकती है और उसने तुर्कमान क्षेत्र में की गई अपनी कार्यवाही के संबंध में अंग्रेजों के विरोध पर रोष प्रकट किया था। इससे यह संदेह पुष्ट हो गया था कि रूस तुर्कमान कबीलों की 80,000 सशस्त्र घुड़सवारों की लड़ाकू फौज को अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता है ताकि वह इन क्षेत्रों में सैनिक पक्ष में उसके प्रभाव को पुष्ट रख सके।[1] रूस ने कैस्पियन सागर के निकट जो कार्यवाही की थी, उससे भी यही संदेह पुष्ट हुआ कि रूस का विचार गुरगान और अपर अटरेक नदियों के तट पर रहने वाले तुर्कमानों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। उस समय रूसी समाचार-पत्रों में जो वक्तव्य छपे थे, उनसे स्पष्ट था कि रूस पारस की सीमा को करासू या अस्त्राबाद सरिता तक सीमित करना और इस तरह गुरगान नदी को रूसी क्षेत्र में शामिल करना चाहता था। इसके फलस्वरूप गोकलन तथा अन्य तुर्कमान कबीले, जिन पर अब तक पारस का अधिराजत्व था, रूस की अधीनता में हो जाते। इससे मशेद की सड़क खुल जाती और "एक ऐसा प्रश्न प्रस्तुत हो जाता जो घटना-क्रम के संदर्भ में मर्व के प्रश्न से गौण होता। यह प्रश्न ओक्सस से आगे बढ़ने वाली रूसी फौज के लिए एक सहायता-स्थल और निरीक्षण केंद्र पाने का था।[2] जनरल लोमाकिन ने तुर्कमानों के विरुद्ध जो कार्यवाही की थी, उसके संभाव्य परिणाम कुछ इस तरह के थे कि मर्व के लिए खतरा पैदा हो जाता, पारस को इस धमकी का सामना करना पड़ता कि वह रूस के आगे घुटने टेक दे और भारत की ओर आने वाले महत्त्वपूर्ण राजपथों पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो जाता। इस स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं कि लार्ड नार्थब्रुक की सरकार एक "मर्व-भीति" से ग्रस्त हो गई और जब लार्ड लिटन वायसराय बन कर आया, तब यह खतरा और बढ़ा।

8 सितंबर, 1874 को भारत सरकार ने भारत मंत्री के पास अपना जो पत्र भेजा था, उसमें उसने जनरल लोमाकिन के परिपत्र की ओर ध्यान खींचा और कहा कि अगर यह दस्तावेज सच्चा हुआ तो इसका अर्थ यह होगा कि 'अटरेक और गुरगान के बीच पड़ने वाला पारस का प्रदेश अब रूसी साम्राज्य में विलीन हो गया है और रूस ने अफगानिस्तान की सीमाओं पर स्थित समूचे तुर्कमान प्रदेश के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। इन कार्यवाहियों से हमारे दोनों मित्रों—पारस और अफगानिस्तान—के मन में

1 मध्य एशिया के संबंध में शासन-पत्र, एफ डी सी पी जुलाई, 1871, सं 101
2 गुप्त कार्यवृत्त मई, 1875, सं 22-26

जरूर बचैनी और आशका पैदा होगी और इसलिए यह आवश्यक है कि साम्राज्ञी की सरकार इन प्रश्नो की ओर गभीरतापूर्वक ध्यान दे[1]। इँगलैंड की सरकार ने शीघ्र ही इस प्रश्न पर रूस की सरकार से बातचीत शुरू कर दी और इच्छा प्रकट की कि 'रूस की सरकार जनरल लोमाकिन को समझा दे कि अटरेक के दक्षिण प्रदेश मे बसने वाले कबीलो को वह न सताए'[2]। रूसी सरकार ने इस घटना को गलतफहमी बताया और कहा कि उसे गलत ढग से पेश किया गया है। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने उससे जो स्पष्टीकरण मागा था उस पर उसने आश्चर्य प्रकट किया[3]। यह घटना लगती तो छोटी सी थी पर इसके फलस्वरूप दोनो सरकारो ने अपने-अपने दृष्टिकोण की व्याख्या की। इससे उन सदेहो का तो समाधान नही हुआ जो पैदा हो चुके थे पर उस समय तनाव जरूर घट गया। मार्च 1875 मे इगलैंड स्थित रूसी राजदूत काउट शुवालोव ने लार्ड डर्बी से भेंट के समय पूछा कि क्या उसकी यह धारणा सही थी कि 'इँगलैंड का रूसी प्रदेशो की दिशा मे तब तक बढने का कोई इरादा नही था जब तक कि हम अपने अधिकृत प्रदेशो के बचाव की खातिर रक्षात्मक प्रयोजनो से आगे बढना जरूरी न समझने लगे।' लार्ड डर्बी ने गभीरतापूर्वक कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करने का हमारा कोई विचार नही है और मेरे विचार से ब्रिटिश फौज पश्चिम की तरफ केवल एक ही स्थिति मे बढ सकती है और वह तब जब रूस मर्व पर अधिकार करने के लिए आगे बढे। उसने रूसी दूत को याद दिलाया कि भारत सरकार मर्व को बहुत महत्त्वपूर्ण समझती है और अगर उसमे हस्तक्षेप किया गया तो हमारे सबधो के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। काउट शुवालोव ने शका व्यक्त की कि अगर हेरात के पास दोनो शक्तियाँ आमने-सामने आ गई तो खतरा पैदा हो सकता है और उसे लार्ड डर्बी से यह आश्वासन मिल गया कि 'अगर रूस आगे नही बढा, तो इँगलैंड भी आगे नही बढेगा क्योकि उसकी सरकार यथापूर्व स्थिति बनाए रखना चाहती है और निश्चय ही वह अपनी ओर से ऐसा कोई कदम नही उठाएगी जिसे आक्रामक समझा जाय'[4]। इँगलैंड के इस वक्तव्य से प्रेरित होकर रूस साम्राज्य की सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण नीति-वक्तव्य दिया। प्रिंस गार्चाकोव ने 5 अप्रैल, 1875 को काउट शुवालोव को जो पत्र लिखा था, उसमे उसने अपने स्वामी का यह इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था कि, 'इस समय मध्य एशिया मे रूस की जो सीमाएँ है, उन्हें बुखारा की या क्रासनोवाडस्क की तरफ बढाने का हमारा कोई इरादा नही है'।[5] उसने जोर देकर कहा कि 'ऐसा करने मे हमारा कोई हित नही है। इसके विपरीत सम्राट् तो यह समझते है कि इन भागो मे हमारे सीमात का विस्तार स्वय हमारे ही हितो के प्रतिकूल है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन सीमातो का सम्मान

1 सपरिषद गवर्नर जनरल का सालिसबरी के नाम सवाद, 4 सितम्बर, 1874, पत्राचार, मध्य एशिया, पृ 20

2 डर्बी का लाफ्टस के नाम सवाद, 6 नवबर, 1874 पत्राचार, मध्य एशिया, पृ 20

3 डर्बी का लाफ्टस के नाम सवाद, 17 नवबर 1874 वही, पृ 21

4 डर्बी का लाफ्टस के नाम सवाद 19 मार्च, 1875 मध्य एशिया (1), पृ 24.

5 गार्चाकोव का शुवालोव के नाम सवाद, 5 अप्रैल, 1875, वही, पृ 26

हो। हम अपने वाणिज्य की रक्षा करेंगे, हम हिंसात्मक कार्य करने वाले लोगों को दंड देंगे और उन्हें ऐसा मज़ा चखाएँगे कि वे फिर ऐसी हरकत न कर सकें, हम लूटमार का समूल नाश करने का और अपने प्रदेशों की रक्षा-व्यवस्था का प्राणप्रण से प्रयत्न करेंगे। इन प्रदेशों की सापेक्ष स्थिति और उनके निवासियों के तौर-तरीके ऐसे नहीं कि हम पहले से यह बता दें कि इस लक्ष्य की व्यावहारिक सिद्धि के लिए क्या-क्या उपाय आवश्यक होंगे। यह हमारी ज़िम्मेदारी है—हमारे अधिकारों के कारण, हमारे कर्त्तव्यों के कारण और हमारे हितों के कारण। हम यह जिम्मेदारी निभानी है और हम निभाएँगे। लेकिन इस प्रयोजन के लिए जो अपरिहार्य है, वही किया जाना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं'[1]। रूसी सरकार ने इन शब्दों में अपनी कार्य-स्वतन्त्रता स्पष्ट रूप से बनाए रखी, पर उसने ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि 'भारत सरकार का सिर्फ यह चाहिए कि वह काबुल के अमीर पर अपना प्रभाव डाल कर उसे ऐसे काम से अलग रखे जिससे तुर्कमान उत्तेजित हों या उन्हें प्रोत्साहन मिले। इसके अतिरिक्त इन कबीलों पर अंकुश रखने या उन्हें दंड देने के लिए जो भी उपाय ज़रूरी होंगे, हम वे सब करेंगे और हमारे तथा इंगलैंड के बीच जिस यथापूर्व स्थिति पर समझौता हो गया है या हम दोनों देशों के बीच जो अच्छे संबंध कायम रखना चाहते हैं, उनमें ये कबीले किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं कर सकेंगे।'[2]

लेकिन, भारत में या इंडिया आफिस में संदेह का जो कुहरा छा गया था, रूसी नीति की सशंक तथा निर्भ्रांत धारणा से भी वह दूर न हो सका। लार्ड सैलिसबरी ने "अपनी यह शंका व्यक्त की कि अगर इस दावे को चुनौती नहीं दी गई, तो देर-सबेर इससे कुछ ऐसी उलझनें पैदा हो सकती हैं जिनका, मर्व के संदर्भ में, भारत के हितों पर बुरा असर पड़े। प्रिंस गार्चाकोव का पत्र प्रकटतः साम्राज्ञी की सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर देना चाहता है कि भविष्य में रूस तुर्कमान के विरुद्ध चाहे जो कार्यवाही करे, साम्राज्ञी की सरकार को चुपचाप बैठे रहना चाहिए। उपर्युक्त बातों तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए साम्राज्ञी की सरकार के लिए निष्क्रियता की इस स्थिति को स्वीकार करना, असम्भव न होते हुए भी, हितकर न होगा'।[3] इंडिया आफिस भी यह चाहता था कि उसकी कार्य-स्वतन्त्रता बनी रहे। अक्तूबर, 1875 में रूसी सरकार को जो ज्ञापन-पत्र भेजा गया था, उसमें लार्ड सैलिसबरी के विचारों को पूरी तरह व्यक्त कर दिया गया था।[4] साम्राज्ञी की सरकार ने इस बात पर स्पष्ट रूप से ज़ोर दिया कि "अफगानिस्तान की ओर रूस की उत्तरोत्तर प्रगति व हर चरण से इस तरह की उलझनें पैदा हो सकती हैं जिनसे बचना इंगलैंड और रूस दोनों के हित में हो और इस तरह की बाधाएँ पैदा हो सकती हैं कि अफगानिस्तान की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की जिस नीति पर अब तक दोनों शक्तियाँ

1 गार्चाकोव का शुवालोव के नाम पत्र, 5 अप्रैल, 1875
2 वही।
3 हमिल्टन का डेरबी के नाम संवाद, 22 जून, 1875, मध्य एशिया, (II), पृ 44
4 डर्बी का डोरिया के नाम संवाद, 25 अक्तूबर, 1875, संलग्न पत्र, वही, पृ 58-60.

चलती रही है, उस नीति पर आगे न चला जा सके। साम्राज्ञी की सरकार इस लक्ष्य को सबसे अधिक महत्त्व देती है और इस बात की पूरी स्वतंत्रता चाहती है कि भविष्य की सारी संकटकालीन स्थितियों में वह जो भी आवश्यक उपाय समझे, उनसे काम ले सके। उसका विचार है कि अगर इस तरह की कोई कार्यवाही हुई कि रूसी क्षेत्र का अफगान क्षेत्र से सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाए—जैसे मान लीजिए रूस मर्व पर अधिकार कर ले—तो इससे अमीर बहुत चौकन्ना हो जाएगा और शायद अपनी सीमाओं पर तुर्कमान कबीलों के साथ मित्रवत रक्षात्मक कार्यवाही करने लगेगा[1]। कहा गया कि इन्हीं कारणों से ब्रिटिश सरकार अफगान सीमा की तरफ रूस के विस्तार को नापसंद करती है और उसे रूस के इस आश्वासन से संतोष है कि वह तुर्कमान क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा।

आंग्ल-रूसी राजनयिक पत्राचार के इस अवस्थान की परिणति रूस के उस वक्तव्य में हुई जो उसने 3/15 फरवरी 1876 को दिया था। इस वक्तव्य में कहा गया था कि अफगानिस्तान रूस की कार्यवाही के क्षेत्र से बाहर रहेगा पर दोनों मंत्रिमंडलों को मध्यवर्ती क्षेत्रों से संबद्ध चर्चाएँ समाप्त माननी चाहिएँ क्योंकि उन्हें अव्यावहारिक समझा गया है, कि वे पूरी कार्य-स्वतंत्रता कायम रखते हुए भी इस आपसी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, कि जहाँ तक संभव हो एक-दूसरे के समीप न आया जाए और अपने प्रभाव-क्षेत्रों में पड़ने वाले एशियाई राज्यों के झगड़ों को दूर रख कर एक-दूसरे के हितों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए।[2] नीति के इस स्पष्टीकरण से भारत और इंगलैंड के मन की यह शंका दूर न हो सकी कि अब भी तुर्कमान प्रदेश रूसी क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। 1876 के पतझड़ में जब जनरल लोमाकिन किज़िल अरवत तक बढ़ आया, तब यह खतरा फिर पैदा हो गया। जनरल लोमाकिन का यह अभियान सफल नहीं हुआ और उसे शीघ्र ही पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। फरवरी, 1877 में जनरल लोमाकिन ने यामूद तुर्कमानों के नाम फिर यह ऐलान जारी किया कि वह टेक्के तुर्कमानों को दंड देना और किज़िल अरवत में एक किला बनाना चाहता है।[3] लोमाकिन ने अप्रैल में एक और हमला किया, पर इस बार भी उसे मुँहकी खानी पड़ी और जबरन क्रास्नोवोड्स्क लौटना पड़ा।[4] रूस ने किज़िल अरवत के विरुद्ध जो विफल प्रयत्न किए थे, उनका नतीजा यह हुआ कि शिमला में आशंका पैदा हो गई और भारत सरकार ने समझा कि रूस का किज़िल अरवत पर अस्थायी आधिपत्य स्थापित करना अटरेक को जीतने और हेरात की सीमा तक मर्व पर अधिकार जमाने की दिशा में पहला कदम है[5]।

---

1 ज्ञापन, पूर्वो।

2 गोर्चाकोव का शुवालोव के नाम संवाद, 3/15 फरवरी, 1876, मध्य एशिया (II), पृ 69

3 मध्य एशिया, (I), पृ 108-9

4 डर्बी का लोफ्टस के नाम संवाद, 13 जून, 1877, टामसन का डर्बी के नाम संवाद, 16 जून, 1877, टामसन का डर्बी के नाम संवाद, 7 अगस्त, 1877, मध्य एशिया, (I)

5 वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 30 मई, 1877.

इन घटनाओं में भारत सरकार के मन में यही डर पैदा हुआ कि मर्व शीघ्र ही रूस के हाथ में चला जाएगा। 30 मार्च, 1877 को वायसराय ने भारत-मंत्री को जो तार भेजा था, उसमें उसने यह विचार व्यक्त किया था कि, "रूस को तुरंत और साफ-साफ यह बता दिया जाना चाहिए कि अगर उसने किज़िल अरवत में स्थित अपनी सेनाओं को ज़रा भी आगे बढ़ाया, तो यह इंग्लैंड के साथ उसकी लड़ाई आरंभ करने का एक कारण बन जाएगा', पर ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार न थी। अतः "एक ही और उपाय बच रहता है और वह यह कि तुर्कमानों की मदद की जाए। मैं इस समय क्वेटा से मेशेद के रास्ते उनके साथ निरापद संपर्क स्थापित कर सकता हूँ। हमें जो सूचना उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर विश्वास होता है कि यदि हमने तुर्कमानों का गुप्त रूप से संगठन किया और उन्हें प्रोत्साहन दिया, तो वे रूस की किसी भी सेना का दृढ़ता से सामना कर सकते हैं और चूँकि उन्हें अफगानिस्तान में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है, अतः इस समय हम उनके ऊपर जो प्रभाव जमा सकेंगे, वह काबुल के साथ बातचीत के लिए उपयोगी आधार बन सकता है। इसकी अनुमति दीजिए"।[1] इस पत्र का सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिटिश दूत की राजनयिक कार्यवाही पर तुरंत असर पड़ा। लॉर्ड डर्बी ने लॉर्ड लोफ्टस से यह इच्छा व्यक्त की कि वह रूसी सरकार को एक अभिवेदन दे जिसमें इस विषय पर दोनों सरकारों द्वारा जारी किए गए पूर्ववर्ती वक्तव्यों का हवाला दे और "बताए कि अगर रूस ने मर्व पर आधिपत्य स्थापित किया, तो एशिया के निकटवर्ती प्रदेशों के निवासी इसका सामान्य रूप से यह अर्थ लगाएँगे कि रूस के महामहिम सम्राट् ऐसे क्षेत्रों में अगर अपनी प्रभुता का नहीं, तो अपने प्रभाव का जरूर विस्तार करना चाहते हैं जिनके संबंध में ब्रिटिश सरकार ने रूसी सरकार से यह समझा है कि उसका हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है। इस तरह की धारणा से साम्राज्ञी की सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि इन देशों के लोगों के मन की आशंका और भ्रांति का निवारण करने के लिए वह भी रूस की तरह आगे बढ़े। साम्राज्ञी की सरकार के विचार से दोनों साम्राज्यों की बाहरी चौकियों का इतने समीप होना वांछनीय नहीं है।' इसलिए उसने इच्छा व्यक्त की कि रूसी सरकार अपने अफसरों को यह आदेश दे दे कि वे "मर्व की ओर न बढ़ें[2]।" रूसी सरकार को इंग्लैंड से इस तरह के विरोध की आशंका तो थी ही और उसे इसका जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने इंग्लैंड की सरकार को विश्वास दिलाया कि किज़िल अरवत के विरुद्ध जो अभियान किया गया था, उसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि, "जिन तुर्कमान आदिवासियों ने कुछ समय से क्रासनोवोड्स्क से खीव जाने वाला रास्ता घेर रखा है और जो हमारे कारवानों को धमकाते रहते हैं, उन्हें दंड दिया जाए।" यह साधारण सैनिक अभियान था— उसी तरह का अभियान जो हमारी फौजें काकेशस में सीमांत पर व्यवस्था कायम रखने के लिए हर साल किया करती हैं।" कमांडर को इस बात का स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि वह इस अर्थ में दिए गए आदेशों से आगे न जाए और ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया गया कि वह 'मर्व के बारे में सारी चिंता छोड़ दे'[3]।

---

1 वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 30 मई, 1877, एस. डी. एम. पी., नवंबर, 1877, सं. 106/27

2 डर्बी का लोफ्टस के नाम संवाद, 13 जून, 1877, मध्य एशिया (I), पृ. 111.

3 गिर्स का शुवालोव के नाम संवाद, 14 जुलाई, 1877, मध्य एशिया (I), पृ. 123

रूस के विदेश-विभाग के इस स्पष्टीकरण में कुछ सचाई थी और जनरल लोमाकिन जिस परिस्थिति में किजिल अरवत से पीछे लौटा था, उससे लगता था उसका पीछे लौटना एक सुनिश्चित नीति का परिणाम है। पर, भारत सरकार सही थी और उस समय के सारे संकेतों से रूस की इस चरम योजना का संकेत मिलता था कि उसके प्रादेशिक विस्तार का बढ़ता हुआ ज्वार मर्व को निगल जाना चाहता है। तेहरान स्थित ब्रिटिश दूत की रिपोर्टों और मध्य एशिया के अन्य केंद्रों से उड़ने वाली राजनीतिक अफवाहों से संभावना यही लगती थी कि अगर ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, तो रूस तुर्कमान प्रदेश को जल्दी ही लील जाएगा। तेहरान में टॉमसन की स्थिति बड़े मौके की थी और वह वहाँ से रूसी गतिविधि की दिशाओं को ठीक ठीक समझ सकता था। अपने पत्रों में उसने भविष्यवाणी की थी कि, "रूस के दो प्रयत्न होंगे—पहला देश की अक्कल-रखा पर नियंत्रण और दूसरा मर्व पर अधिकार'। चूँकि इस सवाल के साथ अँग्रेजों के भी बहुत से स्वार्थ उलझे हुए थे, इसलिए उसने रूस के प्रयत्नों को विफल करने के उपायों पर भी विचार किया। उसके विचार से तीन ही उपाय ऐसे थे जिनके द्वारा उसके स्वामी मर्व को रूसियों के हाथों में जाने से बचा सकते थे। पहला उपाय यह है कि कंधार या हेरात या दोनों पर अधिकार कर लिया जाए और मर्व को उसके अधीन कर दिया जाए। दूसरा उपाय यह है कि मर्व को अफगानिस्तान में शामिल कर दिया जाए और अंतिम तथा सबसे कम स्वीकार्य विकल्प यह है कि उसे फारस की अधीनता में चला जाने दिया जाए"।[1] भारत सरकार के विदेश विभाग की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि टॉमसन को दूसरा विकल्प पसंद था क्योंकि फारस के ढुलमुल रुख के कारण उसका विचार था कि "मर्व पर फारस का अधिकार उस पर रूस के अधिकार की अपेक्षा थोड़ा-सा बुरा नहीं, तो सिर्फ थोड़ा-सा ही अच्छा होगा'।[2] भारत सरकार इस सवाल को अच्छी तरह समझती थी और उसके विचार से यह समस्या सुलझाने के निम्नलिखित उपाय हो सकते थे

"(क) फारस में अँग्रेजों के प्रभाव की फिर से स्थापना की जाए और इसके लिए शाह को विश्वास दिला दिया जाए कि चूँकि ब्रिटिश सरकार की सहायता मिलने पर मर्व की दिशा में रूस के आगे के अभियानों का सबसे अच्छी तरह वही विरोध कर सकता है, अतः इस विरोध में उसे अँग्रेजों की यथोचित सहायता मिलेगी।

"(ख) अँग्रेज अफसरों को यह अधिकार देकर यथाशीघ्र मर्व भेज दिया जाए कि अगर तुर्कमानों द्वारा प्रतिरोध की संभावनाएँ अनुकूल हों, तो वे वहाँ की स्थिति देख-समझ कर यथाशक्ति उनकी सहायता करें।

"(ग) घटना-क्रम को देखते हुए जो भी राजनीतिक या सैनिक उपाय आवश्यक

---

1. टॉमसन का डर्बी के नाम संवाद, सं 113, दिनांक 26 जुलाई और सं 118, दिनांक 6 अगस्त, 1877
2. अतरक प्रदेश और मर्व पर रूस के आधिपत्य की योजना तथा इसके प्रति इंगलैंड की नीति के बारे में टिप्पणी, एफ डी एस पी, 1877, नवंबर, सं 130-501

मालूम पड़े हम उन्हें करने के लिए तैयार रहें जिससे रूस अफगानिस्तान में अपने पांव न जमा सके—यहां तक कि अपना नैतिक प्रभाव भी स्थापित न कर सके'[1]।

इन निष्कर्षों का आधार भारत सरकार का 2 जुलाई, 1877 का वह पत्र था जिसमें उसने प्रस्तुत समस्या की सांगोपांग, सतर्क और साहसपूर्वक परीक्षा की थी। भारत सरकार ने मर्व के लिए किज़िल अरवत से संबद्ध कार्यवाही के महत्त्व का बखान कर मर्व के सामरिक महत्त्व का विवेचन किया—विशेष कर इस संदर्भ में कि अफगानिस्तान के साथ उसके (भारत सरकार के) कैसे संबंध थे। उसने लिखा था, 'जब तक हमें काबुल या हेरात में सर्वोच्च प्रभाव बनाए रखने का भरोसा हो, तब तक मर्व के आधिपत्य को गंभीर घटना मानते हुए भी सापेक्षत दूर की घटना माना जा सकता है। पर, ब्रिटिश सरकार पिछले कुछ वर्षों में चुपचाप तमाशा देखने की जिस नीति पर चलती रही है, उसका व्यावहारिक परिणाम यह हुआ है कि पिछले चार सालों से काबुल में इंगलैंड का प्रभाव निरंतर घटा और रूस का बढ़ा है और अब हम यह नहीं मान सकते कि हेरात में अंग्रेज़ों के हितों की प्रधानता होने से मर्व में रूसी रेजीमेंटों की उपस्थिति का प्रति-संतुलन हो जाता है। इसके विपरीत, जो शक्ति पहले मर्व पर अधिकार कर लेगी, उसका अफगानिस्तान के पश्चिमी सीमांत पर भी अनिवार्य रूप से अधिकार स्थापित हो जाएगा और अगर ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप मर्व रूस के अधिकार में जाने से न बच सका तो न केवल रूस की नीति के कारण ही, बल्कि वस्तुस्थिति की सहज शक्ति के कारण भी, हेरात में इंगलैंड का प्रभाव मिट जाएगा। इसके अलावा, भारत सरकार को डर था कि अगर इतिहास की धारा को अचानक ही नहीं पलटा गया तो रूस हेरात पर अधिकार करने के बाद अनिवार्य रूप से मर्व पर अधिकार करेगा और 'इसका अर्थ यह होगा कि रूस का प्रभुत्व या प्रभाव समूचे अफगानिस्तान में स्थापित हो जाएगा और उसका विस्तार भारत के सीमांत तक होगा। इस स्थिति के फलस्वरूप उत्तर-पश्चिमी भारत की ओर खुलने वाले सारे दर्रों पर भी रूस का अधिकार हो जाएगा। भारत सरकार को यह भी डर था कि वहां मध्य एशिया तथा उत्तर फारस की ओर जाने वाले हमारे वाणिज्य-मार्ग बंद न हो जाएं और इस तरह इंगलैंड का व्यापार नष्ट न हो जाए। पर जिस खतरे को सबसे भयंकर समझा गया था वह यह था कि अफगानिस्तान के ऊपर रूस का दबदबा स्थापित हो जाएगा यहां तक कि अफगानिस्तान रूस के हाथों की कठपुतली बन कर रह जाएगा और उसमें रूस के आदेशों का प्रतिरोध करने की शक्ति न रहेगी'। इसका परिणाम यह होगा कि इस समय तो भारतीय सीमांत पर सिर्फ इतने हथियार रखे जाते हैं जो पहाड़ी कबीलों का प्रतिरोध करने के लिए काफी हों, लेकिन तब वहां इतने हथियारों को रखने की जरूरत पड़ेगी जिनसे उन संगठित और संयुक्त हमलों का मुकाबला किया जा सके जिनके पीछे यूरोप का कौशल, शस्त्रास्त्र और सेना तक हो। उस समय भारत पर एक ऐसे देश का प्रभाव पड़ने का भी खतरा हो जाएगा जो हमारा प्रतियोगी और विरोधी है और जिसे सफलता प्राप्त करने का भी गौरव है। तब, अगर यूरोपीय राजनीति में मतभेद का जरा भी स्वर फूटा, तो उसकी प्रतिध्वनि हमारे समूचे

1 भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, दिनांक 2 जुलाई, 1877, एच डी एस पी, 1877, नवंबर, सं 129

सीमाओं पर सुनाई देगी और उससे भारत के प्रत्येक असंतुष्ट व्यक्ति को आशा का संदेश सुनाई देगा और उस समय हम इस बात के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि जब कभी हमारे सिर पर पूर्व का प्रभुत्व संघर्ष आ पड़े तब हम उसे स्वीकार करें और वह भी बेहद प्रतिकूल परिस्थिति में ।[1]

भारत सरकार ने स्थिति का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया हम समझते हैं कि किर्ग़िज़ अखवत पर आधिपत्य मर्व तथा समूचे टक्के तुर्कमान प्रदेश पर जल्दी ही विजय प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि मर्व पर आधिपत्य एक ऐसी कार्यवाही है जिसे करने के लिए रूसी कुछ विशिष्ट कारणों से विवश है और ये कारण इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि हमारी ओर से प्रकट किए जाने वाले मात्र विरोधों या उनकी ओर से दिए जाने वाले वचनों की उपेक्षा आवश्यक हो जाती है कि अगर हमने इस घटना को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की तो यह घटना घट कर रहेगी कि मर्व पर आधिपत्य होने से पूर्व में रूस की सैनिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसका वहां प्रबल प्रभाव स्थापित हो जाएगा जो अनिवार्यतः सीधे और बहुत सशक्त रूप से हमारे प्रभाव के प्रतिकूल होगा और कि इसके बाद यह निश्चित है कि रूस की काबुल सरकार के साथ खटपट शुरू हो जाएगी जिसके परिणाम-स्वरूप रूस हेरात पर अधिकार कर लेगा और अफगानिस्तान के ऊपर भी उसकी प्रभुता या प्रभाव स्थापित हो जाएगा। हम तो यह सोचते हैं कि इन घटनाओं को पूर्ण निश्चितता के साथ पहले से बयान किया जा सकता है और अगर हमने समय रहते इन पर विचार नहीं किया और यथाशक्ति इनका सामना करने का प्रबंध नहीं किया, तो हमारे ऊपर बहुत गंभीर दायित्व आ पड़ेगा। इसलिए, हम अपना यह आवश्यक कर्तव्य समझते हैं कि साम्राज्ञी की सरकार से उसकी मध्य एशियाई नीति के संबंध में ऐसी तात्कालिक और निश्चित घोषणा प्राप्त कर लें जिससे जब कभी कार्यवाही का अवसर पैदा हो—यह अवसर शायद अकस्मात आएगा, अल्पकालिक होगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा—तब हम उस नीति के साथ सुचारु रूप से सहयोग कर सकें ।[2]

इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपायों पर विचार किया और उन्हें अपर्याप्त पाया। एक उपाय यह हो सकता था कि रूस से विरोध प्रकट किया जाता। पर, इससे कोई नतीजा निकलने की आशा नहीं थी। दूसरा उपाय यह हो सकता था कि रूस से कह दिया जाता कि मध्य एशिया में उसका क्षेत्र स्वभावतः संक्रमणशील नहीं समझा जा सकता और अगर रूस ने आगे कोई कदम उठाया, तो उसे युद्ध का कारण समझा जाएगा। पर इस उपाय का इंगलैंड की जनता समर्थन न करती। तीसरी संभावना यह हो सकती थी कि अफगानिस्तान को इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाता कि वह तुर्कमानों के साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर ले और मर्व को अपनी सल्तनत में मिला ले। पर, अमीर के उस समय के रुख को देखते हुए यह कदम खतरनाक था।

---

1 भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, 2 जुलाई, 1877, एफ डी एस सी, नवंबर, स 129

2 वहीं।

एक अन्य उपाय यह हो सकता था कि फारस को मर्व पर अपनी प्रभुता स्थापित करने में सहारा दिया जाता। पर, फारस पर रूस के प्रभाव को देखते हुए इस उपाय की उपयोगिता भी संदिग्ध थी। एक रास्ता यह भी था कि तुर्कमान प्रदेश में ब्रिटिश अफसर भेजकर और तुर्कमानों को मदद देकर उनकी प्रतिरोध-शक्ति को सुदृढ़ किया जाता। मर्व पर रूस की प्रभुता का खतरा रोकने का सबसे अच्छा उपाय तो यह होता कि अफ़गानिस्तान को उस पर अपना प्रभाव बढ़ाने दिया जाता और अमीर के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत करके कंधार तथा हेरात में ब्रिटिश एजेंटों को रखा जाता। उस प्रदेश में अंग्रेजों का नियंत्रण इसी पद्धति से बना रह सकता था। पर, शेर अली के दृष्टिकोण को देखते हुए, 'जब तक उसके सहयोग या विरोध की उपेक्षा कर अन्य उपाय न किए जाते, तब तक इस परिणाम की कोई संभावना नहीं हो सकती थी"।[1] मर्व पर रूस के नियंत्रण के प्रति-संतुलन के रूप में यह जरूरी समझा गया था कि हेरात पर इंगलैंड का प्रबल प्रभाव बना रहे। इस प्रभाव का स्थूल रूप यह हो सकता था कि वहाँ इंगलैंड का एक प्रतिनिधि रहे और हेरात को यह आश्वासन दिया जाए कि अगर रूस ने और आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, तो इंगलैंड से हेरात को ठोस सहायता मिलेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने काबुल पर अपना ध्यान केंद्रित किया पर शेर-अली के अड़ियलपन की वजह से भारत सरकार के सामने "दो ही विकल्प रह सकते थे—या तो हम अफगानिस्तान को पूरी तरह रूस के हवाले कर देते या अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने के लिए अब तक हमने जो कार्यवाही की थी, उससे अधिक जोरदार कार्यवाही करते"।[2] और अंत में इस कार्यवाही का रूप यह होता कि "पश्चिमी अफ़गानिस्तान पर—जिसमें हेरात का महत्त्वपूर्ण किला भी सम्मिलित होता—(वहाँ के शासक की सहमति से या उसके बिना ही) सैनिक आधिपत्य स्थापित किया जाता"।[3] पर, यह रास्ता 'करना क्या न करना' वाला रास्ता था और भारत सरकार तत्काल ही जो उपाय करना चाहती थी, वह यह था कि कुछ अंग्रेज अफसर तुर्कमान प्रदेश में जाकर यह देखें कि क्या उनकी प्रतिरोध शक्ति को सुदृढ़ किया जा सकता है?

जनरल लोमाकिन ने किजिल अरवत की ओर बढ़ने का जो प्रयास किया था, उसके खतरे के संबंध में सालसबरी की सरकार का वह विचार नहीं था जो भारत सरकार का था और उसे यह भी निश्चय नहीं था कि यह स्थान रूसी सीमा के भीतर नहीं। इसके अलावा, वायसराय ने जिस नागरिक को अपना पत्र भेजा था, उसके बाद रूसी जनरल कैस्पियन सागर को वापस लौट गया था और इसके फलस्वरूप समस्या का स्वरूप बदल गया था। फिर भी, भारत मंत्री इस संभावना के प्रति उदासीन न था कि रूस किजिल अरवत पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है और मर्व की दिशा में बढ़ सकता है—चाहे तो विजय के द्वारा और चाहे आकस्मिक आक्रमण के द्वारा। पर उसका विचार था कि इस संभावना के कार्यान्वित होने में अनेक वर्ष लग सकते हैं और तब तक हमें यह सोचने-विचारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा कि 'स्थिति को देखते हुए हम कौन से ऐसे

---

1. प्रेषण 2 जुलाई, 1877, पैरा 31
2. वही, पैरा 43
3. वही पैरा 48

सैनिक उपाय अपनाएँ जिनसे हमारा काम सध सके।' इस बीच भारत सरकार ने "मर्व पर रूसी अधिकार की संभावना के संदर्भ में एहतियाती सैनिक कार्यवाही" को 'बेमौका' बताया और कहा कि उसके परिणामस्वरूप 'भीषण संकट' उपस्थित हो सकता है। भारत-मंत्री ने लिखा था, "अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे तुर्कमानों को रूस के विरुद्ध हथियार उठाने या शत्रुतापूर्ण कार्यवाही की तैयारी करने का प्रोत्साहन मिला या आपने उन्हें धन-दौलत और हथियार दिए अथवा उनका संगठन करने के लिए अपने अफसरों को भेजा, तो न केवल उनका शक्तिशाली पड़ोसी उनसे नाराज होकर बदला लेने की कोशिश करेगा और आप उनकी रक्षा न कर सकेंगे बल्कि आपकी यह कार्यवाही साम्राज्ञी की सरकार की घोषित नीति के भी प्रतिकूल होगी। जब तक साम्राज्ञी की सरकार के रूस के सम्राट् के साथ शांति और सौहार्द के संबंध हैं तब तक आपको ऐसी कार्यवाही से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए जो अघोषित युद्ध जैसी दीखे या जिससे तुर्कमान कबीलों को इस तरह के घटना चक्र में आपकी सरकार को उलझाने की शक्ति मिले।" 'आप स्वयं आक्रामक कार्यवाही न करें, पर हर संभाव्य संकट के जूझने के लिए तैयार रहें। इन दोनों दृष्टिकोणों—आक्रमण न करने लेकिन संकट से लोहा लेने की तैयारी में कोई विरोध नहीं है।' इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार को आदेश दिया गया कि वह "अफगानिस्तान के शासक के ऊपर मैत्रीपूर्ण प्रभाव स्थापित करे" और कुछ ऐसा प्रबंध करे जिससे अफगानिस्तान के सीमांत के पार के घटना प्रवाह की अधिक शीघ्रता के साथ तथा अधिक पूर्ण सूचना उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए और किसी भी संभाव्य सैनिक कार्यवाही के लिए यह पता लगाना जरूरी था कि पश्चिम में मर्व की ओर जाने के कौन-कौन से मार्ग हैं। इसलिए, साम्राज्ञी की सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी कि कैप्टेन नैपियर तुर्कमान सरदारों से जाकर मिलें और मर्व भी जाएँ और वे यह यात्रा जाहिरा तौर पर घोड़े खरीदने के सिलसिले में करें।[1]

हमने ऊपर जो पत्र-व्यवहार उद्धृत किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि किज़िल अरवत की दिशा में रूस के प्रसार का चरम उद्देश्य अफगानिस्तान की सीमा तक समूचे तुर्कमान प्रदेश को अपने अधीन करना था। इससे भारत सरकार के क्षेत्रों में आशंका पैदा हो गई थी और रूस के इस प्रसार को विफल करने के लिए लॉर्ड लिटन ने यह स्वतंत्रता चाही थी कि वह निश्चित कार्यवाही—जरूरत पड़ने पर सैनिक कार्यवाही तक—कर सकें। इस बीच अफगानिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और फारस में ब्रिटेन का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा था। अगर, इस पृष्ठभूमि में कैस्पियन क्षेत्र के घटना-क्रम को देखा जाए, तो वह भारत में अँग्रेजी राज की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक था। इस संदर्भ में मर्व और हेरात का फिर महत्त्व हो जाता था। भारत सरकार इस बात के लिए तैयार न थी कि वह भारत के इन प्रवेश-द्वारों को आसानी से रूसियों के हाथों में जाने देती। वह इस बात के लिए भी तैयार थी कि अगर जरूरत पड़ जाए, तो पश्चिमी अफगानिस्तान तक पर सैनिक दखल जमा कर हेरात को मुट्ठी में रखा जाए। लॉर्ड लिटन डरा धमकाने के जिन हथकंडों का प्रयोग करता था, शेर अली

1 भारत-मंत्री का प्रेषण, एफ डी, एस पी 1878, अक्तूबर, स 11.

खोज (exploration) और स्थल-रूपरेखा (topography) का कोई महत्व नही है। अगर रूसियो को बाहर रखा जा सकता है, तो इसके लिए बहुत समय है, अगर रूसियो का बाहर नही रखा जा सकता, तो देश को जानने से कोई लाभ नही है। अगर हम अपनी उत्सुकता छिपा लें और लोगो को रूसियो तथा फारसियो के साथ इच्छानुसार अपने विवाद सुलझाने के लिए छोड दे, तो यह कही ज्यादा अच्छा होगा। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि रूस को इन क्षेत्रो से बाहर रखने की जरूरत समझी जाए और मेरा विचार है कि मेरी यात्रा से इस दिशा मे सहायता मिलेगी। उसने विस्तार से बताया कि टेके प्रदेश मे रूसियो की गतिविधियो का भारत मे अंग्रेजी राज की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पडेगा। नेपियर मर्व पहुंच गया और उसकी वहाँ कोशिद खाँ तथा अन्य सरदारो से भेंट भी हो गई पर इसमे सदेह है कि यह उन्हे रूस का विरोध करने के लिए सहायता देने की स्थिति मे था।

जनरल लोमाकिन का 1877 का किज़िल अरवत-अभियान असफल हो गया क्योकि रूसी-तुर्की युद्ध के फलस्वरूप उसकी फौज वहाँ से हटा ली गई थी और इस बात मे सदेह दीखने लगा था कि जिस बल्कान-सकट के कारण इंगलैंड और रूस के बीच खुले युद्ध का खतरा पैदा हो गया था, उसके रहते हुए जल्दी ही अक्खल प्रदेश मे और आगे घुसने के लिए कदम उठाया जाएगा। इसी बीच, दर्रे दानियाल और बोस्फोरस के जलडमरूमध्यो पर हमला करने के लिए अंग्रेज माल्टा मे जो तैयारी कर रहे थे, उसका प्रति-सतुलन करने के लिए ओक्सस के तट पर और क्रासनोवोड्स्क मे रूसी फौजें इकट्ठी हो रही थी तथा एशिया मे अंग्रेजो का सिहासन हिलाने के लिए काबुल तथा तेहरान मे राजनयिक दाँव-पेच चल रहे थे। बर्लिन की सधि से तनाव कम हो गया था, पर लॉर्ड लिटन ने अपनी अफगान-योजना को फिर भी कार्यान्वित किया। इसकी वजह से भारत सरकार कुछ समय तक तुर्कमान के मामलो की ओर ध्यान न दे सकी और वहाँ कोई आशकाजनक घटना भी नही घटी। बाद मे जब रूसी फौजो ने तुर्कमान कबीलो को अपने अधीन करना आरभ कर दिया, तब भारत मे लॉर्ड लिटन के उत्तराधिकारी और इंगलैंड की सरकार दोनो को इस तरह की कोई आशका नही हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि अश्काबाद तक समूचा टेके प्रदेश बिना किसी विरोध के रूस के अधिकार मे आ गया। जो कुछ अवश्यभावी था, उसके आगे भारत और इंगलैंड की सरकारो ने घुटने टेक दिए और अब उनके सामने एक ही विकल्प रह गया कि वे अफगानिस्तान के सीमान्त के परि-सीमन की व्यवस्था करती। अब हम सक्षेप मे इस घटना क्रम की कहानी कहेंगे।

जनरल लोमाकिन 1877 मे जिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियो मे पीछे हटा था, उसके बाद कैस्पियन सागर के पूर्वी तटो पर रूसी फौजो को सैनिक कार्यवाही के लिए जमा करने का कोई अवसर हाथ न आ सका। वहाँ रूसी फौजें कई महीनो तक केवल 'रक्षात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए बाध्य रही।'[1] पर, इस साल के बीतते-बीतते मार्च मे सारा सकट टल गया था और जनरल लोमाकिन को यह आदेश मिला कि वह

1 भारतीय अधिकारी, II, पृ 118

ने नर-संहार बंद नहीं किया और इसकी वजह से प्रतिरक्षकों का रुख भी कड़ा पड़ गया। विजय के मद में और किले पर हमला करके गौरव प्राप्त करने की इच्छा से लोमाकिन ने 1400 रूसी सिपाहियों की फौज को हमला करने का आदेश दे दिया। यह "लड़ाई की आखिरी और सबसे बड़ी भूल" थी। हमला पीछे धकेल दिया गया और रूसी फौज में बुरी तरह भगदड़ मच गई। इस पराजय से जनरल लोमाकिन का भाग्य-नक्षत्र डूब गया और *आगे के प्रयत्न अधिक कुशल अधिकारियों द्वारा किए गए।*[1]

1880 में काउंट स्कोबेलेव ने कमान सँभाली। यह वही स्कोबेलेव था जिसने भारत पर हमला करने की योजना बनाई थी और जो 1878 में काबुल के लिए भेजे गए शिष्टमंडल का नेता था। उसने सावधानी से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने का निश्चय किया तथा यह भी तय किया कि 'जब तक वह अक्कल मरुद्यान के पश्चिमी छोर पर कोई अग्रिम अड्डा न बना ले और वहाँ इस तरह का साज-सामान तथा फौजें एकत्रित न कर ले जिनकी लंबे संघर्ष के लिए जरूरत पड़ सकती है, तब तक कोई ऐसा हमला न किया जाएगा जो या तो इस पार ले जाए या उस पार।'[2] जून तक वह बामी पहुँच गया और वहाँ उसने एक सुरक्षित डिपो का निर्माण कर लिया। सवार-व्यवस्था में सहूलियत के लिए जनरल एनेंकोव के सुझाव पर मिखाएलोस्क से किज़िल अरवत तक एक रेल लाइन बनाने का निश्चय किया गया और नवंबर 1880 तक प्रायः चालीस मील लंबी पटरियाँ बिछा दी गई। दिसंबर में डेंघिल टेपे, याधी कला और गोक टेपे की ओर कूच करने की उसकी पूरी तैयारी थी। यहाँ 40,000 टेक्के योद्धा "जम कर मुकाबला करने के लिए" इकट्ठे हो गए थे। जनवरी, 1881 के अंत में यह किला हमला कर के ले लिया गया। इस युद्ध में 20,000 तुर्कमान खेत रहे। स्कोबेलेव ने दो टेकी नेताओं—टेक्मा सिरदार और मखदूम कुली खाँ—का पीछा किया जो मर्व की ओर *भाग रहे थे और अश्काबाद तथा अम्मान पर अधिकार कर लिया। पर, रूसी अपने भारी नुकसान के कारण आगे नहीं बढ़े।*[3]

अश्काबाद को जीत लेने और अतक मरुद्यान पर अधिकार कर लेने से रूसियों के हाथों में एक ऐसा अनुकूल स्थान आ गया था जहाँ से वे मर्व तथा हेरात की दिशा में और आगे बढ़ सकते थे। रूसी सरकार ने हमेशा की तरह ब्रिटिश सरकार का शांति के आश्वासन दे-देकर भरमाया। 26 जनवरी, 1881 को श्री गियर्स ने लॉर्ड डफरिन को सूचना दी कि "टेकों तुर्कमानों की शक्ति का विनाश होने के बाद" 'अब वह समय आ गया है कि रूसी सरकार नरमी दिखाए और यह सावधानी बरते कि सगार के इस भाग में और सैनिक कार्यवाहियों में न उलझा जाए।' ब्रिटिश सरकार को विश्वास दिलाया गया कि मर्व पर अधिकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में जार के वचन की दुहाई दी गई। श्री गियर्स ने यह बात दुहराई, "यही नहीं कि हम वहाँ जाना नहीं चाहते,

---

1 वही, II, पृ 126-40

2 भारतीय अधिकारी, II, पृ 148

3 वही, अध्याय XVI

बल्कि प्रसन्नता की बात यह है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हमारे वहाँ आने की जरूरत पड़े।[1] इसके कुछ समय बाद ही 24 मई, 1881 को सम्राट् के आदेश के अनुसार टेक्के तुर्कमान प्रदेश "ट्रान्स-कैस्पियन प्रदेश" में मिला लिया गया। पर उसकी सीमाएँ तय नहीं की गईं और उन्हें जान-बूझ कर अस्पष्ट रखा गया था।[2] इसी बीच 21 दिसंबर, 1881 को तहरान में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके द्वारा बाबा डोरमूज के किले पर रूस और फारस की सीमान्त-रेखा निश्चित की गई और तय हुआ कि उनकी सीमाओं का परिसीमन करने के लिए कमिश्नर नियुक्त किए जाएँ।[3] इस समझौते में हेरात और मर्व की तरफ जाने वाली सीमा-रेखा शामिल नहीं थी और इसके कारण इंगलैंड तथा भारत में गंभीर अविश्वास पैदा हो गया। पर, सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं रेल लाइन के लिए लेस्सेप द्वारा हेरात के निकटवर्ती प्रदेश की खोज और मर्व को रूसी साम्राज्य में शान्तिपूर्ण रीति से मिलाने के लिए किए गए षड्यन्त्र।[4] यह काम अलिखानाव जैसे गुप्त प्रणिधियों (emisseries) ने किया जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 12 फरवरी, 1884 को मर्व के सरदारों ने जार के प्रति निष्ठा की शपथ ली और उसके शीघ्र बाद रूसी फौजों ने मर्व पर कब्जा कर लिया।[5]

लगता है कि तुर्कमान प्रदेश में घटित होने वाले इस घटना-चक्र के प्रति भारत और इंगलैंड की प्रतिक्रिया पहले जैसी तीव्र नहीं हुई। रूस ने टेक्के लोगों के खिलाफ जब-जब कोई कदम उठाया, तब-तब ब्रिटिश सरकार ने विरोध प्रकट किया और यह आश्वासन माँगा कि मर्व की अखंडता पर कोई आँच न आने पाएगी। जब जुलाई, 1879 में जनरल लाजारेव तुर्कमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तब साम्राज्ञी की सरकार, रूसी सरकार को यह सूचना देने में न चूकी, कि, 'जिन कार्यवाहियों से मर्व को खतरा होगा या फारस के प्रदेश का अतिक्रमण होगा, उनके प्रति हमारा रुख निश्चय ही असंतोष का होगा। इसके पीछे शायद भारत सरकार की प्रेरणा रही होगी। यह आश्वासन आसानी से प्राप्त हो गया। रूसी सरकार ने यह अस्वीकार किया कि उसका ऐसा कोई उद्देश्य है और कहा "वर्तमान अभियान टेक्के तुर्कमानों के विरुद्ध है और अगर वह सफल हुआ, तो शायद वक्र-रेखा द्वारा क्रासनोवोड्स्क तथा चिकिश्लियार को जोड़ने वाली चौकियों का एक जाल-सा बिछ जाएगा। इस वक्र-रेखा का आखिरी छोर मर्व से कम से कम 250 किलोमीटर की दूरी पर होगा।[6] गियर्स तथा बैरन जोमिनी के वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि इस समय रूस की सैनिक तैयारी का तात्कालिक लक्ष्य मर्व नहीं था, बल्कि अक्काल मरूद्यान पर कब्जा करके और 'मर्व की तरफ 200 वर्स्टों की दूरी पर

---

1 भारतीय अधिकारी द्वारा उद्धृत, II, पृ 165-66
2 भारतीय अधिकारी, II, पृ 167
3 वही पृ 170
4 मार्विन, द रशन एट मर्व एंड हेरात, अध्याय III, भारतीय अधिकारी, II, पृ 176-182
5 वही, पृ 185-86
6 सेलिसबरी का डफरिन के नाम संवाद, 9 जुलाई, 1879, मध्य एशिया 1880 (1), पृ० 92

रह कर इन कबीलों की लूटमार को रोकना था।" परन्तु, बैरन जोमिनी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि "हालांकि हमारा इरादा मर्व तक जाने का या ऐसा कोई काम करने का नहीं है जिसे इंगलैंड के लिए खतरनाक समझा जाए, फिर भी आपको धोखे में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारी कार्यवाही का फल यह होगा कि अगर भविष्य में इंगलैंड ने ईरान पर कब्जा करके मध्य एशिया में हमारी स्थिति के लिए खतरा पैदा किया, तो हमारे पास इंगलैंड के विरुद्ध कार्यवाही करने का अड्डा होगा।"[1] यह माना जा सकता है कि रूस की घोषणाओं में बार-बार कहा गया था कि उसका मर्व पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, पर गियर्स के कथनानुसार 'इस बात की संभावना थी कि विभिन्न परिस्थितियों में और अदृष्ट आकस्मिकताओं में मर्व पर कब्जा करना आवश्यक हो सकता है।'[2] अफगानिस्तान के घटना-क्रम का उद्देश्य यह मालूम पड़ना था कि इंगलैंड ईरान पर अधिकार करना चाहता है। इस घटना-क्रम का रूस की नीति पर जरूर प्रभाव पड़ता और अगर इंगलैंड ईरान पर कब्जा करता, तो यह संभव था कि रूस मर्व पर कब्जा कर लेता।

दुबारा फिर जब 1881 में अक्खल मरूद्यान पर रूस का अधिकार हो गया, अश्काबाद रूस की गतिविधि का केंद्र बन गया और मर्व सरदारों को शान्तिपूर्ण रीति से वश में करने के प्रयत्न किए जाने लगे, तब भारत सरकार पूरी तरह से निश्चिन्त न रह सकी। माक्विस की सरकार फिर सशंक हो उठी और जब कभी मर्व सरदार अश्काबाद आते थे, तभी भारत सरकार के कान खड़े हो जाते थे। अप्रैल, 1881 में गियर्स को फिर यह आश्वासन देना पड़ा कि इस तरह की कार्यवाहियों से रूस के इस इरादे में कोई परिवर्तन नहीं आता कि वह मर्व मरूद्यान में किसी तरह का प्रदेश नहीं हथियाना चाहता।'[3] जून में फिर यह आश्वासन दुहराया गया कि "मर्व तुर्कमानों के साथ कोई संधि करने का या वहाँ रेजिडेंट नियुक्त करने का कोई विचार नहीं था।'[4] रूसी अधिकारियों ने खारस्म और हरात की ओर के प्रदेश के सर्वेक्षण के जो प्रयत्न किए और फारस के साथ एक-दूसरे की सीमाओं के परिसीमन के बारे में जो करार किया, उसके फल-स्वरूप ब्रिटिश सरकार की भी सीमाएँ निश्चित करने के बारे में राजनयिक आग्रह करने की प्रवृत्ति हो गई ताकि रूस का प्रादेशिक विस्तार अफगानिस्तान के निकट तक न होने पाए। लार्ड ग्रानविल्ल ने लंदन-स्थित रूसी राजदूत लोबानोव से यह इच्छा व्यक्त की कि 'अफगानिस्तान और रूस की सीमा के बीच अवरोध खड़ा कर के ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे रूस के अफगानिस्तान की ओर बढ़ने का कोई अवसर या मौका न रहे।' अंग्रेजों का आग्रह यह था कि इस तरह की सीमाओं का निर्धारण बाबा डोरमुज से आगे बढ़ कर हेरात की दिशा में होना चाहिए। वे अटरेक प्रदेश और मर्व तक की प्रजा के

1 डफरिन का सेलिसबरी के नाम संवाद, 16 जुलाई, 1879, मध्य एशिया, 1880 (1), पृ 190
2 डफरिन का सेलिसबरी के नाम संवाद, 26 अगस्त, 1879, वही, पृ 112
3. डफरिन का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 14 अप्रैल, 1881, मध्य एशिया, 1881 (2), पृ 1
4 विन्डम का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 15 जून, 1881, वही, पृ 101

पास छोड़ने के लिए तैयार थे, पर रूस को यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से इस आधार पर स्वीकार्य न थी कि इससे तुर्कमानों के हमलों से छुटकारा न मिल सकेगा। रूस को यह विश्वास न था कि फारस इन कबीलों पर शासन कर सकेगा और शांति स्थापित कर सकेगा। अंग्रेजों का इरादा यह था कि रूस का आगे का विस्तार रोक दिया जाए और इस संबंध में गियर्स को 1882 में यह घोषणा करने में कोई संकोच नहीं हुआ कि, "हमारा इस दिशा में आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है," 'कि इस समय रूस का सारख्स या मर्व की तरफ बढ़ने का या पहले से ही उसके अधिकार में जो प्रदेश हैं, उनसे आगे के किन्हीं प्रदेशों को फौजों की मदद से अपने अधिकार में करने का कोई इरादा नहीं है।"[1] पर इन राजनयिक कार्यवाहियों का कोई असर नहीं हुआ—न तो रूस को मर्व पर अधिकार करने से रोका जा सका और न इस प्रदेश में सीमाओं का निश्चित निर्धारण ही हो सका। भारत सरकार पश्चिमी अफगानिस्तान से पीछे हट गई थी और उसने यह सल्तनत नए अमीर अब्दुर्रहमान को दे दी थी तथा उसकी उत्तरी-पश्चिमी सीमाओं की डाँवाडोल स्थिति के कारण उसे बाहरी खतरे के विरुद्ध सहायता का आश्वासन दे रखा था। 1884 में मर्व रूसी साम्राज्य का निश्चित अंग बन गया था।

रूसी सरकार और सम्राट् ने अपने आरंभिक वचन-भंग करके जो कुछ कर दिखाया, उससे भारत सरकार की बुरी से बुरी शंकाएँ सच साबित हुईं। साथ ही, रूस के इस प्रयोजन का भी पर्दाफाश हो गया कि वह अफगान सीमाओं तक के प्रदेश को हथियाना चाहता है। उसने इस तरह के अस्पष्ट संकेत भी दिए थे। भारत और इंगलैंड की सरकारों के पास इस 'होनहार' को अनकिया करने के न तो साधन ही थे और न इच्छा-शक्ति ही। इस समाचार से भारत और इंगलैंड में बड़ी उत्तेजना फैली और 22 फरवरी को इस विषय पर हाउस आफ कामन्स में बहस भी हुई। ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर विरोध प्रकट किया कि रूसी सरकार ने विश्वास-भंग किया है और आशा व्यक्त की कि "अफगानिस्तान की सीमाओं की दिशा में रूसी प्रभुता के इस विस्तार से जो उलझनें पैदा होंगी, उनके समाधान के लिए उचित और संतोषजनक व्यवस्था की जाएगी।"[2] इसके अलावा उसने और कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। उस समय जिस मुख्य परित्राण (safeguard) की कल्पना की गई थी, वह यह था कि अफगानिस्तान और रूस के बीच सीमा निश्चित कर दी जाए जिससे रूस के अतिक्रमणों का डर मिट जाएगा। 12 मार्च को थार्नटन ने मासियो गियर्स से पूछा कि मर्व प्रदेश का क्या विस्तार है। इस पर गियर्स ने जवाब दिया कि वह "पूर्व में ओकसस तक और दक्षिण में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा—ख्वाजा सलेह से टेडजेंड तक फैला हुआ है।" उसने आगे चल कर यह भी कहा कि मैं पहले ही यह प्रस्ताव कर चुका हूँ कि सीमा के बारे में समझौता कर लिया जाए और वह तय कर ली जाए।[3] गियर्स ने 17 मार्च, 1884 को ब्रिटिश राजदूत

---

1 थार्नटन का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 28 जून, 1882

2 ग्रानविल्ले का थार्नटन के नाम संवाद, 29 फरवरी, 1884, मध्य एशिया, स (1885), पृ 7-13

3 थार्नटन का ग्रानविल्ले के नाम संवाद, 12 मार्च, 1884, मध्य एशिया, स. 2, 1885 पृ 12

को जो पत्र लिखा था, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी थी। उसने लिखा था, "जो देश रूसी प्रदेशों को अफगानिस्तान की सीमाओं से अलग करते है, अगर उनकी स्थिति के और अधिक स्पष्टीकरण द्वारा इंगलैंड का मंत्रिमंडल इन प्रबंधों को पूरा करना उपयोगी और व्यावहारिक समझे, तो हम उसे उस प्रस्ताव की याद दिलाएंगे जिसे प्रस्तुत करने का महामहिम सम्राट् के राजदूत को 1882 में आदेश दिया गया था। प्रस्ताव यह था कि सीमांकन की जिस रेखा के बारे में 1872-73 में समझौता हुआ था, उस रेखा को ख्वाजा सलेह से पश्चिम तक ले जाया जाए। साम्राज्ञी की सरकार को उस समय इस प्रस्ताव पर मत व्यक्त करने में संकोच हुआ था। अगर वह बातचीत आरंभ करना चाहे, तो सम्राट् का मंत्रिमंडल प्रसन्नतापूर्वक तैयार होगा।"[1] लॉर्ड ग्रानविल्ले ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और थॉर्नटन को लिखा, "अफगानिस्तान के सीमांत की ओर का विस्तार होने से उन सीमाओं के स्पष्टीकरण का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जिनसे वह सल्तनत रूस-प्रभावित प्रदेशों से अलग होती है और साम्राज्ञी की सरकार अफ़गानिस्तान के सीमांत का ख्वाजा सलेह से पश्चिम की तरफ़ परिसीमन करने के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है जिसे 1882 में प्रस्तुत किया गया था और जिसे गियर्स ने अब फिर दुहराया है। आप गियर्स को इस निर्णय की सूचना दे दें और यह भी लिख दें कि अच्छा हो सीमा-रेखा के मुख्य बिंदुओं को मुकाम पर ही निर्धारित किया जाए और इस काम के लिए एक संयुक्त आयोग नियुक्त किया जाए जिसमें अफगानिस्तान का भी प्रतिनिधि हो तथा यह आयोग अगली शरद् ऋतु से काम आरंभ करदे।"[2] मर्व के बारे में रूस के मंसूबों से जो तनाव पैदा हो गया था, वह इस तरह से समाप्त हुआ।

---

1. गियर्स का थॉर्नटन के नाम संवाद, 17 मार्च, 1884, वही, पृ. 19.
2. ग्रानविल्ले का थॉर्नटन के नाम संवाद, 29 अप्रैल, 1884, मध्य एशिया, स. 2, 1885 वही, पृ. 27.

अध्याय 9

शेर अली की सुरक्षा-कामना

अब हम मध्य एशिया की इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में भारत सरकार और अफगानिस्तान के अमीर के संबंधों की परीक्षा करेंगे जिनकी परिणति 1878 की युद्ध-उत्तेजना के रूप में हुई थी। साथ ही हम उस व्यवस्था की भी जांच करेंगे जो 1878 के बाद भारत सरकार और काबुल के बीच तय हुई थी और जो एक लंबे अरसे तक भारत ब्रिटिश विदेश नीति की नींव बनी रही थी।

भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति धीरे-धीरे जिस नीति का विकास किया था उसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। पर, पुनरावृत्ति की जोखिम उठा कर भी सर जान लारेंस और लार्ड मेयो जिस नीति पर चले थे, उसकी मुख्य-मुख्य बातें एक बार यहां फिर दुहरा देना अनुचित न होगा। 26 दिसंबर, 1867 को भारत-मंत्री ने साम्राज्ञी की सरकार की नीति का स्पष्ट रूप से निरूपण करते हुए कहा था कि "जब तक अफगान सीमान्त की शांति भंग नहीं करते या दूसरे राज्यों के साथ ऐसे समझौते नहीं करते जिनसे अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संकट पैदा हो—इस स्वतंत्रता की रक्षा करना संसार के इस भाग में दीर्घ काल से हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है और अब भी है—तब तक उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा"। अगर अफगानिस्तान के किसी पक्ष ने विदेशी सहायता मांगी, तो भारत सरकार के लिए "उसके प्रतिपक्षियों को ठोस सहायता देना' अनुचित न होगा। काबुल के शासक को या तो "उपदान" के रूप में सहायता दी जा सकती थी या 'शस्त्रास्त्र के रूप में।" वह "हमारी सेना के अभियान के रूप में नहीं हो सकती थी।" यह ठीक ही कहा गया था कि "इस तरह के अभियान से संभवतः हमारे इरादों के बारे में बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी और गंभीर उलझनें पैदा हो सकती हैं।'[1] कुछ समय बाद लारेंस की सरकार ने निर्हस्तक्षेप (non-interference) का फिर इन शब्दों में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया: "हमें इस बात पर आपत्ति है कि हम किसी उच्च ब्रिटिश अधिकारी को सेना के साथ या

---

1 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सं 15, 26 दिसंबर, 1867. अफगानिस्तान पत्राचार, 1878 (C—2190) सं 12, पृ. 25, पैरा 6 और 9

सेना के बिना अफगानिस्तान भेजे या अपने सीमांत के पार वहाँ की किसी चौकी या भू-खंड पर बलपूर्वक या शांतिपूर्वक आधिपत्य कर ले और इस प्रकार उस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे क्योंकि हमारा विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस तरह की कार्यवाही से अफगानों के मन में क्षोभ, अवज्ञा और घृणा पैदा होगी और इससे न तो हमारी आक्रमण की शक्ति में कोई वृद्धि होगी, न रक्षा की शक्ति में।'[1] इसके साथ ही रूस आक्रमण न कर सके—यह पेशबंदी करने के लिए लॉरेंस ने इच्छा व्यक्त की थी कि मध्य एशिया में रूस की जो भी योजनाएँ या मंसूबे हों, उनके संबंध में उसके साथ स्पष्ट समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिए और उसे दृढ़, किंतु शिष्ट, शब्दावली में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे अफगानिस्तान या हमारे सीमावर्ती अन्य किसी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोनों शक्तियों के बीच पारस्परिक सद्भाव प्राप्त करना कठिन अवश्य है, पर इससे हम निराधार अफवाहों का खंडन कर सकेंगे और अनावश्यक आतंक फैलने से रोक सकेंगे।"[2] संक्षेप में, आरंभ में नीति नए अमीर की स्थिति को मजबूत करने और उसकी सद्भावना प्राप्त करने की और इसके साथ ही दक्षिण दिशा में रूस के विस्तार की सीमाओं के संबंध में रूस से समझौता करके उसके हमले से अफगानिस्तान की रक्षा करने की थी।

अमीर शेर अली को कुछ धन तथा शस्त्रास्त्र दिए गए थे जिनकी मदद से उसने अपने विरोधियों को देश से बाहर निकाल कर काबुल में अपने शासन की स्थापना की थी। किंतु, आंतरिक संघर्ष और अपने प्रतियोगियों की प्रेरणा से आयोजित विदेशी आक्रमणों की संभावना के कारणों से उसकी स्थिति दुर्बल थी और इसके प्रति वह अवश्य सजग रहा होगा। आक्सस के पार रूस का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ था, कोहकंद और बुखारा का प्रतिरोध शीघ्र नष्ट हो गया था और ताशकंद में अब्दुर्रहमान को शरण दी गई थी—इन सब कारणों से उसका डर और बढ़ गया था। यद्यपि गृह-युद्ध समाप्त हो गया था, पर हिंदुकुश के उत्तर में स्थित अफगान तुर्किस्तान पर शेर अली का अधूरा शासन था। उसकी स्थिति में अभी स्थिरता लानी थी और डर था कि वह रूस के षड्-यंत्रों के लिए उपयुक्त भूमि बन सकता है। उस समय भारत और इंगलैंड में आंग्ल-भारतीय लोकमत के एक बड़े भाग के विचारों और नीतियों के मूल में रूस का डर रहता था। उस डर से अमीर कहाँ तक ग्रस्त था, यह नहीं मालूम। पर, चूँकि अमीर रूस द्वारा अधिकृत प्रदेशों के बहुत निकट था और रूस के आगे के विस्तार से उसका सीधा संबंध था, अतः यह मानना अस्वाभाविक था कि वह मध्य एशिया के घटना-चक्र का निश्चिंत भाव से अवलोकन करता रहेगा। फिर भी यह लगता है कि इस समय अमीर शेर अली को आंतरिक संघर्षों से अपनी रक्षा करने की अधिक चिंता थी। अंबाला में अमीर की लार्ड मेयो से जो लंबी बातचीत हुई थी, उस तक में उसने मध्य एशिया के मामले की मुख्य रूप से चर्चा नहीं की थी। लार्ड मेयो ने लिखा था कि "अमीर शेर अली का काबुल

---

1 विदेश विभाग, भारत सरकार का भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं. 1, 1869, 4 जनवरी, 1869, वही, सं 14, पृ 44, पैरा 5

2 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, सं. 1, 1869, वही, पैरा 9.

की गद्दी पर अपने पैर जमाने का संकल्प इतना दृढ़ है कि उसे रूस या फारस की बहुत कम चिन्ता मालूम पड़ती है।'[1] इस समय अमीर अँग्रेज़ों से "बाहरी आक्रमण के विरुद्ध कोई पक्की गारंटी नहीं चाहता था।" अंबाला-सम्मेलन के बाद मेयो ने आर्गील को सूचना दी थी कि "हमारी अमीर के साथ जो बातचीत हुई, उसमें उसने शायद ही कभी रूस का नाम लिया हो। अमीर ने रूसियों के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं है और इसका कारण या तो यह हो सकता है कि वह अपने ही झगड़ों में बेहद उलझा हुआ है या यह कि उस रूसियों की कार्यवाहियों की कोई जानकारी ही नहीं है। और जब कभी हमने उससे मामूली तौर पर रूसियों का ज़िक्र किया है तब वह सामान्यतः यही कहता है कि अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक उनके बारे में कुछ नहीं सुना जाएगा।'[2]

इसलिए शुरू शुरू में शेर अली को ज्यादा बड़ा खतरा आन्तरिक विद्रोहों का और गद्दी से अपनी सत्ता तथा अपने राजवंश के हटाए जाने का था। यह काल्पनिक डर न था और अपने भाइयों तथा भतीजों से भयंकर गृह-युद्ध करने के बाद उसके लिए यह स्वाभाविक भी था। लॉरेंस ने उसे जो धन और हथियार दिए थे, उनके फलस्वरूप भाग्य-चक्र पक्के तौर पर उसके पक्ष में मुड़ गया था। वह इस सहायता का मूल्य समझता था और ज्यादा धन तथा हथियार चाहता था ताकि उसकी स्थिति किसी कमी की वजह से कमज़ोर न होने पाए। इसलिए वह भारत सरकार के प्रति आभारी था कि उसने राजगद्दी पाने में उसकी मदद की और उसने भारत सरकार से यह आश्वासन और चाहा कि 'वह तथा उसके वंशज अफगानिस्तान के माधिकार शासक रहेंगे।" उसे इस बात का अनुभव था कि आन्तरिक संघर्ष में इस तरह की मदद कितनी कारगर होती है और चूँकि देश में उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, अतः वह अपने सर्व-शक्तिशाली पड़ोसी की सद्भावना ही नहीं पाना चाहता था बल्कि अपनी सत्ता के संभाव्य प्रतिद्वंद्वियों का हौसला पस्त करने के लिए अँग्रेज़ों के साथ अपनी दृढ़ मित्रता का प्रदर्शन भी करना चाहता था। अँग्रेज़ों की मैत्री और सहायता का इतना महत्त्वपूर्ण समझने के कारण वह चाहता था कि इन संबंधों को स्थायी आधार पर प्रतिष्ठित किया जाए क्योंकि तब इन संबंधों में किसी तरह की अस्थिरता न रहेगी और उन पर प्रत्येक भावी वायसराय की चंचल मनोवृत्ति का प्रभाव न पड़ेगा। उसके पिता ने 1855 में भारत सरकार के साथ जो संधि की थी, वह एकांगी थी और उसमें ऐसी शर्तें नहीं थीं जिनसे नई स्थिति का समाधान हो सकता। अतः वह अँग्रेज़ों के साथ प्रतिरक्षा तथा आक्रमण दोनों के संदर्भ में ऐसी निश्चित मैत्री-संधि करना चाहता था जो दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू हो और सिंहासन पर उसके तथा उसके राजवंश के अधिकार की रक्षा कर सके। इसी पृष्ठभूमि में अंबाला-सम्मेलन बुलाने की बात तय हुई थी। अमीर शेर अली की उत्सुकता इस बात से स्पष्ट है कि अफगान तुर्किस्तान में परेशानी के बावजूद, आवश्यकता होने पर, वह सुदूर कलकत्ते तक में वायसराय से मिलने के लिए तैयार था। ऐसे समय में जब अमीर शेर अली का सिंहासन खतरे में था वह कुछ सप्ताहों के लिए अपना देश छोड़ने को तैयार हो गया और उसने

1 मेयो का आर्गील के नाम संवाद, 18 अप्रैल, 1869, आर्गील, पृ 273
2 आर्गील, पृ 262

भारत सरकार पर विश्वास किया—यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह अंग्रेजों की मित्रता को बहुत महत्त्वपूर्ण समझता था और उसकी स्थिति डाँवाडोल थी तथा उसकी शक्ति का एक मात्र आधार अंग्रेजों की मैत्री और सहायता ही थी। दूसरी ओर भारत सरकार भी चाहती थी कि काबुल की गद्दी पर एक ऐसा शक्तिशाली और मैत्रीपूर्ण शासक बना रहे जिसे हमारे साथ संबंधों के फलस्वरूप वास्तविक और ठोस लाभ हो पर वह इस तरह के संबंध नहीं चाहती थी कि अगर हम बाद में पता चले कि शासक की नीयत हमारे प्रति साफ नहीं है तो ये संबंध हमारे लिए जंजीर बन जाएँ।[1] इस सहायता की शर्तें ऐसी रखी जानी थीं जो कठोर न हों। नॉरिस सामान्य निष्ठा से ही संतुष्ट था। देसी प्रतिनिधि के प्रति शिष्टाचार, सामंत के जो कबीले अमीर के अधीन हों उन पर उसका ऐसा नियंत्रण कि वे किसी भी समय ब्रिटिश प्रदेश पर हमला न कर सकें और वह इन कबीलों को हमारे क्षेत्र से भाग कर जाने वाले अपराधियों को शरण देने की अनुमति न दे और अन्त में अगर हमारी इच्छा हो तो हमें किसी भी समय कंधार, हेरात या अफगान प्रदेशों के किन्हीं भी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर देसी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो।[2] "इस समय अनेक उत्तरदायी व्यक्ति यह चाहते थे कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रतिनिधियों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए, वहाँ के अग्रवर्ती ठिकानों पर नियंत्रण रखा जाए और उसकी सीमा पर सेना तैनात की जाए। नॉरिस इस सीमा तक तो आगे नहीं बढ़ा पर उसने यह निश्चय कर लिया था कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश अफसरों की नियुक्ति की संभावना बनी रहे, उसके साथ आक्रमणात्मक और प्रतिरक्षात्मक मैत्री-संधि हो तथा उसे निश्चित उपदान भी दिया जाए। अन्त जहाँ शेर अली भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि से इसलिए भेंट करना चाहता था कि वह स्वदेश में अपनी स्थिति मजबूत कर सके और अपने वंश को स्थायी आधार पर प्रतिष्ठित कर सके वहाँ भारत सरकार रॉलिन्सन और उसके दल के इस विरोधी प्रलाप की ओर से बिल्कुल उदासीन थी और वह सद्भावना व्यक्त करने तथा अपने विवेक के अनुसार जब-तब सहायता देने की घोषणा करने के लिए तो तैयार थी—पर इससे आगे जाने के लिए नहीं।

अम्बाला-सम्मेलन में अमीर शेर अली का डर और संदेह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गया था। उसने यह बैठक इसलिए चाही थी कि वह भारत सरकार के साथ अपने मैत्री संबंध मजबूत कर सके और उससे ऐसे आश्वासन प्राप्त कर सके जिनसे स्वदेश में उसकी स्थिति सुदृढ़ हो। इस अवसर पर लाड मेयो की जो नीति रही थी उसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फिर भी यहाँ यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि वायसराय के साथ उसकी जो बातचीत हुई थी उसमें उसकी महत्वाकांक्षाओं और माँगों को कहाँ तक पूरा किया गया और वायसराय ने उसे जो आश्वासन दिए थे उनसे उसे कहाँ तक संतोष मिला। आर्गाइल के ड्यूक ने लाड मेयो और अपने पत्र-व्यवहार में से जो अवतरण उद्धृत किए हैं उनमें हमें इस बात की झलक मिलती है कि अमीर शेर अली के मन में क्या

1 नॉरिस का विवरण 27 नवंबर 1868 पत्राचार, अफगानिस्तान 1878, पृ 68 पैरा 41
2 वही पैरा 38

था और लार्ड मेयो की नीति के मूल प्रयोजन क्या थे।[1] एक बात तो स्पष्ट है कि अमीर को 1855 की उस एकपक्षीय संधि से संतोष न था जिसकी शर्तें "दोनों संविदाकारी पक्षों पर आरोपित दायित्वों की दृष्टि से बहुत असमान थीं।" आर्गील के ड्यूक के शब्दों में "अमीर के लिए तो यह मैत्री-संधि थी—आक्रमणात्मक भी और प्रतिरक्षात्मक भी। भारत सरकार के लिए उसमें ऐसी कोई बात न थी।'[2] इसलिए, इस 'सूखी मैत्री' के विरुद्ध (संधि के संबंध में यह विशेषण स्वयं अमीर का ही है) अमीर की शिकायत में सचाई थी क्योंकि उसको अपने भाइयों के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसमें उसे इस संधि की वजह से कोई मदद नहीं मिल पाई थी और उसकी तीव्र इच्छा एक ऐसी आक्रमणात्मक और प्रतिरक्षात्मक संधि करने की थी जो दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू हो। दूसरे, वह अपने संबंध में गारंटी चाहता था कि उसे ही नहीं बल्कि उसके 'वैध उत्तराधिकारियों को भी अफगानिस्तान के साधिकार शासकों के रूप में" मान्यता दी जाएगी—वस्तुतः नहीं, विधितः। तीसरे, वह एक निश्चित वार्षिक उपदान चाहता था।[3] 29 मार्च को अमीर के साथ और फिर उसके दूत के साथ जो बातचीत हुई थी, उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह भारत सरकार को ऐसे दृढ़ संबंध-सूत्र से बांधने के लिए उत्सुक था जिसके फलस्वरूप उसके शत्रु अंग्रेजों के शत्रु हो जाते। प्रकटतः ये शत्रु आतरिक शत्रु थे क्योंकि लार्ड मेयो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमीर ने रूस के डर की ओर या किसी बाहरी शत्रु की ओर कोई संकेत नहीं दिया था। अमीर शेर अली द्वारा इस तरह की मैत्री-संधि पर जोर दिए जाने का कारण कुछ तो लारेंस का यह रुख था कि काबुल की गद्दी पर जो भी शासक अपने पैर जमा लेता था, उसी को वह मान्यता दे देता था और कुछ यह कि उसे (अमीर को) भविष्य में अपने सगे-संबंधियों की ओर से उपद्रवों की आशंका थी।

पर अमीर ने यह कैसे मान लिया था कि उसकी बातचीत सफल होगी? कल्पना की जा सकती है कि काबुल में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसे धन तथा शस्त्रास्त्रों की जो अनायास सहायता मिल रही थी, उससे वह प्रभावित हुआ होगा। यह भी असंभाव्य नहीं कि वह जानता हो कि अंग्रेजों की रूस से ठनी हुई है और मध्य एशिया में रूस के विरुद्ध जो भी आक्रमणात्मक या प्रतिरक्षात्मक योजनाएं बनेंगी, उनमें अफगानिस्तान की महत्त्वपूर्ण स्थिति होगी। इसमें संदेह नहीं कि वह जानता था कि अंग्रेज काबुल में एक शक्तिशाली और मित्र शासक चाहते हैं और भारत सरकार ने उसे जिस तरह सहायता दी थी उससे शायद उसने यह निष्कर्ष निकाला हो कि भारत सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि वह अपने देश में अपनी प्रभुता को दृढ़ करे। पर जहां तक उसका प्रश्न था, वह स्थिरता और सहायता तो चाहता था, लेकिन अपनी तरफ से ऐसी किन्हीं शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार न था जिनसे प्रभुसत्ता पर आंच आती। सचाई यह है कि जिस एक विषय से उसका संदेह आसानी से जाग उठता था, वह था उसके देश में अंग्रेजों के दूत या अंग्रेजों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रश्न। 'ब्रिटिश सरकार के यूरोपीय

1 आर्गील पृ 253-8
2 आर्गील, पृ 260
3 आर्गील, पृ 260

एजेंटो के विषय पर अमीर और उसके प्रतिनिधि की ईर्ष्या' की ओर आर्गील के ड्यूक ने सकेत किया है। लॉर्ड मेयो के 4 अप्रैल के पत्र के आधार पर उसने लिखा है कि जब 1 अप्रैल को नूर मुहम्मद से पूछा गया कि "अगर ब्रिटिश सरकार चाहे तो क्या अमीर देसी प्रतिनिधियो को दर्शको या स्थायी रेजिडेटो के रूप मे अफगानिस्तान आने की अनुमति दे देगा," तो "उसने इस सबध मे कोई वायदा करना नही चाहा" और "इसके बजाए उत्सुकता से यह पूछ कर कि क्या यह सकेत यूरोपीय प्रतिनिधियो की ओर है" हर अफगान के मन मे गहराई से जमा हुआ सदेह और भय व्यक्त किया।[1]

अस्तु, अपनी स्थिति के प्रति स्वभावत सशय अमीर शेर अली अपने शत्रुओ के विरुद्ध बारबार गारटियाँ और आश्वासन पाने, अपने राजवश की जडे जमाने और दोनो देशो के बीच के करार को असदिग्ध तथा अनिवार्य बनाने के लिए भारत आया था। वह इसकी यह कीमत चुकाने के लिए तैयार था कि अँग्रेजो के साथ शाश्वत मित्रता रखे और उनके सभी दुश्मनो के विरुद्ध मैत्री-सधि मे बँधा रहे, पर वह एक शर्त मानने से कतराता था—वह अपने देश मे यूरोपीय प्रतिनिधि रखने के लिए तैयार न था क्योकि इस तरह की शर्त को वह अपने अस्तित्व के लिए ही घातक समझता था। लॉर्ड मेयो ने उसकी भावनाओ की तीव्रता समझी और उसका सदेह दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। हो सकता है कि "राजवश के बारे मे निरपेक्ष गारटी प्राप्त करने के लिए वह बहुत कठोर शर्तें मान जाता जिनमे सबसे कठोर शर्त यह होती कि वह अपने राज मे रेजिडेट ब्रिटिश अफसरो के प्रवेश की अनुमति दे।'[2] पर, वायसराय के विचार से "यह अनिश्चित लाभ वर्तमान परिस्थितियो मे अमीर की सत्ता के लिए वास्तव मे हानिकर था"[3] और वह (वायसराय) इसका अनुचित उपयोग नही करना चाहता था। इसलिए, भारत सरकार ने अमीर को सहायता का आश्वासन तो दिया, पर 'यह नहीं चाहा कि इस सहायता की अभिव्यक्ति ऐसे रूप मे हो जिससे लगे कि वह तो मुख्य रूप से बाहर की सहायता पर ही टिका हुआ है।"[4] अतएव वायसराय ने अफगानिस्तान के आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने की और उस देश मे ब्रिटिश फौजे या रेजीडेंट न भेजने की निर्भ्रान्त घोषणा कर दी। उसने अमीर को समझा दिया कि "परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, उसे यह अपेक्षा न करनी चाहिए कि ब्रिटिश फौजें गृह-युद्ध या घरेलू झगडे दबाने के लिए सीमात पार करेंगी" और इसके अलावा उसके शहरो मे कोई यूरोपीय अफसर रेजीडेंट बना कर नही रखे जाएँगे।[5] भारत सरकार ने अमीर को यह वचन तो दिया कि वह जब भी जरूरी समझेगी अमीर की मदद करेगी, पर वह न तो 1855 की सधि के आगे किसी मैत्री-सधि के लिए ही सहमत हुई और न उसने अमीर को उसके राजवश के बारे मे ही कोई गारटी दी। भारत सरकार की ओर से सिर्फ यही कहा गया कि "काबुल के शासक

---

1 आर्गील, पृ 270
2 वही, पृ 269
3 वही।
4 वही।
5 भारत-मत्री को भेजा गया प्रेषण, 3 अप्रैल, 1869, आर्गील, पृ 263-4

के रूप में आपकी स्थिति को दृढ़ करने और गृह-युद्ध की ज्वाला फिर से सुलगाने के किसी भी प्रयत्न पर उसे बहुत रोष होगा।'[1]

अंबाला-सम्मेलन से अमीर अली की शंकाएँ कहाँ तक दूर हो सकी—यह एक विवादास्पद प्रश्न है। यह सच है कि अमीर जिस चीज को बहुत चाहता था, वह उसे नहीं मिल सकी। फिर भी वायसराय और उसके विदेश सचिव के वक्तव्यों तथा वार्ताओं के सामान्य स्वर से और मित्रता तथा निष्कपटता के जिस परिवेश में यह बातचीत हुई थी उससे अमीर का यह विचार जरूर बन गया होगा कि उसके हित सुरक्षित हैं और संकट-काल में वह सरकार से मदद की आशा कर सकता है तथा उसके लिए इस तरह की आशा करना निराधार न होगा। वह यह विश्वास भी लेकर जा सकता था कि बाहरी आक्रमण या आन्तरिक झगड़ों में उसके राज की अखंडता की रक्षा करना स्वयं अँग्रेजों के ही हित में है। पर उसे जो आश्वासन सबसे अधिक अभीष्ट था, वह यह था कि अँग्रेज आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अफगानिस्तान में ब्रिटिश रेजीडेंट नहीं भेजे जाएँगे। उसे सबसे अधिक भय इसी बात का था कि कहीं उसे अफगानिस्तान में ब्रिटिश रेजीडेंटों का स्वागत-सत्कार करने के लिए बाध्य न होना पड़े। वह ऐसी पारस्परिक मैत्री-संधि का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं कर सका जो एक बंधन के रूप में हो, पर जाते समय उसके मन में यह विश्वास जरूर जम गया होगा कि उस समय उसके मित्रों की ऐसी कोई योजना न थी कि उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए।

जहाँ तक भारत सरकार का संबंध है, अंबाला में जिस नीति का निरूपण किया गया था वह यह थी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच विद्यमान बंधनों को और उनके मंतव्यों को स्पष्ट कर दिया जाए और उनकी सीमा तय कर दी जाए। भारत सरकार ने 1 जुलाई 1867 के अपने पत्र में इस करार के स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या कर दी थी। उसने लिखा था "हमने जिस नीति की नींव डालने का प्रयास किया है, उसे मध्यवर्ती नीति कहा जा सकता है जिसका अभिप्राय यह है कि हमने अमीर को साफ-साफ बता दिया है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी विद्रोही प्रजा को दबाने में उसका हाथ बँटाने के लिए कोई भी ब्रिटिश सिपाही उसके सीमान्त को कभी पार नहीं करेगा, कि कोई भी यूरोपीय अफसर रेजीडेंटों के रूप में उसके नगरों में नियुक्त नहीं किए जाएँगे, कि किसी निर्धारित काल तक उसे कोई निश्चित उपदान या द्रव्य भत्ता (money allowance) नहीं दिया जाएगा, कि उसे अन्य उपायों से सहायता का कोई वचन नहीं दिया जाएगा; कि ऐसी कोई संधि नहीं की जाएगी जिससे हम प्रत्येक परिस्थिति में उसे और उसके वंशजों को अफगानिस्तान का शासक मानने के लिए बाध्य हों, फिर भी वर्तमान मान्यता द्वारा जो पूरी तरह स्पष्ट और निश्चय है, और उसके चरित्र तथा सीमाओं के हित के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार की प्रत्यक्ष सार्वजनिक अभिव्यक्ति द्वारा हम यथाशक्ति उसे नैतिक सहायता देने के लिए तैयार हैं और इसके अलावा हम जब कभी आवश्यक या वांछनीय समझेंगे तब हम उसकी द्रव्य, हथियारों, गोला बारूद, देशी कारीगरों और अन्य उपायों से मदद करने के लिए प्रस्तुत होंगे।" पर यह सहायता इस तरह से दी जाती थी जिससे

---

1 मेयो का अमीर के नाम पत्र 31 मार्च 1869

न तो हम ऐसे किन्ही वचनबद्धता में फँसें जिनसे हमारा फजीता हो और न उसकी स्वतन्त्रता पर आंच आए।"[1] भारत सरकार ने यह वचन पूरी दृढ़ता से दिया था कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश फौजें या रेजीडेंट नहीं भेजे जाएँगे क्योंकि "हमने यह समझा था कि हमारी ओर से किए गए किसी भी सशस्त्र हस्तक्षेप पर उसे निश्चित रूप से आपत्ति होगी। हम यह भी जानते है कि अफगानिस्तान में इस समय यही भावना है कि अगर कहीं वहाँ यह समझा गया कि अमीर ने अपने राज में ब्रिटिश फौजें भेजने के लिए कहा है या इसमें उसकी सहमति है, तो शायद उसे इसकी कीमत अपनी राजगद्दी से चुकानी पडे।"[2] परहित की इस भावना के अलावा भारत सरकार को यह भी डर था कि कहीं यह गृह-युद्ध की उलझनों में न फस जाए क्योंकि अमीर शेर अली की तीव्र इच्छा अपने सबसे बड़े लडके याकूब खाँ के बजाए अपने सबसे छोटे लडके अब्दुल्ला जान को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने की थी और लॉर्ड मेयो को डर था कि इस सवाल को लेकर अफगानिस्तान में गृह-युद्ध के शोले भडक सकते हैं। भारत सरकार ने उस समय जो नीति निर्धारित की थी, उसके मूल में एक तो यह डर था और दूसरे यह आग्रह कि अफगानिस्तान के आतरिक मामलों में टाँग न अड़ाई जाए। अबाला-सम्मेलन के फलस्वरूप अमीर को बराबर के लाभ नहीं मिले थे। इस स्थिति में वह ब्रिटिश शासकों के मैत्रीपूर्ण इरादों के प्रति तभी आश्वस्त हो सकता था जब कि भारत सरकार उसे यह वचन देती कि न तो ब्रिटिश अफसर अफगानिस्तान भेजे जाएँगे और न ब्रिटिश फौजों को सीमात पार करने दिया जाएगा। लॉर्ड मेयो की सरकार ने अबाला-सम्मेलन की सफलता का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया है और उसके इस वर्णन में किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है "पहले से यह कोई नहीं बता सकता कि मध्य एशिया में घटना-चक्र किस दिशा में मुडेगा। अमीर के एक भी उद्धत कार्य से उसका तख्त खतरे में पड सकता है और अगर किसी विदेशी शक्ति ने षड्यत्र रचा या अजीम खाँ और उसके भतीजों या अन्य प्रतिद्वद्वियों ने वीरता का कार्य किया, तो उनकी स्थिति फिर से दुर्जेय हो सकती है। लेकिन, इस समय गृह-युद्ध रुक चुका है, और जिस व्यक्ति का ऑक्सस से हलमंद तक, हेरात से पेशावर के द्वार तक नाम-मात्र का शासन है, वह अपने पिता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर अपने आपको हमारा सच्चा और विश्वासपात्र मित्र कहता है।"[3]

अबाला-नीति का अफगानिस्तान की अतर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए भी कुछ अर्थ था। यद्यपि किसी सधि का बधन स्वीकार नहीं किया गया था, फिर भी यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली गई थी कि "चूँकि ब्रिटिश भारत के हितों के लिए अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतत्रता इतनी महत्त्वपूर्ण है, अत अगर उस पर कभी कोई हमला हुआ, तो भारत सरकार उदासीन नहीं रह सकेगी।"[4] पर, भारत सरकार नैतिक दृष्टि से अमीर शेर अली को यह सहायता देने के लिए एक ही शर्त पर बाध्य थी अमीर अपने पड़ोसियों के साथ

---

1 भारत-मत्री को भेजा गया प्रेषण, 1 जुलाई, 1869, पैरा 15
2 भारत मत्री को भेजा गया प्रेषण, 1 जुलाई, 1869, पैरा 59
3 वही, पैरा 66-7
4 वायसराय का भारत-मत्री के नाम तार, स 1414 पो , 27 जून, 1873

जो संबंध रखे, वे भारत सरकार के परामर्श के अनुसार हों और उसके नियंत्रण में रहें। लगता है कि यह बात दोनों ही पक्षों ने समझ ली थी क्योंकि अम्बाला-सम्मेलन के शीघ्र बाद ब्रिटिश सरकार ने रूसी सरकार से इस बारे में बातचीत आरंभ कर दी थी कि दोनों देशों के पारस्परिक प्रभाव-क्षेत्र तय कर दिए जाएँ। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने अपनी यह जिम्मेदारी भी मान ली थी कि अगर रूस अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर मान ले, तो वह अमीर को बुखारा के मामले में हस्तक्षेप करने से रोकेगी। अमीर शेर अली को इस पर कोई आपत्ति न थी और भारत सरकार रूस तथा फारस के विरुद्ध उसकी सीमाएँ निर्धारित करने के लिए जो प्रयत्न कर रही थी, वह उनसे तत्काल सहमत हो गया।

अगर हम अम्बाला-सम्मेलन और उसके तुरन्त बाद के समूचे घटना-क्रम पर विचार करें तो देखेंगे कि अमीर शेर अली को अपनी आन्तरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा की चिन्ता थी और हालांकि भारत सरकार ने अपने ऊपर कोई ऐसे दायित्व नहीं लिए जो निश्चित और वैध रूप से बंधनकारी होते, फिर भी उसे इस तरह का आश्वासन दिया जिससे देश के अंदर तो प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले में उसकी स्थिति सुदृढ़ हो और बाहर के आक्रमण से उसकी रक्षा हो। ये आश्वासन कुछ इस तरह के थे कि भविष्य में अंग्रेज अफगानिस्तान के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि इन आश्वासनों के अभाव में न तो अफगानिस्तान का अटूट विश्वास पाया जा सकता था और न यह भरोसा हो सकता था कि अफगानिस्तान की मित्रता सुलभ हो सकेगी और अमीर वफादार दोस्त बना रहेगा। यद्यपि इन वायदों को किसी कानूनी दस्तावेज का रूप नहीं दिया गया था, फिर भी ये बहुत सारगर्भित थे और इनका नैतिक प्रभाव किसी गंभीर घोषणा जैसा ही था—ऐसी घोषणा जैसा जो बदले में कुछ पाए बिना द्रव्य तथा गोला-बारूद के अनुदान से और पुष्ट हो गई थी। अमीर शेर अली का असंतोष स्वाभाविक था क्योंकि अंग्रेजों से यह आश्वासन पाने की उसकी इच्छा पूरी न हुई थी कि उसका उत्तराधिकारी अब्दुल्ला जान होगा। परन्तु कुल मिलाकर देखने पर लगता है कि लॉर्ड मेयो की नीति अमीर तथा भारत दोनों के हित में थी और जब तक भारत सरकार इस नीति पर दृढ़ता से जमी रही, तब तक अमीर ने भी इसका निष्ठापूर्वक पालन किया और वह भारत सरकार के परामर्श तथा इच्छाओं के अनुसार चलता रहा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अमीर यह मानता था कि उसे इससे लाभ हुए हैं और उसकी सुरक्षा की भावना दृढ़ हुई है।

अम्बाला-सम्मेलन के तुरन्त बाद तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे अमीर की शान्ति में कोई खास खलल पड़ता। आर्गील के ड्यूक की यह बात मानी जा सकती है कि अमीर शेर अली वास्तव में संतुष्ट न था और अगर वह संतुष्ट रहा भी हो, तो शीघ्र ही उसके मन में असंतोष के बादल फिर घुमड़ उठे।[1] इसका विशेष कारण यह था कि उसे आन्तरिक कठिनाई के समय सहायता का प्रभावपूर्ण आश्वासन न मिल सका था।[2] पर, यह कहना भी उतना ही सच होगा कि उसे बाहर के किसी खतरे का या देश के भीतर के

1 आर्गील, पृ 277

बड़े झगड़ों का कोई डर न था और उसे विश्वास था कि जब कभी मौका आएगा, तो अँग्रेज़ अपने निजी हित की रक्षा के लिए और अपने मध्य एशियाई लक्ष्यों की सिद्धि के लिए उसकी मदद करेंगे। आर्गील के ड्यूक के वक्तव्य की ध्वनि यह है और यह बात इस युग के दस्तावेज़ों के अध्ययन से भी साफ होती है कि शायद अंबाला के समझौते का क्षेत्र बढ़ाने के लिए अमीर अँग्रेज़ों के हितों की आड़ में अपना काम निकालना चाहता था। अमीर ब्रिटिश सरकार के उन प्रयत्नों से परिचित था जो उसने रूस से यह घोषणा कराने के लिए किए थे कि वह अफ़गानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसे ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा का भी ज्ञान था कि अफ़गानिस्तान अँग्रेज़ों के प्रभाव-क्षेत्र के भीतर का राज्य मान लिया जाए। पर, इस बातचीत में उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसकी उत्तरी सीमाओं को औपचारिक रूप से निश्चित करने का जो कुछ काम हुआ, वह न तो उसकी प्रेरणा से हुआ और न उसकी सक्रिय सहमति से। लॉर्ड मेयो की इच्छा का पालन करने के लिए और शायद अँग्रेज़ों की सहायता पाने के लिए या रूस की शत्रुता जागृत करने के डर से उसने न तो बुखारा की राजनीति में हस्तक्षेप किया और न ओक्सस तटवर्ती किरकी तथा चारजुई को ही, जिन्हें वह अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था,[1] अपने साम्राज्य में मिलाया। पर, यहाँ पर, यह नहीं लगता कि इस रास्ते को वह ठीक समझता था या उसे अपने उत्तरी पड़ोसी पर विश्वास था। यह भी स्पष्ट है कि अमीर किसी ब्रिटिश अफसर को अपने देश के भीतर आने की अनुमति देने के लिए तैयार न था, भले ही वह अफसर कितने ही अस्थायी प्रयोजन के लिए उसके देश में आता। ब्रिटिश दूत का नाम आते ही या इस संभावना से ही कि उसके राज्य के बारे में दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों—रूस और इँगलैंड—के बीच कोई करार होने वाला है, उसके कान खड़े हो जाते थे। मेयो और नॉर्थब्रुक दोनों ने ऐसी कोई बात न की जिससे उसे लगे कि मेरी उपेक्षा की जा रही है, और उन्होंने उसे प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास किया।

इस काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना तुर्किस्तान के रूसी गवर्नर जनरल और अमीर शेर अली का पत्र-व्यवहार था। जनरल कॉफमन का 28-30 मार्च का पहला पत्र मई के बीच में काबुल पहुँचा और इसके फलस्वरूप वहाँ संभवतः आशंका तथा दुश्चिंता पैदा हुई।[2] यह ठीक भी था क्योंकि लगता है उस समय तक अमीर को इस बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं थी कि सेंट पीटर्सबर्ग में मि. फोर्सीथ और ब्रिटिश सरकार ने मध्यवर्ती राज्यों का एक क्षेत्र बनाने के बारे में बातचीत की थी। 24 जून, 1870 को वायसराय ने अमीर शेर अली को जो पत्र लिखा, उससे स्पष्ट है कि सहमत नीति के अनुरूप कॉफमन को "इस आशय के आदेश भेज दिए गए कि चूँकि मि. फोर्सीथ के साथ जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार भारत सरकार ने कार्यवाही कर दी थी, इसलिए रूसी अधिकारियों को भी इसी भावना से कार्य करना चाहिए और उन्हें यह घोषणा कर देनी चाहिए कि इँगलैंड और रूस उस नीति पर चलने के लिए तैयार हैं जिसका उनके

1 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, फॉरेन डिपार्टमेंट, सं. 60, 30 जून, 1873

2 मध्य एशिया, 1878 (सं. 1), पृ. 182-3

सीमावर्ती देशों में अमन रखने और एशिया में शांति की रक्षा करने के उद्देश्य से पालन होना चाहिए।"[1] काबुल के लिए कौफमन का पत्र इस नीति के परिपालन के संबंध में था और इसमें "स्थायी शांति तथा मित्रता की" तथा "अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने की इच्छा" व्यक्त की गई थी। कौफमन ने यह भी कहा था कि अफगानिस्तान 'ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में है।" उसने अमीर को यह भी सूचित किया कि वह अब्दुर्रहमान खाँ को कोई मदद नहीं देगा और बुखारा तथा अफगानिस्तान का एक-दूसरे के मामलों से कोई संबंध नहीं रहेगा।[2] वायसराय को उस पत्र में रूसी सरकार का "शांति की नीति पर चलने का" संकल्प दिखाई दिया और उसने इन पत्रों को 'संतोष का कारण' तथा महामान्य के प्रति विश्वास का एक अतिरिक्त आधार माना क्योंकि अबाला में जिस भेंट से आपने मुझे गौरवान्वित किया था, उसके बाद से आप जिस नीति पर चलते आए हैं, उस पर जब तक चलते रहेंगे तब तक यह बिल्कुल असंभव है कि रूस या कोई कबीला या कोई ऐसा राज्य जिस पर सम्राट् के अधिकारियों का असर पड़ सकता हो, आपकी सीमाओं पर किसी प्रकार का उपद्रव करे।"[3] पर, जहाँ लॉर्ड मेयो को "सच्चा संतोष" प्राप्त हुआ और उसे शांति के स्थायी होने की आशा बँधी, वहाँ अमीर की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी थी। उसे बहुत परेशानी हुई और इस नीति में षड्यंत्र की गंध मिली। उसे सिर्फ यही डर न था कि कहीं रूसी अधिकारी अफगानिस्तान की सीमाओं पर जम कर न बैठ जाएँ और उनकी सुरक्षा के लिए राहु न बन जाएँ, बल्कि इससे भी ज्यादा डर यह था कि "पता नहीं रूसी अधिकारियों ने अपनी राजधानी में ब्रिटिश राजदूत से क्या कहा हो, इस तरह के पत्र लिखने में रूस का क्या उद्देश्य और क्या नीयत हो, राजदूत इस नीयत को कहाँ तक समझ पाया हो और ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की हो या वह करने वाली हो।[4] यह दृष्टिकोण उसके इस संदेह का द्योतक है कि इंगलैंड और रूस मध्य एशिया के देशों को आपस में बाँटने के लिए सहमत हो सकते थे जिसमें अफगानिस्तान की स्वतंत्रता का नाश हो सकता था क्योंकि दुर्बल राज्यों की अखंडता की तभी तक रक्षा हो सकती थी जब तक कि इन दोनों साम्राज्यों में प्रतिद्वंद्विता की स्थिति बनी रहे।

यह पत्र लार्ड मेयो के पास इसलिए भेजा गया था कि वह कुछ संकेत दे दे जिसके अनुसार उत्तर भेजा जाए और इसके बाद अमीर के पास कौफमन ने जो भी पत्र आए अमीर ने वे सारे पत्र इसी तरह भारत सरकार के पास भेज दिए। आर्गील के ड्यूक ने ठीक ही कहा है कि रूस और इंगलैंड के बीच जो समझौता हुआ था, उससे इस तरह के पत्र-व्यवहार में कोई रुकावट नहीं पड़ती थी और कई सालों तक पत्रों में भी कोई आपत्ति-

---

1 वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 24 जून, 1870, वही, पृ 184-5
2 कौफमन का अमीर शेर अली के नाम संवाद, 28 मार्च, 1870, वही, पृ 183.
3 वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 24 जून, 1870 ——
4 पोलक का थॉर्नटन के नाम पत्र, 26 मई, 1870, मध्य एशिया, सं 1, 1878, पृ 180

जनक बात नहीं कही गई।[1] इन पत्रों में मित्रता के आश्वासन रहते थे और अमीर को सलाह दी जाती थी कि वह 'अपने पड़ोसी देश बुखारा में हस्तक्षेप न करे।' कभी-कभी इन पत्रों में उन सफलताओं का भी जिक्र रहता था जो रूस ने मध्य एशिया के खानों का विरोध दबाने में प्राप्त की थी।[2] भारत सरकार ने अमीर को ये पत्र लेने से न रोका। उल्टे, उसने अमीर को इस काम में और प्रोत्साहन दिया और जब काबुल-स्थित एजेंट ने यह रिपोर्ट दी कि मध्य एशिया के देशों को रूस की नीयत बुरी लग रही है, तब भी वायसराय ने इस संपर्क को शांति और सुरक्षा के लिए[3] हितकर ही समझा, अन्यथा नहीं। यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि इस समय भारत सरकार ने स्थिति पर यथार्थपरक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि किसी और दृष्टिकोण से विचार किया था। हम पहले के किसी अध्याय में बता चुके हैं कि लार्ड ग्रानविले ने जिस नीति पर चलना आरंभ किया था, उसके प्रवर्तन के तीन साल के भीतर रूसी सरकार ने अफगान सल्तनत का विस्तार आमस तक मान लिया था और वह भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही सीमाओं का परिसीमन करने के लिए तैयार हो गई थी। अफगानिस्तान पर हमला न करने और उसके मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति एक से अधिक बार दुहराई जा चुकी थी और यह सिद्धांत भी पूरी तरह मान लिया गया था कि इंगलैंड अफगानिस्तान की रक्षा करने वाली शक्ति है।

एक अन्य घटना जिसका आगे चल कर गंभीर परिणाम हुआ यह थी कि भारत सरकार अफगानिस्तान की सल्तनत में ब्रिटिश अफसरों के प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए उत्सुक थी। पहले कहा जा चुका है कि सिद्धांततः लॉरेंस इस नीति के विरुद्ध था। पर, लगता है कि लॉर्ड मेयो और लार्ड नार्थब्रुक स्वार्थ के कारण ही इस नीति का समर्थन करते थे क्योंकि वे जानते थे कि ब्रिटिश अफसरों को अफगानिस्तान में भेजने में क्या-क्या कठिनाइयाँ होंगी और वे यह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश अफसर अमीर की इच्छा के विरुद्ध अफगानिस्तान भेजे जाएँ या अमीर की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाया जाए। लार्ड मेयो इस बात से अवगत था कि ब्रिटिश रेजीडेंटों के होने से क्या-क्या फायदे हैं और अंबाला-सम्मेलन से पहले उसने आर्गील के ड्यूक को अपने एक पत्र में लिखा था कि, "उसके ख्याल में एक लक्ष्य यह भी था कि वह मध्य एशिया की घटनाओं की सही सूचना पाता रहे। पर, यह तभी होता जब काबुल के शासक और लोग उन्हें स्वीकार करते।" उसे मालूम था कि 'ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं ही नहीं।'[4] जब लॉर्ड मेयो ने देखा कि अमीर और उसका प्रतिनिधि इस तरह के प्रस्ताव के इतने प्रतिकूल हैं तो लगता है उसने अमीर के राज्य में ब्रिटिश प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की विशेष रूप से कोई चर्चा

---

1 आर्गील, II, पृ 295

2 कॉफमन का शेर अली के नाम संवाद, 30 मार्च 1870, 20 दिसंबर, 1870, 28 अक्तूबर, 1871 तथा अन्य पत्र।

3 अता मोहम्मद खाँ का पत्र, 20 जुलाई, 1872, काबुल-स्थित प्रतिनिधि का मि मकनाब के नाम संवाद, 5 सितंबर 1872 वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 7 सितंबर, 1872

4 आर्गील, पृ 257-8

नहीं की। इसके बजाए उसने तो यह निश्चित आश्वासन दिया कि अमीर के राज्य में कोई यूरोपीय अफसर नियुक्त नहीं किए जाएँगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासन-काल में अमीर से दो बार यह अनुरोध किया गया कि वह ब्रिटिश अफसरों को अफगानिस्तान से गुज़रने की अनुमति दे दे और बाद में जब 1874 में इगनस फोर्सीथ यारकन्द से वापस लौट रहा था तब अमीर शेर अली से यह निश्चित प्रार्थना की गई थी कि वह उसे अपने राज्य में से गुज़रने की इजाज़त दे दे। जब सीस्तान का सीमा-विवाद और रूस के साथ नयी हुई उत्तरी सीमाओं का प्रश्न सुलझ गया, तब 1873 में लार्ड नार्थब्रुक ने अमीर को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए उसके पास एक ब्रिटिश अफ़सर भेजने की इच्छा व्यक्त की और 27 मार्च को वास्तव में यह प्रस्ताव भी पेश किया कि अमीर ब्रिटिश अफसर से "आवासी दूत के नाते नहीं बल्कि विशेष मिशन पर भेजे गए दूत के नाते" अफगानिस्तान में कहीं भी भेंट कर ले।[1] इसके अलावा, 1873 में शिमला-सम्मेलन के समय अफगान दूत से कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान की ओर से जो ज़िम्मेदारी उठाई है, और 'जिस सीमा के संबंध में यह ज़िम्मेदारी उठाई है, उसके बारे में उसकी (ब्रिटिश सरकार की) अधूरी जानकारी का ध्यान रखते हुए यह बहुत वांछनीय लगता है कि कोई प्रतिष्ठित ब्रिटिश अफसर अपने साथ योग्य कर्मचारियों को लेकर उत्तरी और पश्चिमी-उत्तरी सीमा की, पूर्वी छोर तक, पूर्ण परीक्षा करने के लिए जाए। अच्छा तो यह होगा कि यह अफसर सीस्तान-सीमा पर भी जाए और वहाँ से कंधार तथा गज़नी से काबुल होता हुआ वापस लौटे। काबुल में उसे सीमा स्थिति के बारे में अमीर से विचार-विनिमय का अवसर मिलेगा और समूचे सीमान्त की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों के बारे में उसके जो भी विचार बनें, उन्हें वह महामान्य के सामने रख सकेगा।'[2] इस तरह काबुल में ब्रिटिश अफसर रखने या अस्थायी मिशनों पर उन्हें वहाँ भेजने की इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, पर ये अमीर को स्वीकार्य न थे और इनसे उसके मन में संदेह तथा आशंका पैदा होती थी।

भारत सरकार ने अफगानिस्तान की ओर से जो ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ली थीं, उनका 1873 में स्पष्ट आख्यान कर दिया गया। ये ज़िम्मेदारियाँ मुख्य रूप से दो थीं— आक्रमण होने पर देश की रक्षा और अमीर को अपने पड़ोसियों के प्रति आक्रमण-नीति अपनाने से रोकना। जब ब्रिटिश सरकार ने समझा कि अमीर सीमावर्ती राज्यों के प्रति शांति का रुख बनाए रखने के लिए तैयार है, तब 'उसे यह ज़िम्मेदारी लेने में कोई हिचक नहीं हुई कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके, महामान्य को सानुरोध यह समझा दगी कि शांतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना और लार्ड ग्रानविल्ल के 17 अक्तूबर, 1872 के पत्र में उल्लिखित प्रदेश के आगे विजय या अधिग्रहण की किन्हीं भी योजनाओं को मन में न रखना बहुत महत्वपूर्ण है।'[3] ब्रिटिश सरकार ने इस तरह रूस का जो वचन दिया

---

1 आर्गील, पृ. 317-8

2 सचिवमन द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन-पत्र, अफगान पत्राचार, 1878, पृ. 115

3 वायसराय का अमीर के नाम संवाद, 6 सितंबर, 1872, अफगान पत्राचार, 1878 पृ. 116

था, अमीर ने अपनी ओर से उसकी रक्षा का पूरा-पूरा प्रयत्न किया। अफगानिस्तान की उत्तर-सीमा की सामान्य रूपरेखा दोनों शाही सरकारों ने स्वीकार कर ली थी और लगता है कि अमीर की सरकार को इस पर कोई आपत्ति न थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने फारस के साथ किए गए पैरिस-करार के अनुसार सीस्तान-सीमा विवाद पर विवाचन का वचन दे दिया था और यह वचन देने से पहले अफगानिस्तान की सक्रिय सहमति नहीं ली थी। पर, अमीर ने विवाचन के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली थी—हालांकि निर्णय उसे पसंद न था और इस बारे में उसने अपनी भावनाएँ भी छिपा कर नहीं रखी थी।[1] आंतरिक मामलों में भी ऐसे अवसर आए थे जब अमीर को सलाह दी गई थी, और वायसराय अमीर पर किस तरह से प्रभाव डालता था, इसका एक नमूना उस समय मिलता है जब उसके लड़के याकूब ने विद्रोह किया था और यह सवाल उठा था कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए।[2] अमीर ने सहयोग किया और मैत्रीपूर्ण परामर्श स्वीकार कर लिया—यह इस बात का प्रखर प्रमाण है कि मैत्री-संबंध की स्थापना हो गई थी और उसको भारत सरकार की नेकनीयती में विश्वास था। उसे रक्षा और सहायता की कोई पक्की और ठोस गारंटियाँ नहीं दी गई थी। फिर भी उसे यह ज्ञात था कि अगर रूस या फारस तक ने उसकी सल्तनत पर हमला किया, तो ब्रिटिश सरकार अपने ही हित में उसे कारगर सहायता देने में संकोच नहीं करेगी। लगता है अमीर को इस लाभ का पूरा उपयोग करने में भी कोई संकोच न था और यद्यपि निश्चित मैत्री-संधि करने और स्थिर उपदान पाने का उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था, फिर भी इस काल में उसके भीतर सुरक्षा की भावना बनी रही—विशेषकर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की भावना। ऊपर बताया ही जा चुका है कि वह इस गारंटी के लिए उत्सुक था कि उसके बाद उसके वंशज काबुल के सिंहासन पर बैठेंगे और वह इस तरह की निश्चित शर्तें भी चाहता था कि अपनी गद्दी के प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए उसे सहायता मिलेगी। यदि हम आर्गील के ड्यूक की बात पर विश्वास करें, तो यहाँ तक अनुमान किया जा सकता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड के रूस के प्रति भय से और अफगानिस्तान को शक्तिशाली मध्यवर्ती राज्य बनाए रखने की इच्छा से भी लाभ उठाने के लिए तैयार था।[3] संक्षेप में, स्वीकार किया जा सकता है कि कुछ भी स्थिति रही हो, 1873 तक अमीर मध्य एशिया के घटना-चक्र से विशेष आतंकित नहीं हुआ था और इस समय तक ऐसा कोई अवसर भी नहीं आया था कि उसके मन में ब्रिटिश नीति-निर्माताओं की योजनाओं और उपायों के प्रति शंका पैदा हुई हो। भारत सरकार के लिए भी ऐसा कोई कारण न था कि उसे अमीर की ईमानदारी में संदेह होता या वह लॉरेंस तथा मेयो द्वारा निरूपित नीति से हटने की बात सोचती।

---

1 अमीर का वायसराय के नाम संवाद, 13 नवंबर, 1873, आर्गील II, पृ 317, काबुल स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर, पेशावर के नाम संवाद, 15 मई, 1873

2 विदेश सचिव की ओर से कमिश्नर, पेशावर के नाम तार सं 2470 पी, दिनांक 17 नवंबर, 1874, भारत-मंत्री को ओर से भेजा गया प्रेषण, सं 70, फॉरिन *डिपॉर्टमेंट, सिक्रेट, 20 नवंबर, 1874*

3 आर्गील, II, अध्याय XIV

1873 के आरंभ में जब ब्रिटिश सरकार ने अरुचिकर सीस्तान पंचाट की पुष्टि कर दी और रूस-अफगान-सीमा वार्ता को अंतिम रूप दे दिया तब लार्ड नॉर्थब्रुक ने यह उचित समझा कि अमीर के क्षोभ को ठंडा करने के लिए या ग़लतफ़हमी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का प्रयत्न किया जाए। उसने अफगानिस्तान राज्य में अस्थायी दूत भेजने की इच्छा प्रकट की तथा अमीर से प्रार्थना की कि वह ब्रिटिश अफसर से काबुल, जलालाबाद या कंधार में भेंट कर ले। अमीर शेर अली ने इस तरह की प्रार्थना स्वीकार नहीं की और इसके बजाए उसने अपने प्रधान मंत्री को शिमला में वायसराय से बातचीत करने के लिए भेजना ज्यादा अच्छा समझा।[1] अमीर ने यह सुझाव अपने 14 अप्रैल के पत्र में दिया था और आगे उसने कहा है कि [illegible] से पहले इस विषय पर सभी बातचीत हो चुका था जिसमें अमीर ने सीस्तान-पंचाट मानने के बारे में अपनी अनिच्छा प्रकट की थी और यह अनुमान व्यक्त किया था कि वह अपनी स्वीकृति की कीमत लगा और लाभों के बदले में ही स्वीकृति देगा जिनकी वह दीर्घ काल से कामना करता रहा था। शायद उसने सोचा हो कि नए वायसराय पर प्रभाव डाल कर अभीष्ट रियायतें पा लेगा और इस तरह चार साल पहले अंबाला में बातचीत का जो क्रम शुरू हुआ था उसकी सुखद समाप्ति हो जाएगी। बदले की माँग ब्रिटिश नीति की आवश्यकताओं के कारण पैदा हुई थी इसलिए कोई नहीं कि अमीर को ऐसा हमला का डर था। वह बदले में अपनी ओर से कुछ दिए बिना ही जो चीज पाना चाहता था उसका संबंध उसकी संभाव्य आंतरिक कठिनाइयों से और इस गारंटी से था कि उसके बाद उसके वंशज अफगानिस्तान के शासक हों या अब्दुल्ला जान को उसका उत्तराधिकारी माना जाए तथा दोनों सरकारों के बीच बराबरी तथा पारस्परिकता के आधार पर संबंध हों। राजवंश के बारे में गारंटी देने या अब्दुल्ला जान को उत्तराधिकारी मानने का प्रश्न अंबाला-सम्मेलन के अवसर पर भी उठ चुका था। काबुल स्थित एजेंट के 5 मई 1873 के पत्र से अमीर तथा उसके दरबार के दृष्टिकोण की झलक मिलती है।[2]

पत्र में ब्रिटिश अफसर को अफगानिस्तान भेजने के प्रस्ताव पर अफगान शासक की प्रतिक्रिया का संकेत मिलता है और इसमें दो प्रश्नों—अफगानिस्तान के उत्तरी सीमांत और सीस्तान-सीमा—पर विशेष रूप से विचार किया गया है क्योंकि प्रकटतः भारत सरकार ने अफगानिस्तान में ब्रिटिश अफसर भेजने की माँग इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में की थी। अमीर ने बदले की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। उसने यह जानना चाहा था और ठीक ही पूछा था कि रूस के साथ अंग्रेजों की बातचीत में ऐसी क्या नई बात है कि उसके साथ बातचीत करने की जरूरत आ पड़ी है। उसने फोर्साइथ और रूसी अधिकारियों की बातचीत का हवाला दिया और उस सूचना का भी उल्लेख किया जो उस समय हुए करार के बारे में दी गई थी। सच पूछा जाए तो फोर्साइथ की यात्रा और ब्रिटिश अफसर के मिशन की माँग के बीच रूस ने बदख्शाँ और वाखान के ऊपर अफगानिस्तान का अधिकार मान लिया था और ब्रिटिश सरकार ने अफगान-सीमा का ठीक-ठीक निर्धारण कर

1. वायसराय का अमीर के नाम संदेश 2[illegible] मई 1873
काबुल स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर पेशावर के नाम पत्र 5 मई 1873 अफगान पत्राचार पृ 110

दिया था। इसके अलावा इस काल में ऐसी कोई नई बात नही हुई थी कि अमीर के साथ सलाह करने की जरूरत पडती। अतएव उसका यह सदेह स्वाभाविक था कि रूस के वचनो पर विश्वास नही किया जा सकता। इस सदर्भ मे उसने मध्य एशिया मे रूस के विस्तार पर चिता व्यक्त की और बताया कि उत्तर की ओर से होने वाले हमले को व्यर्थ करने और उससे अफगान सीमा को, जो वास्तव म भारत की ही सीमा थी, रक्षा करने के लिए क्या उपाय आवश्यक है। बताते है, उसने कहा था, "यह बात नही छिपाई जा सकती कि रूसियो के लिए सदा अपनी बात पर स्थिर रहना असभव है। रूसियो की वजह से मुझे जो चिंता है, वह तब तक दूर नही हो सकती जब तक ब्रिटिश सरकार द्रव्य से तथा फौजो के लिए गोला-बारूद से अफगान सरकार की मदद नही करती और समूची उत्तरी अफगान सीमा पर मजबूत दुर्गों के निर्माण के लिए भारी सहायता नही देती। इसके अलावा अगर कभी अफगान सरकार के सिर पर ऐसा सकट आ गया कि उसे रूसियो का विरोध करना पडा, तो ब्रिटिश सरकार के अनुशासित सिपाहियो के सहयोग के बिना इस तरह का विरोध नही हो सकता। अगर ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा हो कि मैं अफगान सेना का तुरत सगठन करूँ और अनुकूल अवसर पर रूसियो के विरुद्ध सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था करूँ, तो मैं समझता हूँ कि यह असभव होगा। ससार मे कभी किसी व्यक्ति को तत्काल अपना लक्ष्य प्राप्त नही हुआ। ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट रूप से यह जिम्मेदारी है कि वह कोई घटना घटने से पहले ही इस मामले मे अपने सौहार्द का परिचय दे"।[1] स्पष्ट है कि इस वक्तव्य म यह मान लिया गया है कि भविष्य मे रूस किसी न किसी दिन हमला करेगा जरूर और उस दुर्दिन के आने के पहले ही अफगानिस्तान की मदद करने की जरूरत बताई गई है। यह सहायता द्रव्य तथा गोला-बारूद के रूप मे और जरूरत पडने पर सेनाओ तक के रूप म होनी थी। अमीर ने दो बाते चाही थी— किलो के निर्माण द्वारा सीमात को सुदृढ बनाया जाए और अफगान सेना की सख्या बढाई जाए तथा उसके लिए साज-सामान जुटाया जाए। इसके पहले अप्रैल मे उसने माँग की थी कि उसके लिए तीन नलियो वाली 15,000 राइफलें और 5,000 पुराने ढँग की तोडदार बदूके 'किसी भी कीमत पर प्राप्त की जाएँ।[2] इन दोनो वक्तव्यो से यह बात स्पष्ट है कि वह स्थिति को ठीक-ठीक समझता था और ऐसे समय म अपनी सैनिक शक्ति पुष्ट कर लेना चाहता था जबकि रूस का खतरा अभी दूर भी था और अनिश्चित भी।

इसके अलावा अमीर ने यह भी कहा बताते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार इस तरह की समयोचित सहायता देने के लिए तैयार नही, तो अफगानिस्तान की सुरक्षा की कोई गारटी नही हो सकती और उस स्थिति मे ब्रिटिश सरकार को स्वय उसके और उसके परिवार के लिए अन्यत्र प्रबध करना पडेगा। जो वक्तव्य[3] उसके मत्थे मढ दिया गया

---

1 अफगान पत्राचार, 1878, पृ 110–11, 26 मे सलग्न पत्र 2

2 वही, पृ 110, 26 मे सलग्न पत्र 1

3 'यह वाछनीय है कि ब्रिटिश सरकार अपने और मेरे सतोष के लिए भारत या यूरोप म कुछ सपत्ति अलग से मेरे नाम कर दे जिससे अगर, ईश्वर न करे, कभी किसी बडी कठिनाई के फलस्वरूप मुझे अफगानिस्तान छोडने के लिए विवश होना पडे, तो मै अपने परिवार और बाल-बच्चो को लेकर वहाँ जाकर रह सकूँ

था, उसका लक्ष्य यह न था कि उसकी डर या अरक्षा की भावना उजागर की जाए; उसका लक्ष्य सिर्फ यह था कि तत्काल कारगर सहायता की जरूरत पर जोर दिया जाए और उसे स्पष्ट रूप से उभारा जाए। इसके अलावा, इसी खतरे की दिशा के बारे में उसने कहा था[1] कि जब तुर्कमानों को उनके प्रदेशों से खदेड़ दिया जाए, और वे अफगानिस्तान राज्य के हेरात क्षेत्र में शरण ले तब रूस मर्व की तरफ से हमला कर सकता है। इस वक्तव्य का उद्देश्य आवश्यकता के समय समयोचित सहायता पर जोर देना था क्योंकि अमीर ने आक्रमण की जो संभावना देखी थी, वह परोक्ष भले ही हो, पर अघट न थी।

कहा जाता है कि आगे चल कर अमीर ने सीस्तान के मामले की चर्चा की और पचाट की प्रवृत्ति के संबंध में अपना क्षोभ तथा निराशा व्यक्त की। उसने कहा, "सीस्तान-प्रश्न के संबंध में हाल के निर्णय से अफगानिस्तान को जो हानि हुई है, वह सूर्य के प्रकाश से भी अधिक स्पष्ट है और इसलिए मेरा विचार यह है कि मैं इस निर्णय के उपबंधों को कार्यान्वित नहीं कर सकता।' उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि उसकी सल्तनत का क्या हानि होगी बल्कि भारत की सुरक्षा के प्रति उस खतरे का भी उल्लेख किया जो 'ऐन सीस्तान का उपजाऊ प्रदेश फारस सरकार को दे देने से पैदा हो गया है"। इसके फलस्वरूप भारत का सीमान्त बिल्कुल अरक्षित हो गया है क्योंकि "मर्व शाहजहाँ से सीस्तान होकर भारत के लिए सीधी सड़क है और भारत के सीमांत तक इस समूची सड़क पर रूसियों का विरोध करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं होगा।"[2] अंत में, कहते हैं, कि उसने ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना की कि वह अफगानिस्तान के प्रति सहानुभूति रखे और उसके विचारों और भावनाओं की ओर ध्यान दे जिसके बिना उसे मन की शांति न मिल सकेगी। उसने कुल-मिल नीति पर घोर आपत्ति की और यह इच्छा व्यक्त की कि उसके मत में जो खतरा बहुत दूर नहीं है, उसके मुकाबले के लिए सशक्त और कारगर उपाय किए जाएँ।[3]

1873 में जब दोनों सरकारों के एक सम्मेलन के बारे में अमीर शेर अली से प्रस्ताव किया गया था, तब उसके ये विचार थे। इन विचारों से लगता है कि अमीर मध्य एशिया की स्थिति और अँग्रेजों के शंका-संदेहों को अच्छी तरह समझता था। अमीर पर चाहे किन्हीं तत्त्वों का प्रभाव पड़ा हो—भारत और इंगलैंड की रूस-भीति का, जैसा कि आर्गील का संकेत है, कैम्पियन के आगे के क्षेत्र में मर्व की तरफ रूस के विस्तार का; खीव के विरुद्ध कॉफमन के अभियान की सूचना का, मर्व के सामरिक महत्त्व का; मर्व के कौशिदखाँ के लड़कों की काबुल-यात्रा का,[4] सीस्तान-पचाट के संभाव्य निष्कर्षों का या इन सभी तत्त्वों का—इसमें रत्ती भर संदेह नहीं कि स्थिति के संबंध में उसका दृष्टिकोण बहुत

और मुझे रहने की जगह और गुजारा दोनों मिल जाएँ, और यह आश्वासन मिलने पर मैं अफ़गानिस्तान की सीमा की रक्षा के लिए, जो असल में भारत की ही सीमा है, दिन-रात पूरे उत्साह तथा लगन से काम करूँगा"। वही, पृ 111

1 अरगान पत्राचार।

2 वही, पृ 111

3 वही।

4 काबुल स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर, पेशावर के नाम पत्र, 5 मई, 1873.

वस्तुपरक था और वह किसी आतंक या अनुचित आशंका से प्रेरित नहीं हुआ था। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि वह अँग्रेजों की सहायता और वही पुरानी गारंटियाँ पाना चाहता था जो उसने अंबाला में चाही थीं। उसे अपने इस दृष्टिकोण से भारत सरकार की सहायता में बल मिला था पर स्थिति का सामना करने के लिए वह इस सहायता को पर्याप्त नहीं समझता था। यह कहना सही नहीं होगा, जैसा कि बाद में लॉर्ड लिटन और लार्ड सेलिसबरी ने कहा[1] कि अमीर के सशंक हो उठने का कारण खीव का अभियान ही था और उसने अपनी असहाय स्थिति का स्पष्टीकरण करने तथा और सहायता माँगने के लिए वायसराय से भेंट करनी चाही थी। परिस्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनसे यही पता चलता है कि जब लार्ड नॉर्थब्रुक ने सम्मेलन की इच्छा व्यक्त की, तब अमीर शेर अली ने अवसर से लाभ उठा कर वही सहायता माँगी जिसे मध्य एशिया के उलझे हुए घटना-क्रम के संदर्भ में वह ठीक समझता था। अगर काबुल की रिपोर्ट[2] बिल्कुल विश्वसनीय है, तो उसका और कोई अर्थ नहीं हो सकता। यहाँ यह भी कह दिया जाए कि अमीर अपने दरबारियों से बातचीत करते समय कभी-कभी जो बातें कह देता था, इस पत्र में उन बातों का भी सारांश दिया गया था पर उन्हें अमीर के इरादों, विचारों तथा महत्त्वाकांक्षाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति मान लेना अथवा इनमें कोई तर्कसंगत निरंतरता खोजना गलत होगा। किंतु अमीर यह नहीं समझ सका कि वायसराय ने इस तरह की बातचीत का जो संकेत दिया है उसका प्रयोजन क्या है। अतः, उसने अपने प्रधान मंत्री नूर मुहम्मद शाह को शिमला भेजने का निश्चय किया। जुलाई, 1873 में उसने वायसराय से भेंट की।[3] यह भेंट शिमला-सम्मेलन के नाम से विख्यात हुई और यह बहुत महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि जिस घटना-चक्र के फलस्वरूप अंततः अफगानिस्तान और भारत सरकार का संबंध टूटा, उसके घूमने के पहले भारत सरकार की क्या नीति थी और अमीर का क्या दृष्टिकोण था।

शिमला-सम्मेलन में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की उत्तरी सीमाओं के बारे में इंगलैंड और रूस के करार तथा भारत-अफगान संबंधों पर इस करार के प्रभावों के बारे में चर्चा हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने नूर मुहम्मद शाह के साथ अपनी पहली मुलाकात में लॉर्ड ग्रानविल और रूसी सरकार के पत्र-व्यवहार का हवाला दिया और यह विशेष रूप से समझाया कि इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार की क्या जिम्मेदारी हो जाती है। उसने कहा था, "अब रूस ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं का निर्धारण स्वीकार कर लिया है। इस तरह ब्रिटिश सरकार भी इस समझौते में एक पक्ष हो गई है और सीमान्त की अखंडता की रक्षा करने में उसकी भी दिलचस्पी हो गई है। जब तक अफगानिस्तान का अमीर या शासक अपने विदेश-संबंधों के बारे में ब्रिटिश सरकार की सलाह पर चलेगा और अपने पड़ोसियों के क्षेत्रों में अनधिकार हस्तक्षेप या उन पर हमला नहीं करेगा, तब तक ब्रिटिश सरकार भी सीमान्त को यथावत् रखने की

1 लिटन का प्रेषण सं 13, 10 मई, 1877, भारत-मंत्री का वायसराय के नाम संवाद, गोपनीय सं 49, 15 नवंबर, 1878
2 काबुल-स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर, पेशावर के नाम संवाद, 5 मई, 1873
3 26 से संलग्न पत्र 4, अफगान पत्राचार, पृ 111

पूरी कोशिश करेगी।" अगर "पडोसी देश या रूस के प्रभाव में रहने वाले कोई कबीले" इन सीमाओं का कभी उल्लंघन करें, तो अमीर इस संबंध में ब्रिटिश सरकार से चर्चा करेगा और ब्रिटिश सरकार "संतोषजनक समाधान खोजने की" पूरी कोशिश करेगी। आगे चलकर उसने कहा "अगर कभी बाहर से हमला होने पर यह प्रार्थना की गई कि ब्रिटिश सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करे और अगर ब्रिटिश सरकार बातचीत द्वारा संतोषजनक समाधान न निकाल सकी, तो संभव है उस स्थिति में ब्रिटिश सरकार हमलावर को पीछे धकेलने के लिए अफगानिस्तान के शासक को ठोस सहायता दे।" पर सहायता की शर्त यह थी कि अमीर ब्रिटिश सरकार की सलाह पर चले और खुद किसी के ऊपर हमला न करे। वायसराय ने इस बात पर स्वभावतः जोर दिया कि "ब्रिटिश सरकार' अफगानिस्तान के विदेश-संबंधों के क्षेत्र में ही अपने प्रभाव का उपयोग करेगी, और राज्य के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का उसका विचार न था।'[1]

दूत ने इन विषयों पर चर्चा बाद की एक बैठक के लिए स्थगित कर दी। किंतु, वायसराय के वक्तव्य की रिपोर्ट से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात तो यह है कि रूस के साथ जो करार हुआ, उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध थी और भारत के हित में उस राज्य की अखंडता तथा शक्ति की रक्षा करने के लिए कमर कसे बैठी थी और इस काम के लिए उपयुक्त समय पर उचित सहायता भी दे सकती थी। दूसरी बात यह है कि अमीर को यह विश्वास दिलाने में पूरी सावधानी बरती गई थी कि ब्रिटिश सरकार का उसके आंतरिक प्रशासन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है और वह अन्य शक्तियों के साथ उसके संबंधों पर ही नियंत्रण रखना चाहती है पर यह स्पष्ट है कि अब अमीर पर जो करार थोपने का प्रयत्न किया जा रहा था, वह कुछ-कुछ वैसी ही मैत्री-संधियों जैसा था जो उन्नीसवीं सदी के आरंभ में भारत के देसी रजवाडों के साथ की गई थी और जो कहने के लिए तो विदेश-संबंधों तथा प्रतिरक्षा तक ही सीमित थीं पर जिनका प्रभाव अंततः हुआ यह कि इन रजवाडों के आंतरिक प्रशासन में भी ब्रिटिश सरकार की प्रभुता स्थापित हो गई। लगता है नूर मुहम्मदशाह का यह संदेह था और उसने दूसरी भेंट में स्थिति के स्पष्टीकरण का अनुरोध किया। फिर भी, यह खतरा तो था ही, और अफगानिस्तान की स्थिति के संबंध में जो आंग्ल रूसी करार हुआ था, उसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान ब्रिटिश सरकार का संरक्षित प्रदेश मात्र बन कर रह गया और इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत निश्चय ही घट गई।

लगता है कि वायसराय मध्यस्थ की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत था और दोनों भेंटों के बीच के समय में उसने साम्राज्ञी की सरकार से यह इच्छा व्यक्त की कि उसे अमीर को सहायता के अधिक विशिष्ट तथा निश्चित वचन देने का अधिकार दिया जाए। लॉर्ड नार्थब्रुक ने शिमला-सम्मेलन में भी पहले काबुल के दूत को यह बता देने के लिए भारत मंत्री की अनुमति चाही थी कि अफगानिस्तान के साथ भारत सरकार

1 वार्ता का ज्ञापन, 12 जुलाई, 1873, अफगान पत्राचार, पृ 112-3

के सबधो का स्वरूप क्या है क्योकि इसकी सूचना रूस को भी दी जानी थी।[1] भारत-मत्री के नाम 30 जून, 1873 के पत्र के 18 व पैरा[2] म यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि भारत सरकार संधि हुए बिना भी अफगानिस्तान की स्वतत्रता को ब्रिटिश भारत के हितो के लिए इतना आवश्यक समझती थी कि वह अफगानिस्तान पर हमला होने की स्थिति म उदासीन नही रह सकती। वायसराय ने यह भी कहा था कि 'अगर *अमीर हमारी सलाह पर चलता रहा तो वह स्वभावत हमसे ठोस सहायता चाहेगा और ऐसी परिस्थितिया भी हो सकती है जबकि उसे इस तरह की सहायता देना हमारे लिए जरूरी हो जाए।'*[3] भारत मत्री को इस बात पर आपत्ति न थी कि *इसके साराश से अमीर को अवगत करा दिया जाए पर उनकी इच्छा थी कि अमीर को ठोस सहायता* का आश्वासन देने म बड़ी सावधानी बर्ती जाए क्योकि इससे उसके मन म अनिश्चित और निराधार आशा पैदा हो सकती है। हम उसे जितना देना चाहें, उससे ज्यादा का दावा करने के लक्षण पहले से ही प्रकट हो रहे है।[4] पहली भेंट इन अनुदेशो के आलोक में हुई थी। पर, वायसराय को लगा कि अभी अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत है, अत उसने 24 जुलाई को भारत मत्री को फिर से तार दिया और उसमे कहा, 'काबुल का अमीर रूस के विस्तार से आशकित है वह सामान्य आश्वासन से असतुष्ट है और निश्चित रूप से जानना चाहता है कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ, तो वह हमारी मदद पर किस हद तक निर्भर रह सकता है। मेरा विचार उसे यह आश्वासन देने का है कि अगर वह सारे बाह्य सबधो में हमारी सलाह बिना किसी अड़चन के स्वीकार कर ले और उसके अनुसार आचरण करे, तो हमला होने पर हम उसे द्रव्य, हथियारो तथा आवश्यकता पड़ने पर, सेना से भी सहायता देंगे। आवश्यकता का निर्णय करना हमारे हाथ म रहेगा।[5] पर, ब्रिटिश सरकार स्पष्ट घोषणा करने के लिए तैयार न थी और भारत-मत्री ने उत्तर दिया, 'मत्रिमडल का विचार है कि आप अमीर को सूचना दे दे कि हम उसकी आशका से सहमत नही है और हमारा विचार है कि उसकी आशका का कोई आधार भी नही है। पर आप उसे विश्वास दिला सकते है कि अगर अमीर विदेश-सबधो म हमारी सलाह पर चलता रहा, तो हम अफगानिस्तान के पक्ष मे अपनी निश्चित नीति का पालन करेंगे।'[6] यह उत्तर ही दूसरी भेंट का आधार था जो 30 जुलाई को हुई और इसी के आधार पर अमीर को अन्य आश्वासन दिए गए थे।[7] इस समय हम ब्रिटिश सरकार के मन्तव्यों की और उसकी नीति की समझदारी या नासमझी की चर्चा नहीं करेंगे, पर इतना

---

1 भारत-मत्री को भेजा गया तार, स 1414 पी दिनाक 27 जून, 1873, अफगान पत्राचार, पृ 102
2 भारत मत्री को भेजा गया प्रेषण गुप्त, स 70 30 जून, 1873, वही, पृ 103
3 वही, पैरा, 10
4 भारत-मत्री की ओर से वायसराय के नाम तार, 1 जुलाई, 1873
5 वायसराय का भारत-मत्री के नाम तार, 24 जुलाई, 1873, अफगान पत्राचार, स 24, पृ 108
6 भारत-मत्री का वायसराय के नाम तार, 26 जुलाई, 1873, वही।
7 भेंट का ज्ञापन, अफगान पत्राचार, पृ 112, वायसराय का अमीर के नाम सवाद, 6 सितबर, 1873 पृ 116

अवश्य कहेंगे कि मूलत ब्रिटिश मन्त्रिमडल की नीति अफगानिस्तान को सहायता देने के विरुद्ध न थी बल्कि इसके विपरीत उसकी निश्चित नीति तो रूसी अतिक्रमण के विरुद्ध उसकी आजादी की गारटी देने की थी। पर ब्रिटिश सरकार अमीर पर यह बात प्रकट करना नहीं चाहती थी क्योकि डर यह था कि कही अमीर ऐसी मदद की माँग न करने लगे जिसमे बहुत ज्यादा खर्चा आए या ब्रिटिश सरकार उलझनो मे फँस जाए। रूस को सहायता के इन वचनो के बारे म सूचना दे दी गई थी और आवश्यकता पडने पर ब्रिटिश सरकार को सहायता देने मे कोई सकोच भी न था। लेकिन जहाँ तक अमीर का सबध था, मन्त्रिमडल इसे अस्पष्ट ही रखना चाहता था।

जुलाई को जब अफगान दूत की वायसराय मे दुबारा भेंट हुई, तब दूत ने रूस के साथ जो समझौता हुआ था, उसके बारे म कुछ स्पष्टीकरण चाहे, और फिर रूसी सरकार के वचनो की ईमानदारी मे सदेह व्यक्त किया। इस अवसर पर उसने जो स्पष्टीकरण चाहे थे, वे कुछ इस तरह के थे कि क्या उसके देश को अपनी विधियों के बारे मे तथा रूसी प्रजा को अपने यहाँ घुमने की अनुमति देने के बारे मे आजादी रहेगी और क्या सीमा के बारे मे जो व्यवस्था हुई है, वह अतिम है? उसने कहा कि रूस के आश्वासनो के बावजूद अफगानिस्तान के लोग और उनका शासक 'ब्रिटिश सरकार मे निश्चित वचनो पर निर्भर रहेगे और अमीर को आशा है कि ब्रिटिश सरकार द्रव्य तथा हथियारो से उसकी मदद करेगी जिससे वह भविष्य के किसी सभाव्य हमले से अपने सीमात की रक्षा करने के लिए उसे सुदृढ कर सके।" इस आशा का आधार लॉरेंस और मेयो के वचन थे 'जिनके बूते पर अमीर को अपने राज को रक्षा करने के लिए एक बडी फौज एकत्रित करने का बढावा मिला था।"[1] इस तरह, दूत ने अपने शासक की प्रत्याशा को छिपा कर नहीं रखा और भारत सरकार के शब्दो मे 'अमीर की धारणा कुछ ऐसी लगती है कि वह जो भी मदद माँगेगा भारत सरकार वह सब देने के लिए वचनबद्ध है।"[2] फलत, इस अवसर का लाभ उठाकर वायसराय ने चाहा कि अपने पूर्ववर्तियो के आश्वासनो के स्वरूप और सीमाओ के सबध मे दूत के और दूत के माध्यम से अमीर के मन की भ्राति का निराकरण कर दिया जाए। उसका मुख्य उद्देश्य यह बता देना था कि पहले के वचनो के ऊपर एक महत्त्वपूर्ण बधन लगा हुआ था, "अमीर की प्रार्थना के औचित्य का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी।" यह सच है कि सहायता कब और कितनी दी जाए—इसके निर्णय का अतिम अधिकार लॉर्ड मेयो ने अपनी सरकार के पास ही रखा था, पर उसने यह कहा था कि, अमीर की इस तरह की प्रार्थनाओ पर सदा ही सहानुभूति और आदर से विचार होगा। नार्थब्रुक ने भी यही आश्वासन दोहराया था।

इसके बाद प्रश्न उठा कि "अमीर की तात्कालिक शकाएँ क्या है और भारत उसे कितनी सहायता द सकता है।" दूत कुछ बातों के सबध मे अमीर के सम्मुख जो ज्ञापन प्रस्तुत करेगा[3] उसमे स्पष्ट है कि नूर मुहम्मद शाह ने उन शकाओ के स्वरूप का स्पष्टी-

---

1 भेंट का सारांश, पृ 113

2 भेंट का सारांश, भारत-मत्री को भेजा गया प्रेषण, गुप्त, स 75, 15 सितबर, 1873

3 अफगान पत्राचार, 1878, जिल्द 26, सलग्न पत्र 6, पृ. 115

करण कर दिया था जिनका संबंध उसके देश के सीमांत की ओर रूस के विस्तार से और 'रूसियों द्वारा सीमांत के निकट किरकी, चारजुई तथा अन्य स्थानों मे फौजी छावनियां की संभाव्य स्थापना से या तथा बादघीज क्षेत्र में तुर्कमानों के संभाव्य प्रवेश से' और "राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए' रूस की इस संभाव्य मांग से था कि "विभिन्न भागों में रूसी दूतावासों और एजेंटों की नियुक्ति की जाए या उसकी कुछ और मांगों को भी पूरा किया जाए।"[1] इन शंकाओं का आधार मध्य एशिया की हाल की घटनाएं थीं, हालांकि लगता है खीव अभियान या ट्रांस-कैस्पिया में रूस की उस समय की गतिविधियों से उसका कोई संबंध न था। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि रूस किसी भी समय कठिन मांगें पेश कर सकता है, दूत ने सहायता के निश्चित आश्वासनों की मांग की और उनके संबंध में भारत सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहा।[2]

इन शंकाओं के समाधान के लिए लार्ड नार्थब्रुक के पास एक ही नपा-तुला उत्तर था और वह यह कि "रूस और इंगलैंड के बीच हाल में जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उसके फलस्वरूप" उनकी सरकार को अफगानिस्तान की सुरक्षा के बारे में किसी तरह की शंका नहीं रही है, बल्कि अमीर के राज्य की अखंडता का सम्मान करने के रूसी आश्वासनों से वह "और भी दृढ़ हुई है। उसे अफगानिस्तान पर रूसी हमले" का कोई डर न था और उसने कहा था कि हाल की व्यवस्था के परिणामस्वरूप इस तरह की आपत्ति पहले से कहीं अधिक टल गई है।[3] पर, वायसराय को जितना विश्वास था, दूत को उतना विश्वास नहीं हो सका और उसने उस सहायता का स्वरूप जानना चाहा जिसके बारे में वायसराय ने पहली भेंट के समय कहा था कि अगर अमीर अपने विदेश-संबंधों में भारत सरकार की सलाह पर चलता रहा तो वास्तव में अकारण हमला होने की स्थिति में भारत सरकार उसे सहायता देगी। उसने कहा कि "जहां तक हमला न करने का सवाल है, अमीर अभी तक भारत सरकार की सलाह पर चलता आया है और अगर उसे सहायता मिल गई, तो वह इसी नीति का पालन करता रहेगा।" उसने बताया कि सहायता के संकेत से "पर्याप्त आश्वासन नहीं मिलेगा' और इच्छा व्यक्त की कि 'सहायता का रूप यह होना चाहिए कि जब कभी हमला हो, तब परिस्थितियों के अनुसार द्रव्य तथा हथियार देकर अफगानिस्तान की मदद की जाए और अगर अमीर अकेले हमलावर का सामना न कर सके और वह सेना भेजने की प्रार्थना करे, तो ब्रिटिश सरकार को यह वचन देना चाहिए कि वह सेना भेजेगी और जब जरूरत पूरी हो जाएगी, तब उसे वापस बुला लेगी।'[4] वायसराय का उत्तर लॉरेंस तथा मेयो की पूर्ववर्ती नीति के अनुरूप था और उसमें मंत्रि-मंडल के आदेशों का पालन भी किया गया था। पर, अमीर को डर था कि शायद रूस निकट भविष्य में ही उसके देश पर हमला करे और इस संभाव्य हमले के खतरे का सामना करने के लिए अपने देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ही वह ब्रिटिश सरकार का ठोस आश्वासन चाहता था और वायसराय के उत्तर में उसे वह आश्वासन नहीं मिला। वायस-

1 वही।
2 भेंट का ज्ञापन।
3 वही।
4 भेंट का ज्ञापन।

राय ने जवाब दिया, 'ब्रिटिश सरकार यह नहीं मानती कि अमीर की आशंका सही है, पर अगर कभी वास्तव में कोई हमला हो या हमले का खतरा हो, तो अमीर का कर्तव्य होगा कि इसके संबंध में वह ब्रिटिश सरकार को सूचना दे। ब्रिटिश सरकार बातचीत द्वारा संघर्ष को टालने की कोशिश करेगी। अमीर इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार को पहले सूचित करे—इस आग्रह का यह आशय बिल्कुल न था कि स्वतंत्र शासक के नाते अमीर अपने राज पर होने वाले हमले के निराकरण के लिए जो कार्यवाही कर सकता था उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लग जाए या उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप हो, पर ब्रिटिश सरकार सूचना मिलने पर ही उसे सहायता दे सकती थी क्योंकि यह सूचना ब्रिटिश सरकार की सहायता की प्राथमिक अनिवार्य शर्त थी। अगर, इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार के शांतिपूर्ण समझौता कराने के प्रयत्न विफल हो जाएँ, तो ब्रिटिश सरकार अमीर को यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि वह उसकी हथियारों तथा द्रव्य से, और आवश्यकता पड़ने पर सेना से भी, सहायता करेगी। ब्रिटिश सरकार यह निर्णय करने के लिए अपने आपको स्वतंत्र समझती है कि वह कब, कितनी और कैसी सहायता दे? इसके अलावा, यह सहायता इस शर्त पर निर्भर होगी कि अमीर स्वयं किसी पर हमला न करे और अपने विदेश-संबंधों के क्षेत्र में बिना किसी ननु-नच के ब्रिटिश सरकार की सलाह पर चलता रहे।[1]

दूत ने इस वक्तव्य को लेकर केवल दो ही प्रश्न उठाए—एक तो यह कि भारत सरकार "इस तरह के आघातों को शत्रु समझे, और दूसरे, अमीर को जो लिखित आश्वासन दिए जाएँ उनमें रूस के हमले की संभावना का विशेष रूप से उल्लेख कर दिया जाए।'[2] वायसराय ने इन बातों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये ब्रिटिश नीति के मूलतत्वों के प्रतिकूल थीं।[3] वायसराय ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि अमीर रूस के प्रति तुर्कमानों के विरोध का समर्थन न करे।[4] शिमला-सम्मेलन के परिणामस्वरूप और दोनों सरकारों के संबंध पुष्ट करने के साधनों के रूप में वायसराय ने अमीर को 5,000 एनफील्ड राइफलें तथा 15 लाख रु० दिए और यह संभावना भी व्यक्त की कि जैसे ही इंग्लैंड से 15,000 राइफलें आ जाएँगी, वैसे ही वे भी अमीर को दे दी जाएँगी। लगता है कि बैठक में एक प्रश्न और उठा था—एक ब्रिटिश अफसर को अफगानिस्तान की सीमाओं की जाँच करने और उसकी सुरक्षा की समस्या पर अमीर के साथ विचार करने के लिए भेजा जाए। आशा थी कि इस उपाय से महामान्य ब्रिटिश सरकार के साथ विचार-विमर्श कर सकेंगे और इस अफसर के साथ सलाह मशविरा करने के उपरांत, ऐसे साधनों का निश्चय कर सकेंगे जो अफगानिस्तान की प्रतिरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त हों। ब्रिटिश सरकार के विचार से अफगानिस्तान को बाहर से हमले का कोई डर नहीं है। फिर भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि अधूरी सूचना के कारण अफगानिस्तान के हितों को

---

1 वही।
2 वही।
3 वही।
4 वही।

हानि पहुँचे।"[1] और, इस संदर्भ में भारत सरकार ने सही सूचना के महत्त्व पर जोर दिया।

अगर हम बातचीत के सारांश की और अमीर को भेजे गए ज्ञापन या पत्र की गंभीरता से परीक्षा करें, तो देखेंगे कि भारत सरकार भी अमीर की चिंता दूर करना और उसे यह ठोस आश्वासन देना चाहती थी कि उसका मंतव्य अफगानिस्तान को स्वतंत्र तथा सशक्त बनाए रखना और बाहर से हमला होने पर उसे सहायता देना था। इस तरह के संकट में हथियारों, द्रव्य तथा आवश्यकता पड़ने पर सेनाओं की भी सहायता का वचन दिया गया था और इस सहायता पर केवल दो ही प्रतिबंध लगे हुए थे। एक प्रतिबंध तो यह था कि अमीर स्वयं किसी पर हमला न करे और वह अंग्रेजों की सलाह का पूरी तरह पालन करे। दूसरा प्रतिबंध यह था कि कब सहायता दी जानी चाहिए—इसका निर्णय भारत *सरकार करेगी और यह सहायता तभी दी जाएगी जब बातचीत या राजनयिक दबाव के द्वारा शांतिपूर्ण समझौते की सारी तरकीबें आजमाई जा चुकेंगी और वे विफल हो जाएँगी।* इसके अलावा यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि भारत सरकार अफगानिस्तान की अखंडता की रक्षा करने और उसे रूसी हमले से बचाने के लिए सावधान थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने दूत के मन में यह बात जमाने का पूरा प्रयत्न किया था कि उसकी सरकार न न तो यह पूरा दायित्व स्वीकार किया था और न करने के लिए तैयार थी कि अमीर की माँग पर हर आकस्मिक स्थिति में उसकी सहायता करेगी। लगता है, भारत सरकार का इरादा यही था कि अमीर को जब चाहे तब असीम और अनुचित माँगें पेश करने से रोका जाए, अवसर आने पर उसे मदद देने में कोताही करने का नहीं था। दूसरी ओर लगता है दूत भारत सरकार से यह वचन प्राप्त करने के लिए उत्सुक था कि जब कभी आवश्यकता या आशंका-वश अमीर सहायता की माँग करे, तभी भारत सरकार को उसे सहायता देनी होगी। *वह इस बात के लिए भी उत्सुक था कि रूस को हमलावर और शत्रु घोषित किया जाए ताकि उसके विरुद्ध सहायता देने के लिए भारत सरकार हर समय बाध्य हो।* दोनों स्थितियों में जो अंतर था, वह दृष्टिकोण का अंतर था, तात्त्विक अंतर नहीं। इस बात में कोई संदेह ही नहीं हो सकता था कि अफगानिस्तान पर जब भी रूस का हमला होगा ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान की मदद करती। अफगानिस्तान का दृष्टिकोण यह लगता है कि रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और हमलावर का सामना करने के लिए सेना को प्रशिक्षित करने और साज-सामान से लैस करने के लिए पहले से बड़ी लंबी तैयारी की जरूरत थी और इसके लिए आवश्यक था कि पहले से ही कारगर मदद मिले। अतः भारत सरकार को वचन देना चाहिए कि वह इस समय भी सहायता देगी और आगे भी देती रहेगी। दूसरी ओर, ब्रिटिश सरकार के मन से रूस के हमले का खतरा इतना बड़ा *न था और वह अमीर को इतनी खुली छूट न देना चाहती थी कि वह जब चाहे तब सहायता* माँग बैठे। इन दृष्टिकोणों में जो अंतर है, वह किसी भी निष्पक्ष निरीक्षक को बहुत अधिक आत्मपरक दीखेगा और लगेगा कि इसमें किसी तरह की निराशा और गलत-फहमी की गुंजाइश नहीं है। रूस के हमले की तलवार अभी गिरने वाली न थी लेकिन अंग्रेजों की सहायता की आशा इतनी यथार्थ थी कि शायद अमीर शिमला-सम्मेलन में

---

1 कुछ बातों का ज्ञापन, अफगान पत्राचार, जिल्द 26 में संलग्न पत्र 6, पृ 165

अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने की गंभीर शिकायत न कर सकता था। वायसराय ने अमीर के नाम अपने एक पत्र में कहा था कि 'इस समझौते में ब्रिटिश सरकार भी एक पक्ष है और महामान्य के सीमान्त की अखंडता की रक्षा में उसकी पहले से भी ज्यादा दिलचस्पी है।'[1] अगर कभी ऐसे संदेह रहे हों कि भारत सरकार अमीर के सीमान्त से बाहरी हमले के खतरे को दूर करने के लिए अमीर की मदद नहीं करना चाहती थी, तो वायसराय के वक्तव्य से वह दूर हो जाने चाहिए थे। शिमला-सम्मेलन में वायसराय की खामोशी के बावजूद अमीर को महामना का गंभीर और सुदूरव्यापी आश्वासन दिया गया था और यह संभव नहीं लगता कि उसने अपने आपको संदिग्ध और परास्त करने के डर से अरक्षित अनुभव किया हो। अगर उसके मन में असुरक्षा की भावना थी भी, तो इसके कारण हमें अन्यत्र खोजने होंगे।

1 वायसराय का अमीर के नाम संवाद 6 सितंबर, 1873.

अध्याय 10

शेर अली के साथ संबंध-विच्छेद

आंग्ल-अफगान संबंधों के इतिहास में शिमला-सम्मेलन वह मोड़ है जहाँ से एक नई नीति आरंभ होती है। यह नीति निकट पूर्व की घटनाओं से प्रभावित थी और इसके फलस्वरूप संघर्ष की राह अनिवार्य रूप से तैयार हो गई थी। शिमला में वायसराय ने अमीर के दूत को कुछ वचन दिए थे और यद्यपि इनसे अमीर शेर अली की इच्छाएँ सर्वांश में पूरी नहीं हुई थीं, फिर भी उनके फलस्वरूप अमीर को यह विश्वास हो गया था कि बाहरी हमला होने पर भारत सरकार उसकी मदद करेगी। पर इन वचनों का स्वरूप सामान्य था और उनके बीच कोई ऐसा संधिगत दायित्व न था जो दोनों पक्षों को समान रूप से बाँध देता, अतः अमीर शिमला सम्मेलन की बातचीत से पूरी तरह संतुष्ट न हो सका। रूस और इंगलैंड के करार के स्वरूप और व्याप्ति के बारे में भी अमीर का मन शंका से आक्रांत था क्योंकि स्वतंत्र शासक के रूप में उसकी हैसियत भी उसी करार पर निर्भर थी। इसके अलावा, सीस्तान पंचाट पर उसने बड़े संकोच से सहमति दी थी और यह विचार उसके मन को काँटे की तरह सालता रहा था कि उसके पड़ोसी अँग्रेजों ने अपने मैत्री-दायित्व का उल्लंघन किया है। शिमला सम्मेलन के तुरत बाद कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे संबंधों में और तनाव आ गया। इनमें से पहली घटना यह थी कि अमीर ने अब्दुल्ला जान को अपना वारिस और उत्तराधिकारी नाम निर्देशित किया और "अपने राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के बीच दृढ़ तथा अनवरत मैत्री होने की वजह से' ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना दी।[1] अमीर ने इस संबंध में ब्रिटिश सरकार से पहले कोई चर्चा नहीं की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार अपनी पुरानी नीति के प्रति सच्ची थी और उसे डर था कि कहीं याकूब खाँ के शत्रुतापूर्ण रुख के कारण अफगानिस्तान की शांति में विघ्न न पड़ जाए, 'इसलिए, अगर हमसे पहले सलाह ली जाती तो हम इसका अनुमोदन न करते।' फिर भी, "उसका यह विचार तो नहीं रहा होगा कि उसके दृष्टिकोण का इस मामले में अमीर के निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा।" अतः, ब्रिटिश सरकार ने अमीर को जो उत्तर दिया था, उसमें इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था कि 'अमीर की यह कार्यवाही बुद्धिमत्तापूर्ण थी या नहीं।'[2] ब्रिटिश सरकार ने 1858 में शेर अली के वारिस नाम

---

1. अमीर का पत्र, 30 नवंबर, 1873, अफगान पत्राचार, 1878, पृ 118
2 भारत मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 23 जनवरी, 1874 वही पृ 117

निर्देशित किए जाने पर अफगान अमीर को जिस तरह का पत्र लिखा था, उसी तरह की भाषा इस पत्र की थी और इसमें केवल यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि "ईश्वर करे सरदार अब्दुल्ला जान, जिसे आपने अपनी सल्तनत की भलाई के विचार से युवराज घोषित किया है, महामान्य की देख-रेख में ऐसी ही बुद्धिमत्ता तथा सफलता के साथ शासन-संचालन करना सीख ले।'[1] अमीर के चुनाव का रूसी गवर्नर जनरल ने जिस तरह से हार्दिक स्वागत किया था, यह उत्तर उसके विरोध में था।[2] लगता है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक को याकूब खाँ के युवराज न बनाए जाने पर खेद था और उसका विचार था कि "याकूब खाँ अपने छोटे भाई का नाम-निर्देशन चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा" बल्कि अनुकूल अवसर आने पर अपने अधिकार का दावा करेगा। वायसराय को पता था कि अमीर के चुनाव की कुछ अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है और वह यह नहीं चाहता था कि वह अफगानिस्तान के गृह-युद्ध में उलझ जाए, अतः उसने अमीर शेर अली के चुनाव का अनुमोदन नहीं किया।

इसके बाद भारत सरकार ने अमीर से यह अनुमति माँगी कि कर्नल बेकर और इगनस फोर्सीथ को अफगानिस्तान की सल्तनत में से गुज़रने दिया जाए। अमीर ने ये माँगें अस्वीकार कर दीं और इन्हें अस्वीकार करते समय संक्षेप में उन आपत्तियों की ओर संकेत कर दिया जिनका उसके दूत ने शिमला में विस्तार से विवेचन किया था। जिन दो पत्रों में अमीर शेर अली ने ब्रिटिश अफसरों को अफगानिस्तान में से गुज़रने की अनुमति देना अस्वीकार किया था, उनसे पता चलता है कि उस समय उसके मन की क्या स्थिति थी और शिमला-सम्मेलन के परिणामों की अपर्याप्तता पर उसे कितना असंतोष था। लार्ड नॉर्थब्रुक ने अमीर के उत्तरी सीमान्त के बारे में रूसी-ब्रिटिश करार का जो उल्लेख किया था और जिसको लेकर आशा व्यक्त की थी कि उससे उस प्रदेश में शान्ति की स्थापना हो जाएगी, उसके प्रति अमीर के वचन व्यंग्य-भरे थे।[3] रूस के मंसूबों के प्रति उसके मन में खटका था और रूस की आक्रमण न करने की घोषणाओं में उसकी आस्था न थी। इसके बाद उसने सीस्तान के सवाल की चर्चा की और उसके वक्तव्य की ध्वनि यह थी कि पंचाट पेरिस की सन्धि के अनुरूप न था। इसके बावजूद, वायसराय की

---

1 अमीर का पत्र, 21 जनवरी, 1874, वही, 118

2 पत्र, दिनांक 25 फरवरी, 1874 पत्राचार, मध्य एशिया, सं 1 (1878), पृ 15

3 उसने लिखा था, 'उत्तरी सीमा के बारे में जो कुछ लिखा गया है, उसे मैंने पूरी तरह समझ लिया है और मैं सर्व शक्तिशाली ईश्वर को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि उसके प्रताप से सभी राज्यों में सदा के लिए अमन-चैन की स्थापना हो गई है, कि हर तरह संदेहों तथा विवादों का अन्त हो गया है, कि सारे राज्यों में इस तरह की सुरक्षा की स्थापना हो गई है जिसमें न तो कोई कहीं हमला करेगा और न कोई देश किसी दूसरे देश से उन सवालों तथा विवादों के बारे में झगड़ा करेगा जो उस देश की सीमाओं के भीतर उठेंगे, कि राजनयिक पत्र-व्यवहार में शत्रुतापूर्ण शब्दावली का बहिष्कार कर दिया गया है तथा सारे संसार के लिए अमन-चैन पा लिया गया है।" पत्र, दिनांक, 13 नवम्बर, 1873, अफगान पत्राचार, पृ 119

इच्छाओ के अनुरूप और ब्रिटिश सरकार के प्रति सम्मान के कारण उसने अपने सीमांत-अधिकारियों को पहले की तरह फारस की सीमा में हस्तक्षेप न करने के लिए कठोर आदेश दे दिए थे। इसके बाद अमीर ने अपने प्रति अँग्रेजो की मित्रता की घोषणाओं के सार का विवेचन किया और कहा कि अगर सर जॉन लॉरेंस तथा लार्ड मेयो की नीति पर ही चलते रहना था तो शिमला में सैयद नूर मुहम्मद शाह के साथ सारी बातचीत करना आवश्यक न था। अंबाला में जो कुछ समझौता हुआ था, वह बिल्कुल पर्याप्त है। इस अवसर पर उसने अँग्रेजो के प्रति मैत्री की प्रतिज्ञा भी की थी जब तक इंगलैंड की महामहिम महारानी की हितकारी सरकार की मेरे प्रति पक्की और अटूट मित्रता रहेगी तब तक इंशाअल्लाह मैं भी उस सच्ची मित्रता पर डटा रहूँगा जिसकी नींव अंबाला में लार्ड मेयो के साथ मेरी भेंट के समय पड़ी थी। मेरे पास लार्ड मेयो का लिखित आश्वासन है और साथ ही लार्ड लॉरेंस का भी एक प्रलेख है। परम श्रेष्ठ, आप इस मित्रता के प्रति आश्वस्त रहे।[1]

इस वक्तव्य में परस्परता का तत्त्व है और लार्ड लॉरेंस तथा लार्ड मेयो के इस वचन की ओर भी संकेत है कि *अमीर की इच्छा के बिना उसके देश में कोई भी ब्रिटिश अफसर नहीं भेजा जाएगा।* यही विचार अमीर ने आगे चल कर लार्ड नॉर्थब्रुक के उस पत्र के उत्तर में दुहराया जिसमें लार्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था कि शिमला की घोषणाओं का उद्देश्य सहायता का आश्वासन देना था जो लॉर्ड लॉरेंस तथा लार्ड मेयो की उन शुभ रचनाओं में निहित आश्वासनों से भी अधिक स्पष्ट था जिनका आप परम श्रेष्ठ ने हवाला दिया था।'[2] अपने अगले पत्र में अमीर ने कहा कि उसे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ब्रिटिश सरकार को उसके राज्य के हित की चिंता है पर उसने वायसराय को उस आश्वासन की याद दिलाई जो उसके राज्य में ब्रिटिश अफसरों के प्रवेश के *प्रश्न को लेकर उसे दिया गया था* और *मांग की कि, 'महामहिम साम्राज्ञी की स्वीकृति, लार्ड लॉरेंस की सनद तथा लार्ड* मेयो के निर्णय पर पूरी तरह और सावधानी के साथ विचार करने के उपरांत परम श्रेष्ठ अपने आश्वासन पर दृढ़ तथा अडिग रहेंगे ताकि अफगानिस्तान की सीमाएँ अखंड तथा सुरक्षित रखी जा सकें।'[3] यह भारत सरकार को साफ-साफ और कड़ी चेतावनी थी कि वह किसी ब्रिटिश अफसर को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा, चाहे यह अफसर सामान्य यात्री के रूप में हो या प्रत्यायित दूत के रूप में, और इस तरह की सारी प्रार्थनाएँ ब्रिटिश सरकार के वचन के विरुद्ध होंगी।

अमीर एक और बात से भी नाराज हुआ होगा और वह यह कि जब याकूब खाँ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और फिर पराजित होकर आत्म-समर्पण कर दिया और उसे काबुल लाकर हिरासत में रखा गया, तब लार्ड नॉर्थब्रुक ने उसका पक्ष लेकर समझौता कराने की कोशिश की।[4] वायसराय ने 17 नवंबर, 1874 को यह समाचार

---

1 पत्र, दिनांक 13 नवंबर, 1873, अफगानिस्तान पत्राचार, पृ 119
2 वायसराय के नाम अमीर का पत्र, 23 जनवरी, 1874, वही, पृ 120
3 अमीर का पत्र, 10 अप्रैल, 1874 वही, पृ 123
4 भारत मंत्री को भेजा गया प्रेषण गुप्त, स 70, 29 नवंबर, 1874 और संलग्न पत्र, वही, पृ 124

सुनने पर काबुल स्थित प्रतिनिधि को आदेश दिया कि वह निम्नलिखित संदेश अमीर के पास पहुँचा दे।[1]

"वायसराय को सूचना मिली है कि सरदार मुहम्मद याकूब खाँ अमीर के यात्रा-सुरक्षण (safe conduct) में काबुल आया है और यात्रा-सुरक्षण के बावजूद महामान्य ने उसे हिरासत में रख दिया है। अमीर के मित्र और शुभचिंतक के नाते वायसराय आशा करते हैं कि यह खबर गलत है और वह अमीर से प्रबल अनुरोध करना चाहते हैं कि सरदार जिन शर्तों पर काबुल आया है, उनका पालन किया जाए। ऐसा करने पर अमीर के सुयश की रक्षा होगी और वह ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी मित्रता बनाए रख सकेगा। वायसराय को जल्दी यह आश्वासन पाकर और सही-सही जानकारी मिलने से प्रसन्नता होगी।"

यह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में तथा अमीर के घरेलू कामकाज में हस्तक्षेप करना था—अनावश्यक और अनधिकृत हस्तक्षेप। वायसराय के तार में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था, उसकी एक व्याख्या यह हो सकती थी कि अमीर के प्रति अँग्रेजों की मित्रता इस बात पर निर्भर होगी कि अमीर ने अपने पुत्र को जो तथाकथित आश्वासन दे रखे थे, उनका उसे पालन करना होगा और इस भाषा से काबुल में रोष तथा वैमनस्य की आग ही सुलग सकती थी। अफगानिस्तान के राज-दरबार में फारस के साथ याकूब खाँ के संबंध की चर्चा की गई और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया कि वायसराय ने पिता-पुत्र के मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता समझी। दरबार में कहा गया, "यह नहीं सुना गया कि पिता-पुत्र के बीच शर्तों और अनुबंधों के पालन के बारे में दावा करने की कोई गुंजाइश होती है। ब्रिटिश सरकार ने पिता-पुत्र के निजी मामले को लेकर यह पत्र भेजा है और हम यह नहीं समझ सके हैं कि अफगानिस्तान के हितों के प्रश्न पर उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। अगर सरदार मुहम्मद याकूब खाँ को मुक्त किया गया, तो राज्य के तथा अमीर के वैयक्तिक हितों को भारी हानि पहुँचेगी।"[2] अमीर ने अपने अवज्ञाकारी पुत्र की ओर से वायसराय के हस्तक्षेप की ओर संकेत किया और अमीर की इस शब्दावली में उसका रोष किसी तरह न छिप सका था। उसने कहा "सच्चे और समझदार मित्र अपनी प्रखर बुद्धि तथा दूरदर्शिता के फलस्वरूप किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने मित्रों की ऐसी फजीहत नहीं कराते।" उसने वायसराय के वक्तव्य का विरोध किया जिसकी ध्वनि यह थी कि इस तरह के आचरण से दोनों राज्यों की मित्रता खतरे में पड़ सकती थी। उसने कहा, "जहाँ तक दोनों सरकारों की मित्रता का संबंध है, ईश्वर की सहायता और कृपा से वह प्रति दिन और प्रति क्षण दृढ़ होती जा रही है। ब्रिटिश सरकार या अफगान सरकार की ओर से पहले से जो भी वचन दिए गए हैं—लिखित रूप से या मौखिक रूप से—उनके विरुद्ध ऐसा कोई अनुचित काम नहीं हुआ

---

1 विदेश सचिव की ओर से डिप्टी कमिश्नर, पेशावर के पास भेजा गया पत्र, 17 नवंबर, 1874, वही, पृ 126

2 काबुल स्थित प्रतिनिधि का कमिश्नर, पेशावर के नाम संवाद, 14 दिसंबर, 1874, अफगान पत्राचार, 1878, पृ 127

जिसमे परमश्रेष्ठ को किसी तरह की अप्रसन्नता या झुंझलाहट हो। ईश्वर की कृपा से दोनो सरकारो की यह मित्रता भविष्य मे भी बराबर फलती-फूलती रहेगी।[1]

यहाँ मध्य एशिया के उस घटना-प्रवाह की चर्चा करना उपयुक्त होगा जिसके फलस्वरूप कुछ ब्रिटिश क्षेत्रो मे आशका फैल गई थी और जिसका रूस तथा अफगानिस्तान के प्रति अँग्रेजो की नीति पर पर्याप्त प्रभाव पडा था। शिमला-सम्मेलन के तुरत बाद रूस ने खीव पर हमला किया, वहाँ के खान ने आत्म-समर्पण कर दिया, ओक्सस के दाहिने किनारे पर खीव के सारे प्रदेशो पर रूस ने दखल कर लिया तथा कुछ और जगहो पर किले बनाए। इसी समय मर्व के तुर्कमानो तथा ओक्सस और कैस्पियन सागर के बीच के प्रदेशो की ओर रूस का ध्यान खिचा और यह इस बात की पूर्व पीठिका समझी गई कि अत मे इन क्षेत्रो को रूसी साम्राज्य मे लीन होना है। 1875 मे रूस ने कोहकद के विरुद्ध प्रचड सैनिक अभियान किया जिसके परिणामस्वरूप यह राज्य भी पूरी तरह से रूसी साम्राज्य मे समा गया। रूस का विदेश मत्रालय ब्रिटिश सरकार से बार-बार अपने इस विश्वास का निवेदन करता रहा था, और यह माना जा सकता है कि वह सच्चा ही रहा होगा, कि राज्य के विस्तार का प्रत्येक चरण साम्राज्य के हितो के प्रतिकूल होने के साथ-साथ निश्चितत उसकी इच्छा के भी विरुद्ध था। इसके बावजूद रूसी विदेश मत्रालय यह जताने से भी कभी नही चूका कि तुर्कमानो या अन्य मध्य एशियाई कबीलो के प्रति उसका रवैया उनके व्यवहार तथा शातिप्रियता पर निर्भर रहेगा। पर, रूसी सरकार की इन गभीर घोषणाओ से कि वह हमला नही करेगी, ब्रिटिश सरकार की शकाएँ और सदेह पूरी तरह से निर्मूल न हो सके। यह बताना तो मुश्किल है कि इन घटनाओ की अमीर शेर अली पर क्या प्रतिक्रिया हुई, पर यह आशा करना अस्वाभाविक होगा कि रूसी साम्राज्य के अपनी सीमाओ के इतने निकट आ जाने पर अमीर को परेशानी न हुई हो। यह पहले ही कहा जा चुका है कि शिमला-सम्मेलन मे उसने तुर्कमानो के विरुद्ध रूसी कार्यवाही के परिणामो की चर्चा की थी। पर, यह समझ पाना कठिन है कि वह खीव, टेक्के और कोहकद की घटनाओ से आशकित हो गया था, या उसकी ब्रिटिश सरकार की सरक्षण-शक्ति मे आस्था थी अथवा रूस के इस नेक इरादे मे विश्वास था कि वह अफगानिस्तान के आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप नही करेगा। काबुल डायरियो से या अमीर के पत्रो से उसके मन या भावनाओ का कोई गहरा परिचय नही मिलता। उसने जिस शाति से तुर्किस्तान के रूसी गवर्नर जनरल के पत्रो को ग्रहण किया और उनका उत्तर दिया, तुर्कमानो को हमला न करने की सलाह देकर भारत सरकार के आदेशो का जिस मुस्तैदी से पालन किया और जिस सावधानी से अपनी सीमा के पार कोई ऐसी कार्यवाही करने से अपने आपको रोका, जो आक्रमण या अनधिकृत हस्तक्षेप समझी जाती, उससे लगता है कि वह न तो किसी तरह की आशका से ग्रस्त था और न उसके मन मे ब्रिटिश सरकार की मित्रता तथा उसकी मदद करने की इच्छा के प्रति ही किसी तरह का अविश्वास था।

फिर भी, इंगलैंड मे सरकार बदलने के बाद हम एक ऐसी नीति को अमल मे आते हुए देखते है जिसमे रूस के प्रति भारी अविश्वास परिलक्षित होता था और जिसका उद्देश्य

1 वही।

मध्य एशिया में अंग्रेजों को खुली छूट देना था। लॉर्ड सेलिसबरी ने पूर्ववर्ती करारों के संबंध में रूस की यह व्याख्या स्वीकार नहीं की कि इन करारों के फलस्वरूप "रूसी सीमान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित प्रदेश के प्रत्येक भाग में रूस को पूरी कार्य-स्वतंत्रता मिली हुई है," और उसे डर था कि "अगर इस समय रूस के इस दावे को चुनौती नहीं दी गई तो देर-सवेर उससे मर्व के संबंध में ऐसी उलझनें पैदा हो सकती हैं जिनका भारत के हितों पर बुरा असर पड़े। इसके कारण उसके मन में यह इच्छा जागी कि सभी आकस्मिक स्थितियों और सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार को ऐसी ही कार्य-स्वतंत्रता मिले।[1] इस बात की चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि ब्रिटिश सरकार के मन में यह डर पैदा हो गया कि अगर मर्व और तुर्कमान प्रदेश रूसियों के हाथों में चले गए तो इसका भारत की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी कार्यवाही करने का निश्चय किया जिससे भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की दिशा काफी बदल गई। यारकंद-काशगर के निकट पहुँचने का प्रयत्न, क्वेटा में ब्रिटिश सैनिक रखने के लिए कलात के खान के साथ की गई संधि से अनुचित लाभ उठाने की इच्छा, मर्व तुर्कमानों को सहायता देने की उत्सुकता, अफगानिस्तान के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की उत्कटा जिससे अफगान सीमा पर हरात में ब्रिटिश एजेंट रखे जा सकें—ये सब उस नए साम्राज्यवाद के लक्षण थे जो मध्य एशिया में रूस के विस्तार और निकट-पूर्व में उसके मंसूबों के कारण अंगड़ाई लेने लगा था। मर्व अंग्रेजों के राजनय का केंद्र तथा उनकी शंकाओं और संदेहों का मूर्त रूप हो गया। अंग्रेजों के मन में एक नई परेशानी यह पैदा हो गई कि कहीं रूस इस दिशा में अपने पैर न पसारने लगे, पर अफगानिस्तान की सक्रिय सहमति के बिना वहाँ उनका प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित न हो सकता था और इसलिए अब वे इस विकल्प पर विचार करने लगे थे कि मर्व को फारस के नियंत्रण में रखा जाए या अफगानिस्तान के ? चूँकि इन दोनों देशों में से कोई भी ब्रिटिश सरकार की इच्छा और प्रभुता के आगे पूरी तरह सिर झुकाने के लिए तैयार न था, अतः ब्रिटिश सरकार को यह विचार छोड़ना पड़ा। पर, रूस का विस्तार तो रोकना ही था, उसके प्रभाव का प्रतिकार भी करना था और रूसी साम्राज्य के चारों ओर आश्रित, अपनी राजी से अधीनता में आए हुए राज्यों का एक घेरा डालना था। इंगलैंड की नई अनुदारदलीय सरकार ने अमीर शेर अली के प्रति जो नीति अपनाई और जो कार्यवाही की और जिसके फलस्वरूप अमीर को ब्रिटिश सरकार से लोहा लेना पड़ा, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक ओर तो ब्रिटिश सरकार के इन उद्देश्यों पर विचार करना होगा और दूसरी ओर तुर्की साम्राज्य में तेजी से घुमड़ते हुए संकट के बादलों की ओर दृष्टि करनी होगी।

यहाँ हम यह कह दें कि इन गातों से अमीर शेर अली को कोरमन के साथ पत्र-व्यवहार करने की अनुमति दे दी गई थी और, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उन दोनों के बीच अनेक पत्रों का विनिमय हुआ था। मध्य एशिया संबंधी पत्र-व्यवहार संख्या (1878) के परिशिष्ट संख्या 2 में 1870 और 1873 के बीच का यह पत्र-व्यवहार

---

1 लॉर्ड हैमिल्टन का लार्ड टेंटरडेन के नाम संवाद, 22 जून, 1875, मध्य एशिया, सं 1 (1878), पृ 43-4

उद्धृत किया गया है। अमीर ने ये पत्र वायसराय के पास भेज दिए थे और यद्यपि काबुल-दरबार की दृष्टि में रूसी पत्रों की प्रवृत्ति आपत्तिजनक तथा हानिकर थी, पर यह विचार किसी भी वायसराय का न था कि रूस ने ये पत्र मित्रता के अलावा और किसी भावना से लिखे हैं और सभी का यह विचार था कि वे अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने के रूस के दायित्व के अनुरूप हैं।[1] इस तरह के पत्रों का बाद में भी आदान प्रदान हुआ। इन पत्रों को लेकर रूसी दूत आए और अमीर ने उनसे शिष्टतापूर्वक भेंट की। 1876 तक ये सारे पत्र काबुल स्थित भारतीय एजेंट को दिखाए जाते रहे और उनका सारांश या मजमून भारत सरकार के पास भेजा जाता रहा। ये सारे पत्र और उनके साथ काबुल डायरियाँ भी भारत मंत्री और ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के पास भेज दी गईं पर लगता है कि इन पत्रों की भाषा पर या इस तरह की क्रियाविधि पर किसी तरह की आपत्ति नहीं की गई। लार्ड नॉर्थब्रुक की सरकार को एक ही बार तुर्किस्तान के कार्य-वाहक गवर्नर जनरल के पत्र में एक शब्द 'प्रार्थना' पर संदेह हुआ था। इस पत्र में कहा गया था कि कोफमन अमीर की प्रार्थना को जार के सम्मुख रख देगा। सेंट पीटर्स-बर्ग स्थित ब्रिटिश राजदूत को यह पता लगाने की आज्ञा दी गई थी कि यह प्रार्थना यथार्थतः थी क्या।[2] अन्यथा भारत सरकार ने इस पत्र-व्यवहार को अधिकृत रूप दे दिया था और उसे किसी भी तरह से गोपनीय या ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं और हितों के प्रतिकूल नहीं माना था। इसके अलावा, भारत और इंगलैंड की सरकारों के सामने 1878 तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया था जब उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति रूस के आचरण को उसके वचनों के सर्वथा अनुकूल न समझा हो। 1878 की दो घटनाओं, तुर्की के संकट और मर्व के खतरे ने जरूर शंकाएँ पैदा कर दी थीं। अमीर के व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपत्तिजनक हो। उसका व्यवहार वायसराय की इच्छा के अनुरूप था, उसने ऑक्सस के पार अपने पड़ोसियों के मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया था, ब्रिटिश सरकार ने उसकी पूर्व-स्वीकृति के बिना भी उसकी ओर से जो करार किए थे, उसने उन सबका पालन किया था और वह रूस के अतिक्रमणों के प्रति रोष तथा डर व्यक्त करता रहा था।

इसी पृष्ठभूमि में हम 22 जनवरी के उन आदेशों की परीक्षा करनी चाहिए जो लार्ड सैलिसबरी ने भारत सरकार को दिए थे और जिनमें भारत सरकार से कहा गया

---

1 पत्र और काबुल डायरी देखिए। इस संबंध में ग्रिफिन के नाम लिखे गए एचिसन के 30 सितंबर, 1872 के पत्र से पता चल जाता है कि ब्रिटिश सरकार की नीति किस तरह की थी "अगर महामान्य अमीर इन पत्रों की ओर संकेत करें और अपने देशवासियों के मन की शंकाएँ व्यक्त करें तो एजेंट को यह कहने का आदेश दिया जाना चाहिए कि वायसराय और स-परिषद गवर्नर जनरल को इनमें शंकाओं का कोई आधार नहीं दिखाई देता, बल्कि उन्हें तो यह विश्वास करने का और भी कारण दीख पड़ता है कि रूसी अधिकारी अफगानिस्तान की सरकार के साथ मित्रता के अलावा और किसी तरह के संबंध ही नहीं रखना चाहते।"

2 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, सं 15, 1 मई, 1874 और संलग्न पत्र 1 कॉन्स्टान्टीनोफ़्स्की का अमीर के नाम पत्र, 20 दिसंबर, 1873

प्राप्त होते हैं, उनका हमारी दृष्टि में बड़ा महत्व है और हम साम्राज्ञी की सरकार के निकट अपना यह विश्वास प्रकट करना चाहते हैं कि इस तरह के संबंधों को बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि अफगानिस्तान के प्रति शांति और सद्भावना की जिस नीति पर भारत सरकार अनेक वर्षों से चलती रही है, उस पर आगे भी चला जाए। और अगर अमीर की वह प्रस्तावित कार्यवाही स्वीकार करने की इच्छा न हो, जिसे हम ब्रिटिश भारत के हितों और उसके अपने हितों के लिए आवश्यक समझते हैं, तब भी हमें उसकी कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।'[1]

अमीर के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण का यह विचार लॉर्ड नॉर्थब्रुक के 28 जनवरी, 1876 के पत्र से पुष्ट होता है। इस पत्र में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने लिखा था, "हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वह (अमीर) दूसरे देशों की मित्रता को तरजीह देना चाहता है"।[2] निष्पक्ष क्षेत्रों में बाद में भी इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अमीर सचमुच अंग्रेजों के साथ मित्रता बनाए रखना चाहता है और उसके मन में रूस या अन्य किसी देश के साथ किसी तरह का संबंध बनाए रखने की इच्छा नहीं है। कहा जाता है कि काबुल-स्थित भारतीय एजेंट नवाब अता मुहम्मद खाँ ने 7 अक्तूबर, 1876 को सर लेविस से कहा था, "काबुल और तेहरान दरबारों के बीच किसी तरह का पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है; अमीर रूसी एजेंटों को परेशानी का कारण समझता है।"[3] काबुल-स्थित एजेंट ने शिमला में वायसराय तथा विदेश सचिव से जो बातचीत की थी, उसके आधार पर यह विचार नहीं बन सकता कि अमीर अंग्रेजों का मित्र न था या उसके बारे में किसी तरह यह समझा जा सकता था कि उसकी रूस के साथ साठ-गांठ है या उस पर रूस का प्रभाव पड़ सकता है। अनुमान सिर्फ यही किया जा सकता है कि कुछ घटनाओं या भारत सरकार के कुछ कार्यों से अमीर को असंतोष हुआ था और वह चाहता था कि दोनों सरकारों की मित्रता को दृढ़ करने के लिए अधिक निश्चित करार किए जाएँ। 1877 के आरंभ में पेशावर में नूर मुहम्मद शाह और ब्रिटिश प्रतिनिधि सर लेविस पेली के बीच जो चर्चा हुई थी, उससे भी इस अनुमान की पुष्टि होती है।[4] अमीर अंग्रेजों की मित्रता और सहायता चाहता था और उसका रूस या फारस पर विश्वास नहीं था। किंतु, मध्य एशिया के घटना-चक्र से वह आशंकित था और सामान्य आश्वासनों से उसकी तसल्ली नहीं हो सकी थी। लेकिन, वह अपना यह अधिकार त्यागने के लिए भी तैयार न था कि ब्रिटिश अफसरों को अपने राज्य में आने से रोक सके या उन्हें अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने दे।

हम ऊपर यह भी कह आए हैं कि अमीर अपने देश में ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति के कतई विरुद्ध था और एक के बाद दूसरे वायसरायों ने उस ढंग तरह की संभावना के विरुद्ध गंभीर वचन दिए थे। साथ ही अगर अमीर शेर अली ने ब्रिटिश अफसरों को अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं दी, तो इसका अर्थ यह नहीं समझा गया था

---

1 प्रेषण, 7 जून, 1875, पैरा 39, वही, पृ 135
2 प्रेषण सं 6, 28 जनवरी, 1876, वही, 155
3 सं 36 में संलग्न पत्र 18, वही, पृ 181
2 सं 36 में संलग्न पत्र 18, पृ 196-214

कि वह मित्र के नाते अँग्रेजों के प्रति निष्ठावान् न था। पर, 1875 में इंगलैंड की नई सरकार ने इस व्यवस्था पर जोर दिया और उसने यह जो रुख अपनाया था, उसका आधार यह बताया गया था कि अमीर हरात में एजेंट रखने की अनुमति देने के लिए प्रस्तुत है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर अमीर की निष्ठा अब भी बनी हुई है, तो वह अब कोई गंभीर कठिनाई पैदा नहीं करेगा।'[1] ब्रिटिश सरकार के वक्तव्य की ध्वनि यह थी कि अगर अमीर ने ब्रिटिश एजेंट का स्वागत करने से इनकार किया, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसने निष्ठाहीनता का कार्य किया है और इस दोनों राज्यों के मैत्री-संबंधों के प्रतिकूल समझा जाएगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है मुख्य कारण यह बताया गया था कि काबुल स्थित भारतीय एजेंट पूरी सूचना नहीं दे पाता, अवसर यह था कि मर्व और तुर्कमान प्रदेश पर रूस के खतरे की संभावना थी और इसके लिए यह आवश्यक था कि अफगान सीमांत पर ब्रिटिश अफसर रहें जो सीमान्त-पार के घटना प्रवाह पर निगरानी रख सकें और उसके संबंध में सूचना दे सकें। धीरे धीरे यह मत दृढ़ होता गया कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश एजेंटों की उपस्थिति के बिना ब्रिटिश हितों की रक्षा नहीं हो सकती और अमीर की अस्वीकृति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह ब्रिटिश सरकार का विरोधी हो गया है और शत्रु-देश रूस के पक्ष में चला गया है। अब हम तेजी से घूमते हुए घटना-चक्र का विश्लेषण करेंगे और यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि यह दृष्टिकोण किस तरह गलत था और इस माँग पर अधिकाधिक जोर देते रहने के कारण किस तरह उस गलतफहमी और तनाव का जन्म हुआ जिसकी परिणति थी एक अनावश्यक युद्ध।

हरात में ब्रिटिश एजेंट रखने की लार्ड सेलिसबरी की माँग का भारत सरकार ने बड़े तर्कयुक्त और तथ्यपरक ढंग से खंडन किया। भारत सरकार ने बताया कि लार्ड सेलिसबरी का अनुरोध बिल्कुल निराधार है और इससे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के हितों को क्या हानि पहुँचेगी। भारतीय एजेंट यथेष्ट या महत्त्वपूर्ण सूचना नहीं देता—इस तर्क की चर्चा करते हुए भारत सरकार ने यह मत व्यक्त किया कि "काबुल में हमारे एजेंट की जो स्थिति है, उसकी सीमाएँ ध्यान में रखते हुए देखा जाए, तो जो सूचना वह देता है, वह पूर्ण और सही होती है।" हाँ, यह हो सकता है कि वह सदा पर्याप्त न होती हो। एजेंट का सतर्क और नीतिकुशल होना आवश्यक है, पर इस आरोप में कोई सचाई नहीं है कि वह केवल ऐसी सूचना देता है जो अमीर चाहता है कि वह दे। भारत सरकार को इस दावे में भी कोई सार नहीं दिखाई दिया कि अमीर किसी समय अपने देश में ब्रिटिश एजेंट रखने के लिए तैयार हो गया था, और उसने विश्वासपूर्वक कहा कि, "सामने की सारी परिस्थितियों—अधिक स्वीकृति के किसी औपचारिक प्रलेख के अभाव, उसके पूर्णत निजी और गोपनीय स्वरूप, उसके क्षेत्र तथा उद्देश्य की अनिश्चितता—पर सोच-विचार करने के उपरान्त हम समझते हैं कि हमारा अमीर से यह निवेदन करना उचित न होगा कि चूँकि उसने अंबाला-सम्मेलन के अवसर पर हेरात में ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति के प्रश्न पर अपनी सहमति व्यक्त करने की इच्छा दर्शाई थी, अतः अब वह उसकी अनुमति दे। हम यह भी नहीं समझते कि इस समय इस तरह के प्रस्ताव के प्रति अमीर को

1 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, 22 जनवरी, 1875

प्रतिक्रिया के बारे में अपना मत निर्धारित करते समय हमें उन बातों की ओर कोई खास ध्यान देना चाहिए जो 1869 में अबाला में कैप्टेन ग्रे से कही गई थी। हमें इसका कोई सुराग नहीं मिल सका है कि अमीर ने पहले या बाद में इस तरह का कोई प्रस्ताव स्वीकार किया हो।[1] इसके बाद भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया कि "क्या हेरात या कधार में ब्रिटिश एजेंसी की स्थापना के बारे में उससे (अमीर से) प्रार्थना करना नीतिसम्मत होगा और उसका (भारत सरकार का) सुविचारित निर्णय यह था कि वर्तमान काल और परिस्थितियाँ इस मामले में पहल करने के लिए अनुकूल नहीं हैं'। भारत सरकार का न तो इस विशिष्ट प्रस्ताव से ही कोई विरोध था और न वह उन लाभों से ही अपरिचित थी जो इससे होते। लेकिन, इस उपाय से तभी लाभ हो सकता था जब कि इसे अमीर का पूरा विश्वास प्राप्त होता और यह व्यवस्था अमीर की "हार्दिक स्वीकृति से की जाती। पर, इसकी कोई आशा न थी क्योंकि अमीर या तो प्रार्थना को अस्वीकार कर देता या वह इसे 'बड़ी अनिच्छा के साथ" स्वीकार करता और इन दोनों ही स्थितियों में यह उपाय व्यर्थ होता और इससे बड़ा नुकसान पहुँचता। इसलिए, उसकी सिफारिश यह थी कि "अमीर के ऊपर तत्काल कोई दबाव न डाला जाए या हम इस विषय को लेकर कोई विशेष व्यग्रता प्रकट न करें पर जैसे ही उसकी किसी कार्यवाही या अन्य परिस्थितियों के फलस्वरूप कोई अनुकूल अवसर आए, वैसे ही उसकी मनोवृत्ति का पता लगाया जाए और उसे बता दिया जाए कि प्रस्तावित व्यवस्था से अफगानिस्तान का क्या-क्या लाभ होंगे'। इस तरह का एक अवसर समूचे तुर्कमान प्रदेश पर रूस की सत्ता स्थापित होने के बाद आ सकता था। उस समय हम अमीर को इस तरह के कुछ अतिरिक्त तथा अधिक विशिष्ट आश्वासन दे सकते हैं कि बाहर के हमलों से अफगानिस्तान की रक्षा में उसकी मदद करने तथा उसके साथ संधि-सूत्र में बंधने के लिए हम तैयार हैं और इसके बदले में हम हेरात में ब्रिटिश फौजें रखने के लिए शायद उसकी सहमति पा सकते हैं।[2]

भारत सरकार के इस बहुत युक्तिपूर्ण और सघन विरोध का भारत-मंत्री ने जो प्रत्युत्तर दिया, उसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था और परोक्ष आक्षेपों की भरमार थी। उसने अपने इस प्रत्युत्तर में यह भी बताया कि क्या-क्या कार्यवाही करने से अमीर को ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं के आगे झुकने के लिए बाध्य किया जा सकता है। प्रत्युत्तर में कहा गया था कि 'रूस के हाल के विस्तार के फलस्वरूप उसकी कुछ सीमान्त चौकियाँ ऐसे स्थानों पर स्थापित हो गई हैं जो प्राय अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हैं और कुछ चौकियाँ उन मार्गों में पड़ती हैं जो बड़ी आसानी से अफगानिस्तान के सीमान्त तक पहुँचते हैं और जिन पर रसद लाने-ले जाने का भी अच्छा प्रबंध है।" इस स्थिति के कारण अफगानिस्तान में ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति का प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारत-मंत्री ने रूस की समीपता से पैदा होने वाले खतरों की ओर संकेत किया और कहा कि वह निम्नलिखित रूपों में व्यक्त हो सकता है—अमीर के ऊपर रूस की प्रभुता स्थापित हो सकती है जिसके फलस्वरूप अमीर अँग्रेजों के हितों

1 भारत-मंत्री के पास भेजा गया प्रेषण, 7 जून, 1875
2 भारत-मंत्री के पास भेजा गया प्रेषण, 7 जून, 1875

से मुंह फेर सकता है और रूसियो को यह छूट मिल सकती है कि वे किसी भी समय अमीर के देश मे घुस आएँ, रूस अफगानिस्तान मे आतरिक अव्यवस्था पैदा करने और अमीर के सरदारो की स्वामिभक्ति मे खलल डाल कर सल्तनत के ऊपर अमीर का नियत्रण शिथिल कर सकता है, और अगर इन दोनो मे कोई विकल्प सफल न हो, तो वह अपने और अफगानिस्तान के सीमात-सैनिको की मुठभेड के बाद इस तरह का बहाना ढूंढ सकता है कि अमीर से दड के रूप मे उसके देश के कुछ हिस्से की माँग करे। लॉर्ड सेलिसबरी अमीर की निष्ठा के बारे मे भी भारत सरकार के विचार से सहमत नही हुआ। उसे दूसरे और तीसरे विकल्पो के बारे म कोई सदेह नही था और उसने लिखा था, अगर हम यह भी मान ले कि अमीर अनिश्चित काल तक हमारे प्रति निष्ठावान् बना रहेगा तब भी अफगानिस्तान मे दूसरे देशो के षड्यत्र की गुजाइश बनी रहती है और यह दोनो के लिए ही समान रूप से खतरनाक है—अमीर की शक्ति के लिए भी और ग्रेट ब्रिटेन के हितो के लिए भी। कुछ समय पहले सैम्पा मे जो सैनिक कार्यवाही हुई थी, भारत मत्री ने उसे गलत ढग से पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान मे ब्रिटिश अफसर की मौजूदगी से रूस का का प्रबल प्रभाव बिल्कुल समाप्त न भी हुआ तो काफी कम अवश्य हो जाएगा। लार्ड सेलिसबरी ने लॉर्ड नार्थब्रुक की इस युक्ति को स्वीकार नही किया कि सर्व का आधिपत्य इस विषय मे पहल करने के लिए अनुकूल अवसर होगा, और उसने आग्रहपूर्वक कहा, तब वह समय हाथ से निकल चुका होगा कि हम अमीर से कोई निवेदन करे और उसका उपयोगी परिणाम सामने आए। अफगानिस्तान पर आपकी सरकार का पहले से ही कम असर है इस प्रयोजन के लिए तो वह काफी हद तक लुप्त ही हो जाएगा। तब अमीर अधिक शक्तिशाली की कृपा चाहेगा। लॉर्ड सेलिसबरी को यह विचार बिल्कुल नही रुचा कि अमीर की अस्वीकृति से मान-हानि होगी। उल्टे उसका विचार यह था कि इससे अफगानस्तान मे अँग्रेजो के क्षीण प्रभाव का पता चल जाएगा और अमीर के विरोधपूर्ण इरादो की कलई खुल जाएगी। इसलिए लॉर्ड सेलिसबरी ने सुझाया कि शुरू मे तो अस्थायी दूतावास की स्थापना हो और बाद मे स्थायी दूतावास की।[1]

1875 के अत मे स्थिति यह थी कि साम्राज्ञी की सरकार अफगानिस्तान मे ब्रिटिश रेजीडेंटो या एजेटो की नियुक्ति के बारे म वर्तमान नीति को पलटने के लिए तैयार हो गई थी और उसने यह नीति-परिवर्तन अमीर की हार्दिक स्वीकृति के बिना ही किया था। अब उसने इस बात पर जोर देना आरभ कर दिया था कि अफगानिस्तान मे ब्रिटिश मिशन का स्वागत किया जाए। ब्रिटिश सरकार पर एक ओर तो मध्य एशिया मे रूसी नीति का प्रभाव पडा था और दूसरी ओर निकट पूर्व की गतिविधियो का। इसके साथ ही उस पर उन कुछ अवकाश प्राप्त अँग्रेज अधिकारियो के उभरते हुए मत का भी प्रभाव पडा था जो भारत मे सेवा करने के बाद इंगलैंड जाकर बस जाते थे। भारत सरकार अमीर की सक्रिय सहमति के बिना इस रास्ते पर चलने के विरुद्ध थी और उसने बताया था कि इस कार्य-वाही के क्या परिणाम होगे। भारत-मत्री ने भारत सरकार के तर्कों की बडे रूखेपन से उपेक्षा कर दी थी और नई नीति स्वीकार करने का मुख्य रूप स इस आधार पर आग्रह किया था कि अमीर 1869 मे ब्रिटिश अफसरो का अपने देश मे रखने के लिए तैयार

1 सेलिसबरी का प्रेषण, 19 नवबर, 1875 अफगान पत्राचार, पृ 147-49

हो गया था और अगर अफगानिस्तान के सीमान्त पर ब्रिटिश एजेंट रहने लगेंगे, तो इससे अमीर को अनेक लाभ होंगे क्योंकि ये एजेंट सीमान्त पर के प्रदेशों की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों की ब्रिटिश सरकार को उचित समय पर सूचना देते रहेंगे। लार्ड नार्थब्रुक यह जानता था कि अमीर इस कार्यवाही का दृढ़ विरोधी है और उसने यह भी समझ लिया था कि अगर इस प्रस्ताव के साथ कुछ ऐसी शर्तें प्रस्तुत न की गई जिनसे अमीर को पर्याप्त लाभ हो, तो इसका भीषण परिणाम होगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने पूरा जोर देकर कहा था कि "जिन लोगों को ऐसे साधनों से सम्पन्न समझा जा सकता है कि वे अमीर की भावनाओं के बारे में सही निर्णय कर सकें, उन सभी लोगों की यह राय है कि अमीर अफगानिस्तान में ब्रिटिश अफसरों को रेजीडेंटों के रूप में स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और अपनी इस अनिच्छा के बावजूद वह निष्ठापूर्वक ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है"। उसने इसे "एक भयंकर भूल" और "शान्ति तथा मेल-मिलाप की उस नीति का उल्लंघन बताया जिसके अनुसार अब तक हमारे अफगानिस्तान के साथ संबंध संचालित होते रहे हैं"। भारत मंत्री ने जिस प्रक्रिया का आदेश दिया था, उस पर भी वायसराय ने आपत्ति की और यह विचार प्रस्तुत किया कि अमीर को मिशन के वास्तविक प्रयोजन के बारे में "स्पष्ट और पूर्ण रूप से" सूचित कर देना चाहिए और "मिशन अफगानिस्तान तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच जिन घनिष्ठतर संबंधों की स्थापना का प्रयत्न करेगा, अमीर को प्रेमपूर्वक उन संबंधों के सूत्र में बँधने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए"। उसने चेतावनी दी कि "जब तक हम प्रस्तावित मिशन के उद्देश्यों के बारे में अमीर को पहले से ही पूरी तरह और स्पष्ट रूप से नहीं समझा देंगे, तब तक वह शायद उसका स्वागत न करेगा।"[1] अस्तु, वायसराय के मन में लॉर्ड सैलिसबरी द्वारा प्रस्तावित यह तरकीब उपयोगी न थी कि कोई छोटा-मोटा बहाना लेकर एक अस्थायी मिशन अफगानिस्तान भेजा जाए और वह वहाँ हेरात में ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति के बारे में विचार विमर्श करे। वायसराय ने विकल्प के रूप में "अमीर को यह सूचना देने की तरकीब सुझाई कि मध्य एशिया के घटना-चक्र की स्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान के संबंधों को वर्तमान काल की अपेक्षा अधिक निश्चित आधार पर प्रतिष्ठित किया जाए, कि अब तक हम जिस नीति पर चलते रहे हैं और जिस पर भविष्य में भी चलते रहेंगे, उस नीति से हटने का हमारा कोई विचार नहीं है फिर भी हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के सीमान्त और उसके आगे के घटना-चक्र की पूरी जानकारी पाने के लिए आवश्यक प्रबंध के बारे में और साफ-साफ समझौता हो जाए जिससे ब्रिटिश सरकार समय पर मैत्रीपूर्ण प्रभाव के द्वारा अफगानिस्तान की अखण्डता के लिए पैदा होने वाले ऐसे किसी भी खतरे का निवारण कर सके, और यह कि इस प्रयोजन के लिए महामान्य के साथ व्यक्तिगत भेंट आवश्यक है"। इस भेंट का रूप या तो यह हो सकता था कि अमीर पेशावर में वायसराय से मिले या यह कि अमीर अपने देश में एक मिशन का स्वागत करे। इन विकल्पों का सुझाव इसलिए दिया गया था कि "अमीर का विश्वास प्राप्त किया जा सके और जिस बात से उसे सबसे अधिक घृणा थी, उसके लिए उसके साथ धोखे की कोई चाल न चली जाए।"[2]

---

1 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 28 जनवरी, 1876 पैरा 7

2 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 26 जनवरी 1876 अफगान पत्राचार, पृ 149-155

इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह जानना चाहा कि "अगर अमीर ने यह प्रस्ताव मान लिया कि हेरात और कंधार में ब्रिटिश एजेंटों को रखा जा सकता है" तो संभवत अमीर के लिए जो दो प्रश्न उठाना स्वाभाविक होगा, उनके बारे में साम्राज्ञी की सरकार की क्या नीति होगी। ये प्रश्न होंगे एक—क्या साम्राज्ञी की सरकार अफगानिस्तान सरकार को बिनाशर्त्त यह पक्का आश्वासन देने के लिए तैयार है कि वह किसी भी बाहरी आक्रमण से उसके प्रदेशों की रक्षा करेगी। दो– अगर अमीर हेरात की सुदृढ़ता और अपनी सेना के सुधार के लिए, मदद की प्रार्थना करे, तो उसकी माँगें कहाँ तक पूरी की जाएँगी?' वायसराय ने कहा कि 1873 में अमीर "बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के पूर्ण और बिना-शर्त्त वायदे" से कम कोई भी बात मानने को तैयार न था। पर अमीर को ऐसी कोई बिना शर्त्त गारंटी देने का अधिकार भारत सरकार को न तो तब दिया गया था, और न 1876 के आरंभ में ही। किंतु, 'ब्रिटिश सरकार को ऐसे किसी दायित्व से बाँधने पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक को गंभीर आपत्तियाँ थीं। वायसराय ने कहा कि अफगानिस्तान की रक्षा करने के लिए अमीर सहायता के रूप में एक बड़ी धनराशि चाहेगा, पर, उसे लगा कि जिस उद्देश्य के लिए यह रक्षा व्यवस्था की जा रही थी वह उद्देश्य अभी तक अस्पष्ट था। इस स्थिति में अफगानिस्तान की शक्ति बढ़ाने के लिए इतनी धन-राशि खर्च करना "राजनीति के प्रतिकूल' था। अंत में लार्ड सेलिसबरी ने रूस के जिस खतरे की ओर संकेत किया था, वायसराय ने उसकी चर्चा की और कहा कि अब तक तो अमीर को इस आश्वासन पर बहलाया जाता रहा है कि इंग्लैंड और रूस के करार से आक्रमण का सारा भय दूर हो गया है और सीमाओं के निर्धारण से 'खतरे की आशंका' समाप्त हो गई है, पर अगर अब इस स्थिति से हटा गया, तो अमीर का विश्वास बुरी तरह से डोल जाएगा और उसके मन में रूसी करार के बारे में संदेह जाग उठेगा। लार्ड नॉर्थब्रुक ने इस बात पर जोर दिया कि शायद अमीर इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होगा और उसने विस्तार से बताया कि अगर बिना अमीर की इच्छा के उसके ऊपर ब्रिटिश रेजीडेंटों का आरोप किया गया, तो इसके क्या बुरे परिणाम निकलेंगे।[1] यह उसका आखिरी विरोध था क्योंकि इसके तुरंत बाद उसने अपना पद ही छोड़ दिया और उस नीति को कार्यान्वित नहीं किया जिसे वह अपने देश के लिए हानिकर समझता था।

अगर अब तक के घटना प्रवाह की समीक्षा की जाए तो कहना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश एजेंटों के न होने से कोई हानि नहीं हुई थी, बल्कि इससे अमीर का विश्वास प्राप्त करने और उसके साथ मैत्री-पूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद ही मिली थी। भारत सरकार ने अमीर को सहायता के जो वचन दिए थे, अमीर उनकी अस्पष्टता से संतुष्ट न था और वह बाहर के आक्रमण तथा अंदर की अव्यवस्था से अपनी रक्षा करने के लिए और पक्का करार चाहता था, पर इस तरह का कोई पक्का करार करना भारत सरकार के बस में न था। अमीर अपने राज्य में ब्रिटिश रेजीडेंटों की नियुक्ति के बिल्कुल विरुद्ध था और इसमें संदेह है कि द्रव्य-लाभ तथा अन्य रियायतों से उसका संदेह दूर हो जाता और वह कोई ऐसी कार्यवाही स्वीकार कर लेता जिसे वह अपनी प्रभुता के लिए घातक समझता था। हेरात और कंधार में एजेंट रखने के अधिकार हथियाने की

1 भारत मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 26 जनवरी, 1876

लार्ड सेलिसबरी की इच्छा के पीछे कोई ऐसी आवश्यकता न थी जिसकी गंभीरता अमीर की समझ में आ जाती, बल्कि वह तो ऐसे पूर्व-निश्चित विचारों का परिणाम थी जो परिस्थितियों के अनुकूल न थे और जिनके कारण ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी तथा सचाई में संदेह पैदा हो सकता था। लार्ड नार्थब्रुक मान्य नीति के इस घोर उल्लंघन के ही विरुद्ध न था, वह उस कार्य-पद्धति के भी विरुद्ध था जो छलपूर्ण थी और साथ ही झूठी भी। अगर लार्ड सेलिसबरी फूंक-फूंक कर एक-एक कदम उठाने के लिए तैयार होता, अगर इस दिशा में उसका हर कदम अफगानिस्तान के सिर पर मंडराने वाले रूसी खतरे के स्पष्ट मूल्यांकन पर आधारित होता, और अगर वह अफगानिस्तान में रेजीडेंट रखने की मांग प्रस्तुत करते समय अमीर को पर्याप्त सहायता भी देता और साथ ही अमीर के साथ इस तरह की संधि भी करता जिसमें अमीर को एक निर्धारित सहायता देने का आश्वासन रहता, तो भारत-अफगान संबंधों में किसी तरह का संकट पैदा हुए बिना उसका उद्देश्य सिद्ध हो सकता था। पर, इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में जो जल्दबाजी की जा रही थी और लार्ड नार्थब्रुक के उत्तराधिकारी ने जिस कठोरता से यह नीति लागू की, और उसके साथ ही इस संबंध में जिस दुराग्रह का परिचय दिया, उससे कुछ ऐसा विचार बनने में मदद मिली थी कि अफगानिस्तान की आजादी पर प्रहार करने का कुचक्र रचा जा रहा था। फलतः, अमीर के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करना मुश्किल हो गया। अब हम संक्षेप में उन प्रयत्नों की चर्चा करेंगे जो ब्रिटिश और भारतीय सरकारों ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किए।

लार्ड नार्थब्रुक का उत्तराधिकारी लार्ड लिटन हुआ जिसे इंगलैंड से रवाना होने से पहले कुछ निश्चित हिदायतें दी गई थीं। इस प्रकार वह एक नीति-विशेष का पालन करने के लिए बाध्य होकर आया था और इस नीति के प्रति अपने उत्साह के कारण उसने उसे बड़ी तत्परता से कार्यान्वित किया।[1] चूंकि भावी घटना-क्रम की दृष्टि से इस दस्तावेज का बड़ा महत्त्व था, अतः नई सरकार जिस नीति को कार्यान्वित करने के लिए तैयार थी, उसका परिचय देने के लिए हम इन हिदायतों को विस्तार से उद्धृत करेंगे। भारत मंत्री ने सबसे पहले इस बात की चर्चा की कि भारत में ब्रिटिश शक्ति की स्थिरता का इस बात से घनिष्ठ संबंध है कि उसके 'सीमान्त-पार के राज्यों' के साथ कैसे संबंध हैं। इस समय ये संबंध संतोषजनक नहीं हैं। उसने लिखा था, अफगानिस्तान में अंग्रेजों का प्रभाव घटता जा रहा है और संदिग्ध होता जा रहा है जो अंग्रेजों के हितों के लिए संभाव्य खतरा है। लार्ड लिटन की यह स्थापना पूरी तरह सच नहीं थी। उसने कलात में इस प्रभाव के 'खेदजनक अवरोध' का विस्तार से विवेचन किया और कहा कि इसके फलस्वरूप सिंध नदी के पार रहने वाले कबीलों पर ब्रिटिश सरकार का शिकंजा ढीला पड़ सकता है। इसके बाद स्थिति में सुधार के उन उपायों का उल्लेख किया गया जिन्हें पहले ही भारत सरकार के "विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका था" और जिनमें से एक तो सिंध-सीमा के प्रशासन में प्रयोजन की एकता और आचरण की संगति का उन्नयन करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था से संबंधित था और दूसरा काबुल में एक

---

1 28 फरवरी, 1876 के पत्र में दिए गए अनुदेश, अफगान पत्राचार, 1878, पृ 156-159

अस्थायी मिशन भेजने के प्रस्ताव से। मिशन को इस तरह की हिदायतें देकर काबुल भेजना था जिससे वह अफगानिस्तान में अस्थायी एजेंसियों की स्थापना के संबंध में अमीर की प्रकट अनिच्छा पर विजय पा सके और महामात्य को यह विश्वास दिला सके कि उसने भारत सरकार के सम्मुख अक्सर जिन संदेहों को व्यक्त किया है, भारत सरकार उनके प्रति बेरुखी से उदासीन नहीं है, कि अगर बाहर से उस पर मनमुच और अकारण हमला किया गया तो वह प्रदेशों की रक्षा करने के लिए उसे ठोस सहायता देने को तैयार है, परन्तु जब तक उसे अमीर के राज्य के उन भागों में एजेंट रखने की अवसरानुकूल और निर्बाध अनुमति न दी जाए, जहाँ से वह घटना-क्रम पर सबसे अच्छी निगरानी रख सके, तब तक यह न तो इस तरह का संकट टाल सकती है और न उससे जूझने की व्यवस्था कर सकती है"। भारत सरकार एक लंबे अरसे से अमीर को यह आश्वासन देती रही थी कि उसे अमीर की सुरक्षा की गहरी चिंता है और वह अमीर को समयोचित सहायता देने से भी कभी नहीं कतराई थी। पर, भारत सरकार ने यह सब अमीर के देश में अपने एजेंट रखने की सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त के बिना ही किया था। इसलिए, जहाँ तक सामान्य अस्पष्टता का प्रश्न है, वहाँ तक इस दस्तावेज में दी गई रियायतें भारत पहले के उन प्रेमपूर्ण आश्वासनों से भिन्न न थीं जिन्हें भारत सरकार ने किन्हीं बड़ी शर्तों, सीमाओं और प्रतिबंधों के बिना ही दिया था। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप तो भारत और अफगानिस्तान की मैत्री का समूचा भ्रम ही भंग हो गया।

इसके बाद भारत-मंत्री ने इस प्रश्न पर विचार किया कि वह मिशन किस बहाने से भेजा जाए। इस संबंध में उसका मत था कि जब लॉर्ड लिटन वायसराय का पद धारण करे और इंगलैंड की महारानी साम्राज्ञी की उपाधि, तभी इस तरह के मिशन को भेजने का एक बहाना होगा। उसने नए वायसराय को यह भी सलाह दी कि ब्रिटिश दूत किस रास्ते से जाए। यहाँ उद्देश्य यह था कि दूत कलात और अफगानिस्तान दोनों देशों में जा सके और अमीर के प्रदेशों के पश्चिमी भागों को और वहाँ के लोगों को ठीक से देख सके। परवर्ती घटना-क्रम के संबंध में यह उद्देश्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। इसके बाद भारत-मंत्री ने दूत की यात्रा के प्रयोजन का स्पष्टीकरण किया और वह यह था "आपके दूत का मुख्य प्रयोजन अमीर से यह अनुरोध करना होगा कि वह भारत सरकार पर विश्वास रखे। आपकी सरकार का चरम लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस विश्वास को प्राप्त किया जाए। पर, अगर अमीर से यह अनुरोध किया गया कि वह भारत सरकार पर विश्वास रखे, तो इसका अर्थ अमीर को यह अधिकार देना होगा कि वह उन आशाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे जिन्हें पूरा करना असंभव हो और उन संदेहों की भी स्पष्ट रूप से चर्चा करे जिनकी पुष्टि करना खतरनाक हो। पर, ये आशाएँ और संदेह उचित हों या अनुचित, साम्राज्ञी की सरकार के मतानुसार उन्हें छिपाने से ज्यादा अच्छा है उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देना।" लगता है कि अमीर ने तो पहले भी अपनी आशाएँ और संदेह व्यक्त करने में किसी तरह का संकोच नहीं किया था। पर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें स्वीकार करना या अमीर की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी नीति ढालना उचित नहीं समझा था। अब हम यह जाँच सकते हैं कि लॉर्ड सैलिसबरी को किस तरह से अमीर का विश्वास प्राप्त करने की आशा थी।

भारत मंत्री ने सबसे पहले यह बात दुहराई कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश नीति का सदा से ही यह लक्ष्य रहा है कि वह वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को सत्तारूढ़ रखे जो सबल होने के साथ-साथ हमारा मित्र भी हो और मध्य एशिया में ब्रिटिश भारत के उत्तरी सीमान्त की तरफ रूसी साम्राज्य का अभी हाल में तेजी से जो विस्तार हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ही इस लक्ष्य की सिद्धि के बारे में विचार करना चाहिए। उसका निष्कर्ष था कि इस नई स्थिति का एक प्राच्य सरकार की ढुलमुल मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है—इस संबंध में साम्राज्ञी की सरकार का दृष्टिकोण पूर्ण उदासीनता का नहीं रह सकता। इस सरदार के प्रदेशों का ठीक से निर्धारण नहीं हुआ है और उन पर निरन्तर दो बड़े सैनिक साम्राज्यों का दबाव बढ़ता जा रहा है जिनमें से एक तो मैत्रीपूर्ण विरोध करता है और निष्क्रिय रहता है तथा दूसरा क्षमा-याचना करता है और निरन्तर आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद उसने इस प्रश्न पर विचार किया कि आंग्ल-भारतीय क्षेत्रों में रूस का जो डर छाया हुआ है उसका अमीर शेर अली के मन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और लिखा कि इस विषय पर समाचार-पत्रों में जो कुछ लिखा गया है अगर अमीर इसे अंग्रेजी सरकार के मन की अभिव्यक्ति मान ले तो उसके मन में शीघ्र काल में ऐसे विचार जरूर जमा हो रहे होंगे जो अंग्रेजों की शक्ति में उसके विश्वास के प्रतिकूल हों। भारत मंत्री ने आगे चलकर कहा सरकारी क्षेत्रों में जिस स्थिति को लेकर इतनी बेचैनी से विचार हो रहा है अगर उस स्थिति में इस शक्ति की निष्क्रियता के संबंध में अमीर की यह धारणा हो कि इसका कारण या तो रूस की सैनिक शक्ति का डर है या यह कि ब्रिटिश सरकार की रूस के साथ मिली भगत है और वह दोनों ही राजनीतिक षड्यंत्र रचना चाहते हैं तो इसमें दोनों ही स्थितियों में अफगानिस्तान में हमारा प्रभाव क्षीण होगा—भले ही अमीर का यह निष्कर्ष गलत हो। इस निष्कर्ष की सचाई से पूरी तरह संतुष्ट होना कठिन है क्योंकि यह अमीर के उद्देश्यों के संबंध में काल्पनिक शंकाओं और संदेहों के कारण पैदा हुआ था और इसे तोड़ मरोड़ कर एक तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिससे कि अमीर से वह बात मनवाई जा सके जिसे मनवाना ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया था। इसके बाद भारत मंत्री ने ब्रिटिश सरकार की उन घोषणाओं का जिक्र किया जो उसने अफगानिस्तान में अपनी नीति के बारे में रूस को सुना कर की थीं और इस बात का विशेष रूप से खंडन किया कि रूस अफगानिस्तान में अपने दूत भेजने का दावा करता है। अमीर ने अपनी सल्तनत में ब्रिटिश एजेंट रखने की माँग अस्वीकार करते समय यह तर्क प्रस्तुत किया था।

इसके बाद हिदायतों में बताया गया था कि दूत का अमीर के प्रति कैसा व्यवहार होगा और कहा गया था जो मांग स्वीकार करने का आपका कोई इरादा न हो आपको एजेंट उसे स्पष्टता और दृढ़ता से अस्वीकार कर देगा। आप उसे हिदायत दे दें कि वह उन मांगों को बहस का विषय न बनने दे। जिन दूसरी मांगों को आप कुछ विशेष परिस्थितियों में मानने के लिए तैयार हों उन्हें वह आपकी सरकार के पास विचारार्थ भेजने का वचन देगा और साथ में इस तरह के अनुकूल आश्वासन देगा जिससे अमीर को यह समझने की प्रेरणा मिले कि अगर उसने आपकी इच्छा की पूर्ति की तो इससे उसे अपनी इच्छा-पूर्ति में सुविधा होगी। अगर अमीर की बातों तथा आचरण से यह लगे कि इस तरह आरंभ की गई बातचीत का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकलेगा

ता महामान्य को यह स्पष्ट रूप से याद दिला दिया जाए कि वे अपने आपको उस मित्रता तथा सरक्षण से अलग कर रहे हैं जिसके लिए प्रयत्न करना और जिसे पाना उनके अपने हित मे है और इस तरह अपने लिए खतरा मोल ले रहे है। मिशन का सामान्य प्रयोजन क्या होगा, दूत किस रास्ते से जाएगा, वह इसी एजेंटो का जिक्र आन पर क्या रवैया अपनाएगा, अगर अमीर अँग्रेजो की माँगो के आगे झुकने के लिए तैयार न हो, तो उसे क्या धमकी दी जाएगी—इन सब बातो के बारे मे हिदायते देने के बाद भारत-मत्री ने यह प्रश्न उठाया कि अँग्रेजो की माँग स्वीकार कर लेने पर, बदले मे अमीर क्या माँग कर सकता है और उसे किस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। अमीर तीन ही माँगे पेश कर सकता था। एक— 'उपदान की नियत और पहले से अधिक राशि, ' दो—"अमीर ने अपने छोटे पुत्र अब्दुल्ला जान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जिस उत्तराधिकार-क्रम की स्थापना की हैं, भारत सरकार उसे स्पष्ट मान्यता दे जो अब तक दी गई मान्यता से अधिक निश्चित हो । और अत मे, विदेशी आक्रमण होने पर ठोस सहायता का स्पष्ट वचन, वह चाहे सधि के अधीन दिया जाए या किसी और तरह से"। साम्राज्ञी की सरकार ने इन तीनों माँगो के सबध म अपनी नीति प्रस्तुत की और वह मूलत अब तक की नीति से भिन्न न थी।

निश्चित उपदान की पहली माँग के सबध मे कहा गया था कि शायद भारत सरकार 'कोई स्थायी आर्थिक दायित्व उठाने के लिए वचनबद्ध होना उचित न समझे', पर ऐसी आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है जिनमें समय समय पर अधिक अनुदानो की जरूरत पडे, इसलिए आर्थिक सहायता किन अवसरो पर दी जाए और कितनी दी जाए, इस विषय मे स-परिषद गवर्नर जनरल अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतत्र होगा। दूसरी माँग के सबध मे जो नीति सुझाई गई थी, वह बुद्धिमत्तापूर्ण थी। भारत-मत्री ने पहले तो लॉर्ड मेयो की 1869 की इस घोषणा का हवाला दिया कि अगर अमीर के प्रतियोगियो ने अमीर की सत्ता मे या उसके द्वारा स्थापित उत्तराधिकार-क्रम मे खलल डालने का प्रयत्न किया, तो साम्राज्ञी की सरकार को इस तरह के सारे प्रयत्नो पर अप्रसन्नता होगी, और इसके बाद उसने "अस्पष्ट सूत्र की विरोधी व्याख्याओ" की चर्चा की जिनसे दोनो पक्षो को निराशा होती थी। आगे चलकर भारत-मत्री ने अपनी नीति का निम्नलिखित शब्दो मे निरूपण किया 'साम्राज्ञी की सरकार की यह इच्छा नही है कि वह अफगानिस्तान के आतरिक मामलो मे अनावश्यक हस्तक्षेप से अलग रहने की अपनी परपरागत नीति त्यागे परतु उसके मत से विदेशी राज्य के सिंहासन पर वस्तुत (de facto) आरूढ सरकार द्वारा स्थापित उत्तराधिकार-क्रम की वस्तुत व्यवस्था को स्पष्ट रूप से मान्यता देने से न तो उस राज्य के मामलो मे हस्तक्षेप होता है और न उसकी आवश्यकता ही है"। इस सबध मे उसने यह भी इच्छा व्यक्त की कि वायसराय अमीर तथा अब्दुर्रहमान खाँ के बीच मेल मिलाप कराने का प्रयत्न करे जिससे फलस्वरूप अमीर शेर अली द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार-क्रम मे और अधिक दृढता आ जाएगी।

तीसरी माँग यानी बाहरी हमला होने पर अमीर को ठोस सहायता देने के निश्चित आश्वासनो के सबध मे अब जिस नीति का निरूपण किया गया था, वह भी न तो पहले से किसी तरह कम अस्पष्ट थी और न पूर्ववर्ती घोषणाओ से भिन्न ही थी। लॉर्ड सेलिस-

वर्ग ने कहा कि चूंकि ब्रिटिश सरकार अपने ही हित में अमीर के प्रदेश पर होने वाले आक्रमण को पीछे धकेलने में उसकी मदद को आएगी और चूंकि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अमीर शेर अली के दूत को जो वैयक्तिक आश्वासन दिए हैं उनसे अमीर सन्तुष्ट नहीं हुआ है, अत साम्राज्ञी की सरकार ऐसी किसी अधिक निश्चित घोषणा के संबंध में स्वीकृति देने और उसका समर्थन करने के लिए तैयार है जिसके फलस्वरूप, आपके मन में, साम्राज्ञी की सरकार की अपरिवर्तित नीति से वे सारे लाभ प्राप्त होने लगें जो उसकी सचाई में प्रत्यक्ष संदेह के कारण अब तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। पर, अमीर को ठोस सहायता देने की जिम्मेदारी का पालन किस प्रकार की परिस्थितियों में किया जाए, इसके निर्णय की पूरी आजादी साम्राज्ञी की सरकार की होगी और यह साफ समझ लिया जाना चाहिए कि इस तरह की जिम्मेदारी अकारण आक्रमण की साफ-साफ स्थिति में ही पैदा होगी"। पर, इसके लिए अमीर को भी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी और वह यह होगी कि "साम्राज्ञी की सरकार गैरनियामी कार्यवाही के लिए जो भी उचित सुविधा आवश्यक समझे, अमीर उसे दे। इस गैरनियामी कार्यवाही का यह मतलब नहीं होगा कि अफगानिस्तान के किसी भाग में ब्रिटिश फौजें तैनात की जाएँ, न ही साम्राज्ञी की सरकार की लेशमात्र भी यह इच्छा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर ब्रिटिश सिपाही रहें, पर उसके एजेंटों को अफगानिस्तान के सीमावर्ती ठिकानों तक बेरोक-टोक जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इन एजेंटों को इस तरह की समुचित सुविधा भी मिलनी चाहिए कि प्रस्तावित घोषणा में जो विषय समान हित के बनाए जाएँ, उन पर वे अमीर से गुप्त रूप से विचार-विमर्श कर सकें। उन्हें यह आशा करने का भी अधिकार होना चाहिए कि वे जो मैत्रीपूर्ण सलाह दें, उस पर उचित ध्यान दिया जाएगा। और अमीर को यह बात समझा दी जानी चाहिए कि देश की स्थिति और जन-संख्या के स्वरूप के लिए मुनासिब गुंजाइश देते हुए, जिन प्रदेशों की रक्षा-व्यवस्था अंतत ब्रिटिश शक्ति पर निर्भर हो, उनके द्वार साम्राज्ञी के ऐसे अफसरों और प्रजा के लिए बंद नहीं होने चाहिएँ जो वहाँ जाने के लिए उचित रूप में अधिकृत किए गए हों। इस बात के लिए भी अमीर की सहमति प्राप्त करनी थी कि महामान्य के साथ रहस्यमय संबंध बनाए रखने की दृष्टि से काबुल तक तार की लाइन बिछा दी जाए और वायसराय के दरबार में स्थायी रूप से एक अफगान दूत रहे। "साम्राज्ञी की सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप इन सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए अधिक निश्चित समर्थन तथा संरक्षण के लिए शेर अली की कोई भी विवेकोचित माँग पूरी करें—जैसे कि उसे आर्थिक सहायता दें, उसके सैनिक संगठन में सुधार करने के लिए ब्रिटिश अफसरों की सलाह सुलभ करें या विदेशी शक्ति के वास्तविक और अकारण आक्रमण के विरुद्ध उसे पर्याप्त सहायता का वचन दें जो अस्पष्ट न हो, पर पूरी तरह संयत और स्पष्ट रूप में मर्यादित हो"। भारत सरकार को अधिकार दिया गया कि वह इस अर्थ में अमीर को स्पष्ट वचन दे सकती है, और ऊपर निर्दिष्ट आधार पर की जाने वाली संधि से क्या लाभ होंगे, इस संबंध में विचार करने के लिए वायसराय के विवेक पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था"। अंत में, वायसराय को सलाह दी गई कि वह इस संभावना की भी एकदम उपेक्षा न करे कि 'ब्रिटिश सरकार की शक्ति और ईमानदारी में अमीर के विश्वास की नींव सदा के लिए हिल सकती है' और अगर प्रस्तावित बातचीत के फलस्वरूप इन संदेहों की पुष्टि हो, तो "अफगानिस्तान

के प्रति अपनी नीति पर नई दृष्टि से विचार करने में जरा भी समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए"।[1]

इन हिदायतों में ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन विचार निहित थे और यह कहना करना कठिन होगा कि "इनका मध्य एशियाई प्रश्न के साथ घनिष्ठ संबंध न था" या इन पर निकट-पूर्व के घटना-प्रवाह का प्रभाव न पड़ा था। आर्गील के ड्यूक ने इस संबंध में ठीक ही कहा है, "अफगानिस्तान के प्रश्नों का विवेचन और विश्लेषण पूरी तरह मर्व की स्थिति के संदर्भ में किया गया था"।[2] इन हिदायतों का उद्देश्य यह था कि अफगानिस्तान की स्थिति का सामना किया जाए और जो सुदूरव्यापी रियायतें देने से अमीर सदा मुंह मोड़ता रहा था, उन्हें पाने के लिए उसे संतुष्ट कर उसका विश्वास प्राप्त किया जाए। परंतु इस प्रलेख की विषय-वस्तु का हमने ऊपर जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उससे, आर्गील के शब्दों में, यह स्पष्ट है कि "इन प्रस्तावों के अनेक अर्थ लगाए जा सकते थे और पूर्वकालीन प्रस्तावों की तरह इनमें भी धोखा देने की प्रबल प्रवृत्ति थी"।[3] अमीर को सहायता का जो वचन अब दिया जाना था, उसका पहले के वचनों से न तो सारतः कोई भेद था, न क्षेत्र की दृष्टि से। वह भी पुरानी सीमाओं, परंतुकों और श्लेषों से मज्जित था। समझ में नहीं आता कि इन सुझावों के बल पर अपनी रियासत में ब्रिटिश एजेंटों को रखने की अनुमति देकर अमीर आंग्ल-अफगान मैत्री का आधार ही नष्ट करने के लिए किस तरह तैयार हो सकता था। फिर भी, ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी और इसी के लिए उसने प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप एक संकट पैदा हुआ जो एकदम अहितकर और अनावश्यक था।

अब हम इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि लॉर्ड लिटन ने अपना काम पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न किए और उसे किस ढंग से पूरा किया। आर्गील के ड्यूक ने ठीक ही कहा है कि सहायता के ये प्रस्ताव चाहे कितने अस्पष्ट होते, पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक चाहता तो "मित्रता की भावना से पूरी तरह खुले तौर पर सब कुछ समझा सकता था और इस प्रक्रिया में यह आवश्यक न होता कि संधियों के उल्लंघन और वचनों के भंग होने से जो अन्याय हुआ है, उसे संकटों और धमकियों के अधिक बड़े अन्याय द्वारा और भी तीव्र रूप दिया जाए।"[4] फिर भी, यही अंतिम उपाय उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड लिटन ने ग्रहण किया जिसे इस मार्ग पर चलने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी। उसने इसी मार्ग पर चल कर अमीर पर ब्रिटेन की शक्ति का आतंक जमाने का प्रयत्न किया लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि अमीर को ब्रिटेन की सदयशीलता और सद्भाव पर अविश्वास करने का सर्वोत्तम आधार मिल गया। नए वायसराय को जो हिदायतें दी गई थीं, उनके अंतर्गत "अमीर की स्वतंत्रता पैरों तले कुचल दी गई थी और उसके मन में अमीर के प्रति इस तरह के भाव भर दिए गए थे जिनसे उसके व्यवहार में अवि-

---

1. गवर्नर जनरल के नाम पत्र, 28 फरवरी, 1876
2. आर्गील, II, पृ 405.
3. आर्गील, II, पृ 392.
4. वही, पृ 393

त्याग और अवज्ञा का भाव ही प्रकट होता।"[1] लॉर्ड लिटन के व्यवहार के फलस्वरूप शान्तिपूर्ण विचार-विनिमय असंभव हो गया और इसके कई कारण थे : एक एशियाई शासक के साथ जो शालीनता की मूर्ति था, उनका अभद्र और असंयत व्यवहार, दूसरे पक्ष की भावनाओं की ओर ध्यान न देकर केवल अपने लक्ष्य के प्रति दुराग्रह और उसकी धमकियाँ, गलतफहमियाँ तथा अविश्वास। इसलिए, कोई आश्चर्य नहीं कि यह संकट समाप्त होने के बजाए और गहरा होता गया तथा नए वायसराय ने मध्य एशिया में रूस की समस्या का समाधान करने के अपने अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए अमीर को शत्रु बनाने और उससे युद्ध करने का बहाना खोज निकाला।

लार्ड लिटन ने भारत आते ही अमीर से तुरत अनुरोध किया कि वह अस्थायी दूत के रूप में सर लेविस पेली का स्वागत करे। इस अस्थायी मिशन का उद्देश्य प्रकटतः यह बताया गया था कि वह स्वयं उपस्थित होकर अमीर को खरीता" देगा जिसमें लॉर्ड लिटन के वायसराय-पद ग्रहण करने और इंगलैंड की महारानी के साम्राज्ञी की उपाधि धारण करने की सूचना होगी। अमीर को यह भी सूचना दी गई कि "दूत महामान्य के साथ दोनों सरकारों के समान हित की बातों पर विचार-विनिमय कर सकेगा।"[2] इस पत्र को लेकर अमीर के दरबार में स्वभावतः गहरा सोच-विचार और गंभीर विचार-विनिमय हुआ। अमीर अपनी सल्तनत में फिरंगी दूत का स्वागत करने के विरुद्ध था और इसके लिए कतई तैयार न था। यही निरंतर उसकी नीति की प्रवृत्ति रही थी और यही भारत-स्थित ब्रिटिश शासकों के वायदों के अनुरूप भी थी। अमीर ने अपने उत्तर में पहले की उस राजनीतिक वार्ता की चर्चा की जो शिमला में हुई थी और कहा कि यदि इस समय भारत सरकार की यह इच्छा हो कि वह अफगानिस्तान को शक्तिशाली बनाने और लाभ पहुँचाने के लिए कुछ नई बातचीत करना चाहती है, तो उसका संकेत दे दिया जाए जिससे इस मित्र का एक विश्वस्त अभिकर्ता वहाँ पहुँच जाए और उसे अंग्रेजी सरकार के उदार हृदय में छिपी हुई बातों का पता चल जाए और वह उनका भेद दैवी सिंहासन के प्रार्थी के आगे खोल दे ताकि गहन तथा यथार्थ अनुसंधान के बाद जो बातें सामने आएँ, उन्हें प्रेम के साथ लिपिबद्ध किया जा सके।'[3] इसी समय काबुल-स्थित भारतीय एजेंट ने अपनी सरकार को अमीर तथा उसके दरबार की प्रतिक्रिया से सूचित किया और विस्तार से यह भी बताया कि अमीर शेर अली इस प्रस्ताव का किन कारणों से स्वागत न कर सका था। लगता है कि काबुल सरकार को लोगों की धर्मांधता और अमीर के प्रति कुछ वर्गों की शत्रुता के कारण ब्रिटिश एजेंट की सुरक्षा का डर था। अमीर के शत्रु 'सिर्फ इस ख्याल से दूत पर वार करेंगे कि अन्ततः उसकी चोट अमीर के विशेष परिवार पर पड़ेगी'। यह कोई बहाना भी न था क्योंकि जिस देश में आजादी को इतनी कीमती चीज माना जाता था, उसमें लोगों की धर्मांधता को बड़ी आसानी से उभारा जा सकता था। काबुल सरकार को यह भी डर था कि अगर ये असुविधाजनक माँगें न मानी

---

1 वही।

2 कमिश्नर, पेशावर का काबुल के अमीर के नाम संवाद, 5 मई, 1876, अफगान पत्राचार, पृ 174

3 अमीर का पेशावर के कमिश्नर के नाम संवाद, 22 मई, 1876

गई, तो "दोनों सरकारों का मैत्री-सूत्र टूट सकता है" और उसे इस स्थिति की कल्पना पर ही आशंका होती थी। इस संबंध में उसने पहले के इस करार की बुद्धिमत्ता को सराहा कि कोई भी ब्रिटिश अफसर अफगानिस्तान में पैर नहीं रखेगा और कहा कि प्रस्तावित यात्रा उचित न थी। उसने एक अन्य युक्ति यह पेश की कि अगर ब्रिटिश एजेंट अफगानिस्तान आया, तो रूस भी अफगानिस्तान में अपने एजेंट भेजने की माँग कर सकता है और यह स्पष्ट है कि अमीर तथा उसकी प्रजा को इस माँग से बहुत घृणा थी। इसलिए, अमीर ने वैकल्पिक सुझाव पेश किया कि वह अपना दूत भारत सरकार के पास यह जानने के लिए भेज दे कि वह अमीर को क्या सूचना देना चाहती है।[1]

लॉर्ड लिटन की सरकार ने अमीर के इस उत्तर को, जिसमें उसने 'प्रस्तावित मिशन अस्वीकार कर दिया था,' गलत रूप में पेश किया और कहा "लगता है शिमला सम्मेलन में अमीर और ब्रिटिश सरकार के संबंध अमीर की मर्जी के अनुसार तय हो गए थे, और अब वह इन संबंधों में किसी तरह की फेर-बदल करना नहीं चाहता"। भारत सरकार ने तीन कारणों से अमीर के दूत भेजने के सुझाव का अनुमोदन नहीं किया। एक—भारत सरकार यह नहीं चाहती थी कि शिमला-सम्मेलन के उस प्रयोग की पुनरावृत्ति हो जो "हमारे लिए बहुत अधिक असंतोषजनक रहा है"। दो—इसी दूत के बहाने का यह अर्थ था कि 'अमीर की ओर से इंगलैंड और रूस की सरकारों में जो समझौता हुआ है, अमीर उसकी जान-बूझ कर और उपेक्षा कर रहा है और यह महत्त्वपूर्ण बात है'। अंतिम बात यह थी कि "यह अमीर और हमारे दोनों के हित में है कि हम उस उत्तर को निरपेक्ष रूप से अंतिम न मान लें, जो लगता है, कि पर्याप्त सोच-विचार के बिना ही लिखा गया है। यदि हम महामान्य के उत्तर के आधार पर तुरंत कार्यवाही आरंभ कर दें, तो महामान्य की स्थिति अत्यंत विषम हो जाएगी और शायद महामान्य ने यह उत्तर देते समय उस स्थिति की विषमता को ठीक से नहीं समझा है।'[2] इसलिए, लिटन ने निश्चय किया कि वह अपना निवेदन दुहराए और अमीर को उसकी अस्वीकृति के परिणामों पर विचार करने की प्रेरणा दे। ब्रिटिश सरकार ने अमीर के ऊपर अपना दूत थोपने का जो आग्रह किया था, उसमें उसका क्या प्रयोजन और क्या दृष्टिकोण था, इसकी झलक उसकी इस धमकी और खीझ से मिल जाती है कि अगर अमीर ने उसकी बात नहीं मानी तो वह "उसे एक ऐसा शासक समझेगी जिसने स्वेच्छा से यह मान लिया है कि वह ब्रिटिश सरकार की मैत्री-संधि और सहायता से निरपेक्ष रह कर अपने वैयक्तिक हितों की रक्षा कर सकता है।'[3] इस स्थिति में भारत सरकार ने अमीर से संबंध में कहा कि, "वह अब तक हमसे अनुग्रह प्राप्त करता रहा है और यह स्वीकार भी करता है। पर इन अनुग्रहों के बदले में उसने अभी तक किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाई है। हम यह तुरंत जानना चाहते हैं कि उसका वास्तव में हमारे प्रति कैसा रुख है और जरूरत के समय हम उसके ऊपर कहाँ तक निर्भर रह सकते हैं।'[4] पेशावर के कमिश्नर ने 8 जुलाई 1876 को अमीर को

1 काबुल-स्थित एजेंट का पेशावर के कमिश्नर के नाम संवाद, 22 मई, 1876, अफगान पत्राचार, पृ 175
2 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877 पैरा।
3 वही।
4 वही।

उसे क्या हानि लाभ होगा। एजेंट ने मिशन का स्वागत न करने के बारे में पहले जो कारण गिनाए थे, कमिश्नर ने उन्हें अनुचित और दुःशंकाओं या दुष्टतापूर्ण गलतबयानियों से उत्पन्न बताया और पत्र की भाषा कुछ इस तरह की रखी कि अमीर मिशन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए जिसे पूरी तरह से उसके लाभ के लिए ही भेजा जा रहा था। कहा गया कि अमीर की स्थिति और उसकी आवश्यकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान हुए कुछ समय बीत चुका था और एक ऐसा मौका हाथ आ रहा था जब कि वह वर्तमान परिस्थितियों में अफगानिस्तान के हितों के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकता है और अगर महामान्य ने जानबूझ कर इस हाथ आए अवसर को निकल जाने दिया तो उनके ऊपर एक गंभीर जिम्मेदारी आ पड़ेगी। अमीर को वायसराय के इस इरादे की सूचना दे दी गई कि जब तक अमीर अपने आप को ब्रिटिश सरकार का निष्ठावान मित्र और मित्र राष्ट्र (ally) सिद्ध करता रहेगा तब तक वायसराय अफगानिस्तान के हितों को ब्रिटिश सरकार के हितों से अभिन्न मानेगा। अमीर के राज्य और राजवंश की रक्षा के लिए पहले की तरह ही सहायता दी जाती रहेगी लेकिन जो परिस्थितियां मित्र राज्यों के साधारण संपर्क की परिस्थितियों के प्रतिकूल हों उनमें महामान्य की सरकार के साथ हितों की यह समानता बनाए रखना या उनके राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना ब्रिटिश सरकार के लिए असंभव था। अमीर से अनुरोध किया गया कि वह सभी बातों पर गौर करें और उनके गंभीर परिणाम सोच-समझ लें और अगर तब उसे लगे कि जिन मामलों का उसके हितों से घनिष्ठ संबंध है उनके बारे में वह परम श्रेष्ठ के विचारों तथा रुख को जान ले तो पहले दूत अमीर से मिलेगा और इसके बाद वायसराय तथा अमीर की एक-दूसरे से पेशावर में भेंट हो सकती है। अमीर का यह वैकल्पिक प्रस्ताव कि उसका दूत वायसराय से भेंट कर ले यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि वह ब्रिटिश सरकार के गौरव के प्रतिकूल और अन्यथा भी पूर्ण रूप से अनुपयुक्त है। अंत में यह धमकी दी गई थी कि इस समय अमीर के गंभीर विचार के लिए जो बातें पेश की जा रही हैं अगर अमीर ने अब भी उन सब पर पूरी तरह विचार करने के बाद वायसराय के दूत का स्वागत करना अस्वीकार किया, तो इसके परिणाम की जिम्मेदारी पूरी तरह अफगानिस्तान सरकार पर होगी और वह इस तरह से अपने को उस शक्ति की मैत्री-संधि से अलग कर लेगी जो उसकी सबसे अधिक मदद करना चाहती है और जिसमें इसकी सबसे अधिक शक्ति है।[1]

इस पत्र में यह धमकी और चेतावनी दी गई थी कि अगर अमीर ब्रिटिश दूत का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो इसके फलस्वरूप ब्रिटेन और अफगानिस्तान की सरकारों के मैत्रीपूर्ण संबंध समाप्त हो जाएंगे और अमीर के शासन को मजबूत करने तथा बाहरी हमले से उसके देश की रक्षा करने के लिए दी जाने वाली असंदिग्ध सहायता के साथ यह शर्त जुड़ी हुई थी कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश एजेंट रहें। अमीर अपने अधिकारों की सीमा के भीतर था और ब्रिटिश मिशन चाहे जितना अच्छा हो अपने

---

1 एजेंट को भेजा गया पत्र 8 जनवरी 1876, अफगान पत्राचार, पृ० 176-7

राज्य में उसका स्वागत न करने के संबंध में उसके दृष्टिकोण का आधार लॉर्ड लॉरेंस, मेयो और नॉर्थब्रुक के पहले के वचन थे। उसका वैकल्पिक प्रस्ताव पूर्वकालीन प्रथा के अनुरूप था और उसके संबंध में यह कहने की कोई गुंजाइश न थी कि उसके मूल में शत्रुतापूर्ण इरादे या भावनाएँ हैं। ब्रिटिश सरकार ने अमीर को सहायता के कोई निश्चित और स्पष्ट आश्वासन नहीं दिए थे, न उसने अमीर के संदेहों, आशाओं तथा आकांक्षाओं को ही निभ्रान्त रूप में स्वीकार किया था। इस स्थिति में उससे यह आशा करना अनुचित था कि वह अपने एक महत्वपूर्ण अधिकार से हाथ धो बैठेगा और वायसराय की अन्यायपूर्ण और अनुचित माँग के आगे झुक जाएगा। पर, वायसराय शायद अपने पूर्वाग्रह के कारण असुविधाजनक प्रस्ताव पर ज़ोर देने का संकल्प किए बैठा था और यह भी कि अगर अमीर उसे अस्वीकार कर दे तो वह अमीर को अपना विरोधी शत्रु माने और उसे अँग्रेज़ों की मैत्री के क्षेत्र से बाहर समझे। वायसराय वास्तव में क्या चाहता था, इसके बारे में अनुमान करना कठिन है। अगर उसकी इच्छा अफ़गानिस्तान को मज़बूत करने की और उस राज्य को, भारत की दिशा में रूसी हमले को रोकने के लिए परकोटे के रूप में काम आने वाले मित्र और संरक्षित राज्यों के क्षेत्र में रखने की थी, तो उसकी नीति और पद्धति दोनों ही ऐसी थीं जिनमें विवेक का अभाव था और जो भारत के हितों के प्रतिकूल थीं। पर, अगर उसकी इच्छा यह थी कि अफ़गानिस्तान को अपनी इच्छा के आगे झुका कर अपना अधीन राज्य बना लिया जाए, और मध्य एशिया की स्थिति से अनुचित लाभ उठा कर अमीर को अपनी उंगली पर नचाया जाए, तो युद्ध की भेरी बजाने का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं हो सकता था। स्पष्ट है 1876 के बीच तक लॉर्ड लिटन ने साम्राज्ञी की सरकार के आदेशों के अधीन यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह या तो अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश एजेंट रखेगा या उस राज्य के घुटने तोड़ देगा और उसे एक ऐसा शासन-राज्य बना लेगा जिसकी सीमाएँ भारत की सीमाओं से अभिन्न होंगी। ऑक्सस तक आगे बढ़ कर आधे रास्ते में रूस का मुकाबला करने की इस 'आगे बढ़ो नीति' का पूरा विकास हुआ और लार्ड लिटन ने परिणामों की ओर ध्यान दिए बिना ही पूरी ज़िद के साथ इसका पालन करने के लिए अपनी कमर कस ली। उसकी इस नीति के फलस्वरूप काबुल में शंका-संदेह के बादल घिर आए, स्थिति बिगड़ती गई और युद्ध के नगाड़े पास से ही सुनाई पड़ने लगे।

ब्रिटिश सरकार ने तो अमीर को फँसाने के लिए यह जाल बिछा दिया था, पर अमीर ने उससे बच निकलने की अपनी इच्छा तथा उत्साह दोनों का ही परिचय दिया। उसने पर्याप्त सोच-विचार के उपरान्त दोनों सरकारों के बीच सद्भावना तथा मैत्री का पथ प्रशस्त करने के लिए 3 सितंबर, 1876 को दो वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए। अमीर ने जहाँ अपने इस पूर्ववर्ती सुझाव की बुद्धिमत्ता पर ज़ोर दिया कि उसका दूत वायसराय से भेंट कर, वहाँ अब उसने यह सुझाव दिया कि या तो ब्रिटिश सरकार का दूत और उसका प्रतिनिधि "अपनी-अपनी सरकारों की इच्छाएँ और विचार एक-दूसरे को समझाने के लिए" सीमान्त पर मिलें या अगर वायसराय इस उपाय का अनुमोदन न करे, तो वह भारतीय एजेंट को अपने पास बुला ले ताकि वह "सारी स्थिति समझा सके और ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं तथा योजनाओं को पूरी तरह समझ कर मेरे पास वापस आ सके और वे सारी बातें मुझे व्यक्तिगत रूप से समझा सके। इसके बाद मुझे यह निर्णय करने में ज़्यादा

आसानी होगी कि मेरे लिए अपने देश के हित मे कौन-सा मार्ग ग्रहण करना श्रेयस्कर है" ।[1]

वायसराय ने दूसरा उपाय स्वीकार किया और उसने नवाब अता मुहम्मद खाँ को शिमला बुलाया। नवाब अता मुहम्मद खाँ ने वायसराय से 7 और 10 अक्तूबर, 1876 को भेट की।[2] यह बातचीत महत्त्वपूर्ण है क्योकि इससे पता चलता है कि अँग्रेजो के वास्तव मे क्या इरादे थे और लार्ड लिटन अमीर के देश मे ब्रिटिश एजेंट रखने के लिए उसकी स्वीकृति पाने के हेतु उसे किस सीमा तक रियायतें देने को प्रस्तुत था। इसमे कोई सदेह नही कि वायसराय की इच्छा युद्ध करने की थी और वह घमड मे चूर था और जब तक अमीर अपने देश मे ब्रिटिश एजेंट रखने की माग स्वीकार न करता, तब तक वह ब्रिटिश सरकार से सहायता या मित्रता की आशा भी न कर सकता था। लार्ड लिटन का इस समय जैसा मिजाज था, उसमे समझौते या शातिपूर्ण निर्णय की सभावनाएँ बिल्कुल न थी। कारण यह था कि निकट-पूर्व की बिगडती हुई स्थिति के कारण वह अफगानिस्तान पर प्रबल नियन्त्रण स्थापित करने के लिए प्रवृत्त हो रहा था, और इसी मे युद्ध के बीज निहित थे।

नवाब अता मुहम्मद से यह बात साफ करवा ली गई कि अमीर की कथित विरक्ति और झुझलाहट के अनेक कारण थे "सीस्तान विवाचन का अन्यायपूर्ण और हानिकर पचाट, कलात मे—जो भावनात्मक रूप मे अफगानिस्तान का भाग समझा जाता था—अँग्रेजो की कार्यवाहियाँ, 1869 मे यह जो वचन दिया गया था कि अमीर की सत्ता हिलाने के सारे प्रयत्न अप्रसन्नता की दृष्टि से देखे जाएँगे, उसके विरुद्ध याकूब खाँ के मामले मे हस्तक्षेप,अमीर की सहमति या जानकारी के बिना ही वाखान के इब्राहीम खाँ को दी गई भेंटे, नूर मुहम्मद शाह की शिमला-यात्रा के परिणामो और उसके साथ किए गए व्यवहार पर असतोष, हाल के पत्रो मे अमीर के सलाहकारो का उल्लेख, यह भावना कि अफगानिस्तान के प्रति अँग्रेजो की नीति अफगानिस्तान के हिताहित की चिंता किए बिना उनके अपने स्वार्थों से प्रेरित थी," और अत मे, ब्रिटिश सरकार की किसी मैत्री-सधि मे बँधने की अस्वीकृति जिससे यह विचार उत्पन्न होता था कि "हम यह तो चाहते है कि अफगानिस्तान मे हमारे राजनीतिक एजेंट रहे और अमीर हमारी सलाह के अनुसार ही अपनी नीति सचालित करे, पर हम स्वय उसके सबध मे किसी भावी कार्यक्रम से बँधने के लिए तैयार नही है" ।[3] इसीलिए, अमीर "हमारी इच्छाओ से बँधने के लिए तैयार नही था और उसने हमारा प्रस्तावित उपदान अस्वीकार कर दिया था। वह ऐसी चीज चाहता था जो द्रव्य से अधिक मूल्यवान् हो"।[4] एजेंट ने यह भी बताया कि अमीर किन कारणो से

---

1 अमीर का पेशावर के कमिश्नर के नाम सवाद, 3 सितबर, 1876, अफगान पत्राचार, 1878, पृ 179

2 अता मुहम्मद खाँ और वायसराय की बातचीत के ज्ञापन के लिए देखिए, अफगान पत्राचार, 1878, पृ 182-5

3 7 अक्तूबर, 1876 को शिमला मे नवाब अता मुहम्मद खाँ के साथ हुई बातचीत का साराश, पृ 181, अफगान पत्राचार।

4 वही।

अस्थायी मिशन का स्वागत करने में कतराता रहा है। इनमें से पहला कारण यह था कि अमीर का विचार था कि जहाँ तक उसके अपने हितों का संबंध है, इस मिशन का कोई फल नहीं निकलेगा। दूसरे, जनता के उत्तेजित हो जाने और दूत के प्राण संकट में पड़ जाने का डर था। तीसरे, डर था कि कहीं यह मिशन 'स्थायी मिशन का रूप धारण न कर ले और यह दूत दूसरे राज्यों के दरबारों में स्थित हमारे राजनीतिक एजेंटों की तरह असंतुष्ट अफगान प्रजा के लिए निर्णायक न बन जाए, कि कुछ भी स्थिति हो, स्थायी मिशन की उपस्थिति से महामान्य को अपने आन्तरिक प्रशासन में परेशानी होगी, इससे देशभक्तों के पक्ष का क्षोभ होगा और असंतुष्ट लोगों की आशाएँ बढ़ेंगी'।[1] एजेंट ने पहले का यह तर्क दुहराया कि रूस भी अपने दूत भेजने की इसी तरह की सुविधा चाहता है और उसने यह भी समझाया कि अमीर को रूस पर विश्वास नहीं है तथा उसे रूस से हमले का डर है। उसने यह भी चर्चा की कि रूसी एजेंट अफगानिस्तान आए थे और उनमें से दो उस समय काबुल में थे, पर इसके साथ ही उसने यह स्पष्ट कर दिया कि "इन लोगों का कोई महत्व नहीं और अक्सर उन्हें अमीर से भेंट करने का सम्मान नहीं मिल पाता।"[2] यहाँ यह कह दिया जाए कि रूस का कोई नागरिक अब तक अफगानिस्तान के भीतर नहीं गया था और सारे एजेंट या तो बुखारा के या मध्य एशियाई क्षेत्रों के निवासी थे। नवाब अता मुहम्मद ने यह भी स्वीकार किया कि "तेहरान और काबुल के दरबारों के बीच किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है, कि अमीर रूस से आए हुए एजेंटों को परेशानी का कारण समझता है, और यह कि सीमान्त पर शान्ति है तथा देश में अमन-चैन है।"[3] कहते हैं कि एजेंट ने कैप्टेन ग्रे से यह भी निवेदन किया था कि अगर अमीर को एक बार भी यह विश्वास हो गया कि हमारी नीयत साफ है, तो वह सहर्ष हमारी शर्तें स्वीकार करने लगेगा, पर हमें अपने पत्रों में अपने विचार स्पष्टता और निश्चिन्तता से व्यक्त करने चाहिए क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं, अफगानों को उसमें द्वि-अर्थकता का संदेह होने लगता है। सहायता का निश्चित आश्वासन मिलने पर तथा सीमान्त पर ब्रिटिश दूत और नूर मुहम्मद शाह की प्रारंभिक बैठक होने के बाद अन्य विषयों को सुलझाया जा सकता था। आगे चल कर जब एजेंट से यह पूछा गया कि अमीर की संभाव्य माँगें क्या होंगी, तब उसने कहा कि वह खुद कोई माँग पेश नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करना व्यर्थ होगा पर वह यह जानने की प्रतीक्षा करेगा कि हम क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अमीर और उसके लोगों के मन में जो विशेष बातें जमी हुई थीं, वे वही थीं जिनकी उन्होंने शिमला-सम्मेलन के समय इच्छा की थी और जो निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की गई थीं.

एक—अफगानिस्तान में, कम से कम काबुल में, कोई अंग्रेज नहीं रहना चाहिए।

दो—ब्रिटिश सरकार को मुहम्मद याकूब या अफगान तख्त के अन्य किसी झूठे दावेदार से (वह चाहे वास्तविक हो या संभाव्य) अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ लेना चाहिए और उसे इस बात से सहमत हो जाना चाहिए कि वह अमीर के घोषित उत्तराधिकारी को ही मान्यता और सहायता देगी।

---

1 बातचीत का सारांश, अफगान पत्राचार, पृ 18।
2. वहीं।
3 वहीं।

"तीन—बाहरी हमले की हर स्थिति में मांग होने पर हमें सेना तथा द्रव्य से अमीर की सहायता करनी चाहिए। अगर वह आंतरिक उपद्रव के समय हमारी सहायता चाहे, तब भी हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।

'चार—हमें उपदान के संबंध में कोई स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए।

पाँच—ब्रिटिश सरकार को अफ़ग़ानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से दूर रहना चाहिए।

"छह—जब कभी कोई समझौता हो, उसमें निम्नलिखित शब्द अवश्य जोड़ देने चाहिए — ब्रिटिश सरकार अमीर के मित्रों को अपना मित्र और उसके शत्रुओं को अपना शत्रु समझती है और अमीर भी ब्रिटिश सरकार के मित्रों को अपना मित्र और उसके शत्रुओं को अपना शत्रु समझता है ।

'सात—हम अमीर को जिस ढंग से संबोधित करते हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहिए और अमीर को अधिक सम्मानपूर्ण उपाधियों से संबोधित करना चाहिए। वह अपने को फारस के शाह के एकदम बराबर समझता है।[1]

एजेंट के साथ प्रारंभिक भेंट का विस्तार से वर्णन करना इसलिए आवश्यक हुआ कि इससे हमें अमीर की भावनाओं और आशाओं का तथा अँग्रेजों के प्रति उसके दृष्टिकोण का स्पष्ट संकेत मिल जाता है और इसी की पृष्ठभूमि में हम लॉर्ड लिटन की उस नीति को परख सकेंगे जिसका उसने नवाब अता मुहम्मद के साथ बातचीत में निरूपण किया था ताकि उसकी सूचना अमीर के पास तक पहुँचाई जा सके। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अमीर को अपने आंतरिक मामलों में अँग्रेजों का हस्तक्षेप पसंद न था और उसे इस बात से भी असंतोष था कि उसने दोनों सरकारों के ऊपर समान रूप से बंधनकारी जिस सप-क्षीय करार की पहले कोशिश की थी, और जिसके सहारे उसे बाहरी आक्रमण और आंतरिक उपद्रवों से अपने देश की रक्षा का भरोसा हो सकता था, उसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। वह अँग्रेजों की सहायता पाने के लिए उत्सुक था और उसकी यह इच्छा न थी कि वह मैत्री के लिए अन्य किसी देश का मुंह तके क्योंकि उसके मन में फारस के प्रति घृणा थी और रूस के प्रति भय और अविश्वास। पर, इसके साथ ही जब ब्रिटिश सरकार ने उसके राज्य में अपने एजेंट रखने का आग्रह किया, तब उसे दाल में कुछ काला दिखाई देने लगा क्योंकि वह भारत के देशी रजवाड़ों का अनुभव दुहरा कर अपनी आजादी खतरे में डालने के लिए तैयार न था। अब तक न तो इस बात का ही कोई प्रमाण मिल पाया था कि अमीर के रूस के साथ कोई गोपनीय या घनिष्ठ संबंध है, और न ऐसी कोई बात सामने आई थी जिससे अँग्रेजों की मैत्री के प्रति अमीर की निष्ठा में किसी तरह का संदेह होता। अमीर जिस एक चीज से सबसे ज्यादा डरता था, वह यह थी कि कहीं उसे अपने राज्य में ब्रिटिश दूत स्वीकार न करने पड़ें, पर यही वह चीज थी जिसके पीछे लार्ड लिटन और उसकी सरकार हाथ धोकर पड़ गई थी। अमीर की माँगें भारत सरकार को

---

1 बातचीत का सारांश, वही।

नीति के प्रतिकूल न थी। तथापि, दोनो सरकारो के बीच मुख्य भेद इन मांगो की स्वीकृति के ढंग से था। ब्रिटिश सरकार तो करार को अधिक से अधिक अस्पष्ट रखना चाहती थी, पर अमीर उसे यथार्थ, निश्चित और दोनो सरकारो के ऊपर समान रूप से बंधनकारी बनाना चाहता था। अमीर के पास इतनी शक्ति न थी कि वह अपने बल-बूते पर विदेशी हमलों तथा आतरिक उपद्रवों के प्रति आश्वस्त हो सकता। वह अपनी सुरक्षा का महल बालू की नींव पर खड़ा नहीं कर सकता था। फिर भी ब्रिटिश सरकार जिस ग्रेनाइट के सब्ज बाग अमीर को हमेशा दिखाया करती थी, वह उसे देने के लिए तैयार न हुई।

इस बात की परीक्षा करना रोचक होगा कि लॉर्ड लिटन की क्या प्रतिक्रिया हुई और अमीर के संदेहों को दूर करने तथा उसमें विश्वास जगाने के लिए वह उसे किन विचारों और भावनाओं से अवगत करना चाहता था ताकि वह अपनी स्वतंत्रता के एक महत्त्व-पूर्ण साधन से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाए। वायसराय के स्वर मे धमकी थी और उसने इस बात पर जोर दिया कि अमीर असहाय तथा दुर्बल है और उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है और उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब वह शिमला स्थित स्वामी की इच्छा के आगे बिना शर्त घुटने टेक दे। उसे "अमीर की वर्तमान स्थिति पर बहुत तरस आता था," इसलिए और भी अधिक कि "अमीर जिस खतरे की ओर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, उसकी गंभीरता और निकटता को वह पूरी तरह नहीं समझता था" और वह यह भी नहीं समझता था कि "अगर उसने अपने को ब्रिटिश सरकार के संरक्षण से अलग कर लिया या वह ब्रिटिश सरकार का विश्वास खो बैठा, तो उसके लिए अपने आपको स्वतंत्र बनाए रखना प्राय असभव हो जाएगा।"[1] यह नई भाषा थी और पहले के उन संबंधों की प्रवृत्ति के विरुद्ध थी जिनका आधार अमीर को सुरक्षा का आश्वासन देना और उसके बाहरी तथा भीतरी दोनों प्रकार के खतरों को कम से कम करके प्रस्तुत करना था। अफगानिस्तान के मध्यवर्ती राज्य होने के कारण अमीर के मन मे यह बात बिठा दी गई थी कि वह बाहर का हमला होने पर भारत से सदा सहायता की आशा कर सकता था और इसके बदले में उसे कुछ देने की जरूरत न थी। पर, अब लॉर्ड लिटन ने इस परितोष को नष्ट कर दिया और जोर देकर कहा कि इस सहायता की शर्त यह है कि अमीर अंग्रेजी सरकार का वफादार बना रहे क्योंकि "जैसे ही हमारा उसकी ईमानदारी मे संदेह हुआ या हमें उसकी मैत्री-संधि के व्यावहारिक लाभ मे शका हुई, वैसे ही हमारे हित उसके प्रतिकूल हो जाएँगे, और इसका परिणाम यह होगा कि जिन भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के खतरों से वह पहले ही घिरा हुआ है, वे खतरे और बढ़ जाएँगे।"[2] वायसराय केवल उन्हीं मांगों को सहायता देना चाहता है जो उस सहायता का स्वागत करें और अमीर शेर अली जिस सहायता को पाने के लिए उत्सुक न था, हो सकता है कि वह सहायता उसके प्रतिद्वंद्वी चाहें 'जिनकी चिंता मे वह तब तक मुक्त नहीं हो सकेगा जब तक कि उसे हमारी पक्की सहायता नहीं मिलती।"[3] बाहरी खतरे के संबध मे वायसराय ने बल-पूर्वक कहा, "अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करने मे हमारी दिलचस्पी यह है कि

---

1 बातचीत का शापन, 10 अक्तूबर, 1876
2 वही।
3 वही।

उससे हमारे सीमान्त की भी रक्षा हो सकेगी। जहाँ हमने समझा कि अफगानिस्तान हमारा पक्का और सहयोगी राज्य नहीं है, वहीं हम रूस के साथ समझौता करके अपने सीमांत की सुरक्षा का प्रबंध कर सकते है—इससे हमें कोई रोक नहीं सकता—और इसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान का नामो निशान तक नक्शे से मिट सकता है। अगर अमीर हमारे साथ समझौता नहीं करना चाहता, तो हम जरूर चाहता है और अमीर को नुकसान पहुँचा कर चाहता है।[1] ब्रिटिश सरकार ने रूस के साथ जो बातचीत की थी, उसकी मंशा के बारे में अमीर के मन में संदेह थे और वायसराय के इन शब्दों से उन संदेहों की पुष्टि हो जाती है। वायसराय ने यह भी कहा कि 'रूस के एक भी सिपाही के काबुल की धरती पर पैर रखने के काफी पहले ब्रिटिश सरकार अमीर की रक्षा या अपने निजी हितों की चौकसी के लिए बेशुमार सेना अफगानिस्तान भेज सकती है। अगर अमीर हमारा दोस्त रहा, तो यह सैनिक शक्ति उसकी रक्षा के लिए लोहे का घेरा बन सकती है, और अगर वह हमारा शत्रु बना, तो इससे उसे मिट्टी के घरौंदे की तरह नष्ट किया जा सकता है"। उसने अमीर को चेतावनी दी कि वह इंगलैंड और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने और दोनों से आज़ाद रहने की कोशिश न करे। उसकी स्थिति चक्की के दो पाटों के बीच गेहूँ के दाने की तरह है। इसलिए, अमीर को अंग्रेजों की सहायता पर निर्भर रहना होगा और उसे यह सहायता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि वह उनके एजेंटों को अफगानिस्तान के सीमांत पर रहने की अनुमति नहीं दे देता, क्योंकि "यह बात सोची भी नहीं जा सकती कि एक ओर हमें यह मौका ही न मिले कि हम अमीर को रूस के साथ लड़ाई मोल लेने से रोक सकें और दूसरी ओर हमसे यह निर्वाचा भरवाया जाए कि अफगान रूस युद्ध में अमीर की भाग्य-नौका को खेकर विजय के तट ले जाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर रहेगी'। लिटन ने सीमांत की निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया और अमीर से आग्रहपूर्वक कहा कि "अगर उसे ब्रिटिश सरकार से संबंध बनाए रखने है," तो वह 'हेरात में अंग्रेज अफसरों के रहने की व्यवस्था आदि स्वीकार कर ले" और "जरूरत पड़ने पर विशेष दूतों का स्वागत करने के लिए भी तैयार रहे।"[2]

धमकियों और शिकायतों के इस दौर के बाद अमीर को अनुग्रहों और पुरस्कारों के सब्ज बाग दिखाए गए पर यहाँ भी इतने प्रतिबंध थे कि उनका सारा आकर्षण जाता रहा था। लॉर्ड लिटन ने स्वीकार किया कि पूर्ववर्ती करार अस्पष्ट थे, पर अब उसने ऐसी व्यवस्था करने की आशा दिलाई जिसके फलस्वरूप 'काबुल के तख्त पर अब तक जो भी बादशाह बैठे हैं, अमीर उन सबसे शक्तिशाली बन जाएगा।'[3] अमीर को विश्वास दिलाया गया कि उसे इससे भी अधिक सम्मान मिलेगा पर यह सब तभी हो सकता था जब कि वह अपने देश में ब्रिटिश एजेंट रखने के लिए तैयार हो जाए। वायसराय ने इस समय जो रियायतें दी, वे अमीर की पूर्ववर्ती माँगों के अनुरूप ही थी—एक का शत्रु दूसरे का शत्रु और एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा, अब्दुल्ला जान को अमीर का उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा, अमीर को वार्षिक अनुदान मिलेगा, और अफगानि-

1 वही।
2 बातचीत का ज्ञापन, 10 अक्तूबर, 1876
3 बातचीत का ज्ञापन।

यहाँ यह जानना रोचक होगा कि भारतीय एजेंट द्वारा व्यक्त अमीर के दृष्टिकोण को और अमीर को दी जाने वाली शर्तों को भारत सरकार ने क्या रंग दिया। नवाब अता मुहम्मद खाँ द्वारा प्रस्तुत अमीर की शिकायतों के स्पष्टीकरण और रूसी एजेंटों की यात्रा को निम्नलिखित शब्दों में गलत रूप से पेश किया गया 'भारत सरकार ने अमीर के पूर्ववर्ती अभिवेदनों को जिस ढंग से ठुकरा दिया था, उससे अमीर रुष्ट हो गया था। उसने प्रतिरक्षात्मक मैत्री-संधि के लिए पहले बार-बार जो प्रार्थनाएँ की थी, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही, उसने अपने सबसे छोटे पुत्र अब्दुल्ला जान को अपना उत्तराधिकारी बना कर जिस उत्तराधिकार-क्रम की स्थापना की थी, उसे भी औपचारिक मान्यता नहीं दी गई थी। इन दोनों बातों से अमीर ने स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया था। अमीर को द्रव्य की बहुत जरूरत थी और वह उसे पाने के लिए जो तरकीबें कर रहा था, उससे उसकी प्रजा का बहुत असंतोष था। अमीर ब्रिटिश अफसरों का स्वागत करने के लिए जो बिल्कुल अनिच्छुक था, इसका कारण यह नहीं था कि उसे उनके प्राण संकट में पड़ने का डर था, इसका कारण तो शायद यह था कि वे बहुत लोकप्रिय होंगे और दलित तथा असंतुष्ट प्रजा की ओर से हस्तक्षेप कर सकेंगे। हमारे उपहारों से अमीर ने अपनी सेना को मजबूत बना लिया है और अब वह अपनी सैनिक शक्ति के प्रति आश्वस्त है और इसीलिए अब उसे रूस की शक्ति से पहले की तरह डर नहीं लगता। मध्य एशिया में जो रूसी अधिकारी है, उनके साथ अपने संबंध सुधारने का कोई अवसर अमीर ने अपने हाथ से नहीं जाने दिया है और उसकी इस गतिविधि के मूल में हमारी ही प्रेरणा सक्रिय रही है। अब विशेष एजेंटों के अनवरत श्रम के फल-स्वरूप उनके साथ उसका प्रायः राजनयिक संबंध स्थापित हो गया है। इन विशेष एजेंटों की अमीर से अकसर भेंट होती रहती है और इन भेंटों के विषय तथा परिणाम दोनों ही सफलतापूर्वक गोपनीय रखे जाते हैं। संक्षेप में, हमने अपने काबुल-स्थित एजेंट से धीरे-धीरे जो सूचना प्राप्त की है, उससे हमें विश्वास हो गया है कि अब तक शेर अली के साथ हमारे संबंध जिस व्यवस्था के अनुसार संचालित होते रहे हैं, उसके फलस्वरूप वह न केवल उस शक्ति से दूर ही हट गया है जो अब तक उसे बिना शर्त उपदान देती रही है और खुले आम उसकी रक्षा करती रही है बल्कि अब उसके उस एक-मात्र दूसरी शक्ति के साथ अधिक घनिष्ठ और गोपनीय संबंध स्थापित हो गए हैं जो भारत में हमारे साम्राज्य के लिए भविष्य में सदा ही भयंकर खतरा है। हालांकि ब्रिटिश अफसरों का स्वागत करने के लिए अमीर तैयार नहीं है लेकिन अगर हम आग्रह करें, तो शायद वह देश के भीतर अपनी वैयक्तिक स्थिति को मजबूत करने वाली शर्तों पर ब्रिटिश सरकार के साथ चिर-वांछित मैत्री के लाभों से हाथ धोने के बजाए, यह शर्त स्वीकार कर लेगा क्योंकि उसे सबसे बड़ी चिंता देश के भीतर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की रही है।"[1]

यहाँ यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह व्याख्या उस कहानी से कितनी भिन्न है जिसकी अभिव्यक्ति उन उपर्युक्त प्रलेखों से होती है जिनका हमने अभी विश्लेषण किया है। इसके अंतर्विरोध बिल्कुल साफ है। इस निदान के आधार पर भारत सरकार ने अपने

1 भारत मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877, पैरा 26-27, अफगान पत्राचार, पृ 167-68

रजेंट को अधिकार दिया कि वह अमीर से उस नरम और आवश्यक शर्त की व्याख्या कर दे जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार मैत्री-संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए और उसके युवराज को औपचारिक मान्यता देने के लिए तैयार थी। भारत सरकार की समझ में ये शर्तें ऐसी थीं जिन्हें हृदय से हमारी सक्रिय मैत्री का इच्छुक कोई भी पड़ोसी शासक बड़े प्रेम से स्वीकार करता और ऐसा करते समय उसे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता होती और उसके राष्ट्र का भला होता।[1] वायसराय की इस व्यक्ति प्रधान नीति और अमीर को डरा धमका कर इन असुविधाजनक शर्तों को मनवाने की कोशिश के फलस्वरूप सहज और शान्तिपूर्ण संबंधों का ज्यादा अरसे तक बने रहना मुश्किल हो गया। हालाँकि अमीर तेज मिजाज का आदमी था पर उसका अंग्रेजों के प्रति अमैत्री का रुख नरम रहा था और उसे अंग्रेजों की मैत्री और सद्भावना का ही पूरा पूरा आसरा था। लेकिन नई माँग के और जिस आग्रह के साथ उसे प्रस्तुत किया गया था उसके फलस्वरूप अमीर की भौंह जरूर टेढ़ी हुई होगी क्योंकि वह अपने देश की आजादी को गिरवी रखने के लिए और भारत के सामंती शासकों की श्रेणी में शामिल होने के लिए तैयार न था। आगे की घटनाओं ने इस अविश्वास की जड़ को और गहरा कर दिया और उस युद्ध को जन्म दिया जिसे अमीर बिल्कुल नहीं चाहता था। इस घटना क्रम में रूस के रवैये की कहाँ तक जिम्मेदारी थी इसका निर्णय करना तो कठिन है पर एक बात तय है कि इस अनावश्यक युद्ध के प्रत्यक्ष कारण दो ही थे—लार्ड लिटन के पूर्वाग्रह तथा अफगानिस्तान को अपनी वैज्ञानिक सीमान्त व्यवस्था में लाने की उनकी महत्वाकांक्षा।

नवाब अता मुहम्मद के प्रस्थान के बाद अमीर शेर अली के साथ संबंध विच्छेद की सारी तैयारी पूरी हो गई और हालाँकि अमीर ने शत्रुता का ज्वार रोकने की पूरी कोशिश की पर संघर्ष का स्वर तीव्रतर होता गया।

---

1 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रपत्र 10 मई 1877

अध्याय 11

तलवार का फैसला

हम ऊपर कह आए हैं कि अफगानिस्तान के प्रति जो कदम उठाने का विचार किया गया था, उसके मूल में यह खतरा था कि कहीं रूस मर्व तथा तुर्कमान प्रदेश के ऊपर हमला न कर दे। उस समय ये दोनों प्रदेश रूसी राज तथा अफगानिस्तान की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के बीच में पड़ते थे। जनरल लामाकिन ने टेक्के तुर्कमानों के विरुद्ध जो अभियान किया था, वह सीमित था फिर भी उसके फलस्वरूप आशंका पैदा हो गई थी। इसके अतिरिक्त यरकान प्रदेश में भी घटना चक्र तेजी से घूम रहा था और उसके कारण रूस तथा ब्रिटेन के साम्राज्यों में संघर्ष की संभावना प्रबल होती जा रही थी। रूस के प्रति तथा अफगानिस्तान, कलात, चितराल, यासीन, स्वात, दीर और काशगर जैसे पड़ोसी राज्यों के प्रति भारत सरकार की नीति पर प्रभाव डालने वाले महत्त्वपूर्ण तत्त्व दो ही थे—साम्राज्य के विस्तार की समूची प्रवृत्ति तथा यह अफवाह कि जार मर्व पर हमला करने के इरादे से ओक्सस के तट पर अपनी सेना एकत्रित कर रहा है। 12 अगस्त, 1876 के अपने एक निर्देश-पत्र में लॉर्ड लिटन ने स्थिति का विश्लेषण किया था और यह मत व्यक्त किया था कि यदि सम्राट् एलेक्जैंडर का स्वभाव शांतिप्रिय न होता तो "सैनिक परंपराओं से अनुप्राणित मध्य एशिया के ये सैनिक अधिकारी अनिवार्यतः परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ते धीरे-धीरे या जल्दी-जल्दी, पर बढ़ते जरूर, और वे ऐसी दिशाओं में बढ़ते कि देर-सबेर सीमांत राज्यों के साथ उनकी मुठभेड़ होती और अगर मुठभेड़ न भी होती तो वे उनके आमने-सामने हो सकते थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार, अब तक वैध रूप से रूसी प्रभाव क्षेत्र के बाहर कहती रही थी और जिन्हें रूसी सरकार ने भी वैसा ही माना है।"[1] उसने अपनी बात पर यह कह कर और जोर दिया कि रूसी अधिकारी "यह समझते हैं कि काबुल ब्रिटिश सरकार के द्वारों की पटतानी है, कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान पर सैनिक या राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो चाहे उनका भारत प्रायद्वीप पर नियंत्रण स्थापित न हो, पर उस पर प्रबल प्रभाव अवश्य स्थापित हो जाएगा और रूसियों को अफगानिस्तान पर सैनिक आधिपत्य के बजाए राजनीतिक आधिपत्य से कहीं अधिक लाभ होगा।"[2] किंतु उसका मत था कि निकट भविष्य में इस

---

1 एफ डी एस पी 1877, अगस्त, स 1020 के डब्ल्यू
2 मिनट, 12 अगस्त, 1876

बात की कोई सभावना ' नही है कि रूस भारत पर हमला करेगा, और जब तक यूरोप मे रूस और इंगलैंड के बीच शाति रहेगी, तब तक रूस भारत पर हमला नही करेगा पर अगर ब्रिटिश सरकार को यूरोप मे अपने हितो की रक्षा के लिए विवश होकर रूसी सरकार से लडाई मोल लेनी पडी, तो भारत पर हमला करना भी रूस की नीति का अग होगा । इस तरह की सभावना दूर न थी और लॉर्ड लिटन इस बात को अच्छी तरह जानता था। इसीलिए, उसे डर था कि रूसी अधिकारी "काबुल मे इंगलैंड का प्रभाव कम करने और रूस का प्रभाव बढाने के लिए हर सभव उपाय करेगे।'[1] इस सदर्भ मे उसने उस निर्दोष पत्र-व्यवहार पर आशका तथा अविश्वास प्रकट किया जो 1870 के बाद मे काफमन और अमीर शेर अली के बीच म होता रहा था। इस पत्र-व्यवहार के सबध मे भारत सरकार की स्पष्ट सहमति थी और दोनो सरकारो को इसकी जानकारी थी।

अब लॉर्ड लिटन भावी खतरे की इस जड को ही काट देना चाहता था और इसके लिए जहाँ एक ओर उसने अमीर के ऊपर साम-दाम-दड-भेद का जादू चलाना आरभ किया, वही दूसरी ओर सेंट पीटर्सबर्ग मे भी एक राजनीतिक चाल चलने की सोची जिससे कोफमन को अमीर के साथ सपर्क रखने से रोका जा सके। जिस पत्र मे कोफमन ने अमीर को कोहकद-अभियान की तथा अब्दुल्ला जान को मान्यता देने की सूचना दी थी, उस पर आपत्ति की गई और इस सबध मे लार्ड लिटन ने लिखा, "मुझे बडे खेमन से यह निष्कर्ष निकालना पड रहा है कि चूंकि हम पहले ही इस तरह का पत्र-व्यवहार सहन कर चुके है जिसम रूसी जनरल ने अफगानिस्तान के विदेशी हितो के बारे मे ही नही बल्कि उसके आतरिक मामलो के बारे मे भी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए थे और एक दृष्टि मे निश्चय ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जो उस समय भारत सरकार द्वारा अमीर के प्रति प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के विरुद्ध थी, अत अब हम जिन कार्यवाहियो को प्रिंस गोर्चाकाव के गभीर आश्वासनो का घोर उल्लघन समझते है उनके प्रति पर्याप्त प्रभावशाली ढंग से विरोध करना हमारे लिए कठिन हो गया है।'[2] इस तरह के विरोध-प्रदर्शन के सबध मे सर विलियम म्योर का दृष्टिकोण अधिक दृढ था और उसकी इच्छा थी कि "हमे रूस से तुरत ही यह अनुरोध करना चाहिए कि वह इस तरह का सीधा-पत्र-व्यवहार न करे"। उसने आगे लिखा, "पिछले कुछ वर्षों मे स्थिति मे इतना आमूल परिवर्तन हो गया है कि हमे इसमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए कि हम अपने मामले को रूस के सामने इस ढंग से रख सके कि वह उसे स्पष्ट और युक्तियुक्त लगे। रूस ने समरकद पर आधिपत्य स्थापित करने और बुखारा तथा खीव को अपनी अधीनता मे कर लेने के बाद अभी हाल मे कोहकद पर भी चढाई की है और इसमे कोई सदेह नही कि उसके दृष्टिकोण के सबध मे अफगानिस्तान आतकित हो उठा है। फिर, जनरल कोफमन ने जिस ढंग का पत्र लिखा है, उस ढंग के पत्रो मे निश्चय ही अब ऐसे दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है जो रूस द्वारा बार-बार दिए गए इन आश्वासनो के प्रतिकूल है कि अफगानिस्तान पूरी तरह

---

1 मिनट, 12 अगस्त, 1876 एफ. डी एस पी 1877, 102 106 के. डब्ल्यू
2 वही।

से रूस के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर है।[1] यह अनुभव किया गया कि "यह विषय स्थानीय या राजनयिक हित का ही नहीं, बल्कि इसमें साम्राज्य के हित का भी प्रश्न है"। अतः आवश्यक था कि इसके संबंध में राजनयिक कार्यवाही ब्रिटिश मंत्रिमंडल करे। इस प्रसंग में बर्न ने ठीक ही लिखा था, 'भारत और पूर्व में इंगलैंड के भविष्य के संबंध में हमें उसकी ही कार्यवाही में आश्वस्त होना चाहिए—खास कर ऐसे महत्त्वपूर्ण समय में जब कि घटना-चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा हो।'[2] इस पर 18 सितंबर, 1876 को भारत-मंत्री के नाम एक प्रेषण भेज दिया गया।[3]

इस पत्र में भारत सरकार ने कहा कि रूसी गवर्नर जनरल और काबुल के अमीर के बीच बहुत अधिक पत्र-व्यवहार हुआ है और हमें जो आशंका है, वह इन अपुष्ट अफवाहों से है कि रूस के देशी एजेंट अक्सर काबुल आते रहते हैं और उनकी अमीर के साथ घनिष्ठता है। भारत सरकार ने बाद के संदेशों में कहा कि इन पत्रों में मैत्री-भाव के प्रशंसात्मक उद्गार ही नहीं होते बल्कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयों की भी चर्चा होती है जिनका संबंध अफगानिस्तान के विदेशी हितों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक मामलों से भी होता है, कि अब प्रवृत्ति यह है कि इस तरह के पत्र ज्यादा आने-जाने लगे हैं, कि हाल में वे एक से अधिक बार विशेष दूत द्वारा लाए-ले जाए गए हैं। अतः महारानी की सरकार से प्रार्थना की गई कि वह रूसी सरकार का ध्यान उसके इस आश्वासन के कि अफगानिस्तान पूरी तरह रूसी प्रभाव-क्षेत्र के बाहर है उल्लंघन की ओर आकृष्ट करे और इस तरह की कार्यवाहियों को रोकने के लिए कदम उठाए। इन पत्रों के लेखकों का जितना कुछ मंतव्य रहा होगा, ब्रिटेन की सरकार ने उनमें उससे कहीं अधिक अर्थ निकाला क्योंकि उसके मन में 'इनमें यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित था कि क्या अमीर के दरबार में इंगलैंड के प्रभाव का अंत कर रूस के प्रभाव की प्रतिष्ठा होती है"।

यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि न तो यही बात सच थी कि रूसी दूतों का गुप्त रूप से स्वागत-सत्कार होता था और न इस बात में कतई कोई सचाई थी कि भारत सरकार के पत्र में जिस पत्र-व्यवहार का संकेत किया गया था, वह आपत्तिजनक था। काबुल स्थित भारतीय एजेंट के अनुसार तथाकथित रूसी एजेंट, जिनके बारे में समझा जाता था कि वे महत्त्वपूर्ण राजनयिक संदेश लाते ले-जाते हैं, केवल बुखारा के प्रतिनिधि होते थे और उनकी भेंट से अमीर को परेशानी ही होती थी और उनकी हैसियत ऐसी न होती थी कि वे अमीर के विश्वास-पात्र बन सकते। जहाँ तक पत्रों का संबंध है, हम जानते हैं कि प्रत्येक पत्र सामान्यतः भारतीय एजेंट की मौजूदगी में खोला जाता था और उसकी विषय-वस्तु की सूचना भारत सरकार को भेज दी जाती थी। नूर मुहम्मद ने निम्नोक्त इस आक्षेप का विरोध किया था और नवाब अता मुहम्मद खाँ के साक्ष्य तथा इन पत्रों की विषय-वस्तु के संबंध में सरकार को जो रिपोर्ट दी जाती थी, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि

---

1 सर विलियम म्योर का मिनट, 15 अगस्त, 1876, एफ. डी. एस. पी., 1877 अगस्त, 102/106

2 ए. बर्न का मिनट, 31 अगस्त, 1876 वही।

3 प्रेषण सं. 41, भारतीय, 18 सितंबर, 1876, वही।

लार्ड लिटन ने तिल का ताड बना कर अनावश्यक आशंका पैदा कर दी थी और इस कार्य-वाही का स्वार्थपूर्ण उद्देश्य यह था कि अमीर बिलकुल अकेला पड जाए और वह वायसराय की इच्छा के आगे झुकने के लिए विवश हो जाए।

ब्रिटिश सरकार ने पत्र-व्यवहार के संबध मे रूस के विदेश मंत्रालय से कोई विरोध प्रकट नहीं किया हालांकि इसे वह शायद राजनयिक सद्भाव के विरुद्ध नहीं समझती थी, पर उसने रूसी दूत के इस उद्देश्य से काबुल मे बने रहने पर आपत्ति की कि वह "अमीर शेर अली को रूसी सरकार के साथ आक्रामक और रक्षात्मक मैत्री-संधि के साथ-साथ वाणिज्य-संधि पर भी हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करे।"[1] इससे समूचे प्रश्न का स्वरूप ही बदल गया और रूसी सरकार को इस झूठ का पर्दाफाश करने मे तथा ब्रिटिश सरकार पर यह प्रत्यारोप लगाने मे कोई कठिनाई नहीं हुई कि उसने स्वात तथा बाजौर के पडोसी राज्यों मे सैनिक कार्यवाही की है और भविष्य मे मर्व पर चढ़ाई करने के लिए हेरात मे तैयारियाँ की हैं।[2] कॉफमन ने अपनी सरकार से यह कह कर अपने आचरण की सफाई पेश की कि "जब से मैंने तुर्किस्तान के गवर्नर जनरल के रूप मे कार्यभार संभाला है, तब से शेर अली खाँ के साथ मेरे संबध आपसी दुआ-सलाम तक ही सीमित रहे हैं और मैंने कभी कोई एजेंट काबुल नहीं भेजा है—कोई दूत तक नहीं भेजा है। मैंने साल मे जो एक या दो पत्र भेजे है, वे या तो बुखारा के अमीर की मार्फत भेजे हैं जिसने उन्हें आगे काबुल भेज दिया है या समरकंद के दूत की मार्फत बल्ख के शासक के पास भेजे है जिसने उन्हें आगे अफगानिस्तान के शासक के पास पहुँचा दिया है। ये पत्र शुद्ध शिष्टाचार के पत्र थे, और किसी तरह के नहीं।"[3] इस आरोप के संबध में कि एजेंट ने संधि-वार्ता की है, मोशियो गियर्स ने जवाब दिया कि, "जनरल कॉफमन द्वारा अफगानिस्तान के अमीर के साथ राजनीतिक पत्र-व्यवहार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था और किसी तरह की संधि करने का भी कतई कोई विचार न था। एजेंट को सिर्फ यह काम सौंपा गया था कि वह जनरल कॉफमन की ओर से शिष्टाचार का एक पत्र अमीर के पास पहुँचा दे। अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने पर और पडोसी राज्य का गवर्नर जनरल होने के नाते उसे इस तरह का पत्र भेजना उसके लिए एक आम कायदे की बात थी।"[4] कॉफमन ने खोकंद अभियान और सेंट पीटर्सबर्ग से अपनी वापसी के बारे में अमीर को जो पत्र लिखे थे (लार्ड लाफ्टस ने शायद पहले पत्र का मजमून रूसी चांसलर के पास नहीं भेजा था) और जिनके बारे मे ब्रिटिश सरकार ने विरोध प्रकट किया था, उन्हें मोशियो दगयर्स

---

1 लार्ड लाफ्टस का मोशियो दगियर्स के नाम संवाद, 30 सितंबर। 12 अक्तूबर 1876, मध्य एशिया (I) 1878, पृ 82

2 लार्ड लाफ्टस का डर्बी के अर्ल के नाम संवाद, 6 दिसंबर, 1876, मध्य एशिया, (I), 1878 पृ 91

3 कॉफमन का मोशियो दगियर्स के नाम संवाद, 9 नवंबर, 1876, मध्य एशिया, पृ 96

4 लार्ड लाफ्टस का डर्बी के नाम संवाद, 17 नवंबर, 1876, मध्य एशिया, पृ. 89

ने "शिष्टाचार का संदेश मात्र" कहा और कोफमन का स्पष्टीकरण ब्रिटिश सरकार के पास भेज दिया।[1]

अगर लॉर्ड लिटन विश्वास करना चाहता तो कई ऐसी बातें थीं जिनसे उसे पूरी तरह विश्वास हो सकता था कि अमीर और रूस के बीच किसी तरह की कोई साठ-गांठ नहीं है—जैसे कि रूसी सरकार की व्याख्याएँ और उसकी नीति की सामान्य दिशा, वायसराय के काबुल-स्थित एजेंट की रिपोर्ट और कोफमन के साथ अमीर शेर अली के पत्रों की अफवाहों की असारता। पर इस तरह विश्वास करने से लॉर्ड लिटन के मंसूबे पूरे नहीं होते थे।[2] भारत आने से पहले लॉर्ड लिटन की यह धारणा बन गई थी कि ब्रिटेन की तुलना में रूस के पास अमीर शेर अली के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के साधन हैं और अमीर धीरे-धीरे रूसी साम्राज्य के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान में अंग्रेज एजेंट नियुक्त करने और इस तरह से उस देश पर अपना और गहरा नियंत्रण स्थापित करने की जो नीति थी, उसका पूरा ढांचा इसी नींव पर टिका हुआ था। अतः अमीर और रूस की गांठ-गांठ का भ्रम बनाए रखने में ही उसका लाभ था क्योंकि इस तरह से वह अमीर को ब्रिटिश साम्राज्य का विरोधी बता कर उसकी निंदा कर सकता था और अगर वह ऐसा न करता, तो उसने अफगानिस्तान के प्रति जो कार्यवाही करने का विचार कर लिया था और उसके प्रति जिस नीति पर अमल करने का उसका संकल्प हो गया था, वह न तो संभव हो पाती और न उसे उचित ही ठहराया जा सकता था। रूस के साथ अमीर शेर अली की सांठ-गांठ का यह संदेह ही पेशावर की बातचीत के ऊपर छाया रहा था और इसी के कारण शांतिपूर्ण समझौते की सारी आशाएँ धूल में मिल गई थीं।

यहां हम लॉर्ड लिटन के उन उपायों की भी चर्चा कर सकते हैं जो उसने अफगानिस्तान के चारों ओर एक अभेद्य घेरा डालने और भारत-अफगान सीमान्त के राज्यों तथा कबीलों को पूरी तरह अंग्रेजों की अधीनता तथा प्रभाव में लाने के लिए किए थे। इस नीति का उद्देश्य यह था कि काबुल के दुराग्रही शासक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त अड्डे बनाए जाएँ। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो सैनिक या राजनयिक कदम उठाए गए, उनको विस्तार से चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहीं है। यहां तो क्वेटा के आधिपत्य, कुर्रम घाटी खोलने के प्रयत्नों, और चितराल, दीर तथा स्वात के नियंत्रण की ओर संकेत करना ही पर्याप्त होगा। ये सारी कार्यवाहियाँ लॉर्ड लिटन की अफगान-नीति का परिणाम थीं और आगे आने वाले युद्ध की भूमिका के रूप में थीं।

यद्यपि क्वेटा के सामरिक महत्त्व का और उस पर अधिकार कर लेने से भारत सरकार को जो लाभ होते उनका वर्णन जनरल जॉन जेकब ने लॉर्ड कैनिंग के समय में ही किया था और ग्रीन, जम्सडन, रॉलिन्सन, फेरे तथा अग्रिम सीमान्त-नीति की पैरवी करने वाले अन्य व्यक्तियों ने भी ये सब बातें दुहराई थीं, पर लॉर्ड लॉरेंस के प्रभाव से इस संबंध में

---

1. मोशियो दगियर्स का लार्ड लोफ्टस के नाम संवाद, 19 नवंबर, 1876, मध्य एशिया, पृ. 94
2. देखिए, प्रेषण, मई, 1877, पृ. 7

कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। लार्ड नॉर्थब्रुक के शासन-काल में बलूचिस्तान आतंरिक झगड़ों से जर्जरित हो रहा था, पर वायसराय ने इस अवसर से लाभ उठा कर क्वेटा पर अधिकार नहीं किया। सर राबर्ट सेंडामन ने अव्यवस्था का अंत कर व्यवस्था स्थापित की और बोलन दर्रे से होकर तिजारती कारवाओं की निरापद यात्रा का प्रबंध किया। पर, 'लार्ड लिटन ने क्वेटा पर अधिकार कर लेने की ठान ली थी" और उसका "मन इस बात पर दृढ़ था कि बलूचिस्तान में अँग्रेजी सेना की शक्ति बढ़ाई जाए और उसे ऐसी जगह रखा जाए कि उस राज्य में तो उसका प्रभाव बढ़े ही पर साथ ही वह अफगानिस्तान के के लिए भी खतरा बन जाए।"[1] इसीलिए उसने अक्तूबर, 1876 में कर्नल कोली को 'कलात के खान के साथ एक गुप्त संधि करने के लिए भेजा जिसके अनुच्छेद 6 में यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश फौज उस शासक के क्षेत्र पर स्थायी रूप से कब्जा कर ले।[2] क्वेटा पर कब्जा कर लिया गया और वहाँ एक फौजी टुकड़ी तैनात कर दी गई। इस टुकड़ी में पैदल सेना की एक रेजीमेंट थी और रिसाले का एक स्क्वाड्रन था। इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर तोपें लगा दी गईं और कलात, दादर तथा मिथरी में सहायता-सेना रख दी गई। इन्हीं के शब्दों में लार्ड लिटन, 'उस समय शेर अली के विरुद्ध जो दाव-पेंच चल रहा था, क्वेटा का आधिपत्य उसके अंतर्गत एक चाल भर थी। और इसके कुछ समय बाद कुछ और भी ऐसे उपाय किए गए जिनका उद्देश्य उस शासक को घुटने टेकने के लिए विवश करना या खुल्लमखुल्ला शत्रु बना देना था।[3] मार्के की बात यह है कि यह कार्यवाही नवाब अता मुहम्मद खाँ के काबुल लौटने और पेशावर-सम्मेलन के बीच के समय में की गई जब इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि अमीर को अँग्रेजों की मांगें स्वीकार करने के लिए समझाया-बुझाया जाता।

लम्सडन ने काफी पहले इस बात की पैरवी की थी कि अँग्रेज कुर्रम और खोस्ट घाटियों पर कब्जा कर लें, पर इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। भारत सरकार ने अमीर शेर अली के विरुद्ध जो योजना बनाई थी, उसके आगे के चरण के रूप में उसने 25 नवंबर, 1876 को यह प्रस्ताव अंगीकृत किया कि, "चूँकि कुर्रम सीमा पर शीघ्र ही सैनिक मोर्चा ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः यह सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए कि (1) इन उपायों का पड़ोस के स्वतंत्र कबीलों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और (2) इस तरह के आधिपत्य से किस सैनिक दृष्टि से किन-किन झंझटों की उत्पत्ति होगी।[4] लम्सडन और रॉबर्ट्स दोनों ही लिटन के कृपापात्र थे और इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उनकी योजना यह थी कि शुतरगार्डन की घाटी पर कब्जा कर लिया जाए और वहाँ से काबुल पर नियंत्रण रखा जाए। इस प्रयोजन के लिए रावलपिंडी और कोहाट के बीच में सड़क की मरम्मत की गई, कुशलगढ़ में सिंध नदी तक पहुँचने वाले रास्तों को ठीक किया गया और वहाँ नावों का एक पुल बनाया गया, बन्नू से जाने के लिए कोहाट और अटक के बीच एक सड़क

---

1 वही 1, पृ 113, पृ 115
2 वही, पृ 115
3 वही, पृ 117
4 फॉरेन डिपार्टमेंट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, फरवरी 1877, स. 11/60

खोल दी गई, कोहाट मे एक बड़ी डिपो बनाई गई और वहाँ कूच करने के लिए तत्पर एक बड़ी फौज तैनात कर दी गई। हो सकता है इस सारी कार्यवाही के मूल मे यह स्पष्ट उद्देश्य रहा हो कि 1876 म अफ्रीदी कबीला के विरुद्ध जो नाकेबदी की गई थी, उसे सफल बनाया जाए, फिर भी कोई हन्ना की इस बात से सहमत हो सकता है कि "यह विश्वास करना मुश्किल है कि इस सबके पीछे, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी सीमात पर एक विशाल फौज के जमाव के पीछे, अतत अमीर का डराने-धमकाने की नीयत न थी।[1]'

1876 की शरद् ऋतु (अक्तूबर-नवबर) मे लॉर्ड लिटन न उत्तर-पश्चिमी सीमात का दौरा किया था जिसमे उसकी भेट मजर केवेनरी स हुई थी।[2] इस व्यक्ति के बार मे हन्ना न लिखा है कि वह प्रकृति स उद्दड और उतावला था तथा उसका स्वभाव कुछ एसा था कि वह दूसरो के ऊपर आसानी से छा जाता था। वह वैयक्तिक सम्मान के लिए सदा प्यासा रहता था और जिस वायसराय के ऊपर भविष्य म उसका इतना घातक प्रभाव पडा उसी की तरह उसमे भी अपन साध्य के माग म आन वाली भौतिक या नैतिक कठिनाइयो को समझने या परखन की योग्यता न थी। [3] लगता ह इस व्यक्ति को यह काम सौंपा गया था कि वह सीमात स्थित कबीलो को अमीर के प्रभाव-क्षेत्र से दूर करके उन्हें अँग्रेजो के नियत्रण मे ले आए, अफगानिस्तान के भीतर तक पहुँचने वाले रास्ते खोले और "अँग्रेजो के सीमात के पडोस म ही ऐसे सरदारो की अधीनता मे हुकूमते कायम करे जिनकी बेहतरी काफी हद तक हमारी सरकार की मान्यता और सहायता पर निर्भर हो।'[4] उद्देश्य यह था कि स्वात, बाजौर और दीर को जिन सल्तनतो के ऊपर अफगान अमीर का असर था और जिसके साथ उसके घनिष्ठ सबध थे, उनकी निष्ठा अर्जित की जाए। इस काम के पूरा होन मे लबा अरसा लगा, पर लॉर्ड लिटन ने इस बात का उपक्रम किया था कि यह प्रयोजन 1876 के अत से पहल ही सिद्ध हो सके। अफ्रीदी और मोहमद कबीलो को भी अपनी ओर तोडने की कोशिश की गई और जब अफगानिस्तान के साथ लडाई आरभ हुई, तब तक अमीर के प्रति उनकी निष्ठा बहुत शिथिल पड चुकी थी।

सबसे उल्लेखनीय सफलता चितराल और यासिन म मिली। य दोनो सल्तनते काश्मीर के महाराज के अधिराजत्व मे ले आई गईं और इसका अर्थ यह था कि इनके ऊपर अँग्रेजो का परोक्ष नियत्रण और प्रभाव स्थापित हो गया। चितराल का अमान-उलमुल्क वहाँ की गद्दी हडपकर उस पर जमा हुआ था और वह पॉलिटिकल एजेंट मि हेवर्ड के हत्यारे, यासिन के मीर अली, की हत्या का कारण भी था। उसे डर था कि काबुल का अमीर कही उसके विरुद्ध कार्यवाही न कर। फलत उसने काश्मीर के महाराज का सरक्षण चाहा। महाराज न यह मामला भारत सरकार के पास भेजा और

---

1 हन्ना, पृ 117-119 और 119 पर दी गई पाद-टिप्पणी।
2 बाद मे सर लुई केवेनरी जिसकी काबुल मे हत्या कर दी गई। उस समय वह पेशावर म राजनीतिक अधिकारी था।
3 हन्ना, पृ 119-20।
4 केवेनरी का लिटन के नाम मसौदा, 13 अक्तूबर, 1877, फॉरेन डिपार्टमेट सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, अक्तूबर 1877, स 272/277

उसका मार्ग-दर्शन चाहा। विदेश सचिव थार्नटन ने 3 मई, 1876 के अपने निर्देश-पत्र में लिखा था, "लगता है कि इस मामले में हम जो भी कार्यवाही करें, वह कुछ हद तक उसी नीति पर निर्भर होनी चाहिए जो हम काबुल के बारे में अपनाएँ। अगर, यह वांछनीय समझा जाए कि हमारे सीमांत पर स्थित छोटे छोटे मुस्लिम राज्यों को काबुल हड़प ले, तब तो हम चित्राल के शासक से जितनी कम बातचीत करें उतना ही अच्छा है। पर अगर इसके विपरीत यह जरूरी समझा जाए कि जिस देश के शासक को बारो-गिल दर्रे पर अधिकार है, वह हमारा दोस्त रहे, तो मि० हेवर्ड के प्रति चित्राल के शासक के आचरण के बावजूद, महाराज को यह अधिकार देना नीतिसम्मत लगता है कि वह उसके संदेशवाहक को शिष्टतापूर्ण उत्तर देकर वापस भेजें। अमान उलमुल्क ने मि० हेवर्ड के हत्यारे मीर अली की हत्या करवा कर अपने पहले के दुराचरण का कुछ प्राय-श्चित किया है और इस स्थिति में शायद हम कुछ शर्तों पर मेल मिलाप की आशा कर सकते हैं।"[1] और वायसराय ने महाराज की प्रार्थना स्वीकार कर ली।[2]

सितंबर, 1876 में विदेश सचिव ने चित्राल के संपूर्ण प्रश्न का विस्तार से विवेचन-विश्लेषण किया। उसकी टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि काबुल का अमीर चित्राल को अपना अधीनस्थ प्रदेश समझता था और उसे इस बात पर रोष था कि चित्राल के वकील (एजेंट) का श्रीनगर में स्वागत हुआ है, कि दर्रों का हमले के लिए रास्ते के रूप में उपयोग हो सकता था, और कि चित्राल का शासक काबुल के हमले के डर से कश्मीर का अधिराजत्व चाह रहा था। उसका विचार था कि दर्रे पर नियंत्रण पाने के लिए कश्मीर महाराज को यह अधिकार दे देना चाहिए कि वह अपनी सीमा इतनी बढ़ाए कि यासिन को जबरन या बातचीत द्वारा, अपने राज में मिला ले और वह चित्राल के ऊपर अपना अधिराजत्व स्वीकार करा ले। भविष्य में जो भी व्यवस्था की जाएगी, उसमें यह शर्त जरूर रहेगी कि गिलगिट में या उस राज्य में कहीं भी अन्यत्र ब्रिटिश अफसर और सैनिक सारे साल रहेंगे तथा अंग्रेजों को वाणिज्य-सुविधाएँ भी सुलभ होंगी। चित्राल का शासक कश्मीर का अधिराजत्व मान लेगा। तब ब्रिटिश सरकार 'इस व्यवस्था' के संबंध में इस समझौते के आधार पर अपनी स्वीकृति दे देगी कि चित्राल का शासक कश्मीर को कर देना मंजूर करेगा, ब्रिटिश प्रजा को अपने यहाँ बेरोक-टोक आने-जाने और वाणिज्य करने की अनुमति देगा, अपने देश में ब्रिटिश अफसरों को और फौज को रहने देगा, महाराज की मार्फत ब्रिटिश सरकार की मंजूरी पाए बिना दूसरे राज्यों से राजनयिक संबंध नहीं रखेगा और कश्मीर के साथ उसके जो भी विवाद होंगे उन्हें पंच फैसले के लिए अंग्रेजों को सौंपेगा। इन्हीं शर्तों पर ब्रिटिश सरकार 'बाहरी आक्रमण से चित्राल, यासिन और मस्तुज की रक्षा करने के लिए तैयार होगी'। थार्नटन ने इस बात की भी चर्चा की कि गिलगिट में ब्रिटिश अफसर और फौज रखना महाराज को अच्छा न लगेगा पर उसने इस कड़वी गोली को गले के नीचे उतारने के लिए महाराज को तो 'महाराजाधिराज' और दीवान ज्वाला सहाय तथा दीवान कृपाराम को क्रमशः

---

1 मिनट 3 मई, 1876, एफ० डी० एस० पी०, 1877, जून, सं० 165/71 के० डब्ल्यू०

2 लिटन का अनुमोदन, 5 मई, 1876, वही।

के सी एस आई तथा सी एस आई की उपाधियाँ देने और राज्य को एक पर्वतीय बैटरी तथा 1,000 एन्फील्ड राइफलें देने की इच्छा व्यक्त की।[1]

सीमाप्रान्त का दौरा करते हुए 17 और 18 नवंबर, 1876 को वायसराय की फिर कश्मीर के महाराज से भेंट हुई और रूस के संदर्भ में यूरोपीय घटना-चक्र की चर्चा करने के बाद उसने कहा कि, "चितराल और यासिन जैसे राज्यों को कश्मीर के शत्रु न हड़प लें—इसके लिए यह जरूरी है कि उन पर ब्रिटिश सरकार के महामान्य सरीखे मित्र और सहयोगी का नियंत्रण स्थापित हो जाए।"[2] महाराज यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए उत्सुक था और उसे सलाह दी गई कि वह चितराल और यासिन को शान्तिपूर्ण बातचीत के द्वारा अपने नियंत्रण में ले ले। इस काम में उसे अंग्रेजों की सहायता का आश्वासन दिया गया और यह भी कहा गया कि, *अगर महाराज को अपनी सैनिक कार्यवाही के फलस्वरूप कभी युद्ध में फँसना पड़ा तो ब्रिटिश सरकार उसका अनुमोदन करेगी और उसे ठोस सहायता देगी।*[3] महाराज की प्रार्थना पर उसे चितराल और यासिन के साथ बातचीत शुरू करने के लिए 22 दिसंबर, 1876 को लिखित प्राधिकार दिया गया।[4] इस तरह से वह क्रम आरंभ हुआ जिसके द्वारा 1876 की समाप्ति से पहले ही चितराल और यासिन कश्मीर के सामंती राज्य और अंग्रेजों के संरक्षित राज्य हो गए और काबुल के दावों की बेदज्जती से उपेक्षा कर दी गई।

ये सारे उपाय एक साथ किए गए थे और इनके साथ ही काबुल के अमीर से यह प्रस्ताव किया गया था कि अगर वह अपने देश में ब्रिटिश एजेंटों का स्वागत करने के लिए तैयार हो, तो उसके साथ संधि की जा सकती है और उसे उपदान दिया जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य भारत के सीमान्त को मजबूत करना और मध्य एशिया के रूसी प्रदेशों से भारत के भीतर आने वाले रास्तों पर स्थित महत्त्वपूर्ण निरीक्षण-चौकियों पर ब्रिटिश अफसरों और सैनिकों को तैनात कर उन्हें अपने नियंत्रण में करना था। इन

---

1 मिनट, 25 सितंबर, 1876, एफ डी एस पी, 1877, जुलाई, स 34/60 पी के डब्ल्यू

2 कश्मीर और चितराल के संबंधों के बारे में टिप्पणी, एफ डी एस पी, 1878 मार्च, स 1, 247/53 के डब्ल्यू

3 वही

4 वही। *खरीता*, दिनांक 22 दिसंबर, 1876 पत्र की भाषा इस प्रकार थी : "जो बात मैं महामान्य से पहले ही मौखिक रूप से कह चुका हूँ, उसी को अब आपकी इच्छानुसार सहर्ष लिखित रूप से दुहराए देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी, यथासंभव शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा चितराल और यासिन राज्यों को अपने नियंत्रण और अधिराजत्व में ले लें। उनके शासक पहले ही महामान्य से संरक्षण की प्रार्थना कर चुके हैं। इस बातचीत में जो भी सहायता आवश्यक होगी, मैं यथाशक्ति खुशी से दूँगा, और मैं महामान्य को यह भी विश्वास दिलाने की स्थिति में हूँ कि इस पत्र के द्वारा महामान्य को चितराल और यासिन के शासकों के साथ जो मैत्रीपूर्ण व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है, अगर बाद में उसकी रक्षा के लिए या उसे बनाए रखने के लिए कश्मीर राज्य को कभी अनिवार्य रूप से सैनिक कार्यवाही में उलझना पड़ा, तो ब्रिटिश सरकार आपको प्रोत्साहन तथा ठोस सहायता देने के लिए तैयार रहेगी"।

उपायों का मुख्य उद्देश्य तो रूसी हमले से रक्षा करना बताया गया था, पर वास्तव में रूस के हमले की कोई संभावना न थी और अफगानिस्तान के चारों ओर अधीन राज्यों का एक घेरा डाल देने और उस देश के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अड्डे प्राप्त करने के ये उपाय अमीर शेर अली के विरुद्ध किए गए थे। संभवतः इन उपायों का उद्देश्य यह था कि अमीर शेर अली को डरा-धमका कर नई माँगें मानने के लिए विवश किया जाए। अगर वह मान जाता तो ठीक था, नहीं तो उसे मरकंडे की तरह से तोड़कर फेंका जा सकता था। यह धमकी एक ओछी वायसराय के उत्साह की कोरी अभिव्यक्ति न थी जिसका उसने अपने एजेंट के सामने इसलिए प्रदर्शन किया था कि वह उसकी सूचना अमीर के पास तक पहुँचा दे। इन तैयारियों के साथ ही साथ पेशावर-सम्मेलन हुआ।

नवाब अता मुहम्मद खाँ काबुल लौट आया। उसके जिम्मे अमीर को इस बात के लिए तैयार करने का काम था कि लार्ड लिटन हैरात और कंधार आदि में ब्रिटिश एजेंसियों की स्थापना की अनुमति के बदले में उसके ऊपर जो अनुग्रह करने के लिए उत्सुक था, उन्हें वह स्वीकार कर ले और इस आधार पर संधि की शर्तें तय करने के लिए अपना दूत भेज दे। यह बड़ा कठिन कार्य था क्योंकि ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति की शर्त भारत-अफगान संबंधों के समूचे आधार के प्रतिकूल थी और अमीर उसे मानने के लिए तैयार न था क्योंकि इसका उसके लोगों पर तथा राज्य के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता। फिर भी, अता मुहम्मद खाँ ने अपनी सरकार को यह सूचना दी कि अमीर ने अपने मुख्य अधिकारियों के साथ देर तक सलाह-मशविरा किया। इस सलाह-मशविरे के समय भारतीय एजेंट को भी उपस्थित रहने की अनुमति दे दी गई और समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत वह अपने प्रधान मंत्री तथा एक अन्य अफसर को ब्रिटिश प्रतिनिधियों से भेंट करने के लिए भेजने को सहमत हो गया।[1] अता मुहम्मद के पत्रों से लगता है कि अमीर अपने सरदारों से सलाह-मशविरा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि वह वायसराय की शर्तों को मानने से पहले खोहिस्तान सरदारों तथा अन्य सारे खास-खास सरदारों की स्वीकृति प्राप्त कर ले।[2] फिर भी, 11 दिसंबर के अपने पत्र में एजेंट ने सूचना दी कि काबुल दरबार के सदस्य "आवश्यकता के दबाव में और दोनों सरकारों के बीच मित्रता बनाए रखने के विचार से सीमा पर ब्रिटिश अफसरों की नियुक्ति के लिए तैयार हो गए है, पर उनके आवास के संबंध में कुछ शर्तें तय हो जानी चाहिएँ कि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके।"[3] एक सप्ताह बाद कहा गया कि अमीर अपने अफसरों को भेजने के लिए तैयार है ताकि वे "काबुल सरकार के विचार व्यक्त करके ब्रिटिश अफसरों को सीमा पर रहने के लिए ला सकें।"[4] 21 दिसंबर, 1876 को एजेंट ने फिर यह रिपोर्ट दी कि अमीर ने अंग्रेजों के प्रति अपनी मैत्री की दुहाई देने के बाद और उसके देश में ब्रिटिश अफसरों की जिस नियुक्ति के बारे में पिछले कुछ समय से उस पर

1 अता मुहम्मद खाँ की ओर से भेजे गए पत्र, दिनांक 23 नवंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर और 11 दिसंबर, 1876, अफगान पत्राचार, पृ. 192-93
2 अता मुहम्मद खाँ की ओर से भेजा गया पत्र, 18 दिसंबर, 1876
3 पत्र, 11 दिसंबर, 1876
4 अता मुहम्मद खाँ की ओर से भेजा गया पत्र, 18 दिसंबर, 1876

निरंतर दबाव डाला जा रहा था उसके अविवेक की चर्चा करने के उपरांत कहा है कि यद्यपि मेरे मत से सीमा पर ब्रिटिश अफसरों का रहना अब भी (दोनों) सरकारों के लिए बिल्कुल हितकर न होगा पर चूंकि ब्रिटिश अधिकारी इस सवाल पर रोज ही जोर देते हैं अत मैंने ब्रिटिश सरकार के साथ (अपनी) मित्रता को मजबूत करने की खातिर यह प्रस्ताव किया है कि ईद-उ-जुहा के त्योहार के बाद सदरे-आजम और मीर अखोर अहमद खां काबुल स्थित ब्रिटिश एजेंट के साथ ब्रिटिश प्रदेश मे जाएँ और (काबुल सरकार के) विचारों को प्रस्तुत करने के उपरांत ये प्रश्न तथा अन्य महत्त्वपूर्ण शर्तें तय कर ले और इसके बाद सीमा पर ब्रिटिश अफसरों के आवास के लिए सहमत हो जाएँ।[1]

अत मे उसी दिन एजेंट ने भारत सरकार को अमीर के निर्णय की सूचना दी और उसके विचारों से अवगत किया। मंतव्य शायद यही था कि ये विचार वायसराय के कानों तक पहुंचा दिए जाएं। कहते हैं कि अमीर ने ये विचार व्यक्त किए थे ईश्वर ने चाहा तो हमारी सरकार और ब्रिटिश सरकार की मित्रता निरंतर अधिकाधिक दृढ होती जाएगी और इस सच्ची मित्रता को कभी आंच न आने पाएगी। सीमा पर ब्रिटिश अफसरों की रिहाइश के बारे में जो भी आपत्तियाँ या युक्तियाँ पेश की गई हैं वे अफगानिस्तान के लोगों के बर्बर व्यवहार के कारण है और हम अब भी सीमा पर उनकी रिहाइश के लिए असहाय होने के कारण ही सहमत हो रहे है। पर इस मामले मे यह बहुत जरूरी है कि हम कुछ शर्तें ब्रिटिश सरकार के सामने पेश कर दें और इन शर्तों (शाब्दिक अर्थ कठिनाइयों) को पेश करने और (दोनों) सरकारों के सारे प्रश्नों (शाब्दिक अर्थ लक्ष्यों) को तय करने के विचार से मैं सदरे-आजम और मीर अहमद खां को ब्रिटिश प्रदेश मे भेज रहा हूँ (और चाहता हूँ कि) वे ईद-उ जुहा त्योहार के बाद आपके साथ जाएँ और सारी कठिनाइयों का वर्णन करने तथा (दोनों) सरकारों के सारे प्रश्न तय करने के बाद ब्रिटिश अफसरों को सीमा पर रहने के लिए ले आएँ।[2] अमीर ने शर्तों का उल्लेख नहीं किया था पर ब्रिटिश एजेंसियों की स्थापना पर जो शर्तें लागू की जाने वाली थीं एजेंट ने उन्हें जान लिया था। इन शर्तों मे बचाव के उन उपायों की ही चर्चा की गई थी जो अमीर तथा उसके लोग अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहते थे। पहली बात तो यह कि यह इच्छा की गई कि अगर एजेंटों की जान-माल को नुकसान पहुँचे तो मामला अफगानिस्तान की विधि और रीति रिवाज के अनुसार तय हो और ब्रिटिश सरकार अफगान सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव न डाले। अपरदेशीयता (extra territoriality) की रोक-थाम के लिए यह एक जरूरी शर्त थी।[3] इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण दूसरी शर्त थी कि सीमा पर स्थित सभी ब्रिटिश अफसरों के काम-काज का पूरी तरह स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए उन्हें गुप्त रूप से या खुले आम अफगानिस्तान के आतरिक अमनित या मसिव मामलों मे कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरी शर्त यह थी कि

---

1 पत्र 21 दिसंबर 1876 अफगान पत्राचार पृ 193

2 वही।

3 इस तरह का रक्षोपाय इसलिए जरूरी समझा गया था कि अफगान सरकार को यह डर था कि मि मैकडानल्ड नामक ब्रिटिश यात्री को अफगानिस्तान मे गुजरते समय हत्या कर देने पर जो मांग उठाई गई थी वही वह मांग फिर न ले की जाए। यह घटना शाह शुजा के समय में हुई था।

किसी भी समय उसके विरुद्ध कर सकते हैं । यह निष्कर्ष अपमानजनक भी था और झूठा भी। निष्कर्ष के रूप में भारत सरकार ने लिखा था, अंत में जब अमीर को लगा कि उसके सामने जो सवाल रखा गया है, उसे और टालने का मतलब होगा ब्रिटिश सरकार के साथ अपने संबंधों में खुले आम दरार डालना (और यह परिणाम भी उसके प्रयोजन के उतना ही प्रतिकूल था जितना कि अपने संबंधों को निश्चित हार्दिक आधार पर प्रतिष्ठा करना), तब उसने अपने दूत को रवाना किया और वायसराय के पत्र की ओर ध्यान दिए बिना या उसमें निहित आमंत्रण का उत्तर दिए बिना कमिश्नर (पेशावर) को संक्षिप्त रूप से सूचना दी कि दूत बातचीत आरंभ करने के आदेश लेकर प्रस्थान कर चुका है।'[1] ऊपर के अवतरणों को पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस निष्कर्ष में कितना सफेद झूठ है। लॉर्ड लिटन अपनी नितांत अनुचित और हानिकारी माँग का उत्तर एक 'हाँ' शब्द में चाहता था और चूंकि अमीर ने उस पर विचार में देरी कर दी अतः उस पर यह आरोप लगाया गया कि वह शत्रु है कृतघ्न है तथा उस पक्ष के हाथों बिकने के लिए तैयार है जो उसका ज्यादा मोल लगाने की स्थिति में हो पर वायसराय का प्रिय मनोरथ इस तरह की गलतबयानी से ही सिद्ध हो सकता था।

इसी बीच, भारत में सरकार की ओर से पूर्णाधिकारी दूत सर लेविस पेली के लिए आदेश जारी किए जा चुके थे और अमीर की स्वीकृति के लिए संधि का मसौदा तैयार किया जा चुका था।[2] बातचीत के मुख्य उद्देश्य दो बताए गए थे 'एक– अफगानिस्तान की बाहरी सुरक्षा की व्यवस्था करना, और दो–उस राज्य में आंतरिक शांति की इस तरह से व्यवस्था करना कि अंग्रेजों के हित सधें'। और ये उद्देश्य अधिक निश्चित व्यवस्था से अर्थात् उस देश में ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति से ही सिद्ध हो सकते थे। इसलिए, पेली को आदेश दिया गया था कि वह बातचीत के समय उस उपाय पर जोर दे और अमीर को बता दे कि उसने अंबाला-सम्मेलन के समय जो प्रार्थना स्वयं की थी और जिसे उस समय भारत सरकार कुछ कारणों से स्वीकार न कर सकी थी, यह माँग उसी की पुनरावृत्ति है। उसके बाद से यूरोप और मध्य एशिया में स्थिति बदल गई थी जिसके फलस्वरूप अब यह बात स्पष्ट हो गई थी कि 'अगर भविष्य में मध्य एशिया में उलझनें पैदा हुईं, और अफगान सरकार की नीति या उसके आत्म-रक्षा के कारगर साधनों के संबंध में अनिश्चय बना रहा, तो इससे हानि ही हानि होगी'।

पेली को बता दिया गया कि अमीर को यह सूचना दी जा चुकी है कि "बाहरी हमले से अफगान सीमान्त की रक्षा करने के लिए उसे तत्काल और ठोस सहायता उसी शर्त पर दी जाएगी जो वह 1869 में चाहता था और वह शर्त थी– सीमांत पर सक्षम ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति की शर्त'। इसलिए, "इस प्रश्न पर अमीर के दूत के साथ आपकी बातचीत सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी कि आप इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के

---

1 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877 पू कृ

2 थॉर्नटन का पेली के नाम संवाद, 17 अक्तूबर, 1876 और संधि के लिए यादनामा। संख्या 36 में संलग्न पत्र 23, 24 25 अफगान पत्राचार, पृ 187-92

लिए आवश्यक उपायों की मैत्रीपूर्ण रीति से व्यवस्था करे'। उसे सलाह दी गई कि वह नूर को यह भी बता दे कि काबुल में ब्रिटिश एजेंट के रहने से क्या लाभ होंगे, पर उसे इस माँग पर आग्रह नहीं करना था। उसे जिस अन्य विषय पर बातचीत करने का अधिकार दिया गया था, वह व्यापार तथा उसके लिए देश के भीतर ब्रिटिश प्रजा के प्रवेश के संबंध में था। हाँ, ब्रिटिश प्रजा की सुरक्षा के लिए अमीर को उत्तरदायी नहीं बनाना था। इस संबंध में कहा गया था कि "सरकार अमीर के ऊपर ऐसा बोझ नहीं लादना चाहती जिसे सहन करने में महामान्य प्रकटतः असमर्थ हों। उसका उद्देश्य अमीर की स्थिति को कमज़ोर करना नहीं, मजबूत करना है'। इसके बाद उसे "संचार-साधनों के द्रुत विकास के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करना" और "अफगान तथा ब्रिटिश प्रदेशों के कुछ स्थलों के बीच तार की लाइन के निर्माण और उसकी रक्षा में अमीर का सहयोग प्राप्त करना था। इन स्थलों का चुनाव आपकी बातचीत का एक और उचित विषय हो सकता है।' इसका खर्च ब्रिटिश सरकार उठाएगी, पर अमीर को उसकी सुरक्षा का आश्वासन देना होगा। बातचीत आरंभ करने की ये अनिवार्य शर्तें थीं। कुछ और भी शर्तें थीं, जो इस श्रेणी की तो न थीं, पर फिर भी उनके बारे में पेली को आदेश दिया गया था कि वह अमीर के ऊपर उनका आरोप करे और उन्हें बातचीत का आधार बनाए। बातचीत को संतोषजनक रीति से पूरा करने के लिए ये शर्तें आवश्यक समझी गई थीं और वायसराय द्वारा काबुल के एजेंट को बताई गई सीमाओं में रहते हुए देश के भीतर और बाहर महामान्य के संरक्षण की औपचारिक जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार उठाए—उससे पहले यह ज़रूरी समझा गया था कि अमीर इन शर्तों से सहमत हो जाए।" इनमें से पहली शर्त यह थी कि 'अफगानिस्तान के विदेश संबंधों पर ब्रिटिश सरकार का कारगर नियंत्रण रहे और अमीर की परराष्ट्र-नीति उसकी सलाह के बिना संचालित न हो"। दूसरी शर्त यह थी कि 'एक ओर तो ब्रिटिश सरकार और उसकी सारी प्रजा तथा दूसरी ओर अमीर और उसके अधीनस्थ कबीलों तथा सरदारों के बीच" निर्बाध, सतत और मैत्रीपूर्ण संपर्क रहे। अमीर को 'फौजी द्रव्य और हथियारों' की मदद तभी दी जाएगी जब वह ब्रिटिश प्रजा को अपने देश में घूमने और अपने लोगों से खुले आम मिलने-जुलने से रोकने की नीति का परित्याग कर देगा। कहा गया कि "अमीर को अपनी आवश्यकता में जिस मित्रता पर निर्भर रहना है, अगर उस मित्रता का उसके कर्मों में मान्यता नहीं मिलती, तो ब्रिटिश सरकार आवश्यकता पड़ने पर कर्मों से उसकी मित्र नहीं हो सकती।" तीसरी शर्त अमीर के प्रतिनिधि के साथ इस समझौते के संबंध में थी कि इस समय सीमांत पर जो अक्खड़ कबीले छाए हुए हैं, उन पर अधिक मैत्रीपूर्ण और कारगर नियंत्रण रखने में दोनों एक-दूसरे की मदद करें।[1]

अंत में, भारत सरकार ने उसके सहायता के 'स्वरूप और विस्तार" का विश्लेषण किया जिसकी आशा "अमीर और उसका राजवंश" ब्रिटिश सरकार से कर सकता था। इस संबंध में 1869 की बातचीत की दुहाई दी गई और स्पष्ट रूप में कहा गया कि भारत सरकार का 'अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई विचार

---

1 सॉलिस्बरी का पेली के नाम संवाद, 17 अक्तूबर, 1876

नहीं'। ब्रिटिश सरकार न तो इस बात के लिए तैयार थी कि वह फिर से कोई युद्ध करेगी जैसा कि उसने शाह शुजा की ओर से किया था और "न वह इस तरह की कोई जिम्मेदारी उठाने को प्रस्तुत थी कि वह ऐसे शासकों का भी समर्थन करती रहेगी जिनके दमन-चक्र और कुशासन के कारण अफगान राष्ट्र की या अधिकांश प्रजा की निष्ठा भंग हो चुकी हो"। तथापि, भारत सरकार "इन सीमाओं के भीतर रहते हुए, सिंहासन के अवैध और बेईमान दावेदारों के उन छल-प्रपंचों और षड्यंत्रों से—जो देश की निश्चित व्यवस्था, सुशासन और शांति के प्रतिकूल हों—अमीर या उसके मान्य उत्तराधिकारी की न्याय्य सत्ता की रक्षा करने के लिए "यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करेगी।' इस सहायता का "ठीक-ठीक रूप उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर होगा और किसी औपचारिक दस्तावेज में इसकी पहले से व्याख्या नहीं की जा सकती'। इन शर्तों पर और "अपने सारे' सधिगत दायित्वों के निष्ठापूर्वक पालन करने पर अमीर को अपना सीमांत सुदृढ़ करने और अपनी सैनिक शक्ति का अधिक अच्छा संगठन करने के लिए' आर्थिक और सैनिक सहायता दी जाएगी और ब्रिटिश अफसरों की सेवाएँ सुलभ की जाएँगी। संधि में अब्दुल्ला जान के उत्तराधिकार की स्पष्ट मान्यता" भी सम्मिलित की जानी थी। अतः में पेली को यह बात ध्यान में रखने की प्रेरणा दी गई कि "उसे जिस संधि की बातचीत करनी है उसमें संविदाकारी पक्षों को पूरी तरह बराबर का उचित लाभ होना चाहिए। इस शर्त पर ब्रिटिश सरकार अमीर के हित में जिन जिम्मेदारियों को उठाने में मुँह नहीं मोड़ रही है, उन्हें ध्यान में रखते हुए आपका यह कर्तव्य होगा कि आप भी बदले में कुछ ऐसी चीजें प्राप्त करें जिनसे ब्रिटिश सरकार को ठोस लाभ हो।'[1] सर लेविस पेली को संधि का मसौदा दे दिया गया और इसके साथ ही "पूरक, गोपनीय और व्याख्यात्मक करार के लिए एक यादनामा" भी उसके हाथों में थमा दिया गया जिसमें संधि की शर्तों का और विस्तार से विवेचन किया गया था।[2] यादनामे में 'विदेशी शत्रु" की व्याख्या की गई थी, विदेशी शक्तियों के साथ पत्र-व्यवहार की शर्तें गिनाई गई थीं, ब्रिटिश एजेंटों के आवास का उल्लेख किया गया था, तार की लाइन के खर्च का हिसाब लगाया गया था और यह बताया गया था कि आतरिक उपद्रव के समय क्या सहायता दी जाएगी। यादनामे में उपदान के परिमाण का भी जिक्र था जो संधि की पुष्टि होने पर 20 लाख रु० तथा फिर 12 लाख रु० वार्षिक होता।

यहाँ हमने दोनों पक्षों की ओर से पेशावर की बातचीत के प्राथमिक आधार का विस्तार से वर्णन करने का प्रयत्न किया है जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि प्रत्येक पक्ष क्या चाहता था और वह किस हद तक दूसरे पक्ष की माँगें स्वीकार करने के लिए तैयार था। काबुल स्थित एजेंट के पत्र-व्यवहार से स्पष्ट है कि अमीर मैत्री-संधि की बुनियादी शर्तें स्वीकार करने के लिए सहमत था, पर उसने अपने दूत को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह अफगानिस्तान में ब्रिटिश एजेंसियों की स्थापना के मार्ग में निहित कठिनाइयों और आपत्तियों का ब्रिटिश सरकार के सामने स्पष्टीकरण कर दे और साथ ही उसके सामने वे शर्तें भी रख दे जिन्हें वह (अमीर) अपने देश में ब्रिटिश अफसरों के आवास के बदले

1 पर्लिटन का पेली के नाम संवाद, 17 अक्तूबर, 1876
2 संख्या 36 में संलग्न पत्र 24 और 25, अफगान पत्राचार, पृ 189-92

मे अँग्रेजों से स्वीकार कराना चाहता था। अमीर सहायता के लिए और सधि पर आधारित मैत्री के लिए उत्सुक था और वह परिसीमनकारी दायित्व स्वीकार करने के लिए बेमन से ही तैयार हुआ था। दूसरी ओर अँग्रेजो के पूर्णाधिकारी दूत को यह काम सौंपा गया था कि वह अमीर के ऊपर इस तरह की शर्तें आरोपित करे जिनके फलस्वरूप उसके विदेश-सबध अँग्रेजो के नियत्रण मे आ जाएँ और अँग्रेज अफसर तथा सौदागर उसके देश मे आजादी से आने-जाने लगें। दूत को अधिकार दिया गया था कि अगर अमीर इन शर्तों को स्वीकार कर ले, तो वह विदेशी आक्रमण और आतरिक उपद्रव से अमीर की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से मदद देने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले और अमीर के मान्य उत्तराधिकारी को भी मदद का वचन दे दे। पर, चूँकि 1869 की बातचीत का निरतर हवाला दिया जाता रहा, इसलिए इन रियायतो मे भी वही अस्पष्टता की छाया बनी रही जो आरभिक घोषणाओं मे थी। लगता है वायसराय वास्तव मे पहले के अस्पष्ट आश्वासनो से आगे नही बढ़ना चाहता था और 10 मई, 1877 के पत्र मे उसने जोर देकर कहा था कि साम्राज्ञी की सरकार अब जो रियायतें दे रही है वे उन आश्वासनो की सिर्फ औपचारिक पुष्टि-मात्र हैं—जो उसने 1869 मे मेयो की मार्फत अमीर को दिए थे,[1] उससे अधिक कुछ नही। आर्गील के ड्यूक के अनुसार वायसराय के इस आग्रह से यह विश्वास होने लगता है कि सधि के मसौदे मे इस बात की "अधिक से अधिक सावधानी" बरती गई थी कि ये आश्वासन उन गारटियो का रूप धारण न कर लें जिन्हें अमीर वास्तव मे चाहता था।"[2] आर्गील के ड्यूक का मत है कि "इन विस्तृत प्रतिबधो की योजना जान-बूझ कर इसलिए की गई थी कि जो भी मामला सामने आए, उस पर समय और परिस्थितियो के अनुसार विचार करने की पूरी स्वतत्रता ब्रिटिश सरकार के हाथो मे बनी रहे। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक इसी की रक्षा के लिए कृतसकल्प रहे थे। और उधर अमीर इसी स्वतत्रता को सीमित करने के उद्देश्य से सधि चाहता था। अमीर से ऐसी सधि का प्रस्ताव करना जिससे उक्त स्वतत्रता पहले की तरह ब्रिटिश सरकार के हाथो मे बनी रहे, उसकी इच्छा-पूर्ति नही समझी जा सकती थी। इसलिए, यह बात बहुत बुरी थी—'दिखावटी बहाने से भी बुरी—कि अमीर के सामने यह सधि एक ऐसी शर्त्त के रूप मे प्रस्तुत की जाए जिसकी उसने स्वय माँग की हो।'[3] इन अस्पष्ट रियायतो के आधार पर पेली को यह माँग करनी थी कि अमीर ब्रिटिश एजेटो को अपने देश मे रखने की माँग पहले और बिना शर्त्त स्वीकार कर ले। उसके मन मे यह विश्वास पूरी तरह जमा दिया गया था कि अमीर अँग्रेजो की कृपा का याचक है, कि सम्मेलन उसके प्रति एक रियायत के रूप मे किया जा रहा है और उसके लिए अपना दूत भेजने का अर्थ ही यह है कि उसने ब्रिटिश सरकार की माँग स्पष्ट रूप मे स्वीकार कर ली है। यो बातचीत के चरम लक्ष्य के बारे मे दोनो पक्षो मे कोई मूल मतभेद न था, फिर भी इस बारे मे दोनो पूर्णाधिकारी दूतो के विचार एक-दूसरे से काफी भिन्न थे कि समस्या मे निबटा किस तरह जाए। इसके अलावा पेली किसी तरह के समझौते के लिए

---

1 भारत-मत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877
2 आर्गील, II, पृ 433
3 आर्गील, II, पृ 435

तैयार न था और उसमें अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझने की प्रवृत्ति भी थी। फलत, पेशावर-सम्मेलन की सफलता की संभावना आरंभ से ही नष्ट हो गई थी।

1877 के आरंभ के तीन महीनों में पेशावर में लंबी-लंबी बहसों, वक्तव्यों और जवाबी वक्तव्यों का सिलसिला चलता रहा परन्तु यहाँ उसकी चर्चा करना व्यर्थ होगा। दोनों दूत जिस समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे वे उसके उपायों पर विचार करने की स्थिति में ही कभी नहीं पहुँच सके। प्रकटतः बहस इस प्रश्न पर समाप्त हो गई कि क्या अमीर के मन में किसी तरह की गलतफहमी या आशंका थी और क्या उसने इन आशंकाओं को दूर करने और बाहरी तथा आंतरिक खतरे से अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वायसराय से किसी तरह की रियायत चाही थी। नूर मुहम्मद शाह ने अंबाला और शिमला-सम्मेलनों का बार-बार हवाला दिया और ब्रिटिश दूत को यह समझाने की कोशिश की कि पहले के जो भी आश्वासन या करार है उन पर अमीर को पूरा-पूरा विश्वास था, और अमीर के दृष्टिकोण से वे बंधनकारी है पर वे सभी भारत सरकार ने अपने हित को ध्यान में रखकर दिए या किए थे—अमीर ने उनकी याचना नहीं की थी। उसने इस बात पर जोर दिया कि सभी करार बंधनकारी है, अकेली 1855 की संधि ही नहीं, और उसने इस धारणा का खंडन किया कि ब्रिटिश अफसरों को अफगानिस्तान में प्रवेश करने की आजादी मिले बिना दोनों राज्यों के बीच मित्रता नहीं बनी रह सकती। उसने बताया कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश अफसरों के रहने से क्या-क्या कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं और इस व्यवस्था के विरुद्ध पूर्ववर्ती वायसरायों ने क्या-क्या गारंटियाँ दी थी।[1] पर पेली ने उसके उत्साहपूर्ण, निश्छल और युक्तियुक्त विरोध को सुना-अनसुना कर दिया और उसे जो हिदायतें दी गई थी, उनके अनुसार वह एक ही बात की रट लगाए रहा कि अमीर ब्रिटिश एजेंटों को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं और अगर नहीं है तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती थी।[2] बातचीत शब्द का जो अर्थ समझा जाता है, पेशावर की "बातचीत" की प्रवृत्ति ही उसके विरुद्ध थी और उससे, ब्रिटिश राजनय का दिवालियापन स्पष्ट हो गया और साथ ही जिस पूर्णाधिकारी दूत की सेवाओं की उसके स्वामी ने इतनी अधिक सराहना की थी, उसकी बुद्धिहीनता तथा मठमुल्लेपन का भी पर्दाफाश हो गया था। वायसराय को बातचीत के समूचे क्रम की सूचना दे दी गई और सर लेविस पेली ने 15 मार्च, 1877 को वायसराय के विचारों तथा निर्णयों से अफगान दूत को अवगत करा दिया। अफगान दूत को इन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और इस तरह से पेशावर-सम्मेलन प्राय समाप्त हो गया।[3]

लॉर्ड लिटन का यह पत्र उसकी दृढ़ता और साथ ही अफगानिस्तान के प्रति उसके दुराग्रही दृष्टिकोण के कारण विशेष उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वायसराय या तो अफगानिस्तान की गद्दी पर एक ऐसा शासक चाहता था जो विनम्र और अधीन

1 पेशावर की बैठकें विशेषकर 8, 10 और 12 फरवरी, 1877 की बैठकों का अभिलेख, अफगान पत्राचार, 203 209

2 15 और 19 फरवरी, 1877 की बैठकों का अभिलेख। वही, पृ 209-214

3 पेली का नूर मुहम्मद शाह के नाम संवाद, 15 मार्च, 1877। वही, पृ 214

हो या फिर वह उसके साथ किसी तरह के संबंध रखने के लिए तैयार न था। वायसराय ने नूर मुहम्मद के वक्तव्यों पर दो भागों में विचार किया—अतीत से संबद्ध वक्तव्य और वर्तमान से संबद्ध वक्तव्य। अतीत से संबद्ध वक्तव्यों के बारे में उसकी टिप्पणी यह थी कि अमीर के मन में जो भी रोष और झुंझलाहट पैदा हुई है, वह उसके दरबार में किसी ब्रिटिश रेजीडेंट के न रहने से हुई है क्योंकि अगर वह होता तो उसकी सारी आशंकाओं का तत्काल निवारण कर देता और आपसी संबंधों को मैत्रीपूर्ण आधार पर प्रतिष्ठा करता। उसने इस बात पर खेद प्रकट किया कि 'अमीर के प्रशासन में अफगानिस्तान असभ्य और गतिहीन स्थिति में रहा है और इसके कारण महामान्य ने अपने दरबार में न तो ब्रिटिश दूत का स्वागत किया और न ब्रिटिश सरकार के साथ अपने संबंधों को उचित पद और गौरव के आधार पर ही प्रतिष्ठित किया। यह उचित पद और गौरव ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान के शासक को भी उन अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की श्रेणी में यथासंभव देती जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध रहे हैं।"[1] यह संकेत अपमानजनक भी था और गलत भी और इसके माध्यम से अमीर को एक प्रलोभन दिया गया और कहा गया कि अमीर इसके लिए बहुत लालायित है। पर, हमें दूसरे भाग के संबंध में वायसराय की प्रतिक्रिया की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उस समय की उसकी नीति उसी से व्यक्त होती है। वायसराय ने पहले तो इस बात पर जोर दिया कि अमीर विद्यमान संबंधों से असंतुष्ट है और उसे उन प्रस्तावों पर भी रोष है "जो इस समय उन संबंधों को सुधारने के लिए अनायास ही उसके सामने प्रस्तुत किए गए हैं" और यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार ने अमीर की बड़ी उदारता से सहायता की है और उसके साथ "हद दर्जे की रियायत बरती है" जिसे अमीर ने अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद उसने घोषणा की कि, 'अगर अमीर ने इन प्रस्तावों को बिना शर्त ठुकरा दिया या ऐसी शर्तों पर माना जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हों, तो ब्रिटिश सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा न रह जाएगा कि वह काबुल के महामान्य अमीर शेर अली को ऐसा पड़ोसी समझे जिसके साथ उसके संबंध न तो संतोषजनक हैं और न जिनके सुधरने की संभावना है।' इसके बाद वायसराय ने नूर मुहम्मद शाह की इस युक्ति को अस्वीकार कर दिया कि पूर्ववर्ती संधियों और करारों के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अफगानिस्तान में अपने दूत भेज सके। और, इसके विपरीत, उसने अपनी यह धारणा व्यक्त की कि अमीर शेर अली और उसके पिता ने ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास कराना चाहा था कि महामान्य इस व्यवस्था के लाभों का हार्दिक स्वागत करेंगे और उन्हें सराहेंगे। किंतु, अगर यह विश्वास गलत रहा हो, तो "यह बात तुरंत ही समाप्त हो जाएगी क्योंकि ब्रिटिश सरकार की यह जरा भी मंशा नहीं है कि जो व्यवस्था स्वयं उसके लिए इतनी अधिक कष्टप्रद है, उसे अपने अनिच्छुक पड़ोसी के ऊपर लादे' और नूर मुहम्मद शाह से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि "क्या अब अमीर को ब्रिटिश सरकार की मैत्री-संधि अभीष्ट नहीं है और क्या महामान्य अफगानिस्तान के किसी भी भाग में ब्रिटिश अफसरों का स्वागत करना अस्वीकार करते हैं।" यह भी कहा गया कि अब यदि इस प्रश्न पर कोई चर्चा हुई कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश अफसरों का भेजना

1 वही, पैरा 8

उचित है या नही, तो 'यह उस सद्भाव का उल्लंघन होगा जिसके आधार पर वायसराय ने इस वार्ता मे अमीर के प्रतिनिधि के रूप मे आपका स्वागत करना स्वीकार किया था'। *वायसराय की ओर से यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान मे ब्रिटिश अफसरो को भेजने* की जो व्यवस्था की जा रही थी, वह अमीर के प्रति एक बडी रियायत थी और चूंकि अमीर उसे स्वीकार करना नही चाहता था, 'इसलिए अब ऐसी कोई बात नही रहती जिसका प्रस्ताव किया जाए या जिस पर बहस की जाए और महामान्य की इच्छानुसार दोनो ही सरकारें अपनी-अपनी पहले वाली स्थितियो पर वापस लौट आती है।'

यह कोरी धमकी न थी और पेली ने बडे परिश्रम से इस स्थिति व निहितार्थों का विवेचन किया था। सिर्फ एक संधि—1855 की संधि—बंधनकारी थी और उसके बारे मे अमीर पर आरोप लगाया गया कि वह पिछले चार सालो से उससे बचता रहा है, उसका उल्लंघन करता रहा है। फिर भी, संधि को निराकृत नही किया जा सकता था और उसके अनुसार अमीर विधित इस बात के लिए बाध्य था कि अगर ब्रिटिश सरकार अपने शत्रुओ पर हमला करने और अपने मित्रो की रक्षा करने मे अमीर का सहयोग मांगे, तो वह मना नही कर सकता था—*हालांकि संधि के अंतर्गत अमीर की ओर से* ब्रिटिश सरकार के ऊपर बराबर की कोई जिम्मेदारी नही थी। पेली ने इस व्याख्या पर जरा भी पर्दा डालने की कोशिश नही की कि '1855 की संधि के अधीन ब्रिटिश सरकार ने अमीर की ओर से अपने ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नही ली है'। बाद मे वायसराय ने भी यह बात दुहराई कि ब्रिटिश सरकार इन दो संधियो के अधीन—और इनके अलावा कोई और करार था ही नही—"प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी शत्रु या देश के भीतर-बाहर के किसी खतरे से अमीर या अमीर के राजवंश की रक्षा करने और उसे संरक्षण तथा सहायता देने के लिए किसी भी तरह बाध्य या उत्तरदायी नही है," और इस तरह वायसराय ने अमीर के आत्म-संतोष के महल को निर्दयतापूर्वक ढा देने मे किसी तरह का संकोच नही किया था। अत, अब अमीर ऐसा कोई दावा नही कर सकता था कि उसे 'ब्रिटिश सरकार की बिना शर्त सहायता' मिले। 1869 और 1873 की घोषणाओ को बंधना विवाद का विषय हो गया था क्योकि स्थिति बदल चुकी थी और अमीर इन आश्वासनो के मुख्य पारस्परिक आधार को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। *और, चूंकि अमीर अंग्रेजो की मैत्री-संधि या संरक्षण नही चाहता था—ब्रिटिश* सरकार ने नूर मुहम्मद शाह की भाषा का यही अर्थ निकाला था—इसलिए ब्रिटिश सरकार भी उसके ऊपर अपनी मैत्री-संधि का आरोप करना नही चाहती थी और वह उन शर्तों को भी वापस लेने के लिए तैयार थी जो उसने नवाब अता मुहम्मद की मार्फत पेश की थी। अंत मे, इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान के लोगो के साथ कोई लडाई नही है, उसकी "स्वतंत्रता, समृद्धि और शांति' की कामना की गई और कहा गया कि उसके विरुद्ध आक्रमण करने का उस समय तक कोई विचार नही है जब तक उसके शासक ही इसके लिए न भडका दें। पर, इसके साथ ही 'अमीर और उसके राजवंश की ओर से सारी जिम्मेदारियां अस्वीकार करदी गई' क्योकि इस तरह के दायित्व कभी नही लिए गए थे और "अमीर के संतोषजनक आचरण की गारटी के बिना' इस तरह के कोई दायित्व ग्रहण नही किए जा सकते थे। इस वक्तव्य के अंत मे यह आश्वासन दिया गया था कि 'ब्रिटिश सरकार ने जिन क्षेत्रो पर इस समय तक अमीर

का वैध अधिकार माना है, उन सारे क्षेत्रों पर वह अमीर की स्वतन्त्रता तथा सत्ता का अब तक की भाँति सम्मान करती रहेगी और जब तक अमीर यह सावधानी बरतता रहेगा कि जिन कबीलों और क्षेत्रों पर उसका नियन्त्रण नहीं है, उनके मामलों में वह हस्तक्षेप न करे तब तक ब्रिटिश सरकार भी अमीर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।"[1]

यह वक्तव्य इस दृष्टि से मार्के का है कि इसमें यह बात बिना किसी दुराव-छिपाव के कह दी गई थी कि अगर अमीर ने ब्रिटिश एजेंटों की माँग बिना शर्त स्वीकार नहीं की, तो ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान को मैत्रीपूर्ण और संरक्षित राज्यों के मंडल में शामिल न कर सकेगी और न उसके शासक को बाहरी या भीतरी खतरा होने पर सहायता का हकदार समझेगी। पर, इस वक्तव्य में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें शासक और उसकी प्रजा के बीच भेद किया गया था और अमीर के वैध राज्य में सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को माना गया था जिन पर 1855 में उसका नियन्त्रण था। इन दोनों बातों के बड़े महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते थे। इनसे लार्ड लिटन की नीति का सुराग मिल जाता है। यहाँ यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि लॉर्ड लिटन को सम्मेलन बंद कर देने की बेहद हड़बड़ी थी और जब नूर मुहम्मद शाह सख्त बीमार पड़ा था और उसे यह सूचना दी जा चुकी थी कि सारी माँगों को स्वीकार करने के आदेश लेकर एक नया दूत आ रहा है, तब भी उसने आगे की बातचीत के लिए दरवाजा बंद कर दिया।[2] 10 मई, 1877 के पत्र से ज्ञात होता है कि "एक नया दूत काबुल से पेशावर चल पड़ा था और कहा गया था कि इस दूत को अंतत ब्रिटिश सरकार की सारी शर्तें स्वीकार कर लेने का अधिकार प्राप्त था। जब वायसराय ने हमारे दूत को सम्मेलन बंद करने का आदेश दिया था, तब उसे इन बातों की जानकारी थी। पर, परमश्रेष्ठ को लगा कि अगर काबुल के वर्तमान अमीर ने ब्रिटिश सरकार की मित्रता पाने की योग्यता और उसका बदला चुकाने की प्रवृत्ति व्यक्त की हो, तो ब्रिटिश सरकार को उसकी ओर से ऐसी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ जातीं जिनकी स्वीकृति से उसे लाभ तो बिल्कुल न होता, उल्टे उसकी परेशानी बढ़ सकती थी। सर लेविस पेली के सोत्साह जाँच-पड़ताल करने से जिस स्थिति का उद्घाटन हुआ है, उससे इसी धारणा की पुष्टि होती है। इस स्थिति में पेशावर-सम्मेलन अगर, ज्यादा समय तक चलता तो उससे परेशानियाँ और उलझनें ही बढ़तीं और उनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय उसे समय पर बंद कर देना था।"[3]

वायसराय ने जिस अशोभन उतावलेपन से यह बातचीत बंद कर दी थी उससे दो बातों का संदेह होता है—वह "और अधिक उलझनों से बचना" और ऐसी स्थिति तथा शर्तों के घेरे से बाहर निकलना चाहता था जिन्हें वह कार्यरूप में परिणत करने के लिए तैयार न था या फिर उसके मन में कोई प्रच्छन्न सत्य था और सम्मेलन का आयोजन करने में उसका इरादा अमीर की भावनाओं की थाह पाना था और उसके विचारों को

---

1 पेली का नूर मुहम्मद शाह को संवाद, 15 मार्च, 1877
2 शासन, संख्या 36 में संलग्न पत्र 47, वायसराय का पेली के नाम संवाद, 30 मार्च, 1877, अफगान पत्राचार, पृ 220-2
3 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877 पैरा 36

गलत रूप में पेश करके अपनी आक्रामक योजनाओं के लिए कुछ बहाना ढूंढ निकालना था। पर, इतना तय है कि यह बातचीत दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों की आरंभिक व्याख्या से आगे नहीं बढ़ सकी और अमीर की ओर से हेरात में ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति की स्वीकृति के बदले में वायसराय उसे उदारतापूर्वक जो रियायतें देना चाहता था, उन रियायतों के क्षेत्र या विस्तार का किसी भी अवसर पर स्पष्टीकरण नहीं किया गया। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि वायसराय एजेंटों के कार्य सीमित करने के लिए तैयार न था और उसे वे शर्तें भी स्वीकार न थीं जिन्हें अमीर अपने देश में एजेंटों के निवास पर आरोपित करना चाहता था। उस समय लॉर्ड लिटन के मन की क्या प्रवृत्ति थी—इसका पता लगाना मुश्किल है, पर कबीलों को अपनी ओर मिलाने तथा अमीर के सीमांत पर ब्रिटिश फौजें तैनात करने के लिए उस समय से जो जोरदार तैयारियाँ हो रही थीं, उनसे और परवर्त्ती घटनाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि लॉर्ड लिटन की जिस माँग को पूरा करने के लिए अमीर तैयार नहीं था, उसकी सिद्धि के लिए लॉर्ड लिटन युद्ध जैसे साधनों का सहारा लेने की सोच रहा था। परिणाम यह हुआ कि नवाब अता मुहम्मद को काबुल नहीं भेजा गया और फिलहाल दोनों राज्यों के आपसी संबंध फिर वैसे ही हो गए जैसे वे शुरू-शुरू में थे।

इसी बीच ट्रांस-कैस्पियाना में घटना-चक्र तेजी से घूम रहा था और ओक्सस के तट पर रूस की कथित तैयारियों में तथा अक्क्ल टेक्कों के विरुद्ध जनरल लोमाकिन के अभियान में भारत सरकार को खतरे का बिगुल सुनाई दिया।[1] भारत सरकार को एक ऐसे समय में जब कि अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध कोई खास अच्छे न थे, अपने सिर पर दो खतरे झूलते दिखाई दिए—एक तो यह कि रूस मर्व पर शीघ्र ही अधिकार कर सकता है और दूसरे यह भी संभव है कि वह हेरात पर चढ़ाई कर दे। इन खतरों के फलस्वरूप भारत सरकार स्थिति का सामना करने के उपायों पर विचार करने लगी। इसी बीच निकट पूर्व में भी संकट के बादल घुमड़ते आ रहे थे और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि कहीं इंगलैंड को तुर्की की ओर से रूस के विरुद्ध हथियार न उठाने पड़ें। डिजरैली की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण आधार यह रहा था कि पूर्वी भूमध्य सागर में अँग्रेजों के हितों की और स्वेज नहर की रक्षा की जाए। काबुल के साथ लॉर्ड लिटन के व्यवहार पर इन सारे तत्त्वों का प्रभाव पड़ा था, अफगानिस्तान के प्रति उसकी नीति का स्वरूप निश्चित हुआ था और उसमें दृढ़ता आ गई थी। मई, 1877 में भारत सरकार ने भारत-मंत्री को सूचना दी थी कि, "हमें यह सोचने का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि वर्त्तमान अमीर किसी तरह की आक्रामक कार्यवाही करेगा या हमें महामान्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी"। भारत सरकार काबुल के "सहज घटना-प्रवाह" की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी और उसका ख्याल था कि अफगानिस्तान के लोगों में अमीर शेर अली के प्रति असंतोष निरंतर बढ़ता जा रहा है और वे हमारा साथ देंगे। उस समय भारत सरकार और अफगानिस्तान के संबंधों को भी ऐसा ही समझा गया था जैसे कि "हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के सरदारों के साथ साधारणत: रहते

1 अध्याय आठ देखिए।

है ।[1] लेकिन, इसके कुछ समय बाद ही मध्य एशिया का घटना-प्रवाह एक नई दिशा में मुड़ा। इस परिवर्तन के मूल में तुर्कमानों के विरुद्ध रूस की कार्यवाही थी। फलत, 2 जुलाई 1877 को भारत सरकार ने भारत-मंत्री को लिखा, "अफगानिस्तान के घटना-प्रवाह के फलस्वरूप मर्व का महत्त्व बहुत बढ़ गया है"। अगर, 'काबुल और हेरात में भारत सरकार का सबसे ज्यादा दबदबा बना रहे," तो मर्व पर रूस के अधिकार का खतरा दूर हो जाएगा। पर, उसने कहा, "काबुल में अंग्रेजों के प्रभाव की जगह रूस का प्रभाव स्थापित हुआ और अब हम यह भरोसा नहीं हो सकता कि अगर हमने हेरात में अंग्रेजों के हितों की रक्षा की, तो इसमें मर्व में रूसी फौजों की मौजूदगी की काट हो जाएगी'। भारत सरकार ने मर्व पर रूसी हमले के खतरे गिनाए और यह विचार व्यक्त किया कि अगर अमीर का दृष्टिकोण संतोषजनक होता, तो उसे मर्व पर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। उसने लिखा कि "काबुल में भारत सरकार का प्रभाव इतना क्षीण है कि उसके लिए केवल राजनयिक साधनों से हेरात में ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति करना असंभव होगा। अगर, हम अब भी यह चाहें कि रूस मध्य एशिया में चारजुई में सैनिक साज-सामान और परिवहन के साधन इकट्ठे न कर सके, और किज़िल अरवत पर उसे अधिकार करने से रोका जाए या उसके खिलाफ कुछ कार्य-वाही की जाए, तो यह काम शेरअली के सहयोग के बिना ही, और उसके प्रतिरोध की उपेक्षा कर, अपने बूते पर ही करना होगा।"[2]

पत्र के अंतिम भाग में इन साधनों का स्पष्टीकरण किया गया था। भारत सरकार ने एक बार फिर कहा कि मर्व को रूस के हाथों में जाने से रोकना बहुत जरूरी है और अगर अफगानिस्तान के ऊपर ब्रिटिश सरकार का अब भी वह मैत्रीपूर्ण, उचित और उपयोगी प्रभाव बना रहे जो लंबे अरसे से उसकी घोषित नीति का लक्ष्य रहा है, तो मर्व-तुर्कमानों तथा अफगानों की मैत्री-संधि से अनेक लाभ होंगे"। पर, वस्तु-स्थिति यह न थी और भारत सरकार को शंका हुई कि "अगर कहीं ब्रिटिश एजेंट पश्चिमी अफगानिस्तान में न जा सका और मर्व पर रूस की फौज ने अधिकार कर लिया" तो इस प्रश्न का निर्णय प्रायः हो जाएगा कि अफगानिस्तान में किसकी तूती बोलेगी—रूस की या ब्रिटेन की ? इस समस्या का समाधान यही हो सकता है कि "हेरात में अंग्रेजों का प्रबल प्रभाव स्थापित किया जाए"। पर, अमीर इसके लिए तैयार न था और हालाँकि भारत सरकार "अमीर को उसके हितों का अधिक तीव्रता से भान कराने के संबंध में पूरी तरह हताश न थी," फिर भी उसे यह आशा न थी कि यह काम उचित समय पर पूरा हो सकेगा। अत, इस प्रश्न पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता थी कि अगर अमीर हमारी सहायता के सारे प्रस्ताव ठुकराता रहा, और रूस काबुल में अपना प्रभाव बढ़ाता रहा, तथा उसने वहाँ से हेरात पर नियंत्रण रखा, तो हमारी स्थिति क्या होगी ? उस समय हमारे सामने दो ही विकल्प होंगे—या तो हम अफगानिस्तान को रूस के हवाले कर दें या हमने वहाँ अपने हितों की रक्षा करने के लिए अब तक

1 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 10 मई, 1877, पैरा 40

2 भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 2 जुलाई, 1877, एफ डी. एस पी, 1877, नवंबर, स 129

जो कार्यवाही की है, उससे ज्यादा सशक्त कार्यवाही करें'। भारत पर अँग्रेजों की प्रभुता बनाए रखने के विचार से पहला विकल्प खतरनाक था। अतः, दूसरा विकल्प ही व्यावहारिक था और लॉर्ड लिटन की सरकार ने उसकी रूपरेखा इस तरह प्रस्तुत की थी

'प्रस्तुत समस्या का सबसे अच्छा समाधान हम अब भी यही लगता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें *और उस देश में हमारे प्रभाव की नींव खूब पक्की और प्रशस्त हो*। लेकिन, हम या साम्राज्ञी की सरकार इस तथ्य की ओर से भी उदासीन नहीं रह सकते कि वह समय भी आ सकता है (और जल्दी ही आ सकता है) जब भारत में अँग्रेजों की प्रभुता बनाए रखने के लिए यह बिल्कुल जरूरी हो जाए कि हम पश्चिमी अफगानिस्तान के विरुद्ध, जिसमें हेरात का महत्त्वपूर्ण किला भी शामिल होगा सैनिक अभियान करना पड़े (यह अभियान वहाँ के शासक की सहमति से भी हो सकता है और उसके बिना भी)। प्रकटतः, वर्तमान अमीर की स्थिति बड़ी डाँवाडोल है, *और घटना-चक्र के फलस्वरूप यह भी संभव है कि सल्तनत का विघटन हो जाए और* पश्चिमी अफगानिस्तान में एक अलग सल्तनत बनानी पड़े जिसे अँग्रेजों के प्रभाव और संरक्षण में ले आना आसान हो। पर, काबुल के वर्तमान घटना-प्रवाह की परिणति चाहे कुछ भी हो, हमें यह साफ दिखाई देता है कि अगर रूस के निरंतर विस्तार से पैदा होने वाले खतरों का निवारण करना है, तो हम तुरंत ही ऐसी स्थिति ग्रहण करनी होगी जिससे रूस अफगानिस्तान में अपने पाँव न जमा सके"।[1]

यहाँ हमें अफगानिस्तान के प्रति लॉर्ड लिटन की नीति के सच्चे स्वरूप का दर्शन हो जाता है। वह नीति यह थी कि तुर्कमान प्रदेश में रूस के विस्तार की काट करने के लिए *ब्रिटिश सरकार हेरात में मजबूती से अपने पाँव जमाए और इस प्रयोजन के लिए पश्चिमी* अफगानिस्तान को अमीर शेर अली के नियंत्रण से हटाकर अपने दृढ़ प्रभाव में ले ले। उसने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए छल-कपट का भी सहारा लिया, पर यथार्थ में इसकी *सिद्धि युद्ध के द्वारा ही संभव थी और लॉर्ड लिटन ने अपना सारा बल और नीति-कौशल* इसी दिशा में लगा दिया। यूरोप के घटना-प्रवाह की दिशा इसके अनुकूल थी। पर, साम्राज्ञी की सरकार ने इस प्रस्ताव पर आसानी से अपनी स्वीकृति नहीं दी। लॉर्ड सैलिसबरी ने 4 अक्तूबर, 1877 के अपने पत्र में यह इच्छा प्रकट की कि "अमीर को जो जानकारी मिली है, उस पर विचार करने का उसे कुछ समय देना चाहिए। अब अमीर के दृष्टिकोण में सुधार के भी कुछ संकेत मिलने लगे हैं"। "अगर, हम एक आर तो इस समय उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न डालें और दूसरी ओर जिन रियायतों का उसने अस्वीकार कर दिया है, उनका फिर से प्रस्ताव न करें, तो उसके दृष्टिकोण में तेजी से सुधार हो सकता है"। भारत-मंत्री ने आगे चल कर कहा कि भविष्य में बाह्य आक्रमण का कोई खतरा नहीं है और हेरात में एजेंट नियुक्त करना बहुत जरूरी है। उसने वायसराय को आदेश दिया कि "अमीर से अभी हाल में *जिन शर्तों का प्रस्ताव किया गया है, और जिन्हें उसने अस्वीकार कर दिया है*, अगर वह उनके आधार पर आपके साथ मैत्रीपूर्ण समझौता करने की इच्छा प्रकट करे, तो उसकी इच्छा को ठुकराया न

1. भारत-मंत्री को भेजा गया प्रेषण, 2 जुलाई, 1877

जाए। इसके अलावा, अगर वह पृथक्ता और गुपचुप विरोध का दृष्टिकोण बनाए रखे, तो फिर ब्रिटिश सरकार सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी और अफगानिस्तान में कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर उसे अमीर शेर अली की इच्छाओं और उसके राजवंश के हितों की चिन्ता किए बिना साम्राज्ञी के भारतीय प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी सीमांत की ओर स्थायी शांति की रक्षा करने के लिए परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता होगी"।[1] इसके अलावा, 2 जुलाई के पत्र के उत्तर में भारत-मंत्री ने लिखा कि मर्व के ऊपर कोई खतरा नहीं है और भारत सरकार को उस पर हमला नहीं करना चाहिए। फिर भी, उसने भारत सरकार को सलाह दी कि वह सदा तैयार रहे और "अफगानिस्तान के शासक के ऊपर अपना मैत्रीपूर्ण प्रभाव स्थापित करने के लिए अपनी स्थिति दृढ़ करे"। लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा कि भारत सरकार के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि वह "अफगानिस्तान के सीमांत के, तथा सीमांत के आगे के, घटना-प्रवाह की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करती रहे"। उसने यह भी लिखा कि 'स्थायी परिणाम की सिद्धि के लिए की जाने वाली आवश्यक व्यवस्था काबुल सरकार की सद्भावना पर निर्भर है और इस दिशा में आप जो सफलता प्राप्त कर सकेंगे उसी पर इस प्रश्न का समाधान निर्भर होगा कि आपके अमीर के साथ सामान्य संबंध कैसे रहेंगे"।[2] इसलिए लॉर्ड लिटन की पश्चिमी अफगानिस्तान को एक पृथक् विश्वसनीय सल्तनत का निर्माण करने की इच्छा थी और उसे सही मौके की ताक में बैठे रहना पड़ा।

यह हम ऊपर कह ही आए हैं कि लॉर्ड लिटन भारतीय सीमांत पर वे सब तैयारियाँ करता रहा था जिनका लक्ष्य था कबीलों और सरदारों को अफगानिस्तान से फोड़कर अपनी ओर मिला लेना। यूरोप में घटना-चक्र इतनी तेजी से घूम रहा था कि पूर्व के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान के सारे प्रयत्न विफल होने वाले थे और रूस तथा इंगलैंड के बीच लड़ाई छिड़ने ही वाली थी। जब रूस और तुर्की के बीच युद्ध आरंभ हो गया और डिज़रैली ने यह धमकी दी कि वह दर्रा दानियाल में रूस के खिलाफ फौजें इकट्ठी करेगा, तो लगता है इसकी काट करने के लिए रूस ने अपनी फौजें ओक्सस तक बढ़ा दी और वहाँ से फौजें सामरिक दृष्टि से मौके के मोर्चे पर डट गई। इससे अफगानिस्तान और भारत में आशंका की लहर दौड़ गई। रूस सरकार ने अंग्रेजों के विरोध के जवाब में जो अनेक उपाय किए थे, उनकी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी यह थी कि उसने जनरल स्तोलिएतोव के नेतृत्व में एक मिशन काबुल भेजने का निश्चय किया जो रूस के हितों के लिए अमीर शेर अली का विश्वास और समर्थन प्राप्त कर सके। सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि अमीर के मन में रूसियों के प्रति कोई प्रेम न था और हालाँकि अमीर तथा रूसी सरकार के बीच प्रायः पत्र-व्यवहार होता रहता था और यह अफवाह भी जोरों पर थी कि उनके बीच मैत्री-संधि के लिए गुप्त बातचीत हो रही है, पर इस बात की पुष्टि

---

1 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया, प्रेषण गुप्त, सं 64, 4 अक्तूबर, 1877, पैरा 9 और 11 अफगान पत्राचार, पृ 222-4

2 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, एस डी एस पी, 1878, अक्तूबर, सं 11

नहीं हो सकी कि अमीर ने किसी भी अवस्था में रूस की इच्छा के आगे झुकने या उसकी अधीनता मानने का निर्णय किया हो। हन्ना के शब्दों में अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि वह स्थिति का निरीक्षण कर रहा था और दोनों साम्राज्यों की शत्रुता से लाभ उठाने की कोशिश में था।[1] इसलिए, जब अमीर ने देखा कि रूस अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और लार्ड लिटन के विरोध पर भी किसी तरह का परदा नहीं है तथा अँग्रेजों की तरफ से मदद की कोई आशा नहीं है, तब वह रूसिया का प्रवेश न रोक सका और उसने बेमन से रूसी मिशन के आने की अनुमति दी और उसके प्रति उस गौरव और सम्मान का दिखावा किया जो किसी मैत्रीपूर्ण मिशन के प्रति किया जाता है। रूसी मिशन को कोई ठोस लाभ हुआ या नहीं और किसी संधि का मसौदा तैयार हुआ था या नहीं—य इतिहास के विवादास्पद प्रश्न है। पर, लगता यही है कि चूँकि यह मिशन बर्लिन-संधि के बाद आया था और चूँकि रूस की इँगलैंड से लड़ने की कोई इच्छा न थी, अन स्तोलिएतोव मिशन असफल हुआ। पर काबुल म रूसी अफसरो की मौजूदगी से लार्ड लिटन का गुस्सा भड़क उठा और उसने तुरत ही वहाँ ब्रिटिश मिशन भेजने का फैसला किया। वायसराय ने 2 अगस्त, 1878 के अपने तार में कहा कि अमीर ने रूसी अफसरों का स्वागत करके शत्रुतापूर्ण कार्य किया है और इससे ब्रिटिश साम्राज्य का अपमान हुआ है। इसके अलावा उसने अपनी यह राय भी व्यक्त की कि 'अगर हम अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो इसका परिणाम यह होगा कि खानों की सल्तनतों की तरह अफगानिस्तान पर भी निश्चित और पूर्ण रूप से रूस का प्रभुत्व और प्रभाव स्थापित हो जाएगा। *हमारा विचार है कि अगर हमें इस प्रश्न को अपने और अमीर के बीच का प्रश्न मानने की अनुमति दी जाए तो हम स्थिति को ठीक कर सकते है और सो भी शायद तलवार उठाए बिना ही।*"[2] *इसीलिए, वायसराय ने अफगानिस्तान में एक ब्रिटिश मिशन* भेजने का प्रस्ताव किया और आशा प्रकट की कि इस मिशन का प्रतिरोध नहीं होगा। इस मिशन को वे प्रस्ताव दुहरा देने थे जिनके बारे म पहले सोच-विचार किया गया था। वायसराय ने यह भी कहा कि "अमीर को यह पता है कि हम उससे अपनी माँगें मनवा सकते है। हमारी सम्मति में भारत की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि अफगानिस्तान में अँग्रेजों का प्रबल प्रभाव बना रहे और अगर हम अपने इन प्रयत्नों से इस प्रभाव की फिर से प्रतिष्ठा नहीं कर सके, तब हमें सोचना पड़ जाएगा कि हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमांत की स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए क्या उपाय आवश्यक होंगे।"[3] ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया[4] और सर नेविल चैम्बरलेन को मिशन का नेता चुना गया।[5]

लॉर्ड लिटन ने अपने 4 सितंबर, 1878 के निर्देश-पत्र में अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति का और मध्य एशिया की घटनाओं के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट रूप में

1 हन्ना, 1, पृ 183-93
2 वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 2 अगस्त, 1878, अफगान पत्राचार, पृ 228
3 वही।
4 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया तार, 3 अगस्त, 1878
5 भारत-मंत्री के नाम भेजा गया प्रेषण, गुप्त म 61, 19 अगस्त, 1878

निरूपण किया है और बताया है कि ब्रिटिश सरकार को इन घटनाओं के जवाब में क्या-क्या उपाय करने चाहिए।[1] यहाँ उक्त निर्देश-पत्र की विषय वस्तु का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, पर दूत को जो हिदायतें दी गई थीं उनकी परीक्षा की जा सकती है। इससे हमें इस बात की झलक मिल जाएगी कि उस समय भारत सरकार के मन की क्या स्थिति थी। दूत को आदेश दिया गया था कि ' ब्रिटिश सरकार और अमीर के बीच जो भी गलतफहमी हो, वह उसके निवारण का प्रयत्न करे। अगर, यह गलतफहमी दूर न हो सके और अगर अमीर का रवैया प्रतिकूल न हो, तो दूत उसे यह बता दे कि ब्रिटिश सरकार काबुल के साथ अपने राजनीतिक संबंध सुधारने के लिए तैयार है और यह कि मैत्री-संधि के लिए दो शर्तें आवश्यक है। एक शर्त यह है कि अगर अफगानिस्तान में अब भी कोई रूसी दूत हो, तो वे वहाँ से कूच कर जाएँ और भविष्य में महामान्य के राज्य से रूसी दूतों का पूर्ण बहिष्कार रखा जाए और दूसरी शर्त यह है कि हमारी सरकार द्वारा प्रत्यायित दूत अमीर के राज्य में रहेंगे"। दूत को अधिकार दिया गया था कि वह इस आधार पर उपदान देने, उत्तराधिकारी को मान्यता प्रदान करने और "अगर रूस या उससे प्रभावित कोई राज्य अमीर के वर्तमान प्रदेशों के किसी भाग पर कब्जा करने का प्रयत्न करे, तो उस स्थिति में उसकी रक्षा करने का " वचन दे सकता है।[2] पर मिशन सफल न हो सका क्योंकि वायसराय में इतना धैर्य न था कि वह अमीर की रजामंदी की प्रतीक्षा करता और यद्यपि उसके भारतीय प्रणिधि ने जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी थी, फिर भी, उसने उसकी सलाह न मान कर मिशन को जबर्दस्ती अमीर के ऊपर लादने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि मिशन को अली मस्जिद से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई और जैसा कि पहले तय हुआ था, वह तीन-तेरह कर दिया गया।[3]

इस पराजय से वायसराय को जो निराशा हुई और उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया हुई, उसे जानना रोचक होगा। लॉर्ड लिटन ने 26 सितंबर, 1878 के अपने पत्र में भारत-मंत्री को लिखा 'खेद का विषय है कि भारत सरकार ने काबुल के अमीर के साथ मेल-मिलाप का यह जो अंतिम प्रयत्न किया था, उसका इस तरह से तिरस्कार और अपमान हुआ। फिर भी, हमारा निवेदन यह है कि घटना-प्रवाह की स्थिति और दिशा कुछ ऐसी थी कि हमारे सामने यह कोशिश करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा, हमने उसी एकमात्र उपाय का सहारा लिया जिसमें सफलता मिलने की संभावना थी। स्पष्ट है अमीर निरंतर हमसे दूर हटता जा रहा है। पिछले बारह महीनों में उसका हमसे अलग-थलग रहने का और हमारे प्रति विरोध का दृष्टिकोण रहा है। 1876-77 में हमने

---

1 मिनट, दिनांक 4 सितंबर, 1878 अफगानिस्तान (1881) सं. 2, पृ 4-21

2 भारत सरकार के सचिव की ओर से सर नेविले चैम्बरलेन को दी गई हिदायतें, सं 1912 पी दिनांक 7 सितंबर, (1878), लिटन का निर्देश-पत्र, 4 सितंबर, 1878 पैरा 64-78, अफगानिस्तान (1881), सं. 2, हन्ना, पृ 200-3

3 भारत-मंत्री के नाम भेजा गया तार, 26 सितंबर, 1878, भारत-मंत्री के नाम भेजा गया प्रेषण, गुप्त संख्या 93, 26 सितंबर 1878, अफगान पत्राचार, पृ 237-9

उसने मैत्रीपूर्ण बातचीत का जो प्रस्ताव किया था, उसकी भी उसने उपेक्षा कर दी। इन सब बातों को देखते हुए लगता है पिछले अगस्त में उसने रूसी प्रणिधियों का जो औपचारिक स्वागत किया, वह एक प्रकार से गंभीर राजनीतिक घोषणा है। किंतु, संभव है कि भारत में इस घटना का महत्त्व बहुत बढ़ा-चढ़ा कर समझा गया हो या उसका गलत अर्थ लगाया गया हो और अगर समय रहते अमीर से राजनयिक बातचीत की जाए, तो शायद वह अपने कार्य की गुरुता समझे और यह भी उसकी समझ में आ जाए कि इसका हमारी सरकार के साथ उसके संबंधों पर क्या अनिवार्य प्रभाव पड़ सकता है। पर, इस तरह की गलतफहमी को दूर करने और अमीर के ऊपर उचित प्रभाव डालने का एक ही उपाय है—ब्रिटिश दूत के द्वारा उसके साथ फिर से सीधे वैयक्तिक संपर्क की स्थापना की जाए। और इस साध्य की सिद्धि का इसके अलावा अन्य कोई सीधा उपाय भी न था कि हम तत्काल ही एक मिशन काबुल रवाना करते। अगर हम अमीर से पूछते कि क्या वह मिशन का स्वागत करेगा या हम यह प्रतीक्षा करते कि उसे कब सुविधा होगी है और कब हमें उसका प्रसाद प्राप्त होता है, तो यह उसी प्रयोग की पुनरावृत्ति होती जो पहले भी असफल हो चुका है। शेरअली ने अपने सीमांत पर सर नेविले चैम्बरलेन का तिरस्कार किया है और वह भी ऐसे समय में जब कि रूसी प्रणिधि उसकी राजधानी में अब भी मौजूद हैं। इससे सिद्ध हो गया कि राजनयिक उपायों से काम नहीं बन सकता। अब अमीर हमसे और अधिक धैर्य की अपेक्षा नहीं कर सकता'।[1] वायसराय ने एक अवांछित मिशन भेजने और जल्दी से अफगानिस्तान में उसका प्रवेश कराने के लिए जो विचारशून्य और नीतिशून्य कार्यवाही की थी, यह उसके बचाव की एक बढ़िया युक्ति है। पत्र में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह कुछ दिन प्रतीक्षा करने के लिए क्यों राजी नहीं हुआ। अगर वह राजी हो जाता, तो शायद समस्या का शांतिपूर्ण हल करने में मदद मिलती। जब अमीर ने एक बार रूसी दूत का स्वागत कर लिया था, तब इस बात की अधिक संभावना हो गई थी कि अगर ब्रिटिश मिशन को उपयुक्त समय पर और उपयुक्त रीति से भेजा जाता, तो उसका भी स्वागत होता। अमीर ने मिशन भेजने के ढंग पर आपत्ति की थी और इसी से संकट पैदा हुआ था। इससे यह भी लगता है कि लॉर्ड लिटन ने यह ढंग जानबूझ कर चुना था जिससे अमीर का अपमानित किया जा सके और अगर वह ननु-नच करे, तो उसे शत्रु करार दिया जा सके—ऐसा शत्रु जिससे केवल तलवार की भाषा में ही बातचीत की जा सकती थी।

अगला प्रश्न यह था कि इस अपमान का बदला कैसे चुकाया जाए और अमीर ने वायसराय की योजनाओं पर पानी फेर कर और मैत्रीपूर्ण मिशन को बलपूर्वक खदेड़ कर जिस धृष्टता का परिचय दिया था, उसका उसे कैसे दंड दिया जाए। लॉर्ड लिटन तुरंत ही युद्ध चाहता था, पर साम्राज्ञी की सरकार इस हद तक जाने के लिए तैयार न थी और उसके दबाव से अमीर को अंतिम चेतावनी देने की औपचारिकता का निर्वाह किया गया। इस चेतावनी के मसौदे का मजमून भारत-मंत्री ने तैयार किया था।[2] इस अंतिम चेतावनी में अमीर से माँग की गई थी कि वह क्षमा-याचना करे, स्थायी रूप से ब्रिटिश मिशन

1. भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, 26 सितंबर, 1878
2. भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया तार, दिनांक 25 और 30 अक्तूबर, 1878

स्वीकार करें और जिन कबीलों का ब्रिटिश सरकार से मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, उन्हें कोई हानि न पहुँचाए। उसे 20 नवंबर, 1878 तक की मोहलत दी गई थी और बता दिया गया था कि अगर उस समय तक अनुकूल उत्तर न मिला, तो अमीर को शत्रु समझा जाएगा। संयोग की बात यह है कि अमीर का शिष्ट तथा विनम्र उत्तर इस निश्चित तारीख के कुछ दिनों बाद मिला। युद्ध का बिगुल बज गया। फौज काफी पहले से ही तैयार थी। उसने अफगानिस्तान की ओर एक ऐसे शासक को दंड देने के लिए कूच किया जिसका सिर्फ एक ही दोष था कि उसे अपने राष्ट्र की आजादी से प्यार था। अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसमें राजा और उसकी प्रजा के बीच भेद किया गया था और कहा गया था कि फौजें केवल जिद्दी अमीर को दंड देने के लिए भेजी जा रही हैं और वे जनता को उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाएँगी। इस प्रकार, युद्ध एक ऐसे समय में आरंभ किया गया था जब रूस मैदान छोड़ चुका था और उस क्षेत्र से खतरे का ढोंग रचना किसी भी तरह उचित न था। अमीर के ऊपर युद्ध थोपा गया था। रूस से मित्रता करने का उसका कतई कोई इरादा न था और वह अँग्रेजों की सबसे असुविधा-जनक माँगें तक स्वीकार करने के लिए तैयार था। पर, लॉर्ड लिटन अफगानिस्तान पर प्रभुता स्थापित करके काबुल की गद्दी पर किसी मामत को बिठाना चाहता था। उसकी यह महत्त्वाकांक्षा राजनयिक तौर-तरीकों से पूरी नहीं हो सकती थी। राजनय का रास्ता उसकी इस योजना के भी अनुरूप न था कि पश्चिमी अफगानिस्तान को काबुल के नियंत्रण से अलग कर दिया जाए जिससे कि मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य-वाद से अंतिम लोहा लेने के लिए अपनी प्रतिरक्षा और अग्रवर्ती सीमांत-नीति की योज-नाओं पर बेरोक-टोक अमल किया जा सके। नवंबर, 1878 में जो युद्ध आरंभ हुआ और जिसके फलस्वरूप भारत-अफगान मैत्री की शांतिपूर्ण धारा में गंभीर विक्षोभ पैदा हो गया, उसके मूल कारण उक्त विचार थे, अमीर शेर अली का विश्वासघात नहीं। जब बातचीत से काम न चला, तो समस्या का समाधान करने और अमीर को झुकाने के लिए तलवार का सहारा लिया गया।

अध्याय 12

अफगानिस्तान में युद्धोत्तर व्यवस्था

लॉर्ड लिटन ने सीमा-रक्षा के बारे में अपनी निश्चित धारणाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए अली मस्जिद कांड को तिल का ताड़ बना दिया और जैसा कि नोसे ने लिखा है, "ठोस तथ्यों पर बड़े कौशल के साथ पर्दा डाल कर बहुत मामूली-सी घटना को ऐसे भारी पराभव के रूप में पेश किया गया जिसके प्रतिशोध का शायद एक ही उपाय था—युद्ध।"[1] वायसराय ने इस बहाने का उपयोग उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया जिसके प्रति उसके मन में बड़ी उत्कट लालसा थी। युद्ध की संभावना पैदा होने के पहले ही 2 जुलाई, 1877 के अपने पत्र में भारत सरकार ने संकेत किया था कि परिस्थितिवश पश्चिमी अफगानिस्तान पर, जिसमें हेरात भी शामिल होगा, कब्जा करने की और वहाँ ब्रिटिश सरकार के संरक्षण और प्रभाव में एक पृथक् सल्तनत बनाने की जरूरत पड़ सकती है।[2] भारत सरकार को अफगानिस्तान की समस्या का यही समाधान प्रिय था, पर कुछ समय तक इस पर जोर नहीं दिया गया और अपेक्षाकृत हल्की योजनाओं पर ही विचार किया गया। लॉर्ड लिटन का विचार था कि मध्य एशिया में रूस और इंगलैंड के साम्राज्यों में एक न एक दिन अवश्य संघर्ष होगा और वह ऐसी भूमि पा लेना चाहता था जहाँ दोनों फौजों की मुठभेड़ होने पर अंग्रेज फायदे में रहें। उसकी योजना रूस के हमले को दक्षिण की तरफ धकेलने की थी और अफगानिस्तान, कलात, काशगर और चितराल आदि बीच के राज्यों की अपनी इसी योजना की चौहद्दी में संगति बैठानी थी। इन राज्यों की स्थिति शतरंज के मोहरों जैसी थी। ब्रिटिश नीति के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए उनकी भूमि और स्वतंत्रता के साथ मनमाना खिलवाड़ किया जाना था। 4 नवंबर, 1878 के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देश-पत्र में लॉर्ड लिटन ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया था और यद्यपि उसके इन विचारों से उसकी सरकार ने सहमति प्रकट नहीं की, फिर भी उनका महत्व है। इन विचारों में युद्ध के ऐन पहले की घड़ी में उसके मन की झलक मिलती है और भावी व्यवस्था की योजनाओं का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है।[3]

---

1 नोसे, इंगलैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान, पृ 98
2 भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, 2 जुलाई, 1877
3 निर्देश-पत्र, 4 नवंबर, 1878, संख्या 1 में संलग्न पत्र 1, अफगानिस्तान (1181), संख्या 2, पृ 4

शुरू-शुरू में लॉर्ड लिटन की धारणा थी कि 'मध्य एशिया की दोनों बड़ी प्रतियोगी शक्तियाँ—रूस और इंगलैंड—दो सदियों से अबाध रूप में एक-दूसरे की ओर बढ़ती रही हैं और उनके विस्तार की गति में निरंतर इस तरह से विस्तार होता रहा है मानो उसके मूल में वही आकर्षण-नियम सक्रिय हो जिनसे भौतिक पिंड संचालित होते हैं"। इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि एक पीढ़ी से भी कम समय में "पूर्व में दोनों एक जगह पहुँच जाएँगे' और अब समस्या यह है कि "यह संपर्क कहाँ हो"। लॉर्ड लिटन के मन में यह संपर्क दो स्थानों पर हो सकता था—"दोनों देशों में से किसी एक के सीमांत पर या किसी मध्यवर्ती स्थल पर"। दोनों साम्राज्यों के उस समय के सीमांतों की परीक्षा करने के उपरांत लॉर्ड लिटन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि "दोनों के सीमांत कमजोर हैं और वे उन पर किसी बड़ी प्रतियोगी शक्ति के साथ स्वेच्छा से संपर्क स्वीकार नहीं कर सकते और सैनिक तथा राजनीतिक उपयोगिता के विचारों तथा आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति के कारण दोनों ही समान रूप से हिंदुकुश की ओर बढ़ना चाहते हैं जो भारत और मध्य एशिया के बीच की सीमा है"। यहाँ कहा जा सकता है कि इस स्थापना में इस बात की आसानी से उपेक्षा कर दी गई थी कि भारत या शायद रूस से अग्रवर्ती नीति का बोल-बाला होने के पहले मध्यवर्ती राज्यों की कड़ी बनाए रखने की सफल चेष्टाओं से वांछित उद्देश्य की पूर्ति होती रही थी। इसके बाद वायसराय ने दोनों साम्राज्यों के सीमांतों के बीच पड़ने वाले प्रदेश की परीक्षा की जो उसके विचार से "भारत और तुर्किस्तान दोनों के लिए प्रवेश-द्वार था"। हेरात से पामीर तक, और वहाँ से भी आगे चल कर कश्मीर के पूर्व तक, फैली हुई पर्वतमाला प्राकृतिक प्राचीर का काम देती थी पर इसमें से अनेक रास्ते निकलते थे जो रूस और इंगलैंड के प्रदेशों को जोड़ते थे। लॉर्ड लिटन ने इन रास्तों को तीन श्रेणियों में बाँटा था—पूर्वी श्रेणी, मध्य श्रेणी, और पश्चिमी श्रेणी। पूर्वी श्रेणी में वे रास्ते आते थे जो काशगरिया से शुरू होकर काराकुरम, लद्दाख और कश्मीर होते हुए भारत पहुँचते थे। मध्य श्रेणी में तीन सड़कें थीं। एक सड़क काशगर से शुरू होकर वाख़ान और पामीर स्टेपीज होती हुई चितराल पहुँचती थी, दूसरी सड़क बुखारा से शुरू होकर समरकंद होती हुई हिंदुकुश पर बामियान तथा अन्य दर्रों में से निकलती थी और तीसरी सड़क हेरात और मर्व से शुरू होकर साइग्ना तथा बामियान दर्रे से गुजरती थी। ये तीनों सड़कें काबुल और जलालाबाद में एक-दूसरे से मिल जाती थीं। पश्चिमी श्रेणी में वे सड़कें थीं जो फारस और कैस्पियन की ओर से हेरात, गिरिश्क, कंधार और निचले सिंध प्रदेश की ओर चली जाती थीं। लार्ड लिटन इन सब रास्तों में से पूर्वी रास्तों को सबसे कम महत्त्व का मानता था। पश्चिमी रास्ते सबसे सुगम पर सबसे लंबे थे और उनके एक सिरे पर रेगिस्तान पड़ता था और उसके पीछे सिंध नदी। मध्य श्रेणी में दोनों साम्राज्यों को सीधे जोड़ने वाले और सबसे छोटे रास्ते थे, पर वे दो पर्वतमालाएँ और दुर्गम दर्रे पार कर के ही भारत पहुँच पाते थे।

इसके बाद, लॉर्ड लिटन ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा का एक आवश्यक तत्व "प्रचंड आक्रमण" है और इसके लिए जरूरी है कि "रूस से दो-दो हाथ करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान चुन लिया जाए"। इन सारे आधारों पर उसका विचार था कि 'हिंदू-कुश के दर्रों पर अधिकार होने के साथ-साथ काबुल, गजनी और जलालाबाद द्वारा निर्मित त्रिकोण का भारत के लिए बहुत महत्त्व है। उसने लिखा था, "यह स्थान पर्वतों की

प्राचीर के पीछे है। इसकी सचार-व्यवस्था पर वहीं से हमला नहीं हो सकता और अगर प्रतिरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से मध्य श्रेणी की सारी सड़कों पर सीधे नियत्रण स्थापित किया जा सकता है और परोक्ष रूप से पूर्वी तथा पश्चिमी श्रेणी की सड़कों के लिए खतरा पैदा किया जा सकता है। आक्रमण की दृष्टि से इस ठिकाने का लाभ यह है कि यहाँ से इच्छानुसार ऑक्सस के मैदानों में आया जा सकता है और रूस के विस्तृत सीमांत के हर स्थल पर प्रहार किया जा सकता है। सामरिक दृष्टि से इससे अधिक लाभ के किसी ठिकाने की कल्पना नहीं की सकती और यह जरूरी है कि हमारी रूस से जब भी मुठभेड़ हो, तब यह हमारे कब्जे में होना चाहिए। सभव हो, तो हम वहाँ अफगानिस्तान के मित्र और सुहृदय बन रह कर अपने पैर जमाएँ। पर, कुछ भी हो, हमारे पैर वहाँ जरूर जमे होने चाहिएँ'।[1]

लॉर्ड लिटन ने मध्य वर्ग की सडकों की तथा हेरात की सामरिक स्थिति की और आगे परीक्षा की और यह विचार व्यक्त किया कि सैनिक दृष्टि से हमारे लिए सबसे मजबूत सीमा हिंदूकुश के किनारे-किनारे पामीर से वामियन तक होगी। इस क्षेत्र में मुख्य-मुख्य दर्रों के उत्तरी मुहानों पर हम अपना नियत्रण रखना होगा। और फिर वहाँ से हेमुड, गिरिश्क और कधार से अरब सागर तक हमारी हदें रहेंगी। हो सकता है कि इस समय हमें राजनीतिक कारणों से अपनी रक्षा-पक्ति अफगानिस्तान के उत्तरी सीमांत तक बढ़ानी पड़ जाए, पर इससे हमारी सामान्य स्थिति कमजोर ही होगी, मजबूत नहीं। पर, हेरात की राजनीतिक और सामरिक स्थिति इतनी महत्त्वपूर्ण है कि हम उसे अपनी रक्षा-पक्ति से बाहर नहीं रख सकते—भले ही वह हमारे प्राकृतिक सीमांत से आगे पडता हो। इसलिए, यह रक्षा-पक्ति हिंदूकुश से आरभ होकर पारोमिस्सस के किनारे-किनारे हेरात तक और वहाँ से अफगानिस्तान के पश्चिमी सीमांत और बलूचिस्तान होकर अरब सागर तक जानी चाहिए। प्रतिरक्षा की यह रेखा निर्धारित करने और यह मानने के बाद कि एशिया में इंग्लैंड और रूस एक-दूसरे के निकट आ रहे हैं, वायसराय ने उन उपायों पर विचार किया जो "भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थलों को प्राप्त करने के लिए" जरूरी थे। इस सबध में उसने भारत-अफगान सबधों के समूचे इतिहास पर और रूस के साथ किए गए करारों और व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया और यह विचार प्रस्तुत किया कि *"हमारा पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अमीर के साथ फिर से ऐसे सबध जोड़ें जिनसे अफगानिस्तान में हमारा उचित प्रभाव स्थापित हो जाए और रूस को वहाँ से सदा के लिए हरी झडी दिखा दी जाए।* अगर हम इन प्रयत्नों में सफल न हों, तो हमें अमीर की उपेक्षा करके अपने हितों की रक्षा के लिए या तो अफगानिस्तान में कार्यवाही करें या रूस के साथ सीधा प्रबंध करें या इन दोनों साधनों का उपयोग करके जो भी उपाय आवश्यक हो, करने होंगे।"[2]

सर नेविले चैम्बरलेन को राजदूत के रूप में पहले विकल्प की दिशा में चलने का निर्देश दिया गया था। पर, इस मार्ग की सफलता के सबध में लॉर्ड लिटन के मन में शकाएँ थी

1 निर्देश-पत्र, 4 सितंबर, 1878
2 वही।

और उसने उन्हें छिपा कर नहीं रखा। इसलिए उसने ऐसे "तात्कालिक उपायों" पर विचार किया जिनमें अमीर की सहायता के बिना ही "उत्तर-पश्चिमी सीमांत की रक्षा" की जा सके। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रस्तावित योजना यह थी कि फ़ौज की एक टुकड़ी कुर्रम घाटी के छोर पर पहुँचे और क्वेटा में एक बड़ी फौज इकट्ठी की जाए। इस सेना को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार न किया जाए क्योंकि उस समय वायसराय को यह अभीष्ट न था, विशेषकर इस डर से कि कहीं रूस अमीर की तरफ से संघर्ष में न कूद पड़े। इसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि अमीर के ऊपर दबाव डाला जाए "जिससे कि उसे अपने हित की अधिक सजग चेतना हो सके या उसे अपदस्थ कर दिया जाए और काबुल में जो पक्ष हमारे अनुकूल हो उसे शासन करने का अवसर दिया जाए।"[1] जब अमीर को अपनी स्थिति का ज्ञान होगा और वह बातचीत आरंभ करेगा, तब उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह कुर्रम घाटी में ब्रिटिश फौजें रहने की मंजूरी दे और जिन शर्तों का उसमें पहले प्रस्ताव किया गया था, उन्हें आवश्यक संशोधनों सहित स्वीकार करे। अगर वह न माना, तो अफगानिस्तान के उन सभी कबीलों और पक्षों के साथ बातचीत आरंभ की जाएगी जो उसके विरुद्ध हों। तब उसकी सल्तनत टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। फिर जो भी उम्मीदवार गद्दी पर बिठाया जाएगा, उसका "समूचे उत्तरी और पश्चिमी अफगानिस्तान पर अधिकार होगा" और उसे कुर्रम पर अँग्रेजों का आधिपत्य मानना होगा तथा काबुल, कंधार और हेरात में उनके प्रतिनिधि रखने होंगे। परन्तु, रूस के साथ संघर्ष छिड़ जाने के डर से लॉर्ड लिटन ने उस समय सिर्फ यही योजना बनाई —इससे अधिक नहीं—कि कुर्रम घाटी में अँग्रेजों की स्थिति मजबूत की जाए और पड़ोस के कबीलों को अमीर की ओर से फोड़ लिया जाए।

जब लॉर्ड लिटन को युद्ध की संभावना निकट लगने लगी थी, उसके पहले ही यह निर्देश-पत्र लिखा गया था। परंतु इससे उसकी समूची मध्य एशियाई नीति का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रिटिश साम्राज्य के स्वार्थ-विस्तार में एक-मात्र खतरा रूस का था और उसकी जैसी विचारधारा के अनुसार इस खतरे से भारत की रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय दो ही थे—(1) हिंदूकुश के सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मोर्चे पर काबू रखा जाए और हेरात, कंधार तथा काबुल के त्रिकोण पर नियंत्रण रखा जाए, और (2) दूसरी रक्षा-पंक्ति के रूप में भारत की ओर निकलने वाले तीनों रास्तों, खैबर, कुर्रम और बोलन में सीमा-चौकियों की स्थापना करके उनकी रक्षा की जाए। यह कोई ऐसी हवाई योजना न थी जो बिकुल कल्पना से उपजी हो, क्योंकि बाद के वर्षों में यह भारत की रक्षा की मान्य युद्ध-नीति बन गई थी। बहरहाल, इस समय तो हमें यही देखना है कि वास्तव में लड़ाई शुरू होने के पहले लॉर्ड लिटन की काबुल-नीति का भावी लक्ष्य यही था कि कुर्रम घाटी पर कब्जा करने के साथ-साथ उस क्षेत्र के कबीलों को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। शुरू-शुरू में लॉर्ड लिटन की नीति के लक्ष्य ये थे कि अफगानिस्तान की गद्दी पर मित्र-शासक बैठे जो बाहरी आक्रमण और आंतरिक विप्लव के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी के बदले में भारत सरकार की इच्छा के अधीन हो, उसके

---

1 निर्देश-पत्र, 4 सितंबर, 1878.

मुख्य शहरों में अंग्रेजों के प्रतिनिधि रहें, उसके विदेश-संबंधों पर अंग्रेजों का प्रभाव रहे, कुर्रम घाटी और क्वेटा में अंग्रेजों की महत्त्वपूर्ण सैनिक स्थिति हो तथा भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर स्थित क्वेटा पर भारत सरकार का संतोषपूर्ण प्रभाव रहे और जब लड़ाई कुछ-कुछ आगे बढ़ गई थी, तब भी हम लॉर्ड लिटन की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं पाते। रूस का डर, मित्र-शासक पाने की आशा, अफगान लोगों का विरोध न जगाने की उत्कंठा—क्योंकि शुरू-शुरू में उनमें लोगों और उनके अमीर के बीच भेद माना था, और अनिवार्य उपायों पर ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिलने की असंभावना—ये ही कारण इस संयम के मूल में थे।

शुरू-शुरू में अंग्रेजों को लड़ाई में सफलता मिली और अमीर शेर अली इस आशा में अटका रहा कि रूस उसकी मदद करेगा। इसी भुलावे में उसने ब्रिटिश-भारतीय फौजों के आक्रमण का डट कर मुकाबला नहीं किया बल्कि वह अपनी राजधानी छोड़ कर ताशकंद की ओर बढ़ा। उसका प्रकट उद्देश्य यह था कि इंगलैंड के साथ अपनी लड़ाई में जार से हस्तक्षेप करवाए। इस बीच भारतीय फौजों ने डक्का तक खैबर दर्रे पर और जलालाबाद, कुर्रम घाट, पिशिन और कंधार पर अधिकार कर लिया था और अफगान फौज को तितर-बितर कर दिया था। आरंभ में युद्ध का उद्देश्य सिर्फ यह था कि 'हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमांत की स्थायी सुरक्षा" का प्रबंध करने के अलावा अमीर ने जो अपमान किया था, उसका बदला चुकाया जाए और उसे उसकी गुस्ताखी के लिए दंड दिया जाए। पहला अर्थात् अंग्रेजों की सम्मान-रक्षा का लक्ष्य 1878 के अंत तक सिद्ध हो चुका था। उसके बाद लॉर्ड लिटन और उसकी सरकार ने उन उपायों पर विचार किया जिनसे सीमांत की स्थायी सुरक्षा का प्रबंध हो सके। लॉर्ड लिटन ने अपने 15 जनवरी, 1879 के निर्देश-पत्र[1] में इस समस्या का विवेचन किया और जोर देकर कहा कि हेरात, गजनी या काबुल की दिशा में ब्रिटिश फौजों के बढ़ने की न तो कोई जरूरत है और न इसमें बुद्धिमत्ता ही है। काबुल के संबंध में उसका विचार था कि जलालाबाद पर अस्थायी कब्जा करने और कुर्रम घाटी में कुछ ठिकानों पर सैनिक नियंत्रण स्थापित करने से काबुल पर आवश्यक प्रभुता स्थापित हो जाएगी और इसलिए उस शहर पर और चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसने बामियन पर कब्जा करने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था क्योंकि रूस ने सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया था और कुर्रम पर कब्जा होने से अगर कभी अनिवार्य हुआ, तो "बामियन तथा हिंदुकुश के दर्रों तक बढ़ने के लिए सीधा रास्ता मिल जाएगा"। इसलिए, उसका प्रस्ताव यह था कि और आगे न बढ़ा जाए बल्कि कंधार रक्षा-पंक्ति पर फौज में कमी कर दी जाए और काबुल की स्थिति में ठहराव आने तक अन्य सार स्थलों पर जितनी जितनी फौज थी, उतनी ही फौज रखकर जमे रहा जाए। भावी व्यवस्था के आधार के बारे में उसका विचार था कि "भारत और अफगानिस्तान के बीच जो तीन प्रवेश-द्वार पड़ते हैं" और जिन पर उस समय अंग्रेजों का अधिकार था, उन्हें कभी न छोड़ा जाए। वायसराय ने उस समय कंधार-क्षेत्र में पिशिन और सीबी तथा मध्य क्षेत्र में खोस्ट को निकाल कर कुर्रम घाटी तथा पीवार कोटाल के प्रदेशों को काबुल के शासक से ले लेना चाहा। स्वयं कंधार काबुल के शासक को वापस दे देना

1 गुप्त (पूरक), जनवरी, 1879, सं 500, के इन्क्ल्यू सं 3।

था। वायसराय की इच्छा थी कि खैबर क्षेत्र में जलालाबाद काबुल के शासक को वापस कर दिया जाए पर खैबर में रहने वाले कबीलों को हमेशा के लिए काबुल के नियंत्रण से अलग कर दिया जाए और उन्हें अपने साथ सीधे संबंध स्थापित करने के लिए आज़ाद मान लिया जाए। इसके लिए यह जरूरी था कि दर्रे के दूसरी तरफ काफी आगे बढ़ कर किसी ठिकाने पर अधिकार कर लिया जाए। यदि हो सके, तो इक्का पर अधिकार करना श्रेयस्कर था। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने काबुल के साथ "अपने संबंधों की संतोषजनक पुनर्व्यवस्था" की, राजनीतिक शर्तों पर भी विचार किया और इसके लिए दो बातें आवश्यक ठहराईं—अंग्रेज़ों के अलावा और सारे विदेशी एजेंट अफगानिस्तान से हमेशा के लिए हट जाएँ और, जब जहाँ जरूरी हो, ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति की जाए।[1]

अमीर शेर अली को रूस से कोई मदद नहीं मिली और उसे रूसी क्षेत्र में जाने से मना कर दिया गया। उसे बड़ी ठेस लगी और उसकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। इस स्थिति में 21 फरवरी, 1879 को मजारे-शरीफ में उसका देहांत हो गया और वह अफगानिस्तान का भाग्य-निर्णय भारत के वायसराय के हाथों में छोड़ गया। घटना-क्रम के इस नए मोड़ से वायसराय के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करे। उस समय विभक्त अफगानिस्तान की संभावना कौंध गई। फिर भी लॉर्ड लिटन इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि राज्य की एकता बनी रहे और वहाँ ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किए जा सकें। अमीर के लड़के याकूब खाँ ने, जिसका उस समय देश पर नियंत्रण था, अपने पिता के निधन का समाचार वायसराय को दिया और अंग्रेज़ों का दोस्त बनने की इच्छा प्रकट की।[2] इससे अभी लॉर्ड लिटन के जिस निर्देश-पत्र की चर्चा की है, उसमें निहित शर्तों जैसी शर्तें ही नए अमीर के सामने पेश की गईं। इनमें कहा गया था कि नया अमीर 'खैबर और मिचेनी दर्रों पर अपनी सारी सत्ता का त्याग कर दे तथा कुर्रम, पिशिन और सीबी अंग्रेज़ों को अर्पित कर दे। अफगानिस्तान के विदेश-संबंध ब्रिटिश सरकार की इच्छा और परामर्श के अनुसार संचालित होंगे और काबुल में ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेंगे। अन्य शर्तें इस तरह की थीं कि अमीर पर बाहर से अकारण हमला होने पर उसे द्रव्य, हथियारों और फौज की मदद दी जाएगी, उसे 'लाख रु सालाना उपदान मिलेगा और अंग्रेज़ों को अफगानिस्तान में व्यापार करने की तथा तार-व्यवस्था की सुविधाएँ मिलेंगी। याकूब खाँ को ये शर्तें माननी पड़ीं और 26 मई, 1879 को गंडामक की संधि पर हस्ताक्षर हो गए जिसमें ये शर्तें निहित थीं। इस तरह, लॉर्ड लिटन की उन नीतियों और योजनाओं की सुखद परिणति हुई जिनको लेकर, उसकी अदूरदर्शी और अविवेकी कार्य-पद्धति के कारण, युद्ध जैसे उपायों की आवश्यकता पड़ गई थी। फिर भी, गंडामक की संधि से ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान की समस्या हमेशा के लिए सुलझ गई है क्योंकि याकूब खाँ इस संधि से खुश था। इसके फलस्वरूप उसे अपने कुछ प्रदेश से जरूर हाथ धोना पड़ा था, पर इसकी शर्तें उन शर्तों से भिन्न थीं जो उसके पिता के सामने पेश की गई थीं और जिन्हें वह कुछ प्रतिबंधों के साथ मानने

1 गुप्त गुप्त कार्यवृत्त, जनवरी, 1879 स 500, के. डब्ल्यू स 3
2 वही, पृ 102-3

के लिए तैयार हो गया था। पर लॉर्ड लिटन की आशा निर्मूल सिद्ध हुई क्योंकि काबुल मे सर लुई केवेनरी के मिशन की स्थापना के कुछ ही समय बाद समूचे अफगानिस्तान मे विद्रोह की भयकर आग भडक उठी, ब्रिटिश अफसरो को कत्ल कर दिया गया और देश एक बार फिर युद्ध की लपटो म जलन लगा। 1878 मे तो लॉर्ड लिटन यह प्रपच भी रच सकता था कि उसकी अमीर से लडाई है, पर वह जनता का मित्र है, किंतु एक साल बाद उसे स्वय जनता के विरोध का सामना करना पडा जो अपनी स्वतत्रता पर किसी तरह का नियत्रण सहन के लिए तैयार न थी और जिसे अपनी राजधानी म ब्रिटिश अफसरो की उपस्थिति म और उनके उद्धत व्यवहार मे अपनी दासता की झलक दिखाई देती थी। इसलिए नया युद्ध बडा भीषण हुआ और अँग्रेजो को अफगानिस्तान पर हमला करना पडा। इस नई स्थिति मे, देश का विघटित करने, और अनक छोटी छोटी रियासतो मे बाँट कर उस पर पूरा नियत्रण रखने, का लार्ड लिटन का सपना—जो एक अरसे से सोया पडा था—फिर से जाग उठा।

जब जनरल रावर्ट्स न काबुल हथिया लिया और भारतीय फौजो न कधार तथा अन्य सामरिक स्थानो पर कब्जा कर लिया, तब याकूब खाँ न अफगानिस्तान का शासन सूत्र छोडने का अपना सकल्प व्यक्त किया और अत मे वायसराय न उसका राज्य-त्याग स्वीकार कर लिया।[1] जनरल राबर्ट्स ने काबुल को सीधे अपने प्रशासन म ले लिया और कधार पर जनरल स्टुअर्ट ने शेर अली खाँ के जरिए शासन किया जिसे वहाँ का सूबेदार बना दिया गया था।[2] काबुल मे बाला हिसार का किला नष्ट कर दिया गया, सदिग्ध व्यक्तियो को जेल मे डाल दिया गया और अवाछित ब्रिटिश अफसरो की हत्या करने के अभियोग मे लोगों पर जुर्माना कर दिया गया।[3] फिर भी, यह कोई स्थायी उपाय न था और देश की फिर से व्यवस्था करने की योजनाओ पर विचार हो रहा था। भारत-मत्री ने दिसबर, 1879 के अपने पत्र मे अफगानिस्तान के पुनर्गठन और प्रशासन के बारे मे भारत सरकार के विचार जानने चाहे और इस सदर्भ मे साम्राज्ञी की सरकार की यह आशका व्यक्त की कि 'विगत राज्य के समूचे प्रदेश के लिए ऐसी किसी एक सरकार की स्थापना की कोई सभावना नहीं है जिसके स्थायी होने की आशा की जा सके"। उसने इच्छा व्यक्त की कि भारत सरकार ऐसी व्यवस्थाओ पर विचार कर जिनसे 'अफगान सरदारो और लोगो के हितो का भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा की अनिवार्य शर्त के साथ समन्वय स्थापित हो सके।'[4]

इसके शीघ्र बाद भारत सरकार ने अफगानिस्तान का विघटन होने पर उसके पुनर्गठन के सबध मे अपनी पहली योजनाएँ प्रस्तुत की। अपन 7 जनवरी, 1880 के

1 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 224, 23 अक्तूबर, 1879, अफगानिस्तान (1880) म 1, पृ 133
2 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 231, 6 नवबर, 1879, वही, पृ 149
3 जनरल रावर्ट्स का तार। अफगानिस्तान पत्राचार (1880) सख्या 1 मे अन्य पत्र भी देखिए।
4 भारत-मत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, स 49, 11 दिसबर, 1879, अफगानिस्तान (1880) सख्या 1, पृ 168

पत्र स 3 में[1] उसने निश्चित रूप से यह प्रस्ताव पेश किया कि काबुल और कधार के दो अलग-अलग राज्य बना दिए जाएँ और हेरात तथा सीस्तान प्रदेश फारस को दे दिए जाएँ। यह सभावना इसलिए अनिवार्य हो गई थी कि अफगानिस्तान के लोग अनेक वर्गों मे बँटे हुए थे और उनमे फिरकापरस्ती का बहुत ज़ोर था। देश मे ऐसा कोई शक्तिशाली शासक न था जो विभिन्न तत्त्वों को एकता के सूत्र मे बाँध रखता और अपने आप अँग्रेजो के प्रभाव मे भी बना रहता परतु इस कठिनाई के अलावा, साम्राज्य की रक्षा के सबध मे लार्ड लिटन के जो विचार और योजनाएँ थी, उनका सकेत भी देश के विभाजन की ओर था। अमीर शेर अली के प्रति अपनी नीति की असफलता से और गडामक व्यवस्था के इतनी जल्द टूट जाने से लॉर्ड लिटन का यह विश्वास हो गया था कि सामरिक दृष्टि से भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इतने महत्त्वपूर्ण प्रदेश मे अँग्रेजो का प्रभावी नियत्रण स्थापित करने की सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण नीति यही थी कि देश का विघटन कर दिया जाए। भारत सरकार ने लिखा, 'गडामक की सधि हमारे सीमात पर एक ऐसा सशक्त और स्वतत्र राज्य बनाए रखने की नीति को कार्यान्वित करने की अतिम चेष्टा थी जिसकी विदेश नीति पूरी तरह अँग्रेजो के निर्देशन मे हो, बाहर से आक्रमण होने की स्थिति मे जिसकी राष्ट्रीय एकता की रक्षा ब्रिटिश सरकार की सहायता पर निर्भर हो और जिसकी वाणिज्य-व्यवस्था हितो की सहज समानता के कारण भारत के साथ जुडी हो'। उसने कहा कि अमीर शेर अली को सहायता देकर और उसके लडके अमीर याकूब खाँ के साथ सधि करके इन उद्देश्यो की सिद्धि के सारे प्रयत्न विफल हो गए थे और "अमीर शेर अली ने जिस राज्य को बडी मुश्किल से प्राप्त किया था, वह एक ही धक्के मे टुकडे-टुकडे हो गया है। राजनीतिक दृष्टि से वाछनीय होते हुए भी इन टुकडो को एक ही शासक की अधीनता मे फिर से सयुक्त करना असभव न भी हो तो मुश्किल अवश्य होगा।" उसने यह भी कहा कि "अफगानिस्तान की विभिन्न जागीरो का एक राज्य मे विलय उनके अर्वाचीन राजनीतिक इतिहास का एक अस्थायी और, कुछ हद तक, आकस्मिक पहलू है।" पर, चूँकि इस राज्य का फिर से विघटन हो गया है और "प्रदेश एक-दूसरे से असबद्ध है और उनका कोई शासक नही है, अत अगर हमने उन्हे एक सरकार के अधीन गठित करने का प्रयत्न किया, तो हमे सैनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के उस रास्ते पर चलना पडेगा जिससे हम निश्चय ही विकट और दीर्घकालिक कठिनाइयो म फँस जाएँगे और हमारा विचार है कि अत मे हमारे हाथ असफलता ही लगेगी।" इसलिए, भारत सरकार न अपनी नीति का आधार यह माना कि "उसके असयुक्त प्रदेशो को अलग किया जाए" और "उन प्रदेशो पर प्रबल प्रभाव रखा जाए जो हमारे भारतीय साम्राज्य के सीमात पर स्थित हो।" पर, भारत सरकार की यह इच्छा थी कि और प्रदेशो को अपने अधिकार मे न किया जाए और "उनके मामलो मे ज्यादा हस्तक्षेप न किया जाए।"[2] इस आधार पर भारत सरकार की इच्छा थी कि गडामक की सधि द्वारा जो सैनिक सीमान्त उसके हाथ म आ गया था, उस पर कब्जा रखा जाए और पिशिन, सीबी तथा कुर्रम के प्रदेश हाथ से न जाने दिए जाएँ। अफगानिस्तान के शेष क्षेत्रो के बारे मे उसकी योजना यह थी कि फारस को हेरात पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लेने दिया जाए, किंतु, इस शर्त पर कि "फारस

1 अफगान पत्रव्यवहार, (1881), सख्या 1, पृ 47।
2 प्रेषण स 3, 7 जनवरी, 1880

उसके सुशासन और वहाँ भारतीय हितो की सुरक्षा का यथेष्ट आश्वासन द और साथ ही ब्रिटिश सरकार का यह अधिकार माने कि कुछ स्थितियो मे ब्रिटिश फौजें उस पर दखल कर सकती है।' दूसरे, हेरात प्रदेश के साथ-साथ सीस्तान फारस को दे दिया जाए। तीसरे, "कधार को आनुवशिक शासक की अधीनता मे एक पृथक और स्वतत्र राज्य बना दिया जाए और इस शासक को पुराने राजवशो के प्रतिनिधियो मे से चुना जाए।" अत मे, काबुल मे एक ऐसे पृथक् राज्य का निर्माण किया जाए जिसका 'आतरिक प्रशासन किसी देशीय शासक के अधीन रखा जाए और यह शासक हमारे साथ अधीनता की एक मैत्री-सधि मे बँधा हो और उसका समर्थन करने और उस पर नियत्रण रखने के लिए वहाँ किसी स्थल पर सशक्त ब्रिटिश छावनी की व्यवस्था हो।' इस काबुल सरकार को ओक्सस के प्रदेश दिए जाने को थे जो नाममात्र को काबुल के सूबेदार की अधीनता मे रहते, लेकिन व्यवहार मे स्वतत्रता का उपभोग करते।" पश्चिमी अफगानिस्तान मे भी हमारा उचित प्रभाव बनाए रखने के लिए कधार म या उसके पास एक ब्रिटिश गैरिसन रहता और कधार तक एक रेल लाइन बनाई जाती तथा फारस पर भी यह जोर डाला जाता कि वह इस रेल लाइन को हेरात तक ले जाए। इस उपाय द्वारा हेरात की रक्षा करनी थी और वहाँ अँग्रेजो का प्रभाव बनाए रखना था।[1] भारत सरकार के ये नए लक्ष्य थे और इन आधारो पर शीघ्र ही कार्यवाही आरभ हो गई। लॉर्ड लिटन की सरकार की नरमी का कारण यह था कि एक तो रूस ने हस्तक्षेप नही किया था और दूसरे अँग्रेजो ने भी यह समझ लिया था कि जो देश एक से अधिक बार विदेशी शासक के प्रति अपने दुर्दम विरोध का परिचय दे चुका है, उस पर सैनिक आधिपत्य बनाए रखना लोहे के चने चबाना होगा। फिर भी, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि "अगर किसी विदेशी शक्ति ने ओक्सस प्रदेश मे पाँव रखा या उसके लिए खतरा पैदा किया या अगर ओक्सस के पार से किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, तो इससे काबुल खाली करने की हमारी योजना मे निश्चय ही बाधा पड़ेगी।'[2]

अफगानिस्तान मे जो अस्त-व्यस्तता थी, वह कुछ कारणो से और बढ गई थी— बदख्शाँ मे मीर शाहजादा हसन ने आजादी का ढोग रच रखा था, अमीर याकूब खाँ के भाई अयूब खाँ ने हेरात पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था, उत्तर मे अब्दुर्रहमान खाँ अफगान तुर्किस्तान मे प्रवेश कर बैठा था। अब्दुर्रहमान खाँ ने बदख्शाँ का विद्रोह कुचल दिया। उसने मीर शाहजादा हसन को पराजित किया और इस तरह समूचे उत्तरी क्षेत्र को अपने काबू मे कर लिया।[3] भारत सरकार इस शासक की गतिविधियो पर दृष्टि रखती रही थी और उसकी यह भी प्रवृत्ति थी कि अगर वह उसकी शर्तों को मान ले तो उसे काबुल का शासक स्वीकार कर लिया जाए। 14 मार्च, 1880 को वायसराय ने भारत-मत्री को तार दिया जिसमे उसने कहा कि 'किसी ऐसे स्थानीय शासक को ढूँढ निकालना बहुत आवश्यक है जिसे हम काबुल खाली करते ही उत्तरी

1 प्रेषण सख्या 3, 7 जनवरी, 1880
2 प्रेषण स 3, 7 जनवरी, 1880, पैरा 13
3 वायसराय का भारत-मत्री के नाम तार, 17 मार्च, 1880, 11 फरवरी, 1880 का भी तार, अफगानिस्तान (1881), सख्या 1, पृ 8-9

अफगानिस्तान सौंप दें जिससे वहां अराजकता पैदा न हो"। वायसराय ने इस बात की भी पैरवी की कि 'अब्दुर्रहमान को शीघ्र ही सार्वजनिक रूप से दोस्त मुहम्मद का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया जाए।"[1] भारत-मंत्री ने यह प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया[2] और इसे कार्यान्वित करने के प्रयत्न किए गए। स्थिति बदल जाने से हरात संबंधी प्रस्ताव तो तत्काल कार्यान्वित नहीं किए गए पर अयूब खाँ इस बात के लिए प्रयत्नशील था कि ब्रिटिश सरकार हेरात की गद्दी पर उसका हक स्वीकार कर ले और उसने इस संबंध में बातचीत शुरू कर दी। इसके अलावा, यह भी माना जाता था कि रेलें बन जाने पर कंधार से हरात पर नियंत्रण रखने का साधन सुलभ हो जाएगा और इसलिए इस समस्या के समाधान में कोई दिक्कत न थी।

इसी बीच शेर अली खाँ को कंधार का शासक मान लिया गया था और 13 मार्च, 1880 को वायसराय ने उसे एक पत्र लिखा था जिसमें उसे "कंधार प्रदेश का स्वतंत्र शासक" घोषित किया गया था और यह शर्त रखी गई थी कि कंधार शहर के भीतर या उसके निकट छावनी में ब्रिटिश फौज रहेगी और राज्य में अन्न की पैदावार से होने वाली आय का एक हिस्सा इस फौज की रसद आदि की व्यवस्था के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा। "मैत्रीपूर्ण व्यवहार के माध्यम के रूप में महामान्य के राज्य की सीमान पर स्थित राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों का संचालन करने के लिए विशेष ओहदे का एक अधिकारी छावनी में नियुक्त किया जाएगा।" "इस समझौते के आधार पर" निर्धारित किया गया था कि "इंगलैंड की महती सरकार के संरक्षण में शासन-व्यवस्था पूरी तरह महामान्य के हाथों में रहेगी।"[3] शेर अली खाँ इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया और उसे यह आश्वासन दिया गया कि अगर उसे "साम्राज्ञी के भारतीय साम्राज्य के हित में अपने शासन को दृढ़ या विस्तृत करने के लिए द्रव्य तथा साज-सामान की मदद की जरूरत पड़े, तो वह उसे दी जाएगी।"[4] इसलिए, 7 अप्रैल, 1880 को भारत सरकार यह लिखने की स्थिति में थी कि, "कंधार को काबुल से अलग करने का काम पूरा हो चुका है और शेर अली खाँ की स्वाधीनता की गंभीरतापूर्वक गारंटी दी जा चुकी है।"[5]

अब्दुर्रहमान ने काबुल के ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों के साथ बातचीत आरंभ कर दी थी और उसने भारत सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवस्था कायम करने की इच्छा व्यक्त की थी पर शर्त यह थी कि वह इस तरह का कोई आभास नहीं मिलने देगा कि रूस

---

1 वायसराय की ओर से भारत-मंत्री के नाम भेजा गया तार, 14 मार्च, 1880, अफगानिस्तान (1881) संख्या 1, पृ 9

2 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया तार, 18 मार्च, 1880, वही।

3 शेर अली खाँ के नाम पत्र, 13 मार्च, 1880 अफगानिस्तान (1881) संख्या 1, पृ 12-13

4 भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, संख्या 90, 7 अप्रैल, 1880 पैरा 2 अफगानिस्तान (1881) संख्या 1, पृ 14

5 वही।

के प्रति वफादार नहीं है।[1] भारत सरकार ने अक्तूबर 1880 से पहले काबुल से हटने का फैसला कर लिया था और उस खाली करने का प्रक्रम आरम्भ करने से पहले वह सिर्फ इस प्रतीक्षा में थी कि वहाँ कोई स्थिर शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए। हम पहले कह चुके हैं कि साम्राज्ञी की सरकार और भारत सरकार अब्दुर्रहमान खाँ को स्वीकार करने के लिए तैयार थी क्योंकि उससे इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि वह सुदृढ़ शासन की स्थापना कर सकता है और यह भी लगता था कि अधिकांश लोग उसे पसंद करते थे। यह भी स्पष्ट है कि जब भारत सरकार ने कंधार को स्वतन्त्र राज्य बना कर अलग कर दिया और 1878 की गंडामक संधि के प्रादेशिक लाभों को अपने पास रखने का इरादा कर लिया तब उसकी इस बात में कोई दिलचस्पी न रह गई कि वह अब्दुर्रहमान खाँ या काबुल के अन्य किसी शासक को मान्यता देने के बदले में उसके ऊपर कुछ शर्तों का आरोप कर या उससे कुछ गारंटियाँ प्राप्त करे। 30 मार्च, 1880 को लार्ड लिटन ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों का इस प्रकार निरूपण किया था: गंडामक की संधि के अधीन सरकार जिन स्थलों पर अधिकार रख सकती है, कंधार के अलावा उन सभी स्थलों के आगे से वह अपनी फौजें यथाशीघ्र हटा लेने के लिए उत्सुक है। इसके लिए यह वांछनीय है कि काबुल के लिए—जिसे कंधार से अलग कर दिया जाएगा[2]—एक शासक ढूंढ निकाला जाए। कुछ दिनों बाद 27 अप्रैल, 1880 को भारत सरकार के विदेश सचिव ने काबुल स्थित मुख्य राजनीतिक अफसर मि. लेपल ग्रिफिन के नाम अपने पत्र में इस नीति की और पूरी तरह आख्यान तथा निरूपण किया। इन्हीं मि. लेपल ग्रिफिन पर अब्दुर्रहमान खाँ के साथ बातचीत करने का भार था।[3]

इस प्रलेख के आरंभ में अफगानिस्तान के प्रति सरकार की नीति के मुख्य उद्देश्य की चर्चा की गई थी और बताया गया था कि "भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त की सुरक्षा' और उसके महान् सीमावर्ती अफगानिस्तान राज्य के भीतर किसी विदेशी प्रभाव के प्रवेश के साथ कोई सामंजस्य नहीं हो सकता था।' भारत ने काबुल-नरेश को उपदान दिया हो या उसके साथ लड़ाई की हो, उसके सारे अफगान-संबंधों का मुख्य प्रयोजन यह ही रहा है—अफगानिस्तान को विदेशी शक्तियों की हवा न लगने पाए। पर, भारत सरकार ने सदा ही यह प्रयत्न किया था कि सीमान्त-सुरक्षा की नींव काबुल के शासकों की मैत्री और शक्ति पर रखी जाए। पर, इस पद्धति की विफलता के कारण कहा गया था कि, 'हम अपने सीमान्त की स्थायी सुरक्षा को यथासंभव ऐसी शर्तों से निरपेक्ष रख कर अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए बाध्य हो गए थे।' कारण यह है कि 'भारत सरकार के हितों को इसलिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा कि वह एक ऐसी नीति पर चलती रही है जिसकी सफलता किसी अफगान शासक की कृतज्ञता, नेकनीयती, कथित स्वार्थ या व्यक्तिगत

---

1 लेपल ग्रिफिन ने विदेश सचिव को 22 अप्रैल, 1880 को जो तार भेजा था, उसमें अब्दुर्रहमान खाँ के पत्र का मजमून दिया गया है। अफगानिस्तान (1881) संख्या 1 पृ. 22

2 वायसराय का निर्देश-पत्र, दिनांक 30 मार्च, 1880 अफगानिस्तान (1881) सं. 1, पृ. 15

3 संख्या 1491 ई. पी., 27 अप्रैल, 1880, लायल का ग्रिफिन के नाम पत्र, अफगानिस्तान (1881) सं. 1, पृ. 24-25

चरित्र पर निर्भर रही हो।" इसके बाद विदेश सचिव लायल ने काबुल पर हमला करने के लक्ष्य की चर्चा की और यह मत व्यक्त किया कि दोनों ही लक्ष्य सिद्ध हो गए थे यानी अपराध का दंड भी दिया जा चुका था और कंधार को काबुल से अलग करके सुरक्षा की उचित व्यवस्था भी कर दी गई थी। अतः, 'काबुल के शासकों के साथ कोई नया वचन-बंध करने का भारत सरकार का न तो कोई प्रेरक हेतु है और न इच्छा"। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि इस दिशा में पूर्ववर्ती प्रयत्न विफल हो चुके थे और दूसरा यह कि स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया था। इस संबंध में लायल ने लिखा था "कंधार और कुर्रम में हमारी अग्रिम सीमावर्ती स्थितियों के फलस्वरूप भारत के संदर्भ में काबुल का राजनीतिक महत्त्व बहुत कम हो गया है, और हालाँकि हम उसके शासक की मित्रता को सदा सराहेंगे, पर अब हमारी नीति के जो सर्वोच्च उद्देश्य है, उनकी खातिर उसके साथ हमारे संबंध इतने कम महत्त्व के हैं कि हमें अब उसके राज के किसी भाग में ब्रिटिश एजेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है।"[1] लॉर्ड लिटन अपनी जिस नीति के कारण अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध में फँस गया था, इस वक्तव्य का स्वर उससे बिल्कुल भिन्न था।

लेकिन, मुख्य बात यह थी कि अब्दुर्रहमान खाँ के साथ बातचीत का आधार क्या हो। उसका सुझाव था कि "ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के संयुक्त संरक्षण में हमारी सहायता और सहानुभूति के साथ अफ़गानिस्तान का स्थायी प्रबंध किया जाए।'[2] भारत सरकार इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य "विदेशी प्रभाव या हस्तक्षेप को अफ़गानिस्तान से बाहर रखना था।" और रूस ने भी यह कह दिया था कि वह अफ़गानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर समझता है। इसलिए, अब्दुर्रहमान खाँ को साफ़-साफ़ सूचना दे दी गई कि "भारत और रूसी साम्राज्यों के साथ अफ़गानिस्तान के संबंधों का विषय ऐसा है कि जिसे भारत सरकार सरदार के साथ होने वाली बातचीत में लाना निश्चय ही अस्वीकार कर देगी।" आगे चलकर कहा गया, "अफ़गान राज्य और कबीले भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत को इतने घेरे हुए और उससे सटे हुए हैं कि भारत सरकार इन कबीलों और राज्यों के ऊपर अपना वैध और मान्य प्रभाव बनाए रखने में स्वेच्छा से किसी अन्य शक्ति के साथ कभी साझा नहीं कर सकती।'
इसलिए, संयुक्त नियंत्रण का कोई प्रश्न नहीं था, पर अब्दुर्रहमान खाँ 'इस अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन कर सकता है कि वह अपने रूसी पड़ोसियों के मान्य अधिकारों और हितों का पूरी सावधानी से सम्मान करे और जानबूझ कर ऐसा कोई काम न करे जिससे मध्य एशिया के रूसी अधिकारियों को असंतोष या शिकायत का कोई उचित कारण मिले।'[3] इसलिए, अंग्रेजों के साथ उसकी मैत्री का आधार यह होता था कि उसके ऊपर रूस का कोई प्रभाव या नियंत्रण न रहे। 'अगर, इस शर्त पर हमारी मैत्री अभीष्ट है, तो वह सहज सुलभ होगी और जब तक निष्ठापूर्वक परस्परता की भावना रहेगी, तब

1 लायल का लिटन के नाम संवाद, 27 अप्रैल, 1880
2 वही, पैरा 13
3 लायल का लिटन के नाम संवाद, 27 अप्रैल, 1880, पैरा 16-17

तक वह पूरी तरह बनी रहेगी। हमे न तो कोई रियायत लेनी है और न देनी है।"[1] अब्दुर्रहमान खाँ को समझा दिया गया था कि उसे न तो कधार मिलेगा न कुर्रम के प्रदेश मिलेंगे, यहाँ तक कि हेरात भी नही मिलेगा और उनके बिना ही उसे काबुल स्वीकार करना पडेगा। काबुल खाली कर दिया जाएगा और यह काम उसकी सलाह से और उसकी सुविधानुसार होगा। उसके देश की शासन-व्यवस्था उसे बिना शर्त्त हस्तातरित कर दी जाएगी। इसके साथ ही कहा गया था, "यदि अब्दुर्रहमान खाँ योग्य सिद्ध हुआ और वह हमारे साथ जिस सद्भाव की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है उसे किसी तरह की क्षति पहुँचाए बिना अपने देशवासियो का विश्वास प्राप्त करता गया, तो जब हम इस स्थिति पर राजनीतिक दृष्टि से विचार करेगे तब उसे अधिक से अधिक समर्थन मिलेगा"।[2] जिस नीति के फलस्वरूप युद्ध हुआ था, उसके और भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमात की स्थायी सुरक्षा के आधार पर अफगानिस्तान की पुनर्व्यवस्था के बीच की खाई पाटने के लिए यही रास्ता अपनाया गया था।

लॉर्ड लिटन के भारत छोडने और इंग्लैंड मे सरकार बदलने के पहले भावी नीति की कुछ स्थूल रूपरेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित हो गई थी। युद्ध के अनुभव तथा विदेशी प्रभुता के प्रति अफगान जनता के बिल्कुल प्रत्यक्ष विरोध से लार्ड लिटन की सरकार को भी यह विश्वास हो गया था कि इस देश पर अधिक समय तक सैनिक कब्जा रखना और काबुल के शासक की नीतियो पर नियत्रण रखने के लिए ब्रिटिश मिशन की स्थायी स्थापना करना बुद्धिमत्ता का काम नही है। इसलिए, काबुल खाली करने का निर्णय कर लिया गया था, सिर्फ उस घडी की प्रतीक्षा थी जब यह मालूम पडने लगे कि उत्तरी अफगानिस्तान मे किसी स्थिर सत्ता की प्रतिष्ठा हो गई है। लॉर्ड लिटन ने हेरात के सबध मे जिस व्यवस्था की कल्पना की थी, वह भी फारस के साथ बातचीत असफल हो जाने के कारण तीन-तेरह हो गई थी और अब यह विश्वास दृढ होता जा रहा था कि उस सुदूर प्रदेश को भी, जिसे एक लबे अरसे से सामरिक दृष्टि से भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा-चौकी समझा जाता रहा था, काबुल सल्तनत के साथ मिला दिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि अपनी अधूरी योजना पर लीपा-पोती करने के विचार से लॉर्ड लिटन अपने इस पुराने सिद्धात पर डटा रहा था कि पश्चिमी अफगानिस्तान की एक पृथक् सल्तनत बना दी जाए और वह जाने से पहले शेर अली खाँ को कधार का वली भी बना गया था, पर इस शहजादे के चरित्र तथा नाजुक स्थिति के कारण इसमे सदेह था कि वह अपना प्रभाव स्थापित कर सकेगा। लॉर्ड लिटन ने अब्दुर्रहमान खाँ के साथ भी बातचीत आरभ कर दी थी, पर उसे सिर्फ काबुल का शासक स्वीकार करना था और उसके साथ किसी तरह की शर्तों का भी सवाल न था। इस तरह, नीति की एक रूपरेखा बन गई थी, पर नई सरकार का रुझान लॉर्ड लॉरेंस के शातिवादी विचारो के प्रति अधिक था और भारत की सुरक्षा के सबध मे भी उसकी धारणा अधिक यथार्थपरक थी। अत, वह इस नीति से हटने के लिए तैयार थी और लॉर्ड लिटन की नीति के बुनियादी तत्वो तक मे परिवर्तन करने के लिए सहर्ष सहमत हो गई।

---

1 वही, पैरा 10
2 वही, पैरा 26

लॉर्ड हार्टिंगटन नया भारत-मंत्री था और लार्ड रिपन नया वायसराय। उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति का निर्देशन किया और उसकी नींव रखी। ये संबंध लंबे अरसे तक बने रहे। 21 मार्च, 1880 के अपने पत्र में भारत-मंत्री ने अफगान-नीति के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे और यद्यपि उसने इस नीति का क्रियान्वय अफगानिस्तान की स्थिति के आलोक में वायसराय तथा भारत सरकार के विवेक पर छोड़ दिया था, पर उसने आचरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित कर दिए थे। अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप का, भारत की वित्त-व्यवस्था और फौजों के हौसले पर उसके प्रभाव का तथा सारे बलिदानों के वास्तविक फल का विश्लेषण करने के उपरांत लॉर्ड हार्टिंगटन इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का एकमात्र परिणाम यह निकला है कि पूर्ववर्ती सरकार का नाश हो गया और वहाँ "विभिन्न कबीलों के स्वतंत्र सरदारों के अलावा किसी सत्ता का अस्तित्व नहीं रहा" और ब्रिटिश-भारतीय फौजों ने जिन ठिकानों पर कब्जा कर लिया था उनके आगे के प्रदेशों पर ब्रिटिश सरकार का किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहा। ऐसी स्थिति में इस बात का कोई भरोसा नहीं कि "ये कबीले किसी भी समय हमारे विरुद्ध एक न हो जाएँगे, और जिन ठिकानों पर हमारा कब्जा है, उनकी रक्षा के लिए हम बाध्य न होंगे पड़ेगा"। उसने यह भी युक्ति प्रस्तुत की कि समूचे देश पर सैनिक आधिपत्य रखना व्यावहारिक न होगा क्योंकि इससे वहाँ स्थायी व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना न हो सकेगी। इसलिए, एकमात्र विकल्प यह था कि अफगानिस्तान को तुरंत खाली किया जाए और "इस तरह की व्यवस्था की जाए कि फिर से स्थिर शासन स्थापित करने की आशा बंध सके"। इसके बाद उसने उन प्रबंधों की चर्चा की जिनका सूत्रपात लॉर्ड लिटन ने किया था और उसका सारांश इन शब्दों में प्रस्तुत किया

इस तरह लगता है कि दो सफल संघर्षों का, भारी सेना तैनात करने का और विपुल धनराशि के व्यय का अब तक कुल परिणाम यह निकला है कि जिस राज्य को हम सशक्त, मैत्रीपूर्ण और स्वतंत्र देखना चाहते थे, उसके टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं, उसके एक प्रदेश के संबंध में हमारे ऊपर नई और अप्रिय जिम्मेदारियाँ आ पड़ी हैं और बाकी सारे देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई है"।

इसके बाद लार्ड हार्टिंगटन ने इस बात पर विचार किया कि "इस स्थिति को जारी रखने की स्वीकृति देना' कहाँ तक जरूरी है और उसने इच्छा व्यक्त की कि अब तक अफगानिस्तान के साथ जो वचन-बंध किए गए हैं, वायसराय नीति-परिवर्तन की भूमिका के रूप में उनकी परीक्षा करे। साम्राज्ञी की सरकार के उस समय दो ही लक्ष्य थे। उसका पहला लक्ष्य यह था कि अफगानिस्तान में तैनात फौज का एक बड़ा भाग वहाँ से हटा लिया जाए और दूसरा यह कि "हमारे उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर एक ऐसे मैत्रीपूर्ण राज्य की फिर से प्रतिष्ठा हो जो ब्रिटिश सरकार की सैनिक सहायता के बिना ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और अपना राजकाज स्वयं चला सके"। इस संबंध में भारत-मंत्री ने कंधार की व्यवस्था स्वीकार करने में संकोच प्रकट किया और वह इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि अगर वहाँ से बाहर निकलना ब्रिटिश सरकार के विश्वास के अनुकूल हो, तो वह वहाँ से बाहर निकल जाए। उसने इच्छा व्यक्त की कि वायसराय कंधार के समूचे प्रश्न की परीक्षा करे। काबुल के संबंध में अब्दुर्रहमान खाँ के साथ जो बात-

चीत अधूरी रह गई थी, उसे ध्यान में रखकर उसने साम्राज्ञी की सरकार को 'ऐसी कोई भी नीति अपनाने के लिए स्वतंत्र समझा जिससे भारत सरकार के घोषित उद्देश्यों की सबसे अच्छी तरह सिद्धि हो सके यानी अफगानिस्तान में व्यवस्था स्थापित हो सके और ब्रिटिश सीमान्त पर शांति और सुरक्षा'। इसके बाद लॉर्ड हार्टिंगटन ने कार्य की दिशा निर्धारित की। सबसे पहले उसकी इच्छा थी कि "जैसे ही यह आशा पूरी होती दीखे कि अफगानिस्तान में स्थिर शासन की स्थापना हो सकती है', वैसे ही अफगान प्रदेश खाली कर दिया जाए। और चूँकि लॉर्ड लिटन के अनुसार अफगानिस्तान का पश्चिमी भाग ही भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक था, अतः काबुल को तुरन्त खाली किया जा सकता है और वहाँ अब्दुर्रहमान खाँ की सत्ता स्थापित की जा सकती है। इस कार्य में अब्दुर्रहमान खाँ को 'साम्राज्ञी के प्रतिनिधियों या सेनाओं की कम से कम प्रत्यक्ष सहायता दी जानी चाहिए और उसे यह समझा देना चाहिए कि उसे अपने समाधनों पर ही निर्भर रहना है'। भारत-मंत्री का यह इरादा नहीं था कि वह काबुल में ब्रिटिश अफसर को रखकर नए शासक को असमंजस में डाले क्योंकि अमीर शेर अली के साथ मतभेद होने का यही कारण था। लॉर्ड हार्टिंगटन ने लिखा था, 'साम्राज्ञी की सरकार की राय में यह बात अवांछनीय होगी कि हम अमीर से यह आग्रह करें कि वह ब्रिटिश रेजीडेंट का स्वागत करे और इस तरह हम उसकी स्थिति को असमंजस में डालें तथा अपने आपको और अधिक हस्तक्षेप करने के लिए बाँध लें। इसके विपरीत एक देशी दूत शायद उसे सत्ता बनाए रखने में मदद भी दे सके और वह भारत सरकार को सारी आवश्यक सूचना भी दे सकेगा।"

दूसरे, भारत-मंत्री ने कंधार के पृथक्करण के विरोध में प्रस्तुत की गई युक्तियों पर जोर दिया और लिखा, "इसलिए, यह बात प्रायः निश्चित समझी जानी चाहिए कि पृथक्करण की नीति के परिणामस्वरूप कंधार के शासक को स्थायी रूप से सैनिक सहायता देते रहने की जरूरत आ पड़ेगी पर इस जिम्मेदारी पर साम्राज्ञी की सरकार को सबसे ज्यादा आपत्ति होगी'। तीसरे, लार्ड हार्टिंगटन ने इच्छा व्यक्त की कि अगर अब्दुर्रहमान खाँ काबुल का शासक बनने पर हमारा वशवर्ती न रहे, तो अफगानिस्तान के शासन के लिए याकूब खाँ के नाम पर फिर से विचार किया जाए। चौथे, हेरात के संबंध में उसने यह जरूरी बताया कि उसे "संयुक्त अफगान राज्य का एक अंग बना कर रखा जाए" क्योंकि उसकी स्थिति 'अफगानिस्तान के विघटन के विरुद्ध सबसे गंभीर आपत्तियों में से है'। कारण यह है कि "अगर हेरात में कोई स्वतंत्र शासक हुआ, तो ब्रिटिश सरकार के लिए उसकी नीति पर किसी भी तरह का नियंत्रण रखना प्रायः असंभव होगा'। पाँचवें, गंडामक की संधि द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पिशिन, कुर्रम तथा खैबर दर्रा में जो अग्रिम सैनिक ठिकाने प्राप्त कर लिए थे, भारत मंत्री ने उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लाभ के बारे में संदेह प्रकट किया और इच्छा व्यक्त की कि वायसराय इस प्रश्न पर पूरी तरह सैनिक दृष्टि से विचार करें। लॉर्ड हार्टिंगटन ने नीति की जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात तय की, उसका संबंध बाहरी हमला होने पर अफगानिस्तान के नए शासक को दी जाने वाली सहायता से था। इस बारे में उसने लिखा था, "1873 में लॉर्ड नार्थब्रुक ने अमीर को इस तरह के जो आश्वासन दिए थे कि अकारण हमला होने पर वह ब्रिटिश सरकार की सहायता पर निर्भर रह सकता है, वे आश्वासन अफगानिस्तान के नए शासक को

साम्राज्ञी की सरकार फिर से द सकती है पर, वह इन आश्वासनों को अनिश्चित सीमा तक नहीं द सकती और जो सरकार इस समय इतनी डांवाडोल स्थिति में है, वह उसकी विदेश-नीति के बारे म अनिर्दिष्ट जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकती।'[1] लॉर्ड रिपन को इन आधारों पर अफगानिस्तान की पुनर्व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया, हालांकि ब्योरे की बातों में उसे छूट दे दी गई थी। ब्रिटिश नीति के इस आख्यान से स्पष्ट है कि उसका लक्ष्य दूर दृष्टि से लॉर्ड लिटन की कार्यवाही का निषेध कर देना और हिंसापूर्ण अग्रिम नीति के अपनाए जाने से पहले के उस अवस्थान की ओर लौट जाना था जिसमें अफगानिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण सबंधों की स्थापना हुई थी।

अब्दुररहमान खाँ के साथ जो बातचीत हुई, उसका विवरण प्रस्तुत करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। तथापि, यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि वायदा करने से पहले इस सरदार ने यह जानना चाहा कि उसकी सल्तनत की सीमाएँ क्या रहेंगी, क्या उसे ब्रिटिश दूत रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कौन-सी जिम्मेदारियाँ आ पड़ेंगी और उसे अंग्रेजों से क्या लाभ होंगे ?[2] मि० ग्रिफिन को 14 जून को जो उत्तर भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया, उसका अब्दुर्रहमान खाँ ने भी अनुमोदन किया और वह भारत तथा अफगानिस्तान के भावी सबंधों का आधार बना। 'विदेशी शक्तियों के प्रति काबुल के शासक की स्थिति के सबंध में" उसे सूचित किया गया कि, "चूंकि ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान में किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मानती और चूंकि रूस और फारस दोनों ने अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया है, अतः यह स्पष्ट है कि काबुल के शासक के अंग्रेजों के सिवाय अन्य किसी विदेशी शक्ति से राजनीतिक सबंध नहीं हो सकते और अगर किसी विदेशी शक्ति ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और अगर इस तरह के हस्तक्षेप से काबुल के शासक पर अकारण हमला हुआ, तो ब्रिटिश सरकार उसे मदद देने के लिए और जरूरत पड़ने पर हमले को पीछे धकेलने के लिए तैयार रहेगी, पर शर्त यह है कि वह अपने बाहरी संबंधों के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार की सलाह पर चले'। उसे यह भी बताया गया था कि कंधार तथा सीमावर्ती अन्य क्षेत्रों के अलावा, जो गंडामक की संधि द्वारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे, समूचे अफगानिस्तान पर उसका ही झंडा लहराएगा। इसमें हेरात भी शामिल था पर उसके कब्जे का ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन नहीं दिया था। इसके साथ ही यह कहा गया था 'ब्रिटिश सरकार इन क्षेत्रों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और आपके लिए यह भी जरूरी न होगा कि अफगानिस्तान में कहीं कोई ब्रिटिश रेजीडेंट रहे। पर, दोनों सलग्न राज्यों के बीच साधारण मैत्रीपूर्ण संपर्क बनाए रखने की सुविधा के विचार से यह उचित होगा कि करार के द्वारा ब्रिटिश सरकार का एक मुसलमान एजेंट काबुल में रहे"। पत्र में यह भी कह दिया गया था कि उसके काबुल का शासक होने का आमंत्रण स्वीकार करते ही ये बातें "औपचारिक रूप

---

1 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सख्या 23, दिनांक 21 मई, 1880 अफगानिस्तान (1881) स०, पृ० 29–33

2 अब्दुर्रहमान खाँ का ग्रिफिन के नाम प्रेषण, 16 मई, 1880, वही, पृ 47

मे लिपिबद्ध" कर दी जाएँगी ।[1] अब्दुर्रहमान खाँ ने 22 जून को उत्तर दिया और पत्र मे उल्लिखित सारी शर्तें स्वीकार कर ली ।[2] उसकी स्वीकृति मिलने के बाद उसे काबुल का अमीर घोषित करने मे ब्रिटिश सरकार को अधिक समय नही लगा हालाँकि कुछ अवस्थाओ मे उसे अमीर की ईमानदारी के बारे म भी गभीर सदेह नही रहा था । लेकिन, अत मे 22 जुलाई को, चारीकर मे आयोजित एक दरबार मे उसे काबुल का शासक मान लिया गया और उसे भेजे गए एक पत्र मे उसकी इस मान्यता तथा भारत सरकार के साथ उसके सबधो की शर्तों का उल्लेख कर दिया गया ।[3] बाद मे काबुल उसे सौंप दिया गया और ब्रिटिश फौजे भारत वापस आ गई ।

इसके आगे की समस्या खैबर और कुर्रम क्षेत्रो मे उन ठिकानो पर कब्जा रखने की थी जिन्हें गडामक की सधि द्वारा प्राप्त किया गया था और जिन्हें लॉर्ड लिटन की सरकार उत्तर-पश्चिमी सीमात की सुरक्षा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण समझती थी । लॉर्ड हार्टिंगटन ने 21 मई के अपने पत्र मे यह इच्छा व्यक्त की थी कि भारत सरकार मामले पर फिर से विचार करे । गभीरता से सोच-विचार करने और सैनिक परामर्शदाताओ से सलाह करने के उपरात लार्ड रिपन की सरकार ने तय किया कि खैबर दर्रे मे लडी कोतल तथा अली मस्जिद मे स्थित फौजे "ब्रिटिश भारत के सीमात के इस पार आ जाएँगी" और दर्रे की सुरक्षा तथा उससे होकर आने-जाने की व्यवस्था कबीलो के नियत्रण मे कर दी जाएगी । इस बारे मे उनके साथ प्रबध कर लिया जाएगा । इस प्रबध का आधार यह होगा कि इन कबीलो को आजाद मान लिया जाएगा और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि, "दर्रे पर सिर्फ उन्ही का नियत्रण रहे और वह स्वतत्र रूप से रहे, दर्रा खुला रखा जाए और उस मे किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जा सके" । जब तक इन शर्तों का पालन होगा, तब तक भारतीय अधिकारी वहाँ पर फ़ौजें नही रखेंगे और यह बात भी स्पष्ट कर दी जाएगी कि 'ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी नियमित सेना को खैबर की चौकियो पर कब्जा नही करने दिया जाएगा ।"[4] इस तरह दर्रे पर अफ्रीदियो का कब्जा मान लिया गया था और उन्हें भारत सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण सबध बनाए रखने थे । इसी तरह का निर्णय कुर्रम घाटी के ठिकानो के बारे मे हुआ था । वहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण सैनिक केंद्र पीवार कोतल मे था । इस मामले मे भी आम राय यह थी कि "कुर्रम क्षेत्र मे सैनिक ठिकानो पर स्थायी रूप से कब्जा न रखा जाए" । जनरल रॉबर्ट्स तक की सम्मति यही थी कि अफगानिस्तान के साथ लडाई होने की स्थिति मे इन ठिकानो का इतना सामरिक महत्व न था कि वहाँ सेना रखी जाती । उसने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण की दिशा मे कधार की तरफ से आगे बढा जा सकता है

1 ग्रिफिन का अब्दुर्रहमान खाँ के नाम सवाद, 14 जून, 1880, अफगानिस्तान (1881) सख्या 1, पृ 47-48

2 अब्दुर्रहमान खाँ का ग्रिफिन के नाम सवाद, 22 जून, 1880, वही, पृ 48.

3 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 166, दिनाक 27 जुलाई, 1880 काबुल का शासक बनने की घोषणा मे पहले अमीर की भारत सरकार के साथ जो-जो बातचीत हुई थी, इस पत्र मे उसका पूरा क्रमिक विवरण दिया गया है । ग्रिफिन का स्टुअर्ट के नाम सवाद भी देखिए, स 62 एस. पी. सी., 4 अगस्त 1880.

4 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 208, 14 सितबर, 1880

दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या कंधार की थी। लॉर्ड हार्टिंगटन ने 21 मई, 1880 को यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अंत में कंधार काबुल के शासक को दे दिया जाएगा और उसने भारत सरकार से कंधार के वली शेर अली खाँ को दिए गए वचनों के स्वरूप की परीक्षा करने के लिए कहा था।[1] इसलिए, नई सरकार का विचार अफगानिस्तान में एकता स्थापित करने का था लेकिन जो स्थिति सामने आ चुकी थी और लॉर्ड लिटन ने कंधार के शासक से जो वायदा किया था, उसके कारण वह अपना विचार तुरंत कार्यान्वित न कर सकी। तथापि कुछ समय बाद ही घटना-चक्र कुछ इस तरह से घूमा कि नए लक्ष्य की सिद्धि सुगम हो गई। अयूब खाँ ने कंधार पर हमला किया। ब्रिटिश फौजों को जल्दी ही माइवंद पर पीछे हटना पड़ा और कंधार शहर घेर लिया गया। शेर अली खाँ ने अपनी अयोग्यता प्रमाणित कर दी और यह भी सिद्ध कर दिया कि वह इतना दुर्बल है कि अपनी प्रभुता कायम नहीं रख सकता। इस घटना से यह भी प्रकट हो गया कि वह कितना बदनाम है। इसलिए, जब अयूब खाँ को पीछे खदेड़ दिया गया और कंधार सुरक्षित हो गया, तब शेर अली खाँ ने अपनी स्थिति समझ कर यह इच्छा व्यक्त की कि वह अपने पद से त्याग-पत्र दे दे और ब्रिटिश सरकार से गुजारा पाकर कराची में ही रहने लगे।[2] इसलिए, उसे पहले जो वचन दिए गए थे, वे अपने आप समाप्त हो गए और ब्रिटिश सरकार दक्षिण अफगानिस्तान की भावी व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह आजाद हो गई। ब्रिटिश सरकार के सामने इस समय दो ही विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि वह कंधार पर स्थायी कब्जा कर ले या उसे भारतीय प्रदेश में मिला ले। दूसरा विकल्प यह था कि यदि अब्दुर्रहमान खाँ सशक्त शासन की स्थापना करने और ब्रिटिश हितों की रक्षा करने का वचन दे, तो कंधार उसे हस्तांतरित कर दिया जाए। लार्ड हार्टिंगटन ने 11 नवंबर, 1880 के अपने पत्र में सारी स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण किया और साम्राज्ञी की सरकार की नीति का संकेत दिया। उसकी निश्चित राय थी और यह कंधार-संबंधी उसकी योजनाओं का आधार थी कि "कंधार पर स्थायी सैनिक आधिपत्य रखने की कोई भी कार्यवाही उसकी दृष्टि में बहुत आपत्तिजनक होगी"। भारत-मंत्री ने अपने विचार की पुष्टि में उन कारणों का हवाला दिया जिनसे पृथक कंधार-राज्य के निर्माण की प्रेरणा मिली थी। इस कार्यवाही की पैरवी का आधार यह नहीं था कि इसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले कबीलों या लोगों से बचा जा सकेगा बल्कि 'यह तो एक ऐसी शक्ति के विरुद्ध रक्षा-व्यवस्था थी जो किसी भी अफगान जाति से कहीं अधिक प्रबल थी'। उसने लिखा था, "इस कार्यवाही का दोनों आधारों पर विरोध किया जा सकता है—इस आधार पर भी कि क्या इस तरह के खतरे का वास्तव में अस्तित्व है और इस आधार पर भी कि अगर इस तरह के खतरे का वास्तव में अस्तित्व हो, तो क्या यह उसके प्रतिरोध का सार्थक उपाय है"। लार्ड हार्टिंगटन ने आगे चलकर जोर दिया कि "भारत की सुरक्षा के लिए किसी संभाव्य विदेशी हमले का खतरा या खतरे की संभावना नहीं है जिससे भारत सरकार को तुरंत ही कोई कार्यवाही करनी पड़े और उससे उसके विपुल सैनिक व्यय में तत्काल बहुत वृद्धि हो जाए"। अगर भारत सरकार ने कंधार पर आधिपत्य किया,

1 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, 21 मई, 1880, पृ 🙂

2 वायसराय का भारत-मंत्री के नाम तार, 12 नवंबर, 1880 अफगानिस्तान (1881) सं 1, पृ 93

तो उसका सैनिक व्यय बहुत बढ़ जाएगा। उसकी दृष्टि में मध्य एशिया में रूस का विस्तार भारत के लिए सीधा और तात्कालिक खतरा न था। इसके बाद उसने "अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के हानिकर परिणामों" का विवेचन किया और यह भी बताया कि इस समय अफगानिस्तान में ऐसी कोई सबल सैनिक शक्ति नहीं है जो ब्रिटिश फौज का अभियान या उसके राज्य के किसी भाग पर इस फौज का कब्जा रोक सके। पर यह बात भी उसके ध्यान से परे न थी कि "यदि अफगानिस्तान पर स्थायी कब्जा किया गया या ब्रिटिश सरकार ने जनता पर आरोपित सरकार को सैनिक सहायता के जोर से बनाए रखा तो इससे कितनी कठिनाइयाँ पैदा हो जाएँगी"।[1]

साम्राज्ञी की सरकार यह नहीं चाहती थी कि वह किसी बदनाम शासक का समर्थन करने के बहाने कंधार पर सैनिक आधिपत्य बनाए रखे और वह कंधार का भारतीय क्षेत्र में विलय करने के भी विरुद्ध थी क्योंकि इससे वहाँ एक बड़ी फौज रखने की जरूरत पड़ती और यह युद्ध से पहले की गई घोषणाओं के भी प्रतिकूल होता। भारत-मंत्री ने लिखा था, 'इस तरह की घोषणाओं के बाद लोगों की इच्छा के विरुद्ध भारतीय क्षेत्र में अफगान क्षेत्र के विलय का औचित्य आत्म-रक्षा की दुर्निवार आवश्यकता के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता था। यह प्रमाणित करने के प्रयत्न किए गए हैं कि कंधार के निवासियों को अंग्रेजों का शासन सहर्ष स्वीकार होगा, पर जिन लोगों की इस संबंध में सबसे अधिक विश्वसनीय राय हो सकती है, प्रायः उन सबका विचार है कि जिस क्षेत्र का विलय करना आवश्यक होगा उसके अधिकांश निवासी अपनी स्वतन्त्रता के नाश और दूसरी जाति तथा दूसरे धर्म के लोगों के शासन के घोर विरुद्ध होंगे"। लॉर्ड हार्टिंगटन का यह भी विचार था कि कंधार के विलय से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि अग्रिम नीति के अधीर हिमायती उस समय तक सन्तुष्ट न होंगे जब तक कि निरंतर आगे ही आगे न बढ़ा जाए और इस संबंध में उसने लार्ड लिटन का 7 जुलाई, 1879 का पत्र उद्धृत किया, 'सीमान्त रक्षा की जिस व्यवस्था की हम इस समय आवश्यकता देख रहे हैं या जिसके बारे में हमने कभी मात्र विचार किया है, उसमें कहीं व्यापक व्यवस्था के सन्दर्भ में ही कंधार का सामरिक महत्त्व है'। इसलिए, साम्राज्ञी की सरकार की यह इच्छा न थी कि वह छाया के पीछे दौड़े और उसने निश्चय किया कि अगर अब्दुर्रहमान खाँ कंधार और हेरात का प्रशासन आसानी से अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो, तो वह उसे दे दिया जाए, और अगर ऐसा न हो तो, "यहाँ भी काबुल की तरह ऐसी शासन-व्यवस्था स्थापित करने में मदद दी जाए जिसके स्थायी होने की सबसे अधिक संभावना हो और जो जनता की इच्छाओं के सबसे अनुकूल हो, पर भारत सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से समझा देनी चाहिए कि भावी शासक को अपने साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और अब उसका अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में इस ढंग से हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है जिससे साम्राज्ञी की फौजों को सीमान्त के पार जाने की जरूरत पड़े।" लॉर्ड हार्टिंगटन का यह विचार ठीक ही था कि अगर कंधार का सामरिक महत्त्व स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी उस पर सैनिक कब्जा करना "उस समय ज्यादा आसान होगा जब किसी शत्रु-देश के आक्रमण से यह बात स्पष्ट हो जाए कि भारत की ही नहीं, अफगानिस्तान

1 भारत-मंत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, सं 45, 11 नवंबर, 1880

की आज़ादी के लिए भी खतरा पैदा हो गया है"। उसने यह भी मत व्यक्त किया कि "अगर इस तरह का कब्ज़ा अन्य किसी तरह से न करके अफगान लोगों की स्वीकृति और सदिच्छा से किया गया तो वह अधिक लाभदायक होगा'। अफगानो की स्वतत्रता की इच्छा और अँग्रेजो के प्रति उनके सदेह के बारे म उसके विचार महत्त्वपूर्ण हैं। उसने लिखा था, "अगर अफगानो मे अपने ब्रिटिश पडोसियो की अपेक्षा रूस या फारस के प्रति मैत्री रखने की अधिक प्रवृत्ति रही हो, तो यह अस्वाभाविक नही है क्योकि हमारी पिछली नीति के फलस्वरूप उनके भीतर कुछ ऐसा डर पैदा होता रहा है कि कही उन्हें अपनी आज़ादी से हाथ न धोना पडे। अफगान लोगो के चरित्र मे ऐसी कोई बात नही है जिससे यह माना जाए कि वे अन्य किसी देश के आक्रमण का या उसकी अधीनता का स्वागत करेंगे और साम्राज्ञी की सरकार को यह आशा करना अनुचित नही लगता कि अगर हम, अपनी सैनिक शक्ति की उत्कृष्टता को स्पष्ट रूप से सिद्ध करने के बाद, अफगान प्रदेश से पूरी तरह हट जाने और साथ ही उसके आतरिक मामलो मे किसी तरह का हस्तक्षेप करने से लगातार बचे रहने की नीति अपनाएँ, उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा करे और दृढता से पालन, तो हम इस नीति के फलस्वरूप इन अर्द्ध-सभ्य, लेकिन शूरवीर कबीलो को अँग्रेजो का उपयोगी मित्र बना लेंगे'।[1]

इस प्रेषण के फलस्वरूप कधार का मामला तय करने मे और अमीर अब्दुर्रहमान को उसका हस्तातरण करने मे आसानी हुई। वायसराय ने 30 जनवरी, 1881 को अमीर को पत्र लिखा जिसमे उससे प्रस्ताव किया कि कधार अफगानिस्तान के राज्य मे मिला लिया जाए और उस पर अमीर की सत्ता स्थापित हो जाए। वायसराय ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि अमीर अब्दुर्रहमान खाँ कधार को अपने शासन मे लेने की तैयारी पूरी कर ले। उसे काबुल मे जिस तरह की मदद दी गई थी, उसी तरह की मदद का वचन यहाँ भी दिया गया।[2] भारत सरकार ने अमीर को जो द्रव्य, राइफलें और गोला-बारूद दिया था, उसकी मदद से अमीर ने अपनी सेना का सगठन किया और अत म 1881 की गर्मियाँ बीतने के पहले ही कधार और हेरात सयुक्त अफगानिस्तान राज्य के अग बन गए। अयूब खाँ को भी चेतावनी दे दी गई कि वह उपद्रव न करे और कुछ समय बाद वह भी भारत आ गया। जिस कधार समस्या के बारे मे सैनिक क्षेत्रो मे पर्याप्त मतभेद था और जिसे अँग्रेजो के नियत्रण म रखने के पक्षपाती भी कम न थे, वह समस्या इस तरह सुलझ गई। अब अँग्रेजो के नियत्रण म केवल दो ही स्थान रह गए थे—पिशिन और सीबी—हालाँकि साम्राज्ञी की सरकार इन दोनो स्थानो को भी खाली करना चाहती थी। लॉर्ड लिटन ने बालू का जो महल बनाया था, अन्त मे वह चूर-चूर हो गया और भारत सरकार उसी नीति पर लौट आई जिस पर उसके पूर्ववर्ती चले थे और सफलता के साथ चले थे।

अत मे जो स्थिति उभरी, वह यह थी कि अमीर अब्दुर्रहमान का हेरात, कधार और सीस्तान सहित समूचे अफगानिस्तान पर अधिकार हो गया और अब उसकी स्थिति

---

1 भारत-मत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, 11 नवबर, 1880
2 वायसराय का अमीर के नाम सवाद, 30 जनवरी, 1881 अफगानिस्तान, (1881), स 5, पृ 30

यह थी कि वह अपने पितामह अमीर दोस्त मुहम्मद के देश में शक्तिशाली शासन की स्थापना कर सकता था। उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन न थे, पर भारत सरकार ने उस देश पर अपनी प्रभुता दृढ़ करने के लिए 20 लाख से अधिक रुपए, तोपखाना, राइफलें और गोलाबारूद दिए। यद्यपि उसे तुरत ही किसी स्थायी वार्षिक उपदान का वचन नहीं दिया गया, पर कुछ समय बाद ही 1883 में उसे 12 लाख रु वार्षिक उपदान देना निश्चित हो गया।[1] अमीर को अफगानिस्तान में ब्रिटिश दूतावास की स्थापना के लिए बाध्य नहीं किया गया क्योंकि वहाँ जबरन दूतावास की स्थापना का अनुभव सुखद नहीं रहा था और काबुल में भारतीय एजेंट रखने की प्रथा फिर से चालू कर दी गई। यह सिद्धान्त फिर से दुहराया गया कि अमीर के अंग्रेजों के अलावा और किसी देश से संबंध नहीं हो सकते और हालांकि कोई औपचारिक संधि नहीं की गई थी पर अमीर को एक पत्र दिया गया जिसमें अंग्रेजों के प्रति अमीर के दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था और यह भी बताया गया था कि अमीर अंग्रेजों से किन-किन विशेषाधिकारों की उम्मीद कर सकता है। बाद में इस पत्र को संधि की तरह ही पवित्र मान लिया गया था। इस पत्र को वैधिक अनुबंध (legal stipulation) की शक्ति प्राप्त थी पर अमीर अब्दुर्रहमान की आत्म-कथा से ज्ञात होता है कि कुछ क्षेत्रों में इसकी वैधता के संबंध में संदेह था। अतः 1883 में भारत सरकार ने फिर से घोषणा की जिससे प्रत्येक पक्ष संतुष्ट हो गया।[2] यह घोषणा वैसी ही शब्दावली में की गई थी जिसमें 1880 की घोषणा की गई थी और यद्यपि अमीर को दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबंध रखने की आज़ादी नहीं दी गई थी, पर उसे यह वचन दे दिया गया था कि अगर किसी दूसरे देश ने हस्तक्षेप किया और इस हस्तक्षेप के फलस्वरूप अकारण हमला हुआ, तो ब्रिटिश सरकार अमीर की मदद करेगी। इस तरह से यह अभिसमय (convention) स्थापित हो गया कि अफगानिस्तान के विदेश संबंध भारत सरकार की सलाह और इच्छा के अधीन रहेंगे। यह उस नीति की चरम परिणति थी जो स्पष्ट न होते हुए भी लॉर्ड मेयो की अम्बाला-घोषणा और लॉर्ड नार्थब्रुक की शिमला-घोषणा में निहित थी। इस तरह के वचनबंध की अस्पष्टता और संदिग्धता के फलस्वरूप 1875 से पहले अमीर के मन में तो गलतफहमी और शंकाएँ पैदा हो जाती थीं और लार्ड लिटन के मन में अमीर शेर अली के दृष्टिकोण के प्रति अविश्वास की भावना तीव्र हो जाती थी। 1880 और 1882 की घोषणाएँ पूर्ववर्ती घोषणाओं से मूलतः भिन्न न थीं, पर ब्रिटिश सरकार के स्वविवेक (discretion) से संबद्ध शब्दों के निकाल दिए जाने के कारण उनमें अधिक स्पष्टता आ गई थी। इन दोनों घोषणाओं में दोनों पक्षों के दायित्वों का निर्भ्रान्त निरूपण कर दिया गया था, अतः उनकी मैत्री का आधार अधिक पुष्ट हो गया था। अमीर अब्दुर्रहमान को इससे संतोष था और वह अपने स्थायित्व के लिए अंग्रेजों की सहायता पर निर्भर था जिसमें किसी तरह की कमी न थी। लॉर्ड रिपन का भी नए अमीर पर विश्वास था और वह साधार था। वह ऐसी नीति पर चला जिसके फलस्वरूप मैत्री के सूत्र दृढ़ हुए, अफगानि-

---

1 वायसराय का अमीर के नाम पत्र, 16 जून, 1883; मध्य एशिया (1), पृ 85

2. वायसराय का अमीर के नाम पत्र, 22 फरवरी, 1883, 16 जून, 1883 का पत्र भी देखिए।

स्तान मे मजबूत शासन की नीव पडी और भविष्य मे रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली अवरोध की स्थापना हो गई।

1880 मे भारत की नई सरकार तथा गामाजी की सरकार को भी रूस के हमले का डर न था और सुदूर भविष्य म भी उसकी सभावना न थी। पारस्परिक शत्रुता और धमकी का अतर्काल (interregnum) समाप्त हो चुका था और ब्रिटिश सरकार की प्रवृत्ति रूस तथा अफगानिस्तान के बीच सीमाएँ निर्धारित करने के लिए रूस के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत आरभ करने की थी। जब इँगलैंड के विदेश मन्त्री लॉर्ड ग्रानविल्ले की 2 फरवरी 1882 को रूसी राजदूत प्रिंस लोबानोव से बातचीत हुई, तब ग्रानविल्ले ने यह प्रश्न उठाया कि दोनो देशो की विद्यमान मैत्री का उपयोग एशिया मे दोनो शक्तियो की नीति तथा स्थिति के सबध मे कोई समझौता करने के लिए किया जाना चाहिए। यह समझौता दो बातो के सबध मे होना था—जहाँ फारस का सीमात अफगानिस्तान के सीमात से मिलता था, वहाँ फारस और तुर्कमान प्रदेश के बीच सीमात का निर्णय करना था और दूसरे, अफगानिस्तान और रूस के बीच भी सीमात का निर्धारण करना था।[1] अफगानिस्तान की सीमाओ के सबध मे प्रिंस गोर्चाकोव और लॉर्ड क्लैरेंडन के बीच जो समझौता हुआ था, उसे दोनो सरकारो ने बँध मान लिया था, पर खोजा सलेह से फारस के उत्तर-पश्चिमी सीमात तक के स्थल के सीमा-निर्धारण की समस्या का अभी निर्णय नही हुआ था। इस प्रश्न पर दोनो सरकारो के बीच बातचीत होती रही, बातचीत के फलस्वरूप एक समझौता हुआ और फिर सीमा-रेखा के ठीक-ठीक निर्धारण के लिए एक आयोग की नियुक्ति हुई।[2] इस सारी बातचीत का और सीमा के वास्तविक निर्धारण का विवेचन—जिसकी वजह से कभी-कभी युद्ध तक का खतरा पैदा हो जाता था—इस पुस्तिका के क्षेत्र से बाहर है। यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि भारत सरकार ने अमीर के अनुरोध के बिना ही जिस उत्सुकता से उसके उद्देश्य का समर्थन किया, या बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की इच्छा व्यक्त की, उसके फलस्वरूप दोनो के बीच पारस्परिक विश्वास दृढ हुआ और अफगानिस्तान पूरी तरह भारत का मित्र हो गया। यह पारस्परिक मित्रता एक-दूसरे के प्रति अपनी-अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और आतरिक मामलो मे अफगानिस्तान की स्वतत्रता के प्रति सचेत सम्मान भाव बनाए रखने पर निर्भर थी। दोनो देशो की यह मित्रता निर्विघ्न बनी रही, बल्कि उसम दिन प्रति दिन निखार आता गया। इसमे बाधा उस समय उपस्थित हुई जब एशिया मे अन्यत्र रूस के विस्तार के फलस्वरूप अग्रिम नीति को एक बार फिर नया जीवन मिला। इस नीति के कारण भारत की विदेश नीति पर एक बार फिर धुधलका छा गया और कुछ समय के लिए दोना पडोसिया के सबधो मे रुखापन और अविश्वास पैदा हो गया। फिर भी, 1883 मे दोनों के सबध मैत्रीपूर्ण थे, भारत सरकार सहायता दे रही थी और सावधानी से हस्तक्षेप करने से बच रही थी।

---

1 ग्रानविल्ले का थॉर्नटन के नाम सवाद, 2 फरवरी, 1882, मध्य-एशिया, स 1 (1884), पृ 2

2 ग्रानविल्ले का थॉर्नटन के नाम सवाद, 22 फरवरी, 1882, 14 मार्च 1882, 22 मार्च, 1882, 22 अप्रैल 1882, थॉर्नटन का ग्रानविल्ले के नाम सवाद, 29 अप्रैल, 1882 आदि। मध्य एशिया, स 1 (1884)

लॉर्ड लॉरेंस की नीति का जो प्ररूप था, अफगानिस्तान की व्यवस्था उसी के अनुसार हुई थी और इसकी सफलता से लॉर्ड लिटन की योजना की प्रभाविता झूठी सिद्ध हो गई थी। नीति और स्वार्थ दोनों की दृष्टि से जिस देश को सबल, संयुक्त और भारत का मित्र होना चाहिए था, लॉर्ड लिटन की नीति से उस देश को नुकसान पहुँचा था, भारत को उसकी मित्रता से हाथ धोना पड़ा था और उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई थी। इसका जो भी फल हुआ उससे लॉर्ड नॉर्थब्रुक की नीति का औचित्य प्रमाणित हो गया और लॉर्ड लिटन की जिस नीति का उद्भव ब्रिटिश नीति के भारतेतर हितों से हुआ था और जिसका आधार मध्य एशिया में रूस का विरोध करना था, वह निंद्य प्रमाणित हो गई।

अध्याय 13

फारस की खाडी और अरब समुद्र-पट

अब तक हमने मध्य एशिया मे भारत-ब्रिटिश नीति की परीक्षा की है जहां उसका रूस के विस्तारशील साम्राज्यवाद से संघर्ष हुआ था। भारत सरकार की विदेश नीति की राह और दिशा के निर्धारण मे सबसे अधिक योग राजनीतिक स्वार्थों का रहा था। अब हम एक दूसरे क्षेत्र—फारस की खाडी और अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र—की ओर मुडेंगे जहाँ सबसे प्रबल प्रेरक हेतु था वाणिज्य, और जहाँ तनाव पैदा होने का कारण यह न था कि रूस विरोध मे था बल्कि यह था कि शायद यूरोपीय देशो मे वाणिज्यिक प्रतियोगिता थी और तुर्की तथा फारस दोनो ही यह दावा करते थे कि ब्रिटिश प्रभावाधीन छोटी-छोटी सल्तनतो के ऊपर उनका अधिराजत्व था। जब अँग्रेजों ने फारस की खाडी पर सैनिक गतिविधियाँ आरभ की और समुद्रतटवर्ती राज्यो अथवा तथाकथित विराम-संधि-राज्यो (Trucial States) पर राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित करना आरभ किया, तब इसके कुछ विशेष कारण थे—वे व्यापार करने, इँगलैड और सुदूर पूर्व के बीच के मुख्य मार्ग पर प्रभुता स्थापित करने और भारत तथा साम्राज्य की राजधानी के बीच के सचार मार्गों पर अधिकार जमाने के इच्छुक थे। पर, इस क्षेत्र मे भी विदेश नीति का ज्वार-भाटा सामान्यत: उसी प्रारूप पर रहा जिसका विवरण हम मध्य एशिया के राज्यो के सदर्भ मे पहले ही दे चुके हैं। शुरू-शुरू मे ब्रिटिश सरकार की नीति यह थी कि जब तक समुद्रतटवर्ती राज्यो मे शाति रहेगी और वे दूसरे देशो के प्रभाव से बचे रहेंगे, तब तक वह उनके आतरिक मामलो में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नही करेगी। पर जब ब्रिटिश सरकार को डर हुआ कि कही तुर्की या फारस इन राज्यो मे अपना प्रभाव न जमा लें, तब उसके मन मे इन राज्यो के मामले मे हस्तक्षेप करने और उनमे अपनी सर्वोपरिता (paramountcy) स्थापित करने की इच्छा बलवती होती गई।

पुर्तगाल ने पूर्वी समुद्रों मे अपने डग बढ़ाते समय फारस की खाडी और अरब समुद्र-तट को अपने नियत्रण मे कर लिया था, पर बाद मे जब डचों और अँग्रेजों ने उसे इन क्षेत्रों से हटा दिया, तब फारस की खाडी के तट सहज रूप से अँग्रेजों के व्यापारिक अड्डे बन गये। यह व्यापार अठारहवी सदी मे फलता-फूलता रहा और लगता है कि इस शताब्दी के अत तक सीमावर्ती क्षेत्रों के सरदारो पर कोई राजनीतिक नियत्रण स्थापित नही हुआ था। लेकिन, उन्नीसवी सदी शुरू होते ही फारस ने सभाव्य हमले से बचाव करने के लिए या

समुद्री डाकुओं के आक्रमणों से वाणिज्य की रक्षा के लिए ब्रिटेन और भारत की सरकारों ने फारस या मास्केट या फारस की खाड़ी के सीमावर्ती छोटे-छोटे सरदारों के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किए जिनके फलस्वरूप वे धीरे-धीरे नियंत्रण की बेड़ियों में जकड़ गए और वहाँ के समुद्र-तट पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अँग्रेजों के ही कंधों पर आ पड़ी। इन क्षेत्रों के दो ही अभिशाप थे—समुद्री डकैती (piracy) और पारस्परिक संघर्ष और इनसे व्यापार में, विशेषकर समुद्र से मोती निकालने के लाभकर व्यवसाय में, बाधा पड़ती थी। इसी बीच खास अरब में दो महत्त्वपूर्ण आंदोलन पैदा हो गए थे। इनमें से एक आंदोलन वहाबी मत का था जिसका राजनीतिक पहलू यह था कि अरब की खाड़ी, दूरस्थ सल्तनतों के ऊपर नज्द की सर्वोपरिता स्थापित होनी चाहिए। दूसरा आंदोलन यह था कि तुर्की अरबों के ऊपर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसे यथार्थता में परिणत करना चाहता था। कभी-कभी फारस जैसा गतिहीन राज्य भी अँगड़ाइयाँ लेने लगता था और समुद्र-तट पर अपना दावा प्रस्तुत कर उठता था। भारत सरकार को अक्सर इन सारी स्थितियों में नीति निर्धारित करनी पड़ती थी और फारस की खाड़ी में अंग्रेजों के व्यापार-एकाधिकार की रक्षा के लिए कारगर कार्यवाही करनी पड़ती थी।

इतना सब होने पर भी उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हिंद महासागर की सुरक्षा की कोई समस्या नहीं उठी थी। पर जब स्वेज नहर खुल गई और यूरोपीय देशों के जहाज बड़ी संख्या में आने-जाने लगे, तब ब्रिटिश सरकार भी पहले की तरह खतरे से बेखबर न रह सकी। अब अँग्रेजों के व्यापार का एकाधिकार ही खतरे में न था, आपात-काल में उनकी समुद्री मार्गों की सुरक्षा और साम्राज्य की तट-रेखा तक के लिए संकट पैदा हो गया था। अदन का और फारस की खाड़ी के बंदरगाहों का महत्त्व कई गुना बढ़ गया। अब फारस की खाड़ी को रेल द्वारा भूमध्यसागर-तट से या भारत को तार द्वारा यूरोप से जोड़ने की भी अनेक योजनाएँ आरंभ हुईं। सभ्यता के ये उपकरण साम्राज्यवादी देशों के हाथों में राजनीतिक प्रभुता के आधुनिक साधन बन गए, और ब्रिटेन ने अरब सरदारों के ऊपर कड़ा नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनका उपयोग किया। लेकिन, बाद में जब वह रेल-मार्ग का उपयोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए न कर सका और जर्मनी या तुर्की ने टाइग्रिस की घाटी खोलने की इच्छा प्रकट की, तब अँग्रेजों के मन में आशंका जाग उठी। इसी तरह, बाद के वर्षों में जब रूस ने उष्ण समुद्र (warm water) पर कब्जा करना चाहा, तब ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए बाध्य हो गई कि वह रूस, फ्रांस या जर्मनी को भारत से दूर रखने के लिए फारस की खाड़ी पर दृढ़तापूर्वक अधिकार बनाए रखे।

इंगलैंड ने इस क्षेत्र में बिल्कुल शुरू-शुरू में जो संधियाँ की थीं, उनमें से एक संधि वह थी जो 1798 में मास्केट के साथ की गई थी। इस संधि में व्यवस्था की गई थी कि उस राज्य से फ्रांस के व्यापार और प्रभाव का पूर्ण उन्मूलन कर दिया जाए। इस संधि का अनुसमर्थन (ratification) 1800 में सर जॉन माल्कम ने किया और इसके फलस्वरूप वहाँ एक ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया। इस तरह से मास्केट और भारत-स्थित ब्रिटिश सरकार के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध आरंभ हुए और वे प्रति वर्ष घनिष्ठतर होते गए। इसके बाद 1806 में जोवास्मी कबीले के साथ आबंध (enga-

gement) हुआ जिसके अनुसार कबीले ने वायदा किया कि वह ब्रिटिश झंडे का सम्मान करेगा और समुद्री डाके नहीं डालेगा। पर इस संधि के फलस्वरूप समुद्री डाकेजनी का अंत न हो सका और विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1809 में और फिर 1819 में इस कबीले व सरदारों के विरुद्ध सैन्य दल भेजने पड़े। इन अभियानों के फलस्वरूप कबीले के सरदारों का दमन हो गया और 1820 में तटवर्ती शेखों के साथ एक सामान्य संधि हुई जिसमें उन्हें आदेश दिया गया था कि वे समुद्री डाके डालने से बाज आएँ। अंतिम अभियान में मास्केट के सुल्तान ने भी पूरी तरह सहयोग दिया था। इसी बीच, 1815 में बहरीन के सरदार ने मास्केट के विरुद्ध अँग्रेजों की सहायता चाही और उसे रेजीडेंट से मैत्री का अनौपचारिक आश्वासन भी मिल गया[1]। पर 1820 में फिर शेख समुद्री डाकुओं की टोली में शामिल होने से बाज न आया हालांकि अंतत उस दिन के जल दस्युता विरोधी संविदे को उसने स्वीकार कर लिया।

लेकिन इससे ज्यादा उल्लेखनीय व्यवस्था 1935 की थी जिसके अनुसार दक्षिण समुद्र तट के शेख इस बात के लिए बाध्य थे कि वे मोती निकालने के मौसम में समुद्री डाकेजनी से ही दूर न रहेंगे बल्कि सारी समुद्री लड़ाइयाँ भी बंद रखेंगे।[2] 1843 तक तो इस व्यवस्था का हर साल नवीकरण होता रहा पर 1843 में इसे दस साल के लिए बढ़ा दिया गया और फिर इसे स्थायी संधि का रूप दे दिया गया। इस संधि का उद्देश्य समुद्री डाकों का ही अंत करना नहीं था, स्वतंत्र शेखों के बीच होने वाली लड़ाइयों का भी अंत करना था और संधि के अनुसार शेखों को 'विराम-संधि-सरदार' (Trucial Chiefs) नाम दे दिया गया था। इस संधि को बहरीन और मस्कट के सरदारों ने स्वीकार कर लिया था। फारस की खाडी के समूचे क्षेत्र में यह एक पक्का अभिसमय बन गया और इसे संधि के अनुबंध (treaty stipulation) का बल प्राप्त हो गया कि खाडी के जलक्षेत्र में युद्ध जैसी कोई गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिएँ और ब्रिटिश सरकार समुद्र की अनतिक्रमणीयता (inviolability) की अभिरक्षक है। इसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि सरदारों के बीच लड़ाई बंद हो गई और पहले की अपेक्षा शांति स्थापित हो गई। समूचे क्षेत्र में अँग्रेजों का डंका बजने लगा और उन्हें अधिकार मिल गया कि वे अपनी नौ-सेना के जोर से यह जिम्मेदारी पूरी कर सकते थे। इस तरह, फारस की खाडी पर अँग्रेजों का एक प्रकार का संरक्षित राज्य (protectorate) स्थापित हो गया जिसके आधार उनका यह अधिकार था—इस अधिकार को मान्यता नहीं मिली थी—कि व देशी रियासतों के ढंग पर विराम-संधि-सरदारों तथा अन्य सरदारों की विदेश नीति और अंतर-राज्य-संबंधों का निर्धारण और नियंत्रण कर सकते है।

इसके बावजूद, ब्रिटिश सरकार को सरदारों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का या उनका उत्तराधिकार निर्धारित करने का अधिकार न तो स्थायी विराम-संधि के फलस्वरूप ही मिला था और न मास्केट या बहरीन के साथ की गई संधियों के फलस्वरूप ही मिला। यह बात भी विवादास्पद ही है कि ब्रिटिश सरकार को इन संधियों के फल-

1 व्हिपन, द पर्शियन प्रॉब्लेम, पृ 31
2 वही, पृ 32

स्वरूप सरदारों, नज्द के अमीर, फारस के शाह या तुर्की के सुल्तान के पारस्परिक सबधों मे दखल देने का अधिकार मिल गया था। विराम-संधि-सरदारो के साथ जो व्यवस्था की गई थी, वह तुर्की या फारस के ऊपर लागू नही होती थी। इन राज्यों के जहाज फ़ारस की खाड़ी में चल सकते थे—भले ही एक या एक से अधिक सीमावर्ती सरदारों के प्रति उनके इरादे शत्रुतापूर्ण रहते हों—और ब्रिटिश सरकार को उनकी इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था। फिर भी, अलिखित विधि का अस्तित्व भी था ही और इसका पालन कराने के लिए ब्रिटिश शक्ति भी थी कि किसी तरह का सामुद्रिक युद्ध न होने पाए। इस नीति की सार्थकता के तीन आधार थे—इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा, ब्रिटिश प्रजा और उसके व्यापार की रक्षा, और इन समुद्रों मे अनन्त अँग्रेजों की सर्वोपरिता। अँग्रेजों के चारों ओर से बढ़ते हुए सरक्षित राज्य के दायरे में इस सामान्य नियम (canon) के द्वारा आतरिक मामले भी आते गए और अँग्रेजो ने शांति की खातिर किसी भी क्षेत्र मे ज्यादा लबे समय तक झगड़े फसाद नही होने दिए।

कुछ सरक्षित अरब राज्यो के मामलों मे ब्रिटिश सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी थी—इसलिए भी कि उनके भीतर उपद्रवो और अराजकता की आग सुलगने का डर था और इसलिए भी कि कहीं बाहर से विदेशी शक्तियाँ उन पर प्रभाव न डालने लगें। पर, इन राज्यों के आतरिक घटना-क्रमो मे अँग्रेजो की बड़ी दिलचस्पी और उत्सुकता थी और इसका एक उदाहरण है मास्केट। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, मास्केट के सुल्तान, और जजीबार के शासक सैयद सईद के अग्रेजो के साथ बड़े मैत्रीपूर्ण सबध थे और उन्होंने समुद्री डाकों का दमन करने में ही नहीं, दास-व्यापार का अंत करने में भी मदद दी थी। वह उदार शासक था और जब तक वह जीवित रहा, तब तक अँग्रेजो के साथ उसके इसी तरह के मैत्रीपूर्ण सबध बने रहे। उसके शासन-काल मे उसकी सल्तनत को वहाबियों का डर बना रहा और जैसा कि कर्ज़न ने कहा है, "कभी-कभी तो ब्रिटिश सरकार के मैत्रीपूर्ण हस्तक्षेप से ही वहाबियों के हाथो सल्तनत का अंत होने से बचा। उसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सुल्तान वहाबी अमीर को कुछ नजराना कर दिया करता था"।[1] सुल्तान की मृत्यु के बाद उसकी सल्तनत के दो भाग, मास्केट और जजीबार, उत्तराधिकार मे क्रमश उसके सबसे बड़े लड़के और चौथे लड़के को मिले। इस व्यवस्था को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक था कि दोनो उत्तराधिकारियों के बीच कुछ निश्चित करार हो जिससे वे अपना प्रशासन सुचारु रूप से चला सकें। लॉर्ड कैनिंग से प्रार्थना की गई कि इस मामले मे वह विवाचन करे और 1861 के अपने पचाट (award) मे उसने स्वर्गीय सुल्तान द्वारा की गई व्यवस्था की इस शर्त के साथ पुष्टि की कि जजीबार का सुल्तान अपने बड़े भाई, मास्केट के शासक को 40,000 क्राउन प्रति वर्ष दे जिससे उसकी विरासत मे जो कुछ कमी रह गई थी, वह पूरी हो सके। पचाट की घोषणा करते समय वायसराय ने दोनों शासकों को लिखा था, "मुझे सतोष है कि ये शर्तें आप दोनो के लिए न्यायपूर्ण और सम्माननीय हैं और चूँकि आपने मेरे विवाचन को सोच-समझ कर और गभीरतापूर्वक स्वीकार किया है, अत: मुझे आशा है कि आप ईमानदारी और प्रसन्नता के साथ इन शर्तों का पालन करेंगे

1. कर्ज़न, पर्शिया, II, पृ 436

और अनावश्यक विलव के बिना ही उन्हे कार्यरूप मे परिणत किया जाएगा। वार्षिक अदायगी के बारे मे यह नही समझना चाहिए कि वह केवल आपके और आपके भाई के बीच वैयक्तिक मामला है, वह आप दोनो के उत्तराधिकारियो पर भी लागू होगा और इसे अतिम और स्थायी व्यवस्था समझा जाएगा। इस अदायगी का मतव्य यह है कि मास्केट के शासक ने जजीबार के ऊपर अपने सारे दावो का जो त्याग कर दिया है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और दोनो विरासतो के बीच असमता का निवारण किया जाए।"[1] कुछ ही समय बाद इस प्रश्न पर निर्णय करने की जरूरत आ पडी कि इस करार का पालन कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर कहां तक है और इसी सदर्भ मे भारत तथा इंगलैड की सरकारो को अपनी नीति निर्धारित करनी पडी।

जब 1866 मे सोहार मे मास्केट के शासक सैयद थोनी की हत्या कर दी गई और शक उसके लडके सलीम पर हुआ जो बादशाह बन गया था तब उत्तराधिकार की समस्या भी एक अजीब समस्या के रूप मे सामने आई। उसका शासन कमजोर और बदनाम था—कुछ तो इसलिए कि उसके ऊपर अपने पिता की हत्या का शक किया जाता था और कुछ इसलिए भी कि बाद मे उसने चाचा मुसनाह के शासक हमीद बिन सलीम पर अकारण ही हमला किया गया था। उसके उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अनेक उलझने पैदा हो गई थी। जजीबार का सुल्तान वार्षिक उपदान देने के लिए तैयार न था और उसने ब्रिटिश सरकार से यह उपदान बद करने की अनुमति चाही। फारस सरकार ने भी बदर अब्बास पर पट्टा समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन, सबसे गभीर उलझन मृत सुल्तान के एक निकट सबधी अजान बिन गियाज के विद्रोह की थी। सलीम सशस्त्र विद्रोह का दमन न कर सका और 12 अक्तूबर, 1868 को जहाज मे बैठ कर बदर अब्बास के लिए रवाना हो गया ताकि वहां से दुबारा अपनी गद्दी पाने के लिए प्रयत्न कर सके। उसके निष्कासन के बाद अजान सुल्तान या इमाम निर्वाचित हो गया, सलीम शीघ्र ही अरब तट पर वापस लौट आया और उसने अपनी गद्दी वापस पाने का भरसक प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिल सकी। मृत शासक का एक पुत्र सईद तुर्की भी तख्त का दावेदार था। वह उस समय पेंशन पाकर बबई मे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था और कुछ ब्रिटिश अफसरो के अनुसार इस बात की काफी सभावना थी कि वह अजान का स्थान ले ले। अजान भी अंग्रेजो से मान्यता (recognition) प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। इस तरह, मास्केट के उत्तराधिकार के विवाद से अंग्रेजो की मान्यता का और इसके साथ ही जजीबार के उपदान तथा फारस के साथ के सबधों का प्रश्न भी उभर कर सामने आ गया। एक पेचीदा समस्या यह भी थी कि वहाबी शासक यह दावा करता था कि मास्केट को उसे कर देना चाहिए। इसलिए, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो को इन मामलो के प्रति भारत सरकार की नीति का निरूपण और दृष्टिकोण का निर्धारण करना था।

जब मास्केट मे सत्ता हस्तगत करने के लिए विवाद चल रहा था, तब ऐसा भी अवसर आया कि भारत सरकार को समुद्र के रास्ते से हमले का निषेध करना पडा। दिसबर,

---

1 उद्धृत, भारत-मत्री की ओर से भेजा गया प्रेषण, स 1, दिनाक 6 जनवरी, 1869, पॉलिटिकल प्रोसीडिग्ज, फरवरी, 1869, स 5

1868 म सलीम अरब-तट पर फौज इकट्ठी कर रहा था और उसका विचार समुद्र के रास्ते ओमन के कुछ भागो पर हमला करने का था। जब यह खबर भारत सरकार को दी गई, तब उसने बबई सरकार को अधिकार दिया कि वह सलीम को "चेतावनी दे दे कि वह कोई कार्यवाही न करे जिससे समुद्र-तट की शाति भग हो।" इस तरह, सलीम को मास्कट पर हमला करने से रोका गया। भारत सरकार इस बात के लिए भी तैयार थी कि अगर वही 'सलीम या तुर्की ने समुद्र-तट से अपनी लक्ष्य-सिद्धि की आशा म लडाई जैसी कोई कार्यवाही की," तो वह उनके विरुद्ध बल का प्रयोग करेगी। पर, अगर वे स्थल मार्ग स कोई कार्यवाही करेंगे, तो उसम हस्तक्षेप नही किया जाएगा।"[1] पर, दो महीने बाद यह घाटबदी (embargo) इसी सीमा तक हटा ली गई कि सईद तुर्की को बबई से प्रस्थान करने की अनुमति दे दी गई। इसके बावजूद, जब अप्रैल मे ग्वादुर स अजान के प्रतिनिधि को निकाल दिया गया और लोगो ने घोनी के एक लडके सईद नासिर को जो 9 अप्रैल को वहाँ पहुँच गया था, अपना शासक स्वीकार कर लिया, तब अजान ने ग्वादुर के विरुद्ध सशस्त्र जहाज भेजने का रुझान दिखाया, पर खाडी की विधि के किसी तरह के उल्लघन की अनुमति नही दी गई। एक भी जहाज को बदरगाह से कूच नही करने दिया गया। बाद म जब जून मे नासिर न अपने लिए अनुकूल अवसर पर मास्केट के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए फौज लेकर खाडी पार करनी चाही, तो उसे इस तरह के अभियान की अनुमति नही दी गई। सच पूछा जाए तो यह विराम-सधि मास्केट पर लागू नही होती थी। पर वह सब किया उसकी शर्तों के अनुसार ही गया था। यह सधि फारस की खाडी की एक पक्की रूढि बन गई थी और इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश सरकार को उसकी शर्तों का पालन कराने का अधिकार प्राप्त हो गया था। समुद्र-तट पर शाति बनाए रखने का अर्थ सिर्फ यह था कि जल-मार्ग से किसी विदेशी समुद्र-तट के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए। पर, अगर कोई सरदार अपने राज के अविच्छिन्न समुद्र तट पर स्थित किलों मे फौजें या शस्त्रास्त्र भेजे, तो इससे शाति भग नही होती थी।[2]

अब हम सिंहासन के उत्तराधिकार से सबद्ध नीति की परीक्षा कर लें। जब सलीम गद्दी पर बैठा था, तब उस पर यह शक किया जाता था कि उसने अपने पिता की हत्या की है। फलत, भारत सरकार ने उसकी मान्यता निलबित कर दी थी। पर उसके दूत भारत आ गए थे और ओमन मे वहाबियो के उकसाने से उपद्रव आरभ हो गए थे। 1866 म सर जॉन लॉरेंस की सरकार का यह विचार था कि हो सकता है आगे चलकर सलीम अपनी शक्ति को खूब सुदृढ कर ले और तब "हमारे पास इसके सिवाय कोई चारा नही रहेगा कि हम उसे सुल्तान मान लें।"[3] पर, सबधो मे निलबन (suspension) का अर्थ यह नही था कि "मास्केट राज्य के साथ लबे समय से जो सबध स्थापित हो गए थे, उन्हें अचानक ही भग कर दिया जाता" या "उसके लोगों के प्रति सधि-दायित्व निराकृत

1 भारत-मत्री के नाम प्रेषण स 18, 9 नवबर, 1869, एस आई प्रोसीडिंग्ज, 1869, स 239
2 वही।
3 भारत सरकार का बबई सरकार के नाम सवाद, 11 अप्रैल, 1866, पॉलि-टिकल प्रोसीडिंग्ज, स 346, 1866

कर दिए जाते।" भारत सरकार यह सहन करने के लिए तैयार न थी कि "मास्केट के शासक पर फ्रांस या किसी अन्य विदेशी शक्ति का प्रभाव रहे।"[1] इसलिए, सलीम को किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए भारत सरकार ने उसे वस्तुतः शासक (de facto ruler) मान लिया। इस संदर्भ में एक सिद्धांत यह बनाया गया कि शासक के गुण-दोषों का राज के प्रधान के रूप में उसकी मान्यता या उसके किन्हीं अधिकारों को रोक रखने पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार का यह कर्त्तव्य भी माना गया कि "अधीन सरदारों और प्रजा ने जिस शासक को अपना प्रधान मान लिया हो, उसका समर्थन किया जाना चाहिए और जब तक वह अपनी स्थिति बनाए रख सके, नीति के स्थूल आधारों पर हम सईद सलीम का कम से कम नैतिक समर्थन करने के लिए तो बाध्य हैं ही।"[2]

जब सलीम को देश से निकालने के बाद अज़ान बिन गियाज को इमाम घोषित किया गया, तब उसकी मान्यता का प्रश्न फिर उभर कर सामने आ गया। भारत-मंत्री ने स्वभावतः यह समझ लिया था कि जब अज़ान मास्केट में अपनी सत्ता दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लेगा, तब वह वहाँ वस्तुतः शासक मान लिया जाएगा।[3] उसके मत से मान्यता का आधार यह था कि अज़ान "लोगों की इच्छा के अनुरूप शासक था" और वह देश की जनता को स्वीकार्य था।[4] तथापि, भारत सरकार को जो सूचना उपलब्ध थी, उसके आधार पर उसने अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना उचित नहीं समझा। इसलिए, उसने कर्नल पेली को वहाँ भेजना तय किया ताकि वह यह रिपोर्ट दे सके कि ओमन के स्पर्धों का अज़ान की गद्दी के स्थायित्व पर क्या असर पड़ने की संभावना है। भारत सरकार के निर्णय पर जिस एक तत्त्व ने प्रभाव डाला, वह था—ओमन में वहाबियों का शासन स्थापित होने की संभावना और भारतीय राजनीति पर उसका संभाव्य प्रभाव। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य 'विधिहीन कबीलों के बीच नियमित शासन-व्यवस्था" की स्थापना करना था जो अंग्रेजों के व्यापार में मदद करे। इस मामले पर लंबे अरसे तक चर्चा होती रही। विदेश सचिव के विचार से भारत सरकार को "अज़ान बिन गियाज और उसकी प्रजा के बीच हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था' और उसे इस बात पर कोई आपत्ति न थी कि उस समय अज़ान के साथ जिस तरह के राजनीतिक संबंध चल रहे थे, उनके आधार पर उसे वस्तुतः मान्यता प्रदान कर दी जाए। तथापि, विदेश सचिव एचिसन भी इस बात पर अड़ गया था कि "अधिक औपचारिक मान्यता" न दी जाए। इस संबंध में उसने आगे लिखा था, "राज्य के आंतरिक गठन में परिवर्तन होने से या शासक बदल जाने से राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबद्ध राष्ट्रीय संधियों या संधियों पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ! अगर अज़ान को इस तरह का एक औपचारिक पत्र मिल

1 वही। सं 361, 18 अप्रैल, 1866.
2 भारत सरकार का भारत-मंत्री के नाम संवाद, सं 81, 14 मई, 1868, पॉलिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, मई, 1868
3 भारत-मंत्री का प्रेषण, सं 1, दिनांक 6 जनवरी, 1869, पॉलिटिकल ए. प्रोसीडिंग्ज, फरवरी, 1869, सं 80
4 भारत-मंत्री का प्रेषण, 30 जुलाई, 1869

जाए जिसमे मास्केट पर उसकी प्रभुता मान ली जाए, तो इससे उसका लक्ष्य अवश्य पूरा हो सकता है। पर, इससे हम सीधे दलदल में फँस जाएँगे। मास्केट न तो हमारा सामन्ती राज्य है और न अधीन राज्य, और जब तक मास्केट में होने वाले राजवशीय परिवर्तनों का हमारे और मास्केट के बीच विद्यमान राजनीतिक सबधो पर असर न पड़े, तब तक हमे उनकी चिंता नही करनी चाहिए।"[1] सचिव अज्ञान की मान्यता के पक्ष मे न था और उसे बबई सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। लॉर्ड मेयो के विचार से सरकार के पास इतनी उपयुक्त सूचना न थी कि उसके आधार पर निर्णय किया जा सकता। फिर भी, भारत सरकार ने 22 फरवरी, 1870 के अपने पत्र स 17 में स्पष्ट नीति का निरूपण किया था और यह मत व्यक्त किया था कि "अगर मास्केट सरकार के आतरिक मामला म ऐसा कोई सकेत न हो कि अज्ञान को आतरिक क्राति द्वारा शीघ्र ही अपदस्थ किया जा सकता है, तो हम औपचारिक रूप से उसकी सत्ता स्वीकार करने मे सकोच नही करना चाहिए। और जब एक सरदार काफी समय से अपनी सत्ता जमाए हुए है और वस्तुत शासक बना हुआ है और जब उस अकेले के बारे मे ही यह आशा की जा सकती है कि वह अपनी शक्ति बनाए रख सकेगा तब सिर्फ इसलिए उसे मान्यता देने से नही कतराना चाहिए कि हमे रियाद के अमीर से लड़ाई का खतरा है"।[2] लेकिन, अज्ञान और वहाबियो के बीच शीघ्र ही लड़ाई आरभ हो जाने के कारण और इस डर से कि कही आतरिक क्राति का अज्ञान की प्रजा की निष्ठा पर असर न पड़े, भारत सरकार ने अज्ञान की मान्यता को उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक वह वहाबियो से अपने मतभेद दूर न कर ले और मास्केट मे अपने पैर मजबूती से न जमा ले।

क्राति के फलस्वरूप तुर्की भी रगमच पर आ गया और उसने भारत सरकार से ऋण की माँग की। पर, भारत सरकार ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। कुछ समय तक अज्ञान के विरोधी उसकी स्थिति को कोई चोट न पहुँचा सके। इसी बीच, मास्केट में एक डच कार्विट[3] और फ्रास की शतघ्नी नौका पहुँच चुकी थी और स्वेज नहर के खुल जाने के बाद यूरोपीय देशो के जहाजो का भी वहाँ आना-जाना बढ़ गया था। फलत, यह आशका पैदा हो गई थी कि अगर अज्ञान को तुरत ही वस्तुत शासक नही माना गया, तो कही "उसका ध्यान किसी अन्य शक्ति से हस्तक्षेप कराने की ओर न हो जाए।"[4] तब, भारत सरकार ने कर्नल पेली को यह अधिकार दिया कि अगर वह ठीक समझे, तो अज्ञान को मान्यता प्रदान कर दे। लेकिन, कर्नल पेली ने उसे मान्यता नही दी। मई, 1870 मे लॉर्ड मेयो की सरकार को यह विश्वास हो गया था कि 'अगर अज्ञान को मान्यता देनी है, तो वह समय आ रहा है जब उसमें और देरी नहीं की जा सकती"।[5] पर, 1871 की बसत ऋतु तक परिस्थितियों मे आमूल परिवर्तन हो गया। अज्ञान की

1 सचिव की टिप्पणी, 112, 1. 69, के डब्ल्यू, पृ 1-2, एस आई प्रोसी-डिग्ज, 1870
2 भारत मत्री के नाम प्रेषण, स 17, 22 फरवरी, 1870
3 एक विशेष प्रकार का जगी जहाज।
4 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 31; 27 मई, 1870, एस आई प्रोसीडिग्ज, 1870, स 253
5 वही।

हत्या कर दी गई और तुर्की की सत्ता स्थापित हो गई। भारत सरकार की नीति भी बदल चुकी थी। अब एचिसन, लार्ड मेयो और परिषद के कुछ सदस्यो की यह राय पक्की होती जा रही थी कि न तो फारस की खाडी मे समुद्रतटवर्ती शांति की विधि का पालन कराया जाए और न मास्केट के घरेलू मामलो मे हस्तक्षेप किया जाए। फलत, वे लोग यह भी सोचने लगे थे कि नए शासक को ब्रिटिश सरकार की ओर से मान्यता" देने मे देर न की जाए। उसे मान्यता ही नही देनी चाहिए बल्कि मास्केट के सीमावर्ती क्षेत्रो पर फिर से अधिकार पाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नो पर भी किसी तरह की रोक नही लगानी थी'। साथ ही उसे यह सूचना भी देनी थी कि वह ऐसा करने के लिए आज़ाद है और फारस की खाडी के बाहर युद्ध जैसी गतिविधियो का अब तक जिस कठोरता से प्रतिषेध किया गया है अब उसकी वैसी जरूरत नही है।

उत्तराधिकार प्रश्न से एक और प्रश्न का गहरा सबध था और वह प्रश्न यह था कि जजीबार का सुल्तान मास्केट के शासक को उपदान देता रहे और इस व्यवस्था को कायरूप मे परिणत कराने की जिम्मेदारी भारत-सरकार के कधो पर थी। जिन सदिग्ध परिस्थितियो मे सलीम गद्दी पर बैठा था उनसे प्रोत्साहित होकर जजीबार के सुल्तान मजीद ने अनुबध का उपदान देना बद कर दिया। ब्रिटिश सरकार भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध न थी क्योकि उसे आशा थी कि इससे दास-व्यापार के दमन मे मदद मिलेगी। लेकिन, भारत सरकार ने यह प्रस्ताव नही माना क्योकि उसे डर था कि इससे फारस की खाडी के इलाके मे अँग्रेजो के प्रति लोगो का विश्वास ढीला पड सकता है और साथ ही मास्केट की शक्ति और स्थिरता का उस क्षेत्र की शाति मे जो योग रहता है, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। भारत मत्री ने प्रश्न किया कि इस मामले मे अँग्रेजो का सम्मान कहाँ तक निहित है?[1] इसके उत्तर मे भारत सरकार ने उन परिस्थितियो का स्पष्टीकरण किया जिनमे लार्ड कैनिंग ने यह पचाट दिया था और विरोध के स्वर मे कहा, "जो पचाट इन परिस्थितियो मे दिया गया हो और जिसका इतने निर्भ्रात शब्दा मे निरूपण हुआ हो, अगर उसका पालन न करना जजीबार के सुल्तान की मर्जी पर छोड दिया गया, तो हम लगता है कि फारस की खाडी मे हमारे राजनीतिक अधिकारियो का नैतिक प्रभाव कमजोर पड जाएगा। ओमन तट के सरदार अपने विवादो के लिए ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता पर निर्भर रहने के बजाए तलवार का सहारा लेना ज्यादा पसद करेंगे और इस बात का खतरा रहेगा कि कही फारस की खाडी मे अराजकता की फिर वही स्थिति पैदा न हो जाए जिसे दबाने के लिए साला तक बातचीत का सिलसिला चलता रहा है और रक्तपात भी कम नही करना पडा है।[2] भारत सरकार का मत था कि इस प्रस्ताव से उस समूचे भवन पर प्रहार होगा जिसे फारस-खाडी के क्षेत्र मे इतन परिश्रम से खडा किया गया था और जिस पर अँग्रेजो के वाणिज्य की सुरक्षा निर्भर थी।

एक और तर्क यह दिया गया था कि इस प्रकार की वित्तीय सहायता के बिना मास्केट का सुल्तान अपन शासन को स्थिर न रख सकेगा और जिन वहाबियो के प्रतिरोध मे

1 प्रेषण स 20, 15 फरवरी, 1868, पालिटिकल एं प्रोसीडिंग्ज, स 62, 1868

2 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 81, 14 मई 1868 पालिटिकल ए प्रोसी-डिंग्ज।

इसी समय कठिनाई हो रही है उनके प्रभाव में तब वह अपनी स्थिति की रक्षा न कर सकेगा।[1] इस प्रश्न को लेकर भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच लंबे अरसे तक विचार विनिमय होता रहा। ब्रिटिश सरकार जंजीबार के सुल्तान को इस दायित्व से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध थी। समुद्र तट पर लड़ाई के इरादे से जहाजों के आने जाने पर भारत सरकार ने जो रोक लगा रखी थी और जिसकी वजह से मूल शर्तों के बदल जाने पर जंजीबार का शासक उपदान रोकने के अपने अधिकार को कार्यान्वित न कर पाता था भारत-मंत्री ने उस पर जोर दिया और यहाँ तक सुझाया कि अगर मास्कट की मजबूती के लिए वित्तीय सहायता जरूरी ही हो तो भारत ही यह उपदान देने लग जाए। भारत सरकार ने 22 फरवरी 1870 को भारत-मंत्री को जो प्रत्युत्तर भेजा वह बड़ा जानदार था और उसमें कहा गया था कि भारत सरकार इस पंचाट के लिए ही उत्तरदायी न थी उसने दो अवसरों पर उसका पालन भी कराया था। इस वक्तव्य में क्षेत्रीय सरदारों पर पड़ने वाले प्रभाव के तर्क पर फिर से जोर दिया गया मास्कट के शासक और फारस की खाड़ी के सभी सरदारों और कबीलों की दृष्टि में हम अपने न्यायपूर्ण निर्णय का पालन कराने के लिए बाध्य हैं और उन लोगों से यह मनवा लेना असम्भव है कि जो विवेचन इस तरह हुआ हो और जिस कायरूप में भी परिणत किया गया हो वह किसी भी तरह गंभीर संधि से भिन्न है। अगर कहीं यह विचार जोर पकड़ गया कि कोई भी पक्ष हमारे पंचाटों का उल्लंघन कर सकता है तो हमें डर है कि फारस की खाड़ी में जो और कहीं उनका कोई सम्मान नहीं रहेगा। रक्तपात बंद करने और शांति की रक्षा के संबंध में पिछले पचास सालों के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो भी अच्छे परिणाम हुए हैं, वे सब मिट्टी में मिल जाएँगे क्योंकि अगर हमारी कार्यवाही से सरदार यह समझने लग गए कि हम अपने पंचाटों के पालन के प्रति उदासीन हैं तो भविष्य में वे अपने लड़ाई-झगड़े तलवार से सुलझाना ज्यादा पसंद करेंगे।[2] भारत सरकार इस बीच बराबर जोर देकर कहती रही कि उपदान का संबंध किसी विशेष परिवार से नहीं है, यह करार तो मास्कट के शासक के साथ हुआ है अतः राज्य को उपदान मिलना चाहिए। विवादास्पद उत्तराधिकार या आंतरिक क्रांति से राज्य का उपदान पाने का अधिकार किसी तरह कम नहीं होता इसलिए किसी भी शासक को वस्तुतः मान्यता देने से पंचाट का पालन कराने की जिम्मेदारी भी निहित है। भारत सरकार ने इस बात पर और भी जोर दिया था कि अगर अज्जान को उपदान पाने के अधिकार की मान्यता नहीं मिलती, तो उसे वस्तुतः मान्यता देने का कोई मतलब नहीं। उसने लिखा था, 'अगर हम अपनी कीर्ति में धब्बा लगाना चाहें, आपस में अपने वैध प्रभाव को क्षति पहुँचाना चाहें और फारस की खाड़ी में निरंतर जो झगड़े होते रहते हैं उन्हें सुलझाने के लिए बल और हिंसा का सहारा लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहें तो इन सारे प्रयोजनों की सिद्धि के लिए हम इससे ज्यादा कारगर और किसी घोषणा की कल्पना नहीं कर सकते कि हम जंजीबार के सुल्तान को मास्कट राज्य की न्यायपूर्ण माँगों का उल्लंघन करने की स्वीकृति देने के लिए प्रस्तुत हैं।[3]

---

1 वही।
2 भारत मंत्री के नाम प्रेषण, संख्या 17, 1870
3 वही।

लेकिन, ब्रिटिश सरकार ने फारस की खाडी से सबद्ध बातो के अलावा कुछ और बातो की ओर भी ध्यान दिया और यह फैसला किया कि जजीबार का सुल्तान उपदान की अदायगी रोक सकता है। इस निर्णय की ओमन मे प्रतिक्रिया हुई जहाँ तुर्की ने सत्ता हथिया ली थी और वह बल प्रयोग द्वारा अपने अधिकार का पालन कराने के लिए तैयार था। पहले कुछ इस तरह की अफवाह भी उड चुकी थी कि जजीबार का मास्केट पर हमला करने का इरादा है। लॉर्ड मेयो और उसकी सरकार स्वभावत ब्रिटिश सरकार के निर्णय से क्रुद्ध थी और वह विराम-सधि की निषेधाज्ञा की इस तरह व्याख्या करने के लिए तैयार थी कि उस ओमन की खाडी और फारस की खाडी के बाहर के जलक्षेत्रो पर लागू नही किया जाएगा। मास्केट का शासक विराम-सधि मे कभी भागीदार नही रहा था और इसलिए वह उसकी शर्तों से बँधा हुआ नही था। इसलिए भारत सरकार ने सात्विक क्षोभ और झुंझलाहट के स्वर मे इस बात पर खेद प्रकट किया कि ब्रिटिश सरकार निर्हस्तक्षेप के सिद्धात से दूर हट गई है। उसने अपना यह विचार भी व्यक्त किया कि अगर मास्केट का सुल्तान अपने अधिकारो की रक्षा के लिए कुछ हलचल करे, तो हमारा उस पर प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण सत्ता का मनमाना हस्तक्षेप होगा। "मास्केट की घरेलू राजनीति और राजवंशीय परिवर्तनो मे' कुछ समय पहले जो हस्तक्षेप किया गया था, भारत सरकार ने उस तक को अनुचित समझा।[1]

इससे हम एक दूसरे प्रश्न पर आ जाते है कि समुद्रतटवर्ती विराम-सधि की जिन शर्तों मे फारस की खाडी मे युद्ध जैसी गतिविधियो का निषेध किया गया था, उन्हें फारस की खाडी के बाहर के जलक्षेत्रो मे और उन शासको के ऊपर कैसे लागू किया जा सकता था जो करार मे भागीदार न थे। हम यह पहले लिख चुके है कि किस तरह सरकार ने अजमान को अपनी वैध सत्ता का दावा करने के लिए ग्वादुर के विरुद्ध अभियान करने से रोक दिया था, किस तरह नासिर, तुर्की या सलीम को जलमार्ग का प्रयोग करने से रोक दिया गया था और किस तरह समय-समय पर मास्केट के सरदारो पर खाडी की विधि लागू की गई थी और शांति की रक्षा की गई थी। 1869 मे भारत सरकार ने यही तक आदेश दे दिया था कि अगर कोई पक्ष मास्केट की खाडी मे नौ-सैनिक कार्यवाहियाँ करता पाया जाए, तो जरूरत पडने पर बल प्रयोग करके भी उसकी कार्यवाहियाँ रोक दी जानी चाहिएँ।[2] किंतु, 1871 मे इस बात पर सदेह प्रकट किया गया कि क्या यह नीति न्यायपूर्ण है और जजीबार उपदान के प्रश्न के सबध मे साम्राज्ञी की सरकार के निर्णय पर क्षुब्ध होकर भारत सरकार ने पश्चात्ताप और निरपेक्ष तथा सच्ची न्याय-निष्ठा की भावना से अभिभूत होकर यह इच्छा प्रकट की कि मास्केट पर आरोपित निषेधाज्ञा समाप्त कर दी जाए और उन्ही सबधो पर लौट आया जाए "जो ओमन खाडी मे पहले से विद्यमान थे—उससे भी पहले से जब हमने वहाँ युद्ध जैसी कार्यवाहियो का बलपूर्वक दमन करने की जिम्मेदारी उठाई।'[3] लेकिन, भारत सरकार का उस क्षेत्र मे शाति-रक्षा की जिम्मेदारी त्यागने का बिल्कुल इरादा न था। भारत सरकार ने कहा, "इन

1 मेयो का निर्देश-पत्र, 20 फरवरी, 1871, भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 13, 3 अप्रैल, 1871, एम आई प्रोसीडिंग्ज, 1871
2 बबई सरकार के नाम तार, 9 जनवरी, 1869
3 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 13, 3 अप्रैल, 1871

जल-क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। अगर, यहाँ उपद्रव आरंभ हो गए, तो वे फारस की खाड़ी में भी फैल सकते हैं और उनका रोकना मुश्किल होगा। इसलिए, हमारी बहुत समय से यह नीति रही है कि हम आमन के तट पर शांति-रक्षा के लिए अपने वैध प्रभाव का उपयोग करते रहें।"[1] पर, इस उद्देश्य की पूर्ति बल-प्रदर्शन के द्वारा नहीं बल्कि मास्कट के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा भी हो सकती थी।

फारस-खाड़ी-क्षेत्र के राज्यों में अंग्रेजों की नीति की दिशा का संकेत देने के लिए मास्कट के साथ अंग्रेजों के संबंधों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करना हमने आवश्यक समझा है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि यहाँ भी पारस्परिक राजनीतिक संबंधों का ढाँचा वही था जो अफगानिस्तान में था। सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में हिचकते थे और उन्होंने बाद के प्रत्येक शासक को केवल वस्तुतः मान्यता दी थी—उससे अधिक नहीं। पर, जब यह डर पैदा हुआ कि वहाँ कोई दावेदार विदेशी सहायता की माँग न कर बैठे तब भारत सरकार यह दृष्टिकोण बदलने के लिए भी तैयार हो गई। इस परिस्थिति में, मास्कट में विदेशी प्रभाव की प्रबलता रोकने के लिए भारत सरकार ने तत्काल मान्यता प्रदान की और दूसरे राज्यों के साथ किए गए करारों के फलस्वरूप उस राज्य को जो अधिकार प्राप्त हुए थे, उनकी रक्षा करने की भी उसने इच्छा प्रकट की। अफगानिस्तान की तरह फारस की खाड़ी के क्षेत्रों में मास्कट भी अंग्रेजों के राजनयिक संबंधों की धुरी था, अतः ऐसी किसी चीज का बीच में नहीं आने दिया गया जिससे उसकी शक्ति और स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता। ब्रिटिश सरकार ने जंजीबार-उपदान का आग्रह किया, बंदर अब्बास के पट्टे के प्रश्न पर फारस और मास्कट के बीच के विवाद में सोत्साह मध्यस्थता की और ग्वादुर के अधिकार तथा वहाबियों के नियंत्रण से उसकी सुरक्षा के संबंध में भी चिंता प्रकट की। ये सारी बातें मास्कट में अंग्रेजों की दिलचस्पी का जीता-जागता प्रमाण हैं।

बहरीन का उदाहरण भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है और उससे प्रकट होता है कि फारस-खाड़ी में स्थित क्षेत्रों में भारत सरकार के क्या अधिकार और दायित्व थे। इस द्वीप का उन्नीसवीं सदी के आरंभ में ही अंग्रेजों के साथ सीधा संबंध रहा था और वह उन क्षेत्रों का अंग था जो समुद्र-तट पर शांति की रक्षा के लिए की गई विराम-संधि के दायरे में आते थे। 1861 में बहरीन के सरदार और ब्रिटिश सरकार के बीच इस आशय की मैत्री-संधि हुई कि अगर ब्रिटिश सरकार उसके अधिकृत प्रदेशों की सुरक्षा में उसकी मदद करे, तो वह समुद्री हमलों, लड़ाइयों और डकैतियों से हाथ खींच लेगा। बहरीन का सरदार अंग्रेजों का विवाचन मानने के लिए भी तैयार हो गया।[2] पर, बहरीन और अबूधाबी के सरदारों ने ग्वादुर पर हमला किया और यह करार के विरुद्ध था। फारस की खाड़ी के तट पर शांति बनाए रखने के दायित्वों के इस उल्लंघन से यह आवश्यक हो गया था कि कुछ कड़ी कार्यवाही की जाए और राजनीतिक रेजीडेंट को इस तरह की कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया। पर, एक भयंकर भूल हो गई और उसके

1 वही।
2. पार्लियामेन्टरी पेपर्स, अक्तूबर, 1861, सं. 37

कारण यह कार्यवाही अधूरी रह गई। फिर ग्वादुर कबीले ने बदला लिया। बहरीन की कार्यवाही के प्रति भारत सरकार ने बहुत बडा रुख अपनाया और जब उसे समुद्र द्वारा किए गए हमले की सूचना मिली तब उसने शांति के हित मे ब्रिटिश सरकार की यह जिम्मेदारी दुहरा दी कि जो कुछ नुकसान हुआ है उसके बदले मे क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए तुरत आवश्यक कार्यवाही की जाए और इस बात का प्रबंध किया जाए कि समुद्र तटवर्ती विराम-संधि के अनुच्छेदो का सदा उचित रीति से पालन हो। अत क्षतिपूर्ति दोनो आक्रमणकारी सरदारो से वसूल की जानी थी।[1] बहरीन के सरदार मुहम्मद बिन खलीफा को उसके कुकृत्यो के कारण गद्दी से उतार दिया गया और उसके भाई अली को उसकी जगह गद्दी पर बिठाया गया।[2]

इसके तुरत बाद नया विस्फोट हुआ। अपदस्थ सरदार न नासिर बिन मुबारक और होवाजिर कबीले की मदद से बहरीन पर हमला किया वहाँ की फौज को पराजित किया अली को मार डाला और कुछ शहरो को लूट लिया। फिर मुहम्मद की बारी आई और उसके सहयोगी नासिर ने ही उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। बहरीन की इन घटनाओ से शांति मे भारी खलल पडा था अत भारत सरकार ने नाकेबंदी करने का या अन्यथा बल प्रयोग करने का निश्चय किया। सौभाग्य से बहरीन की घटनाओ की सरकारो पर तुरत कोई प्रतिक्रिया नही हुई और उन्होंने इस तरह के उपद्रवो मे कूदने का कोई रुझान नही दिखाया। अत आक्रामको को दड देने के लिए अविलब कार्यवाही करना जरूरी था ताकि कही दूसरे सरदार भी उनके बेदाग बच निकलने के जीते-जागते उदाहरण से प्रोत्साहित होकर शांति भग न करने लगे।' भारत सरकार बहरीन को सीधे अपने शासन मे लेने के लिए तैयार न थी, पर उसे अली के लडके को गद्दी पर बिठा कर सतोष था। आक्रमणकारियो के विरुद्ध सफल कार्यवाही के बाद जब बहरीन के नए शासक के साथ वचन-बध हो गया, तब भी बहरीन की स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हुआ। भारत सरकार ने इस द्वीप को सदा एक ऐसा स्वतत्र राज्य समझा था जिसके सरदार ने समुद्रतटवर्ती शांति की शर्तों का सम्मान करने की गभीर जिम्मेदारी अपने कधो पर ली थी। उसकी स्वतत्रता पर इसके अलावा और कोई प्रतिबध न था कि वह फारस की खाडी मे शांति भग नही कर सकता। आतरिक शासन का नियमन करने की उसकी स्वतत्रता पर किसी तरह का प्रभाव न पडा था। उसके ऊपर पूर्ववर्ती जिम्मेदारियो का आरोप किया गया और भारत सरकार ने समुद्र के रास्ते होने वाले हमलो से उसकी रक्षा करने का वचन दिया।

बहरीन की सुरक्षा और स्वतत्रता समुद्रतटीय शांति के दायित्वो की दृष्टि से ही

---

1 विदेश विभाग का बबई सरकार के नाम सवाद, स 797, दिनाक 23 जुलाई, 1868, पालिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, अगस्त 1868, स 18, पटना और उस पर की गई कार्यवाही के विस्तृत विवरण के लिए देखिए स 19 स, 20 भी देखिए। भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 124 दिनाक 1 अगस्त, 1868

2 बहरीन के मामला के विस्तृत विवरण क लिए देखिए, एचिसन की टिप्पणी, दिनाक 29 अक्तूबर, 1869 एम आई प्रोसीडिंग्ज, 1870 स 74/89 के बन्ध्नू

जरूरी न थी, अंग्रेज़ों के वाणिज्य और भारत के पश्चिमी भाग के समुद्रों की सुरक्षा की दृष्टि से भी उनका महत्त्व था , और ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं दी जा सकती थी जिसका इस स्वतन्त्रता पर असर पड़ता। लेकिन, 1870 में फारस और तुर्की दोनों ने बहरीन पर अपने प्रभुत्व का दावा किया। फारस का दावा अधिक आग्रहपूर्ण था और एक स्तर पर तो यह दिखाई देने लगा था कि कहीं वह अपनी प्रभुता के लिए बल-प्रयोग न कर बैठे। भारत सरकार ने यह अधिकार नहीं माना और अतीत का साक्ष्य देकर यह दिखाया कि उन्नीसवीं सदी में न तो फारस की प्रभुता कभी वास्तव में विद्यमान रही थी और न उसे कभी माना गया था। इसके विपरीत, ब्रिटिश सरकार ने सदा उसे अस्वीकृत ही किया था।[1] 1861 में जब फारस ने माँग की कि उक्त द्वीप उसे हस्तांतरित कर दिया जाए तब ब्रिटिश राजदूत सर हनरी रॉलिन्सन ने ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से इस वक्तव्य में व्यक्त किया "हमने द्वीप के अरब शेखों के साथ स्वतन्त्र सरदारों के नाते वचन-बद्ध किए हैं और फारस की खाड़ी में समुद्रतटीय व्यवस्था की जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने में हम जान-माल की अपार हानि उठानी पड़ी है, उनके सफल सचालन के लिए इन सरदारों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना अनिवार्य है, अत बहरीन की प्रभुता फारस के सम्राट् को हस्तांतरित करने के लिए ब्रिटिश सरकार किसी भी हालत में तैयार नहीं होगी।'[2] इसी साल भारत सरकार ने तेहरान स्थित प्रतिनिधि को सूचना दी कि "साम्राज्ञी की सरकार ने यह तय कर लिया है कि बहरीन को स्वतन्त्र समझा जाए, किसी की अधीनता में नहीं, न तुर्की की और न फारस की।"[3] अब तक ब्रिटिश सरकार ने बहरीन पर फारस की इस सीमा तक विधित प्रभुता मान रखी थी कि बहरीन के सरदार के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही की जाती थी, तो उसकी सूचना शाह की सरकार को दे दी जाती थी।[4] यह इसलिए किया गया था कि फारस को रूस के पक्ष में जाने से रोका जा सके। किन्तु, लगता है 1867 69 में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया था। भारत सरकार को यह रियायत पसद न थी और उसे फारस की प्रभुता के किसी भी उल्लेख पर रोष होता था। उसका विचार था कि फारस, फ़ारस की खाड़ी में शान्ति की रक्षा नहीं कर सकता, और मास्केट तथा अरब के सरदार ही नहीं, बल्कि वहाबी भी उसके अधिकारों का विरोध करेंगे और तुर्की भी सर्वोपरिता (supremacy) के लिए दावे प्रस्तुत कर सकता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी खाड़ी में शान्ति बनाए रखने और हमलों का दमन करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। इसलिए, फारस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रभुता के पुराने दावों के पुनरुत्थान को

---

1 विदेश-मंत्रालय की ओर से फ़ारस के लदन स्थित कार्यदूत के नाम पत्र, 29 अप्रैल, 1869, एफ डी एस एच प्रोसीडिंग्ज, 1869, स 58, स 44 भी देखिए, इंडिया आफ़िस का विदेश-मंत्रालय के नाम सवाद, 21 अप्रैल, 1869, भारत मंत्री के नाम प्रेषण, स 18, दिनांक 22 फरवरी, 1870 (गुप्त), एस आई प्रासीडिंग्ज, 1870, स 164 तुर्की के दावा के सबध में देखिए एस आई प्रासीडिंग्ज, 1870 के इन्डेक्स और स 212

2 पालिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज, मार्च, 1869, स 119

3 भारत मंत्री के नाम भेजे गए प्रेषण में उद्धृत, स 18, 22 फ़रवरी, 1878 पैरा 15

4 वही, पैरा 15

भारत सरकार स्वीकार नही कर सकती थी क्योंकि इससे इन क्षेत्रो के व्यापार और समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।[1] तुर्की के दावे भी इसी तरह अस्वीकार कर दिए गए।[2]

भारत सरकार की स्थिति यह थी कि बहरीन, मास्केट या अरब समुद्र तट की कोई भी और सल्तनत स्वतंत्र राज्य की भाँति थी जिसके साथ कुछ बंधनकारी करार किए गए थे और फारस की खाडी मे शांति के संरक्षक के रूप मे भारत सरकार उन करारो को मानती थी और उनका आदर करती थी। इस स्थिति मे वह फारस, तुर्की, वहाबियो या ब्रिटिश सरकार के प्रति इन सरदारो की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार न थी। फारस की खाडी मे भारत सरकार की नीति और स्थिति का निम्नलिखित शब्दो मे निरूपण किया गया था "*खाडी मे संरक्षित राज्य के अतर्गत अधिकार का नही, दायित्व का प्रश्न निहित है, जो सरदार खाडी मे शांति की रक्षा के लिए की गई समुद्रतटीय संधि के पक्ष है, उन्हें हमने वचन दे रखा है कि हम समुद्र के रास्ते होने वाले सारे हमलो का दमन करेंगे और उन्हें जो हानि होगी, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सारी आवश्यक कार्यवाही करेंगे, और ईमानदारी का तकाजा यह है कि हम इन दायित्वो से पीछे नही हट सकते।*"[3] ब्रिटिश सरकार का स्थान न फारस ले सकता था और न तुर्की, और अरब सरदारो का उनमे से किसी के प्रति विश्वास न था। ब्रिटिश सरकार न तो अपने दायित्वो से पीछे हट सकती थी और न वहाँ फारस की प्रभुता स्वीकार कर सकती थी—हाँ, अगर पिछले पचास साल के काम पर पानी फेरने और फिर से अराजकता की स्थिति मे लौट जाने का मशा हो तो बात और है। अफगानिस्तान, कलात या अन्य स्थानो की तरह फारस की खाडी मे भी भारत सरकार ने विदेशी हस्तक्षेप सहन नही किया और बाहर से भारत के पडोस मे होने वाले अतिक्रमणो (encroachments) के विरुद्ध ढाल के रूप मे अपने संरक्षित राज्य की स्थापना की।

तुर्की साम्राज्य ने समूचे अरब क्षेत्र पर अपने अधिराजत्व का दावा प्रस्तुत किया, विशेषकर 1870 के बाद। इस क्षेत्र मे एक ओर तो फारस की खाडी के तट और जल-क्षेत्र शामिल थे और दूसरी ओर यमन। पर, भारत सरकार ने यह दावा स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह *ब्रिटिश हितो के या स्थानीय सरदारो के साथ किए गए विद्यमान करारो के प्रतिकूल पडता था। वाणिज्य, समुद्रतटीय शांति और संधियो से प्राप्त अधिकार ही* तुर्की के दावो की वैधता या अवैधता को निर्धारित करने वाले तत्त्व थे और भारत सरकार की नीति यह थी कि वह अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इन राज्यो को स्वतंत्र मानती थी और इस प्रकार जहाँ तक अंग्रेजो के साथ उनके संबंध का प्रश्न था, वह उन्हें तुर्की के अधि-राजत्व मे नही मानती थी।

4 अगस्त, 1871 को एचिसन ने इस स्थिति का *निम्नलिखित शब्दो मे निरूपण* किया जो ठीक ही था, "समुद्र के प्रसंग मे यह प्रश्न बिल्कुल दूसरा हो जाता है। हमे वहाँ अपनी सर्वोपरिता बनाए रखनी चाहिए और जब तक हमारे पास इतना बडा जहाजी बेडा है जिससे हम समुद्र तट पर शांति बनाए रख सकें, जिन सरदारो के साथ हमने संधियाँ

1 प्रेषण, 22 फरवरी, 1870, पैरा 26
2 भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, एस आई *प्रोसीडिंग्ज, 1870* स 212
3 एस. आई. प्रोसीडिंग्ज, 1870, स 212, पैरा 12

की है, उन्हें अपने वचन-बंध पूरा करने के लिए बाध्य कर सकें तथा जिन सरदारों और शक्तियों के साथ हमने कोई वचन-बंध नहीं किए है, उनके उकसाने से होने वाले उपद्रव दबा सकें तब तक हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है—भले ही स्थल पर ये सरदार एक-दूसरे का गला काट दें'।[1] भारत सरकार समुद्रतटीय शांति की संरक्षक बन गई थी और उसने फ़ारस की खाड़ी में ऐसा कोई अभियान न होने दिया जिससे यह शांति भंग होती—चाहे इस अभियान का स्रोत कहीं भी—फ़ारस या तुर्की तक में—रहा हो। यह स्थिति कई तत्वों के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी—वाणिज्य का हित, अरब सरदारों के ऐच्छिक करार और फ़ारस की खाड़ी में शांति और सुरक्षा की सामान्य चिंता। लॉर्ड मेयो की सरकार का यह दृढ़ मत था कि 'इन जलक्षेत्रों में हमने अब तक जिस नीति का पालन किया है, उसमें किसी तरह के अपवाद करना हमारे लिए जोखिम की बात होगी—इससे हमारे प्रभाव की जड़ें हिल जाएँगी और जो राज्य इन संधियों के पक्ष नहीं हैं, उनके बीच सामुद्रिक शांति बनाए रखने की हमारी शक्ति अगर बिल्कुल नष्ट नहीं हुई, तो वह कमज़ोर अवश्य हो जाएगी। अगर, तुर्की को नज्द के सऊद के विरुद्ध अभियान में फ़ारस की खाड़ी का उपयोग करने दिया गया, तो इसका सुदूरव्यापी प्रभाव पड़ेगा और इससे आम तौर से शांति भंग हो जाएगी क्योंकि उस स्थिति में अरब सरदारों या फ़ारस को भी ऐसा करने से न रोका जा सकेगा और इसका परिणाम यह होगा कि "फ़ारस की खाड़ी में ब्रिटिश सरकार ने जो स्थिति प्राप्त कर ली है, वह हाथ से निकल जाएगी।"[2] ब्रिटिश नीति का मुख्य तत्त्व यह था कि फ़ारस की खाड़ी में विदेशी प्रभाव न आने पाए—चाहे वह फ़ारस का हो, तुर्की का हो या किसी यूरोपीय शक्ति का हो क्योंकि इस क्षेत्र में अपनी सर्वोच्च सत्ता के बल-बूते पर ही उसके 'लक्ष्यों की स्थायी रूप से' सिद्धि हो सकती थी।

सितंबर, 1871 में भारत सरकार ने विरोध के स्वर में भारत-मंत्री से फिर यह कहा कि फ़ारस की खाड़ी में तुर्की का कोई हमला नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि, "अंग्रेज़ों के हितों, व्यापार के प्रोत्साहन और भारतीय समुद्रों में शांति की रक्षा के लिए खाड़ी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखने का जितना ठोस महत्त्व आज है, उतना कभी नहीं रहा। हमारे लिए यह बहुत खेद की बात होगी कि जिस स्थिति को बनाए रखना हम अपने भारतीय साम्राज्य के हितों के लिए महत्त्वपूर्ण समझते हैं, उसी स्थिति को बदलने के लिए तुर्की जैसे विश्वासपात्र मित्र का कदम सबसे पहले उठे।"[3] विदेश-सचिव एचिसन ने स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया। उसने कहा कि अर्द्ध-स्वतंत्र अरब कबीलों के आंतरिक प्रशासन में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है और लिखा, 'हमें इस बात की रत्तीभर भी चिंता नहीं है कि वे प्रभुता-संपन्न हैं या पूरी तरह तुर्की के नियंत्रण में हैं' जहाँ तक उनके बाहरी या राष्ट्रीय संबंधों का प्रश्न है, *वस्तु-स्थिति यह है कि उनके हमारे साथ अनेक वर्षों से कुछ संबंध रहे हैं और अब भी हैं* और उनकी संधियों में अभिव्यक्ति हुई है। सचाई यह है कि ये संबंध तुर्की या किसी भी अन्य शक्ति से निरपेक्ष बन गये। हमारे साथ इन कबीलों के संबंधों की जिस रूप में संधियों

---

1 एचिसन का नोट, 4 अगस्त, 1871, एफ० डी० सिक्रेट प्रोसीडिंग्स, अगस्त, 1871

2 भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं 26, 23 मई, 1871, पैरा 8.

3 भारत-मंत्री के नाम प्रेषण, सं 57, 26 सितंबर, 1871

म अभिव्यक्ति हुई है, उसके अनुसार ये कबीले स्वतंत्र राष्ट्र थे और हैं। अगर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अन्य सारे लक्षण त्याग दें, तब भी जहाँ तक हमारा सबध है, इस प्रश्न पर कोई असर नही पडता। तुर्क उनसे कर वसूल कर सकते है उनकी थल-युद्ध की शक्ति नष्ट कर सकते हैं, उनके अन्य किसी राष्ट्रीय गुण का नष्ट कर सकते हैं, पर इन कबीलो ने स्वतंत्र राज्यो के रूप म हमारे साथ जो सबध स्थापित किए है, उनमे हमारी सहमति के बिना रत्ती-मात्र भी परिवर्तन करने की शक्ति तुर्की मे नही है।'[1] उस समय का विचार यह था कि समुद्रो पर ही अँग्रेजो का नियत्रण प्रभावी और वैध होगा, थल-युद्ध पर उसका कोई प्रभाव नही पडेगा, और समुद्र पर जो स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड मेयो भी इस विचार से सहमत था और उसने मत्स्य-क्षेत्रो (fisheries) का सयुक्त सरक्षण स्वीकार नही किया और इस बात पर जोर दिया कि नज्द के सबध मे तुर्की की कार्यवाही से ब्रिटिश अधिकारो पर कोई प्रभाव नही पडेगा। ब्रिटिश नीति की अनिवार्य शर्त थी—फारस की खाडी मे फारस या तुर्की के अधिकारो का पूर्ण निषेध और उस समय इसी नीति को कार्यान्वित किया गया।

अरब के दूसरी ओर लाल सागर के किनारे भी न तो यमन के मामलो मे तुर्की का हस्तक्षेप स्वीकार किया गया और न लाहेज के सुल्तान के ऊपर उसके अधिराजत्व के दावा को ही मान्यता दी गई क्योकि इस प्रश्न का अदन म अँग्रेजो के हितो की सुरक्षा से घनिष्ठ सबध था। लाल सागर और अरब सागर के सगम पर स्थित इस छोटी सी बस्ती का भारत के लिए महत्त्व था पर स्वेज नहर के खुल जाने के बाद उसके पत्तन (port) का समूचे साम्राज्य के लिए महत्व हो गया था। अत, अदन के पडोस मे, विशेषकर लाहेज मे, जिस पर पत्तन का जीवन निर्भर था, अरब सरदारो के ऊपर तुर्की की प्रभुता के दावे स्वीकार करना असभव ही था। जुलाई, 1872 म मुख्तार पाशा ने लाहेज के सुल्तान से कहा कि वह तुर्की साम्राज्य के प्रति निष्ठावान् रहे। इससे नीति का प्रश्न पैदा हो गया और 1836-39 मे लॉर्ड पामर्स्टन ने जो वक्तव्य दिए थे, उनका हवाला दिया गया और यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि ब्रिटिश प्रदेशो के निकटवर्ती जो राज्य "अनेक वर्षों से हमे अपने कार्यों का निर्णायक मानते रहे हैं और जिन्हें यह विश्वास दिला दिया गया है कि अब तक हम सर्व-शक्तिशाली रहे हैं" उन्हें बलपूर्वक अपने अधिकार मे करने की तुर्की साम्राज्य को छूट नही मिलनी चाहिए।[2] और विदेश-सचिव एर्विसन ने सिफारिश की थी कि, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे कबीलो के साथ जो सधि-सबध हैं, उनमे हम तुर्की को कार्यवाही के फलस्वरूप किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नही कर सकते। जब तक तुर्क उन सरदारो स अलग रहते, जिनके साथ हमने सधियाँ की है तब तक मेरे विचार से हमे यह चिंता करने की आवश्यकता नही है कि वे यमन म क्या कर रहे हैं, पर जब वे उन सरदारो पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न करते है जिनके साथ हमारे स्वतंत्र देशो जैसे सबध हैं, तब उन्हें रोकने की जरूरत हो जाती है।'[3] अँग्रेज इस क्षेत्र मे सर्वोपरि शक्ति के रूप मे जम गए थे और अगर वे इन राज्यो का तुर्की साम्राज्य मे

1 सी यू एचिसन की टिप्पणी, 28 जुलाई, 1871, सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, दिसबर, 1871

2 के डब्ल्यू टिप्पणी I, एफ डी सी पी, जनवरी, 1873, स 86/106

3 एचिसन की टिप्पणी, एफ डी एम पी, 1873, जनवरी, स 86/106

मिल जाने देन, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचना था। इस युक्ति के आधार पर मार्च, 1873 म भारत सरकार ने भारत-मत्री से निवेदन किया कि तुर्की का हस्तक्षेप "अदन म हमारे हितो के लिए बहुत खतरनाक होगा' और इच्छा व्यक्त की कि उसे 'निश्चय ही रोकना चाहिए'। तुर्की सरकार से कहा गया कि यमन मे उसके अधिकारी जिस रास्ते पर चल रहे है, उस पर चलने से उन्हे रोका जाए। या तो विकल्प के रूप मे या अगर आगे का अतिक्रमण रोकने मे इन उपायो से पर्याप्त सफलता न मिल सकी, तो, हम सरदारो को सीधे अपने सरक्षण म ले लेंगे और ऐसे हमलो से उनकी रक्षा करेंगे जिनसे हमारी सम्मति म इस प्रदेश की शान्ति भग होती है और अदन मे अँग्रेजो के हितो को सबसे ज्यादा हानि पहुँचती है।"[1] तुर्की सरकार को तदनुसार ही सूचना दे दी गई और अदन मे अँग्रेजो के हितो की रक्षा करने के लिए पत्तन के इतने निकट तुर्की सुल्तान की सत्ता स्थापित होने से रोक दी गई।

वाणिज्य-केंद्र होने के नाते तो अदन की महत्ता थी ही, वह भारत और इँगलैंड के रास्ते पर पडने वाला एक महत्वपूर्ण पत्तन भी था। यही नही, वहाँ के रेज़ीडेंट के नियत्रण म कम से कम नौ ऐसे राज्य थ जो अँग्रेजो के सरक्षण मे आ गए थे और उन पर किसी दूसरे देश का प्रभाव स्थापित नही होने दिया जा सकता था—चाहे वह देश तुर्की हो या यूरोप का कोई देश हो। भारत की स्थिति सार्वभौमता (paramountcy) की थी क्योकि अरब सरदारो से यह अपेक्षा की जाती थी कि, "वे ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना विदेशी शक्तियो से राजनीतिक सपर्क नही रखेंगे और सारे आपसी झगडे निर्णय के लिए उसी को सौपेंगे"। भारत सरकार न अपनी ओर से उन्हे यह वचन दे रखा था कि "विदेशी शक्तियो के अकारण हमले से वह उनकी रक्षा करेगी।"[2] 1878 तक यही स्थिति हो गई थी और इसे पूरी तरह स्वीकार किया जाता था। भारत सरकार ने इसी आधार पर तुर्की से लाहेज की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया था और लॉर्ड लिटन जैसे गवर्नर जनरल के शासन-काल मे वह इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए भी पूरी तरह तैयार थी। तुर्की सरकार ने अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया था, उसके फलस्वरूप अँग्रेजो का नियत्रण बढा और उसे औपचारिक आधार प्राप्त हो गया।

फारस की खाडी मे भी स्थिति का स्पष्ट निरूपण कर दिया गया था। अरब सागर-तट पर तुर्की के प्रभाव और सत्ता का विस्तार नही होने दिया गया और न उसे इस बात की छूट दी गई कि वह वहाँ अँग्रेजो के हितो और अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सके। ब्रिटिश सरकार स्थल पर तुर्की की सर्वोच्च सत्ता मे किसी तरह की बाधा पैदा करना नहीं चाहती थी, पर फारस की खाडी मे वह तुर्की की ओर से किसी तरह का नौ-हस्तक्षेप भी सहने के लिए तैयार न थी। इसके अतिरिक्त बहरीन या मास्केट की स्वतत्रता पर जोर दिया गया और यह दावा किया गया कि अँग्रेजों को रक्षा करने तथा सधि द्वारा आरोपित दायित्वों को कार्यान्वित करने का अधिकार है। सितबर, 1879 मे विदेश

1 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 17 मार्च, 1873
2 टी सी पी की टिप्पणी, 25 मई, 1878, के डब्ल्यू स 3, अक्तूबर, 1878, सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज।

विभाग के एक नोट मे अंग्रेजो के क्षेत्राधिकार और उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे

"(1) कि समूची फारस की खाडी के जलक्षेत्र पर हमारा वर्तमान क्षेत्राधिकार ज्यो का त्यों बना हुआ है।

"(2) कि तुर्की सीमा के अतर्गत बहरीन द्वीप पूरी तरह हमारे सरक्षण मे है।

"(3) कि हम सीमा की अपनी तरफ की कार्यवाहियो मे किसी दूसरी शक्ति को स्थल या जल के रास्ते हस्तक्षेप न करने देगे।"[1]

इन सुझावो का अर्थ यह था कि "विराम-सधि के सरदारो को, उनकी समुद्रतटीय कार्यवाहियो के सबध मे ही नही, बल्कि पूरी तरह से, ब्रिटिश सरकार के अधीन समझा जाता। हो सकता है भविष्य मे राजनीतिक दृष्टि से यह कभी उचित लगे कि इन सारे छोटे-छोटे सरदारो को मास्केट के साथ मिला दिया जाए, मास्केट के सुल्तान को सामती सरदार की हैसियत दे दी जाए और उसका क्षेत्राधिकार तुर्की सीमा तक मान लिया जाए और बदले मे फारस की खाडी मे नौ-स्क्वाड्रन (Naval Squadron) रखने के लिए उससे कर के रूप मे अशदान (contribution) लिया जाए।"[2] 'ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि शक्ति के रूप मे मान्यता देने के प्रयोजन से'[3] करार मे सशोधन का सुझाव दिया गया। तुर्की के सुल्तान से इसीलिए बातचीत नही की जानी थी कि वह अपना क्षेत्राधिकार सीमित करे, बल्कि इस अवसर से लाभ उठा कर "हम अपने दोषपूर्ण हक्क मे भी परिशोधन करेंगे और अपना खून-पसीना बहा कर जिस स्थिति के अधिकारी बने है, उसके लिए अतर्राष्ट्रीय आधार पर वैध मान्यता प्राप्त करेंगे।"[4] फारस की खाडी के सरदारो के ऊपर इतने वर्षों तक वस्तुत जिस प्रभुता का प्रयोग होता रहा था, अब उसे वैध रूप देना था और लॉर्ड मेयो के शासन-काल मे इन सरदारो की जिस स्वतत्रता का इतना बखान किया गया था, उसकी जगह अब लॉर्ड लिटन का वैध एव प्रभुता-सपन्न नियत्रण स्थापित होना था। इसका अर्थ था—तुर्की के सारे अधिकारो का निषेध और फारस के अधिकारो की अस्वीकृति।

फारस की खाडी के क्षेत्र मे अंग्रेजो के हितो और नीति के विवरण से स्पष्ट है कि उसकी प्रवृत्ति वहा सारी विदेशी शक्तियो की सत्ता का प्रत्याख्यान कर धीरे-धीरे अपनी सर्वोपरिता स्थापित करने की ओर रही। जब तक फारस, तुर्की या अन्य किसी शक्ति के हस्तक्षेप का डर न था, तब तक सरदारो के आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने की और अंग्रेजो के क्षेत्राधिकार को समुद्रतटीय शाति की रक्षा करने तक ही सीमित रखने की नीति अपनाई गई। पर, ज्यो ही तुर्की ने अपने अधिकारो का आग्रह किया, त्यो ही नकाब उतार फेंका गया और उसकी प्रभुता को ही अस्वीकार नही किया गया, बल्कि

1 सिक्रेट प्रोसीडिंग्ज, सितबर, 1879, के डब्ल्यू स 2 पैरा 24
2 वही।
3 वही।
4 वही।

डंके की चोट कहा गया कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरि सत्ता है। फारस की खाड़ी का तट, अरब समुद्र-तट और यमन का तट—ये सब निश्चित रूप से अंग्रेजों के सरक्षित प्रदेश बन गए और उनकी रक्षा का दायित्व तथा राजनीतिक सबधो का नियंत्रण भारत सरकार के हाथो मे आ गया। भारत सरकार ने अफगानिस्तान या कलात क प्रति जो नीति अपनाई थी, उसके साथ इस नीति का खूब अच्छी तरह मेल बैठ जाता था और वह भारत की रक्षा-व्यवस्था का मान्य आधार थी।

अध्याय 14

सिंहावलोकन

'किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति से अन्य राष्ट्रो के सदर्भ मे उसका मार्ग निर्धारित होता है। वह एक कार्यक्रम होती है और उसका उद्देश्य होता है शातिपूर्ण उपायो या युद्धेतर उपायो से राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ सभाव्य स्थिति प्राप्त करना'। कुर्ट लडन ने विदेश नीति की यही परिभाषा की है और उसके उद्देश्य बताए हैं "प्रादेशिक अखडता का परिरक्षण, राजनीतिक स्वतत्रता का अनुरक्षण और लोगो के लिए समुचित जीवन-स्तर की सिद्धि।" इस तरह की विदेश नीति गतिहीन नही होती। जैसे सदेह प्राणी बढता विकसित होता है, वैसे ही उसमे भी गतिशील होने की प्रवृत्ति होती है। जब अपनी सीमाओ के भीतर राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति और उसके विकास की नीव दृढ हो जाती है, तब अक्सर ऐसा हो सकता है कि "वह अपनी भावी सुरक्षा को" "विदेशो मे सैनिक अड्डो (bases) या प्राकृतिक साधनो की अधिकृति" पर निर्भर मानने लगे। भारत मे ब्रिटिश सरकार की नीति की जो दिशा रही, उसमे यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से मूर्तिमत हुई। जब ब्रिटिश राज्य का विस्तार उत्तर-पश्चिम, उत्तर या पूर्व मे भारत की प्राकृतिक सीमाओ तक हो गया तब सहज ही उसकी नीति ऐसे प्रभावाधीन राज्यो की एक शृखला बनाने की हो गई जिनके आर्थिक साधनो और सैनिक अड्डो का वह अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सके। यूरोप के जो प्रतियोगी साम्राज्यवाद एशिया मे इसी तरह अपने-अपने राज स्थापित करने मे लगे हुए थे, उनके डर और ईर्ष्या से इसके लिए प्रेरणा-शक्ति प्राप्त हुई। उत्तर मे रूस और पूर्व मे फास अपने साम्राज्यो का विस्तार करते जा रहे थे और यह माना जाता था कि उनकी तेजी से बढती हुई सीमाएँ भारतीय सीमात के निकट पहुँचती जा रही है। इस स्थिति मे उनके विकट अप्रघर्षण से भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य की प्रादेशिक अखडता की रक्षा करना और उसकी स्थिरता बनाए रखना ही भारत सरकार की विदेश नीति के मूल तत्व हो गए थे। इसी प्रेरणा से भारत सरकार ने पडोस के प्राच्य राज्यो से सपर्क स्थापित किया और समूची उन्नीसवी सदी मे ब्रिटिश-भारतीय पर-राष्ट्र नीति का यही निर्धारक तत्व रहा। भारत सरकार को फ़ारस, अफ़गानिस्तान और मास्केट के प्रति पहले-पहल नीति निर्धारित करने की प्रेरणा नैपोलियन की पूर्वी हमले के खतरे से मिली थी और भारत के पडोस मे रूसी प्रभुत्व के खतरे से देश की सुरक्षा के लिए जो सकट पैदा हो गया था, उसका इस समूची सदी मे बाह्य नीति के निर्धारण पर निरतर निर्णायक प्रभाव पडता रहा। ब्रिटिश साम्राज्य की

गतिशीलता और उसके आर्थिक लाभ की प्रेरणा से सरकार धीरे-धीरे अग्रिम नीति की ओर आकृष्ट हुई और इस नीति के अन्तर्गत लक्ष्य की सिद्धि के लिए अगर युद्ध जरूरी हुआ, तो वह युद्ध तक से नहीं झिझकी।

पिछले अध्यायों में हमने मध्य और पश्चिमी एशिया में ब्रिटिश भारतीय नीति के मुख्य अवस्थानों का विवरण प्रस्तुत किया है और यह भी बताया है कि भारत के निकट सीमावर्ती राज्यों तथा फारस की खाड़ी के क्षेत्र की सल्तनतों के साथ किस तरह वे संबंध स्थापित हो गए थे। लेकिन इस इमारत का बुनियादी पत्थर अफगानिस्तान था जिसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध बन गए थे और उसी के आधार पर दूसरी सल्तनतों के साथ व्यवहार का स्वरूप ढला। इस देश का इतना महत्व युद्ध-नीति (strategy) के कारण हो गया था और युद्ध-नीति को विदेश नीति से पृथक् नहीं किया जा सकता। भारत सरकार अफगान भूमि पर विदेशी शक्तियों के अतिक्रमणों के प्रति दो कारणों से बेहद संवेदनशील हो गई थी—इनमें से पहला कारण तो यह था कि भारत में ब्रिटिश सैनिक अड्डों और मध्य एशिया में रूसी सैनिक अड्डों के बीच आने-जाने के मार्ग अफगानिस्तान में से होकर जाते थे और दूसरा कारण यह था कि जिन द्वारों से होकर भारत में अँग्रेजों के दुर्ग के भीतर प्रवेश किया जा सकता था, वे द्वार अफगानिस्तान में स्थित थे। इसीलिए, ब्रिटिश सरकार को इस बात की पूरी चिंता रही कि अफगानिस्तान की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और भारत की विदेश नीति का भी यही मूल तत्त्व हो गया। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए आवश्यक था कि काबुल में एक सशक्त-मित्र शासक रखा जाए जो सहायता और मार्ग-दर्शन के लिए भारत सरकार का आश्रित रहे। पर, ब्रिटिश सरकार पर मध्य एशिया के घटना प्रवाह का या यूरोपीय राजनय के दाँव-पेचों का प्रभाव पड़ा और वह धीरे-धीरे ऐसा उपाय अपनाने लगी जिससे अफगानिस्तान के अमीर को अपनी इच्छा और नीति के अधीन किया जा सके। लॉर्ड ऑक्लैंड ने 1838 में अफगानिस्तान की गद्दी पर आश्रित शासक बैठाने का जो प्रयत्न किया था, वह इसी दिशा में एक कदम था। पर, यह प्रयोग असफल रहा और इसीलिए फिर इस पद्धति का उपयोग नहीं किया गया। फलतः कई सालों तक ब्रिटिश सरकार ने न तो अफगानिस्तान से किसी तरह का सरोकार ही रखा और न उसके मामलों में हस्तक्षेप ही किया। मूलतः यह नीति अपने आपको उस देश के आंतरिक संघर्षों में न उलझने देने की नीति थी, उसके संदर्भ में अपने ऊपर कोई भी बंधन स्वीकार न करने की नीति थी। लेकिन, अफगानिस्तान की सीमा के इतने निकट रूसी साम्राज्य का बड़ी तेजी से विस्तार होता जा रहा था। फलतः निश्चिन्तता का यह दृष्टिकोण लगातार और दृढ़ता से बनाए रखना असंभव हो गया। निर्हस्तक्षेप के महान् समर्थक सर जॉन लॉरेंस को भी अपनी नीति में संशोधन करना पड़ा और उसने वस्तुतः (*de facto*) अमीर को द्रव्य तथा शस्त्रास्त्रों की सहायता देने की पैरवी की ताकि अमीर अपनी शासन-व्यवस्था में ठहराव ला सके और वह ग्रेट ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता की याचना न करे। पर, उसने अमीर से बराबर के साथ पाने की कोशिश नहीं की और उसे मैत्री के आश्वासन मात्र से ही संतोष रहा। लेकिन, तराजू का पलड़ा दूसरी तरफ झुका हुआ था और बाद के गवर्नर जनरल इस पारस्परिक संबंध का क्षेत्र बढ़ाने के लिए तैयार थे और वे अन्ततः इस बात के लिए भूमि तैयार करना चाहते थे कि जिस अफगानिस्तान के द्वार अभी तक विदेशियों के लिए बंद

रहे थे, उसमें ब्रिटिश दूत की अगवानी की जाए। यूरोप की उलझनों और ओक्सस के पार रूसी विस्तार के आसन्न खतरे के फलस्वरूप—जिससे अंततः हेरात, काबुल या कंधार घिर सकते थे—यह प्रवृत्ति चरम शिखर पर पहुँच गई और हम लॉर्ड लिटन, लॉर्ड सेलिसबरी और डिज़रैली तक को यह कहते हुए पाते हैं कि अमीर अपने देश में ब्रिटिश रेज़ीडेंट रखने के लिए तैयार हो अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध का डंका बजाया जा सकता है। अफ़ग़ानिस्तान के संदर्भ में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि आरंभ में तो ब्रिटिश सरकार के अमीर के साथ औपचारिक मैत्री-संबंध थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे यह इच्छा बलवती होती गई कि काबुल की गद्दी पर एक अधीन शासक बैठना चाहिए जिसकी विदेश नीति पर भारत का नियंत्रण हो और जो अपने दरबार में ब्रिटेन के प्रतिनिधि से परामर्श तथा मार्ग दर्शन प्राप्त करे। लॉर्ड लिटन तो सफल न हो सका, पर उसके उदारवादी उत्तराधिकारी ने अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध के बाद जो व्यवस्था की उसके फलस्वरूप अमीर को सामंती शासक की स्थिति में लाए बिना ही काबुल की विदेश नीति पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित हो गया।

बृहत्तर नियंत्रण के प्रति इस झुकाव का एक अनिवार्य परिणाम था—क्षतिपूरक दायित्वों की वृद्धि। 1855 में भारत सरकार ने काबुल के अमीर की न तो किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी ली थी और न उसे निश्चित सहायता की ही कोई गारंटी दी थी। उस समय तो सिर्फ़ यही अनुबंध किया गया था कि दोनों एक दूसरे के मित्र रहेंगे, हालाँकि अमीर के ऊपर यह ज़िम्मेदारी डाल दी गई थी कि वह अंग्रेज़ों के मित्रों को अपना मित्र और उनके शत्रुओं को अपना शत्रु समझेगा। उस समय भारत सरकार और अफ़ग़ान सरकार के ऊपर बराबर की ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई थी और अफ़ग़ानिस्तान को मदद देने या न देने के भारत सरकार के स्वविवेक (discretion) पर भी किसी तरह की सीमा का आरोप नहीं किया गया था। 1857 में जब अफ़ग़ानिस्तान को ख़तरा पैदा हुआ, तब विशिष्ट सहायता दी गई, पर यह ज़िम्मेदारी कुछ ही समय के लिए थी और एक ख़ास संकट के संदर्भ में ही दी गई थी। आगे के अनेक वर्षों तक अमीर की निरंतर यह इच्छा रही कि अफ़ग़ानिस्तान को जब कभी सहायता की आवश्यकता हो, तब उसको दोस्त उसे निश्चित रूप से सहायता दिया करे। पर, भारत सरकार ने अमीर को अप्रसन्न करने का ख़तरा तक उठा कर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयत्न किया। किंतु, व्यवहार में भारत सरकार ने मदद देने से मुँह नहीं मोड़ा। उसने सिर्फ़ सहायता के किसी ऐसे अनुबंध से बँधना न चाहा जिससे उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता और वह असुविधाजनक तथा अवांछनीय परिस्थितियों में फँस जाती। पर, यह रवैया अधिक समय तक जारी न रहा। अमीर की आवश्यकता और मध्य एशिया में रूस की नीति के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार इस शर्त पर सहायता देने की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई कि अमीर अपने देश में ब्रिटिश प्रतिनिधि रखने के लिए सहमत हो जाएगा। यह कीमत बहुत ऊँची थी और अमीर को इसके बदले में बहुत कम लाभ प्राप्त होता था। इससे तनाव पैदा हुआ और फिर लड़ाई हुई, लेकिन जब अफ़ग़ानिस्तान में परिस्थितियाँ फिर से शांतिपूर्ण हो गईं, तब काबुल के नए शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश एजेंट रखने की अपमानजनक और निश्चित रूप से खतरनाक शर्त के आगे झुके बिना ही बाहरी हमले के विरुद्ध सहायता का लिखित आश्वासन प्राप्त हो गया। यह वही दायित्व था

जिसमे अँग्रेज एक लंबे अरसे तक कतराते रहे थे। भारत सरकार को अफगानिस्तान के विदेश संबंधों पर प्रभाव डालने और उनका निदेशन करने का वैधिक अधिकार प्राप्त हो गया था, पर उसने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी भी उठा ली थी कि जब कभी अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा, तब वह उसे उपयुक्त सहायता देगी। 1882 से पहले का काल इस चरम स्थिति की भूमिका थी और आगे के वर्षों में भारत की विदेश नीति का निश्चित तथ्य यह रहा कि अफगानिस्तान की बाहरी प्रभुता को अपनी अधीनता में किया जाए।

लेकिन, यह कोई अलग-थलग घटना न थी क्योंकि इस काल में इन्हीं कारणों से भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर कलात और चितराल में, फारस की खाड़ी में मास्केट और विराम-संधि करने वाले सरदारों (Trucial Chiefs) पर, और भारत के पूर्व तथा उत्तर में बर्मा, भूटान और नेपाल में इसी तरह के क्षेत्राधिकार की स्थापना की जा चुकी थी। इस स्थिति में भारत सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य के परकोटे के रूप में आश्रित राज्यों की एक मेखला का निर्माण किया जिनके विदेश संबंध पूरी तरह उसके नियंत्रण में थे और जिनके संरक्षण की भी उसने पूरी तरह गारंटी दे रखी थी। उसने रिक्त स्थानों की ओर इस मेखला के विस्तार का भी भरसक प्रयत्न किया। उत्तर में काशगर और तिब्बत के राज्य थे जिनका इस मेखला में समावेश भारत की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक था और ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के दूर-दूर तक प्रसार में अग्रिम अड्डों का काम देने के लिए भी। काशगर में तो अतालिक गाजी को चीनियों की विनाश-लीला का शिकार बनने से पहले ही राजनय के प्रताप से अँग्रेजों के प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया गया था, लेकिन विवेच्य काल समाप्त होने से पहले तिब्बत में कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी थी। समय-समय पर फारस और मर्व के संबंध में भी इसी नीति का पालन किया गया था, और ऐसे समर्थकों की भी कमी नहीं थी जो खीव, बुखारा या कोहकंद तक को इसके दायरे में घसीट लेना चाहते थे पर परिस्थितिवश इस नीति का इन दिशाओं में विस्तार न हो सका और भारत सरकार के द्वारा परम निर्हस्तक्षेप के अपने सिद्धांत का त्याग करने से पहले ही मध्य एशिया की सल्तनतें रूसी साम्राज्य में विलीन हो गईं। आश्रित राज्यों के प्रति भारत सरकार के तीन तरह के दायित्व थे—हमला होने पर उनकी रक्षा, विवादों के समय विवाचन, और नए-नए प्रदेश जीतने की उनकी महत्त्वाकांक्षाओं पर अंकुश। लेकिन, भारत सरकार की उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की न तो कोई योजना थी और न इच्छा। भारत सरकार का लक्ष्य तो उनके ऊपर केवल ऐसा नियंत्रण रखना था कि यूरोप का कोई शत्रु या प्रतियोगी साम्राज्यवादी देश उनका सैनिक या राजनीतिक अड्डों के रूप में अपने लाभ के लिए उपयोग न कर सके और संकट-काल में शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उनके सैनिक अड्डों से वह (भारत सरकार) लाभ उठा सके। ब्रिटिश-भारतीय सुरक्षा के लिए यह बहुत बड़ा लाभ था।

उन्नीसवीं शताब्दी में साम्राज्यवाद का एक प्ररूप (pattern) के रूप में विकास हो रहा था। इन उपायों का सहारा लेने और पड़ोस के दुर्बल प्राच्य राज्यों और कबीलों से लाभ उठाने की होड़ में ब्रिटिश साम्राज्य अकेला न था। रूस के साम्राज्य-विकास की प्रक्रिया भी इससे भिन्न न थी हालाँकि उसके सैनिक अफसर और गवर्नर गौरव तथा सैनिक सम्मान की महत्त्वाकांक्षा के कारण अपने अशक्त पड़ोसियों को अपनी अधीनता

करने के प्रयोजन से तलवार का सहारा लेने के लिए अधिक उत्सुक रहते थे। कोहकद बुखारा और खीव के प्रति अपने व्यवहारों मे जिन साधनो का उपयोग रूस ने किया था वे थे व्यापार-संधियां अपरदेशीय अधिकार (extra territorial rights) और बाहरी संबंधों का नियंत्रण। अपने प्रतियोगी की अपेक्षा रूस अधिक भाग्यशाली था क्योंकि परिस्थितियों के फलस्वरूप इनमे से कुछ राज्य अंत मे उसके सीधे प्रशासित क्षेत्र बन गए। सैनिक आवश्यकता संचार-साधनों के विकास की जरूरतें वैज्ञानिक ज्ञान का अनुसंधान और तथाकथित बर्बर जातियों को सभ्य बनाने की आवश्यकताएँ ही साम्राज्य विस्तार की प्रेरक हेतु और साधन थी। अंग्रेजो ने भारत की देशी रियासतो के संबंधों मे जो प्रयोग किया था वह इन सारे प्रयत्नों के लिए प्रकाश स्तंभ था और मध्य एशिया मे उसका खुलकर उपयोग किया गया।

साम्राज्यवाद सुगम संचार साधनो के पैरों पर चलता है और यहीं संचार साधन साम्राज्यवाद के विकास के सहज उपकरण बन जाते है। अंग्रेजो ने भारत मे यह पद्धति अपनाई थी और इससे उन्हें बड़ा लाभ हुआ था। उन्होंने 1857 के विद्रोह के पहले देश के भीतरी भाग को रेलों द्वारा कलकत्ता तथा अन्य पत्तनो से जोड़ने की योजना भी बना ली थी। 1857 के भयंकर विप्लव ने इस प्रक्रिया को और गति दे दी और कुछ समय बाद ही भारत के 10 000 मील लंबे प्रदेश मे रेल की पटरियाँ बिछ गई। पंजाब और सिंध की विजय और उसके बाद सीमांत की दिशा मे युद्ध-नीति की दृष्टि से उपयोगी रेलो का निर्माण आरंभ हो गया और इस ओर मे रेलें बिल्कुल छोर तक पहुँचने लगी। भारत को इंगलैंड से जोड़ने के लिए भारत के बाहर तार की लाइनें बिछा दी गई और बलूचिस्तान फारस तथा फारस की खाड़ी के प्रदेश को बेतार के तार से जोड़ दिया गया। बीच मे पड़ने वाले देशों और कबीलो के साथ करार किए गए और लोगों को रक्षा करने के लिए विवश किया गया। फारस और टाइग्रस की घाटी के संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने तथा इंगलैंड और उसके पूर्वी राज्यों के बीच एक थल मार्ग बनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने फारस और टाइग्रस मे रेल-संचार-व्यवस्था आरंभ करने का विचार किया। इधर रूस ने भी सामरिक महत्त्व के कारणो से अपने मध्य एशियाई क्षेत्र मे रेलें बनाना आरंभ कर दिया था और उसने अपने प्रदेशो को भारत की सीमाओ से जोड़ने के उद्देश्य से या अरब सागर के उष्ण जल तक पहुँचने के लिए अनेक योजनाओं पर विचार किया। 1880 से पहले यह गति अपनी आरंभिक अवस्था मे थी पर अब साम्राज्यवादी देशो को यह अनुभव होने लगा था कि पिछड़े देशों का शोषण करने मे रेलो की बड़ा महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आगे के वर्षों मे रेल-व्यवस्था साम्राज्य शक्तियों का अमोघ शस्त्र और जटिल राजनय का विषय बन गई। आंग्ल रूसी विरोध की आग भड़कने मे उनकी रेल विकास की प्रायोजनाओं (projects) ने घी का काम किया और इसके फलस्वरूप 1882 के बाद तनाव बहुत बढ़ गया। मध्य पूर्व के द्वार खोलने की अंग्रेजों की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी लेकिन जब जर्मनी फ्रांस या रूस भी मैदान मे उतर पड़ते तो अंग्रेजो ने उनका उतना ही जोर से विरोध किया।

वाणिज्य साम्राज्यवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व था और कोई देश कितना ही दूर या अगम्य क्यों न हो वह उसके प्रभाव से नही बच सकता था। अफ़गानिस्तान फारस,

बुखारा, खोहन्द या काशगर में भारत सरकार की दिलचस्पी वाणिज्य की दृष्टि से भी थी और सामरिक दृष्टि से भी और इनमें से एक को दूसरी से अलग करना मुश्किल है। रूस पर भी इस प्रेरणा-हेतु का किसी तरह कम असर न था। खोहन्द, बुखारा या खीव के साथ जो पहली संधियाँ की गई थीं, वे मुख्य रूप से वाणिज्यपरक थीं और ऐसा माना जा सकता है कि वाणिज्य को राजनीतिक नियंत्रण का सहचर बना दिया गया था। इंगलैंड इसलिए और भी जल-भुन गया था कि जिन प्रदेशों पर रूस का प्रभुत्व था, वहाँ से उसके व्यापार का पत्ता काट दिया गया था। अतः उसकी ओर से यह प्रयत्न स्वाभाविक था कि यह वर्जन-क्षेत्र सीमित रखा जाए। इसके साथ ही यह भी ब्रिटिश सरकार की पक्की नीति थी कि वह अफगानिस्तान, फारस, बलूचिस्तान या खाड़ी की सल्तनतों पर अपना एकाधिकार (monopoly) जमाए रखे और वहाँ यूरोप की किसी भी प्रतिद्वंद्वी शक्ति को पाँव जमाने की अनुमति न दे। रूस के संबंध में अँग्रेज़ों की नीति यह थी कि उसे बाहर रखा जाए और उसके क्षेत्राधिकार को उस क्षेत्र में न पहुँचने दिया जाए जहाँ अँग्रेज़ों का स्वार्थ था। जब तिब्बत या स्याम जैसे नए क्षेत्रों में वाणिज्य का झंडा फहराया गया, तब 1880 के पहले और बाद में उसने राजनय को प्रेरणा दी और साम्राज्यवाद अधिकाधिक आर्थिक साम्राज्यवाद का रूप धारण करने लगा। अफगानिस्तान अपने आर्थिक शोषण की सारी चेष्टाओं को बेकार करने में सफल हुआ और 1880 के बाद जब उसका शासक अपनी विदेश नीति को अँग्रेज़ों के अधीन करने के लिए सहमत हो गया था, तब भी वहाँ किसी तरह का अतिक्रमण संभव न था और यह तनाव तथा बढ़ती हुई विरक्ति का एक आधार था।

1880 के पहले भी इंगलैंड और भारत की सरकारों का तिब्बत की ओर ध्यान गया था और उन्होंने व्यापार के लिए उसके द्वार खोलने का प्रयत्न किया था। लॉर्ड मेयो की सरकार तिब्बत के दलाई लामा के साथ संपर्क स्थापित करना चाहती थी और हालाँकि बंगाल सरकार इस तरह के किसी भी प्रयत्न के विरुद्ध थी पर भारत सरकार इस मामले में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थी। आर्गील का ड्यूक भी इसके पक्ष में था। तिब्बत के साथ सीधी बातचीत के लिए एक ओर तो सिक्किम के महाराज की मार्फ़त पहुँचना था और दूसरी ओर पेकिंग-स्थित ब्रिटिश कार्यदूत की मार्फ़त क्योंकि तिब्बत के ऊपर चीन का अधिराजत्व होने के कारण दूसरे राज्यों का लामाओं के साथ सीधा व्यवहार नहीं हो सकता था। इस तरह, 1870 में तिब्बत के प्रति पृथक्करण (isolation) की नीति त्याग दी गई और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई। कूच-बिहार डिवीज़न के कमिश्नर कर्नल हाउटन ने इस दिशा में विशेष रूप से पहल की थी क्योंकि वह चाहता था कि भारत की चाय लामाओं के देश में बिके। उसका दृष्टिकोण यह था कि हमारी उपज का तिब्बत में न पहुँचना न तो वहाँ के शासकों के ही हित में है और न लोगों के ही। इसलिए, वर्तमान संकीर्ण नीति उनकी नहीं हो सकती। कुछ भी हो, मेरा विचार है कि अबाध व्यापार (free trade) की विद्यमान बाधाएँ दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।[1] और चूँकि इन प्रतिबंधों के लिए चीन को उत्तरदायी

---

1 हाउटन का ईडन के नाम संवाद, सं 69, 22 जुलाई, 1870, पॉलिटिकल ए प्रोसीडिंग्ज़, अक्तूबर, 1870, सं 70

समझा जाता था, अत यह इच्छा प्रकट की गई कि व्यापारियो और यात्रियो के अबाध आने-जाने पर आरोपित सारे प्रतिबंध हटाने के लिए कारगर प्रयत्न किए गए। लेकिन इसमे बहुत कठिनाइयाँ थी। चीन के माध्यम से व्यापार का विस्तार सभव न था क्योकि पेकिंग स्थित कार्यदूत ने ठीक ही लिखा था मेरे विचार से इस समय चीन सरकार के माध्यम से यह अनुमति मिलने की कोई सभावना नही है। वह हमारा यह अधिकार तक नही मानती कि हम तिब्बत की यात्रा के लिए पासपोर्ट का दावा करे। मैं यह मानता हूँ कि मेरी राय मे हम अपनी सधि के फलस्वरूप यह अधिकार नही मिला। तिब्बत मे चीन का प्रभाव निश्चय ही बहुत है पर वह चीनी क्षेत्र नही है और मुझे इसमे सदेह है कि चीन वहाँ किसी तरह के कर की उगाही करता है।'[1] अस्तु व्यापार-मार्गों के बारे मे सूचना पाने और हिंदुस्तान-तिब्बत सडक का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार करने के अलावा अन्य कोई उपाय न था। चीन की हठधर्मी, लामाओ की बेरुखी और भारत सरकार की अन्य स्थानो मे व्यस्तता के कारण प्राय एक दशक तक इस दिशा मे कोई नया प्रयत्न नही हुआ और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लामा-देश को अपने शिकजे मे फाँसने की उत्सुकता के बावजूद तिब्बत दीर्घ काल तक यूरोपीयो के शोषण और अतिक्रमण से मुक्त रहा।

इस दिशा मे अँग्रेजो की दिलचस्पी सिर्फ तिब्बत तक ही सीमित न थी। भूटान उनके प्रभाव मे आ चुका था, सिक्किम उनका प्राय सरक्षित राज ही था, और नेपाल मे महाराज जग बहादुर उनका सच्चा मित्र और पक्का साथी था। काठमाडू मे एक ब्रिटिश रेजीडेंट की नियुक्ति कर दी गई थी, पर देश म उसकी स्वतत्र गतिविधि पर प्रतिबध लगे हुए थे। भारत सरकार देश की छान-बीन करने और उसकी प्रजा से सहज भाव से मिलने की अपने एजेट की आजादी पर किसी तरह की पाबदियाँ सहने के लिए तैयार न थी और इसके प्रति उसने विरोध प्रकट करने का भी विचार किया। पर इस समय ऐसा कोई निर्णायक कदम नही उठाया गया जिससे कि सकट पैदा हो जाता। जब अफगान-युद्ध हो रहा था और आशका थी कि ब्रिटिश सेना उत्तर-पश्चिमी सीमात पर भेज दी जाएगी, तब महाराज जग बहादुर ने आतरिक सुरक्षा-कार्यों के लिए भारत सरकार को नेपाली सेना देने का प्रस्ताव किया था। नेपाल के साथ स्नेह-सबध बने रहे और भारत सरकार चीन के हस्तक्षेप से नेपाल को बचाने के लिए उत्सुक थी।

भारत के पूर्व मे बर्मा धीरे-धीरे और खडित होकर ब्रिटिश राज मे शामिल होता जा रहा था और अत मे उसके स्वतत्र राजत्व (kingship) के उन्मूलन द्वारा उसके भारत-विलय का सारा साज सज रहा था। अँग्रेजो का ध्यान युन्नान की ओर भी खिच रहा था और विभिन्न वाणिज्य-सस्थाओ और गैर-सरकारी लोगो ने ब्रिटिश सरकार को प्रेरित किया था कि वह पश्चिमी चीन मे व्यापार बढाने और रेले बनाने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचने वाले व्यापार-मार्गों की छान-बीन करे। साम्राजी की सरकार ने इच्छा प्रकट की कि भारत सरकार इस काम मे पहल करे, पर भारत सरकार एक अरसे से भारत का धन इस तरह के अभियान मे खर्च करने का विरोध करती रही थी। अत मे, 1876 मे उसे कि

1 वाडे का एचिसन के नाम सवाद, 10 नवबर, 1870, पॉलिटिकल, ए प्रोसीडिंग्ज, फरवरी, 1871, स 110

सरकारी के ननदव म एक मिशन युन्नान भेजने के लिए राजी कर लिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रयत्न था क्योंकि दून की हत्या कर दी गइ। पर प्रयत्न होते रहे, पर्याप्त सूचना एकत्रित की गई वहाँ की मुस्लिम अल्पसंख्या को प्रोत्साहन दिया गया और एक मिशन (फान्र मिशन) का स्वागत तक किया गया। यह सब चीन की इच्छा के विरुद्ध किया गया था और बर्मा की सीमा पर यत्र का ओर से इस देश के पिछले भाग को खोलने के आरम्भिक प्रयत्नो के अलावा इस उद्यम म और प्रगति न हो सकी। यहाँ यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि इंगलैंड और भारत की सरकारो न अन्नाम म फ्रांस की चेष्टाओ का खतरे और चिन्ता की दृष्टि स देखा और उन्होंने फ्रांस तथा अन्नाम-नरेश के बीच हुई वाणिज्य-सधियो की कुछ धाराओ पर आपत्ति की। वहाँ फ्रांस का अपना प्रभाव स्थापित करने मे रोकना मुश्किल था और विदेश सचिव एचिसन न इस खतरे को दूर का खतरा मान कर उदासीनता का यह दृष्टिकोण अपनाया कि अँग्रेजो को इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार न था। परन्तु सुदूर पूर्व म फ्रांस की इन कार्यवाहियो का बर्मा और स्याम के प्रति अँग्रेजो की नीति पर असर पड़ा। इसस भी पहले स्याम के साथ घनिष्ठ सबध स्थापित हो चुके थ और इसके मध्य क जरिए उसके साथ सपर्क स्थापित करने के प्रश्न पर विचार हुआ था। नहर खोदने के सुझाव की जगह रेल निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य स्याम की खाड़ी म फ्रांस के एकाधिकार को रोकना था और साथ ही इसम राजनीतिक पहलू का अपेक्षा वाणिज्यिक पहलू पर अधिक जोर दिया गया था। 1880 म पहले पूर्व-साम्राज्यिक नीति का निश्चित रूप स सूत्रपात हो गया था क्योंकि प्रतियोगी साम्राज्यो के वाणिज्यिक स्वार्थों और प्रतिस्पर्धा के कारण ब्रिटिश सरकार इन क्षेत्रो का एकाकी नहीं छोड़ सकती थी। ब्रिटिश सरकार ने पश्चिम म जिस तरह की नीति का विकास किया था उसी तरह की नीति की उदभावना वह पूर्व म भी करने वाली थी और पश्चिम म अफगानिस्तान या फारस की भूमिका के अनुरूप ही पूर्व म बर्मा या स्याम की भूमिका थी।

यहाँ कुछ शब्द फारस के प्रति अपनाई गई नीति की दिशा के बारे म भी कहे जा सकते हैं। उन्नीसवी सदी के शुरू के वर्षों म भारत-सरकार को हेरात अफगानिस्तान या कलात की अखडता की चिन्ता थी और इसका फारस के शाह के साथ उसके सौहार्द-सबधो पर काफी असर पड़ा था। अत पूर्व की ओर बढ़ने की फारस की महत्त्वाकाक्षा दोनो देशो का मैत्री और तेहरान के दरबार म अँग्रेजो के प्रभाव के प्रतिकूल बैठती थी। फारस की खाड़ी के सरदारो के साथ अँग्रेजो के सबधो और इस क्षेत्र म सुरक्षा तथा व्यापार के हितो को भी फारस के अधिराजत्व के परम्परागत दावो स विरोध बैठता था। घनिष्ठ वाणिज्य-सबधो की इच्छा रेल अन्तर्देशीय जल-परिवहन तथा तार-व्यवस्था जैसे सचार-साधनो का विकास कर इस का शासन की आकाक्षा और भारत की ओर जाने वाले मार्ग की रक्षा के विचार म तो भारत सरकार को यह प्रेरणा मिलती थी कि वह फारस के साथ घनिष्ठ मैत्री-सबध रखे पर वह अफगानिस्तान या कलात के साथ अपने मैत्री सबध बिगाड़ने या खाड़ी के सरदारो के ऊपर अपना नियत्रण ढीला करने की जोखिम उठा कर इस दिशा म आगे नहीं बढ़ सकती थी। दूसरी ओर फारस की भी ऐसी किसी मैत्री-सधि म बँधने की इच्छा न थी जिसम न तो उस अपनी महत्त्वाकाक्षाओ की पूर्ति म मदद मिले और न वह अपने दु गदायी पड़ोसियो—रूस और तुर्की—के विरुद्ध निश्चिन्त

उपाय करके अपनी सुरक्षा के प्रति ही आश्वस्त हो सके। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि भारत सरकार के तेहरान के साथ सीधे संबंध न थे क्योंकि तेहरान-दरबार में साम्राज्ञी की सरकार का अपना प्रतिनिधि रहता था और उस पर केवल विदेश-मंत्रालय का नियंत्रण था। इसलिए, वहाँ राजनय के संचालन में सबसे पहले भारतीय हितों का ध्यान नहीं रखा जाता था।

विवेच्य काल के आरंभिक अवस्थान में फारस को यह डर लगा रहता था कि रूस उसके उत्तर-पूर्वी सीमांत पर हमला कर सकता है क्योंकि उसी कैस्पियन सागर के तट पर रूस की गतिविधियों के फलस्वरूप गिलान और खुरासान प्रांतों के लिए भावी खतरे की आशंका पैदा हो गई थी। इस स्थिति में वह रूसी हमले के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहता था। पर ब्रिटिश सरकार सिर्फ नैतिक सहायता देने की स्थिति में थी—इससे अधिक कुछ नहीं और अपमान-नीति पर प्रतिक्रिया होने के डर से उसने फारस की यह माँग भी नहीं मानी कि प्रमुख मतभेदों के विचारार्थ के संबंध में चार देशों का एक करार हो जाए। लेकिन सातवें दशक में भारत और ब्रिटेन के हितों की दृष्टि से यह आवश्यक था कि शाह के साथ घनिष्ठतर संबंध स्थापित किए जाएँ क्योंकि उस समय ट्रांस-कैस्पियन क्षेत्र में रूस के मंसूबे बिलकुल स्पष्ट हो गए थे और रूसी प्रभुता से तुर्कमानों की रक्षा करने की भी बहुत आवश्यकता थी। 1872 में विदेश मंत्रालय में एक ज्ञापन-पत्र (memorandum) तैयार किया गया जिसमें सुझाव दिया गया था कि रूस और भारत के बीच संपर्क रोकने के लिए फारस को मजबूत बनाया जाए और इसके लिए अगर जरूरी हो तो हेरात, सीस्तान, मर्व तथा बदख्शाँ पर फारस की प्रभुता भी स्वीकार कर ली जाए। फारस-स्थित ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी रालिन्सन या भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। रालिन्सन के दृष्टिकोण से तत्कालीन नीति स्पष्ट हुई है। "पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में फारस का निश्चित रूप से महत्त्व होगा—शायद बहुत महत्त्व होगा। वह कैस्पियन तथा सिंध के विवादास्पद प्रदेश के पार्श्व में स्थित है। अतः, रूस और ब्रिटिश भारत का वहाँ और कैसा संपर्क हो, यह बहुत कुछ फारस के क्रिया-कलाप पर निर्भर होगा। अगर वह सशक्त तथा हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो यह संपर्क अनिश्चित काल तक स्थगित किया जा सकता है। अगर वह अशक्त तथा अमैत्रीपूर्ण हुआ, तो रूस जब संकट पैदा करना चाहे, तभी यह संपर्क हो सकता है और वह भारत के लिए हानिकर होगा। इसलिए, हमारा हित इसी में है कि हम फारस की मैत्री प्राप्त करें और इसके साथ ही फारस को शक्ति दें, उसमें भीतर अपनी ही साधना के प्रति विश्वास जगाएँ और इस काम में जो भी व्यय हो, उसे हम एक प्रकार से भारत के बीमे का प्रीमियम समझें।" पर, उसने फारस की दुर्बलता देखते हुए उसके प्रादेशिक विस्तार का विरोध किया।[1]

लॉर्ड मेयो की सरकार इस विचार से सहमत हो गई और जिन सीमांत राज्यों के साथ घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध भारत की विदेश नीति के आधार थे, उनके क्षेत्र फारस को दे उसके पूर्व की ओर विस्तार करना पसंद नहीं किया। अतः, फारस को शक्तिशाली बनाने

1 एफ डी एस पी, मार्च, 1872, स 244/46

के कोई निश्चित उपाय नहीं किए गए और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि धीरे-धीरे वह राज्य रूस के प्रभाव में आ गया। सब प्रश्न अत्रेक सीमा विवाद और तुर्कमानों की रक्षा करने की इच्छा के फलस्वरूप भारत सरकार ने एक बार सोचा था कि वह सेर पास्मवग में शाह की सरकार को राजनीतिक चालों में उसे राजनयिक सहायता दे। लेकिन निश्चित सहायता के अभाव में फारस अंग्रेजों के साथ मैत्री-संधि में बँधने की खातिर कोई निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार न था और अन्त में वह इंगलैंड के हस्तक्षेप के बिना ही रूस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करके अपनी सीमा के निर्धारण के लिए सहमत हो गया। फारस के संदिग्ध दृष्टिकोण के कारण ही अंग्रेजों ने उसे सर्व देश के सुधार का समर्थन नहीं किया था। इससे भी अधिक महत्त्व का तथ्य जिसके कारण ब्रिटिश सरकार फारस के साथ घनिष्ठ सबंध स्थापित न कर सकी यह है कि सातवें दशक के आरम्भ में भारत सरकार की यह नीति हो गई थी कि भारत के उत्तर-पूर्व में रूसी साम्राज्य तथा भारत के बीच पड़ने वाले सारे प्रदेशों पर उसका सीधा नियंत्रण रहे। परिणाम यह हुआ कि 1882 में फारस सामान्यतः रूस के वश में था और हालाँकि उस दिशा से तुरन्त किसी संकट का डर न था पर भारत पहुँचने वाले भाग की सुरक्षा के लिए फारस पर विश्वास नहीं किया जाता था। ब्रिटिश सरकार वाणिज्यिक तथा सामरिक दोनों कारणों से फारस को अपने प्रभाव में रखना चाहती थी लेकिन चूंकि उसने फारस को सहायता देने की किसी निश्चित नीति का निरूपण नहीं किया, अतः फारस न तो साम्राज्यिक संबंध-व्यवस्था का भाग ही बना और न ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा चौकी ही।

अस्तु समीक्षाधीन काल में साम्राज्यवाद ने मध्य तथा पश्चिमी एशिया के राज्यों को अपने जाल में फँसाने की कोशिश की। वाणिज्य, संचार और युद्ध-नीति—ये सब उसके साधन हो गए और उसने इन राज्यों को इच्छा अथवा अनिच्छा से अपने चरणों में झुकाने के लिए कोई भी उपाय न छोड़ा—लड़ाई की धमकी तक न छोड़ी—यह धमकी चाहे तो यथार्थ रही हो या पृष्ठभूमि में। भारत की विदेश नीति पर पूरी तरह साम्राज्ञी की सरकार का नियंत्रण था और वह सर्वांश में इंगलैंड के आश्रित थी, अतः उसका उद्देश्य ब्रिटिश स्वार्थों का उन्नयन करना था। अफगानिस्तान, फारस, कलात, काशगर या चितराल के साथ और मध्य एशिया में खानों की स्वतन्त्रता या फारस की खाड़ी के क्षेत्र में स्वतन्त्रता तथा सरदारों की रियासतों के साथ भारत तो बस मैत्री ही चाहता था, पर अंग्रेजों के साम्राज्यवादी मंसूबों के कारण भारत की सरकार को उनसे लड़ाई लड़नी पड़ी और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। फिर भी यह बात जोर देकर कही जानी चाहिए कि इस काल में सीमावर्ती राज्यों की अखण्डता और स्वतन्त्रता तथा भारत की सुरक्षा के बीच घनिष्ठ संबंध की जो उद्भावना हुई वह अभिन्नता की रही। अदन फारस की खाड़ी कलात अफगानिस्तान, काशगर, तिब्बत और बर्मा—ये सब उसकी सुरक्षा प्राचीरें थीं और विदेशी आक्रमण से उनकी रक्षा करने में ही भारत की सुरक्षा निहित थी। भारत सरकार की नीति इसी आधार पर निर्मित हुई थी और बहुत अरसे तक उसका यही आधार बना रहा। उस समय भारत की विदेश-नीति की नींव ऐसी मैत्री-संधियों और हितों की व्यवस्था पर रखी गई थी जिससे उसकी सुरक्षा का आश्वासन मिलता था।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

अफगानिस्तान पत्राचार, संसदीय कागज पत्र 1878 1884

आर्गील का ड्यूक द ईस्टर्न क्वेश्चन, 2 जिल्द 1879

आर्नल्ड टी विल्सन द पर्शियन गल्फ, आक्सफर्ड 1928

'इंगलैंड, अफगानिस्तान एंड रशा' एडिनबर्ग रिव्यू, CLXIII पृ 1 26, जनवरी, 1886

'इंगलैंड एंड रशा ड्यूरिंग द नाइन्टीन्थ सेंचुरी' एडिनबर्ग रिव्यू, CXCVI, पृ 354 567, अक्तूबर, 1902

"इंगलैंड एंड रशा इन सेंट्रल एशिया' अमेरिकन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, III, पृ 170-175 जनवरी, 1909

इर्नेस, ज जे मैकलियाड, सर हेनरी लॉरेंस, द पैसिफायर, आक्सफर्ड, 1898

एडवर्ड्स, एच एम, रशन प्रोजेक्ट्स अगेन्स्ट इंडिया फ्रॉम द जार पीटर टू जनरल स्कोबेलेव, लंदन, 1885

एन इंडियन ऑफीसर, रशाज मार्च टुवर्ड्स इंडिया, 2 जिल्द, 1894

एबट, गेम्रे, नैरेटिव ऑफ जर्नी फ्रॉम हेरात टू खीव

एल्डर, जी टी, ब्रिटिश इंडियाज नॉर्दर्न फ्रंटियर, 1865, 1895, 1963

ओ के, रशा एंड इंगलैंड फ्रॉम 1876 टू 1880 ए प्रोटेस्ट एंड एन अपील, 1880

कर्जन, जी एन, पर्शिया एंड पर्शियन क्वेश्चन, लंदन, 1892

कर्जन, जी एन, रशा इन सेंट्रल एशिया इन 1889 एंड द एंग्लो-रशन क्वेश्चन, लंदन, 1889

कॉरी, आर्थर, द ईस्टर्न मिनेस, 1881

कुरोपाटकिन, ए एन, तुर्कोमानिया एंड द तुर्कोमान्स, अनुवादक मिशैल, आर

वेफ, वालिखानोफ, एम वेनिन्काग, द रशन्स इन सेंट्रल एशिया, अनुवादक, जॉन रॉबर्ट मिशैल, 1865

कोलकुहन, ए आर, रशा अगेन्स्ट इंडिया, लंदन, 1901

क्राउजे, एलेक्सिस, रशा इन एशिया (1558-1899), न्यूयार्क, 1899

खानिकोफ, बुखारा, इट्स अमीर एंड इट्स पीपुल, अनुवादक, ए बोदा

गार्डन, मैक, कैम्पेनिंग ऑन द ऑक्सस

गोपाल, एस, द वायसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड रिपन, 1960

ग्रोडेकोफ, राइड फ्रॉम समरकंद टू हेरात, अनुवादक, चार्ल्स मार्विन

घाए डा क इंगलैंड एंड अफगानिस्तान, 1960
चिरन वैलन्टाइन द मिडिल ईस्टर्न क्वेश्चन ऑर सम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन डिफेंस, जान मुरे 1903
चपमान ई एफ अवर कर्माशियल पॉलिसी इन द ईस्ट, सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कार्यवाही
टेरेन्टिएफ रशा एंड इंगलैंड इन सेंट्रल एशिया, 2 जिल्दें
इन आर्चिबाल्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द पर्शियन गल्फ, सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कार्यवाही
डाब्सन जाज, रशन रेलवे एडवास इन टु सेंट्रल एशिया
डलिन डविड द राइज ऑफ रशा इन एशिया, लदन 1950
दैनौम्की लॉं रसी एत ल एग्लोतेरे ईन्स ल एशिया सैन्त्राल
धमपाल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर जॉन लॉरेंस इन इंडिया (1864 1869) 1952
नोस एफ इंगलैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान
पापाम्का जाजेफ द राइवल पावर्स इन सेंट्रल एशिया, वेस्टमिन्स्टर
प्लाउडन ट्रेवर चिचली, प्रेसी ऑफ करेसपोडेंस, एटसेट्रा रिलेटिंग टु अफेयर्स इन सेंट्रल एशिया, पर्शिया एटसेट्रा 1875 77, कलकत्ता 1878
फिशर फ्रड एच अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन क्वेश्चन, लदन जम्स क्लार्क एंड को 1878
फेरियर ज पी हिस्ट्री ऑफ द अफगान्स, लदन, 1858
बर्नाबी कनल राइड टु खीव
बर्न्ज, ट्रेवेल्स इन बुखारा
बाउलार डमट्रियम सी इंगलं एंड रशा इन सेंट्रल एशिया, 2 जिल्दें, लदन, 1879
बाउलार, डमट्रियम सी, सेंट्रल एशियन क्वेश्चन्स
बवर, वलन्टाइन क्लाउड्स इन द ईस्ट, ट्रेवेल्स एंड एडवचर्स ऑन द पर्सो-टर्कोमान फ्रंटियर, 1876
बलफर बी लॉर्ड लिटन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, 1899
बेल्यू एच अफगानिस्तान एंड द अफगान्स
मध्य एशिया में मवद्ध पत्राचार, ससदीय कागज-पत्र, 1881-1883
मार्विन चाल्स, द डिसास्टरस रशन कैम्पेन अगेंस्ट द एखेल टेक्के टर्कोमान्स
मार्विन चाल्स, द रशन्स एट द गेट्स ऑफ हेरात, न्यूयार्क, 1885
मार्विन चाल्स, रशन एडवांस टुवर्ड्स इंडिया, लदन, 1879
मार्विन, चाल्स द रशास एट मर्व एंड हेरात, 1883
मार्विन चार्ल्स, मर्व : द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड
मार्विन, चाल्स रिकोनोइट्रिंग इन सेंट्रल एशिया

मालेसन, जी बी हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, दूसरा सस्करण, लदन, 1879
मालेसन, हेरात, द ग्रेनेरी एंड गार्डेन ऑफ सेंट्रल एशिया
माल्कम, हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, 2 जिल्दें
मैक कॉल, माल्कम, 'रशा एड इगलैड' कन्टमपॉरेरी रिव्यू, LXVII, पृ. 1-16, जनवरी, 1894
मैक महोन जे ए कैम्पेनिंग ऑन द ओक्सस, एंड द फाल ऑफ खीव, लदन, 1874
मैलेट सी द अर्ल ऑफ नॉर्थब्रुक, 1908
यावोर्स्की, डाक्टर आई एल, जर्नी ऑफ द रशन एम्बेसी टू
अफगानिस्तान एंड द खानेट ऑफ बुखारा इन 1878-1879; कलकत्ता। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, भारत, के अधीक्षक, 1885
रॉलिन्सन, हेनरी, इंगलैंड एंड रशा इन द ईस्ट, द्वितीय सस्करण, लदन, 1875
रेवर्टी, एच एम, मेजर, नोट्स ऑन अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, लदन, 1888
रोडनबाउ, थियोडोर एफ, अफगानिस्तान एंड द एंग्लो-रशन डिस्प्यूट, 1885
लॉयन्स, गेरवाइस, अफगानिस्तान—द बफर स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशा इन सेंट्रल एशिया 1910
लैंसडेल, रशन सेंट्रल एशिया
लोबानोव, रोस्टोस्की, रशा एंड एशिया, न्यूयार्क, 1933
वाइन, एच सी पेपर, प्रेसी ऑफ पेपर्स रिगार्डिंग अफेयर्स इन सेंट्रल एशिया, 1867-1872, शिमला, गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस, 1872
वाम्ब्रे, आर्मिनियस, द कमिंग स्ट्रगल फॉर इंडिया, लदन, 1885
वाम्ब्रे, आर्मीनिमस, सेंट्रल एशिया एंड द एंग्लो-रशन फ्रंटियर क्वेश्चन, लदन, 1874
वाम्ब्रे, आर्मिनियस, हिस्ट्री ऑफ बुखारा
वार्ड और गुच, (सपादित), द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, 1783-1919, कैम्ब्रिज, 1922-23
विलियम्स एंड नॉर्थगेट, द सेंट्रल एशियन क्वेश्चन फ्रॉम एन ईस्टर्न स्टेंडपॉइंट, 1869
विली, जे डब्ल्यू एस, एक्स्टर्नल पॉलिसी ऑफ इंडिया
वुल्फ, जे, नैरेटिव ऑफ ए मिशन टू बुखारा
व्हिथम, एच. जे., द पर्शियन प्रॉब्लेम, लदन, 1903
व्हीलर, जे. टाल्बोयीग, मेमोरेंडम ऑन पर्शियन अफेयर्स विद ए सप्लीमेंट्री नोट ऑन द टर्कोमान्स, चर, आइमेक्स एंड सीस्तान। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के अधीक्षक का कलकत्ता स्थित कार्यालय, 1871
शालेत, कान्टे द, एवासकाॅनर तुर्किस्तान एत सर सां फान्तियर रूसो-अफगाने

शूलर, यूजीन, तुर्किस्तान नोट्स ऑन ए जर्नी इन रशन टर्किस्तान, कोहकंद, बुखारा एंड खुल्जा, 2 जिल्दें, न्यूयार्क, 1877
साइक्स, एफ., हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, दूसरी जिल्द
साइक्स, पी., हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, दूसरी जिल्द
सिंह, एम. एच., हिस्ट्री ऑफ़ कोहकंद
सिंघल, डी. पी., इंडिया एंड अफगानिस्तान, 1876-1907, 1963
सेकेंड अफगान वार, 1878-80, आसूचना शाखा, सेना-मुख्यालय, भारत, लंदन में तैयार किया गया आधिकारिक विवरण, जॉन मुरे, 1907
स्टम, हेर, रशा इन सेंट्रल एशिया
स्टम, हेर, रशन एडवांस ईस्टवर्ड
स्त्राइन, एफ. एच., और रॉस, ई. एड., द हार्ट ऑफ एशिया, लंदन, 1899
स्त्राइन, द एक्सपेंशन ऑफ रशा, कैम्ब्रिज, 1915
स्मिथ, आर. बी., लाइफ ऑफ़ लॉर्ड लॉरेंस, 2 जिल्दें, न्यूयार्क, 1883
हंटर, डब्ल्यू. डब्ल्यू., लॉर्ड मेयो, 2 जिल्दें
हन्ना, कैन रशा इन्वेड इंडिया ?
हन्ना, द सेकेंड अफगान वार, 1, 1899
हॉवहाउस, सर आर्थर, "सम रेफ्लेक्शन्स ऑन द अफगान इम्ब्रोग्लिओ" फोर्टनाइट्ली रिव्यू, LXXXIV, पृ. 381-397, मितंबर, 1880
हेनवे, फ्रेडरिक, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ़ करेसपोंडेंस रिलेटिंग टु अफ़ेयर्स इन सेंट्रल एशिया, 1872-1875, शिमला, 1875
हेलवाल्ड, फ्रेडरिक वॉन, द रशन्स इन सेंट्रल एशिया
होल्डिच, टामस, 'इंगलैंड्स स्ट्रेंथ इन एशिया", फ़ोर्टनाइट्ली रिव्यू LXXXIV, पृ. 640-655, अक्टूबर, 1905

राजनीतिक कार्यवृत्तों के नाम से विख्यात भारत सरकार के राजनीतिक और विदेश विभागों के कार्यवृत्तों, और राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित वैदेशिक, गुप्त तथा एस. आई. कार्यवृत्तों में महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध होती है तथा वे इस विषय के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्रोत हैं। लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो तथा लार्ड लिटन के निजी कागज-पत्रादि से भी इस विषय में हमारी जानकारी बढ़ती है।

पारिभाषिक शब्दावली

हिंदी-अंग्रेजी

अंतर्काल	interregnum
अंशदान	contribution
अकारण हमला	unprovoked aggression
अकृत और शून्य	null and void
अग्रधर्षण	*aggression*
अग्र नीति/अग्रिम नीति	forward policy
अग्रवर्ती अड्डे	forward bases
अतिक्रमण	encroachment
अधिमान्यता	preferment
अधिराजत्व	suzerainty
अनंतिम	provisional
अनुच्छेद	article
अनुज्ञा-पत्र	permit
अनुदान	grant
अनुदारदलीय सरकार	conservative government
अनुबंध	stipulation
अनुसमर्थन	ratification
अपरदेशीय अधिकार	extra territorial rights
अबाध व्यापार	free trade
अभिकर्त्ता	agent
अभियान	expedition
अभिरक्षा	custody
अभिलेख	record
अभिवेदन	representation
अभिसमय	convention
अनपनीयता	inviolability
अवरोध	barrier

असैनिक	civil
आकस्मिकता	contingency
आधिपत्य कब्ज़ा	occupation
आबंध	engagement
आपात-काल	emergency
आयात शुल्क	import duty
आयुक्त	commissioner
आयोग	commission
आश्रित राज्य	subsidized state
उत्तराधिकार	succession
उदघोषणा/ऐलान	proclamation
उपदान	subsidy
उपबंध	provision
उपसर्गी राज्य	subsidiary state
उपसंधि	convention
उष्ण समुद्र	warm water
एकाधिकार	monopoly
कबीला	tribe
करद	tributary
करार	agreement
कार्यदूत	Charge d' Affaires
क्रियाविधि	procedure
क्षतिपूर्ति	reparation
क्षेत्राधिकार	jurisdiction
खोज	exploration
गुज़ारा	maintenance
गृहयुद्ध	civil war
गृह सरकार	Home Government
घाटबंदी	embargo
घुस-पैठ	incursion
छापा	raid
जल-दस्युता/समुद्री डकैती	piracy
जलडमरूमध्य	strait
जल विभाजक	water-shed

ज्ञापन-पत्र	memorandum
टिप्पणी	note
डमरूमध्य	isthmus
तटस्थता	neutrality
तार-अभिसमय	Telegraph Convention
तीन नलियो वाली राइफल	three grooved rifle
तोडदार बदूक	snider gun
दास-व्यापार	traffic in slaves
दूत	envoy
दूतावास	mission
द्रव्य भत्ता	money allowance
धर्मांधता	fanaticism
धारा	clause
नाकाबदी	blockade
नाम निर्देशन	nomination
निदान	diagnosis
निरीक्षण चौकी	observation post
निर्देश-पत्र	minute
निर्वासन	expulsion
निहस्तक्षेप	non intervention
निहस्तक्षेप सिद्धात	theory of non intervention
निलबन	suspension
निश्चायक सधि	Definitive Treaty
निषेधाज्ञा	interdict
निष्ठा	allegiance
निष्पन्न तथ्य	accomplished fact
नौ-स्क्वाड्रन	Naval Squadron
पचाट	award
पट्टा	lease
पत्राचार	correspondence
परतुक	proviso
'परम निष्क्रियता	Masterly Inactivity
परम श्रेष्ठ	His Excellency
परस्परता	reciprocity

परित्राण	safeguard
परिपत्र	circular
परिवहन शुल्क	transit duty
परिसीमन	delimitation
पार्श्व भाग	flank
पूर्णाधिकारी दूत	plenipotentiary
पृथक्करण	isolation
प्रणधि	emissary
प्रतिनिधि-मडल	mission
प्रतिरक्षा	defence
प्रतिरोध	resistance
प्रति-सतुलन	counter poise
प्रत्यपण	extradition
प्रत्यायित दूत	accredited envoy
प्रभाव क्षेत्र	sphere of influence
प्रभाविता	efficacy
प्रभुता	sovereignty
प्ररूप	pattern
प्रलेख	document
प्रायोजना	project
प्रेषण	despatch
भारत क दसी रजवाड़े	Indian States
भारत-मत्री	Secretary of State for India
मत्रिमडल	Cabinet
मजमून	text
मत्स्य-क्षेत्र	fisheries
मध्यवर्ती राज्य	buffer state
मध्यस्थता	mediation
महामान्य	His Highness
मान्यता	recognition
मैत्री-सधि	alliance
युद्ध-नीति	strategy
युवराज	heir-apparent
यात्रा-सुरक्षण	safe conduct

यादनामा	aide memoire
रक्षा प्राचीर	bulwark
रक्षित राज्य	protege state
रक्षोपाय	safeguard
राज	dominion
राजतंत्र	monarchy
राजत्व	kingship
राजदूतावास	embassy
राजनय	diplomacy
राजमार्ग	highway
राजवंश	dynasty
राज्य-क्षेत्र	territory
राजादिष्ट अधिकारी	commissioned officer
रूढ़ि	custom
लाल रेखा	red line
वंशज	descendant
वचनबंध	engagement
वजीफा	stipend
वस्तुतः शासक	*de facto ruler*
वाणिज्य	commerce
विज्ञप्ति	notification
विदेश-नीति	foreign policy
विदेश विभाग	foreign department
विधि	law
विधितः	*de jure*
विधिहीन	lawless
विराम-संधि	truce
विराम-संधि राज्य	Trucial States
विराम-संधि-सरदार	Trucial Chiefs
विरासत	inheritance
विलय	annexation
विवरण	minute
विवाचन	arbitration
वैधता	validity

वैधिक अनुबंध	legal stipulation
व्यवस्था	settlement
व्यापार	trade
शतघ्नी नौका	gun boat
शिष्टमंडल	deputation/mission
संधि	treaty
संयंत्र	plant
संरक्षण	protection
संरक्षित राज	protectorate
संविदा	contract
संश्रित राष्ट्र	ally
सत्प्रयास	good office
सद्भावना	good will
स-परिषद गवर्नर-जनरल	Governor-General-in-Council
समपक्षीय करार	equilateral agreement
समर्पण	surrender
समुद्र-तट	littoral
सर्वेक्षण	survey
सर्वोपरिता	paramountcy/supremacy
सहायक संधि	subsidiary alliance
सामंत राज्य	vassal
सामरिक	strategic
साम्राज्यवाद	imperialism
साम्राज्ञी की सरकार	Her Majesty's Government
साक्ष्य	evidence
सीमांकन	demarcation
सीमांत	frontier
सीमा-चौकी	outpost
सीमा-रेखा	frontier line/line of boundary
सीमा शुल्क	customs duty
सुदूर पूर्व	Far East
सैनिक अड्डे	military bases
स्थान रूपरेखा	topography

स्वविवेक	discretion
हर्जाना	indemnity
हस्तातरण	transfer
हिरासत	custody

अनुक्रमणिका

अ

आ

इ

ई

उ

ए

ओ

क

ख

ग

ट

ड

न

प

भ

म

य

र

ल

व

श

स

ह

अनुवाद निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रकाशन

प्रकाशित

1 गति विज्ञान भाग 1 (Dynamics, Part I—A S Ramsey)
अनुवादक लज्जाराम सिहल
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

2 गति विज्ञान भाग 2 (Dynamics, Part II—A S Ramsey)
अनुवादक स्व डा चम्मनलाल शर्मा
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

3 समाकलन-गणित (Integral Calculus—Shanti Narayan)
अनुवादक लज्जाराम सिहल
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

4 अवकलन गणित (Differential Calculus—Shanti Narayan)
अनुवादक स्व डा चम्मनलाल शर्मा
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

5 कशेरुक प्राणियों की संरचना तथा परिवर्धन, भाग 1 (Studies on the Structure and Development of Vertebrates, Vol I—E S Goodrich)
अनुवादक डा जगदीश चन्द्र मूना
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

6 कशेरुक प्राणियों की संरचना तथा परिवर्धन, भाग 2 (Studies on the Structure and Development of Vertebrates, Vol II—E S Goodrich)
अनुवादक डा जगदीश चन्द्र मूना
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

7 अकशेरुकी प्राणि-जगत् प्रोटोजोआ से टीनोफोरा तक, भाग 1 (The Invertebrates Ctenophora, through Protoyzoa Vol I—L H Hyman)
अनुवादक डा हरस्वरूपसिंह विश्नोई
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

8 यूनानी राजनीति सिद्धान्त (Greek Political Theory—Ernest Barker)
अनुवादक विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

9 भारतीय विदेश-नीति के आधार (Foundations of India's Foreign Policy—Dr Bisheshwar Prasad)

अनुवादक विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

प्रेस में

1 राजनय और राज्य-शिल्प (Studies in Diplomacy and Statecraft—G P Gooch)

अनुवादक महेन्द्र चतुर्वेदी

2 चिरसम्मत यांत्रिकी (Classical Mechanics—D E Rutherford)

अनुवादक ओमप्रकाश वर्मा
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

3 बीजगणित और समीकरण सिद्धान्त (Text Book on Algebra and Theory of Equation—Chandrika Prasad, D Phil, Oxon)

अनुवादक डा हरिश्चन्द्र गुप्त
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

4 प्राणि विज्ञान की रूपरेखा (Thomson's Outlines of Zoology)

अनुवादक कृष्णकुमार गुप्त
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

आगामी प्रकाशन

1 प्रायिकता—सिद्धान्त और उसके अनुप्रयोग (An Introduction to Probability Theory and its Applications—W. Feller)

अनुवादक लज्जाराम मिहल
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

2 उच्चतर बीजगणित (Higher Algebra—S Bernard and J M Child)

अनुवादक लज्जाराम मिहल
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

3 चन्द्रतल का सर्वेक्षण (Survey of the Moon—Patric Moore)

अनुवादक लज्जाराम मिहल
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

4 आधुनिक ब्रह्माड-विज्ञान (Great Ideas and Theories of Modern Cosmology—Jagjit Singh)

अनुवादक लज्जाराम मिहल
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

5 अकशेरुकी प्राणि-जगत् प्लैटीहैल्मिंथीज तथा रिंकोसीला, भाग 2 (The Invertebrates · Platyhelminthes and Rhychocoela, Vol II—L H Hyman)

अनुवादक डा हरस्वरूपसिंह बिश्नोई
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

6 अकशेरुकी प्राणि-जगत् एकैंथोसेफैला, ऐस्कैल्मिथीज और एन्टोप्रोक्टा—भाग 3 (The Invertebrates · Acantho-Cephala, Aschelminthes and Entoprocta, Vol III—L H Hyman)

अनुवादक डा जगदीशचन्द्र मूना
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

7 यूरोपीय राजनय का इतिहास, 1451-1789 (A History of European Diplomacy, 1451-1789—R B Mowat)

अनुवादक विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

8 यूरोपीय राजनय का इतिहास, 1815-1914 (A History of European Diplomacy, 1815-1914—R B Mowat)

अनुवादक ओमप्रकाश गाबा
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

9 यूरोपीय राजनय का इतिहास, 1914-1925 (A History of European Diplomacy, 1914-1925—R B Mowat)

अनुवादक विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

10 विश्व राजनीति का इतिहास—1919 के बाद (The World Since 1919—W C Langsam)

अनुवादक विश्वप्रकाश गुप्त
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

11 राजनयिक व्यवहार (A Guide to Diplomatic Practice—Sir Ernest Satow)

अनुवादक ओमप्रकाश गाबा
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

12 कीट विज्ञान (A Text Book of Entomology—A. D Imms)

अनुवादक डा जगदीशचन्द्र मूना
भाषा-संपादक महेन्द्र चतुर्वेदी

13. प्रायोगिक प्राणि विज्ञान (A Junior Course of Practical Zoology—Marshall and Hurst)

अनुवादक कृष्णकुमार गुप्त
भाषा-संपादक . महेन्द्र चतुर्वेदी